अप्रैल-जून 2018
ISSN: 2321-0443
UGC Journal No. 41285

ज्ञान गरिमा सिंधु

अंक : 58

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजनीति विज्ञान विशेषांक

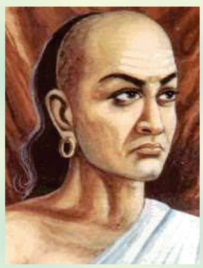
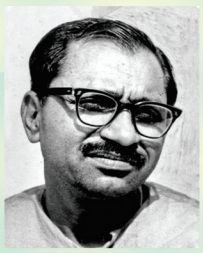

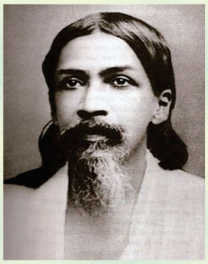
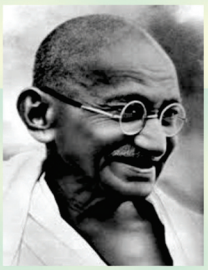

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) भारत सरकार
Commission for Scientific and Technical Terminology
Ministry of Human Resource Development
(Department of Higher Education)
Government of India

UGC JOURNAL NO-41285 ISSN : 2321-0443

ज्ञान गरिमा सिंधु

(त्रैमासिक पत्रिका)

राजनीति विज्ञान विशेषांक

अंक - 58

(अप्रैल–जून, 2018)

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
भारत सरकार
2018

COMMISSION FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMINOLOGY
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)
GOVERNMENT OF INDIA
2018

'ज्ञान गरिमा सिंधु' एक त्रैमासिक विज्ञान पत्रिका है। पत्रिका का उद्देश्य है– हिंदी माध्यम से विश्वविद्यालयी व अन्य छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान संबंधी उपयोगी एवं अद्यतन पाठ्य पुस्तकीय तथा संपूरक साहित्य की प्रस्तुति। इसमें वैज्ञानिक लेख, शोध–लेख, तकनीकी निबंध, शब्द–संग्रह, शब्दावली–चर्चा, पुस्तक–समीक्षा आदि का समावेश होता है।

लेखकों के लिए निर्देश

1. लेख की सामग्री मौलिक, अप्रकाशित तथा प्रामाणिक होनी चाहिए।
2. लेख का विषय मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विषयों से संबंधित होना चाहिए।
3. लेख सरल हो जिसे विद्यालय/महाविद्यालय के छात्र आसानी से समझ सकें।
4. लेख लगभग 2000 से 3000 शब्दों का हो। कृपया टाइप किया हुआ या कागज के एक ओर स्पष्ट हस्तलिखित लेख भेजें जिसके दोनों तरफ हाशिया भी छोड़ें।
5. प्रकाशन हेतु भेजे गए लेख के साथ उसका सार भी हिंदी में अवश्य भेजें। लेख में आयोग द्वारा निर्मित शब्दावली का ही प्रयोग करें तथा प्रयुक्त तकनीकी/वैज्ञानिक हिंदी शब्द का मूल अंग्रेजी प्रर्याय भी आवश्यकतानुसार कोष्ठक में दें।
6. श्वेत–श्याम या रंगीन फोटोग्राफ स्वीकार्य हैं।
7. लेख के प्रकाशन के संबंध में संपादक का निर्णय ही अंतिम होगा।
8. लेखों की स्वीकृति के संबंध में पत्र व्यवहार का कोई प्रावधान नहीं है। अस्वीकृत लेख वापस नहीं भेजे जाएंगे। अतः लेखक कृपया टिकट–लगा लिफाफा साथ न भेजें।
9. प्रकाशित लेखों के लिए प्रोत्साहन के तौर पर आयोग के नियमानुसार मानदेय दिया जायेगा। भुगतान लेख के प्रकाशन के बाद ही किया जाएगा।
10. कृपया लेख की दो प्रतियां निम्न पते पर भेजेः

    संपादक, ज्ञान गरिमा सिंधु
    वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
    पश्चिमी खंड – 7, रामकृष्णपुरम्
    नई दिल्ली – 110066
11. समीक्षा हेतु कृपया पुस्तक/पत्रिका की दो प्रतियां भेजें।

पत्रिका का शुल्कः	भारतीय मुद्रा	विदेशी मद्रा	
सामान्य ग्राहकों/सस्थाओं के लिए प्रति अंक	रु. 14.00	पौंड 1.64	डॉलर 4.84
वार्षिक चंदा	रु. 50.00	पौंड 5.83	डॉलर 18.00
विद्यार्थियों के लिए प्रति अंत	रु. 8.00	पौंड 0.93	डॉलर 10.80
वार्षिक चंदा	रु. 30.00	पौंड 3.50	डॉलर 2.88

वेबसाइटः **www.mhrd.cstt.gov.in**
कापीराइट © 2018
प्रकाशकः
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
भारत सरकार, पश्चिमी खंड–7
रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली – 110066

बिक्री हेतु पत्र–व्यवहार का पताः
सहायक निदेशक, बिक्री एकक
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली
आयोग, पश्चिमी खंड–7,
रामकष्णपुरम्, सेक्टर–1,
नई दिल्ली– 110066
दूरभाष– (011) 26105211
फैक्स – (011) 26102882

बिक्री स्थानः
प्रकाशन नियंत्रक, प्रकाशन विभाग
भारत सरकार,
सिविल लाइन्स, दिल्ली–110054

पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने है। संपादक मंडल की इनसे सहमति अनिवार्य नहीं है।

अध्यक्ष की ओर से....

वैज्ञानिक तथा तकनीकी आयोग विभिन्न वैज्ञानिक, तकनीकी उच्चतर शिक्षा एवं मानविकी आदि से संबद्ध क्षेत्रों में तैयार की गई शब्दावली का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन को प्रोत्साहित करने से 'ज्ञान गरिमा सिंधु पत्रिका का प्रकाशन करता है। आयोग द्वारा इस पत्रिका के समय– समय पर कुछ विशेष विषयों पर विशेषांकों का प्रकाशन किया गया है। इसी शृंखला में 'राजनीति विज्ञान विशेषांक को अपने पाठकों व लेखकों को उपलब्ध कराते हुए मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। ज्ञान गरिमा सिंधु' का अप्रैल–जून 2018 का अंक राजनीति विज्ञान तथा अन्य संबद्ध क्षेत्रों से जुडे विषयों पर केंद्रित है।

पत्र–पत्रिकाएँ न केवल संस्था विशेष के ज्ञान के वैशिष्टय की परिचायक होती हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अलग–अलग क्षेत्रों में हो रहे महत्वपूर्ण अनुसंधानों व शोध कार्यों का एक समेकित व जनोपयोगी सार्थक मंच भी होती हैं। यद्यपि अन्य वैज्ञानिक पत्रिकाओं के समानांतर ही 'ज्ञान गरिमा सिंधु' का उद्देश्य भी मूल रूप में हिंदी में मानविकी विषयक लेखन को प्रचारित–प्रसारित करता है, जिसका कार्यान्वयन व अनुपालन पत्रिका अपने प्रत्येक अंक में करती ही रही है। ऐसे विशेषांकों के कारण एक ही विषय पर वैविध्यपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने से पाठकों को संबंधित क्षेत्रों में हो रहे नवीनतम अनुसंधानों एवं शोध–कार्यों की अद्यतन सूचनाएँ एक ही स्थान पर उनकी भाषा में उपलब्ध हो जाती हैं। पत्रिका का यह अंक कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण व संग्रहणीय हैं। देश भर से राजनीति विज्ञान विषय के विभिन्न प्राध्यापकों/लेखकों द्वारा अत्यल्प सूचना पर अपने–अपने विषयों के महत्वपूर्ण आलेख तैयार किए हैं।

इस विशेषांक में आलेखों के साथ–साथ पाठकों के ज्ञानवर्धन–हेतु राजनीति विज्ञान विषय की महत्वपूर्ण व उपयोगी शब्दावली को भी प्रकाशित किया गया है, ताकि पाठक व लेखक भविष्य में अपने द्वारा किए जा रहे वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन में मानक शब्दावली का प्रयोग कर राष्ट्रीय स्तर पर शब्द–पर्यायों की एकरूपता सुनिश्चित करने में सहयोग प्रदान कर सके। इसी के साथ आयोग द्वारा तैयार राजनीति विज्ञान की मूलभूत शब्दावली के लगभग 3800 शब्दों को परिशिष्ट के रूप में भी इसमें सम्मिलित किया गया है।

मैं इस अवसर पर देश के प्रतिनिधि विश्वविद्यालयों, तकनीकी, वैज्ञानिक एवं अन्य संस्थाओं के वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों से अपेक्षा करता हूँ, कि वे आयोग के विशेषज्ञ, विद्वानों के सहयोग से तैयार की गई प्रामाणिक व मानक शब्दावली का अधिक प्रयोग कर अपना सार्थक सहयोग प्रदान करें।

इस कार्य को पूर्ण रूप से संपादित कर प्रकाशन योग्य तैयार करने का उत्तरदायित्व डॉ. शाहजाद अहमद अंसारी द्वारा निभाया गया है। इस पत्रिका के परामर्श एवं संपादन समिति के प्रत्येक विशेषज्ञ, संपादक डॉ. शाहजाद अहमद अंसारी प्रकाशन एकक प्रभारी श्री शिव कुमार चौधरी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूँ मैं इस विशेषांक के लेखकों को भी साधुवाद देता हूँ। सुधी पाठकों के अमूल्य सुझावों व सहयोग की प्रतीक्षा रहेगी।

(प्रोफेसर अवनीश कुमार)
अध्यक्ष एवं प्रधान संपादक
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

संपादकीय

ज्ञान गरिमा सिंधु का 58वें अंक को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। प्रस्तुत अंक राजनीति विज्ञान विशेषांक के रूप मे है जिसमें राजनीति विज्ञान के विभिन्न शाखाओं से संबंधित शोध – पत्रों को शामिल कर विशेषांक संपादित करने का यह अभिनव प्रयास है।

अध्यक्ष महोदय के निदेशानुसार एवं उनसे ज्ञान गरिमा सिंधु के राजनीति विज्ञान विशेषांक पर प्राप्त लेखों का मूल्यांकन करवाने तथा इसे सम्पादित करने का अवसर मिला। यद्यपि बहुत कम समय में इसका मुल्यांकन, संयोजन एवं संपादन वास्तव में कठिन कार्य था लेकिन नित्य प्रति के प्रयासों के साथ–साथ सभी लेखों का संपादन व प्रूफ शोधन प्रारंभ हुआ। लेखों एवं शोध पत्रों का विषयानुसार वर्गीकरण; संयोजन तथा मूल्यांकन एवं परामर्श समिति द्वारा पत्रिका के विशेषांक का नामकरण किया जाना, इस विशेषांक को सार्थक रूप देने मे अभीष्ट सिद्ध हुआ।

प्रस्तुत विशेषांक में देश के विभिन्न विश्वविद्यालय, महाविद्यालय व संस्थानों के विभिन्न प्रतिभागियों/लेखकों के लगभग 40 आलेख/शोध पत्र प्राप्त हुए जो राजनीति विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित है। मूल्याकंन के उपरांत केवल 28 आलेख प्रकाशन योग्य पाए गए। जिनको प्रकाशनार्थ चार खण्डों में विभाजित किया गया हैं। प्रथम खण्ड में भारतीय राजनीतिक विचारधाराएँ से संबंधित है। जिसमें कौटिल्य, महर्षि अरविंदों, महात्मा गाँधी, सुभाषचंद्र बोस, दादाभाई नरौजी, डॉ राम मनोहर लोहिया एवं पं दीनदयाल उपाध्याय आदि भारतीय विचारकों के चिंतन, दर्शन एवं राजनीतिक विश्लेषण का शोध दृष्टि से वर्णन किया गया है।

द्वितीय खण्ड में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के विशेष संदर्भ में भारतीय संघवाद, लोकतंत्र, न्यार्यिक सक्रियता, चुनावी राजनीति, भाषा की राजनीति, सामाजिक जनसंचार माध्यम, महिला सशक्तिकरण, लैगिक बजट और चुनावी रैलिया आदि का समसामयिक विश्लेषण आदि पर प्रकाश डाला गया है।

तृतीय खण्ड में अंतरराष्ट्रीय राजनीति और विदेश–नीति से संबंधित आलेखों को समाहित किया गया है। जिसमें समकालीन विश्व में राष्ट्रवाद, भारत की विदेश–नीति और पडौसी देशों के साथ संबंध, भारत–अमेरिका संबंध एवं मतभेद के नवीन विंदु, मध्य पूर्व में ईरान का राजनीतिक महत्व तथा अतरराष्ट्रीय आतंकवाद के आलेखों का समसामयिक वैश्विक परिदृश्य में शोधात्मक समीक्षा की गई है।

चुतर्थ खण्ड पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित है जिसमें राजनीति विज्ञान की पारिभाषिक शब्दावली एवं संसदीय शब्दावली की संक्षिप्त परिचय दिया गया है। राजनीति विज्ञान से जुड़े विद्वानों, शिक्षकों, शोधार्थियों, वैज्ञानिकों आदि का राजनीति विज्ञान की मूलभूत शब्दावली से परिचित करने के लिए आलेख के अंत में राजनीति विज्ञान शब्दावली को भी समाविष्ट किया गया है।

विशेषांक अपने विषय की जानकारी के आलेखों से परिपूर्ण है। शोध पत्रों/आलेखों में हिंदी जगत के सामने इस सर्वोपयोगी सामाजिक विज्ञान के अनेक सारगर्भित बिंदुओं पर विचार–विमर्श किया गया है।

मै माननीय अध्यक्ष महोदय के अभारी हुँ, जिनके मार्गदर्शन व प्रोत्साहन से ही यह दुरूह कार्य नियत समय में निष्पादित हो सका। इसके साथ ही परामर्श/मूल्याकन एवं संपादन समिति के सभी सदस्यों के प्रति आभार ज्ञापित करते है, जिनके अथक एवं समग्र प्रयासों से ही इस पत्रिका की संकल्पना को मूर्त रूप मिल सका। हमें विश्वास है, कि विशेषांक में प्रस्तुत किए गए इन आलेखों से हमारे पाठकों को अवश्य ही लाभदायक एवं बहुपयोगी सिद्ध होगा।

(डॉ. शाहजाद अहमद अंसारी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी
राजनीति विज्ञान

परामर्श एवं संपादन मंडल

प्रधान संपादक

प्रोफेसर अवनीश कुमार, अध्यक्ष

संपादक

श्री शिव कुमार चौधरी, सहायक निदेशक

एवं

डॉ. शाहजाद अहमद अंसारी,

स. वैज्ञानिक अधिकारी (राजनीति विज्ञान)

प्रकाशन

श्री शिव कुमार चौधरी, सहायक निदेशक

संपादन समिति

1. डॉ. संजीव कुमार तिवारी,
   राजनीति विज्ञान विभाग,
   महाराजा अग्रसेन कॉलेज,
   दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
2. डॉ. शान्तेष कुमार सिंह
   राजनीति विज्ञान विभाग,
   शाहीद भगत सिंह कॉलेज
   दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
3. डॉ. राजेन्द्र पांडेय
   राजनीति विज्ञान विभाग,
   चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
   मेरठ (ऊ. प्र.)
4. डॉ. राजेश कुमार शर्मा,
   राजनीति विज्ञान विभाग,
   राजस्थान विश्वविद्यालय,
   जयपुर (राजस्थान)
5. डॉ. हरिराम परिहार,
   राजनीति विज्ञान विभाग,
   राजकीय कॉलेज, बालेसर,
   जोधपुर (राजस्थान)
6. प्रो. ममता चन्द्रशेखर,
   माता जीजाबाई शासकीय
   स्नातकोतर कन्या महविद्यालय
   इंदौर (म. प्र)
7. प्रो. मो. नफिस अहमद अंसारी,
   राजनीति विज्ञान विभाग,
   अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी,
   अलीगढ़ (ऊ. प्र)
8. श्री डी. डी. नोंटियल,
   पूर्व निदेशक, वै.त.श. आयोग,
   नई दिल्ली
9. डॉ. नेयाज अहमद अंसारी
   राजनीति विज्ञान विभाग,
   राजकीय महाविद्यालय
   सिहावल, सीधी. (म. प्र.)
10. डॉ. मो. मुनीर आलम
    सामरिक एवं क्षेत्रीय अध्ययन विभाग
    जम्मू विश्वविद्यालय,
    जम्मू

अनुक्रम

प्रधान संपादक
प्रो. अवनीश कुमार
अध्यक्ष

संपादक
डॉ. शिव कुमार चौधरी
सहायक निदेशक
एवं
डॉ. शाहजाद अहमद अंसारी
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी
(राजनीति विज्ञान)

प्रकाशन
श्री शिव कुमार चौधरी
सहायक निदेशक

संपर्क सूत्र
संपादक

"ज्ञान गरिमा सिंधु"
वैज्ञानिक तथा तकनीकी
शब्दावली आयोग
पश्चिमी खंड-7
आर. के. पुरम,
नई दिल्ली-110066

	आलेख शीर्षक	लेखक	
	अध्यक्ष की ओर से		iii
	संपादकीय		iv
■	**भारतीय राजनीतिक विचारधाराएँ** :–		
1.	आधुनिक राजव्यवस्था : कौटिल्य के विचारों की प्रासंगिकता	डॉ. संजीव कुमार तिवारी	01
2.	महर्षि अरविन्दों का राजनीतिक दर्शन	डॉ. संगीता शर्मा	07
3.	गांधी दर्शन में मानव अधिकारों की अवधारणा	डॉ. राजेश कुमार शर्मा	14
4.	सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक चिंतन	डॉ. इंद्रमणि सिंह	19
5.	दादाभाई नौरोजी के सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का चिंतन	डॉ. दीपक कुमार अवस्थी	26
6.	डॉ. राम मनोहर लोहिया के आर्थिक चिंतन की प्रासंगिकता	ब्रजेश कुमार	31
7.	भारतीय राजनीतिक चिंतकों की दृष्टि में संघर्ष–निवारण में नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिकता का महत्व	डॉ. पुष्पलता कुमारी	37
8.	वैदेशिक मामले और पं. दीनदयाल उपाध्याय	डॉ. मनीष कुमार तिवारी	43
9.	गाँधी दर्शन में सामाजिक न्याय के विचार	आरती	49
■	**भारतीय राजनीतिक व्यवस्था** :–		
1.	भारतीय संघीय व्यवस्था की असमरूपी विशेषताएं	राजेंद्र कुमार पांडेय	53
2.	भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका की बढ़ती सक्रियता का प्रभाव	डॉ. नियाज अहमद अंसारी एवं डॉ. शाहजाद अहमद अंसारी	59
3.	लोकतांत्रिक गणराज्य में चुनावी घोषणा पत्र की राजनीति	सुमन मौर्य	66
4.	भारत में भाषा की राजनीति	डॉ. राजीव कुमार सिंह	73
5.	लोकतंत्र सामाजिक जनसंचार माध्यम, चुनौती एवं संभावनाएँ	आनंद सौरभ	79
6.	इक्कीसवीं सदी में भारत में महिलाओं की स्थिति और नारी सशक्तिकरण के लिए संसदीय प्रयास	डॉ. नावेद जमाल एवं संजीव कुमार सिंह	85

7.	महिला सशक्तीकरण में आरक्षण की भूमिका एक विवेचना	डॉ. गजनफर आलम	93
8.	समानता हेतु स्त्री–संवेदी बजट	डॉ. संजुला थानवी	98
9.	राजनीति में लैंगिक भेदभाव के कारण	डॉ. अनिता शर्मा एवं डॉ. हरिहरानंद शर्मा	107
10.	भारत में चुनावी रैलियों का नृजातीय अध्ययन	प्रवीण कुमार झा एवं पंकज कुमार झा	113

■ **अंतरराष्ट्रीय राजनीति / विदेश–नीति** :–

1.	समकालीन विश्व में राष्ट्रवाद	डॉ. अभय प्रसाद सिंह	123
2.	भारत–अमेरिका संबंध : 21वीं सदी में उभरते आयाम एवं चुनौतियाँ	गौरव कुमार शर्मा	129
3.	भारत–अमेरिका संबंध : मतभेद के नवीनतम बिंदू	अंकेश कुमार मीणा	136
4.	भारत की पड़ोसी देशों के साथ विदेश–नीति वर्तमान संदर्भ में	डॉ. शांतेष कुमार सिंह एवं राकेश कुमार मीणा	139
5.	नेपाल में माओवादी नेतृत्व का भारत–नेपाल वैदेशिक संबंध	डॉ. नरेंद्र कुमार आर्य	145
6.	आतंकवाद एवं भारत की विदेश नीति	रईस अहमद खान एवं डॉ. आनंद मोहन द्विवेदी	153
7.	ईरान का विःनाभिकीयकरण और मध्य–पूर्व में पाश्चात्य	डॉ. दीप्ति कुमारी	157

■ **पारिभाषिक शब्दावली** : –

1.	राजनीति विज्ञान की पारिभाषिक शब्दावली	डॉ. ममता चंद्रशेखर	166
2.	कुछ संसदीय तकनीकी शब्दों की सरल व्याख्या	डॉ. कपिल खरे	170

■ **राजनीति विज्ञान के मूलभूत शब्दावली** 176

आधुनिक राजव्यवस्था : कौटिल्य के विचारों की प्रासंगिकता

*डॉ. संजीव कुमार तिवारी

मानव जीवन के विकास के साथ ही साथ शासन, प्रशासन आदि की अवधारणा का भी विकास हुआ। इसलिए कहा जा सकता है कि अच्छे शासन की अवधारणा अत्यन्त प्राचीन और वृहद् है। वृहद् इस अर्थ में है कि इसका जुड़ाव मानव–जीवन के प्रत्येक पक्ष से है। अतः अच्छे शासन की अवधारणा एक सकारात्मक अवधारणा है। एक प्रकार से कहा जाय तो इसमें राज्य और राजनीति की महत्वपूर्ण सहभागिता है क्योंकि समाज, धर्म, नीति तथा अर्थतंत्र सुचारु रूप से राज्य द्वारा ही संचालित होते हैं। अतः और सूक्ष्म रूप से कहा जाए तो सुशासन की अंतःसंबद्धता राज्य की अवधारणा से ही होती है। जनता का जनता के लिए शासन इसी अवधारणा का प्रतिफलन हैं

अच्छे शासन और राज्यव्यवस्था की नींव डालने तथा महत्पूर्ण अवधारणाओं को लागू करने संबंधी विचारों का संबंध भारत के महान चिंतक कौटिल्य से है। इन्होने अच्छे शासन के विषय में अपने महत्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त किए व इसे लागू करने के तथ्यों एवं विभिन्न पहलुओं पर भी विशद रूप से प्रकाश डाला है।[1]

दरअसल कौटिल्य का मूल चिंतन राज्य व्यवस्था से है लेकिन उसका जुड़ाव राजनीतिक अवधारणाओं और मान्यताओं से भी कम नहीं है। अतः कहा जा सकता है कि प्रशासन–संबंधी मूल्यवत्ता को समझने के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इसलिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र "प्राचीन भारतीय राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण अधिक स्पष्ट वैज्ञानिक एवं विस्तृत ग्रंथ है जिससे तत्कालीन राजनीतिक विचारों और संस्थाओं का व्यापक परिचय प्राप्त होता है।"[2] इसलिए यह ग्रंथ या यों कहें कि कौटिल्य की मान्यताएँ और भी विशद हो जाती हैं। समाज, राजनीति और अर्थतंत्र का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जिस पर कौटिल्य ने विचार न किया हो। अतः कहा जाता है कि कौटिल्य के विचारे भारतीय संस्कृति के वे पायदान हैं जिस पर समूची शासन व्यवस्था अपने सत्व को प्राप्त करती है। "कौटिल्य का अर्थशास्त्र व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर समृद्धकारी है तथा यह प्रजा के सम्पूर्ण तथा हर सभंव विकास को महत्वपूर्ण स्थान देता है। यही बात उसे आधुनिक शासन के अधिक नज़दीक बनाती है।"[3]

कौटिल्य के राजनीतिक विचारों की प्रासंगिकता इसी अर्थ में है कि वह अपनी समय सीमा में पुरातन तो है लेकिन दृष्ट पक्ष में वह नितांत आधुनिक है। वैचारिक रूप से वह किसी सीमा में बँधने वाला नहीं है। क्योंकि उनका मानना है कि "राज्य मनुष्यों से मिलकर बनता है तथा मनुष्यों से रहित जनपद राज्य नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने राज्य की सप्त प्रकृतियों को वर्णित कर, उनके महत्व को प्रकाशित कर उन्हें राजा का अवयव कहकर स्वीकार किया। उन्होंने राजा को राज्य को सर्वोच्च अधिकारी कहा।[4] कौटिल्य की इस उपरोक्त मान्यता में राज्य की अवधारणा का मूल मनुष्य है। आज हम एक ऐसे बाजारीकृत समाज में हैं जहाँ व्यक्ति के भीतर का मनुष्य मरता जा रहा है। ऐसे में अच्छे शासन और राज्य की अवधारणा भी नष्ट होती जा रही है। यदि कौटिल्य के विचारों पर ध्यान दिया जाए तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपनी मनुष्यता को बचाए रखें।

* एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

कौटिल्य के राज्य–संबंधी विचारों में राजा केंद्रवर्ती था। "वह राज्य में एक सशक्त और संपंन राजा का शासन स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने राजा को पूर्ण संप्रभु बनाया। उसे ही कानून बनाने, उसका सुव्यवस्थित पालन करवाने और रक्षण का दायित्व सौंपा।"[5] कौटिल्य की यह मान्यता न सिर्फ प्रभावी कानून बनाने की पक्षधर है बल्कि उसे निश्चित समय पर पूर्ण रूप से लागू करने के भी पक्ष में है। हम सब जानते हैं कि आज के वर्तमान समय में प्रभावी कानून तो बहुत हैं लेकिन उनके सुनिश्चित व्यवहार में न होने के कारण वे अप्रभावी हैं जिससे समाज में अराजकता का माहौल उत्पन्न हो रहा है। अतः इस अर्थ में भी कौटिल्य के विचार प्रासंगिक हैं। कौटिल्य ने जहाँ राजनीतिक सिद्धांतों और विचारों का प्रतिपादन किया वहीं उनके पालन और व्यावहारिक स्वरूप की भी चर्चा की। अतः कौटिल्य को सिद्धांतों और व्यवहार का विचारक मानना चाहिए।

कौटिल्य ने शासन के लोककल्याणकारी स्वरूप का वर्णन किया है। इसके अंतर्गत राज्य के आवश्यक तत्व, राज्य के अधिकारों और कर्त्तव्यों का सांगोपांग निर्धारण शमिल है। लोककल्याणकारी शासन–व्यवस्था वही हो सकती है जिसमें "राजा अपनी इच्छा और अनिच्छा का ध्यान न रखते हुए जनता की इच्छा का ध्यान रखे और जनसेवा करे।"[6] एक प्रकार से यह एक ऐसी शासन व्यवस्था की परिकल्पना है जिसमें राजा पूर्णतः जनता का प्रतिनिधि हो न कि अपनी स्वार्थपरता उस पर हावी हो। इस अर्थ में कौटिल्य ने शासन के लिए एक ऐसा मानदंड स्थापित किया है जिसमें शासन व्यवस्था अपने उत्कर्ष पर होगी। इसीलिए वह कहता है कि राजा को अपने अधिकारो और कर्तव्यों का बोध होना चाहिए। इसी में जनता का कल्याण छिपा हैं। अतः ऐसे मे राजा की निरपेक्षता आवश्यक हो जाती है। यह तभी संभव है जब राजा जनक की भाँति 'अनासक्त गेही' हो जाय। कौटिल्य इसी अर्थ में राजा और राज्य के निर्माण के पक्षधर हैं।

"प्रजा सुखे सुखं राज्ञः प्रज्ञानां च हिते हितं।
नात्मप्रियं हिंत राज्ञः प्रजानां तु प्रिय हितं।।"[7]

यह कौटिल्य का ध्येय सूक्त है। इन्होंने शासन और जनता की मूल स्थिति को इसमें अभिव्यक्त कर दिया है। यदि जनता के सुख की कामना और उसकी प्रतिष्ठा राजा और शासन में नहीं है तो राजा भी सुखीं नहीं रह सकता है। कौटिल्य ने एक 'शक्ति केन्द्र' को दूसरे 'शक्ति केन्द्र' में मिला देने की स्थिति का वर्णन किया है। जनता और राजा दोनों आपस में एक दूसरे के 'कोड' और 'डिकोड' हैं। एक के अभाव में दूसरे की कल्पना नहं की जा सकती है। मेरी मान्यता तो यहाँ तक है कि कौटिल्य ने राज्य संबंधी और अर्थ संबंधी अवधारणाओं का विकास संरचनात्मक दृष्टि से किया है। इसलिए इसको भारतीय संदर्भ में संरचनावादी मानने में भी कोई हर्ज नहीं है।

स्पष्ट है कौटिल्य ने राजा को शासक के रूप में न देखकर 'जनता के सेवक' के रूप में देखा है। कौटिल्य की इस मान्यता ने तत्कालीन समाज की धारणा को ही नहीं बदला बल्कि आधुनिक समय की अधिकार संपन्नता वाली मानसिकता को भी चुनौती दी है। अतः इस अर्थ में भी कौटिल्य प्रासंगिक हैं।

राजा किस प्रकार 'जनता का सेवक' होने में सफल होगा और किस प्रकार अच्छे शासन की नींव रखी जाएगी इसको भी विचार के केन्द्र में रखते हुए कौटिल्य ने 'सप्तांग' की अवधारणा को विकसित किया तथा इसके साथ ही राज्य की सप्त प्रकृतियों की भी चर्चा की।

राज्य की आधुनिक युगीन परिभाषा के अनुसार उसके चार अनिवार्य तत्व हैं–जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता।[8] जबकि आचार्य कौटिल्य के अनुसार राज्य की सात प्रकृतियाँ (तत्व) हैं, जो इस प्रकार हैं– स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दण्ड और मित्र।[9] इन दोनों भिन्न–भिन्न परिभाषाओं के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि इनमें समानता के तत्व हैं और कुछ असमानता के।

प्रो. अल्तेकर के अनुसार सप्त–प्रकृतियों में जनता की गणना नहीं की गयी है।[10] किन्तु सप्तांग के जनपद के 'जन' से आधुनिक जनसंख्या रूपी तत्व का बोध हो जाता है जैसा कि कौटिल्य ने स्पष्टतया लिखा है कि जनता को बुलाकर नये जनपद बसाना चाहिये।[11] यही नहीं, उसके अनुसार बिना मनुष्य

के जनपद का निर्माण नहीं हो सकता है और बिना जनपद के राज्य का नहीं।[12] अतः स्पष्ट है कि कौटिल्य की भाषा में जनता का जनपद के 'जन' के रूप में उल्लेख हुआ है।

आधुनिक राज्य के भूमि नामक तत्व की समानता सप्ताँग के जनपद, दूर्ग और कोष से की जा सकती हैं यद्यपि भूमि के लिये जनपद ही पर्याप्त[13] है, पुनश्च प्राचीन भारतीय राज्यों की रक्षा एवं समृद्धि क्रमशः दुर्ग और कोष पर निर्भर रहती थी। अतएव भूमि नामक तत्व में उन्हें लाया जा सकता है।

आधुनिक राज्य के सरकार नामक तत्व का पूरा–पूरा बोध कौटिल्य के स्वामी और अमात्य नामक प्रकृतियों से हो जाता है। अमात्य कर्मचारी होते थे, जिनका शासन में महत्वपूर्ण भाग होता था। राजा जो शासन का सर्वोच्च अधिकारी ही था। इस प्रकार सरकार के अर्थ में स्वामी और अमात्य को रखना अधिक समीचीन है।[14]

आधुनिक राज्य के सम्प्रभुता नामक तत्व की समता कौटिल्य के स्वामी और दण्ड से की जा सकती है, क्योंकि दण्ड के आधार पर ही राज्य को शक्तिमान कहा जाता था। आन्तरिक और बाह्य दोनों दृष्टियों से दण्ड के माध्यम से राज्य की रक्षा सम्भव थी।[15] आधुनिक राज्य की सम्प्रभुता की भी यही विशेषता है कि वह आंतरिक और बाह्य दोनो दृष्टि से निरंकुश हो। श्री रामशरण शर्मा ने स्वामी की इस आधार पर सम्प्रभुता से समता नहीं की है कि वह धर्म के सिद्धांतों के अनुसार शासन करता था।[16] इसके अतिरिक्त प्राचीन भारत में धर्म का बड़ा ही व्यापक अर्थ था। उस समय समस्त मानवोचित कार्यों के समूह को धर्म कहा जाता था, जबकि आधुनिक धर्म विभिन्न सम्प्रदायों की अपनी अलग–अलग विशेषताओं से युक्त होता है। कौटिल्य के अनुसार राजा जन–कल्याण के निर्मित था जिसके कार्यों का माध्यम धर्म था। वस्तुतः धर्म के आधार पर शासन करना राजा को सम्प्रभुता से हीन नहीं बनाता। अतः स्पष्ट है कि राजा में संप्रभुता थी जिसे वह दण्ड के माध्यम से चरितार्थ करता था।

आधुनिक राज्यों में कौटिल्य के सप्तांग में 'मित्र' के लिए कोई स्थान नहीं है। राज्य के तत्वों में प्राचीन मित्र की गणना विलक्षण प्रतीत होती है परन्तु आज के इतिहास ने यह सिद्ध कर दिया है कि राज्य का अस्तित्व उपयुक्त मित्र राष्ट्र की सहायता पर ही निर्भर है। 'मित्र' के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है। भले ही आधुनिक राज्य के तत्वों में उसे स्थान प्राप्त नहीं है। आधुनिक राजनीतिक जीवन में कोई भी राज्य बिना मित्र राज्य के अपना अस्तित्व रखने में प्रायः समर्थ नहीं होता है। यह कूटनीतिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण तत्व माना जाना चाहिए। अतः व्यावहारिक रूप से मित्र का आज भी महत्वपूर्ण स्थान है।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक राष्ट्र के तत्वों में कौटिल्य के सप्तांग राज्य के दुर्ग, कोष, दण्ड और मित्र के लिए कोई स्थान नहीं है, जिनके अभाव में राज्य के आधुनिक तत्वों का सिद्धांत अत्यधिक काल्पनिक प्रतीत होता है। इस प्रकार वह स्थिर है, न गतिशील। अतः स्पष्ट है कि कौटिल्यकृत सप्तांग राज्य का वर्णन आधुनिक राज्य के तत्वों की अपेक्षाकृत अधिक व्यावहारिक और तर्कसंगत है।

यह तो सर्वविदित है कि 'कानून व्यवस्था' का परिचालन अच्छी शासन व्यवस्था को सम्पन्न करने तथा जनता की भलाई के लिए निर्मित किया जाता है। इसके लिए जितना जिम्मेदार शासन होता है उतना ही जिम्मेदार समाज भी होना चाहिए। यदि सामाजिक सहभागिता नहीं होगी तो राज्य का स्वस्थ विकास किसी भी कीमत पर संभव नहीं हो सकता। कौटिल्य का मानना था कि "सुशासन का तात्पर्य न केवल सरकार एवं राजनीति पर नियंत्रण करना है बल्कि कुछ हद तक समाज पर भी नियंत्रण है। इसलिए समाज, सरकार व राजनीति पर नियंत्रण हेतु 'दंड' देने का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन यह प्रावधान न्यायसंगत होना चाहिए।"[17]

"सुविज्ञान प्रणोतो हि दण्डः
प्रजाम् धर्मार्थकामे योजमति"[18]

सुप्रणीत (न्यायसंगत) दंड प्रजा को धर्म, अर्थ, काम की सिद्धि प्रदान करता है। अतः यह कहना महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजा और प्रजा के अपने अधिकारों का बोध के साथ ही साथ 'न्याय–व्यवस्था' और उसके प्रति सम्मान का बोध होना भी आवश्यक होता है। इस प्रकार लोक कल्याण एवं लोक रक्षण के निर्मित न्यायपूर्वक दण्ड की व्यवस्था अनिवार्य मानी गई"[19]

अच्छे शासक के लिए दण्ड–व्यवस्था के प्रावधान के साथ ही साथ कौटिल्य ने राजनैतिक केंद्रीकरण पर भी विचार किया। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कौटिल्य वह पहला विचारक है जिसने भारत में शक्तिशाली शासन के लिए राजनैतिक केंद्रीयता पर विस्तृत विचार किया।

भ्रष्टाचार आधुनिक शासन का तो जैसे पर्याय बन चुका है। कौटिल्य ने अपने समय में ही मानों यही देख लिया था कि आने वाला समय भ्रष्टाचार की धुरी पर स्थापित होगा, इसलिए उन्होंने इससे भी निपटने को उपाय हमारे सामने रखा। उन्होंने कहा कि "किसी भी राजा को अपनी जनता को लालच, असंतुष्टि जैसे कारण नहीं देने चाहिए। ऐसी धारणा अपनाना भ्रष्टाचार को रोकने में कारगर सिद्ध होगी।"[20] कौटिल्य की यह मान्यता आज भी हमारे समाज के लिए उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि उस समय थी।

जनता की हित उस समय बाधित होता है जब राज्य का मुखिया निरंकुश हो जाता है। राज्य की निरंकुशता जनता और राष्ट्र दोनों के लिए अभिशाप होती है। इसके लिए कौटिल्य ने कहा कि राजा और राज्य का शक्तिशाली होना बहुत आवश्यक होता है लेकिन "एक राजा को उतनी ही शक्तियाँ अर्जित करनी चाहिए, जितनी की राज्य में लोगों द्वारा मान्य हों।"[21] ऐसा इसलिए कि इससे अधिक शक्ति का संचयन राजा को निरंकुश बना देता है।

राज्य के विकास के लिए पदाधिकारियों की योग्यता बहुत ही आवश्यक होती है। ये लोग राजा की गरिमा और उसकी बुद्धिमत्ता को पोषित और प्रचारित करते हैं। अतः कौटिल्य ने आदर्श शासन–व्यवस्था के लिए राज्य में होने वाली नियुक्तियों पर भी विचार किया उन्होंने कहा कि "सभी अधिकारी चार विभिन्न परीक्षाओं से गुजरने चाहिए। जो इन चारो परीक्षाओं में सफल हो जाए उन्हें ही न्यायसेवा में नियुक्त किया जाना चाहिए।"[22]

"योग्य अधिकारियों के चयन के साथ ही राजा का कार्य विचार–विमर्श की गहन–प्रक्रिया से ही संपन्न होना चाहिए। इस प्रक्रिया से न्याय की अर्थवत्ता बनी रहती है। निर्णय के एकांगी होने की संभावना नहीं रहती अतः ऐसे कार्यों में सलाहकारों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए राजा को अपनी सलाहकार समिति में अनुभवी लोगों को ही रखना चाहिए।"[23]

ये सभी धारणाएं लोककल्याणकारी तथा सर्वजनहिताय के मंतव्य को पोषित करने वाली हैं। कौटिल्य की वैचारिक प्रक्रिया सर्वहिताय को पोषित करती है। अतः वे किसी भी ऐसे स्वरूप को अपने विचार केंद्र से बाहर नहीं रखते जो आदर्श शासन–व्यवस्था, आदर्श राज्य और आदर्श राजा की परिकल्पना को बाधित कर सकता हो। पुनः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कौटिल्य व्यापक आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि के चिंतक हैं। कौटिल्य ने अपने विचारों से भारतीय चिंतनधारा को पुनः निर्मित किया। जो विचार इतिहास की धाराओं में काल–कवलित हो रहे थे कौटिल्य ने उन्हें पुनः हमारे सामने जीवित कर दिया और 'सर्वहितेः रतः' की मनः–प्रक्रिया को जीवित कर नई प्राणधारा को संचरित किया।

कौटिल्य भारत के एक महान चिंतक है जिन्होंने न केवल राजनीतिक सिद्धांतों का प्रस्तुत किया बल्कि समाज, मनुष्य और उनसे जुड़े सत्ता के केंद्रों को भी अपने विचार के केंद्र में रखा। इसलिए उन्होंने 'राजा' और 'राज्य' को सत्ता का केंद्र माना और यह भी माना कि दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसलिए दोनों के ही उच्चतम आदर्श होने चाहिए।"[24] राजा में नेतृत्वकारिता, समता, बुद्धिमता, ऊर्जासिता, नैतिकता एवं सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए।[25] यही स्थिति जनता की भी होनी चाहिए जिससे वह राजा को स्थिति से तादात्म्य कर सके।

प्राचीन भारत की राजनीतिक विचाराधाराओ में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा है। कहने का अभिप्राय यह है कि कौटिल्य ने अपनी विचारधारा से अपने समय को आंदोलित किया। आंदोलित कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि कौटिल्य ने सत्ता केंद्रो और समाज तथा उसमें रहने वाले मनुष्यों के लिए कर्तव्य और अधिकार–बोध को सवमहत्ता प्रदान दी। यह वैचारिक अभिप्ररेणा केवल उनके समय के लिए नहीं था बल्कि उस समय सीमा के बाहर वर्तमान समय को भी अभिप्ररित करने की शक्ति रखता है।

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भारतीय चिंतनधारा में पुरूषार्थ चतुष्ट्य के रूप में माना जाता है लेकिन कौटिल्य ने प्रथम तीन को 'त्रिवर्ग' की श्रेणी में रखा उन्होंने कहा कि इनको ही ध्यान में रखकर अन्य शास्त्रों का प्रणयन किया गया है। इसलिए अर्थशास्त्र और राजनीतिशास्त्र में इन्हीं का संधान होना चाहिए। अतः यह कहा जा सकता है कि कौटिल्य के आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत धर्म, अर्थ और काम के समन्वय, संतुलन और विश्लेषण के सिद्धांत हैं। इस अर्थ में कौटिल्य की प्रासंगिकता आज भी विद्यमान है कि जिस समाज में 'त्रिवर्ग' का संतुलन नहीं होता उसे आदर्श राज्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता और न ही उसका राजा प्रशंसा का पात्र होता है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कौटिल्य के विचार जो राजनीति और अर्थ से संबंधित हैं वर्तमान समय में उतने ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं। प्राच्य राजनीतिक चिंतकों की उपेक्षा का परिणाम है अतिभौतिकता।

सन्दर्भः

1. संजीव कुमार, इंडियन आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस, पपृ. 8.9.
2. वी.एम. शर्मा, सविता शर्मा, भारतीय राजनीतिक विचारक, पृ. 56.
3. ए. पी. सिंह, भारतीय राजनीतिक चिंतक, पृ. 21.
4. डॉ. जौली, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, पृ. 25.
5. बी. एल. सालटोरे, एंशियंट इंडियन पालिटिकल थॉट ऐन्ड इंस्टीट्यूशन, पृ. 417.
6. बी. के. सुब्रमण्यम, मैक्सिम्स ऑफ चाणक्या, पृ. 52.
7. बी. पी. सिन्हा, रिडिंग्स ऑफ कौटिल्य अर्थशास्त्र, पृ. 14.
8. गार्नर–पोलिटिकल साइन्स एण्ड गवर्नमेन्ट, पृ. 49.
9. कौटिल्य अर्थशास्त्र, 6/1/1.
10. अल्तेकर– प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, पृ. 37
11. कौटिल्य अर्थशास्त्र, 2/1/1.
12. कौटिल्य अर्थशास्त्र, 13/4/5
13. शर्मा, आस्पेक्ट्स ऑफ पोलिटिकल आइडियाज एण्ड इन्स्टीट्यूसन्स इन ऐशिएन्ट इण्डिया, पृ. 21.
14. श्री अल्तेकर (पूर्वोक्त पुस्तक, पृ. 36, में) सरकार के अर्थ में स्वामी और अमात्य दोनों का प्रयोग किया है, जबकि श्री शर्मा ने (पूर्वोक्त पुस्तक पृ. 21 में) सरकार के लिये केवल अमात्य का ही उल्लेख किया है।
15. कौटिल्य अर्थशास्त्र, 8/2/2, 5.
16. शर्मा आस्पेक्ट्स ऑफ पोलिटिकल आइडियाज एण्ड इन्स्टीट्यूसन्स इन ऐशिएन्ट इण्डिया, पृ. 22.

17. बी. के. सुब्रमण्यम, मैक्सिम्स ऑफ चाणक्या, पृ. 54.
18. के. जी. जायसवाल, हिंदी पॉलिटी, पृ. 94.
19. के. एम. पणिक्कर, द प्रिंसिपल एण्ड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी, पृ. 118.
20. उषा मेहता, कौटिल्य एण्ड हिज अर्थशास्त्र, पृ. 48.
21. बी. आर. मेहता, फाउन्डेशन ऑफ इण्डियन पालिटिकल थाट, पृ. 92.
22. एम. बी. कृष्णराव, स्टडी इन कौटिल्या, पृ. 81–82.
23. नगेन्द्र सिंह, ज्यूरिस्टिक कांसेप्ट्स ऑफ एंशिएन्ट इण्डियन पॉलिटी, पृ. 53.
24. बी. पी. सिन्हा, रीडिंग्स इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र, पृ. 90.
25. के. वी. रंगस्वामी अय्यंगर, सम अस्पैक्ट्स ऑफ एंशिएण्ट पॉलिटी, पृ. 53–54.

❑❑❑

महर्षि अरविंदों का राजनीतिक दर्शन

*डॉ. संगीता शर्मा,

श्री अरविंदों को भारतीय एवं यूरोपीय दर्शन और संस्कृति का अच्छा ज्ञान था। यही कारण है कि उन्होंने इन दोनों के समन्वय की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। श्री अरविंद का दावा था कि इस युग में भारत विश्व में एक रचनात्मक भूमिका निभा रहा है तथा भविष्य में भी निभायेगा। उनके दर्शन में जीवन के सभी पहलुओं का समावेश मिलता है। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं, यथा संस्कृति, राष्ट्रवाद, राजनीति, समाजवाद आदि साहित्य, विशेषकर काव्य के क्षेत्र में उनकी रचनायें बहुत प्रसिद्ध हुई। अरविंदो की शिक्षा प्राप्ति के समय बड़ौदा नरेश से इंग्लैड़ मे भेट हुई थी। बड़ौदा नरेश अरविंदो की योग्यता देखकर बहुत प्रभावित हुए और बाद में उन्होंने अरविंदो को अपना प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त कर लिया। अरविंदो ने कुछ समय तक तो यह कार्य किया, किन्तु फिर अपनी स्वतंत्र विचारधारा के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी। वह बड़ौदा कॉलेज में पहले प्रोफेसर बने और फिर बाद में वाइस प्रिंसीपल भी बने। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहाँ पर वे तीन आधुनिक यूरोपीय भाषाओं के कुशल ज्ञाता बन गए। कोलकाता में विभिन्न प्रशासनिक व प्राध्यापकीय पदों पर कार्य किया। उन्होंने कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भाग लिया। इस दौर में उन्होंने राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न विषयों पर ज्यादा लिखा। 1908 में उन्हें मालिकटोला बम काण्ड में फंसाकर गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 1909 में जेल से बाहर कर दिया गया। जेल से छूटने के बाद वह कुछ समय सक्रिय राजनीति में बने रहे। 1910 में सक्रिय राजनीति से सन्यास लेकर आध्यात्मिक चिन्तन की दिशा में कार्य किया। बाद में उन्होंने अपनी देशज संस्कृत की ओर ध्यान दिया और पुरातन संस्कृत सहित भारतीय भाषाओं तथा योग का गहन अध्ययन प्रारम्भ कर दिया।[1] उन्होंने आध्यात्मवादी अवधारणाओं को भी अपने चिंतन में अहम स्थान प्रदान किया वे मानस से अति मानस तक जाने के क्रम को निर्धारित करने का प्रयास करते रहे। आध्यात्मिक अनुभूतियों से सत्चित आनंद का मार्ग बतलाया जो भारतीय सभ्यता संस्कृति के लिए अनुपम देन मानी जाती है।[2] 5 दिसम्बर 1950 को पाण्डिचेरी में ही इस महापुरूष का देहान्त हो गया।

श्री अरविंदों के राजनीतिक विचारों का अध्ययन

अरविन्द के निष्क्रिय प्रतिरोध संबंधी विचार – अरविन्द और तिलक नीतिगत रूप से उग्रवादी विचारक माने जाते थे। जिसे अति सक्रियतावाद भी कहा जाता है। वे उदारवादियों की प्रार्थना एवं याचिका की नीति पसन्द नहीं करते थे। वे पूर्ण स्वाधीनता के समर्थक थे और इनके लिए निर्दिष्ट प्रतिरोध पद्धतियों या साधन का समर्थन करते थे। महर्षि अरविन्दों का निष्क्रिय प्रतिरोध शान्तिपूर्ण उपायों से विदेशी यात्रा को चुनौती देने का साधन था। परन्तु वे गांधीजी की भांति पूर्णतः अहिंसा में आस्था नहीं रखते थे अरविन्दो के अनुसार आवश्यकता पडने पर जब सरकार निर्दयी हो जाए तो हिंसा का प्रयोग किया जा सकता है। अरविन्दों के शब्दों में ''जहां तक सरकार का काम शान्तिपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखना है लेकिन इससे आगे वह एक क्षण भी बर्दाश्त न करें गैर कानूनी और बाध्यकारी हिंसक तरीकों के समक्ष झुकना और देश की निरंकुश एवं अन्यायपूर्ण कानूनी व्यवस्था को स्वीकार करना कायरता है। और राष्ट्रीय शक्ति को कुण्ठित करना है यह हमारे अन्दर और मातृभूमि में निहित दिव्यता के विरूद्ध

*प्राचार्य, एस.एस.एस. पी.जी कॉलेज, जमवा रामगढ़, जयपुर (राज.)

पाप है।'' स्वाधीनता के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्होंने संगठित निष्क्रिय प्रतिरोध के साधन को सर्वोत्तम बताया। निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का विश्लेषण करते हुए अरविन्द ने इसमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित की–

(i) ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित संस्थानों का बहिष्कार अधिक से अधिक भारतीय संस्थाओं की स्थापना पर बल।

(ii) जनता द्वारा सरकार के साथ असहयोग करना।

(iii) उन लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना जो सरकार का सहयोग करते हैं।

(iv) सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार व स्थानीय ग्रामीण न्यायालयों पर बल।

(v) राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार और (अंग्रेजी) सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार। ताकि स्वदेशी व्यवस्था को बढ़ाया जा सके।

(vi) स्वदेशी पर बल और विदेशी माल का बहिष्कार ताकि राष्ट्र की उन्नति की जा सके।

महर्षि अरविंद ने निष्क्रिय प्रतिरोध और आक्रमण प्रतिरोध के बीच अन्तर किया है। जहां आक्रमण प्रतिरोध ऐसे कार्य करता है जिनसे सरकार को सकारात्मक रूप में हानि पहुंचती है। वहां निष्क्रिय प्रतिरोध ऐसे काम करने का त्याग करता है जिससे प्रशासन चलने में सहायता मिले। अरविन्द के अनुसार निष्क्रिय प्रतिरोध भारत जैसे देश के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। वस्तुतः यह एक ऐसा हथियार है जिसे भारत में कुशलता और धैर्य के लिए उपयोग किया जाए तो यह भारत में अंग्रेजी राज्य को समाप्त कर सकता है।

स्वतन्त्रता संबंधी विचार – महर्षि अरविन्द व्यक्ति की स्वतन्त्रता और उनके अधिकारों को अत्यधिक महत्व देते थे। उन्होंने राष्ट्रीय विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को अति आवश्यक बताया है उनके अनुसार स्वतंत्रता तीन प्रकार की होती है– 1. राष्ट्रीय स्वतंत्रता 2. आन्तरिक स्वतन्त्रता 3. व्यक्तिगत स्वतन्त्रता । राष्ट्रीय स्वतन्त्रता विदेशी नियन्त्रण से मुक्ति है। आन्तरिक स्वतन्त्रता से अभिप्राय किसी वर्ग या वर्गों के सामूहिक नियन्त्रण से मुक्त होकर स्वशासन प्राप्त करना है। उनका मानना था कि शासन चाहे राजतन्त्रात्मक हो अथवा लोकतान्त्रात्मक अभिजाततंत्रीय हो या नौकरशाही का हो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा होनी आवश्यक है। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से राष्ट्र की चहुंमुखी प्रगति आसान हो जाती है। इसके लिए स्वशासन आवश्यक है व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से राष्ट्रीय चेतना जागृत होती है अतएव विदेशी शासन के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की प्राप्ति नहीं हो सकती।

यद्यपि महर्षि अरविन्दों लोकतन्त्र की धारणा को भी व्यक्तिवाद का प्रतिफल मानते हैं। क्योंकि लोकतन्त्र में व्यक्ति के आर्थिक एवं राजनीतिक हितों का संरक्षण होता है तथापि उन्होंने लोकतन्त्र को व्यक्ति स्वतन्त्रता का पोषक नहीं माना है। उनका कहना है कि व्यक्ति का समष्टिकरण उनकी स्वतन्त्रता का पोषक नहीं माना है। उनका कहना है कि व्यक्ति का समष्टिकरण उसकी स्वतन्त्रता को दबा देता है। लोकतन्त्र में जनता के शासन के नाम पर कुछ कुलीन तथा धनी व्यक्ति ही शासन करते हैं। जिसमें प्रतिनिधित्व के नाम पर केवल कुछ व्यावसायिक हितों एवं समूहों का हित संरक्षित किया जाता है। ऐसे लोकतन्त्र में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा नहीं हो सकती। वे लोकतन्त्र की केन्द्रीकरण की प्रवृति के विरोधी थे और लोकतन्त्र की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के साथ पटरी बिठाने के लिए उन्होंने लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का पक्ष लिया।[3]

अधिकार सम्बन्धी विचार– महर्षि अरविन्द ने कहा है कि स्वतन्त्र राष्ट्र में नागरिकता का प्रतिपादन होना चाहिए सामान्यतः उन्हें तीन प्रकार के अधिकार मिलने चाहिए। ये तीन अधिकार नागरिक जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। इनके बिना व्यक्ति का चहुँमुखी विकास संभव नहीं हो सकता ये अधिकार निम्न है– (i) स्वतन्त्र प्रेस और अभिव्यक्ति का अधिकार। (ii) स्वतन्त्र सार्वजनिक सभा करने का अधिकार। (iii) संगठन समितियां निर्मित करने का अधिकार ।

स्वतन्त्र अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्र प्रेस का अधिकार – स्वतन्त्र अभिव्यक्ति के अधिकार को स्पष्ट करते हुए उन्होंने हावड़ा नागरिक संगठन के सन् 1909 के सम्मेलन में कहा है कि ''स्वतन्त्र अभिव्यक्ति के अधिकार का अर्थ है कि इसे प्राप्त करके मनुष्य आत्म विश्वास के लिए सबसे अधिक अवसर प्राप्त करता है। दर्शन के अनुसार विचार ही सम्पूर्ण विश्व का आधार है। विचार ही है जो अभिव्यक्ति होकर किसी पदार्थ अथवा किसी वस्तु का रूप ग्रहण करता है। यह मानवता के जीवन के सन्दर्भ में भी सत्य है यह किसी राष्ट्र के जीवन और प्रगति की राजनीति के लिए भी सत्य है। यह विचार ही है जो कि भौतिक संस्थाओं को निर्मित करता है। इस विचार का ही महत्व है जो कि किसी भी प्रशासन अथवा सरकार को गिराता और बनाता है। अतः विचार ही सबसे अधिक सुदृढ शक्ति का प्रतीक है। अतः स्वतन्त्र अभिव्यक्ति का अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि यह विचार को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर देता है। यह अधिकार राष्ट्र को वह शक्ति देता है जो कि उसके भावी विकास को आश्वस्त करती है जो उसे किसी भी राष्ट्रीय जीवन के संघर्ष में सफलता का आश्वासन देती है। स्वतन्त्र अभिव्यक्ति का अधिकार स्वतन्त्र प्रेस को जन्म देता है। प्रेस ही अपने गतिशील विचारधारा के कारण एक नगर से दूसरे नगर तक एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में उस समय तक ले जाती है जब तक सम्पूर्ण विश्व सामान्य आकांक्षाओं से नहीं बंध जाता। ''यह विचार प्रकट करने की शक्ति है कि जो जीवन के चहुँमुखी विकास का रास्ता खोलती है।[4] महर्षि अरविन्दों ने स्वतन्त्रता के इस अधिकार में मूलतः अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अन्य दो अधिकारों को शामिल किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्र व नागरिक विकास के लिए स्वतन्त्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति के अधिकार की सर्वप्रथम आवश्यकता है। जिसके बिना इस अधिकार की पूर्णता संभव नहीं।

सभा करने का अधिकार – महर्षि अरविन्द ने स्वतन्त्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति के अधिकार के पश्चात स्वतन्त्र सार्वजनिक सभा करने का अधिकार पर जोर दिया है। एक सबल राष्ट्र के लिए स्वतन्त्र अभिव्यक्ति के अधिकार के साथ ही साथ स्वतन्त्रतापूर्वक नागरिकों को सभा करने का अधिकार भी होना चाहिए । इसके न होने पर स्वतन्त्र अभिव्यक्ति का अधिकार कुंद हो जाएगा सभा के माध्यम से लोगों में विचारों की सामूहिकता की शक्ति पैदा होती है। सभा करने के अधिकार नागरिको के सर्वागीण विकास के लिए अति आवश्यक है बिना सामूहिकता के अधिकार।

संगठन बनाने का अधिकार – एक स्वतन्त्र राष्ट्र के नागरिकों के लिए एक अन्य आवश्यक अधिकार दिए जाने के लिए महर्षि अरविन्द ने जोर दिया है वह है संगठन बनाने का अधिकार, स्वतन्त्र अभिव्यक्ति, स्वतन्त्रा प्रेस तथा स्वतन्त्र रूप से सार्वजनिक सभा करने का अधिकार के साथ संगठन निर्मित करने के अधिकार। व्यक्ति स्वयं विकास नहीं करता उसे अपने समूह के अन्तर्गत विकास करना होता है। समूह भी किसी संगठन के माध्यम से शान्ति एवं सुरक्षा के वातावरण में शारीरिक नैतिक एवं बौद्धिक विकास प्राप्त करता है। सरकार द्वारा उनके सर्वोंगीण विकास के लिए पूर्ण अवसर उपलब्ध किए जाने चाहिए।[5]

राष्ट्रवाद सम्बन्धी विचार – श्री अरविन्द राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। वे राष्ट्र तथा राज्य को पृथक–पृथक रखने में विश्वास करते थे। वे राष्ट्र के सांस्कृतिक बौद्धिक और सामाजिक विकास में शासकीय हस्तक्षेप को उचित नहीं मानते थे। उनकी दृष्टि में राष्ट्रवाद एक सात्विक धर्म है। राष्ट्र एक मनौवैज्ञानिक इकाई है। उनके राष्ट्रवादी विचारों पर हीगल, फिक्टे तथा बर्क जैसे पाश्चात्य विचारकों का भी प्रभाव पड़ा है। इसी को ध्यान रखते हुए वी.पी. वर्मा ने अरविंदो के राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के सम्बन्ध में लिखा है कि ''राष्ट्रवादी नेता के रूप में भी अरविन्द ने भारतीय तथा पाश्चात्य विचारों को समन्वित करने का प्रयत्न किया।'' अरविंदो का मानना था कि राष्ट्रवाद के कारण ही राष्ट्र में भक्ति का संचार होता है। महर्षि अरविंद के राष्ट्रवादी विचारों के संबंध में निम्न चिंतन प्रस्तुत किया–

राष्ट्रवादी विचारों का मानवतावादी स्वरूप – अरविन्दों ने एक तरफ तो अपने राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक आधार पर खड़ा किया और उसे भारत की प्राचीन संस्कृति के स्त्रोतों से पुष्ट किया तो दूसरी

तरफ उन्होंने इसे मानवतावादी रूप संबंधी अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि ''राष्ट्रवाद राष्ट्र में निहित देवी एकता का साक्षात्कार करने की उत्कृष्ट अभिलाषा है। इस एकता के अंतर्गत राष्ट्र के सभी अवयव प्रत्येक व्यक्ति के बुनियादी तौर पर असमान प्रतीत होते हो। भारत राष्ट्रवाद जो भी आदर्श विश्व के समक्ष रखने जा रहा है उसके अंतर्गत व्यक्ति तथा व्यक्ति के बीच जाति तथा जाति के बीच और वर्ग तथा वर्ग और राष्ट्र में साक्षात्कार विराट पुरूष के संयुक्त अंग होगें। इसलिए हम स्वेच्छाचारी शासन के इसलिए विरूद्ध है कि यह राजनीति के क्षेत्र में तात्विक समानता का निषेध करती है। हम जाति प्रथा की आधुनिक विकृति को बुरा मानते हैं क्योंकि उससे समाज में तात्विक समानता के उसी सिद्धान्त का निषेध होता है जिसे राजनैतिक क्षेत्र में राष्ट्र की लोकतांत्रिक एकता के आधार पर पुनः स्थापित किया जाना चाहिए। साथ ही साथ हम यह भी चाहते है कि सामाजिक क्षेत्रों में भी पुनः संगठन का वहीं सिद्धान्त अपनाया जाए। जैसा कि हमारे विरोधियों की कल्पना है कि हम इस सिद्धांत को केवल राजनीति तक ही सीमित रखना चाहे तो हमारे सारे प्रयत्न विफल होगें, क्योंकि जिस सिद्धांत का एक बार राजनीति के क्षेत्र में साक्षात्कार कर लिया जाता है वह सामाजिक क्षेत्र में भी क्रियान्वित हुए बिना नहीं रह सकता। अरविंदो के मतानुसार राष्ट्रवादी की अवधारणा राष्ट्रवाद की अवधारणा को बढ़ावा देती है।[6]

भारतीय तथा पाश्चात्य राष्ट्रवादी विचारों का समन्वय– महर्षि अरविन्दों ने अपने राष्ट्रवाद में भारतीय तथा पाश्चात्य विचारों का समन्वय करने का प्रयत्न किया। उनके राष्ट्रवादी विचारों पर अनेक पाश्चात्य विचारकों का प्रभाव पड़ा है। डॉ. पुरुषोत्तम नागर ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा है कि ''हीगल के प्रभाव में महर्षि अरविन्दों ने राष्ट्र की आत्मा का आदर्श प्रस्तुत करते हुए स्पंदनशीलता एवं मानवीय आत्मा से उसका प्रत्यक्ष तादात्म्य स्थापित किया। रेगान के समान महर्षि अरविन्दों भी राष्ट्र को एक मनोवैज्ञानिक इकाई मानते है। फिक्टे तथा अरविंदों दोनों ही राष्ट्र की अमरता का सन्देश देते हैं। बर्क के प्रभाव में भी श्री अरविन्द ने न्याय के प्रति असक्ति, स्वशासन तथा समाज के धार्मिक आधार को स्वीकार किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अरविंद के राष्ट्रवाद में पश्चिमी विचारकों का प्रभाव पड़ा है।'' यूरोप में राष्ट्रवाद का यह दौर राजनैतिक और आर्थिक था। अरविंद ने मत्सीनी से प्रभावित होकर राष्ट्रवाद के इस कोरे राजनीतिक रूप को नैतिक तथा विश्वराज्यीय आदर्श की ओर उन्मुख किया तथा आगे ले जाकर समय की आवश्यकताओं के अनुसार उसे एक शुद्ध धर्म के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। राष्ट्रवाद की प्रबल स्थिति तभी संभव है जब आर्थिक एवं राजनीतिक उत्थान की पूर्णता हो।

राष्ट्रवाद का धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप– ''अरविंदों के समकालीन उदारवादी नेताओं का राष्ट्रवाद अरविंदो द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रवाद से बहुत निम्न स्तर का था। उदारवादी नेताओं को भारत से प्रेम था और भारत के हित के लिए वे कष्ट भी सह रहे थे। किन्तु उनकी इच्छा यूरोपीय शिक्षा, यूरोपीय संगठन और सामग्री को लेकर भारत को एक छोटा सा इंग्लैंड बना देने की थी। इसके विपरीत अरविंदो के राष्ट्रवाद ने धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप को स्पष्ट को स्पष्ट करते हुए कहा था कि राष्ट्रीयता क्या है। राष्ट्रीयता एक राजनैतिक कार्यक्रम नहीं है राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर प्रदत्त है राष्ट्रीयता एक सिद्धान्त है जिसके अनुसार हमें जीना है। राष्ट्रवादी बनने के लिए राष्ट्रीयता के इस धर्म को स्वीकार करने के लिए हमें धार्मिक भावना का पूर्ण पालन करना होगा। हमें स्मरण रखना चाहिए कि हम निमित मात्र है भगवान के साधन मात्र है। महर्षि अरविंदों ने जनसाधारण को राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक स्वरूप समझाया। उन्होंने लिखा है ''हमारे नेताओं और अनुयायियों दोनों के लिए यह आवश्यक है कि वह अधिक गहरी साधना करें अपने यात्रा का उत्थान करे और विचारों तथा कार्यों में अधिक तेजवान और प्रचंड शक्ति का परिचय दें। अनुभव ने हमें बार–बार सिखाया है कि इन यूरोपवासियों के नैतिकता शून्य तथा अपरिपक्व उत्साह से विजय प्राप्त नहीं कर सकती। भारतवासियों को केवल भारत की आध्यात्मिक भारत की साधना तपस्या ज्ञान और शक्ति ही स्वाधीन तथा महान बना सकती है पूर्व को इन चीजों के लिए हम अंग्रेजी के डिसिप्लिन फिलॉसफी स्ट्रेंक्थ आदि समानार्थक शब्दों का प्रयोग करते है। किंतु ये

शब्द मूल अर्थ को भली भाँति व्यक्त नहीं करते। तपस्या अनुशासन से कुछ अधिक है। ज्ञान फिलोसॉफी से बड़ी चीज है। जिसे प्राचीन ऋषियों ने दृष्टि कहा है उसके द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष अनुभूति ही ज्ञान है। शक्ति स्ट्रैंक्थ से बड़ी वस्तु है। नक्षत्रों को गति प्रदान करने वाली सार्वभौम उर्जा जब व्यक्ति में अवतरित होती है तो वहीं शक्ति कहलाती है। भारत के उत्थान में पूर्व की ही विजय होनी चाहिए। योगी को राजनीतिक नेता के पीछे खड़ा होना चाहिए अथवा अपने को राजनीतिक नेता के रूप में व्यक्त करना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि अरविन्दों के राष्ट्रवाद में तपस्या ज्ञान और शक्ति की त्रिवेदी है।[7]

व्यापक विस्तार और महासंधिकार राष्ट्र – अरविन्दों के राष्ट्रवाद का स्वरूप संकीर्णता एवं कट्टरता लिए हुए नहीं है बल्कि उसका स्वरूप व्यापक एवं महासांधिक है। वह एक विश्वसंघ के अंतर्गत मानव एकता की कामना करते थे। अरविन्दों ने अपने महासांधिक राष्ट्रवाद को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि विश्व की वर्तमान परिस्थितियाँ कितनी ही निन्दनीय और भयावह सम्भावनाओं से पूर्ण क्यों न हो किन्तु उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे हमें अपना बहुमत बदलना पड़ते है। किसी न किसी प्रकार विश्व संघ आवश्यक तथा अनिवार्य है प्रकृति की आन्तरिक गति परिस्थितियों की अनिवार्य बना दिया है। हमने जो परिणाम निकाले वे ज्यों के त्यों रहेंगे उसकी प्रणालियों और संभाव्य रूपों, वैकल्पिक पद्धतियों और क्रमिक विकास के संबंध में विचार विमर्श किया जा सकता है। अन्तिम परिणाम एक विश्व राज्य की स्थापना की होनी चाहिए। उस विश्व राज्य का सर्वोतम रूप स्वतंत्र राज्यों को ऐसा संघ होगा जिसके अंतर्गत हर प्रकार की पराधीनता, बल पर आधारित असमानता तथा दासता का विलोप हो जाएगा। उसमें कुछ राष्ट्रों का स्वाभाविक प्रभाव दूसरों से अधिक हो सकता है, किंतु परिस्थिति समान होगी। यदि एक परिसंध का निर्माण किया जाए तो विश्व राज्य के इकाई राष्ट्रों को सबसे अधिक स्वतंत्रता उपलब्ध हो सकेगी। किन्तु उससे विघटनकारी तथा विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों को पनपने के लिए बहुत अधिक अवसर मिल सकते है। अतः संघ व्यवस्था ही सबसे अधिक वांछनीय होगी।

इसी प्रकार स्पष्ट है कि महर्षि अरविन्दों के राष्ट्रवाद का स्वरूप अत्यन्त व्यापक है उसमें विश्व महासंघ की कल्पना है उनका उद्देश्य समस्त मानवता के एकीकरण का था जिसके लिए उन्होंने आध्यात्मिक एकता का रास्त सुझाया है।[8]

मानव कल्याण एवं विश्व एकता संबधी विचार– प्रथम महायुद्ध के उत्पन्न संकटों और परिस्थितियों में विश्व के दार्शनिकों का ध्यान एक ऐसे विश्व संघ की धारणा की ओर आकृष्ट हुआ जो संपूर्ण मानव जाति को एकाकार कर ले। महर्षि अरविन्दों ने भी अपनी पुस्तकों में मानव एकता के आदर्श में इस प्रकार के विचार प्रकट किए हैं।

मानव एकता का आदर्श प्रकृति की योजना का अंग है– अरविन्दों ने मानवीय एकता को प्रकृति की योजना का अंग बताया और कहा कि यह स्वप्न भविष्य में एक दिन अवश्य पूरा होगा। उन्होंने इसे प्रकृति की योजना का अंग इसलिए बताया क्योंकि उनकी मान्यता थी कि हम सब एक दूसरे के घटक हैं और एक यांत्रिक तथा ब्राह्य आवश्यकता हमें एक दूसरे के प्रति इतना आकर्षित करती है कि हम स्वयं को क्रमशः परिवार कबीले और ग्राम जैसे उत्तरोत्तर समूहों से संगठित करने को बाध्य हो जाते है। इतिहास बताता है कि मनुष्य की प्रवृत्ति सदैव उत्तरोत्तर बड़ी इकाईयों का निर्माण करने की रही है। गाँव अपने आप को ही राज्यों में और राज्य अपने को साम्राज्य में संगठित करते रहे है।

मानव जाति की संपूर्णता – अरविन्दों का मत है कि यदि मानवता का विकास करना है तो राज्यों की सीमाओं के विकास को रोकना होगा और सम्पूर्ण मानव जाति को एक इकाई मानकर एक आदर्श साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक है।

विश्व संघ की अवधारणा का प्रतिपादन – अरविन्दों ने कहा कि मानव एकता के महान आदर्श को हम विश्व राज्य के निर्माण के द्वारा प्राप्त कर सकते है अथवा राष्ट्र राज्यों को एक प्रकार के संघ में संगठित करके हम इस आदर्श का साकार बना सकते है। उन्होंने इस संबंध में एक कल्पना यह भी की है कि भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब हम एक संयुक्त राज्य यूरोप, एक संयुक्त एशिया और

एक संयुक्त राज्य अफ्रीका के दर्शन करेंगे और अन्ततः इन सब राज्यों को संयुक्त करके एक संघ बना लेंगे। इस प्रकार महर्षि अरविन्दों ने एक विश्व संघ की धारणा प्रकट की तथा कहा कि यह संघ पूर्व रूप से एक जैसा नहीं हो सकता। यह स्वयं आत्मनिर्णय के सिद्धान्त पर आधारित विविधताओं पर आधारित होगा जिसमें सामंजस्यपूर्ण जीवन के नियम को सर्वोच्चता मिलेगी ताकि मानव जाति के आदर्श एकता के स्वप्न को पूरा कर सके।[9]

स्वतंत्र सामजिक समूहों की विचारधारा – अरविन्दों ने कहा कि संघ की इस व्यवस्था में मनुष्यों को स्थान, जाति, संस्कृति आर्थिक सुविधा आदि के अनुसार अपने समूह बनाने का अधिकार होगा जो स्वतंत्र रहते हुए अपने हितों की पूर्ति करने के साथ–साथ संपूर्ण मानव जाति को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे। अरविन्दों ने विश्वास प्रकट किया कि स्वतंत्र और स्वाभाविक समूहों के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाए तो हमारे आदर्श एकीकरण की व्यवस्था पूर्ण हो जाएगी जिसमें आन्तरिक संघर्षों और कलहों के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। तब हमारे मानवीय संबंध मानवीय आधार पर पुष्ट होंगे और वर्तमान कटुता का वातावरण समाप्त हो जाएगा।

राज्य की अतिवादी धारणा का विरोध संबंधी विचार– अरविन्दों ने स्वतंत्र विश्व संघ के मार्ग में आने वाली सबसे बड़ी बाधा राष्ट्र राज्य की अतिवादी धारणा को बताया। उन्होंने इस धारणा को सामूहिक अहंवाद की संज्ञा दी और कहा कि यदि स्वतंत्र विश्व संघ की स्थापना करनी है तो इस सामूहिक अह्ंवाद में आवश्यक संशोधन करना होगा और मानवता धर्म को अपनाना होगा, यदि एक बार मानव जाति में आध्यात्मिक एकता की अनुभूति पैदा हो गई तो एक ऐसी सबल मनौवैज्ञानिक एकता का उदय होगा जो मानव जाति के आदर्श एकीकरण को पूरा कर सकेगी।

समाजवादी व्यवस्था संबंधी विचार– अरविंदों समाजवाद को व्यक्तिवाद राष्ट्रवाद तथा विश्वबन्धुत्व का प्रतीक मानते हैं। शोषित श्रमिकों को नवजीवन प्रदान करने में समाजवाद का जो महत्व रहा है। उसे श्री अरविन्दों ने सराहा है। किंतु वे समाजवादी विचारधारा में सन्निहित राज्यशक्ति के केन्द्रीकरण के पक्ष में नहीं हैं। वे समाजवाद के सामाजिक एवं आर्थिक पक्ष का समर्थन करते हुए भी उसके सर्वाधिकारवादी पक्ष के समर्थक नहीं रहे। उनका मत है कि समाज के राजनीतिक एवं सामाजिक पक्ष को मिश्रित नहीं किया जाना चाहिए। सर्वाधिकारवादी, सामाजिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों में राजकीय हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त करता है जिसे श्री अरविन्दों उचित नहीं मानते वे समाज्यवाद के साम्राज्यवाद में परिवर्तित होने की सम्भावना के प्रति भी समान रूप में चिंतित हैं। श्री अरविन्द ने समाजवाद के आध्यात्मिक बंधुत्व का संदेश देकर व्यक्तिवाद एवं साम्यवाद में समन्वय का स्वप्न देखा है।[10]

अरविन्दों ने श्रमिक वर्ग के महत्व को समझा और बताया कि इस वर्ग में महान शक्ति की सम्भावनाएं निहित है। चेतना के अभाव में वह सुषुप्तावस्था में है। अतः इस चेतना को जगाने की आवश्यकता है लेकिन इसके लिए अरविन्दों ने यद्यपि मार्क्सवादी दृष्टिकोण को नहीं अपनाया न ही उन्होंने वर्ग संघर्ष की बात भी नहीं कही। उन्होंने उनके नैतिक उत्थान की बात पर अवश्य बल दिया। साथ ही यह भविष्यवाणी अवश्य की कि जागरूक श्रमिक भविष्य का स्वामी होगा।

निष्कर्ष

महर्षि आरविंदो ने भारतीय सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, अध्यात्मिक एवं राजनीतिक चिन्तन में अपने सक्रिय विचारों से महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्री अरबिंदो का मानना था कि व्यक्ति को अपने सम्पूर्ण विकास हेतु राज्य के नियंत्रण से बाहर स्वतंत्रता की अवस्था का अवलंबन करते हुए विचारों का विकास करना चाहिए। मानव के चहुँमुखी कल्याण एवं विकास हेतु यह आवश्यक है कि उसका आध्यात्मिक स्व–विकास होना अति आवश्यक है।

संदर्भ

1. मिश्र शिशिर कुमार, श्री अरविन्दों एण्ड इण्डियन फ्रीडम, श्री अरविंदो लायब्रेरी, मद्रास, 1948, पृ. 24
2. अयंगर श्रीनिवास, श्री अरविंदो, आर्य पब्लिशिंग हाउस, कलकत्ता, 1945, पृ. 12
3. श्री अरविंदो, दी डोक्ट्रीन ऑफ पेसिव रेजिस्टेन्स, पांडिचेरी, 1952, पृ. 69–70
4. श्री अरविंदो, ऐसेज ऑन दी गीता, कलकत्ता, 1949, खण्ड–1, पृ. 290
5. श्री अरविंदो, दी लाइफ डिवाइन खण्ड–द्वितीय, आर्य पब्लिशिंग हाउस, कलकत्ता, 1941, पृ. 921
6. दी ह्यूमन साइकिल, पृ. 78–79
7. दी अरविंदो, वार एण्ड सेल्फ डिटरमिनेशन, सन्टेनरी लायब्रेरी पांडिचेरी, 1971, पृ. 603
8. श्री अरविंदो, दी सुपर मैन कलकत्ता, 1944, पृ. 81
9. वही, पृ. 2–3
10. मुखर्जी हरिदास एण्ड उमा मुखर्जी, श्री अरविंदो एण्ड दी न्यू बॉड इन इंडियन पालिटिक्स, फर्मा के.एल. मुखोपाध्याय, कलकत्ता, 1964,पृ. 379

❑❑❑

गाँधी दर्शन में मानव अधिकारों की अवधारणा

***डॉ. राजेश कुमार शर्मा**

15 अगस्त, 2013 को कनाड़ा के विनिपेग शहर में 'कनाडियन म्यूजियम फॉर ह्यूमन राइट्स' तक जाने वाली सड़क जाती है, का नाम गांधी के नाम पर रखा गया, क्योंकि महात्मा गाँधी को मानवाधिकार के लिए संघर्ष का पर्याय माना जाता है।[1] महात्मा गाँधी एक युगपुरूष थे जिन्होंने जाति, रंग, समाज, संस्कृति और धार्मिक पृष्ठभूमि को नजरंदाज करके "मानव" मात्र के कल्याण के लिए कार्य किया। उनके दर्शन में मानव जीवन के आर्थिक सामाजिक, शैक्षणिक एवं नैतिक पक्षों की समस्याओं को हल करते समय "मानव के कल्याण" को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया। इसी कारण गाँधी दर्शन में सर्वाधिक रूप से मानवाधिकार परिलक्षित होते हैं।

गाँधी के आर्थिक विचारों का केन्द्र "मानव" था। उत्पादन, वितरण, विनिमय इत्यादि में मानव को प्राथमिक महत्व दिया गया। उनका उद्देश्य मानव–मात्र का विकास, प्रगति और कल्याण रहा है। आर्थिक विषमता, शोषण और गरीबी को समाप्त कर मानवता का पोषण करना ही गाँधी के जीवन का प्रधान कर्तव्य था। गाँधी समानता पर आधारित एक ऐसी अर्थ नीति चाहते थे जिसमें कार्य के समान अवसर प्राप्त होने के साथ जनता में उत्पादन का न्यायोचित वितरण हो, जिसमें सभी व्यक्ति एवं परिवार अपनी आर्थिक जीविका पर समुचित नियंत्रण रख सकें, जो मानव मात्र के व्यक्तित्व के विकास के अनुकूल स्थिति की सृष्टि करे।[2] न्यासिता का सिद्धांत एक अर्थ में मानवाधिकारों की मूल भावना पर आधारित था तो दूसरे अर्थों में वह पूंजीवादी के पापों को नष्ट करने का साधन था, न कि पूँजीपतियों को।[3] यह सिद्धांत समाज के पूंजीवाद अनुक्रम को एक समतावादी समाज में बदलने का प्रयास था, जिससे प्रत्येक मानव को मूलभूत मानवाधिकारों के रूप में आधारभूत सुविधाएँ मिल सकें। मानव अपना विकास स्वयं करें, आत्मनिर्भर बनें। "मशीन" 'मानव' के लिए है न कि मानव मशीन के लिए।" यह वाक्य गाँधी के दर्शन मे मानवाधिकारों के सृजनात्मक पक्ष की ही अभिव्यक्ति है। मानव को किसी अन्य वस्तु का उपकरण न समझा जाए। मानवाधिकार "मानव" को इसी रूप में स्वीकार करते हैं।

"ब्रेड लेबर"[4] (रोटी के लिए श्रम) का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति को भोजन के लिए मेहनत करने को प्रेरित करता है। जिससे श्रम के आधार पर मानव–मानव में न भेदभाव हो। अगर सभी समान पैदा हुए है तो सभी को समान अवसर पाने का अधिकार है जो एक मूलभूत मानवाधिकार भी है। हम सभी में एक जैसी क्षमताएं होनी असंभव है। अतः स्वाभाविक है कि कुछ लोग अधिक अर्जित करेंगे और कुछ कम, लेकिन उनमें भेदभाव न हो।[5] गाँधी का आर्थिक दर्शन मानवाधिकार संबंधी महत्वपूर्ण पहलुओं पर बल देता है जैसे–शोषण विहीन अर्थव्यवस्था, उचित मजदूरी, वृद्धों के लिए पेंशन व्यवस्था, काम करने का उचित माहौल एवं अवसर, उचित नागारिक सुविधाएं, धन का सार्वजनिक उपयोग इत्यादि।

गाँधी ने सामाजिक परिवर्तन की इकाई भी मानव को ही माना है। इसलिए भारतीय समाज के पुनगर्ठन की वैकल्पिक व्यवस्था भी गाँधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में वर्णित है। गाँधी का सामाजिक परिवर्तन न सिर्फ स्वराज्य प्राप्ति की कुंजी था, बल्कि मानवाधिकारों की प्राप्ति में भी सहायक था। इसमें अस्पृश्यता निवारण, महिला उत्थान, सांप्रदायिक सद्भाव, बुनियादी व प्रौढ़ शिक्षा, स्वास्थ्य व स्वच्छता की

* निदेशक, नेहरू अध्ययन केन्द्र, राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्याय, जयपुर (राजस्थान)

शिक्षा इत्यादि विषय शमिल थे। महात्मा गाँधी का अस्पृश्यता को भारतीय समाज के लिए कलंक मानना अपने आप में उनके सबसे बड़ा मानवाधिकारवादी होने का परिचायक है।

गांधी के मतानुसार यदि हम भारत की आबादी के पांचवे हिस्से को स्थायी गुलामी की हालत में रखना चाहते हैं और जान–बूझकर राष्ट्रीय संस्कृति के लाभों से वंचित रखना चाहते हैं, तो स्वराज्य एक अर्थहीन शब्द मात्र होगा। आत्मशुद्धि के इस महान आंदोलन में हम भगवान की मदद की आकांक्षा रखते हैं, लेकिन उसकी प्रजा के सबसे ज्यादा सुपात्र अंश को मानवता और मानवाधिकारों से वंचित रखते हैं। यदि हम स्वयं मानवीय दया से शून्य हैं तो सिंहासन के निकट दूसरों की निष्ठुरता से मुक्ति पाने की याचना हम नहीं कर सकते।[6] गाँधी ने अस्पृश्यता निवारण को स्वराज्य के समकक्ष कार्य माना। मानवाविधकारों के परोकार के रूप में गांधी ने अपने जीवन की सबसे बड़ी राष्ट्रव्यापी यात्रा अस्पृश्यता समाप्त करने एवं हरिजन उत्थान के लिए की, जो 7 नवम्बर, 1933 को प्रारंभ हुई और 2 अगस्त 1934 को समाप्त हुई। निरंतर 10 महीने चली यात्रा में गांधी ने 12 हजार पांच सौ मील की यात्रा की और हरिजन कल्याण के लिए आठ लाख रूपये जमा किए।[7] किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत व भेदभाव करना उसके मानवाधिकारों का सबसे बड़ा हनन हैं भारतीय समाज में गाँधी का अस्पृश्यता निवारण के माध्यम से मानवाधिकारों की स्थापना का विचार एवं प्रयास जिसमें प्रमुख रूप से – सामाजिक व्यवहार में समानता, व्यक्ति के कार्य को सम्मान प्रदान करना, समाज के बहिष्कृत, दबे–कुचले, सामाजिक रूप से हाशिऐ पर बैठे व्यक्ति को अमानवीय प्रथाओं से बचाना, अस्पृश्य जातियों को श्रम का उचित मूल्य दिलाना, अस्पृश्य जातियों की परम्पराओं, त्यौहारों व पर्वों को समाज में मान्यता दिलाने आदि पर बल दिया गया। "मानव" को "मानव" के बराबर समझने का यह उद्घोष एक मानवाधिकारवादी विचारक के रूप में गाँधी का सबसे बड़ा योगदान रहा है।

गाँधी चिंतन में 10 दिसम्बर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकृत और घोषित करते हुए मानव अधिकरों की वैश्विक घोषण (यू.डी.एच.आर.) के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि "सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है तथा गौरव और अधिकारों के मामले में उन्हें समानता प्राप्त है। उन्हें बूद्धि और अंतरात्मा की देन प्राप्त है और परस्पर उन्हें भाईचारे के भाव से बर्ताव करना चाहिए" गाँधी ने अपने कार्य एवं व्यवहार में भी इस बात को पूरी तरह से महत्व दिया तथा अस्पृश्यता को खत्म करने का पूर्ण प्रयास किया। अन्य रचनात्मक कार्यों की तरह ही अस्पृश्यता निवारण के लिए उन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज के सक्रिय सहयोग पर जोर दिया। मैं अस्पृश्यता बर्दाश्त नहीं कर सकता हिंदू समाज का कर्तव्य है कि अस्पृश्यता को दूर करने के लिए भारी तपस्या करें।[8] गाँधी ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से दबे कुचले दलित वर्ग के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया। हरिजनों के बीच रहकर अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन भी किया।

महात्मा गाँधी ने महिला उत्थान के बिना सामाजिक परिवर्तन अकल्पनीय माना है। महात्मा गाँधी ने महिला उत्थान के संबंध में 4 अक्टूबर, 1930 को यंग इंडिया में लिखा था, महिला को कमजोर करना, उनका अपमान है, यह महिलाओं के प्रति पुरूषों का अन्याय है अगर ताकत मतलब पशुवत ताकत है तो महिलाएँ पुरुषों से कम पशुवत् हैं। अगर, ताकत का मतलब नैतिक शक्ति है तो महिलाएँ निःसंदेह पुरुषों श्रेष्ठ हैं। क्या उसमें ज्यादा अंतर्बोध नहीं है? क्या उसमें ज्यादा साहस नही है? उसके बगैर पुरुष कुछ भी नहीं है यदि अहिंसा हमारे अस्तित्व का कानून है तो भविष्य महिलाओं का ही होगा।[9]

गाँधी ने सरल शब्दों में बताया कि अगर पुरूषों को रोटी कमाने वाला माना जाता है तो महिलाओं को रोटी देने वाला बताया जा सकता है। गाँधी का महिला उत्थान कार्यक्रम विशेष रूप से महिलाओं के मानवाधिकारों की रक्षा का एक प्रभावशाली प्रयास था। गाँधी के दर्शन में महिला उत्थान से संबंधित मानवाधिकार के निम्नलिखित पक्ष समाहित हैं जैसे– समाज में महिलाओं के प्रति समान भाव, महिलाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तन, परिवार में महिला की भागीदारी को स्वीकारना, महिला शिक्षा और स्वतंत्रता पर बल देना, नारी के विरूद्ध अमानवीय प्रथाओं का त्याग करना, विधवा पुनर्विवाह की

सामाजिक स्वीकार्यता, "लड़के–लड़की को समान मानना आदि अनेकों मानवाधिकरों की अभिव्यक्ति गाँधी चिंतन में होती है। गाँधी नारी–उत्थान में प्रकृति प्रदत्त विभेद के अलावा किसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मानव निर्मित विभेद को स्वीकार नहीं करते थे।

गाँधी विचार और कार्य की दृष्टि से धार्मिक पुरूष थे। उनका धर्म एक ऐसी प्रवृत्ति वाला व्यवहार है जिसे रोजमर्रा के कार्यकलापों में देखा और अनुभव किया जाता है। 'प्रत्येक धर्म में जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के नैतिक एवं सामाजिक सिद्धांतों का प्रतिपादन होना चाहिए।[11] 1942 में यंग इंडिया में उन्होंने लिखा कि 'मैंने आज तक जो कुछ बोला है अथवा हर वह कार्य जो मैंने अपने सार्वजानिक जीवन मे किया है उसके पीछे एक धार्मिक चेतना और सर्वथा एक धार्मिक उद्देश्य रहा है। धर्म से इतर कोई मानवीय गतिविधि नहीं होती है मै किसी धर्म विशेष में विश्वास नहीं करता और मेरा धर्म पूरी मानवता अधिकारों की सेवा है अर्थात् मानव धर्म ही मेरा धर्म हैं भगवान भी सबसे छोटे से छोटे कण में भी रहते हैं। भगवान से प्यार करने के लिए उनकी निर्मिति (मानव) से प्यार करना चाहिए जो कि मानवधिकारों का सार अथवा मूल आधार भी है।

मानव अधिकारों की दृष्टि से गाँधी ने दुनिया के सभी धर्मों से प्रेरणा ग्रहण की और उनका प्यार और सहानुभूति समस्त ब्रहमांड की संपूर्ण मानवता तक विस्तृत थी। गाँधी किसी धार्मिक संकीर्णता में विश्वास नहीं करते थे। "दरिद्रनारायण" की सेवा करना ही उनका मानव अधिकर अथवा मानव धर्म था। 'मनुष्य अपने कार्यों में स्वभावतः परोपकारी होगा और मनुष्य की इस भावना को जगाने का कार्य ही वास्तविक धर्म है। दूसरे व्यक्तियों से पशुता का व्यवहार करना और उनको पीड़ा पहुँचाने का कार्य स्वयं को पीड़ा पहुँचाने का कार्य स्वयं को पीड़ा पहुँचाने से अलग होकर नहीं किया जा सकता।[12]

गाँधी के धार्मिक कार्यों संबंधी विचार भी मानवाधिकारों को प्रतिबिंब करते हैं– मानव को अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार, मानव को धार्मिक निजता प्रदान करता है, 'दरिद्रनारायण' अथवा मानवता की सेवा ही धर्म है। गाँधी के इन्हीं मानवाधिकारवादी विचारों का प्रभाव भारतीय संविधान के भाग–3 मौलिक अधिकरों के रूप में परिलक्षित होता है।[13]

नागरिक और राजनीतिक अधिकरों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा के उपबंध 18 में विचारों, अंतः करण एवं धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई हैं। यह प्रसंविदा 23 मार्च, 1976 से प्रभावी हुई। यह गाँधी के विचारों को भी अभिव्यक्त करती है।

गाँधी की शिक्षा भी रचनात्मकता से भरी हुई हैं इस शिक्षा का मानवाधिकारों से गहरा संबंध है।[14] गाँधी के अनुसार शिक्षा का अर्थ है "व्यक्ति के शरीर, मन, आत्मा में जो शुभत्व है (सत्व) उसे प्रकट करने का प्रयत्न–उसे विकसित करने का प्रयत्न"।[15] राज्य का यह कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों को इस रूप में शिक्षा प्रदान करे कि इस आदर्श की प्राप्ति सहज तथा सुलभ हो जाए। उनका मानना है कि 'हर व्यक्ति कुछ गुणों, प्रवृत्तियों तथा शक्तियों के साथ पैदा होता है तथा शिक्षा का लक्ष्य हर व्यक्ति में इन शक्तियों को उभारना है, इसे विकसित करना है।'[16]

मूल प्रकृतियों और शक्तियों के विकास हेतु गाँधी ने 'बुनियादी शिक्षा' की रूपरेखा प्रस्तुत की जिसमें विद्यार्थी "करके सीखता है" शिक्षा के क्रम में व्यक्ति के शारीरिक श्रम को महत्व दिया जाता है और उस श्रम को उपयोगी दिशा में प्रवाहित किया जाता है।[17] गाँधी ने पुरुष की भाँति नारी, की शिक्षा का भी समर्थन किया। पुरूष को शिक्षा पाने की जैसी अनुकूलता हो वैसी ही नारी को भी होनी चाहिए। पुरूष की अपेक्षा नारी का दर्जा और अधिकार कम है। इस संस्कार को निर्मूल कर देना आवश्यक है।[18] गाँधी की शिक्षा में प्रत्येक व्यक्ति अपने हुनर में निपुण होगा। शिक्षित व्यक्ति अपने शिल्प का पूर्ण रूप से जानकार होता है, अतः उसके शोषण की संभावना भी कम हो जाती है।

गाँधी के शिक्षा–दर्शन में भी एक ऐसी शिक्षा का समर्थन किया गया है जिससे बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों (मूल्यों/गुणों) का पूर्ण विकास हो सके। व्यक्तित्व विकास के साथ–साथ सभी के लिए समान रूप से व्यावसायिक शिक्षा भी इसमें निहित है जिससे सभी मानव,

समाज में आर्थिक रूप से भी सशक्त हों। यह बात मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 26 (2) में भी कही गई है कि "शिक्षा का उद्देश्य होगा मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास बुनियादी और मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की पुष्टि यह गाँधी के शिक्षा–संबंधी विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति है।

गाँधी के शिक्षा संबंधी विचारों में बिना किसी भेदभाव के मानवमात्र के कल्याण पर बल दिया गया है। जैसे–शिक्षा मानव की प्रकृति प्रदत्त प्रतिभा के अनुसार दी जानी चाहिए, शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होनी चाहिए, "व्यावहारिक एवं व्यवसाय परक शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए[19] "स्व–भाषा में शिक्षा,"[20] शिक्षा का उद्देश्य मानवाधिकारों की प्राप्ति की दिशा में मानव का कल्याण करना है।

गाँधी के दर्शन में उनकी शिक्षा मानव के व्यक्तित्व और प्रकृति को पूर्णता प्रदान करने का प्रयास है। गाँधी ने मानव प्रकृति के तीन पक्षों – शारीरिक, भौतिक और आध्यात्मिक को वर्णित किया है। गाँधी इनमें से आध्यात्मिक पक्ष को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं।[21] क्योंकि यह पक्ष ईश्वरीय अंश के अधिकारों निकट है। हर मनुष्य में ईश्वरत्व का अंश विद्यमान है। यह अंश अपने को अनेकों प्रकार से व्यक्त करता है– विवेकशक्ति, अंतरात्मा की आवाज़, इच्छा स्वातंत्र्य। ईश्वरीय अंश का सदुपयोग उचित ढंग से होता रहे तो मनुष्य धरती पर स्वर्ग उतार कर ला सकता है। हर व्यक्ति में अच्छाई का अंश विद्यमान है। जो आध्यात्मिक उद्दीपन से जाग उठता है। मानव की अंतरात्मा में स्थित अच्छाई ही मानव की मानवता और आध्यात्मिकता है।

मानवाधिकारों का दर्शन कमोबेश रूप में मानव की इसी आध्यात्मिक शक्ति के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ प्रदान करने की कोशिश है। मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 29 (1) में भी कहा गया है कि "प्रत्येक व्यक्ति का उसी समाज के प्रति कर्तव्य है जिसमें रहकर उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव हो। गाँधी भी समाज में ऐसा ही परिवेश चाहते थे कि मानवाधिकारों को व्यक्ति पर राज्य द्वारा आरोपित करने की आवश्यकता नहीं पड़े, बल्कि सभ्य समाज में प्रत्येक व्यक्ति का चरित्र–नैतिकता, सहयोग, विनम्रता, परोपकार, सहिष्णुता से युक्त हो जिससे बाह्य कानूनी दबाव की जरूरत ही ना हो।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मानवाधिकार सभ्य समाज की आवश्यकता है। ये व्यक्ति को व्यक्तित्व विकास के पूर्ण अवसर तो प्रदान करते ही हैं साथ ही, समाज को राजव्यवस्था से अधिकरों के रूप में व्यक्तित्व विकास की आवश्यक बाह्य परिस्थितियाँ भी प्रदान करते हैं। गाँधी दर्शन बाहरी परिस्थितियों के साथ–साथ मानव के व्यक्तित्व विकास की आंतरिक आवश्यकता की भी पूर्ति करता है। जिसमें व्यक्ति का चरित्र ऐसा हो, जिसमें सहयोग, सद्भाव, परोपकार, दया जैसे गुण अंतर्निहित हों। संपूर्ण विश्व में मानवाधिकारों की एशियाई देशों के मूल्यों की विचारधारा का नेतृत्व गाँधी दर्शन करता है। उल्लेखनीय है कि एशियाई दर्शन में अधिकारों से पहले कर्त्तव्यों पर जोर दिया गया है। गाँधी भी मात्र "मानव" के कल्याण के लिए कर्त्तव्यों पर बल देते हैं। इसके लिए उन्होंने हमें एक 'जंतर' प्रदान करते हुए कहा है कि– "तुम्हें एक जंतर देता हूँ। जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम् तुम पर हावी होने लगे, तो यह कसौटी आजमाओ : जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो, उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा? क्या उससे, उसे कुछ लाभ पहुँचेगा?[22] क्या उससे, वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा, जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम् समाप्त होता जा रहा है? गाँधी मानव को ऐसी नैतिक शक्ति प्रदान करना चाहते थे जो किसी दूसरे के अधिकरों का हनन नहीं करे तथा नैतिक शक्ति के बल पर कठोर से कठोर व्यवस्था से भी संघर्ष कर सके। गाँधी का समग्र चिंतन एवं दर्शन मानव और मानवाधिकरों को केन्द्र में रख कर की ही आगे बढ़ता है।

संदर्भः–

1. महापात्र अनिल कुमार, 'वर्ल्ड फोकस', मई 2014 पृ. 19
2. प्रसाद महोदव, 'महात्मा गाँधी का समाज दर्शन', हरियाणा साहित्य अकादमी, 1989 पृ. 219
3. सिंह मधुलिका, 'वर्ल्ड फोकस', मई 2014, पृ. 50
4. गाबा ओ. पी., 'भारतीय राजनीतिक विचारक' मयूर पेपर बैक्स, नोएडा, 2008 पृ. 192
5. अवस्थी ए. एवं अवस्थी आर. के., 'आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन', रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर नई दिल्ली, 2002 पृ. 395–396
6. प्रभु आर. के, 'मेरे सपनों का भारत', गाँधी, संग्रह, नव जीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, दिसंबर 2000, पृ. 266
7. तिवारी विवेकानन्द, 'अछूत मतवाद के सचः गाँधी और अम्बेडकर', सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, 2014, पृ. 173
8. उपरोक्त पृष्ठ. 187
9. 'यंग इंडिया', 4 – 10 – 1930
10. शर्मा रितुप्रिया, 'गाँधी और मानवाधिकार', ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2008, पृ. 85
11. दाधीच नरेश, 'महात्मा गाँधी का चिंतन' रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2014 पृ. 107
12. उपरोक्त पृष्ठ. 120
13. सिंह पुष्पा, 'मानवाधिकार की असीमित सरहदें' किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 20
14. शर्मा रितुप्रिया, 'गाँधी और मानवाधिकार', ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2008, पृ. 91
15. लाल बंसत कुमार, 'समकालीन भारतीय दर्शन', मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन, नई दिल्ली, 2009, पृ. 192
16. उपरोक्त पृष्ठ. 193
17. उपरोक्त पृष्ठ. 193
18. मशरूवाला किशोर लाल, 'गाँधी विचार दोहन', सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, 1999, पृ. 157
19. शर्मा रितुप्रिया, 'गाँधी और मानवाधिकार', ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2008, पृ. 92
20. मशरूवाला किशोर लाल, 'गाँधी विचार दोहन', सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, 1999, पृ. 152–158
21. लाल बंसत कुमार, 'समकालीन भारतीय दर्शन', मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन, नई दिल्ली, 2009, पृ. 132
22. 'अंतिम जन' गाँधी स्मृति एवं दर्शन समिति प्रकाशन, नई दिल्ली, अंक–8, सिंतम्बर 2012, अन्तिम कवर पृष्ठ

❑❑❑

सुभाषचन्द्र बोस का राजनीतिक चिंतन

***डॉ. इन्द्रमणी सिंह**

प्रस्तुत शोध पत्र में भारत के वीर सपूत सुभाषचंद्र बोस के राजनीतिक चिंतन पर चर्चा की गई है। जिसमें उनकी जीवनी और चौबीस साल की उम्र में ही एक बड़े अधिकारी का पद हासिल करने और राष्ट्र सेवा के लिए उस पद का त्याग करने सहित महात्मा गाँधी, जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य उदारवादी चिंतकों से किसी मसले पर समानता और भिन्नता तथा रामकृष्ण, अरविन्द विवेकानंद एवं वीर सावरकर जैसे विचारकों से पूर्णतया सह–अस्तितव एवं स्वाधीनता के प्रश्न पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करने और इसके कारण कितनी बार नज़रबंद रहना और विदेशी ताकतों यथा जापान, जर्मनी, टोकियो तथा अन्य राष्ट्रों से संबंध बनाकर आजाद हिंद फौज के माध्यम से बोस ने क्रूर ब्रिटिश शासकों से सत्ता छीनने का जो अद्मय प्रयास किया इन समस्त तथ्यों को उजागर करने का मेरा छोटा प्रयास है।

बोस का नाम भारत के इतिहास में स्वर्णिम् अक्षरों मे अंकित है और तब तक अंकित रहेगा जब तक एक भी भारतवासी जीवित रहेगा बोस ने भारत की आजादी के लिए तन, मन और धन सभी कुछ न्यौछावर कर दिया। उनके महान् त्याग और बलिदान के कारण ही जनता ने उन्हें नेताजी की उपाधि से सुशोभित किया। अपने दृढ़, संकल्प, अजेय साहस, अपूर्व त्याग और अद्भुत शौर्य द्वारा उन्होंने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए, उससे दूर–बहुत दूर–विदेश में, बिना किसी साधन और सहायता के एक विशाल संगठन खड़ा करके संसार मे कर्म–साधना का एक आदर्श प्रस्तुत किया बोस बहुत ही प्रतिभासम्पन्न विद्यार्थी थे। आई.सी.एस. की परीक्षा पास करके भी मई, 1921 में उन्होंने इससे त्यागपत्र दे दिया और 24 वर्ष की आयु में ही सक्रिय राजनीति के क्षेत्र में कूद पड़े। उनका मन तो देश सेवा के लिए छटपटा रहा था, तब भला वे गुलामी की नौकरी कैसे करते।

बोस महात्मा गाँधी के विचारों से कभी सहमत न हो सके। मतभेद, साधन और लक्ष्य दोनों का था। महात्मा गाँधी सदैव अपनी आत्मशक्ति की प्रेरणा से कार्य करते थे, जबकि बोस सदा बुद्धि एवं तर्क से चलते थे। उन्होंने हमेशा यह अनुभव किया कि गाँधी जी को अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं था और इसी कारण उनकी योजना में स्पष्टता का अभाव रहता था। गाँधी के नेतृत्व में देश के स्वाधीनता संग्राम की गति से जब बोस को बड़ी को बड़ी निराशा हुई तो वे भावी कार्यक्रम निश्चित करने के लिए विचार करने लगे और चितरंजनदास के रूप में उन्हे एक योग्य नेता प्राप्त हो गया। बोस की योग्यता, कार्यपटुता और संगठन क्षमता अद्वितीय थी। सरकार ने उन्हें अपनी ओर मिलाने का भरसक प्रयत्न किया पर सफलता नहीं मिली। बोस की गतिविधियो से आतंकित सरकार ने उन्हें खुला रखना मुनासिब न समझतें हुए नजरबंद करके 1925 में माण्डले जेल भेज दिया। वास्तव में, तिलक को छोड़कर अन्य किसी नेता ने इतना कष्ट सहन नहीं किया जितना कि बोस ने। उन्हें दस बार कारागार में डाला गया और कुल मिलाकर जीवन के आठ बहुमूल्य वर्ष उन्हें जेल में बिताने पड़े। बोस को समझौतावादी रवैया पसंद न था, वे तो अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति से विद्रोही थे।[1]

गाँधी के असहयोग आन्दोलन में सुभाष की रुचि नही थी, तथापि उन्होंने इसमें सहयोग किया और जेल गए, पर जब 1934 में गाँधी जी ने आन्दोलन को वापस ले लिया तो सुभाष बोस ने बढ़े क्षुब्ध किन्तु

* व्याख्याता, राजनीति विज्ञान विभाग शांति प्रसाद जैन महाविद्यालय, सासाराम (बिहार)

आक्रोश भरे शब्दों में कहा– 'हमारा यह स्पष्ट मत है कि राजनीतिक नेता के रूप में गांधीजी असफल रहे हैं। 'कारावास में श्री बोस का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था, अतः सरकार ने उन्हें यूरोप जाकर चिकित्सा कराने की अनुमति प्रदान की। यूरोप में बोस ने विभिन्न राजनीतिज्ञों से भेंट की और उनके समक्ष भारत की वास्तविक स्थिति का चित्र प्रस्तुत किया। भारत वापस लौटनेपर 1938 मे उन्हें हरिपुरा कांग्रेस का सभापति निर्वाचित किया गया। कांग्रेस के अनेक नेताओं से उनका तीव्र मतभेद रहा। 1939 में बोस का विरोध अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया, फिर भी उन्होंने डॉ. पट्टाभि सीतारमैया को परास्त कर कांग्रेस का सभापतित्व ग्रहण किया। जब बोस का विरोध बढ़ता ही गया, तब उन्होंने पद से त्यागपत्र देकर 'फारवर्ड ब्लाक' नामक दल का गठन किया। शीघ्र ही उनके झण्डे के नीचे बहुत से नवयुवक सम्मिलित हो गए। सरकार ने, जो सुभाष की तरफ से निरंतर सशंकित रहती थी, उन्हें नजरबंद कर लिया। इस पर उन्होंने सरकार को चेतावनी भरा पत्र लिखा– 'मुझे मुक्त कर दीजिए, अन्यथा में जीवित रहने से इन्कार कर दूंगा। इस बात को निश्चय करना मेरे वश में है कि मैं जीवित रहूँ या मर जाऊँ। शहीदो का खून धर्म का बीज होता है। मुझे आज अवश्य मर जाना चाहिए जिससे भारत स्वतंत्र और प्रतापी हो। अपने देशवासियों को मुझे यही कहना है–भूलना मत कि दासता मनुष्य के लिए सबसे पहला पाप है।' इस पत्र का सरकार पर प्रभाव पड़ा। बोस के अनशन से उत्पन्न स्थिति और जबर्दस्त जन–आंदोलन के भय से उन्हें मुक्त कर दिया गया।[2]

जेल से मुक्त होते ही पुनः जन–आन्दोलन को संगठित करने में लग गए। महायुद्ध का विस्फोट होने पर उन्होंने आंदोलन के लिए जनता का आह्वान किया और यह मांग रखी कि अस्थायी राष्ट्रीय सरकार स्थापित की जाए जिसे गोरी सरकार तुरंत अपनी सारी शक्तियाँ हस्तान्तरित कर दे। बोस के इन कार्यों से आंतकित होकर सरकार ने उन्हें उनके मकान में ही नजरबंद कर दिया और बड़ा कठोर पहरा बैठा दिया, लेकिन पुलिस की आंखों में धुल झोंककर गायब हो गए। बाद में यह रहस्य खुला कि वे घर से छद्मवेश में गायब होकर काबुल होते हुए फारस, रूस, जर्मनी और जापान गए है यह वही समय था जब सुदूर पूर्व में जापान मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को धूल चटा रहा था। भारत को गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए जापान की सहायता से भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य से उन्होंने आजाद हिंद फौज अथवा भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया। उनके जीवन का यह सर्वश्रेष्ठ कार्य था। इसमें उनके उदात्त चरित्र, अद्भुत नेतृत्व और संगठन क्षमता के दर्शन हुए। 'जय हिंद' 'दिल्ली चलो' और 'लाल किला हमारा है' आदि उनके नारे थे। बोस के सेनापतित्व मे आजाद हिंद फौज ने फरवरी, 1944 में भारत पर उत्तरपूर्व की ओर से आक्रमण किया और भारी कठिनाईयों तथा अभावों के बावजूद इम्फॉल (आसाम) पर अधिकार कर लिया, किन्तु मनुष्य के हाथों में कर्म करना है और विधाता के हाथ में निर्णय करना। आजाद हिंद फौज इम्फाल से आगे न बढ़ सकी और उधर जापान की हार होने लगी। अगस्त 1945 मे जापान ने अणुबमों की संहारक शक्ति के समक्ष घुटने टेक दिए और जापान के अधीन सभी प्रदेशों पर पुनः अंग्रेजों का कब्जा हो गया। भारतमाता का यह वीर पुत्र अपना कार्य अधूरा छोड़कर इस संसार से चल बसा, लेकिन अपने कार्यों द्वारा वह अपना नाम सदा के लिए अमर कर गया।[3]

वस्तुतः बोस उन व्यक्तियों में से थे जो दूसरों के यश में प्रतिष्ठित होना नहीं चाहते थे। उनमें स्वयं की आंतरिक चमक थी। उनका विश्वास था कि 'कायरों के नहीं, साहसी व्यक्तियों के कार्य ही सफल होते हैं।' उनमें साहस था और उन्होंने अथक् कार्य भी किया, किन्तु अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण और विशेषकर अपने ही देश में उन्हें वांछित सहयोग न मिल पाने से उनको अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई, पर भारत की जनता का प्यार उन्हें भरपूर मिला और आज भी भारत के बच्चे–बच्चे पर बोल के नाम का जादू असर डालता है।

सुभाष बोस के राजनीतिक चिंतन की पृष्ठभूमि

बोस कर्मयोगी थे, कोई राजनीतिक दार्शनिक अथवा सैद्धान्तिक विचारक नहीं। रामकृष्ण, विवेकानंद और अरविंद का उन पर प्रभाव था– विशेषकर विवेकानंद के जीवन से वे अत्यधिक प्रभावित थे।

विवेकानंद के वाक्य उन्हें स्फूर्ति प्रदान करते थे। शंकर के मायावाद के स्थान पर बोस इस विश्व को ईश्वर का क्रीड़ा क्षेत्र मानते थे। उन्हें जगत की वास्तविकता मान्य थी। प्रगति की धारणा में उनका विश्वास था। उनका तर्क था कि प्राकृतिक जगत और इतिहास के अवलोकन से यही सिद्ध होता है कि विश्व प्रगति की ओर उन्मुख है। हमारी अन्तः प्रज्ञा भी यही कहती है कि हम आगे की ओर बढ़ रहे है। विचारों की रचनात्मक शक्ति में बोस की गहन निष्ठा थी। वे यह भी मानते थे कि विचारों की अन्तः शक्ति स्वयं संचालित होती है।[4]

बोस के लिए यह जगत 'कर्म–क्षेत्र' था। उन्हें थोथे आदर्शवाद के प्रति आकर्षण न था। प्रारम्भिक अवस्था में बोस वेदान्त दर्शन के प्रशंसक थे, किन्तु कालान्तर में वे सामाजिक और राजनीतिक यर्थावादी बन गए। 'शक्ति' को उन्होंने सम्मान दिया और यह माना कि शक्तिशाली की आवाज में ही वास्तविक दम होता है। भारतीय इतिहास के सन्दर्भ में उन्होंने यह स्पष्ट विचार व्यक्त किया कि अतिशय अहिंसा देश के पराभव के लिए उतरदायी थी। भारतीय भौतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में पतनोन्मुख इसलिए हुए कि उन्होंने भाग्य और अति प्राकृतिक शक्तियों में अत्यधिक विश्वास किया, आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के सबंध में उदासीनता प्रकट की, सन्तोष की भावना रखी और अहिंसा के पीछे वे पागल बने रहे। इन सब कारणों ने मिलकर भारत के पराभव का मार्ग प्रशस्त कर दिया।[5] बोस ने भारत के राजनीतिक इतिहास में मुस्लिम स्थिति अथवा शक्ति की सर्वोपरिता को चुनौती दी। उन्होंने यह मानने से इन्कार कर दिया कि ब्रिटिश शासन की स्थापना से पूर्व भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 'मुस्लिम व्यवस्था' थी। उन्होंने कहा कि तत्कालीन भारत के केन्द्रीय और प्रान्तीय प्रशासनों में वस्तुतः प्रभावशाली हिन्दुओं का मुस्लिम शासन के साथ संयोग था। भारतीय समाज की समन्वयकारी शक्ति ने विदेशी तत्वों को धीरे–धीरे भारतीय समाज में आत्मसात् कर लिया, केवल अंग्रेज ही इसके अभी तक प्रथम और एकमात्र अपवाद थे।

बोस 'राजनीतिक यथार्थवाद' से अनुप्राणित रहे। उन्होंने गाँधी की तरह 'राजनीति के आध्याात्मीकरण' की बात कभी नहीं कही। उन्हें राजनीति और नैतिक प्रश्नों को मिलाना अथवा धार्मिक तथा राजनीतिक मामलों को मिश्रित करना पसन्द न था। उनका विश्वास राजनीतिक सौदेबाजी में था। उन्होंने जीवन में राजनीति को राजनीति की तरह लिया और लिखा–राजनीतिक सौदाकारों का रहस्य इस बात में है कि आप वास्तव में जितने शक्तिशाली हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली दिखाई दें।[6] उन्हें यह रूचिकर था कि अपनी आवाज को बलशाली शब्दों मे रखा जाए। विनम्रता और गिड़गिड़ाने की भाषा उन्हें अस्वीकार थीं। ब्रिटिश सत्ता के सामने वे बुलन्द आवाज में अपना हक माँगने के पक्ष में थे। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गाँधी की स्पष्ट और विनम्र शब्दावली उन्हें पसंद नहीं आई। उनका विचार था कि महात्मा को, जो अपने देश का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कर रहे थे, राजनीतिक शक्ति के स्वर में बोलना चाहिए था। यदि गाँधी स्टालिन, मुसोलिनी अथवा हिटलर की भाषा में बोलते तो ब्रिटिश सत्ता उनकी बात को समझती और सम्मान देती। अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए बोस सशस्त्र संघर्ष के समर्थक थे और अपने जीवन के संध्याकाल में उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन करके देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए सैनिक अभियान चलाकर अपने विचार को साकार कर दिखाया।

एक राजनीतिक यथार्थवादी के रूप में बोस ने इस बात को भाँप लिया कि राष्ट्र निर्माण केवल बातों से नही होता बल्कि उसके लिए भारी त्याग और कष्ट सहने की आवश्यकता है। यदि देशवासियों को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो इसके लिए उन्हें कांटों से भरे रास्ते पर चलना पड़ेगा, घोर कष्टों से जूझना पड़ेगा, बड़े से बड़ा बलिदान करना पडेगा। स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए महान् नैतिक तैयारियों की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि नैतिक बल के अभाव में कष्ट सहने और त्याग करने की क्षमता नहीं आ सकती।

बोस 'औपनिवेशिक स्वराज्य' के विरोधी थे। वे नेहरू रिपोर्ट को मानने को तैयार नहीं हुए और जवाहरलाल नेहरू के कहने पर 1929 के कांग्रेस–प्रस्ताव पर उन्होंने इसी बात पर हस्ताक्षर किए कि यदि अंग्रेजों ने इसे स्वीकार न किया तो कांग्रेस के अगले अधिवेशन मे 'पूर्ण स्वतंत्रता' का लक्ष्य घोषित

कर दिया जाएगा। सुभाष की मनोकामाना 1929 के लाहौर अधिवेशन मे पूरी हुई। पूर्ण स्वाधीनता के लिए पुनः सविनय अवज्ञा आन्दोलन चला, अन्य नेताओं के साथ बोस भी जेल गए, पर जब आंदोलन बीच में गाँधी–इरविन समझौते से भंग हो गया तो इस समझौतावादी नीति से बोस को बहुत क्षोभ हुआ। वास्तव में उनका मन पूर्ण स्वतंत्रता के लिए इतना अधीर था कि वे किसी भी ढुल–मुल अथवा शिथिल नीति को सहन नहीं कर सकते थे। उनकी दृष्टि में अहिंसा की नीति समयानुकूल नहीं थी। उन्हें यह कतई विश्वास न था कि अहिंसा से भारत को स्वतंत्रता मिल सकती है। इसलिए, कांग्रेस की रीति–नीति से निराश होकर, सुभाष ने भारत से बाहर सैन्य–संगठन बनाया और शस्त्रबल पर भारत को आजाद कराने का अभूतपूर्व संघर्ष छेड़ा।[7]

बोस यद्यपि गाँधी के राजनीतिक विचारों के आलोचक थे, उन्हें गाँधी की अहिंसावादी नीति में विश्वास नहीं था, वे गाँधी की भाँति राजनीतिक और नैतिक प्रश्नों को संयुक्त नहीं करते थे, उन्हें गाँधी की तरह धर्म और राजनीति का बंधन स्वीकार्य न था, पर व्यक्ति के रूप में गाँधीजी के लिए उनके मन में बड़ी इज्जत थी। वे गाँधी के दृढ़ चरित्र के प्रशंसक थे और उन्हें 'राष्ट्रपिता' के नाम से सम्बोधित करते थे। देश के लिए गाँधी के अथक् परिश्रम, गाँधी के हृदय की भक्ति, गाँधी की दृढ़ इच्छा शक्ति के सम्मुख वे नतमस्तक थे। बोस गाँधी के 'वर्ग'–समन्वय और ट्रस्टीशिप' के सिद्धांत के आलोचक थे, गाँधी की रीति–नीति से उन्हें चिढ़ होती थी, किन्तु देश की आजादी के लिए गाँधी की आवश्यकता को वे अनुभव करते थे। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा था– 'भारत गाँधी को खोना नहीं चाहता और विशेषकर इस समय। हमें उनकी आवश्यकता है ताकि हमारा संघर्ष धृणा और द्वेष से मुक्त रहें। हम आजादी के लिए उनकी आवश्यकता अनुभव करते है। इससे और अधिक क्या कहें, हमें मानवता की रक्षा के लिए उनकी आवश्यकता है।[8]

बोस यह मानते थे कि देश की राजनीतिक स्वतंत्रता एक अनिवार्य तात्कालिक आवश्यकता है, तथापि वे इस बात को भी समझते थे कि सामाजिक स्वतंत्रता के लिए भी संघर्ष साथ–साथ चलाना पड़ेगा। उनका विचार था कि जमींदारों तथा किसानों, पूँजीपतियों तथा मजूदरों, अमीरों तथा गरीबों के 'आन्तरिक सामाजिक संघर्ष' को स्थगित नहीं किया जा सकता।[9] राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष को साथ–साथ चलाए जाने के पक्ष में थे और उनकी मान्यता थी कि "जो दल भारत के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करेगाा वही दल देश की जनता को सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी दिलाएगा।" बोस को विश्वास था कि भारत में वामपंथियों की शक्ति बढ़ेगी। बोस स्वयं शताब्दी के चौथे दशक में वामपंथी शक्तियों के मान्य नेता थे। श्रमिक वर्ग और किसानों की आँकाक्षाओं और हितों का उन्होंनें सदैव समर्थन किया।[10]

बोस को विश्वास था कि गाँधी के नेतृत्व में कॉंग्रेस संगठन की शक्ति क्षीण होगी और भारत में वामपंथी दल की शक्ति बढ़ेगी। इसीलिए उन्होंने नए दल के लिए जिसमें उन्हें आशा थी एक कार्यक्रम तैयार किया जिसमें उनके राजनीतिक विचार का सार निहित हैं। इस कार्यक्रम को बोस की पुस्तक में दिया गया है, जिसे डॉ. वर्मा ने इस प्रकार प्रस्तुत किया हैं–[11]

(i) दल जनता के अर्थात् किसानों और मजदूरों के हितों का समर्थन करेगा, न कि जमींदारों, पूंजीपतियों और साहूकार वर्गों के निहित स्वार्थों का।

(ii) वह भारतीय जनता की पूर्ण राजनीतिक तथा आर्थिक मुक्ति के लिए कार्य करेगा।

(iii) वह अन्तिम उद्देश्य के रूप में संघात्मक शासन का समर्थन करेगा, किन्तु आगामी कुछ वर्षों तक अधिनायकवादी शक्तियों से सम्पन्न एक मजबुत केन्द्रीय सरकार में विश्वास करेगा जिससे कि भारत अपने पैरों पर खड़ा हो सके।

(iv) देश के खेतिहर तथा औद्यौगिक जीवन का पुनः संगठन करने के लिए उसे राजकीय नियोजन की सुदृढ़ तथा समुचित व्यवस्था में विश्वास होगा।

(v) वह नई सामाजिक व्यवस्था का उन पूराने गाँव समाजों के आधार पर निर्माण करने का प्रयत्न करेगा जिनमें गाँव–पंच शासन करते थे। इसके अतिरिक्त वह जाति जैसी वर्तमान सामाजिक दीवारों को ध्वस्त करने की भी चेष्टा करेगा।

(vi) वह आधुनिक संसार में प्रचलित सिद्धांतों तथा प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए एक नई मुद्रा–व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयत्न करेगा।

(vii) वह जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने तथा सम्पूर्ण भारत में एक–सी भूमि–व्यवस्था कायम करने की कोशिश भी करेगा।

(viii) वह उस प्रकार के लोकतंत्र का समर्थन नहीं करेगा जैसा कि विक्टोरिया के शासनकाल के मध्य से इंग्लैण्ड में प्रचलित थी। वह एक ऐसे शक्तिशाली दल के शासन में विश्वास करेगा जो सैनिक अनुशासन के द्वारा परस्पर आबद्ध होगा। जब भारतवासी स्वतंत्र हो जाएँगें और उन्हें पूर्णतः अपने साधनों पर ही निर्भर रहना होगा उस समय देश की एकता को कायम रखने तथा अराजकता को रोकने का यही एकमात्र साधन होगा।

(ix) भारत की स्वतंत्रता के पक्ष को मजबूत बनाने के लिए वह अपने आन्दोलन को भारत के भीतर तक ही सीमित नहीं रखेगा, बल्कि वह अंतर्राष्ट्रीय प्रचार का भी सहारा लेगा और उसके लिए विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रयोग करने का प्रयत्न करेगा।

(x) यह सब उग्रवादी संगठनों को एक राष्ट्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत संगठित करने का प्रयत्न करेगा जिससे जब कभी कोई कार्यवाही की जाए तो अनेक मोर्चो पर एक साथ कार्य किया जा सके।

काँग्रेस की अध्यक्षता का परित्याग करके मई, 1939 में बोस ने फारवर्ड ब्लाक नामक एक नया राजनीतिक दल स्थापित किया। फारवर्ड ब्लाक के झण्डे के नीचे बोस देश की वामपंथी शक्तियों को संयुक्त करना चाहते थे। इस दल का उद्देश्य था– अहिंसावदी चक्कर में न पड़ते हुए भारतीय स्वतंत्रता को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करने के काम में संलग्न रहना। 1 जनवरी, 1941 में बोस ने फारवर्ड ब्लाक के प्रमुख सिद्धांतों का सार इस प्रकार व्यक्त किया–[12]

(1) एक पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा उसको प्राप्त करने के लिए अविचल साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष।

(2) एक पूर्णतः आधुनिक ढंग का समाजवादी राज्य।

(3) देश के आर्थिक पुनरूत्थान के लिए वैज्ञानिक ढंग से बड़े पैमाने पर उत्पादन।

(4) उत्पादन तथा वितरण दोनों का सामाजिक स्वामित्व तथा नियंत्रण।

(5) व्यक्ति को धार्मिक पूजा–पाठ में स्वतंत्रता।

(6) हर व्यक्ति के लिए समान अधिकार।

(7) भारतीय समाज के हर वर्ग का भाषा विषयक तथा साँस्कृतिक स्वतंत्रता।

(8) नवीन स्वतंत्र भारत के निर्माण में समानता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करना।

बोस ने अपने दल के माध्यम से देश के नवयुवकों में क्रान्तिकारी भावनाओं का संचार किया। जून, 1940 में बोस की मुलाकात वीर सावरकर से हुई। उन्होने सावरकर से कहा कि वे कलकत्ता मे सार्वजनिक स्थानों से अंग्रेजों की मूर्तियाँ हटाने का आन्दोलन छेड़ने को उत्सुक है। सावरकर ने उन्हें छोटे–छोटे आंदोलन चलाकार अपनी शक्ति का अपव्यय न करने की सलाह दी और कहा कि उन्हें किसी प्रकार भारत से बाहर जाकर भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कर देनी चाहिए और फासिस्ट तथा नाजी शक्तियों के हाथों में पड़ गए भारतीय कैदियों को सही नेतृत्व देकर देश को स्वतंत्र कराने के लिए बंगाल की खाड़ी अथवा बर्मा की ओर से सैनिक अभियान चलाना चाहिए।[13]

वीर सावरकर का क्रान्तिकारी परामर्श बोस को रूचिकर लगा। सरकार की नजरों में धूल झोंक कर वे काबुल पहुँच गए और तब जर्मनी में हिटलर ने उन्हें हर प्रकार की सहायता देने का वचन दिया। जो भारतीय सैनिक जर्मनी और इटली के हाथों में पड़ गए थे, उन सबको मिलाकर बोस ने मुक्ति सेना बनाई जिसका कार्यालय ड्रेसडन (जर्मनी) में रखा गया। दिसम्बर, 1941 में जापान ने अंग्रेजो के विरूद्ध युद्ध

की घोषणा कर दी। 1942 टोकियों में आजाद हिंद फौज के गठन की घोषणा की गई जिसमें 50,000 से भी अधिक भारतीय सैनिक भर्ती हुए। जून, 1943 में बोस ने टोकियो रेडियो से घोषणा की कि अंग्रेजों से यह आशा करना व्यर्थ है कि वे अपने साम्राज्य को स्वयं नष्ट कर देंगे। हमें स्वयं भारत के भीतर और भारत के बाहर से भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। 21 अक्टूबर, 1943 को सुभाष बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। जापान, जर्मनी, फिलीपाइन, कोरिया, इटली, चीन, मान्चुकों और आयरलैंड ने इस अस्थायी सरकार को मान्यता भी दी।

जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप इस अस्थायी सरकार को दे दिए। बोस इस द्वीप में आए और उन्होंने अंडमान का नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का नाम स्वराज्य द्वीप रखा। 30 दिसम्बर, 1943 को इन द्वीपों पर स्वतंत्र भारत का झंडा फहरा दिया गया। 4 फरवरी, 1944 को आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर भयानक आक्रमण किया और रामू, कोहिया, पलेल आदि कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा दिया। बोस ने 22 सितम्बर, 1944 को 'शहीदी दिवस' मनाया और अपने सैनिकों से मार्मिक शब्दों में कहा– "हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है"। तुम मुझे अपना खून दो और मैं तुम्हें स्वतंत्रता देता हूँ। यह स्वतंत्रता की देवी की माँग है।" पर होनी कुछ और ही थी। युद्ध का पासा पलटा, जर्मनी ने हार मान ली और अगस्त, 1945 में जापान ने भी घुटने टेक दिए। जापान के अधीन जो भी प्रदेश हो गए थे, वे पुनः अंग्रेजों के अधिकार में चले गए। टोकियो की तरफ पलायन करना पड़ा, और कहा जाता है कि हवाई दुर्घटना में उनका देहान्त हो गया। यद्यपि सुभाष का सैनिक अभियान असफल रहा, लेकिन इसे असफलता में भी जीत छिपी थी।[14]

सुभाष बोस के विचारों और कार्यकलापों को देखते हुए कतिपय क्षेत्रों में कहा जाता है कि वे फासीवादी थे। डॉ. वर्मा ने इस प्रश्न के उत्तर में बड़े युक्तियुक्त विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने लिखा है कि इस प्रश्न का उत्तर 'हाँ' या 'ना' दोनों में ही दिया जा सकता है। सुभाष बोस उग्र राष्ट्रवादी थे। उनके मन में फासीवादी अधिनायकों के सबल तरीकों के प्रति भावनात्मक झुकाव था और देश की आजादी के लिए हिंसात्मक तरीकों में विश्वास करते थे। इसीलिए महायुद्ध के दौरान उन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया। विश्व के अनेक देशों में स्वाधीनता के लिए हिंसात्मक संघर्ष चलाए जाते है, हिंसा पर फसीवाद का कोई एकाधिकार नहीं है, लेकिन बोस का हिंसात्मक संघर्ष इसलिए फासीवाद जान पड़ा कि उन्होंने यूरोप और एशिया की फासीवादी शक्तियों से सशस्त्र सहायता ली, 'नेता' की उपाधि ग्रहण की जो कि जर्मन शब्द 'फ्यूहरर' का संस्कृत तथा हिंदी पर्यायवाची है, पर दरअसल बोस को फासीवादी के अतिवादी सिद्धांतों में विश्वास नहीं था, उन्होंने कभी साम्राज्यवादी प्रसार का समर्थन नहीं किया और न ही कभी जातीय (नस्लगत) सर्वोच्चता के सिद्धांत को माना। उनकी फासीवादी दर्शन के कुछ आधारभूत दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांतों में विश्वास नहीं था। सुभाष तो देश की आजादी के दीवाने थे। अतः वे देश के बाहर भारत के लिए मित्रों की खोज करने और ब्रिटिश विरोधी शक्तियों से सशस्त्र सहायता लेने से नहीं चूकें। हमारा यही विचार है कि सुभाष भारत की स्वतंत्रता के सेनानी थे जिन्होने देश की खातिर हर शक्ति से सहायता लेने की तत्परता दिखाई–फासिस्टों से भी और नाजियों से भी–पर वे फासिस्ट या नाजी नहीं थें।[15]

अंततः यह कहना प्रासंगिक लगता है कि बोस निश्चित तौर पर भारतीय स्वतंत्रता के प्रेमी थे और उनका चिंतन अन्य से बिल्कुल अलग–थलग था क्योंकि उन्होंने अपनी सेना की तैयारी अपने देश मे कम अलग–अलग राष्ट्रों में जाकर की और ब्रिटिश हुकुमत के खिलाफ उन्होंने भारत के कई हिस्सों पर धावा बोला लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था जो भूमि विजयश्री में मिली वह पुनः ब्रिटिश शासकों के अधीन हो गई। फिर भी इस वीर सपूत ने अंत तक अपनी लड़ाई जारी रखी और भारतीय नेताओं यथा उदारवादियों, उग्रवादियों तथा अन्य विचारकों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

संदर्भ ग्रंथ

1. डॉ. अमरेश्वर अवस्थी एवं डॉ. रामकुमार अवस्थीः आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन पृष्ठ.531
2. वही, पृ. 531
3. वही, पृ. 531
4. वही, पृ. 532
5. सुभाष बोसः द इंडियन स्ट्रगल, पृ. 192
6. वही, पृ. 320
7. डॉ. अमरेश्वर अवस्थी एवं डॉ. रामकुमार अवस्थीः आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन पृष्ठ. 533
8. वही, पृ. 533
9. विश्वनाथ प्रसाद वर्माः आधुनिक भारतीय चिंतन – पृष्ठ 397
10. सुभाष बोसः द इंडियन स्ट्रगल, पृ. 413
11. विश्वनाथ प्रसाद वर्माः आधुनिक भारतीय चिंतन – पृष्ठ 399
12. वही, पृ. 404
13.
14. डॉ. अमरेश्वर अवस्थी एवं डॉ. रामकुमार अवस्थीः आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन पृष्ठ. 536
15. वही, पृ. 536

❑❑❑

दादाभाई नौरोजी के सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का चिंतन एक आलोचनात्मक अध्ययन

***डॉ. दीपक कुमार अवस्थी**

दादाभाई नौरोजी गोखले के शब्दों में – ''उच्चतम कोटि की देशभक्ति के एक पूर्णतम उदाहरण थे। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व लगभग 40 वर्षों तक भारत में सार्वजनिक जीवन को संगठित करते रहे और कांग्रेस की स्थापना के बाद 20 वर्षों से अधिक समय तक वे भारत के सर्वमान्य राष्ट्रीय नेता रहे। जीवन के हर क्षेत्र में दादाभाई को सम्मान मिला और देशवासियों प्रेमपूर्वक उन्हें 'भारत का पितामह' की उपाधि दी जो किसी भी देशवासी के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। दादाभाई भारत में राजकीय जाग्रति के अग्रदूत तो थे ही, ऐसे अर्थशास्त्री भी थे जिनकी लोकवित्त, वैदेशिक व्यापार, राष्ट्रीय आय जैसी समस्याओं में पैठ थी। उनका 'निर्गम' का सिद्धान्त भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक चिन्तन में उतना ही विस्फोटक बन गया था जितने के 'शोषण' औरा 'वर्ग–संघर्ष' के सिद्धान्त मार्क्सवादी तथा समाजवादी क्षेत्रों में बन गये है।'' नौरोजी का जन्म 4 सितम्बर 1825 को एक फारसी परिवार में मुम्बई में हुआ।

दादाभाई ने एलफिन्स्टन संस्थान में शिक्षा प्राप्त की। दादाभाई के प्राध्यापक उनकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। 1853 में अपने सहयोगियों के साथ उन्होंने मुंबई एसोसिएशन की स्थापना की। 1868 में उन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की जिसकी शाखाएं मुम्बई, कोलकता, चेन्नई आदि बड़े भारतीय नगरों में खोली गई। 1873 में दादाभाई भारतीय वित्त के संबंध में नियुक्त फासेट प्रवर समिति के सम्मुख उपस्थित हुए तथा 1874 में दीवान बने। 1875 में वे मुंबई कॉरपोरेशन के सदस्य बने। 1885 में मुम्बई प्रांतीय व्यवस्थापिका परिषद के सदस्य बने। दादाभाई ने ब्रिटेन को अपने राजनीतिक जीवन का कार्यक्षेत्र बनया। 1892 में केन्द्रीय फिसबरी से चुनाव लड़कर वे ब्रिटिश लोकसभा के सदस्य बने ताकि यहाँ पर भारतीय हितों का समुचित ढंग से प्रतिनिधित्व हो सके। वे 1892–1895 तक ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे। तथा बाद में रॉयल कमीशन के सदस्य भी रहे। दादाभाई और उनके सहयोगी चार्ल्स ब्रेडल के प्रयत्नों के फलस्वरूप ही ब्रिटिश लोकसभा में यह प्रस्ताव पारित हो सका कि साम्राज्य सेवाओं के लिए इंग्लैड और भारत में साथ–साथ परीक्षाए हो। 1886 में कोलकता कांग्रेस, 1893 में लाहौर कांग्रेस तथा 1906 में पुनः कोलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के सभापति रहे। ब्रिटिश मैत्री में उन्हें अटूट विश्वास था। किन्तु अंग्रेजों की प्रतिगामी नीति ने बाद में उन्हें कठोर भाषा का प्रयोग करने के लिए विवश कर दिया। भारत में संपत्ति का निष्कासन उनके वक्तव्य का मुख्य विषय था। उन्होंने सेना पर व्यय कम करने और स्वायत्त शासन, स्वदेशी और राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन किया। उन्होंने अपनी पुस्तक ''भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन'' के अन्तर्गत आर्थिक और राजनीतिक दोनों पहलुओं को लिया। उन्होंने 'स्वराज्य' को कांग्रेस का ध्येय घोषित किया लेकिन कभी भी क्रांति और हिंसा का पक्ष नहीं लिया। उदार और सांविधानिक प्रयासों में उनका आजीवन अटूट विश्वास बना रहा।

दादाभाई नौरोजी का सामाजिक चिन्तनदादाभाई ने जितनी रूचि राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में प्रदर्शित की उतनी ही लगन सामाजिक कार्य में भी रखी। नारी शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत कुछ

* राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्व विद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

किया। भारतीय नारियों की शोचनीय स्थिति को सुधारने की चिन्ता उन्हें हमेशा बनी रहीं गुजराती ज्ञान प्रकाशन मण्डली नामक संस्था के माध्यम से दादाभाई ने मुम्बई में नारी शिक्षा के प्रसार के महत्वपूर्ण कार्य किये और उन्हीं की प्रेरणा से मुम्बई में कुछ बालिका विद्यालय खोले गये। यह सब उस समय हुआ जब मुम्बई में नारी शिक्षा के प्रति किसी प्रकार की रूचि नहीं थी। दादाभाई नौरोजी ने धार्मिक कुरीतियों, अन्धविश्वासों और रूढ़िवादिता पर भी प्रहर किया। विधवा–विवाह के प्रचार में उन्होंने विशेष रूचि ली। मद्यपान को उन्होंने एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई बताया। अपने अध्ययन काल के समय दादाभाई उच्च कोटि के समाज–सुधारक माने जाते थे। उन्होंने समाज–सुधार से संबधित अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं का संगठन भी किया जो ये थीं– 1. विद्यार्थी साहित्यि और वैज्ञानिक परिषद् 2. मुम्बई समिति 3. फ्रामजी कावसजी संस्था, 4. ईरानी फण्ड, 5. विधवा–विवाह सभा 6. पारसी जमनेजियम एवं 7. विक्टोरिया एण्ड एलबर्ट म्यूजियम।

दादाभाई नौरोजी का सम्पूर्ण जीवन सात्विक मान्यताओं और उच्च आदर्शों से अनुप्राणित था। उन्होंने व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में नैतिक शक्ति का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति चाहे राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले प्रतिष्ठित अधिकारियों की सम्मतियों का रोचक संग्रह था। दादाभाई ने स्पष्ट शब्दों में ब्रिटिश शासन और जनता को चेताया कि ''भारत की सिविल में भारतीय को भर्ती न करना, वैसा ही होगा जैसा इंग्लैण्ड की सिविल सर्विस में अंग्रेजों को भर्ती न करना। कौन कहाँ नियुक्त किया जाए, यह तो विस्तार की बात है, पर मुख्य प्रश्न यह है कि भारत की सिविल सर्विस में अंग्रेजों के समान ही भारतीयों को भी अधिकार मिलना चाहिए।''[2]

दादाभाई नौरोजी ने कहा कि नैतिकता और सांविधानिक विधि दोनों का तकाजा है कि इंग्लैण्ड भारत पर भारतवासियों के कल्याण के लिए ही शासन करे। ब्रिटिश शासन का कर्त्तव्य है कि भारत में फैली हुई विपन्नता, निर्गम, कष्टों आदि को दूर किया जाए। भारतीयों को राजनीतिक और आर्थिक कष्टों से छुटकारा दिलाने में ही ब्रिटिश–चरित्र की नैतिकता है। उन्होंने कहा कि दोनों ही के लिए यह लाभकारी है कि ''भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण और निर्देशन के अन्तर्गत अपना प्रशासन स्वयं चलाने दिया जाए।''

भारत और अंग्रेजों के हित एक–दूसरे के पूरक हैं– इस बात पर बल देते हुए दादाभाई नौरोजी ने ब्रिटिश निरंकुश साम्राज्यवाद की नैतिक बुराइयों का पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा कि साम्राज्यवाद न केवल प्रशासनिक बुराइयों का बल्कि गहरी वित्तीय हानियों का भी जनक है और यह बहुत ही कष्टकर स्थिति है कि भारत के आर्थिक साधनों का अंधाधुंध निर्गम होने से भारत की गरीबी बढ़ रही है। भारतीयों की जीवनी–शक्ति का ह्रास हो रहा है। दादाभाई ने इस बात पर खेद प्रकट किया कि निरंकुश शासकों को औपनिवेशिक जनता के साथ अहंकार और अत्याचारपूर्ण व्यवहार करने की आदत पड़ गई है। दादाभाई ने भविष्यद्रष्टा की भाँति चेतावनी दी कि ''इंग्लैण्ड ने सांविधानिक सरकार के लिए जो वीरतापूर्ण संघर्ष किये है उनका इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण है, किन्तु वहीं इंग्लैण्ड अब भारत में ऐसा अंग्रेजों का एक वर्ग तैयार कर रहा है जो निरंकुश शासन में प्रशिक्षित तथा अभ्यस्त हैं, जिनमें असहिष्णुता, अहंकार तथा निरंकुश शासन की–सी स्वेच्छाचारिता के दुर्गुण घर करते जा रहे हैं और जिन्हें इसकी अतिरिक्त, सांविधानिकता के पाखण्ड का भी प्रशिक्षण मिल रहा है। क्या यह सम्भव है कि जब ये अंग्रेज अधिकारी निरंकुशता की आदते और प्रशिक्षण लेकर स्वदेश वापस जाएंगे तो वे इंग्लैण्ड के चरित्र और संस्थाओं को प्रभावित नहीं करेंगे? भारत में काम करने वाले अंग्रेज भारतवासियों को उठाने के बजाय स्वयं पतित होकर एशियाई निरंकुशवाद के स्तर तक पहुँच रहे हैं। क्या यह उस नियति का खेल है जो समय आने पर उन्हें दिखला देना चाहती है कि उन्होंने भारत में जो दुराचरण किया है उसका क्या फल हुआ है? अभी इंग्लैण्ड पर इस नैतिक अधःपतन का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है, किन्तु यदि समय रहते उसने उस कुप्रभाव को फैलने से न रोका जो उसकी जनता को उत्तेजित कर रहा है, तो आश्चर्य नहीं होगा कि प्रकृति उससे उस आचरण का बदला ले ले जो उसने भारत में किया है।''

जैफर्सन तथा टी.एच. ग्रीन की भाँति ही दादाभाई ने अनुरोध किया कि राजनीतिक शक्ति का आधार जनता का प्रेम, इच्छा और भावनाएँ होनी चाहिए। जनता के सन्तोष पर ही राजनीतिक सत्ता की नींव रखी जानी चाहिए और जनता को सन्तुष्ट करने का एकमात्र उपाय है उसका विश्वास प्राप्त करना।[3]

ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों की निरन्तर उपेक्षा के फलस्वरूप दादाभाई नौरोजी को अपने जीवन के संध्याकाल में बड़ा कष्ट हो चला था और अंग्रेजों के प्रति उनकी भाषा में पूर्वपेक्षा अधिक कठोरता आने लगी। थी। जहाँ पहले उनके भाषणों में ब्रिटिश शासन के प्रति भारतवासियों की 'पूर्ण भक्ति' की गूँज होती थी और कांग्रेस अधिवेशनों के अपने अध्यक्षीय भाषणों में उन्होंने ब्रिटेन के प्रति भारत की भक्ति का ऐलान किया, वहाँ वर्तमान सहद के आरम्भ होते–होते इस निष्कर्ष पर पहुँच चुके थे कि स्वशासन और स्वराज्य का अधिकार प्राप्त किये बिना भारत राष्ट्रीय महानता को प्राप्त नहीं कर सकता। अब दादाभाई के भाषणों में ब्रिटेन के प्रति भक्ति की नहीं, बल्कि अपने अधिकारों की मांग की गूंज अधिक होती थी और ब्रिटिश शासन की उनकी आलोचनाओं में अधिक प्रखरता तथा व्यवहारिक सूझ–बूझ थी।[4]

दादाभाई नौरोजी का राजनीतिक चिंतन

दादाभाई के राजनीतिक विचार तत्कालीन उदारवादी चिंतन से प्रभावित थे। ब्रिटिश उपेक्षावृत्ति और शोषणवादी नीति की कटु आलोचना करने के बावजूद उनकी आस्था उदार और सांविधानिक उपायों में भी। उनके राजनीतिक विचारों को हम निम्नांकित बिन्दुओं के माध्यम से समझ सकते है–

निरंकुश साम्राज्यवाद पर प्रहर :– दादाभाई के अनुसार साम्राज्यवाद न केवल प्रशासनिक बुराइयों का बल्कि गहरी वित्तीय हानियों का भी जनक है। भारत के आर्थिक साधनों का अंधाधुंत निर्गम होने से भारत की गरीबी बढ़ रही है। भारतीयों की जीवनी शक्ति का ह्रास हो रहा है। दादाभाई ने इस बात पर खेद प्रकट किया कि निरंकुश शासकों को औपनिवेशिक जनता के साथ अहंकार और अत्याचारपूर्ण व्यवहार करने की आदत पड़ गई है। भारत में काम करने वाले अंग्रेज भारतवासियों को उठाने की बजाय स्वयं पतित होकर एशियाई निरंकुशवाद के स्तर तक पहुँच रहे है। दादाभाई के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार जनता का प्रेम, इच्छा और भावनाएँ होनी चाहिए। जनता के संतोष पर ही राजनीतिक सत्ता की नीवं रखी जानी चाहिए और जनता को संतुष्ट करने का एक मात्र उपाय है उसका विश्वास प्राप्त करना।[5]

स्वशासन और स्वराज्य :– जहाँ पहले दादाभाई के भाषणों में ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति की गूँज होती थी, वहाँ वर्तमान सदी के आरम्भ होते–होते वे इस निष्कर्ष पर पहुँच चुके थे कि स्वशासन और स्वराज्य का अधिकार प्राप्त किए बिना भारत राष्ट्रीय महानता को प्राप्त नहीं कर सकता। अब दादाभाई के भाषणों में ब्रिटेन के प्रति भक्ति की नहीं बल्कि अपने अधिकारों मांग की गूँज अधिक होती थी। दादाभाई को इस बात से बड़ा क्षोभ हुआ था कि इतनी प्राथनाओं और सांविधानिक याचनाओं के बावजूद ब्रिटिश शासन भारत के प्रति प्रतिक्रियावादी नीति अपनाए हुआ था। अतः उन्होंने भारतीय युवकों को आह्वान किया कि वे भारतीय शासन प्रणाली में तुरन्त सुधार की मांग करे। 18 मार्च 1904 को भारत में कुशासन विषय पर दादाभाई ने एक प्रभावशाली भाषण दिया। इसके बाद ही स्वशासन की मांग की गई। लंदन इंडियन सोसायटी में दादाभाई ने घोषणा की– वर्तमान अपमानजनक, दम्भी और विध्वंसात्मक शासन प्रणाली की सुधारने का एक ही तरीका है– ''ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के अधीन स्वशासन''। दादाभाई निरन्तर यही घोषणा करते रहे कि भारत के दुखों को दूर करने का एकमात्र मार्ग स्वशासन है लेकिन 1906 तक वे और ज्यादा उग्र हो गए। 1906 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष पद से भाषण करते हुए दादाभाई ने स्वराज्य की मांग कर डाली।यह पहला अवसर था जब कांग्रेस अधिवेशन के मंच से स्वराज्य की मांग की गई। दादाभाई नौरोजी के राजनीतिक विचारों का भी समानांतर विकास होता रहा। उनकी ब्रिटिश सरकार की आलोचना में तीक्ष्णता बढ़ती गई और अंत में उन्होंने यह घोषणा कर दी कि अंग्रेजों के ब्रिटिश शासन के अधीन भारत जिन कष्टों से पीड़ित था उन सबका एकमात्र उपचार औपनिवेशिक ढंग का स्वराज्य था।

दादाभाई की राजनीतिक पद्धति

दादाभाई की राजनीतिक पद्धति में शांतिप्रियता, विवेकी, संतुष्टि, संयम और अहिंसा की प्रधानता थी। वे यह कभी नहीं चाहते थे कि कोई आंदोलन हिंसात्मक रूप ग्रहण करे। दादाभाई की पद्धति सांविधानिक थी। सारांश रूप में उनकी राजनीतिक पद्धति की आधारभूत मान्यताएं तीन थीं–

1. अपने कार्यों के न्यायोचित होने में पूर्ण विश्वास।
2. ब्रिटिश शासकों और जनता की न्याय भावना में विश्वास।
3. ब्रिटिश लोगों को यह विश्वास दिलाने का की हमारा कार्य न्यायोचित है, सतत एवं अथक प्रयास।

दादाभाई को अपनी पद्धति के प्रति सदैव निष्ठा बनी रही। वो भारत को स्वतंत्र देखना चाहते थे लेकिन वे इस बात को जानते थे कि अंग्रेजों से लड़कर तत्कालीन परिस्थितियों में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। भारतीयों के लिए यही सही है कि कि सार्वजनिक ढंग से सम्मिलित आवाज में अपनी माँगे ब्रिटिश शासन के सम्मुख रखे और धीरे–धीरे अपने हको को प्राप्त करते जाए। इस नीति पर चलने से ब्रिटिश जनता यह समझ लेगी कि भारत जैसे विशाल और राजनीतिक दृष्टि से जागरूक देश को अब अधिक समय तक अपने अधीन नहीं रखा जा सकता और अब उसकी मित्रता प्राप्त कर लेना ही उनके हित में होगा। वे यह भी जानते थे कि भारत में अभी राजनीतिक और प्रशासकीय जागरूकता की कमी है जिसे भारतीयों को पूरा करना होगा। दादाभाई ने सांविधानिक आंदोलन का जो मार्ग प्रशस्त किया उसका एक उद्देश्य भारतीयों को अपने अधिकारों और अपनी शक्ति के प्रति एक नवीन चेतना जाग्रत करना भी था। दूसरी ओर इसका उददेश्य अंग्रेजों को यह बताना था कि भारतवासियों के अधिकारों की मांग क्या है। दादाभाई का मानना था कि यदि भारतीय आंदोलन नहीं करेंगे तो अंग्रेजों के लिए यह सोचना स्वाभाविक होगा कि भारतीय संतुष्ट है, उनकी कोई राजनीतिक आकांक्षाएं नहीं हैं।[6]

''50 साल से भी अधिक पहले माउण्ट स्टुअर्ट एलफिंस्टन ने कहा था कि भारतीयों पर उन सिद्धांतों द्वारा शासन चलाना अनुचित है, जिनके आधार पर गुलामों और जंगली जातियों पर शासन चलाया जाता है। दुर्भाग्य से अभी तक भारत में वही सिद्धांत अधिक कठोरता से अपनाये जाते हैं, लेकिन अब भारतीय जनता सचेत हो गई है और उसने साफ–साफ जाहिर कर दिया है कि भारत में यह शासन–प्रणाली नहीं चल सकती। अब शासक और प्रजा के बीच दो टूक बात हो गई है। वे आमने–सामने खड़े हैं। शासक कहते हैं कि हम विदेशी हमलावर की तरह ही शासन करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप देश की समस्त संपत्ति बाहर चली जाएगी, लाखों भारतीय अकाल और महामारी के शिकार हो जायेंगे तथा गरीबी और अभाव में तड़प–तड़प कर मरेंगे, परन्तु शासित कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता।''

10 नवम्बर, 1906 को दादाभाई ने गोखले के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में कहा – ''जिन उपनिवेशों को स्वशासन का अधिकार मिल गया है, समृद्ध हो रहे हैं। भारत को स्वशासनाधिकार नहीं मिला है, इसीलिए उसकी दशा दिन–प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन हमारा 52 वर्षों का आन्दोलन असफल नहीं हो गया है। फिर भी मेरे देशवासी मिलकर एक मन और मस्तिष्क से अपने ध्येय के लिए जो कुछ कर रहे हैं, मैं उस पर अधिक निर्भर करता हूँ। यदि भारत की समस्त जनता एक बार कह दे कि हम स्वशासन के लिए दृढ़प्रतिज्ञ हैं और यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है तो उनका यह कहना कभी भी बेकार नहीं जाएगा जा ही नहीं सकता।''

दादाभाई का व्यवहार ब्रिटिश शासन के प्रति उग्र होता गया और तीसरी बार 1906 में कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पूर्व नेविंग्टन रिफार्म क्लब में बोलते हुए उन्होंने कहा – ''यह कहा जाता है कि शासकों ने संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून बनाया है, परन्तु वास्तव में यह कानून इसलिए बनाया गया है कि वे सुरक्षित ढंग से हमारी संपत्ति उठा ले जा सकें। जहां तक जीवन की सुरक्षा का प्रश्न है, वे कहते हैं कि पूर्वी बर्बर लोग हजारों व्यक्तियों को मारते और परेशान करते थे, परन्तु ब्रिटिश सरकार तो अकाल,

महामारी और भुखमरी द्वारा लाखों लोगों को बड़ी सादगी और वैज्ञानिक ढंग से मार रही है। आँग्ल–भारतीय अथवा अंग्रेज उन प्रवीण शल्य–चिकित्सकों की तरह हैं जो अपने तेज औजारों से दिल को काटकर खून की एक–एक बूंद तक निकाल लेते हैं और उसका निशान तक नहीं छोड़ते।''[7]

निष्कर्ष

दादाभाई की राजनीतिक पद्धति नैतिक और सांविधानिक थी तथा अपने सभी राजनीतिक कार्यकलापों में उन्होंने अपरिमित नैतिक उत्साह से काम लिया। कांग्रेस की प्रगति के प्रति वे सदैव जागरूक रहे और देश के राष्ट्रीय आंदोलन को उन्होंने गति दी। वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में नौरोजी की विचारधारा को स्थान दिया गया है क्योंकि उदारवाद की परिणीति भारतीय संविधान में दिखाई देती है।

सन्दर्भ

1. पी. मसानी, दादाभाई नौरोजी : द ग्रेंड ओल्डमेन ऑफ इण्डिया, (लन्दन 1919), पृ. 96
2. स्पीचेज दण्ड राइटिंग्स ऑफ दादाभाई नौरोजी, (नटेसन, मद्रास, 1911), पृ. 671
3. दादाभाई नौरोजी, पावर्टी एण्ड अन–ब्रिटिश रूल इन इण्डिया, (शोर्न सोनेत्सीनख लन्दन, 1901), पृ. 465
4. चुन्नीलाल लल्लू भाई पारिख (अनु.), एसेज, स्पीचेज़ एण्ड राइटिंग्स (आन इण्डियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन) ऑफ दी आनरेबल दादाभाई नौरोजी (केक्सटन, 1887), पृ. 26
5. वही, पृ. 27–28
6. वही, पृ. 44
7. दी इण्डियन नेशनल बिल्डर्स, भाग 2, पृ. 39–46, ''इण्डिया मस्ट बि क्लेड'', 1900

❑❑❑

डॉ. राम मनोहर लोहिया के आर्थिक चिंतन की प्रांसगिकता

*डॉ. ब्रजेश कुमार

भारत के समाजवादी विचारकों में डॉ. राम मनोहर लोहिया का नाम अविस्मरणीय है। वे प्रकांड विचारक, दूरद्रष्टा, व्यावहारिक तथा यथार्थवादी चिंतक थे। उन्होंने न केवल आर्थिक पक्ष पर बल दिया, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं पर भी विचार प्रस्तुत किये। उन्होंने अपनी पुस्तक 'सोशलिस्ट इकॉनमी' में आर्थिक चिंतन पर प्रकाश डाला। उनका मानना था के समतामूलक समाज की स्थापना के लिए समाज से असमानता को खत्म किया जाए। उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था का अंत कर समाज की स्थापना पर जोर दिया। उनके समाजवादी विचारों में आर्थिक चिंतन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। आर्थिक चिंतन का मूल उद्देश्य है उत्पादन के संसाधनों पर राष्ट्र का अधिकार हो तथा संपत्ति को कुछ लोगों तक सीमित नहीं रखा जाय ताकि संपत्ति का समाजीकरण हो, जिससे अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके।

डॉ. लोहिया के आर्थिक विचार इस प्रकार हैं:–

1. वर्ग उन्मूलन– डॉ. लोहिया का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में सभी वर्गों का सर्वागीण विकास हो। सर्वागीण विकास के लिए लोहिया ने अपने आर्थिक विचारों में वर्ग उन्मूलन के विचार को सामने रखा है उन्होंने वर्ग की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहा कि वर्ग या सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों का समूह है जो सामाजिक उत्पादन में एक प्रकार का कार्य करते हैं और उत्पादन क्रम में लगे हुए दूसरे व्यक्तियों के साथ उनका संबंध भी एक ही होता है। यह एक–सा संबंध श्रम के साधनों में भी लागू होता है।[1] जहाँ कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ने आर्थिक के साथ–साथ सामाजिक और बौद्धिक को भी वर्ग की उत्पत्ति का कारण बताया है। लोहिया जिस वर्ग की बात करता है वह वर्ग समाज में आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक रूप से सशक्त होते है तथा यही वर्ग समाज में शोषण करते हैं। जो शोषण करता है वह समाज में अधिक विशेषाधिकार प्राप्त होता है और इस विशेषाधिकार का कारण समाज में जाति, भाषा और संपत्ति है।

वर्ग–उन्मूलन के बारे में लोहिया ने समाज में इन विशेषाधिकारों पर हमला किया तथा कहा कि जाति पर आधारित वर्गों को नष्ट किया जाय निम्न जातियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक ढंग से सशक्त बनाया जाय। लोहिया ने भाषा संबंधी विशेषाधिकार को समाप्त करने का प्रयत्न किया। उन्होंने 'अंग्रेजी हटाओ' अभियान पर सर्वाधिक बल दिया।[3] लोहिया ने भाषा–संबंधी विचार प्रकट करने के बाद आर्थिक विषमता को समाप्त करने पर सर्वाधिक महत्व दिया तथा उसने आय–समता के लिए 1 : 10 का अनुपात निश्चित किया और इसी प्रकार शोषण रहित मूल्य–नीति भी निर्धारित की।[4]

2. आय–नीति

आर्थिक समता को प्राप्त करने के लिए डॉ. लोहिया ने आय नीति को महत्वपूर्ण स्थान दिया। इस नीति के माध्यम से आर्थिक विषमता को दूर किया जा सकता हैं आर्थिक विषमता तभी खत्म किया जाए

* शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, पटना विश्वद्यिालय, पटना

जब देश के नागरिकों के आय में जमीन आसमान का अंतर ना हो। इससे देश में सामाजिक चेतना का विकास होगा। इस चेतना के माध्यम अतिशय दरिद्रता को खत्म किया जाएगा।

डॉ. लोहिया ने आय की आर्थिक विषमता का विश्लेषण करते हुए पाया कि स्थायी एवं अस्थायी कर्मचारियों में वेतन को लेकर विसंगतियाँ है। तथा केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन एवं राज्य के कर्मचारियों के वेतन एवं राज्य के कर्मचारियों के वेतन की अपेक्षा अधिक हैं। वहीं देश के अंदर बड़े–बड़े उदयोगपति है तो दूसरी ओर गरीब और बेकार लोगों की कमी नहीं है। नौकरशाह सरकारी धन ठाठ–बाट और स्वागत–सत्कार एवं आराम पर ज्यादा खर्च करते हैं। आय नीति और उसे प्राप्त करने के लिए डॉ. लोहिया ने उपाय सुझाया है कि आय का अधिकतम एवं न्यूनतम अनुपात ज्यादा न हो। यदि अधिकतम एवं न्यूनतम अनुपात निर्धारित किया जाए तो देश–काल एवं परिस्थिति पर ध्यान देना आवश्यक है। उनका कहना है कि जो देश काल में संभव हो उससे कम का हासिल करने की कोशिश तो अवसरवादिता है और उससे ज्यादा को हासिल करने की कोशिश पागलपन है।[5]

डॉ. लोहिया ने न्यूनतम आमदनी में वृद्धि के लिए कहा कि धनिक वर्ग के खर्च पर सीमा बांधना और अनावश्यक कर्मचारियों की छँटनी करना होगा। उन्होंने आगे कहा है कि करोड़पतियों के कारखानों का राष्ट्रीयकरण करना एवं देश मे निर्मित वस्तुआं को प्रोत्साहन देना आदि माध्यमों से विषमता के अनुपात को कम किया जा सकता है।

3. मूल्य नीति

डॉ. लोहिया का मानना है कि शारीरिक अथवा आर्थिक समानता का अर्थ है कि जिंदगी की जरूरी चीजों के दाम का रिश्ता आमदनी के साथ जुड़ा हुआ हो।[6] आय की विषमता के कारण राजनीतिक चेतना मृत हो जाती है इस मृत चेतना के कारण ही लोगों की आय में अधिकतम एवं न्यूनतम अंतर है। भारत में आय के अधिकतम एवं न्यूनतम अंतर के कारण ही बड़े अधिकारियों को ढेर सारा वेतन तथा दूसरे कर्मचारियो का वेतन निम्न होता है। डॉ. लोहिया का कहना है कि मूल्य नीति का निर्धारण प्रत्येक क्षेत्र में होना चाहिए ताकि शोषणमुक्त मूल्य नीति निर्धारित हो। लोहिया ने मूल्य के अंतर के विषय में कहा है कि दो फसलों के बीच सोलह प्रतिशत से अधिक मंदी न हो। तैयार माल और कच्चे मालों के बीच मूल्यों का अंतर कम होना चाहिए। खेती एवं कारखानों से निकलने वाले उत्पाद के मूल्यों में न्यायसंगत किया जाना चाहिए।

लोहिया का विचार है कि संतुलन खेतिहर दाम में और कारखाने के दाम में भी और वह न सिर्फ राष्ट्रीय पैमाने पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर भी हो। मकान किराए के संबंध में डॉ. लोहिया ने कहा कि औसत आय और मकान किराए के बीच सामंजस्यपूर्ण और संतुलित संबंध रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को दो मकानों से अधिक पर स्वामित्व नहीं होना चाहिए।[8]

उपर्युक्त मूल्य–नीति के बारे में डॉ. लोहिया ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए। देश के विभिन्न समुदायों, संघों और व्यापारिक संगठनों को व्यापक दृष्टि रखना चाहिए। उन्हें मंहगाई भत्ता वगैरह बढ़ाने के बजाय चीजों के दाम को स्थिर करने की कोशिश करना चाहिए।[9] इसके अलावा गांव–गांव एवं मुहल्ले–मुहल्ले में मूल्यों को स्थिर करने के लिए प्रदर्शनो एवं सभाओं के माध्यम से जनमत तैयार करना चाहिए।

4. अन्न सेना एवं भू–सेना

समाजवाद का लक्ष्य है, न्याय, सार्थकता व प्रचुरता। आर्थिक क्षेत्रों में न्याय की सार्थकता प्रचुरता पर निर्भर है। भारत में प्रचुरता कृषि एवं उद्योग पर हमेशा निर्भर रही है। भारतीय कृषि व्यवस्था मानसून आधारित है। यही कारण है कि अच्छे मानसून रहने पर कृषि पैदावार अच्छी होती है। यदि मानसून खराब हो गया तो पैदावार पर असर पड़ता है। कृषि से भारतीय उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति होती है। अतः कृषि में पिछड़ापन होने पर उद्योग भी उत्पादन में पिछड़ जाता है। इस पिछडापन को दूर बिना देश की प्रगति संभव नहीं हो सकती।

डॉ. लोहिया ने भारतीय कृषि के पिछड़ेपन पर न केवल चिंता ही व्यक्त की बल्कि कृषि के पिछड़ेपन से उबरने का उपाय भी बताया। इसके लिए उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत खेती, सामूहिक खेती और उद्योग भी गाँव के लायक बनाये जा सकें। इन तीनों के समावेश से समृद्धि होगी।[10] वे सामूहिक खेती के पक्षधर थे तथा इस खेती में हाथ से कृषि करने वाले लोगों को सम्मिलित करना चाहते थे। उनका मानना है कि सामूहिक खेती प्रबंध में कुछ खराबी भी हो तब भी कृषि में उत्पन्न वस्तुओं का वितरण भी परिश्रम के आधार पर निष्पक्ष ढंग से होना चाहिए।

लोहिया ने भूमि को कृषि–योग्य बनाने के लिए भू–सेना एवं अन्न की योजना बनाई। उनका कहना था कि जैसे बंदूक वाली सेना, वैसे ही हल वाली सेना भी होनी चाहिए।[11] अन्न एवं भू–सेना केवल आर्थिक विकास के लिए ही लाभदायक नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ब्रिटेन ने द्वितीय विश्वयुद्ध के समय इस प्रकार की योजना द्वारा ही आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया था।

5. भूमि का पुनर्वितरण

भूमि के असमान वितरण के कारण राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर असमानता बढ़ी है। डॉ. लोहिया का मानना है कि इस असमानता का खत्म करने के लिए भूमि का पुनर्वितरण जरूरी है। वे कहते है कि बड़े–बड़े सामंत भूमि के बड़े भाग पर अपना अधिकार रखते है तथा वे भूमिहीनों को अपने जमीन पर कार्य करने के लिए भूमि देते है तथा भूमिहीन इस जमीन पर परिश्रम के द्वारा फसल उपजाते हैं। इस उपज का 75 प्रतिशत जमींदार ले लेते है तथा 25 प्रतिशत ही खेतिहर मजदूर को देते है। कभी–कभी खेतिहर मजदूर को उपज का हिस्सा बहुत कम ही मिलता है या नहीं भी मिलता है। उनका मनना था कि बँटाईदार एवं जमीन–मालिक के बीच उपज का उचित वितरण होना चाहिए। डॉ. लोहिया का इस संदर्भ में मत था कि बँटाईदार को संगठित करके मजबूत करना चाहिए। मजबूत करने का अर्थ है कि जब मालिक या सरकार फसल में से गैर–मुनासिब हिस्सा लेने आए, तो अड़ जाये, लेट जाए, मार खाए मै तो यही पसंद करूंगा। लेकिन अगर यह नहीं कर सकते तो डंडा लेकर ही खड़े हो, पर फसल मत जाने दो।[12] डॉ. लोहिया राष्ट्र के अंदर जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के साथ–साथ वे अंतरराष्ट्रीय जमींदारी प्रथा का खत्म करना चाहते थे। उनका विचार था कि किसी राष्ट्र के पास अधिक जमीन है तो किसी के पास कम है। जमीनों का पुनर्वितरण सम्भवतः किसी राज्य विशेष के अंतर्गत व्यक्तियों के बीच संभव हो सकता है, क्योंकि राज्य अपनी सम्प्रभु शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम है।[13] लेकिन भूमि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुनर्वितरण संभव नहीं है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर कार्य करते है।

6. आर्थिक विकेन्द्रीकरण

लोहिया जी आर्थिक विकेन्द्रीकरण को समर्थक थे। विकेन्द्रीकरण का आशय है सरकारर की उच्चस्तरीय संस्थाओं में केंद्रीय शक्ति का निम्नस्तरीय संस्थाओं में वितरण। शक्ति का पृथक्करण, विधायी प्रशासनिक एवं न्यायिक क्षेत्रों में हो। आर्थिक विकेंद्रीकरण के बिना विधायी, प्रशासनिक एवं न्यायिक विकेंद्रीकरण सार्थक नहीं हो सकता। इसलिए लोहिया ने आर्थिक विकेंद्रीकरण को महत्व दिया। आर्थिक विकेंद्रीकरण के लिए छोटे–छोटे उद्योगों का समर्थन किया। छोटी मशीनों पर आधारित उद्योग देश के लिए सामाजिक, सांस्कृति और आर्थिक दृष्टि से भी आवश्यक है।[14]

प्रत्येक देश अपनी परिस्थितियों और साधनों के अनुसार समस्याओं का हल करता है। हमें अपने ही ढंग से अपनी समस्याओं का हल करना चाहिए। डॉ. लोहिया ने छोटी मशीनों के औचित्य को भारतीय आवश्यकता के अनुरूप बताया। इन मशीनों से भारत को बहुत से लाभ होगा जो इस निम्नलिखित हैः

1. निर्धन छोटी मशीनों के माध्यम से कुटीर और लघु उद्योग–धंधे चला सकते है तथा अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।

2. छोटी मशीनों के माध्यम से कार्य करना कृषि जगत में लाभदायक होगा।

3. छोटी मशीनों के माध्यम से व्यक्ति अपने श्रम का उचित प्रतिफल पा सकेगा।

4. निर्धन का शोषण नहीं हो पायेगा।

5. छोटी मशीनों का उपयोग भारत की सामान्य जनता के लिए उपयुक्त है।

6. इस माध्यम से आर्थिक विकेंद्रीकरण सफल होगा तथा सभी वर्गों एवं क्षेत्रों का विकास होगा।

डॉ. लोहिया ने जहाँ छोटी मशीनों का प्रबल समर्थक किया वहीं बड़ी मशीनों का प्रयोग का विरोध नहीं किया, बल्कि जल प्रबंध, बिजली उत्पादन, इस्पात–निर्माण आदि में बड़ें उद्योगों का समर्थन किया।

7. राष्ट्रीयकरण अथवा समाजीकरण

संपत्ति के महत्व को जीवन में हमेशा स्वीकार किया गया। संपत्ति को अच्छाई एवं बुराई दोनो की जड़ कहा गया है। समाजवाद का लक्ष्य है व्यक्तिगत स्वार्थ की समाप्ति। अतः संपत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व की दलील देने वाले विचारक भी संपत्ति का प्रयोग सामाजिक हित में चाहते हैं। संपत्ति पर समाज अथवा राष्ट्र के स्वामित्व का तो सीधा उद्देश्य ही समाज कल्याण है। लोहिया का कहना था कि व्यक्ति या परिवार के पास उतने साधन होने चाहिए जिससे कि परिवार या व्यक्ति हाथ से कार्य कर अच्छा जीवनयापन कर सके। उनका मानना था कि जहाँ खेतिहर मजदूरों के द्वारा कराये जाने वाले कृषि का भी राष्ट्रीय किया जाना चाहिए। श्रम के शोषण पर आधारित समस्त उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति को रहने के लिए दो–चार कमरे वाला घर होना चाहिए। यदि दो–चार कमरे से ज्यादा हो तो उसका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। उन्हीं के शब्दों में किसी कारखाने या खेत में इंसान और उसका कुटुम्ब किसी दूसरे इंसान को मजदूर रखे उसका राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक है। केवल उतनी ही संपत्ति आदमी के पास रहनी चाहिए जो उसके लिए है या जिसकी पैदावार वह खुद अपने कुटुम्ब में इस्तेमाल कर सके।[16]

डॉ. लोहिया का मानना था कि जिन उत्पादन के साधनों को राष्ट्रीयकृत किया जाता है उनके प्रतिफल में शासन द्वारा क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की जाती है। जिस सम्पत्ति को राष्ट्रीयकृत किया जाएगा उसकी कोई क्षतिपूर्ति नहीं की जाएगी। क्षतिपूर्ति के संदर्भ में उनका दो तर्क प्रमुख है। पहला तर्क कि राज्य संप्रभु है। अतः उसे बिना क्षतिपूर्ति किए राष्ट्रीयकरण का अधिकार है। दूसरा जिस व्यक्ति की आजीविका राष्ट्रीयकरण के कारण खत्म हो गई हो उसके लिए विकल्प स्वरूप रोजगार या छोटे–छोटे धन–अनुदान की व्यवस्था हो।

8. खर्च की सीमा नियत करना

आजादी के बाद भारत मे गरीबी, पिछड़ापन, भुखमरी व्याप्त था। इसको दूर करने के लिए लोहिया ने खर्च की सीमा प्रतिपादन किया। उनका मानना है कि यदि हम खर्च को नियंत्रित कर ले तो देश के अंदर व्याप्त गरीबी कम हो जायेगा। इसके लिए उन्होंने विलायत की वस्तुओं पर खर्च को नियंत्रण करना चाहता था।

डॉ. लोहिया ने स्पष्ट कहा है कि प्रति व्यक्ति नहीं, अपितु प्रति कुटुम्ब को 1500 रूपये मासिक से अधिक खर्च न करने दिया जाए। इस खर्च की सीमा में वेतन और सुविधाएँ दोनों सम्मिलित हैं। केवल संतान के भरण–पोषण हेतु एक आदमी को 500 या 1000 रूपये महीना दिया जा सकता है, उससे अधिक नहीं[17] खर्च की सीमा पर स्पष्ट कानून द्वारा, आय–कर द्वारा या किसी अन्य उपाय द्वारा किया जा सकता है। उनका मानना है कि भारत को जितनी चिंता नीचे के नौकरों के बोनस देने में होता है उससे ज्यादा चिंता ऊपरवालों के खर्च एवं सुविधाएँ घटाने की होनी चाहिए।

लोहिया ने खर्च पर सीमा के प्रस्ताव का प्रतिपादन निम्न रूप में किया है।

1. खर्च की सीमा का समर्थन करते हुए लोहिया ने कहा है कि आर्थिक विषमता को फैलाने वाले कारक पर नियंत्रण किया जायेगा।

2. लोहिया का मत है कि अधिकांश कर्मचारी अनावश्यक अनुत्पादन कार्यो में लगे हैं। इन पर होने वाले अनावश्यक खर्च को बंद किया जाए।

3. उन्होंने कहा है कि खर्च पर सीमा के माध्यम से देश को विदेशी सहायता से मुक्ति मिलेगी।

4. लोहिया का मानना है कि तीन आने प्रतिपदिन पर जीवन यापन करने वालों के साथ न्याय होगा जब खर्च पर सीमा निर्धारित होगी।

5. लोहिया का विचार है कि खेती में पैदावार बढ़ाया जा सकता है। यदि खर्च की सीमा होगी।

प्रासंगिकता

डॉ. लोहिया भविष्यद्रष्टा विचारक थे। उनके आर्थिक विचार आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने समाज में विद्यमान विशेषाधिकार वर्ग का विरोध किया। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों, जैसे–दलित, पिछड़ों, अछूतों एवं महिलाओं के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। वे समाज में भूमि के पुनर्वितरण की वकालत करते थे और आर्थिक विकेंद्रीकरण पर जोर देते थे। उनका मानना था कि समाज में आर्थिक समानता के माध्यम से ही गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, पिछड़ापन तथा कुपोषण दूर किया जा सकता है। इन्हीं संघर्षों के प्रतिफल है कि आज सरकार मनरेगा, खाद्य सुरक्षा योजना, इन्द्रधनुष कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा आदि योजनाओं को चला रही हैं।

लोहिया जी आय–नीति का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी देश के अंदर अमीर–गरीब की खाई मौजूद है। आर्थिक विषमता को कम कर इस अंतर को दूर किया जा सकता है। मूल्य नीति के बारे में कहना चाहते थे कि सभी क्षेत्रों में एक समान मूल्य नीति हो। आज भी किसान का उत्पादन एवं कारखाने से निकलने वाले उत्पादन में अधिक अंतर है इन दोनों के बीच में एक राष्ट्रीय मूल्य नीति की आवश्यकता है।

डॉ. लोहिया ने अनाज की उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्न सेना एवं भू–सेना का विचार दिया। देश में खाद्धान संकट की स्थिति आती है जो इन विचारों पर विचार–विमर्श होने लगता है। उनका मानना था कि भूमि का पुनर्वितरण हो, क्योकि भूमि का वितरण करके ही समाज में सामाजिक। आर्थिक समानता लायी जा सकती है।

भारत के विशाल जनसंख्या के कारण डॉ. लोहिया ने वृहद उद्योग लगाने के बदले छोटी–छोटी मशीन लगाने की वकालत की। कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे रोजगार का सृजन हो सके। वे सम्पत्ति का राष्ट्रीकरण अथवा समाजीकरण के पक्ष में थे। सम्पत्ति का राष्ट्रीकरण से सीधा उद्देश्य ही समाज कल्याण। राष्ट्रीकरण को लेकर विद्वानों के बीच तर्क–वितर्क होने लगता है। उनका मानना था कि खर्च की सीमा होनी चाहिए। आज भी अधिकांश कर्मचारियों का वेतन अधिक है तथा अनावश्यक खर्च ज्यादा है। इस अनावश्यक खर्च को रोककर इसे गरीबी दूर करने में उपाय किया जाना चाहिए। समाज में बढ़ रही आय विषमता को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

इस तरह लोहिया जी आर्थिक विचारों के माध्यम से देश में देश में होने वाली समस्याओं का निराकरण करते है। इनके वर्ग उन्मूलन समाज में जातिवाद और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का विरोध करते है। आय–नीति एवं मूल्य नीति के द्वारा आय विषमता को कम करने की बात करता है। अन्न सेना, भू–सेना तथा भूमि का पुनर्वितरण से खाद्यान्न संकट एवं सम्पत्ति का समान वितरण करना है। आर्थिक विकेंद्रीकरण, राष्ट्रीकरण अथवा समाजीकरण खर्च की सीमा का महत्व है। बेरोजगारी खत्म करना और समाज में सामाजिक एवं आर्थिक समानता लाना। आज लोहिया के आर्थिक विचार को एक अवसर देने की जरूरत है, वरना वंचित वर्गों का सफल नागरिक के रूप में राष्ट्र निर्माण में योगदान असंभव बना रहेगा।

संदर्भ

1. दीक्षित ताराचंद, डॉ. राममनोहर लोहिया का समाजवादी दर्शन, लोकभारती पेपरबेक्स, इलाहाबाद पृष्ठ – 80
2. डॉ. लोहिया जाति प्रथा, नवहिन्द प्रकाशन, हैदराबाद, 1946, पृष्ठ – 46
3. दीक्षित ताराकांत पृष्ठ – 84
4. दीक्षित ताराकांत पृष्ठ – 85
5. डॉ. लोहियाः समाजवाद की अर्थनीति, नव हिंद प्रकाशन, हैदराबाद, 1968, पृष्ठ–4
6. डॉ. लोहिया क्रांति के लिए संगठन, नव हिंद प्रकाशन, हैदराबाद, 1963 पृष्ठ – 185
7. लोहिया डॉ. राम मनोहर समाजवाद की अर्थनीति, नवहिन्द प्रकाशन, हैदराबाद, 1968, पृष्ठ–21
8. डॉ. लोहियाः समाजवाद की अर्थनीति, पृष्ठ–21
9. डॉ. लोहियाः भाषा, बम्बई जनवरी 16 सन्, 1964 ई.
10. डॉ. लोहियाः अन्न समस्या, नव हिंद प्रकाशन, हैदराबाद, 1963 पृष्ठ – 210
11. दीक्षित ताराचंद, पृष्ठ – 99
12. केलकर– इंदूमति, लोहिया सिद्धांत और कर्म, नव हिंद प्रकाशन 1967, पृष्ठ – 196
13. दीक्षित ताराचंद पृष्ठ – 103
14. डॉ. लोहिया, भारत में समाजवाद, राम मनोहर लोहिया समता विद्यालय न्यास, हैदराबाद, 1968, पृष्ठ–22
15. दीक्षित ताराचंद, पृष्ठ – 107

❑❑❑

भारतीय राजनीतिक चिंतकों की दृष्टिः संघर्ष निवारण में नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिकता का महत्व

***डॉ. पुष्पलता कुमारी**

एक अवधारणा के रूप में संघर्ष–निवारण संघर्ष की प्रकृति और इसके स्रोतों में सैद्धांतिक अंतर्दृष्टि का विकास करता है एवं शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष को सुलझाने और स्थायी समाधान को प्रभावी बनाने जैसे मुद्दों पर विचार करता है। इस अवधारणा का मुख्य आधार यह है कि संघर्ष मानव जीवन का अभिन्न अंग है और ये मनुष्य की स्वाभाविक आक्रामकता से उत्पन्न होता है। अतः एक शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध दल के सदस्यों को तत्परता के साथ विवादित या संघर्षकारक विचारों के बारे में दूसरे दल को सूचित करना एवं संघर्ष का समाधान करना है। इसके लिए उन्हें वार्ता हेतु आगे आना चाहिए और दूसरों को भी बातचीत के लिए प्रेरित करना चाहिए। सही देख–रेख, जीवन का अभिन्न अंग है ओर ये मनुष्य की स्वाभाविक आक्रामकता से उत्पन्न होता है। अतः एक शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध दल के सदस्यों को तत्परता के साथ विवादित या संघर्षकारक विचारों के बारे में दूसरे दल को सूचित करना एवं संघर्ष का समाधान करना है। इसके लिए उन्हें वार्ता हेतु आगे आना चाहिए और दूसरों को भी बातचीत के लिए प्रेरित करना चाहिए। सही देख–रेख, जरूरतों की वास्तविक पहचान, बातचीत के लिए सुरक्षित जगह की तलाश और संघर्षरत की समस्या को ध्यान से सुनना, संघर्ष–निवारण का मुख्य तरीका है। समस्या को सही ढंग से रखना, समस्या–समाधान की सही तकनीक अपनाना, विनम्रता, शांति और सम्मानजनक रवैया का आधार ग्रहण करते हुए ऐसी शर्तों की तालाश भी करनी चाहिए जो वास्तव मे काम करे। संक्षिप्तः संघर्ष–निवारण के लिए कुछ प्रभावी तकनीकों को निम्नांकित चरणों में प्रस्तुत किया जा सकता है; **पहला** संघर्षकारक सूत्रों को समझने के लिए व्यक्तिगत जरूरतों और देखरेख के लिए सकारात्मक माहौल बनाना और यह सब तभी संभव हो सकता है जब हम मानसिक संतुलन की अवस्था बनाए रखें। **दूसरा**, बातचीत के दौरान वह व्यक्ति कुछ वांछित परिणामों की पहचान करने की कोशिश करे। इसके पश्चात् वार्ता के लिए एक सुरक्षित और निजी जगह की तलाश करना और एक सही समय तय करना जिस पर सभी दलों की रजामंदी हो। अगला कदम किसी एक के पक्ष को ध्याान से सुनना होता है। इस संदर्भ में सफल समाधान के लिए प्रत्येक को अपने श्रवण–कौशल का उपयोग करना आवश्यक है। इस दौरान अपना पक्ष अत्यंत साफगोई और आत्मविश्वास के साथ रखना चाहिए। संघर्ष–निवारण प्रक्रिया से प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है, इसके लिए विशेष जानकारी का उपयोग करना निपुणता है। किसी भी समझौता वार्ता के दौरान सदस्यों को हठधर्मिता से बचना चाहिए। दिमागी खुलापन और उदारता से समझौता वार्ता की सफलता के रास्ते तैयार किए जा सकते हैं। यह अत्यंत आवश्यक है कि मुद्दों कों समझा जाय और ऐसा समाधान निकाला जाय, जो उचित और न्यायसंगत हो। वस्तुतः यह प्रक्रिया संप्रेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान और पारस्परिक–विचार–विमर्श के सिद्धांत पर आधारित है।

* एसोसिएट प्रोफेसर,, राजनीति विज्ञान विभाग, मगध महिला महाविद्यालय, पटना (बिहार)

उपरोक्त संकल्पों के आधार पर यह इस प्रपत्र में संघर्ष–निवारण के लिए नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिकता की भूमिका तथा इसकी प्रासंगिकता को समझने का प्रयास किया गया। आज दुनिया हिंसा और अशांत वातावरण के भीतर गतिमान है। गत्यात्मक और अशांत वातावरण में नैतिक शिक्षा का विशिष्ट महत्व है। एक अस्थिर, प्रतिस्पर्धी संसार में जीवित रहने तथा स्थायित्व प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों को परस्पर संबंद्ध होने की भी आवश्यकता है। पूर्ण रूचि के साथ औरों के लिए प्रतिबद्ध होकर नैतिक शिक्षा एवं आध्यात्मिकता पर जोर देना वर्तमान समय की प्राथमिक आवश्कता है। वर्तमान संदर्भ में समग्र और नैतिक शिक्षा ही एक पूर्ण व्यक्तित्व की रक्षा कर सकती है। ऐसा करके ही हम शिक्षार्थियों की भौतिक, भावनात्मक, मानसिक, सौंदर्य, नैतिक और आध्यात्मिक व्यक्तित्व के वांछित विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं।

नैतिक शिक्षा के अंतर्गत ऐसे शिक्षण की बात की जाती है जिसके तहत शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को सिखाते हुए अनुभव में होते चले जाते हैं और चरित्र–निर्माण से संबंधित बातों के प्रति सदैव सावधान रहते हैं। मानव सक्रियता के प्रत्येक क्षेत्र अपनी स्वतंत्र मूल्य–प्रणालियाँ विकसित की हैं। शिक्षा ने भी समयांतर मे अपने स्वतंत्र मूल्य–प्रणालियों का विकास किया है। नैतिक शिक्षा को एक प्रभावशाली उपकरण बनाने के उद्देश्य से शिक्षा को और भी खुला, विचारों के प्रति उदार के अलावा शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों एवं समाज में शिक्षा के सभी निर्णायक पहलुओं की महत्तर भागीदारी के साथ अपेक्षाकृत अधिक मुखर होने की आवश्यकता है।

मूल्यानुगामी और मूल्यों के अंतर्निवेशन के आसन्न रहने वाली शिक्षा ही नैतिक शिक्षा है। अंतोनियों क्रेक्सी ने ठीक ही कहा है कि "मानव मूल्य अत्यंत प्राचीन काल से हमारे हृदय की गहराई में संचित अनमोल कोष हैं।" वह और कुछ नहीं, हमारे अंतःप्रकाश के बहुरंगी प्रक्षेपण है। (अंतोनियों क्रेक्स, ह्यूमन वैल्यूजः ए वोयेज फ्रॉम आई टू वी)। 'वैल्यूज' शब्द का प्रयोग आदरसूचक क्रियापद के रूप में होता था और संज्ञा के रूप में इस शब्द का प्रयोग किसी वस्तु के मात्रा–निर्धारण माप आदि के अर्थ में किया जाता था; यथा, रूपए, खाद्य पदार्थ या मजूदरी आदि की माप अथवा मूल्य का प्रत्यांकन। नीत्से ने इस शब्द के बहुवचन रूप का प्रयोग व्यक्तिगत व आत्मपरक नैतिक मान्यताओं एवं मनोभावों को व्यक्त करने के अर्थ में किया। वर्तमान लोकतांत्रिक समाज में मूल्य की यह अवधारणा बदल गई है। लगभग एक सदी से इस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होने लग है समाज–विकास की प्रक्रिया में ऐसे परिवर्तन स्वाभाविक हैं। शब्दों के अर्थ में और जीवन मूल्य में परिवर्तन समाज–विकास की प्रक्रिया के अनुकूल ही होते हैं। वर्तमान युग को ही देखें; जैसे–जैसे हमारी सभ्यता का विकास होता जा रहा है, वैसे–वैसे शिक्षा भौतिकता के दायरे में सिमटती जा रही है और पुराने मूल्य धीरे–धीरे विलुप्त होते जा रहे है। ऐसी परिस्थिति में समाज के क्षरण को रोकने के लिए तथा मनुष्यता की रक्षा के लिए पूरी शिक्षा–व्यवस्था की बुनियाद में परिवर्तन कर ऐसी शिक्षण–प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता है जिसमें नैतिक मूल्यों का समावेश हो।

अंग्रेजी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, वैल्यू का अर्थ 'मूल्य' और 'वैल्यूलेस' का अर्थ 'बेकार या रद्दी' है। मूल्य की अवधारणा को ऐसे कारकों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो बौद्धिक रूप से मानव–व्यवहार को ऐसे प्रभावित करते हैं, अवचेतन मन में स्थापित रहते हैं और किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अनुभूत व सबके लिए बोधगम्य होते हैं।

नैतिक शिक्षाः

नैतिक शिक्षा बीमार मन की एक ऐसी औषधि है जिसमें उसे ऊर्जावान, ताजा, निर्दोष, प्राकृतिक और सचेत अवस्था में रूपांतरित करने की पर्याप्त क्षमता है। रूपांतरित मन में संवेदनशीलता और बोधग्राह्यता का उच्च स्तर होता है जो मनुष्य और उसके जीवन में विकासवादी भूमिका की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

शिक्षा का अर्थ केवल ज्ञान और सूचना प्रदान करना नहीं है, अपितु उसका उपयोग मनुष्य के चरित्र–निर्माण के लिए अपेक्षाकृत अधिक है। मूल्यों और आदर्शों का संग्रह रखते हुए शिक्षार्थियों को

आत्मविकास के लिए निश्चित रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए ताकि वे मूल्य उनके चरित्र–विकास एक संकट की स्थिति में हैं। ध्यातव्य है के बड़े पैमाने पर चरित्र–निर्माण बाल्यावस्था तथा युवाकाल में होता है, अतः शिक्षण संस्थानों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे ऐसी शिक्षा मुहैया कराए जो चरित्र–निर्माण में सहायक हो। समकालीन विश्व व्यापक रूप में आपसी संपर्क और एकता की मांग कर रही है। अतः सहयोग की भावना, पारस्परिकता एवं सद्भाव जैसे मूल्यों को विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है और इसे शिक्षा के द्वारा ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इन दिनों मनुष्य और प्रकृति के आपसी सामंजस्य पर चर्चा होने लगी है, विचार–विमर्श भी हो रहा है। पर्यावरण की सुरक्षा विश्व के लिए विकट समस्या बनती जा रही है। दूसरी तरफ युवाओं के बीच परेशान करने वाले विचित्र व्यवहार की प्रवृत्तियाँ विकसित हो रही हैं। ये प्रवृत्तियाँ भी ऐसी शिक्षा की मांग कर रही हैं जो युवाओं के बीच अनुशासन, सम्मान, आत्म–नियंत्रण और शांति के मूल्य को प्रोत्साहित करे। इस संदर्भ में भारतीय संविधान अपने निर्माणकाल से ही सजग है। उसकी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। निश्चित मौलिक कर्त्तव्यों, जैसे कि अहिंसा, देशभक्ति जैसे महान आदर्शों का आत्मसातीकरण, आपसी सामंजस्य और सामान्य भाई–चारे को प्रोत्साहन, वैज्ञानिक चेतना और जिज्ञासा–भाव का विकास, मनुष्यता और बेहतरी के लिए संघर्ष को व्यक्तिगत व सामूहिक प्रयास के सभी क्षेत्रों में सराहनीय माना गया है। उत्कृष्टता के आग्रह ने सभी स्तरों पर नैतिक शिक्षा की आवश्यकता को प्रमाणित किया है। मानव जीवन की जटिलताएँ निरंतर बढ़ती जा रही हैं, उन जटिलताओं से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए किसी भी शख़्स को अपेक्षित प्रवीणता की आवश्यकता है जिसे केवल नैतिक विकास के साथ ही सुगम बनाया जा सकता है। नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिकता के अभ्यास से मानव–स्वभाव में एक क्रांतिकारी परिवर्तन को आमंत्रण मिलता है। यही आमंत्रण मानव–चरित्र के विकास का प्रस्थान बिंदु है। जैसा कि विवेकानंद ने भी कहा था कि वास्तविक शिक्षा वही है जो मनुष्य का निर्माण करती है; अर्थात् नैतिक शिक्षा पेड़ के उस तने की तरह है, जिससे विविध प्रकार की शिक्षा–शाखाएँ निःसृत होती है।

आध्यात्मिकता

आध्यात्मिकता, तात्विक रूप से जीने की कला का नाम है। यह पूजा या किसी धार्मिक अनुष्ठान की व्यवस्था नहीं है, बल्कि स्वयं और अन्यों के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण है जो जीवन को संघर्षमय बनाने की अपेक्षा आनन्दमय बनाता है। सच्ची आध्यात्मिकता का संबंध जागरण एवं आचरण से है। आध्यात्मिकता और सक्रियता का एक पारस्परिक रिश्ता है। आध्यात्मिकता सक्रियता को अर्थ प्रदान करती है जबकि सक्रियता उसे उद्देश्यपूर्ण बनाती है। इस प्रकार दोनों के संयोग से जीवन सार्थक उद्देश्य की ओर अग्रसर होता है।

हमारा आध्यात्मिक ज्ञान हममें आत्म–सम्मान और सकारात्मकता का संचार करता है, जिससे हमें सकारत्मक जीवनदृष्टि प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त होती है। यह विषम परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए हममें आंतरिक शक्ति का संचार करता है। प्रथमतः यह मानसिक उत्तेजना को शांत करता है, शंति के वातावरण का निर्माण करता है और परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझने की क्षमता प्रदान करता है।

आध्यात्मिक रोशनी मनुष्य के जीवन को प्रतिदिन एक नया आयाम देती है और उसके क्रियाकलाप एवं कार्यों में स्पष्ट रूप से प्रतिभासित होती है। इससे लोगों के कर्म और विचार में सहजता का आगमन होता है, मन धुंधरहित, संघर्षरहित अवस्था प्राप्त कर अपेक्षाकृत अधिक क्षमतावान, प्रभावशाली और रचनात्मक हो जाता है। इस स्थिति में किसी व्यक्ति की पूर्ण दृष्टि कभी विखंडित नहीं होती, वह अपनी योग्यता का पूर्ण उपयोग कर पाता है और विपत्ति के किसी भी क्षण शक्तिशाली बना रहता है। इतना ही नहीं, वह अपनी शारीरिक व मानसिक ऊर्जा का सटीक और सही मात्रा में उपयोग करते हुए जागरूक बना रहकर अपने व्यक्तित्व की विशेषता को कभी खंडित नहीं होने देता।

आध्यात्मिकता की पहली शर्त है किसी के बारे में सही दिशा में सोचना। इसके लिए आवश्यक है कि हम उसकी सकारात्मकता और नकारात्मकता को सही परिप्रेक्ष्य में समझें तथा उसके प्रति आभार प्रकट करें। आभारोक्ति से सकारात्मक परिवर्तन के लिए वातावरण निर्मित होता है। अतः ईमानदार आभारोक्ति से, बगैर भयभीत हुए और बिना कोई ढोंग किए हम बड़ी सहजता से परिवर्तनकारी साहस को प्राप्त कर सकते हैं। जिन अभिवृत्तियों, भावनाओं और उद्देश्यों को हम सकारात्मक दिशा देना चाहते हैं, उसकी गहरी समझ आवश्यक है। यह समझ ही बेहतर और सफल चाहिए। मौलिक सकारात्मकता का आशय किसी व्यक्ति के निजत्व की प्रकृति अथवा स्वभाव से है। प्रायः लोग इसकी उपेक्षा या अनदेखी कर दिया करते हैं; जबकि मनुष्य के रूप में यही हमारी गरिमा या मर्यादा का आधार है। जीवन में इसकी अभिव्यक्ति दिव्यता प्रदान करती है। ऐसी दिव्यता, जिसके स्पर्श से सच्ची मनुष्यता फलीभूत होती है।

रोजमर्रा की जिंदगी को आध्यात्मिकता से जोड़ने का अर्थ है, अपने जीवन के चार विशिष्ट क्षेत्रों–आत्म–कल्याण, व्यक्तित्व की प्रभावशीलता, नेतृत्वक्षमता और व्यावसायिक व्यक्तित्व– को सीधे और सकारात्मक रूप से प्रभावित करना। ये चारों क्षेत्र हमारे जीवन में सीधा हस्तक्षेप करते हैं और उसे पुष्ट करते हैं। हमारे समाज में एक अत्यंत विरोधाभासी, किंतु लोकप्रिय धारणा प्रचलित है कि आध्यात्मिकता की सत्ता किसी न किसी प्रकार जीवन से पृथक है। इस धारणा के विपरीत उक्त चारों पक्ष इस बात के प्रमाण हैं कि आध्यात्मिकता एवं जीवन के क्रियाकलाप पारस्परिक रूप से जुड़े हुए हैं और उनका पृथक् अस्तित्व जीवन के कल्याणकारी अस्तित्व को परिभाषित नहीं कर सकता। एक सार्थक और प्रभादीप्त जीवन की कल्पना आध्यात्मिकता के बगैर संभव नहीं है।

नैतिकता की शिक्षाः

नैतिक शिक्षा में विकास की प्रक्रिया को गतिशील बनाने, पूर्वग्रह को खंडित करने और भावी विकसित शैक्षणिक व्यवस्था को स्थापित करने की अद्भुत क्षमता है। देखा जाए तो शिक्षा अनिवार्य रूप से मूल्यों के अंतर्निवेशन की एक प्रक्रियाा है जो शिक्षार्थियों के क्षमता–विकास और एक ऐसे जीवन में अग्रसर होने के लिए जरूरी है जो वांछित मूल्यों एवं सामजिकता आदर्शों के अनुरूप किसी व्यक्ति को तुष्ट करती है।

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986' में आधारभूत मूल्यों के क्षरण और समाज में बढ़ रहे मानव–द्वेष पर चिंता व्यक्त की गई हैं। इसमें शिक्षा को सामाजिक निर्माण और नैतिक मूल्यों की स्थापना हेतु एक मजबूत उपकरण में तब्दील करने की वकालत की गई है। वस्तुतः हमें एक ऐसी शिक्षा की जरूरत है जो सार्वभौमिक एवं शाश्वत मूल्यों के साथ–साथ जनता को संगठित व एकताबद्ध करने की क्षमता रखती हो। इस पतन के विरूद्ध उक्त नीति का सुझाव है कि विद्यालय इस समस्याा के समाधान के लिए पाठ्यक्रम में एकता व जन–समन्वयन को बढ़ावा देने हेतु सार्वभौमिक व शाश्वत मूल्यों को शमिल कर सकते हैं, इससे उनके भीतर एक सुरक्षित निधि को महसूस करने की क्षमता का विकास होगा। इसमें आगे कहा गया है कि बच्चों को अपनी गरिमा महसूस करने योग्य बनाने, सीखने का आत्मविश्वास जगाने, उनके स्वाभिमान व नैतिकता का विकास, रचनात्मकता को विकसित करने, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने, जीवन जीने के तरीके के रूप में लोकतंत्र को पोषित करने के लिए अपेक्षाकृत एक ही बेहतर विकल्प है और वह है शासन विधि को मूल्यों से संबलित करना अतः संविधानिक ढांचे में इस महत्व को स्थान देना एक उचित कदम होगा। आगे कहा गया है कि विचारों एवं क्रियाकलापों की स्वतंत्रता, मूल्यों पर आधारित निर्णय लेने की क्षमता, दूसरों की भलाई और भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता को तार्किक प्रतिबद्धता के आधार पर मूल्यों को आकार देना चाहिए। नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिकता औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों में मनुष्य को निम्नांकित स्तर पर प्रेरित करती हैं–

1. आत्म–नैतिकता के प्रतीकों का विकास करने और दूसरों से जुड़ाव रखने के लिए।

2. प्राप्त अनुभवों पर विचार करने और उनमें प्रतिमान अथवा अर्थ की तलाश के लिए।

3. स्वाभिमानी होने के साथ–साथ ईमानदारी, सच्चाई एवं न्यायप्रियता जैसे स्थापित मूल्यों के प्रति सम्मान का भाव रखने के लिए।

निष्कर्ष:

समकालीन समाज अनेक जटिलताओं को निरंतर अंजाम दे रहा है। ऐसे में मनुष्य का शांत रहना मुश्किल है। परिणामतः आज का मनुष्य अपना मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य खोता जा रहा है। इसका सबसे दुखद परिणाम समाज में असहिष्णुता का निरंतर बढ़ते जाना है। नकारात्मकता इतनी तेजी से बढ़ रही है कि जहाँ कोई समस्या नहीं है, वहाँ भी हमें बड़ी समस्या दिखाई पड़ने लगती है। हमारे आसपास एक डर का माहौल बनता जा रहा है और हम इसी डरावनी दुनिया को अपने जीवन की नियति मानने लगे हैं। इस नियति के एहसास से भरा मनुष्य कुछ भी करने को तैयार है। हत्या, बलात्कार, धोखा, भ्रष्ट्राचार इत्यादि सब कुछ। वस्तुतः समार्ट कही जाने वाली दुनिया के लोगों का यही मूल्य बनता जा रहा है। ये मूल्य केवल संघर्ष और अशांति को जन्म दे सकते हैं। जीवन को आनंद से नहीं भर सकते। जबकि गहराई से देखा जाय तो ऐसे मूल्यों को आत्मसात् करने का कोई कारण नही दिखाई पड़तां जहाँ डर का वातावरण सृजित होगा, वहा हाहाकार स्वतः उत्पन्न होगा ही और डर का सृजन पूंजीवाद के वजूद का आधार है। मुनाफाखोरी को ऐसे वातावरण से बहुत फायदा पहुँचता है। उधर समाज में संघर्ष का बोलबाला होता है, उधर लूटतंत्र अपने चरम पर पहुँचता है। अतः ऐसे वातावरण से निपटने के लिए हमें सकारात्मक होने की जरूरत है। सकारात्मकता सर्जनात्मक शक्तियों का मूल है। यह डर का नाश करने वाली है, मनुष्य के जीवन को आनंद, शांति, खुशी से जोड़ने वाली है और अंततः उसे ऐसा व्यक्तित्व प्रदान करने वाली है जिससे नैतिकता और आध्यात्मिकता का प्रकाश प्रस्फुटित होता है। नैतिकता और आध्यात्मिकता से संबलित व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वह मानसिक और आध्यत्मिकता से संबलित व्यक्तित्व पर्यावरण से शक्ति पाता है। वह प्रकृति को पंसद नही करता, प्यार करता है; और इसलिए उसे वह नष्ट नहीं करता, बल्कि पोषित करता है। नैतिकता और अध्यात्मिकता के इसी गुण के कारण भारतीय चिंतकों ने इसे समाज और राष्ट्र सेवा के लिए उपयुक्त माना है उन्होंने अनेक तर्क देकर शिक्षा में, राजनीति में व्यवसाय में मानव के नैतिक मूल्यों की वकालत की है और इस बात का संकेत दिया है कि यदि हम समाज में असमानता और स्तरीकरण जैसी समस्याओं से निपटना चाहते है तो निश्चित रूप से हमें नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाना होगा।

अस्तु, उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि संघर्ष–निवारण में नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिकता की सक्रिय भूमिका है। इसका मुख्य उद्देश्य यथोचित मूल्यों व संस्थाओं के आधार पर सहकारी, सामंजस्यपूर्ण और यथाशक्य संघर्षमुक्त समाज का निर्माण करना है। बर्टन के निवारण (प्रिवेंशन) की अवधारणा इसे पुष्ट करती हुई–सी प्रतीत होती है। बर्टन की मान्यता है कि संघर्ष, जो पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता, इसलिए जो संघर्ष उत्पन हो रहे हैं, उनके समाधान के लिए नैतिक मूल्य और आध्यात्मिकता एक समग्र दृष्टि प्रदान करते हैं। इस दृष्टिकोण की वास्तविकता बर्टन के निम्नांकित अवलोकनों पर आधरित हैं। बर्टन जोर देकर कहते है कि "समस्या के समाधान में 'कनफ्लिक्ट रिजोल्युशन' एक कार्यात्मक प्रणाली है जो समाज के सदस्यों को सौहाद्रपूर्ण संवाद के लिए निरंतर व स्थायी रूप से अवसर देती है जो सर्वथा उचित है।"

References :

- Babbit Eileen & hampson Osler Fen, (2011, 13) Conflict Resolution as a field of inquiry; practice informing theory, International Studies Review.
- Bajpai, Amita (1991) Fifth survey of Educational Research, 1988-92, M.B.
- Buch, Volume, 2, NCERT, Sri Aurobindo Marg, New Delhi .
- Bush, M (2006) Forward. Teachers College Record, 108.
- Burton, J. W. , March - 1993, On the need of conflict prevention, Occasional paper No. 1 institute for conflict analysis & Resolution, George mason University, Fairfax, USA.
- Burton, J.W. August - 1993, Conflict resolution as a political system, Working Paper No - 1, institute for conflict analysis & Resolution, George mason University, Fairfax, USA
- Duer, M (2004) A Poweful silence ; Th role of mediation : A review and recommendation, Alternative and Complementary Therapies, 13 (1).
- Goleman, D 91988) Essential Spirituality : The seven central practices, wolety & sons, Newyork.
- Gupta R.C., (2008) Indian Political Throught, Laxmi Narayan Agarwal Publication, Agra.
- Mishra B. K and Mohanty R. K (2005) Trends & Issues in Indian Education, Surya Publication Meerut.
- Mohit Chakarabarti (1997) Value Eduaction : Changing Perspective, Kanishka Publisher, New
- Ndumbe III Kum'a. THe spiritial dimension of conflict prevention and conflict resolution mechanisms in African Countries, Institute for Educationn Reseacher, 23.02.2001
- Prem Singh, G.J. (2004) 'Towards Value Based Education', University News. Vol. 42 (45)
- Purkait B.R. (1996) Principles and Practices of Education, New Central Book Agency (p) Ltd London.
- Ray, Sibnaryan,.ed., (1970) Gandhi, india and the world, Nachiketa Publications Limited, Bombay.
- RIMSE (1999) Value Education : An ouline. Mysore.
- Stephenson, J. et al., (1998) 'Value Education', Routledge, London.
- Yogananda, Paramahansa, (1975) 'Autobiography of a Yogi', Jaico Publishing, Mumbai.
- Brahma Kumari magzines : Purity, World Renewal, Mount Aabu, Rajasthan.

❑❑❑

वैदेशिक मामले और पं. दीनदयाल उपाध्याय

***डॉ. मनीष कुमार तिवारी**

इतिहास मात्र घटनाओं और तिथियो का क्रमवार, दर्पण नही होता, बल्कि यह उन महापुरूषों के सुविचारित चरित्र से निर्मित होता है, जो उस कालखंड के नायक हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय राजनीति के ऐसे ही नायक थे। 1960 और 1970 के दशक को अगर किसी राजनीतिक मनीषी ने समग्रतापूर्वक भारतीय दृष्टि से विचार किया है तो पं. दीनदयाल उनमें अग्रणी है। उन दशकों में उन्होंने न सिर्फ 'एकात्ममानवाद' से लेकर भारत वर्ष की तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों पर गंभीरता पूर्वक विचार अभिव्यक्त किए है, बल्कि उनसे निपटने के यथार्थवादी समाधान भी सुझाये हैं। अगर 1960 और 70 के दशक के भारतीय राजनीति पर विचार किया जाए तो देश चीन के आक्रमण की त्रासदी और तत्कालीन अकुशल नेतृव्व की अनुभूति कर रहा था। यह वह काल था जब 1965 में पाकिस्तान ने देश पर एक और युद्ध थोप दिया।

प्रस्तुत लेख में उस काल के वैदेशिक नीति को संचालित करने वाले तत्वों के साथ–साथ प्रतिरक्षा एवं विदेशी नीति, भारत–अमेरिका संबंध, भारत–चीन संबंध, भारत–पाक संबंध और कश्मीर भारत की सुरक्षा और भारत की तिब्बत एवं नेपाल से संबंधों पर क्रमशः प्रकाश डाला गया है। उस कालखंड में पं. दीन दयाल उपाध्याय के भारतीय विदेश नीति पर विचारों का विश्लेषण किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ने अपने विदेश नीति के तत्वों पर मंतव्य रखते हुए कहा कि किसी भी देश की पररराष्ट्रनीति राष्ट्र के प्रकट हितों की सिद्धि के एकमेव उद्देश्य से तैयार की जानी चाहिए। उसे यथार्थवादी होना चाहिए और उसे विश्व की पार्थिव प्रकृति को ध्यान में रखना चाहिए।[1]

15 फरवरी 1965 आर्गनाइजर में अपने के लेख में दीनदयाल उपाध्याय ने अपने सुझाव देते हुए लिखा कि हमें, अतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर 'अडियल रूख' नहीं अपनानी चाहिए। "राष्ट्रीय हितों के संरक्षण के लिए एक सुविचारित नीति" हमारी विदेश नीति का मूल आधार होनी चाहिए।[2]

उन्होंने सरकार और विदेश नीति के निर्धारकों को आगाह करते हुए विचार अभिव्यक्त किया कि 'भले ही हम सभी देशों से मित्रता एवं सद्भावना चाहते हो, पर मूलरूप से भारत की विदेशी नीति परस्पर आदान–प्रदान के रूप से संचालित होनी चाहिए।[3]

विदेश नीति पर यथार्थवादी विचार प्रकट करते हुए दीनदयाल ने मत रखा कि शक्ति और शौर्य के बिना शांति की लालसा हमसे शत्रुता रखनेवाली ताकतो का हौसला बढ़ा सकती है, जो अंततः शांति के लिए प्राणघातक होगी।"[4]

विदेशी नीति पर दीनदयाल उपाध्याय के विचार में कौटिल्याई परिप्रेक्ष्य का पुट दिखाई पड़ता है, जो वैश्विक मामलों एवं मुद्दों से निपटने में भावुक नहीं, बल्कि विवेकी और व्यवहारिक विदेश नीति बनाने पर जोर देता है उन्होंने उस काल खंड में भारत के जिन शत्रुओं के तरफ इशारा किया, (चीन और पाक) वे उसी रूप में आज भी विद्यमान है। भारत के मुख्य शत्रु आज भी चीन और पाकिस्तान ही है।

पररराष्ट्रनीति और प्रतिरक्षा पर अपना विचार रखते हुए दीनदयाल ने कहा कि यह भ्रान्त धारणा है कि प्रतिरक्षा मुख्यतः देश की पररराष्ट्रनीति निर्भर करती है।[5]

---

* गेस्ट लेक्चरर, **NCWEB** महाराजा अग्रसेन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली

जनसंघ देश की प्रतिरक्षा को सर्वदा सर्वोच्च मानता रहा है, उनका मत था कि परराष्ट्र नीति की रचना इस लक्ष्य की पूर्ति की दृष्टि से करनी चाहिए।[6]

उन्होंने प्रतिरक्षा एवं विदेश नीति पर व्यापक तरीके से विचार करते हुए कहा कि "किसी भी देश की सुरक्षा केवल परराष्ट्र नीति के कुशल संचालन से हो ही नहीं सकती–भारत की तो निश्चय ही नहीं" उनका इशारा भारत के प्रतिरक्षा तैयारियों की तरफ था।[7]

अपने प्रतिरक्षा एवं विदेशनीति संबंधी विचारों की स्पष्टता के लिए उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिरक्षा (Defence of the Empire) पर द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान एडमिरल लार्ड चैटफील्ड (Lord Chatfield) के एक लेख से लिखा गया उद्रण प्रस्तुत करते है– "परराष्ट्रनीति और प्रतिरक्षा के बीच अत्यधिक संबंध जताने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। प्रथम महायुद्ध के बाद बहुत से लोग इस विचार से अभिप्रेरित थे कि शांति–संधियाँ एक लम्बे भविष्यकाल के लिए विश्व की विदेश नीति को निश्चित कर देती है, अतः हम अपनी प्रतिरक्षा की एवं अपनी राष्ट्रीय और साम्राज्यीय युद्ध–संगठन की उपेक्षा कर सकते है। परंतु विश्व की स्थिति चाहे जितनी भी संतोषजनक दिखाई पड़े, हमें पर्याप्त शक्तिशाली बने रहना चाहिए।"[8]

प्रतिरक्षा एवं विदेश नीति जैसे जटिल संबंधों पर विचार रखते हुए उन्होंने कहा कि "विदेश नीति पर किसी भी क्षण निर्णय की आवश्यकता पड़ सकती है और अविलंब निर्णय किया भी जा सकता है, पंरतु प्रतिरक्षा के बारे में अचानक निर्णय नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें अपनी शक्ति में परिवर्तन लाने में दीर्घ समय लगता है। इसलिए प्रतिरक्षा योजनाएँ पर्याप्त पहले से बनाई जानी चाहिए।"[9]

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत ने एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे व्यवहारिक रूप में पंचशील के नाम से परिभाषित किया। नेहरू जी विश्व के दो प्रमुख विचारधाराओं साम्यवाद और पूंजीवाद से अलग रहते हुए गुटनिरपेक्षता अपनाने पर बल दिया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन तृतीय विश्व के देशों के लिए एक अनुकूल विकल्प बन गया। पंचशील योजना पर विचारकों ने अपना अलग–अलग मत रखा है। 1962 के चीनी आक्रमण के बाद पंचशील और गुटनिपेक्षता संबंधी नेहरूकालीन विदेश नीति की घोर आलोचना होने लगी, क्योंकि विचारकों का मानना था कि अगर हम किसी गुट में होते तो चीन, भारत पर हमला करने को दुःसाहस नहीं करता।

पंडित दीनदयाल ने कहा कि हमें विदेश नीति की रचना करते समय तटस्थता जैसे विवादास्पद प्रश्न पर भी विचार करना चाहिए। कुछ लोग इस शब्द के अंधभक्त बने हुए है, मानों वह ऐसी कील है, जिसके चतुर्दिक ही परराष्ट्र नीति का सारा ढाँचा चक्कर काटता रहता है, गुटमुक्तता का महत्व केवल दो शक्ति गुटों के संदर्भ में ही है।[10]

यह सच है कि सोवियंत रूस और अमरीका जैसी शक्तिशाली धुरियो के अभाव में ये नए गुट अधिक महत्व का स्थान नहीं पा सके, फिर भी उनके अस्तित्व से इंकार नहीं किया जा सकता। अफ्रों–एशियाई गुट एक ऐसा ही गुट है, जिसमे गुटयुक्त एवं गुटमुक्त, सभी देश शामिल है।[11]

गुटनिरपेक्षता संबंधी विचार पर अपना मत रखते हुए उन्होंने कहा कि जहाँ तक गुटों के संघर्ष का संबंध है, हमें दूर रहना चाहिए। वे 'गुट' शब्द से बचने का सलाह देते है और उसे 'मैत्री' या 'संघ' नाम देने पर जोड़ देते है।[12]

1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद सितम्बर 1991 में गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियो को सम्मेलन 'अंकारा' में हुआ जिसमें 'गुट' शब्द हटाने के पक्ष में कई देश थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शुरू से ही इस नाम को हटाने के पक्ष में थे ताकि अफ्रो–एशियाई संघ देशों की राष्ट्रहित की रक्षा किया जा सके। भारत–अमरीकी संबंधों को लेकर पंडित जी ने सराहनीय विचार व्यक्त किए। उस कालखंड में अमरीकी पाकिस्तान का मित्र देश था और भारत सोवियंत संघ के तरफ आकर्षित था। उनका विचार था अमरीका का एक सैनिक मित्र होने के कारण पाकिस्तान हमारी अपेक्षा अधिक सुविधा की स्थिति में है, परंतु हम इस कभी को सरलता से दूर कर सकते है, क्योंकि तर्क और सत्य सदा हमारे साथ है।[13]

किसी सैनिक संधि में हमारे न सम्मिलित होने पर भी अमरीकी जनता के प्रति हमारे मन में सच्ची मैत्री और आदर की भावना रहि है। इस भावना का रही दृष्टि से उपयोग नहीं हुआ।[14]

इस तथ्य के बावजूद कि अमरीकी नागरिकों को कर के रूप में अधिक डालर चुकाने पड़ेंगे, भारत तथा अन्य सभी अल्पविकसित देशों की आवश्यकताओं को सामान्यतः स्वीकार किया जाता है। हमारी समस्याओं के संबंध में हमारे प्रति सहानुभूति की भावना भी है और हमको उन समस्याओं से पार पाने में समर्थ बनाने के लिए सभी संभव सहायता भी प्रदान करना वे चाहते है।[15]

समय–समय पर अमेरिकी कांग्रेस ने विदेशी सहायता मे जो कटौती किया है, वह अमरीकी जनता की समुचित भावना को प्रतिभाषित नहीं करती। एक–एक संयोग की बात है, मुझे तो एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, जिसने अमेरिकी कांग्रेस की नीति को गलत नहीं बताया।

वे लिखते है एक अमरीकी प्राध्यापक ने स्वीकार किया कि यदि अमरीका भारत को उसके भैतिक साधनों के विकास में सहायता कर सके तो भारत बदले में अमरीकी जनता को यह सिखा सकता है कि वे किस प्रकार अपनी स्नायुओं को शांत कर शंतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते है। निश्चय ही दोनों देशों के जीवन में बहुत सी प्रशंसनीय बातें है, यदि इस दिशा में उचित कदम उठाएँ जाएँ तो न केवल दूसरे के लिए सहायक एवं लाभकर होगी बल्कि जीवन पद्धतियों में एक समन्वय पैदा कर देंगी, जो एक समृद्धशाली तथा परितुष्ट मानवता के क्रमोन्मेष के लिए अति आवश्यक है।[16]

वर्तमान कालखंड में भी पूर्व प्रधामंत्री वाजपेई की विदेश नीति और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विदेशी नीति में अमेरिका के प्रति झुकाव साफ परिलक्षित होता है। पं. दीन दयाल उपाध्याय की भारत–अमरीका संबंधों के प्रति जो दृष्टिकोण उस कालखंड में था, वो वर्तमान कालखंड में साकार होकर मूर्त रूप ले रहा है।

पंडित दीनदयाल उपाध्यायजी ने भारत–चीन संबंधो पर भी अपना क्रांतिकारी विचार प्रकट किया। 1962 का वर्ष भारत के लिए त्रासदी का वर्ष रहा, जब जवाहरलाल नेहरू की पंचशील एवं अंतर्राष्ट्रीयता की विचारधारा निर्णायक रूप से कठघड़े में खड़ी कर दी गई। चीन ने भारत पर हमला करके 'हिन्दी चीनी भाई–भाई' के नारे को खोखला कर दिया था।

सन् 1959 से ही दीनदयाल उपाध्याय निरंतर चीन के संबंध में शासन को आगाह कर रहे थे। उनकी चेतावानियां सत्यसिद्ध हुई। नेहरूजी का वक्तव्य था, चीन ने हमें धोखा दिया है। जबकि दीनदयाल जी का कहना था, यह हमारी आकाश चारी एवं असावधान कूटनीति का परिणाम है।[17]

चीनी आक्रमण के समय वे सत्ता एवं विपक्ष की राजनीति को भूलकर राष्ट्ररक्षार्थ का आग्रह करते। हमें सरकार की आलोचना करते हुए भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जिससे जनता में किसी प्रकार का निराशा आए तथा विश्व में भारत की विभेदमूलक छवि बने।[18]

चीन पर उनके विचार को समझने में ये वाक्यांश हमें सटिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं–

"विगत 8 वर्षो से (1953) चीन ने हमारी अक्साई चीन की भूमि को कब्जा किया हुआ है। चीन ने लद्दाख क्षेत्र में अपनी सड़क बना ली है। तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया, हमने विरोध क्यों नही किया? भारत को सुरक्षा परिषद् में स्थान मिल रहा था, हमने वह स्थान क्यो छोड़ दिया? वहाँ चीन की पैरवी क्यो कर रहे हैं? पंचशील का समझौता एक धोखा है। भारत इस बात को समझे। राष्ट्रीय सुरक्षा महत्पवूर्ण है। अतः राष्ट्र को मानसिक और सैन्य दृष्टि से सबंध रहना चाहिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र (1957) में यह कहा गया है कि चीन, भारत का एक महान पडोसी मित्र राष्ट्र है और चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थान मिलना चाहिए। यह तो देश द्रोह है।[19]

भारत–चीन युद्ध के समय पं. दीनदयाल ने राष्ट्रपुत्र की भूमिका निभाते हुए विचार अभिव्यक्त किया जो सर्वदा प्रासंगिक और अन्य लोगों को मार्गदर्शित करता रहेगा। सभी दलों को, सभी प्रकार के मतभेदों को भूलाकर प्रधानमंत्री जी के साथ एक जुट हो जाना चाहिए। अब इस सरकार को कांग्रेस की सरकार नहीं मानना, वरन एक राष्ट्रीय सरकार है, जो युद्ध लड़ रही है।"[20]

उन्होंने जनसंघ के कार्यकताओं से आह्वान किया कि इस अवसर पर एक जुट होकर खड़े हो जाओं। आज हमारी लड़ाई कांग्रेस से नहीं वरन् चीन से है।"[21]

पंडित दीनदयाल जी के नज़रों में चीन हमारा सबसे बड़ा शत्रु था। चीन आज भी कमोवेश सबसें बड़ा शत्रु है। आज भी अपनी विस्तारवादी विदेश नीति का पालन कर रहा है। जो भूल हम चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजकर किए थे, उसका खामियाजा आज तक हमें भुगतना पड़ रहा है। भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता न मिलने के पीछे सबसे बड़ा हाथ चीन का ही है। अपने वीटो की शक्ति का गलत प्रयोग कर संयुक्तराष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता के विस्तार में रोड़ा अटका रहा है। डोकलाम और अरूणाचल मे हमारी सेना का चीनी सेना के साथ झड़प की मीडिया की सुर्खियों में है। पंडित जी चीन की मंशा को उस काल खंड सभी विचारकों से कुछ ज्यादा समझा था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने उनके विचारों पर ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा अभी तक भारत को भुगतना पड़ रहा है। भारत–चीन संबंधों में दीनदयाल जी द्वारा सुझाए गए रास्तों को हमें गभीरता से लेना चाहिए।

पं. दीनदयाल उपाध्याय के लिए राष्ट्र की सुरक्षा एकता और अखंडता सबसे महत्वपूर्ण थी। भारत चीन और भारत पाकिस्तान के संबंधों पर विचार रखते हुए कहा पाकिस्तान और चीन इस समय भारत के भू–भाग को दबाए हुए बैठे। युद्ध विराम रेखा समझौते के कारण कश्मीर का एक तिहाई भाग–पाकिस्तान के कब्जे में हैं। चीन ने भारतीय भू–भाग के विशाल क्षेत्र पर अपना दावा उपस्थित कर उसके कुछ अंश को हथिया का लिया है और सभी समझौतों को तोड़ते हुए अपनी जिद पर अड़ा है। भारत सरकार ने भी उस क्षेत्र को मुक्त करने की दृष्टि से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। जहाँ तक पाकिस्तान का संबंध है,उसने युद्ध विराम का बड़े पैमाने पर उल्लंघन नहीं किया है। यद्यपि समय–समय पर पाकिस्तानी उक्त रेखा को पारकर भारतीय ग्रामों में लुटमार करते रहते है और पाकिस्तान 'जेहाद' की धमकियाँ देता रहता है।[22]

उनका कहना था कि चीन और पाकिस्तान दोनों के आक्रमण समाप्त होना चाहिए भारतीय जनसंघ ने अपने घोषणा पत्र में भी भारत के प्रत्येक इंच भू–भाग की अक्षरशः मुक्ति का समर्थन किया गया। "राष्ट्र की द्वारा आक्रमण का सफल प्रतिकर करने की क्षमता के बावजूद अपनी तुष्टीकरण एवं दुलमुल नीति के फलस्वरूप कांग्रेस सरकार ने देश का मनोबल क्षीण किया है और शत्रु को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का मौका प्रदान किया है। भारतीय जनसंघ देश की स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता को दी गई इस चुनौती का मुकाबला प्रत्येक उपाय से करेगा और भारत के प्रत्येक इंच भू–भाग को मुक्त कराएगा।"[23]

कश्मीर से संबंध में जनसंघ एवं पंडित दीनदयाल जी विचार स्पष्ट थे, "भारतीय जनसंघ कश्मीर पर किए गए किसी भी आक्रमण को भारत पर आक्रमण समझता है और इस कारण भारत और चीन के कब्जे में पड़े भू–भाग को मुक्त कराने के लिए प्रत्येक उपाय का सहारा लेगा।"[24]

जब कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघ में चला गया, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि भारत कश्मीर के अंदर युद्ध विराम सीमा को ही स्थायी सीमा मान ले। दीनदयाल जी ने कहा भारत को किसी प्रकार के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं और युद्ध विराम की सीमा को वास्तविक सीमा नहीं माना जा सकता।[25]

सुरक्षा परिषद् में पाकिस्तान के मोहम्मद जफरूल्ला ने भाषण में कहो कि "कश्मीर तें अधिसंख्य जनता के मुसलमान होने के कारण यह प्रदेश पाकिस्तान में होना चाहिए।" दीनदयाल जी ने कहा, "यदि ऐसा होता तो भारत में एक भी मुसलमान और पाकिस्तान में एक भी हिंदू नहीं रहा होता।"[26]

दीनदयाल जी सावधान करते है कि कश्मीर के मामलों में चीन और पाकिस्तान भारत के विरूद्ध एक जुट हो सकते हैं।

दीनदयालजी ने सुरक्षा परिषद् द्वारा भारत को न्याय मिलने की संभावना से मना कर दिया। हमकों तो अपनी ही शक्ति से इस समस्या का समाधान खोजना है। कश्मीर विषय पर वे कहते है, "अमरीका,

ब्रिटेन तथा अन्य पश्चिमी राष्ट्रों ने इस विषय पर जो रूख अपनाये है, वह संयुक्त राष्ट्रसंघ के सिद्धांतों एवं उद्देश्य, समस्या के तथ्यो, विश्वशांति और सद्भावनों की आवश्यकताओ तथा संबंधित जन समुदाय की भावनाओ, इच्छाओं और हितों के विपरीत है।"[27]

दीनदयाल जी ने तिब्बत की स्वतंत्रता नष्ट होने के विषय पर चिंता व्यक्त की थी। तिब्बत ने ऊपर चीन ने कब्जा कर लिया भारत शांत रहा और कुछ नहीं बोला। इतना ही नहीं, भारत ने तिब्बत की रक्षा हेतु विश्व के अन्य किसी देश को आने भी नहीं दिया। चीन की सीमाएँ भारत से मिल गई। खतरा भारत की सीमाओं पर आ गया। भारत की यह एक बड़ी कुटनीतिक पराजय थी।[28]

जनसंघ के महामंत्री के रूप में पत्रकारों के सवालो का जबाव देते हुए पंडित जी कहा कि जहाँ तक तिब्बत का सवाल उसकी स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करने वालों का हमारी समर्थन मिलना चाहिए। दलाईलामा की सरकार को मान्यता देनी चाहिए। इससे भारत–चीन संघर्ष का स्वरूप ही बदल जाएगा। साथ ही चीन के संकट से ग्रस्त सभी देशों की स्वतंत्रता प्रेमी जनता को एक नया बल मिलेगा। चीन ने तिब्बत के संबंध के अपने सब वचन भंग किए है। अतः उनसे बंधे रहने का हमारे लिए कोई कारण नहीं।[29]

भारत–नेपाल संबंध के प्रश्नों का उत्तर देते हुए महामंत्री के रूप में दीनदयाल जी ने कहा कि भारत के साथ सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक सूत्रों में बँधा हुआ नेपाल एक स्वतंत्र राज्य है। भारत सदैव उसकी स्वतंत्रता का आदर करता रहा है। वस्तुतः आकार में छोटा होते हुए भी नेपाल स्वतंत्र, परंपरा की दृष्टि से प्रतिष्ठा में बड़ा है, यह हमें स्वीकार करना चाहिए। पंचशील को अक्षरशः व्यवहार में लाते हुए हम अपने समान सूत्रों और हितो के आधार पर सहयोग का वातावरण पैदा कर सकते हैं। आज की स्थिति में चीन–भारत विवाद में यदि नेपाल तटस्थता की घोषणा करता है जो हमें उसका विचार भावुकतावश नहीं, यथार्थ की भूमिका पर करनी चाहिए। हवन करते हाथ जलाना तो बुद्धिमानी नहीं होगी।[30]

मूल्यांकन

किसी भी विचारक का मूल्यांकन इस बात से होता है कि उसके मृत्यु के पश्चात् कितनी दूर तक उस महापुरूष के विचारों को लेकर लोग चलते हुए दिखायी पड़ते है। जिस उत्साह के साथ उनके जीवित रहते लोग उनके जीवित रहते लोग उनके अनुगामी बनकर चलते थे, क्या वही उत्साह और आनंद के साथ दशकों बाद आज भी लोग चल रहे है? दीनदयाल से विश्व के कुछ उन विचारकों में है, जिनकी कीर्ति वृद्धिगत है। उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती जा रही हैं। जो परराष्ट्र संबंधी विचार 60–70 वर्ष पूर्व में उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, वह आज और भी अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है। भारत–पाकिस्तान संबंधों और नेपाल एवं तिब्बत के प्रश्नों पर उपाध्याय जी द्वारा अभिव्यक्त किए गए विचार वर्तमान काल में प्रांसगिक है। कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठ की समस्या हो या सीमाओं पर छद्म युद्ध इनकी भविष्यवाणी 1970 के दशक में दीनदयाल ने व्यक्त किया। चीन–पाकिस्तान आगे चलकर दोस्त बनेंगे, ऐसी संभावना भारतीय राजनीतिक चिंतकों में पं. दीनदयाल जी ने ही व्यक्त किया। भारत–अमेरिकी संबंधों के बनाए जाने के भी वे पक्षधर थे, आज भारत–अमरीका संबंध एक सुनहरे दौर से गुजर रहा है। नेपाल एवं तिब्बत के साथ संबंधों में वे सांस्कृतिक तत्वों अथवा नरम विदेशनीति (soft foriegn policy) का सहारा लेने का सुझाव क्रांतिकारी था। आज भारत–नेपाल संबंध तनाव के दौर से गुजर रहे है। लगभग दो दशकों के बाद प्रधानमंत्री मोदी की नेपाली यात्रा हुई और वे सबसे पहले पशुपतिनाथ के मंदिर गए। तिब्बत आज भी भारत–चीन संबंधों में तनाव का एक मुख्य कारण है, क्योंकि दलाईलामा अपना निर्वासित जीवन भारत में ही गुजार रहे है। किसी भी देश के लिए सुरक्षा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य विदेश नीति के संदर्भ में होता है, पं. दीनदयाल उपाध्याय के परराष्ट्रनीति संबंधी विचार "राष्ट्र की सुरक्षा एकता और अखंडता" के इर्द–गीर्द ही चक्कर करते है। अतः 21वीं शताब्दी पं. दीन दयाल उपाध्याय के विचार एवं विदेश नीति संबंधी चिंताएँ तथ्यों भविष्यवाणीयाँ

आज भी अत्यंत ही प्रासंगिक है।

संदर्भ

1. पोलिटिकल डायरी, सुरूची प्रकाशन नई दिल्ली 2014 पेज नं. 79
2. दीन दयाल उपाध्याय–संपूर्ण वाड.मय खंड बारह, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली पेज – 260
3. दीन दयाल उपाध्याय–संपूर्ण वाड.मय खंड बारह, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली पेज – 260
4. दीन दयाल उपाध्याय–संपूर्ण वाड.मय खंड बारह, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली पेज – 260
5. पोलिटिकल डायरी, सुरूची प्रकाशन नई दिल्ली 2014 पेज नं. 75
6. पोलिटिकल डायरी, सुरूची प्रकाशन नई दिल्ली 2014 पेज नं. 75
7. पोलिटिकल डायरी, सुरूची प्रकाशन नई दिल्ली 2014 पेज नं. 75
8. पोलिटिकल डायरी, सुरूची प्रकाशन नई दिल्ली 2014 पेज नं. 76
9. पोलिटिकल डायरी, सुरूची प्रकाशन नई दिल्ली 2014 पेज नं. 76
10. पोलिटिकल डायरी, सुरूची प्रकाशन नई दिल्ली 2014 पेज नं. 77
11. पोलिटिकल डायरी, सुरूची प्रकाशन नई दिल्ली 2014 पेज नं. 77
12. पोलिटिकल डायरी, सुरूची प्रकाशन नई दिल्ली 2014 पेज नं. 77
13. पोलिटिकल डायरी, सुरूची प्रकाशन नई दिल्ली 2014 पेज नं. 71
16. पोलिटिकल डायरी, सुरूची प्रकाशन नई दिल्ली 2014 पेज नं. 71
17. दीन दयाल उपाध्याय–संपूर्ण वाड.मय खंड दस, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली पेज – 11
18. दीन दयाल उपाध्याय–संपूर्ण वाड.मय खंड दस, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली पेज – 11
19. दीन दयाल उपाध्याय–संपूर्ण वाड.मय खंड दस, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली पेज – 33
20. दीन दयाल उपाध्याय–संपूर्ण वाड.मय खंड दस, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली पेज – 35
21. दीन दयाल उपाध्याय–संपूर्ण वाड.मय खंड दस, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली पेज – 35
22. दीन दयाल उपाध्याय–संपूर्ण वाड.मय खंड दस, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली पेज – 23
23. दीन दयाल उपाध्याय–संपूर्ण वाड.मय खंड दस, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली पेज – 24
24. दीन दयाल उपाध्याय–संपूर्ण वाड.मय खंड दस, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली पेज – 24
25. दीन दयाल उपाध्याय–संपूर्ण वाड.मय खंड दस, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली पेज – 32
26. दीन दयाल उपाध्याय–संपूर्ण वाड.मय खंड दस, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली पेज – 32
27. दीन दयाल उपाध्याय–संपूर्ण वाड.मय खंड दस, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली पेज – 32
28. दीन दयाल उपाध्याय–संपूर्ण वाड.मय खंड दस, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली पेज – 33
29. दीन दयाल उपाध्याय–संपूर्ण वाड.मय खंड दस, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली पेज – 293
30. दीन दयाल उपाध्याय–संपूर्ण वाड.मय खंड दस, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली पेज – 293

❑❑❑

गाँधी दर्शन में सामाजिक न्याय के विचार

*आरती

भारतीय समाज परम्परा हिन्दू सामाजिक संगठन से विकसित हुआ है। यह समाज बहुस्तरीय, बहुजन एवं बहुवर्गीय है। जिसमें प्राचीन समय से ही संस्तरणात्मक भेदभाव विद्यमान रहा है वर्णो के भेद ने सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक व आर्थिक आधारों पर जाति प्रणाली को जन्म दिया। निम्न वर्ण की जातियाँ, सदियों से पिछड़ी रही है। जाति व्यवस्था में उच्च्य जातियों के विशेषाधिकार एवं निम्न वर्ग निर्योग्यताओं के चलते दलित वर्ग सामाजिक, शैक्षणिक आर्थिक रूप से कमजोर बना। स्वतन्त्र भारत में इन कमजोर वर्गों के उन्नयन के अनेक प्रयास हुए है। सामाजिक न्याय की स्थापना हेतू इनके लिए किए गए विशेष कल्याणकारी प्रावधान संरक्षणमूलक भेदभाव कहलाता है।

इतिहास गवाह हैं कि भारत एक लम्बी गुलामी के बाद आजाद हुआ। आजादी की रात हर देशवासी के मन में केवल एक ही कल्पना थी असमानता और अत्याचार से उबर पाने की। भारत के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करने की। 14 अगस्त 1947 की आधी रात स्वतन्त्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण के शब्द थे **''वर्षो हुए हमने भाग्य के साथ एक बाजी लगाई थी, एक इकरार किया था, एक प्रतिज्ञा की थी कि अब वक्त आ गया हैं कि हम उसे पुरा करे''** इस प्रतिज्ञा का जिक्र उन्होने आगे किया **''यह जो हमारी आजादी हैं वह हर एक हिन्दुस्तानी के लिए है, हर एक हिन्दुस्तानी को बराबर का हक हैं.....मुल्क से विदेशी हुकुमत को हटाना था, वह काम पूरा हुआ। लेकिन सचमुच इतने से काम पुरा नही हुआ, जब तक हिन्दुस्तान का एक एक इन्सान आजादी की हवा में न रह सके, उसकी तकलीफ दूर न हो।''**

आजादी की रात दिए गए इस उद्गार में कोई कमी नही थी पर वस्तुस्थिति तो कुछ और ही रही इस अवसर पर गांधी की जो प्रतिक्रिया थी वह स्पष्ट थी और निश्चित थी। उन्होनें कहा भारत को राजनैतिक रूप से तो आजादी मिल गई..... लेकिन उसे अभी सामाजिक, नैतिक और आर्थिक आजादी हासिल करना बाकी है।

स्वतन्त्रता के बाद भारत को कौनसा रास्ता अपनाना हैं इसका स्पष्ट संकेत हमे इन पंक्तियों में मिल जाता हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सामने गांधी ने स्वतंत्रता के कुछ समय बाद एक प्रस्ताव भेजा जिसमें भौतिक विकास के स्थान पर सबके समरूप विकास पर बल दिया।

स्वतंत्रता से आज तक हमारे सामने सबसे बड़ा लक्ष्य है तो वो है सामाजिक न्याय की स्थापना का। गांधी के दर्शन में हमें सामाजिक न्याय की स्थापना के अनेक विकल्प दिखाई देते है। जिन्हे विश्लेषण की दृष्टि से निम्न बिन्दुओं अन्तर्गत वर्णित किया जा सकता है। प्रस्तुत शोध पत्र में इन्ही विकल्पों को प्रस्तुत और विश्लेशित किया गया है।

1. व्यक्ति और समाज –

तमाम संस्कृतियों और परम्पराओं को न्याय के प्रश्न से जूझना पड़ा है, भले ही उन्होने इसकी व्याख्या भिन्न–भिन्न तरीकों से ही हैं। अनेक वर्गो से मिलकर समाज बनता है। इन अलग–अलग वर्गो के हित आपस में टकराते है कई बार तो व्यक्तिगत और सामाजिक हितों में विरोध की स्थिति उत्पन्न

* राजनीति विज्ञान विभाग, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

हो जाती है। इन विषम हालात में न्याय ही एक ऐसा तत्व हैं जो विभिन्न वर्गो के परस्पर विरोधी हितों के मध्य तालमेल बैठाता है और व्यक्तिगत व सामाजिक हितों में सामंजस्य स्थापित करता हैं।

मनुष्य ही नही जीव जगत के अन्य प्राणियों में भी हमें समूह जीवन देखने को मिलता है प्रकृति में मधुमक्खियों और चीटियों जैसे जीव तो अपने संगठित विकास के प्रतीक हैं वास्तव में समाज में रहते हुए सामाजिक न्याय की आवश्यकता ही इस हेतु महसूस ही गई क्योंकि मनुष्य ने समाज में अपने योगदान से अधिक उससे प्राप्ति को अपना लक्ष्य बना लिया। गांधी दर्शन व्यक्ति को समाज के प्रति अपना ऋण चुकाने को उसका नैतिक कर्तव्य बताता है।

2. अन्त्योदय

सामाजिक विषमता के सन्दर्भ में यह सामान्य उक्ति हैं कि साधनों की सीमितता के चलते सबका समान विकास संभव नहीं है। **Theory of Percolation 'रिसन का सिद्धांत'** यह मानता हैं कि अगर व्यवहार में यह मान लिया जाए कि सबका विकास एक साथ नहीं हो सकता तब भी सामाजिक न्याय का यह तकाजा है कि जो गरीब या कमजोर है उसे पहले ऊपर उठाया जाए। यहीं गांधी की अन्त्योदय योजना है। जिसमें विकास का क्रम ऐसा होता है कि ऊपर से नीचे की ओर नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की ओर होता हैं। विषमता को मिटाने और समाज में समानता स्थापित करने का यह सुगम व श्रेष्ठ मार्ग है।

3. न्यासिता (ट्रस्टीशिप)–

न्यासिता अपने आप में समाज से असमानता को समाप्त करने का अनुठा सिद्धांत है। इसके अनुसार व्यक्ति को जो कुछ भी प्राप्त है बल, बुद्धि, साधन या सम्पति उनमे से अधिकांश उसे समाज या प्रकृति से ही प्राप्त है। इसलिए इन सब का प्रयोग वह बिना क्षतिपूर्ति के समाज, परिवार और प्रकृति का ऋण चुकाए करता हैं तो वह अपराधी है। गांधी ने एक सरल और व्यवहारिक मार्ग समाज का ऋण अदा करने का बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति यह मान कर चले कि वह अपनी सम्पति का स्वामी नहीं है बल्कि अपने से कमजोर या साधनहीन व्यक्ति का **'थातीदार'** या **'ट्रस्टी'** है।

इसलिए सम्पति का उपयोग केवल उसी मात्रा में करे जितना जीवन के लिए अनिवार्य है। इससे विषमता और विभेद की रेखाएँ स्वयं ही धुधली हो जाएगी।

4. विकेन्द्रीकरण –

एक मजबूत शासन व्यवस्था चाहे वह लोकतांत्रिक हो अथवा समाजवादी हो आर्थिक और राजनीतिक केन्द्रीकरण में विश्वास करते है। सत्ता की समस्त शक्तियां कुछ लोगो के हाथों में संग्रहित हो जाती है। जबकि समाज, व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए किं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक शक्ति के समस्त स्त्रोत जनता के हाथ में रहे राजशक्ति लोकशक्ति के नियन्त्रण में रहनी चाहिए। वर्तमान में मनुष्य तन्त्र के अधीन हो गया है। केन्द्रीत व्यवस्था तन्त्र प्रधान होती है। समाज व तन्त्र अलग–अलग है।

तन्त्र जड़ और संवेदनहीन ढांचा है। जबकि समाज जीवित व्यक्तियों का परस्पर सहयोगी संगठन है अतः सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो ताकि मनुष्य अधिक स्वतन्त्र हो सके।

5. महासागरीय तरंगवृत सिद्धांत –

समाज का फैलाव एकीकृत नहीं होगा वह असंख्य गांवो में होगा इसमें ऊपर के स्तरों का बोझ नीचे की ओर नहीं होगा। बल्कि यह रचना महासागर में उठने वाली तरंगो के सदृश्य होगी जिसका केन्द्र बिन्दु एक व्यक्ति होगा। जो गांव के लिए और ग्राम समूह के लिए मिटने को तैयार रहेगा। सब मिलकर एक ऐसे अभिन्न और एकरस समाज का निर्माण करेगें जो सत्ता के नशे में आक्रमण नहीं करेगा बल्कि अपने को विनयशील रखते हुए वृहद समाज का अंग बनकर उसका आनन्द उठाएगा जैसे लहरें समुन्द्र का अंग हो कर उसकी पूर्णता को महसूस करती है।

6. समान मूल्य का सिद्धांत –

समाज के लिए उपयोगी और आवश्यक प्रत्येक कार्य का मेहनताना या पारिश्रमिक एक सा होना चाहिए। सेवाएँ जैसे वैद्य, चिकित्सक, शिक्षक या वकील की सेवा उससे लाभान्वित होने वाले व्यक्त्यिों

को निःशुल्क मिलनी चाहिए। कोई भी कार्य छोटा नहीं है न ही किसी विशेश कार्य को हीनतम समझ कर उसे करने वाले से घृणा की जाए। समाज में सबके कार्यो को समान महत्व मिले। पेशे या व्यवसाय के कारण ऊँच नीच या भेदभाव का समाज में कोई स्थान नहीं होगा।

7. सर्वोदय –

स्वयं गांधी के शब्दों में **''मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब लोग भी यह महसूस कर सकेंगे कि यह उनका देश है और इसके निर्माण में उनका महत्व है। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा जिसमें ऊँचे और नीचे वर्गो में भेद नहीं होगा... हम न तो किसी का शोषण करेंगे और न शोषण होने देगें। ऐसे सब हितो का जिनका करोड़ों मूक लोगों के हितों से कोई विरोध नही है, पूरा सम्मान किया जाएगा यह हैं मेरे सपनों का भारत होगा इससे भिन्न किसी चीज से मुझे सन्तोष न होगा।''**

अधिकांश व्यवस्थाएँ सबके विकास को लक्ष्य में रखकर भी अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम कल्याण तक आकर रूक जाती है। ऐसा मान लिया जाता है कि सबका विकास एक ऐसा आदर्श है जिसे व्यवहार में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जब सब को छोड़कर हम 'अधिकतम' पर आ जाते है तो यह मान लिया जाता हैं कि **'थोड़े'** व्यक्तियों को तो लाभ से वंचित होना ही पड़ेगा लेकिन वे थोड़े लोग कौन है? और **'अधिकतम'** में कौन आएगें? यह तय कौन करेंगा? स्पष्ट हैं कि जो कमजोर है, पिछड़े है वे ही वंचित रहेगें और अधिकतम की संकल्पना भी घटते–घटते व्यवहार में शक्तिशाली लोगों तक सीमित हो जाएगी।

अतः गांधी के अनुसार वो समाज कभी न्यायिक दृष्टी से उचित नहीं होगा जो सर्वोदय से संचालित न हो।

7. मुद्रा और शोषण –

मुद्रा अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग है गांधी के स्वावलम्बी समाज में भी मुद्रा का स्थान है परन्तु गौण। ऐसे समाज में दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की पूर्ति मनुष्य परस्पर आदान–प्रदान व सहयोग से पूरी करते हैं। इनके अलावा कुछ सेवाओं के लिए मुद्रा का उपयोग हो। लेकिन लम्बे समय से भोगवादी और परोपजीवी व्यवस्था की प्रमुखता हो जाने के कारण मुद्रा ने धीरे–धीरे अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लिया है। मुद्रा के आधार पर ही कुछ लोग शोषण, मुनाफाखोरी को बढावा दे रहे है। जो वास्तविक उत्पादक है, किसान, मजदूर व इसी पूँजी प्रधान समाज में अधिक गरीब और बेकार हो गए है। आज दुनिया में अधिकांश लोग अभावों का जीवन जी रहे है तो उसका बड़ा कारण मुद्रा और मुद्रा से संभव शोषण है।

सामाजिक न्याय ऐसी अवधारणा है। जिसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व भी शामिल है। न्याय शब्द उचित को इंगित करता है। सामाजिक न्याय के अन्तर्गत वंचित वर्गो को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए वितरणमूलक प्रावधान किये जाते है गांधी के अनुसार समस्त जीवन को स्पर्श करने वाली मूलगामी सामाजिक क्रांति केवल आर्थिक और राजनैतिक संस्थाओं का रूप बदल देने या व्यवस्था बदल देने भर से नहीं संभव है। इस बदलाव के लिए जरूरी है जीवन की ओर देखने की मनुष्य की दृष्टि बदले उसके संस्कार बदले व्यक्ति के आदर्शो में परिवर्तन हो। इसलिए शुरूआत खुद से करनी होगी।

गांधी एक इतिहास पुरूष है। समय बीतने के साथ वे और भी अधिक महत्वपूर्ण बनते जा रहे है और अलौकिक भी। अपने विचारों के कारण वे महात्मा तो है ही साथ ही जनता के व्यक्ति भी है। गांधी हमारे इतने नजदीक हैं कि हम उनकी महानता का सही आलकन नहीं कर सकते। इतिहास में महान लोग या तो विचारक हुए है, जिन्होने नए सिद्धांत दिए है या कर्मनिष्ठ व्यक्ति हुए हैं जिन्होनें अपने कार्य से दुनिया को नई दिशा दी है। गांधी इतिहास में उन दुर्लभ व्यक्त्यिों में से एक है, जिन्होनें चिन्तन भी दिया है और उस चिन्तन पर आधारित कर्म भी किया है। उनका चिन्तन कल्पनाशील भी है और व्यवहार पर आधारित भी।

संदर्भ ग्रंथसूची –

1. हिन्दस्वराज– महात्मागांधी, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद
2. सत्य के साथ मेरें प्रयोग– महात्मागांधी, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद
3. अनासाक्ति योग– महात्मागांधी, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद
4. गांधी की जीवनी – बी. आर. नन्दा, सस्ता साहित्य प्रकाशन
5. गांधी की कहानी– लुई फिशर, सस्ता साहित्य प्रकाशन
6. अंतिमजन– गांधी फाउण्डेशन, दिल्ली

भारतीय संघीय व्यवस्था की असमरुपीय विशेषताएं

*राजेन्द्र कुमार पांडेय

भारतीय संघीय व्यवस्था के संवैधानिक ढांचे में अनेक ऐसी असमरुपीय विशेषताएं विद्यमान हैं जो उसे संघवाद के क्लासिकल विचार की तुलना में विशिष्ट स्थान प्रदान करती हैं। वास्तव में, एक सैद्धांतिक अवयव के रूप में असमरूपता संघवाद के मौलिक स्वरुप का अंग कभी नहीं रही हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब अमेरिका में संघीय राज्य की अवधारणा का विकास किया जा रहा था तब इस राजनीतिक व्यवस्था के मूल में समरूपता थी,न कि असमरूपता। दूसरे शब्दों में, संघीय राजनीतिक प्रणाली के विचार क्रियान्वयन की बात जब अमेरिका में चल रही थी तब समरूपता को इस व्यवस्था का आधारभूत स्तम्भ माना गया था। इसके अंतर्गत अमेरिकी संघ के सभी राज्यों को लगभग हर दृष्टि से बराबर और समरूप स्थान प्रदान किया गया। परन्तु बाद के वर्षों में जब कुछ देशों जैसे कनाडा, स्पेन, भारत आदि में संघीय व्यवस्था के गठन की बात आई तब अमेरिका में स्थापित समरूप संघीय व्यवस्था का विचार इन देशों के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का समाधान प्रदान करने में पूर्णतः अक्षम पाया गया। वस्तुतः हुआ यह कि इन देशों में विद्यमान वैविध्य के साथ–साथ कुछ क्षेत्र विशेष या लोग विशेष द्वारा विशिष्ट पहचान और दर्जे की मांग जोर पकड़ने लगी थी। अन्ततोगत्वा इन्हीं क्षेत्र विशेष या व्यक्ति विशेष द्वारा विशिष्ट पहचान या दर्जे की मांग ने संघीय व्यवस्था में असमरूपताओं के जन्म का मूल कारण बनीं।

सैद्धंतिक रूप से, असमरुपीय संघवाद के विचार का उद्भावक कैनेडियन विद्वान चार्ल्स टार्लटन को माना जाता है। 1965 में प्रकाशित अपने एक आलेख में टार्लटन ने संघीय व्यवस्था के समरुपीय और असमरुपीय तत्वों का विश्लेषण प्रस्तुत किया।[1] अपने विश्लेषण में टार्लटन ने हालाँकि इस बात को स्वीकार किया कि कतिपय संघीय व्यवस्थाओं में असमरुपीय विशेषताएं पाईं जा सकती हैं किन्तु उन्होंने इन संवैधानिक असमरूपताओं को मुखर रूप से अग्रसारित करने से बचने की बात कही। उनका मानना था कि ऐसी असमरूपताएं संभवतः संघ की इकाईयों में अलगाववादी प्रवृतियों को बलवती बनाने में सहायता कर सकती हैं। कालांतर में, संघवाद के वाड्.मय में असमरूपताओं की किसी संघीय व्यवस्था में उपस्थिति को स्पष्ट करने के लिए तथ्यसम्मत असमरूपता और विधिसम्मत असमरूपता नामक विश्लेषणात्मक अवधारणाओं की सहायता ली गयी।[2] वस्तुतः, तथ्यसम्मत असमरूपता व्यावहारिक जीवन में विद्यमान उन नाना प्रकार की विविधताओं को कहा जाता हैं जिनका दर्शन किसी देश के भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषायी और अन्य ऐसे क्षेत्रों में होता हैं जो लोगों के जीवन को वैविध्यपूर्ण बनाते हैं। इस प्रकार की असमरूपता का प्रतिफलन किसी देश के संघीय ढांचे में विविध इकाईयों या राज्यों को प्राप्त होने वाले अलग–अलग श्रेणी के प्रतिनिधित्व, शक्ति, और प्रभाव में दृष्टिगोचर होता है।[3] दूसरी तरफ, विधिसम्मत असमरूपता किसी देश के संविधान निर्माताओं द्वारा सोच समझकर किये गए संवैधानिक प्रावधान होते है जिनके द्वारा संघ के विभिन्न राज्यों को अलग–अलग दर्जा और शक्तियाँ प्रदान की जाती है। सामान्यतः संघवाद के वाड्.मय में विद्वानों का मूल हेतु किसी देश के संविधान में प्रदत्त असमरूपताओं के अध्ययन पर बल रहता हैं। इस दृष्टि से प्रस्तुत लेख में

* एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उ. प्र.)

भारतीय संघीय व्यवस्था की असमरूपीय विशेषताओं के आलोचनात्मक अध्ययन का प्रयत्न किया गया है।

भारत में संवैधानिक असमरूपताएं

भारत में संवैधानिक असमरूपताओं के उदय के मूल में वे विशेष प्रावधान हैं जिनका सृजन विविध क्षेत्रों तथा लोगों के पृथक क्षेत्रीय और नृजातीय आकांक्षाओं को समायोजित करने के लिए किया गया था।[4] देश में विद्यमान संवैधानिक असमरूपताओं में से कुछ का सृजन तो संविधान के मौलिक रूप में ही कर दिया गया था जबकि अन्य की रचना देश के राजनीतिक घटनाक्रम के दौरान उपस्थित विषम परिस्थितियों से निपटने के क्रम में की गई। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि भारत में विद्यमान संवैधानिक असमरूपताएं प्रादेशिक और अप्रादेशिक दोनों प्रकार की हैं। प्रादेशिक असमरूपताओं का हेतु देश के किंचित क्षेत्रों अथवा राज्यों के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान करना था। जिससे कि उनकी विशिष्ट आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भेदमूलक अधिकार दिए जाएँ और इस प्रकार देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखा जा सके। प्रादेशिक असमरूपता का स्वरुप भारत में वैविध्यपूर्ण है। जहाँ जम्मू और कश्मीर के बारे में ये प्रावधान पूरे राज्य के लिए लागू होते हैं, वही उत्तर पूर्व के कई राज्यों समेत कुछ अन्य राज्यों में ये प्रावधान कुछ क्षेत्र विशेष में ही लागू होते हैं इनके अतिरिक्त ये प्रावधान अंतर–राज्यीय आर्थिक विकास की विषमताओं को दूर करने हेतु भी किये गए हैं। प्रादेशिक असमरूपता के विपरीत अप्रादेशिक असमरूपता प्रमुख रूप से संसद के ऊपरी सदन अर्थात् राज्य सभा में राज्यों के असमान प्रतिनिधित्व से है जहाँ राज्यों का प्रतिनिधित्व भारतीय संघ में उनकी सहभागिता से निर्धारित न होकर उनमें रहने वाली जनसंख्या के अनुसार निर्धारित होता हैं। अतः अब आगे के पृष्ठों में भारत के संघीय व्यवस्था में विद्यमान इन्ही संविधानिक असमरूपताओं का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

अनुच्छेद 370 और जम्मू – कश्मीर का विशेष दर्जा

भारतीय संघीय व्यवस्था में असमरुपीय विशेषताओं का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टांत संविधान के अनुच्छेद 370 के रूप में प्राप्त होता है। अनुच्छेद 370 वस्तुतः जम्मू कश्मीर राज्य को भारतीय संघ में एक विशेष पहचान और स्थान प्रदान करता है। संवैधानिक दृष्टि से जम्मू कश्मीर की संवैधानिक विशेषता इस बात में निहित है कि भारतीय संविधान के मात्र दो अनुच्छेद ही उस राज्य पर लागू होते हैं। इस दृष्टि से पहला अनुच्छेद 1 हैं जिसके द्वारा भारत के राजनीतिक स्वरुप और इसके भौगोलिक अंगों के बारे में संकेत किया गया हैं। दूसरे शब्दों में, संविधान के अनुच्छेद 1 में पहली बात यह कही गयी हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरुप संघीय होगा जिसके लिए संविधान में भारत को राज्यों का संघ' कहा गया हैं। दूसरे इस अनुच्छेद में यह इंगित किया गया हैं कि भारतीय संघ की भौगोलिक इकाइयां कौन सी होगीं और इसके लिए भारत के राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों की विस्तृत सूची संविधान की पहली अनुसूची में प्रदान की गयी हैं। संविधान का अन्य अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में विशिष्ट स्थान प्रदान करता है वह है अनुच्छेद 370। इस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जम्मू कश्मीर राज्य के भारत के साथ संबंधों के निर्धारण का आधार यही अनुच्छेद होगा। रोचक बात यह कि इन दोनों अनुच्छेदों के बारे में भी संकेत अनुच्छेद 370 में ही किया गया है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 370 की उपधारा (1) (स) में ही यह लिखा गया है कि 'अनुच्छेद 1 और इस अनुच्छेद के अंतर्गत किये गए प्रावधान ही राज्य के ऊपर लागू होंगे।[5] इस प्रकार संविधान का अनुच्छेद 370 भारतीय संघीय व्यवस्था में जम्मू कश्मीर को प्रदत्त विविध असमरूपता संबंधी प्रावधान निरूपित करता है।[6]

व्यावहारिक रूप से अनुच्छेद 370 के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अनुसार जम्मू–कश्मीर को भारतीय संघ में तीन वैशिष्ट्य प्राप्त है जो कि देश के किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को प्राप्त नहीं है। प्रथम, भारत के संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों से अलग जम्मू कश्मीर राज्य को अपना अलग संविधान, राज्य का अलग ध्वज और अन्यान्य प्रतीकों को बनाने और अपनाने का वैशिष्ट्य प्राप्त है। इस

दृष्टि से जम्मू कश्मीर देश का इकलौता राज्य है जिसका अपना संविधान, ध्वज और कई अन्य विशिष्ट पहचानों, संरचनाओं, और प्रक्रियाओं को संजो कर रखने का अधिकार है और राज्य ने इस अधिकार का बखूबी उपयोग किया है। द्वीतीय, अनुच्छेद के अंतर्गत ही उस प्रविधि का वर्णन किया गया है जिसको अपनाकर ही भारतीय संविधान के अन्य प्रावधानों अथवा संसद द्वारा पारित अधिनियमों को जम्मू कश्मीर पर लागू करने हेतु अग्रसारित किया जा सकता हैं वास्तव में वर्तमान में जम्मू कश्मीर के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे का निरूपण भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1954 में पारित वह संविधान (जम्मू–कश्मीर अनुप्रयोग) आदेश जिसके द्वारा न केवल संविधान के अनेकों अन्य प्रावधानों को राज्य पर लागू करने का उपक्रम किया गया था अपितु राज्य के असमरूप स्वरूप को काफी सीमा तक कम किया गया था।

तृतीय, अनुच्छेद 370 यह भी प्रावधान करता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में जम्मू–कश्मीर के संविधानिक दर्जे को परिवर्तित करने का कोई विधिक प्रक्रिया तभी संविधानिक मान्य होगी जब उसके अनुमोदन राज्य की संविधान सभा द्वारा किया जाए। इसलिए कुछ विद्वानों का मानना है कि अनुच्छेद 370 के बारे में कोई भी कदम तभी वैधानिक माना जायेगा जब उसके अनुमोदन के लिए जम्मू कश्मीर में संविधान सभा का पुनः निर्माण किया जाय और वह संविधान सभा संसद द्वारा इस तरह के पारित किसी संविधान संशोधन को अपनी स्वीकृति दे।[7] इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा जम्मू कश्मीर को प्रदत्त असमरूपता वस्तुतः राज्य में शांति और सुख के वातावरण के स्थायी निर्माण के लिए निरूपित माना जा सकता है। किन्तु कालांतर में इस मुद्दे पर उठने और जारी रहने वाले विवादों ने इसे शांति के प्रावधान के स्थान पर केंद्र और राज्य के मध्य विवाद और वैमनस्य का प्रावधान बना दिया जिसके अनपेक्षित परिणाम सबके सामने सुस्पष्ट हैं।[8]

संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची

भारतीय संविधान में प्रदत्त पांचवीं और छठीं अनुसूची के द्वारा भी देश के कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में शासन की असमरूप व्यवस्था का सृजन किया गया है। ये क्षेत्र मूलरूप से वे हैं जहाँ अनुसूचित जनजाति के लोग बहुसंख्या में दीर्घकाल से निवास करते रहे हैं। इन लोगों की विशिष्ट जीवन शैली, सामाजिक परम्पराओं, आर्थिक गतिविधियों, सांस्कृतिक मूल्यों और विरासतों तथा कतिपय क्षेत्रों में शासन व न्याय की अद्भुत प्रक्रियाओं को अक्षुण्ण रखने व संरक्षित करने की दृष्टि से संविधान निर्माताओं ने इनके लिए विशेष प्रावधान किए। इस सन्दर्भ में संविधान सभा में बोलते हुए बाबासाहेब अम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि हालाँकि देश के कुछ हिस्सों में रहने वाले जनजातीय समूह कमोबेश हिन्दू संस्कृति और जीवन शैली को अपनाने लगे हैं, फिर भी असम जैसे क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोग अभी भी अपनी सभ्यता और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े हुए हैं।[9] अतः उनकी इस अद्भुत सभ्यता और संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए संविधान में कतिपय विशेष प्रावधानों की नितांत आवश्यकता है, और इस प्रकार संविधान की पांचवी और छठी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

पांचवीं अनुसूची में प्रदत्त प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र से बाहर के राज्यों जैसे ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखण्ड आदि के जनजातीय बहुल क्षेत्रों की शासन व्यवस्था से संबंधित है। इन प्रावधानों के मूल में केंद्र सरकार को प्राप्त वे विशेष अधिकार हैं जिन्हे वह उस राज्य के राज्यपाल के माध्यम से क्रियान्वित कर सकती है। दूसरे शब्दों में, ये प्रावधान राज्यपाल को केंद्र के प्रतिनिधि के नाते ये विवेकाधिकार प्रदान करते हैं कि वह राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना ही यह निर्णय ले सकता है कि संसद या राज्य विधान सभा द्वारा पारित कोई कानून उस 'अनुसूचित क्षेत्र' में लागू होगा कि नहीं। साथ ही वह ऐसे क्षेत्रों में शांति और सुशासन हेतु कतिपय विशेष विनियमों का सृजन भी कर सकता है। इनके अतिरिक्त 'अनुसूचित क्षेत्र' के लिए जनजातीय परामर्शदात्री परिषदों के गठन का प्रावधान भी पांचवीं अनुसूची में किया गया है।

पांचवीं अनुसूची से मिलते–जुलते प्रावधान छठीं अनुसूची में भी किए गए हैं। परन्तु इस सूची का हेतु पूर्वोत्तर राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान करना है। दूसरे शब्दों में, छठीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों में लागू होते हैं और इन राज्यों के राज्यपालों को इन राज्यों में रहने वाले जनजातीय लोगों के विशिष्ट सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन शैली को सुरक्षित और संरक्षित करने हेतु वृहत विवेकाधिकार प्रदान करते हैं। विविध अनुसूचित क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों और अन्य क्षेत्रीय परिषदों के गठन का प्रावधान भी छठीं अनुसूची में किया गया है। इन्ही प्रावधानों के अंतर्गत 2003 में असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद् का गठन किया गया। इस प्रकार ये प्रावधान अन्य राज्यों की तुलना में कुछ राज्यों के कतिपय क्षेत्रों की शासन व्यवस्था को असमरूप बनाते है और भारतीय संघीय प्रणाली में संवैधानिक असमरूपता को विस्तार प्रदान करते हैं।

अनुच्छेद 371 के अंतर्गत प्रदत्त विशेष प्रावधान

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 371 को ऐसे समावेशी अनुच्छेद का स्वरुप प्रदान किया गया है जिसके अंतर्गत समय–समय पर लोगों की उचित क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूर्ण करने हेतु विशिष्ट प्रावधान किये जा सकें और देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाएं रखा जा सकें। इस दृष्टि से अनुच्छेद 371 का प्रावधान मौलिक रुप से स्वतंत्रता के पश्चात् राज्यों के पुनर्गठन से उत्पन्न अंतर्राज्यीय तथा अंतरा–राज्यीय विकास की असमानताओं को दूर करने हेतु किया गया था। तत्पश्चात जैसे जैसे विभिन्न लोगों और राज्यों की विशिष्ट अस्मिताओं और आवश्यकताओं के प्रश्न खड़े होते गए, वैसे वैसे नवीन उपधाराएँ अनुच्छेद 371 में जोड़ी जाती रहीं। इस अनुच्छेद के अंतर्गत किये गए असमरूपी स्वायत्ता की व्यवस्था वस्तुतः नागालैंड और मिजोरम जैसे राज्यों में नृजातीय संघर्षों के शांतिपूर्ण हल के रूप में भी महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुए हैं। यथार्थरूप में, अविभाजित असम के हिस्से के नाते नागा पहाड़ियां आरम्भ से ही काफी अशांत रहीं और इस क्षेत्र में हिंसक आंदोलनों का स्वरूप प्रायः पृथकतावादी आंदोलन का रूप ग्रहण करता रहा है। कालांतर में नागा गुटों के साथ शांति वार्ताओं के फलस्वरूप केंद्र सरकार ने न केवल नागालैंड नामक अलग राज्य की स्थापना की मांग स्वीकार की अपितु संविधान में अनुच्छेद 371 (अ) के सृजन की बात भी स्वीकार की जिसके अंतर्गत भारतीय संघ के अंदर नागालैंड राज्य को एक विशिष्ट स्वायत्ता प्राप्त राज्य का दर्जा दिया गया।

वर्तमान समय में अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विविध उपधाराओं के माध्यम से भारतीय संघ में शामिल होने वाले अथवा पुनर्गठित होने वाले राज्यों के बारे में विशेष प्रावधान किये गए हैं। उदहारण स्वरूप अनुच्छेद 371 (फ) के अंतर्गत सिक्किम के बारे में यह विशेष प्रावधान किया गया है कि न केवल राज्य के कतिपय जनजातीय समूहों जैसे भोटिया और लेपचा को राज्य विधान सभा में निश्चित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जायेगा अपितु विभिन्न जनजातियों की अपनी पारम्परिक विधियां राज्य में वैधानिक रूप से मान्य होंगी चाहे वे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के विरुद्ध ही क्यों न प्रतीत होती हों। इसी प्रकार अनुच्छेद 371 (ग) के अंतर्गत मिजोरम राज्य के बारे में यह विशेष प्रावधान किया गया है कि राज्य में लोगों की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं, पारम्परिक विधि और दीवानी तथा फौजदारी मामलों का प्रशासन लोगों के परंपरागत कानूनों के अनुसार ही होगा। इस दृष्टि से अनुच्छेद 371 (ग) मिजोरम को भारतीय संघ के अन्य राज्यों की तुलना में अनूठी स्वायत्ता प्रदान करता है। इसी प्रकार जब गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया तो उसके लिए भी अनुच्छेद 371 (ई) के अंतर्गत कुछ विशेष प्रावधान किये गए। संक्षेप में, अनुच्छेद 371 जम्मू–कश्मीर से अलग विभिन्न राज्यों के बारे में किये गए विशेष प्रावधानों का समुच्चय माना जा सकता है।

अन्य असमरूपताएं

भारत की संघीय व्यवस्था की दो अन्य असमरुपीय विशेषताएं उल्लेखनीय हैं। इनमे से पहली असमरूपता की भारतीय संघ में केंद्र शासित क्षेत्रों विशिष्ट स्थान के रूप में देखी जा सकती हैं।[12]

वास्तव में सविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत जब भारत के भौगोलिक क्षेत्रों के परिमाप का वर्णन किया जाता है तो उनमें राज्यों को मुख्य अवयव के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। परंतु राज्यों के साथ ही देश के विविध हिस्सों में स्थित सात केंद्र शासित क्षेत्र भी भारत वर्ष के अभिन्न अंग के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं ये सातों केंद्र शासित प्रदेश देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित वे विशिष्ट क्षेत्र हैं जिन्हें उनकी अनूठी राजनीतिक, सांस्कृतिक अथवा भौगोलिक स्थिति के कारण किसी अन्य राज्य में समाहित करना समुचित नहीं माना गया। इस दृष्टि से जहाँ दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे क्षेत्रों को उनके राजनीतिक महत्व के कारण अलग क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई, वहीं लक्षद्वीप, अंडमान–निकोबार, पुडुचेरी, दादरा और नागर हवेली जैसे क्षेत्रों को उनकी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण भारतीय संघ की अलग इकाई के रूप में स्वीकार करना समीचीन प्रतीत हुआ। संविधानिक रूप से ये केंद्र शासित प्रदेश न केवल राज्यों की तुलना में विशेष दर्जा प्राप्त क्षेत्र हैं अपितु इनमें से कई क्षेत्रों के लिए अनूठे प्रकार की राजनीतिक–प्रशासनिक व्यवस्था का भी सृजन किया गया हैं। उदहारण के लिए, दिल्ली के लिए एक विशेष प्रकार की शासन व्यवस्था का गठन संविधान के अनुच्छेद 239 (अअ) के अंतर्गत किया गया है जो दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी के स्वरूप को देखते हुए काफी समुचित व्यवस्था मानी गई है।[13]

भारत की संघीय व्यवस्था की दूसरी महत्वपूर्ण असमरूपता को संसद के उच्च सदन अर्थात राज्य सभा में राज्यों के असमान प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जा सकता है।[14] रोचक बात यह है कि संघवाद के पुरातन सैद्धांतिक चिंतन में, जिसका कि सर्वोत्कृष्ट व्यावहारिक प्रतिफलन अमेरिका में देखने को मिलता है, में इस बिंदु पर काफी बल दिया गया कि चूँकि संघीय विधायिका का ऊपरी सदन संघीय विधायिका में राज्यों का प्रतिनिधत्व सुनिश्चित करने के लिए बनाया जाता है, इसलिए उसमे राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इसी कारण अमेरिकी सेनेट में प्रत्येक अमेरिकी राज्य को बराबर का प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। परंतु भारतीय संविधान निर्माताओं ने संघवाद के इस पुरातन सिद्धांत को भारत के लिए स्वीकार करने से मना कर दिया। इसके विकल्प स्वरूप भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में राज्यों को उनकी जनसख्यां के अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा को स्वीकार किया। इसका मूल कारण यह है कि भारतीय राज्यों के मध्य जनसंख्या का अंतर इतना विराट है कि इस तथ्य को नकार कर हर राज्य को राज्य सभा में समान प्रतिनिधित्व देने की बात पूर्णतः अतार्किक और अविवेकपूर्ण प्रतीत होती। साथ ही भारतीय संसद के ऊपरी सदन को भारतीय संवैधानिक परंपरा में राज्यों के हितों के संरक्षक से अधिक संसद की विधायी प्रक्रिया के सशक्त भागीदार के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए राज्य सभा के गठन में राज्यों को इकाई मानने की बजाय जनसंख्या को ही आधार मानना संविधान निर्माताओं को उपयुक्त लगा।

उपसंहार

संघीय शासन प्रणाली के पसंदीदा सैद्धांतिक अवयव के रूप में समरूपता की अवधारणा अनेकोनेक देशों की जटिल सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक–नृजातीय परिस्थितियों के सम्मुख अपनी उपयोगिता को बरकरार रखने में सर्वथा विफल रही है। भारत के मामले में इस प्रणाली को देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की अतिरिक्त चुनौती का भी सामना करना पड़ा परिणामतः, भारत सहित संसार के कई अन्य देशों ने भी संघवाद के इस सैद्धांतिकता राद्धांतता को सरासर अस्वीकार कर अपने संविधानों में अनेक असमरूप विशेषताओं को समाहित कियां विशेषकर भारत के संविधान निर्माताओं ने संघवाद को एक जड़मूलक अवधारणा मानने की बजाय इसे एक जीवंत राजनीतिक व्यवस्था के रूप में स्वीकार करना अधिक श्रेयस्कर समझा। इस व्यवस्था के द्वारा संविधान निर्माताओं ने न केवल देश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और नृजातीय वैविध्य को संजोकर रखा, अपितु देश की एकता और अखंडता को भी काफी सीमा तक अक्षुण्ण रखने में सफल रहे। इन्ही सांस्कृतिक और भौगोलिक चुनैतियों से निपटने के क्रम में भारतीय संघवाद में प्रादेशिक और अप्रादेशिक दोनों प्रकार की असमरूपताओं को

निरूपित किया गया। देश में संविधान के सात दशक से अधिक के क्रियान्वयन के पश्चात् जब हम संघीय असमरूपताओं से संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का मूल्यांकन करते हैं तो हम पाते हैं कि जम्मू–कश्मीर को छोड़कर शेष सभी संघीय असमरूपताएं अपने अपने हेतुओं को पूरा करने में काफी सीमा तक सफल रहीं हैं हालांकि संविधान में अधिकतर संघीय असमरूपताओं को अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंधों के रूप में सृजित किया गया था किन्तु अपनी उपादेयता के कारण ये संघीय असमरूपताएं उत्तरोत्तर भारतीय संविधान और संघीय व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बनी हुयी हैं।

सन्दर्भ सूची

1. चार्ल्स टार्लटन, "सेमिट्री एंड सेसिमिट्री ऐज एलिमेंट्स ऑफ फेडरलिज्मः अ थ्योरिटिकल स्पेकुलेशन", जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स, 27 (4), 1965, पृ. 873

2. लुई टिलिन, "यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी? एसीमेट्री इन इंडियन फेडरलिज्म", *पब्लियसरू द जर्नल ऑफ फेडरलिज्म*, 37(1), 2006, पृ. 48

3. देखिए, रोनाल्ड वाट्स, "द थ्योरिटिकल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशन्स ऑफ असीमिट्रिकल फेडरलिज्म", रोबर्ट अगरनॉफ (सं.), अकोमोडेटिंग डाइवर्सिटीरू एसिमिट्रिकल इन फेडरल स्टेट्स, बेडन–बेडनः नोवोस फेरलाग्सेशेल शाफ्ट

4. रेखा सक्सेना, "इज इंडिया अ केस ऑफ एसिमिट्रिकल फेडरलिज्म", इकनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 47(2), 2012, पृ. 70

5. भारत का संविधान, नई दिल्लीः विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, 2017

6. ए जी नूरानी, आर्टिकल 370ः अ कोंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नई दिल्लीः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2011, पृ. 23

7. लुई टिलिन, "एसिमेट्रिक फेडरलिज्म", सुजीत चौधरी, माधव खोसला, और प्रताप भानु मेहता (सं.), द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन, नयी दिल्लीः ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2016, पृ. 545–548

8. रेखा चौधरी, "ऑटोनोमी डिमांड्सः कश्मीर एंट क्रॉसरोड्स", इकनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 35(30), 2000, पृ. 2599

9. *संविधान सभा बहस*, खंड 9, नई दिल्लीः लोक सभा सचिवालय, 1986, पृ. 1025

10. खाम खान सुअन हौसिंग, "एसिमेट्रिक फेडरलिज्म एंड क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेटिक जस्टिस इन नॉर्थईस्ट इंडिया", इंडिया रिव्यू, 13(2), 2014, पृ. 89

11. ज्योतिरिन्द्र दासगुप्ता, "कम्युनिटी, ऑथेंटिसिटी एंड ऑटोनोमीः इंसर्जेन्स एंड इंस्टीटूशनल डेवलपमेंट इन इंडियाज़ नार्थ ईस्ट", जर्नल ऑफ़ साउथ ऐशिअन स्टडीज, 56(2), 1997, पृ. 358.

12. विद्युत चक्रबर्ती एवं राजेंद्र कुमार पांडेय, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, नई दिल्लीः सेज पब्लिकेशंस, 2008, पृ. 44

13. राजेंद्र कुमार पांडेय, "गवर्निंग द नेशनल कैपिटलः डिस्कोर्स ऑन स्टेटहुड फॉर दिल्ली", इंडियन जर्नल ऑफ फेडरल स्टडीज, 15 (1–2), 2014, पृ. 112

14. एम् पी. सिंह एवं रेखा सक्सेना, इंडियन पॉलिटिक्सः कंटेम्परी इस्यूज एंड चौलेंजेज, नई दिल्लीः प्रेन्टिस हॉल ऑफ इंडिया, 2008, पृ. 140

❑❑❑

भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका की बढ़ती सक्रियता का प्रभाव

***डॉ. नियाज अहमद अंसारी,**
****डॉ. शाहजाद अहमद अंसारी**

आधुनिक लोकतंत्रों में संसदीय लोकतंत्र को विश्व के सर्वाधिक देशों में अपनाया गया है। संसदीय लोकतंत्र को अपनाने वाले देशों में उल्लेखनीय हैं– इंग्लैड, भारत, कनाडा, हालैंड, बेल्जियम, श्रीलंका, पाकिस्तान, जापान, नाइजीरिया, इंडोनेशिया आदि। किसी भी लोकतंत्र का आधार **'विधि का शासन'** होता हैं जिसके क्रियान्वयन हेतु न्यायपालिका का स्वतंत्र एवं प्रभावशाली होना जरूरी है।

न्यायपालिका का यह प्रमुख दायित्व होता है वह जनता के मूल अधिकारों की रक्षा एवं संविधान की व्याख्या करे। मूल अधिकारों के क्रियान्वयन एवं उनके संरक्षण हेतु जरूरी है कि न्याय व्यवस्था अल्पव्ययी, सरल एवं द्रुतगामी हो क्योंकि बिलंब से मिलने वाला न्याय अव्यवस्था उत्पन्न करने वाला होता है। दुर्भाग्यवश, एशिया व अफ्रीका के पिछली सदी में स्वतंत्र हुए अधिकतर देशों को ऐसी ही न्यायिक प्रणाली विरासत में मिली हैं, जहाँ संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। इसे सुधारात्मक एवं सक्रिय बनाने हेतु जब भारत में व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका ने कोई विशेष कार्य नहीं किया तो न्यायपालिका को स्वयं ही इस दिशा में अग्रसर होना पड़ा हैं जिसे वर्तमान में न्यायिक सक्रियता के रूप में देखा जा रहा है।

विश्व स्तर पर इसकी शुरूआत अमरीका में 1803 में हुई है। जब **मारबरी बनाम मेडिसन केस** के निर्णयनुसार अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी संसद **'कांग्रेस'** के पारित कानून को संविधान के प्रतिकूल घोषित कर दिया। इस मामले के अनुसार मार्च 1801 मे अमेरिकी राष्ट्रपति **एडम्स** ने मारबरी को कोलम्बिया जिले का न्यायाधिकारी नियुक्ति किया, किंतु इसका आदेश मारबरी को भेजे जाने से पूर्व राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया। नए राष्ट्रपति जैफरसन के न्यायमंत्री मेडिसन ने उपरोक्त आदेश भेजने से इंकार कर दिया। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक पुनरावलोकल के तहत मारबरी के दावे को उचित मानते हुए उन्हें उक्त पद दिलाया।[1]

भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ज्ञात होता है कि स्वतंत्र भारत को भी दोषपूर्ण न्याय–प्रणाली प्राप्त हुई। संविधान–निर्माता बहुत चाहने पर भी इसके दोषों से छुटकारा नहीं पा सके। उन्होंने स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सक्षम न्याय–व्यवस्था की स्थापना तो कर दी, किन्तु व्यवहार में न्यायिक सर्वोच्चता एवं संसदीय सर्वोच्चता का संघर्ष छिड़ा रहने से स्थिति बद से बदतर बनती गई है।

इसके दुष्परिणामस्वरूप ही भारत में न्याय का औपनिवेशिक व सामंतवादी स्वरूप विद्यमान रहा और पिछले कई दशकों तक गरीब व अशिक्षित लोगों को आवश्यकतानुसार सस्ता, सरल, सुबोध एवं शीघ्र न्याय मिलना सुलभ नहीं हो सका। हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, और नौकरशाही ने नागरिकों के हितों व उनकी गरिमा की रक्षा करने तथा न्याय दिलाने के स्थान पर जनता के शोषक और सत्ता के सौदागर के रूप में ही नकारात्मक भूमिका का निर्वहन किया है। राजनीतिज्ञों का दुस्साहस तो देखिए कि वे अपनी शक्तियों का लगातार दुरूपयोग करते हुए 'चोरी और सीना जोरी' की स्थिति को यथावत बनाए रखना चाहते हैं।

---

* सहायक प्रोफेसर, राजनीतिक विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय, सिहावल, सीधी (म. प्र)
* सहायक वैज्ञानिक अधिकारी (राजनीति विज्ञान) वै. त. रा. आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

देश में भ्रष्ट्राचार, लूट और हिंसा की घटनाएँ लगातार बढती गई और विधायिका व कार्यपालिका चुप्पी साधकर नेताओं, मंत्रियों, नौकरशाहों के कुकृत्यों और कदाचारों पर पर्दा डालती रही हैं। जनता की सहनशीलता का बांध टूटता देखकर न्यायपालिका ने जनहित एवं सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए अपने क्षेत्राधिकार में अधिक सक्रिय व प्रभावी भूमिका निभाने का बीड़ा उठाया जिसे न्यायपालिका का सकारात्मक रूप कहा जाना चाहिए, जैसा कि एक फिल्म 'कुदरत का कानून' में गीतकार ने कहा है–

चारों तरफ अंधेर मचा है, पानी महंगा सस्ता खून।
आखिर कौन स्थापित करें, सुशासन और कानून।।

सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों ने समय की मांग को समझते हुए यह मान लिया है कि 'न्याय' का स्वरूप मात्र कानूनी ही नहीं हैं, वरन् सामाजिक एवं आर्थिक भी है। भारत में इस दृष्टिकोण के तहत जनहित याचिका का वास्तविक क्रियान्वयन प्रारंभ हुआ जिसमें प्रशसनिक त्रुटियों को न्यायलय के सामने प्रस्तुत करके इन याचिकाओं पर तत्परता से विचार होता है। भारत में इस पंरपरा के प्रवर्तन का श्रेय **न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती** को प्राप्त है जिन्होंने सन् 1982 में पोस्टकार्ड पर जनहितकारी प्रार्थना मिलने पर मामले की सुनवाई कर दी थी। आगे चलकर रंजना द्विवेदी वाद में 1983 में न्यायपालिका में जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को स्वीकार करते हुए यहा कहा कि यद्धपि नीति–निर्देशक तत्व प्रथमतः कार्यपालिका एवं विधायिका को दिए गए निर्देश हैं, तथापि न्यायपालिका भी नीति–निर्देशक तत्वों द्वारा बाध्य है। अतः न्यायपालिका का यह कर्तव्य बनता है कि वह संविधान का ऐसा निर्वचन करे जिससे नीति–निदेशक तत्वों को शीघ्र क्रियान्वित किया जा सके और इन सिद्धांतों में निहित सामाजिक लक्ष्यों एवं व्यक्तिगत अधिकारों में सामंजस्य बैठाया जा सके।[2]

न्यायपूर्ति भगवती ने जनहित याचिका के प्रयोग को प्रोत्साहित करते हुए **'एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ'** में कहा है "यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध अन्याय किया जाता हैं जो अपनी गरीबी या असमर्थता के कारण न्यायालय नहीं पहुँच सकता, तो कोई तीसरा पक्ष न्यायालय में अनुच्छेद–32 के अंतर्गत आवेदन कर सकता है। इसके लिए उसे याचिका की तकनीकी बारीकियों के अनुपालन की जरूरत नहीं है। प्रक्रियात्मक तकनीक ऐसे पीड़ित व्यक्ति को न्याय प्रदान करने के मार्ग में अवरोध नहीं बन सकती।"[3]

भारतीय संसदीय लोकतंत्र का यह सुखद पहलू है कि पिछले तीन दशकों में न्यायालयों की बढ़ती सक्रियता का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर हुआ है। जहाँ एक ओर न्यायपालिका विशाखा वाद (1997) सहित अन्य विभिन्न मामलों में विधि निर्मात्री के रूप में और दिल्ली में प्रदूषण और प्रदूषण से ताजमहल के बचाव जैसे अनेक राष्ट्रहित एवं जनहित के मामलों में कार्यपालिका को निर्देशित करती हुई दिखाई दी है। कालांतर में, समय–समय पर ऐसे दर्जनों मामले सामने आते रहे हैं जिसे न्यायपालिका द्वारा अतिक्रमण करना निरूपित किया जाता रहा है।

अतः न्यायपालिका की बढ़ती सक्रियता के दोनों पहलुओं–सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों की विवेचना निम्नलिखित बिंदुओ में प्रस्तुत करना उचित प्रतीत होता हैं–

1. जनहित संबंधी विवादों को मान्यता देना

सर्वोच्च न्यायालय ने समय–समय पर कई बार स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे व्यक्ति या समूह/वर्ग की ओर से मुकदमा लड़ सकता है जिसको कि संवैधानिक अधिकारों व सुविधाओं से वंचित किया गया हो। ऐसी स्थिति में न्यायालय अपने सारे तकनीकी व कार्यविधि संबंधी नियमों की परवाह किए बिना उसे लिखित रूप मे देने मात्र से ही कार्रवाई करेगा।

भारत में ऐसे मामलो की शुरूआत बिहार की भागलपुर जेल में विचाराधीन बंदी रखे गये कैदियों से हुई। इसके संबंध में पुलिस आयोग के सदस्य **के. एफ. रूस्तमजी** के एक लेख से प्रभावित होकर **एडवोकेट श्रीमती हिंगोरानी** ने अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कैदियो के मामले को उच्चतम न्यायालय में उठाया। प्रेस की खबर के आधार पर उन्होंने ऐसे सात विचाराधीन कैदियों के नाम बताते हुए कहा कि

बिहार की जेलों में ऐसे सैकड़ों कैदी है जो वर्षों से सड़े रहे हैं जिनके मामलों की सुनवाई तक शुरू नहीं हुई है। इस याचिका के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने सक्रिय होकर बिहार सरकार को नोटिस देकर 18 माह से ज्यादा विचारधीन बंदियों की जानकारी मांगी तो पता चला कि बिहार में ऐसे हजारों कैदी हैं जो जमानते प्राप्त करने में असमर्थ थे। शीघ्र ही इन्हें छोड़ दिया गया।

इसी प्रकार **सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन मामले** में जनहित की रक्षा की आवश्यकता को अनुभव करते हुए उच्चतम न्यायालय ने जेल प्रशासन में सुधारों के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए अत्यंत पुराने एवं अप्रासंगिक जेल नियमावली (मैनुअल) के नियम का सिंहावलोकन करते हुए उसमें संशोधन की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही, विचाराधीन कैदियों को बेड़ी नहीं पहनाने का भी इस निर्णय में प्रतिपादन किया गया।[4]

2. मानव अधिकारों का क्रियान्वयनः

भारतीय न्यायालयों ने संयुक्त राष्ट्र के **'मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा' (1948)** के संदर्भ में और **'नागरिक व राजनीतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय समझौते'** के अधीन मानव प्रतिष्ठा के प्रश्न को शामिल किया है। **सुप्रीम कोर्ट** ने आगरा होम, दिल्ली नारी निकेतन तथा हवाई अड्डा प्राधिकरण के मामलों में इसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए कहा है कि अनुच्छेद 14 का समान कानूनी संरक्षण सबको स्वेच्छाचारिता के विरूद्ध गारंटी देता है। इनके सुनिश्चित क्रियान्वयन हेतु 1992 में राष्ट्रीय एवं राज्यों में कई राज्य–स्तरीय मानव अधिकार एवं महिला आयोग स्थापित किए गए हैं जो सफलतापूर्वक कार्य कर रहें हैं।[5] ये आयोग भी अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका का ही कार्य कर रहे हैं।

3. कार्रवाई में विवेकपूर्णताः

अनुच्छेद 21 की नई व्याख्या भी न्यायिक सक्रियता का ही प्रतिफल है। इसमें आम आदमी के जीवन व सुरक्षा को वास्तविक बनाने के प्रयास में कहा गया है कि 'विधि द्वारा स्थापित कार्यविधि' को छोड़कर अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन तथा निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। पहले यह माना जाता था कि व्यवस्थापिका या न्यायपालिका कोई न कोई कार्यविधि अपनाकर व्यक्ति की स्वतंत्रता या जीवन छीन सकती है। किंतु **मेनका गाँधी वाद** में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रत्येक कार्रवाई विवेकपूर्ण तरीके से ही संपन्न होनी चाहिए।[6]

इस प्रकार संविधान के भाग–3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की प्रत्येक धारा में 'विवेकपूर्ण' एक अनिवार्य शर्त लगा दी गई है। फौजदारी मामलों में अनावश्यक विलम्ब को भी विवेकपूर्ण नहीं माना गया है। इसी आधार पर बिहार की कई जेलों के ऐसे कैदियों को बिना शर्त रिहा कर दिया गया जो अधिकतम संभावित सजा को बिना अदालती कार्रवाई के गुजार चुके थे।

4. निःशुल्क कानूनी सहायताः

अब सरकार का यह दायित्व बना दिया गया है कि वह निर्धन पक्षकार को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करें, क्योंकि अदालती कार्यवाही विलम्ब एवं व्ययकारी होने पर न्याय के स्थान पर अन्यायपूर्ण हो जाती है। इस दिशा में केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने निःशुल्क कानूनी सहायता देने का प्रबंध किया है।

5. न्यूनतम मजदूरी देने संबंधी निर्णय

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के चमारों के विषय में उच्चतम न्यायालय ने स्वयं उनकी सामाजिक–आर्थिक दशाओं को जाँचने हेतु एक आयोग गठित किया जिसका व्ययभार राज्य सरकार को जुटाने का आदेश भी दिया। आयोग ने पाया कि चमारों का धंधा ठेके पर उठा दिए जाने से उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल पाती है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की– **"यदि निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी दी जाती है तो उसे अनुच्छेद 25 के तहत बेगार माना जायेगा और उसी के अनुसार निर्णय दिया जायेगा"।** कालान्तर में यही निर्णय लाखों लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ है। इसके सुखद परिणामस्वरूप ही मजदूरों को कलेक्टर के द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर से भुगतान किया

जाना संभव हो सका है समय–समय पर इस आधार पर न्यूनतम मजदूरी दर की समीक्षा करते हुए न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि भी की जाती है।

6. कानूनी निर्माण में भागीदारी

न्यायिक सक्रियता के उभरते दौर में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा विकसित की है कि यद्यपि न्यायाधीश या न्यायालय का काम कानून बनाना नही है, तदापि वह कानून की रूपरेखाओं में रंग अवश्य भरता है अर्थात् कानून की सूखी हड्डियो पर रक्त मांस अवश्य चढ़ाता है। इस प्रकार अब न्यायालय अप्रत्यक्ष रूप से कानून निर्माण में भागीदारी निभाने लगा है। न्यायमूर्ति पी. भगवती के अनुसार कहा जा सकता है कि अब न्याय प्रणाली में अरस्तू व प्लेटो दोनों के गुणों का समावेश हो रहा जिसमें एक ओर विधि के शासन का संस्थापक है तो दूसरी ओर प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जरूरत के अनुसार न्याय प्रदान करने वाला दार्शनिक राजा भी है।

उदाहरणार्थ, 1982 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भगवती ने हरियाणा सरकार की इस बात की निंदा की थी कि उसने एक महिला के मुआवजे को कम करने हेतु न्यायालय की शरण ली थी। उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा सरकार की विशेष याचिका रद्द करते हुए इसे शर्मनाक बताया, क्योंकि सरकारी वकील का यह तर्क मूर्खतापूर्ण था कि मृतक वृद्ध होने के कारण कमाने लायक नही था इसलिए वृद्ध विधवा मुआवजे की हकदार नहीं है।

7. समान नागरिक संहिता की दिशा में सक्रियता

2003 में भारतीय उत्तराधिकार की धारा 118 को उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित करते हुए संसद को विभिन्न धर्मो, सम्प्रदायों व धर्मावलंबियों पर लागू होने वाले निजी कानूनों में एकरूपता लाने हेतु निर्देश दिया था कि अब यथाशीघ्र अनुच्छेद 44 के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए। इसमें विलम्ब करना राष्ट्रीय एकता व अखंडता को जानबूझकर खतरे में डालना होगा।

उल्लेखनीय है कि इस दिशा में **शाहबानो वाद** (1985) में उच्चतम न्यायालय का निर्णय मील का पत्थर साबित हुआ है। इसमें न्यायालय ने कहा कि यदि मुस्लिम महिला तलाक के बाद निर्वाह करने में असमर्थ है तो वह भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 125 के तहत अपने पति के विरूद्ध भरण–पोषण हेतु दावा कर सकती। मुस्लिम कट्टरपंथियों के तीव्र विरोध स्वरूप सरकार ने यह निर्णय निष्प्रभावी कर दिया।[7] सरकार द्वारा अब **'तीन तलाक'** की कुप्रथा को समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

8. भ्रष्ट्राचार की परतों का खुलना

भारतीय राजनीति के क्षुद्रतापूर्ण प्रतिबिम्ब के रूप में चुनावो में धन की भूमिका के संदर्भ में जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत चुनाव के खर्च की सीमा निर्धारित की जा सकी है। प्रत्याशियों के लिए अन्य कई प्रतिबंध आरोपित किए गए जो न्यायिक सक्रियता से ही संभव हो सके हैं इसी प्रकार **शहरी आवास आवंटन घोटाला, हवाला काण्ड, चारा घोटाला, कॉमनवैल्थ खेल घोटाला**, **टू जी स्पेक्ट्रम** आदि दर्जनों घोटाले प्रकाश में आते गए जो कार्यपालिका की कर्त्तव्यविमुखता के कारण होते जा रहे थे। इससे न्यायापालिका को विवश होकर आक्रामक होना पड़ा, क्योंकि राजनीतिज्ञ अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए चोरी और सीना जोरी की स्थिति बनाए रखने के प्रयास करते रहे हैं और संसद सहित कार्यपालिका मूक दर्शक बनी रही।

9. सी.बी.आई. पर लगाम लगानाः

न्यायाधीशों को कई बार ऐसा लगा है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) सत्ताधीशों को बचा रही है तो उन्होंने निगरानी की भूमिका निभाते हुए सिद्ध कर दिया कि सी. बी. आई. सत्ताधीशों की अपराधिक कार्यवाहियों का पता लगाने, उनकी जाँच करने व दोषियों को सजा दिलाने के अपने वैधानिक कर्त्तव्य के निर्वहन में असफल रही है ऐसे में न्यायपालिका को सक्रिय होना नितांत आवश्यक होता गया। जल्दी ही उच्च न्यायलयों ने भी उच्चतम न्यायालय का ही अनुसरण किया।

अक्टूबर, 1993 में दो पत्रकारों व दो वकीलों द्वारा दायर की गई जनहित याचिका के आधार पर जैन बंधुओं द्वारा किये गए हवाला काण्ड की धीमी जाँच पर सुप्रीम कोर्ट ने सी.बी. आई को फटकार लगाई और मुख्य न्यायधीश **एम. एन. वैंकटचलैया** ने सरकार को भी नोटिस जारी किया। सी. बी. आई. पर आरोप था कि उसने जैन बंधुओं की डायरी को 2 साल तक दबा कर रखा। इसके लिए उच्चतम न्यायालय ने सी. बी. आई. के निदेशक विजय रामाराव को निजी तौर पर जबावदेह मानकर समय–समय पर जाँच की प्रगति से कोर्ट को सूचित करने को कहा।

10. निगरानी की जिम्मेदारी संभालनाः

जब सेंट किट्स व लक्खूभाई पाठक मामलों में सीबीआई ने आरोप–पत्र दखिल किए तो उच्चतम न्यायालय ने निगरानी रखने की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने का स्वतः निर्णय ले लिया। इसका समर्थन करते हुए पूर्व न्यायाधीश **चेनप्पा रेड्डी** ने कहा था– **"अदालतों को निगरानी का काम अपने हाथ में इसलिए लेना पड़ा क्योंकि उनके आदेशों को पूरा करने में कार्यपालिका का रिकार्ड खराब रहा है।"**

11. महिला सशक्तिकरण को गति देनाः

न्यायपालिका ने महिला एवं बाल विकास की दिशा में भी सक्रियता दिखाई हैं। सन् 2001 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया कि बालिग महिला किसी भी पुरूष के साथ न केवल स्वेच्छा से रह सकती है, बल्कि उससे सहवास भी कर सकती है। अनुच्छेद 19 और 21 के तहत यहा उसको स्वतंत्रता का अधिकार है।[8] कामकाजी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं से चिंतित होकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्पीड़न रोकने हेतुद कई निर्देश दिये। बाद में 'घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम, 2006 में बनाया गया।

12. लंबित मामलों की भरमारः

भ्रष्ट्राचार, राजनीति के अपराधीकरण एवं कार्यपालिका के असहयोग के चलते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (जिला अदालत) से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लगभग 3.07 करोड़ मामले दिसम्बर, 2014 तक लंबित थे जिसका विस्तृत विवरण इस प्रकार हैंः–[9]

क्रमांक	न्यायालयों के प्रकार	लंबित मामलों की स्थिति (दिसम्बर 2014 की स्थिति में)
1.	उच्चतम न्यायालय	64, 919
2.	उच्च न्यायालय	44.5 लाख
3.	अधीनस्थ न्यायालय	2.6 करोड़
4.	आयकर अपील न्यायाधिकरण	1.5 लाख
कुल लंबित मामले (मुकदमे)		3.07 करोड़

इस स्थिति से न्यायालय की विश्वसनीयता कम हो रही थी। अतः न्यायालयों को इनका निपटारा करने हेतु सक्रिय होने के अलावा कोई अन्य मार्ग नही बचा है।

न्यायिक सक्रियता की आलोचनाः

न्यायपालिका की नयी व आक्रामक भूमिका पर विचार करने हेतु 1996 में दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों की गोष्ठी का आयोजन हुआ जिसका निष्कर्ष था कि न्यायपालिका कार्यपालिका के क्षेत्र में अनुचित हस्तक्षेप कर रही है, क्योंकि लोकतंत्र में नेतृत्व व निर्णयन का दायित्व जनप्रतिनिधियों पर है, न्यायपालिका पर नहीं सीबीआई को नित्य नए आदेश देना व उसके निर्देशन को राजनीतिक मामले में अभियुक्त से मिलने पर फटकारना आदि लोकतंत्र के लिए घातक है।

आलोचकों का मानना है कि राजनीतिक जनहित याचिकाओं द्वारा विरोधियों को नीचा दिखाया जा रहा है। इनका यह भी तर्क है कि न्यायपालिका के पास वर्तमान में 3.20 करोड़ मुकदमें लंबित हैं जिनके निपटारे के लिए न्यायपालिका को अपना ही कार्य करना चाहिए।[10]

न्यायधीशों के परस्पर विरोधी निर्णय भी स्थिति को हास्यास्पद बनाते रहे हैं। न्यायपालिका की सक्रियता की आलोचना करने वालों का यह कहना संकुचित दृष्टिकोण का परिचायक है कि वह संसद व कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करके **तृतीय सदन** बनने का प्रयत्न कर रही है। इन्हें समझना चाहिए कि न्यायपालिका तो नैतिकतावश अपने कर्तव्य का पालन कर रही है जो विधायिका व कार्यपालिका की अकर्मण्यता के चलते ही सक्रियता के रूप में उजागर हो रही है।

निष्कर्ष:

संसदीय लोकतंत्र में न्यायपालिका की बढ़ती सक्रियता हेतु उपरोक्त कारणों व प्रभाव के दर्जन भर उदाहरणों से स्वतः स्पष्ट होता है कि अब जनता केवल न्यायापालिका को ही उद्धारक के रूप में देखने लगी है। प्रसिद्ध विधिवेत्ता **नानी पालखीवाला** का यह कहना उचित ही है कि राजनेता कुछ भी कहें, भारत की लगभग 87 प्रतिशत जनता न्यायालयों की कार्यप्रणाली से संतुष्ट है। जनतो ने इसके प्रत्यक्ष उदाहरण **शिबू सौरेन, संजय दत्त, करीम तेलगी, मोनिका बेदी, उमा भारती, जयललिता, सुब्रत रॉय, लालू यादव** आदि पर कड़ी कार्यवाही व सजा मिलने के रूप में देखा है। चूंकि लोकतंत्र में जनता का अभिमत ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। अतः ऐसी स्थिति में न्यायपालिका की सक्रियता उचित सिद्ध होती है।

वस्तुस्थिति यह है कि संसद व कार्यपालिका के नैतिक पतन के कारण ही न्याापालिका को इस नई भूमिका में आने हेतु विवश होना पड़ा है, क्योंकि सांप्रदायिक एवं जातीय राजनीति में हिंसा के बढ़ते प्रयोग ने अपराध व हिंसा को अघोषित वैधता प्रदान कर दी है। इस खतरनाक प्रवृत्ति से चिंतित होकर पूर्व चुनाव आयुक्त जी. वी. जी. कृष्णमूर्ति ने कहा है, "व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के नैतिक पतन से उत्पन्न दुखद स्थिति ने वर्तमान सरकारों को अपराधियों की सरकार, अपराधियों द्वारा और अपराधियों के लिए बना दी हैं।"[11]

अभी भी करोड़ों लंबित मामलों का बड़ा कारण यह है कि छोटे–बड़े न्यायालयों के रिक्त पदों पर नई नियुक्तियाँ ही नही की गई है जिन्हें शीघ्र भरे जाने की महती आवश्यकता है। ऐसी संत्रास व निराशा की स्थिति में दो ही विकल्प बचते है – संसदीय लोकतंत्र को कालकवलित होने दिया जाय या उसके प्रहारक तत्वों को नष्ट किया जाए। अतः प्रथम विकल्प ही ग्राह्य हैं, जिसकों अमली जामा पहनाने हेतु न्यायापालिका की सक्रियता वांछनीय एवं सराहनीय है।

अब तो न्यायापालिका की सक्रियता को और भी कारगर बनाने के लिए **'सूचना के अधिकार अधिनियम'** ने भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन प्रारंभ कर दिया है। इस अधिकार के प्रयोग से विधायिका व कार्यपालिका की अकर्मण्यता एवं सर्वत्र व्याप्त भ्रष्टाचार की परतों को खोलकर रख दिया है। उल्लेखनीय है कि 1976 में ही सुप्रीम कोर्ट ने 'राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले' में कहा था कि जनता बिना जानकारी के कुछ नहीं कर सकती। इसलिए 2005 में सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद–19 में शामिल किया गया है जिससे कि अन्य अधिकारों की तरह इसका भी स्वतः संरक्षण होता रहे। अतः आज न्यायपालिका की इस सक्रिय एवं सुधारात्मक भूमिका को स्वस्थ एवं सकारात्मक न्यायिक सक्रियता के रूप में देखा जाना ही न्यायसंगत होगा।

संदर्भ सूची

1. डॉ. नन्दलाल, राजनीति विज्ञान, 2006, शिवलाल अग्रवाल एंड कं, इंदौर, पेज – 366
2. कुमार सर्वेष, भारतीय राजव्यवस्था, 2018, सार्थक प्रकाशन, दिल्ली, पेज– 309
3. अरूणोदय वाजपेयी, जनहित याचिका, प्रतियोगिता दर्पण, अक्टूबर 2017, उपकार प्रकाशन, आगरा, पेज–108
4. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, भारतीय राजव्यवस्था, 2017 स्पैक्ट्रम प्रकाशन, दिल्ली, पेज–208
5. ए. एस. नारंग भारत में लोकतंत्र, 2003, एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली, पेज–118
6. प्रो. मधुकर परांजप, लोकहितवाद एवं न्यायिक सक्रियता, 2001, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।

* सर्वोच्च न्यायलय के स्थान पर उच्चतम न्यायलय किया जाए।

7. सरला माहेश्वरी, समान नागरिक संहिता, 1997, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, पेज–85
8. नारायण प्रकाश नाटाणी, अदालतों के चौकानेवाले फैसले, सरिता, नवम्बर (द्वीतीय) 2001,नई दिल्ली, पेज–91
9. www.ndtv.com/totalpendingcases/07-03-2017
10. भारत–2018, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, पेज–379
11. ए. एस. नारंग, भारत में लोकतंत्र, 2003, एन.सी.ई.आर.टी, नई दिल्ली, पेज–164

❑❑❑

लोकतांत्रिक गणराज्य में चुनावी घोषणा पत्र की राजनीति

*सुमन मौर्य

भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया गया है , जिसमें राज्य का प्रमुख कोई वंशानुगत राजा न हो कर, निर्वाचित राष्ट्रपति होगा। भारत के गणराज्य में सर्वोच्च शक्ति सार्वभौम मताधिकार से सम्पन्न जन समुदाय में निहित होगा। राजनीतिक लोकतन्त्र का आधार व नींव सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र है , जिसके आधार पर भारतीय लोकतंत्र व्यवस्थित समाज में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) के वेब–पो र्टल पर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता का वर्णन कुछ इस प्रकार है– विश्व का सबसे बड़ा व तेजी से प्रगति कर रहा लोकतांत्रिक देश भारत आज एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इसमें सरकार द्वारा निर्मित नीतियों व योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिससे सर्वकालिक, सार्वभौमिक, संवेदनशील, सक्षम, सशक्त व नागरिक केन्द्रित समावेशन की प्रक्रिया को गतिशीलता मिलती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोक लुभावन नीतियों की आमजन तक पहुँच में सूचना संचरण के रूप में मीडिया व पारदर्शी शासन की अहम् जिम्मेदारी होती है।

एक सच्ची लोकतांत्रिक व्यवस्था का सृजन तभी संभव हो सकता है, जब विभिन्न विचारधाराओं, नीतिगत विकल्पों को मंच मिले, उन पर बहस की जा सके और नीतिगत मुद्दें राष्ट्रीय सुधार एजेंडे के रूप में बुनियादी प्रक्रिया व लोकतंत्र के 5 घटकों– स्वतंत्रता, स्वशासन, जन सशक्तिकरण, कानून का शासन, स्वनियामक और सांस्थानिक संरचना में सुधारों को वैचारिक आधार बनना चाहिए, जिसमें शासन को संवेदनशील बनाया जा सके। अत्यधिक नौकरशाही और केन्द्रीकृत अधिकारों के माहौल में अधिकांश स्थानीय संस्थाएँ, नीतियाँ, योजनाएं आदि हितधारकों के प्रभाव से दूर हो जाती है। अत': नागरिकों के सशक्तिकरण का स्तर कम रह जाता है। स्थानीय स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या नागरिक सेवाएं। नागरिकों के प्रभाव से बाहर हैं। स्थानीय सार्वजनिक सेवक जनता के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। वह अक्सर अपने आप को सेवक के बजाय मालिक मानते है। अनेक प्रक्रियाएं अपरिवर्तनीय, जटिल और अत्यधिक औपचारिक हैं , जिनके कारण अधिकांश आमजन उन तक न तो पहुँच पाते हैं और न ही उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। लोकतांत्रिक आदर्शों के बिना नीतिगत पहुँच आमजन तक नहीं हो पाती, जिससे सुधार केवल दीवास्वप्न ही प्रतीत होता है।

आज सबसे अहम मुद्दा अन्याय और असमानता कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करना व उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, जो मानवीय विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का यह वक्तव्य देश की उस पीड़ा की अभिव्यक्ति है जो स्वतंत्रता के छः दशक पूर्ण होने के पश्चात भी कम नहीं हुई। ''लोकतन्त्र का सर्व प्रमुख लक्ष्य है – सामाजिक असमानता की खाई को पाटना'' देश की आबादी का बड़ा हिस्सा तमाम् नीतियों व योजनाओं के बावजूद भी कुपोषण, लैंगिक एवं सामाजिक

* सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर (राजस्थान)

भेदभाव, गरीबी, अशिक्षा के दुष्कर्म में फसा हुआ है। देश की आबादी आज भी अपने मौलिक अधिकारों से वंचित है, विश्व के सबसे मजबूत व विशाल लोकतंत्र ने जहां सभी को अपनी इच्छा से जीने की, सोचने की, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी, वहीं देश की सामंती अवधारणाओं के फलस्वरूप असमानता व भेदभाव ने देश को जकड़ रखा हैं।

लोकतंत्र में निराधार लोकलुभावन घोषणाओं से जनमत को गुमराह किया जाता है व ''जुमलों की राजनीति'' को प्रश्रय दिया जाता है । चुनावी दंगल में लगभग सभी पार्टियों ने घोषणापत्र में लोकलुभावन वादे किए जो कुछ पूरे होते है बाकी 'ढाक के तीन पात' की भांति रह जाते है। उदाहरण स्वरूप 2017 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का घोषणापत्र जारी किया, जिसमें 14 बड़े वादे किए जैसे– जहां तक राम मन्दिर का मामला है, तो प्रदेश में बीजेपी की नयी सरकार भी संवैधानिक तरीकों से जल्द से जल्द राम मंदिर बनवाने के लिये प्रयत्नशील रहेगी, तीन तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं की राय, फ्री–लैपटॉप और एक साल तक फ्री इंटरनेट, गन्ना किसानों को तुरंत भुगतान, किसानों से कर्ज पर ब्याज नहीं, हर घर में 24 घंटे बिजली, जानवरों के अवैध कत्लखाने बंद होंगे, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 15 मिनट के अंदर घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस, महिला सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स, एंटी रोमियों दल का गठन, माफियाओं पर लगाम के लिए लड़कियों को स्नातक तक मुक्त शिक्षा की सुविधा से जुड़े वादे किए। इसे ''लोक कल्याण संकल्प पत्र'' की नाम दिया। ''अन्त्योदय'' एवं ''सबका साथ सबका विकास'' के नारों के माध्यम से हर संकल्प का एकमात्र ध्येय लोककल्याण को बताया। इन्हीं आधारों पर पं. दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष पर बीजेपी और केन्द्र सरकार सहित राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के सभी समवैचारिक संगठन अलग–अलग आयोजनों के माध्यमों से सम्पूर्ण वाड्मय को प्रसारित किया।

12 मई 2018 को हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की सभी 224 विधानसभा सीटों के लिए घोषणा पत्र जारी करते हुए क्षेत्रीय स्तर पर लोगों के मुद्दों के समाधान व उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आश्वासन दिया। बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी बीएस येदियुरप्पा ने घोषणा पत्र के संदेश में कहा कि यह केवल एक दस्तावेज नहीं वरन जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला लोकतांत्रिक दस्तावेज है। घोषणा पत्र में किसानों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए कृषि क्षेत्र के लिए कई योजनाओं का उल्लेख किया जैसे सिंचाई प्रोजेक्ट, कृषि उत्पादों, कृषि उत्पाद उतार–चढ़ाव से किसानों को होने वाले नुकसान में राहत देने हेतु 5000 करोड रुपए का **रैयत बंधु मार्केट इंटरवेशन फंड** का उल्लेख किया गया। भाग्यलक्ष्मी योजना, गौ हत्या रोकने के लिए कार्यक्रम हेतु 10000 करोड रुपए का स्त्री उन्नति कोष, गरीब महिलाओं को स्मार्टफोन, स्नातक में दाखिला लेने वाले छात्रों को लैपटॉप, किसानों को चीन, इजराइल घुमाने का वादा इत्यादि घोषणा पत्र में उल्लेखित किया गया ।

जबकि, जनता दल (सेक्यूलर) ने अपने घोषणा पत्र में विकास, यातायात प्रबंधन, भ्रष्टाचार के मुद्दों को अपने घोषणापत्र में शामिल और किसानों की ऋण माफी को शमिल किया। राज्य में मुफ्त बीज व उर्वरको की आपूर्ति का उल्लेख किया तथा किसानों के मुद्दों को हल करने के लिए सलाहकार समिति गठित करने का उल्लेख किया।

वहीं कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मेनिफेस्टो जारी करते हुए बीजेपी के घोषणा पत्र को आर.एस.एस का एजेंडा बताया तथा रेड्डी बंधुओं के एजेंट से जोड़कर बीजेपी को घेरने का प्रयास किया। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में एक करोड़ नौकरियों का वादा, किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए किसान आय आयोग बनाने का वादा और कृषि कॉरिडोर बनाने की बात कही, जिससे कृषि उपज को उचित जगह तक पहुंचाने में मदद मिल सकेगी। उद्योगों तक किसानों की पहुंच बनेगी। बच्चों को मुफ्त शिक्षा, पारलिंगीको को नौकरी में आरक्षण, ग्राम पंचायतों में साइबर कैफे की सुविधा इत्यादि अपने घोषणापत्र में सम्मिलित किए। बुनियादी आर्थिक नीति, बेरोजगारी, कृषि संकट, कर्जमाफी तथा विकल्प

चुनने की स्थिति ने कर्नाटक चुनाव में महत्वपूर्ण आयामों का परिचय दिया। यहां का चुनाव मतदान व्यवहार की दृष्टि से एक **गेम थ्योरी** के रूप में दृष्टिगत प्रतीत होता है। इस संदर्भ में राजनीति को **'संभावनाओं का खेल'** के रूप में माना गया है। यदि चुनावों को देखें तो 'जनसमर्थन नहीं बल्कि जन प्रबंधन' पर अत्यधिक बल दिया गया।

इस रूप में लोकलुभावन नीतियां, चुनावी वादे, या जुमले इत्यादि मतदान व्यवहार को न केवल निर्धारित करते हैं वरन् उसकी दशा व दिशा भी प्रदान करते हैं। भारतीय मतदान 1971 के चुनाव में जनता ने 'गरीबी हटाओं' के कार्यक्रम को अपना मत दिया था। परंतु 1977 में महसूस किया की जनता पार्टी अन्य बातों के साथ–साथ सकारात्मक आर्थिक राजनीति के सन्दर्भ में विकल्प साबित होगा क्योंकि वह जातिवाद, क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति और सामंतशाही व्यवस्था जैसे दूषित तत्वों से दूरी बनाते हुए इनके स्थान पर नवीन तत्वों व नवीन नीतियों को अपनाने पर बल दिया जैसे– भारतीय लोकतंत्र को बनाये रखने की इच्छा और आकांक्षा और शासन की ज्यादतियो का विरोध। 1977 के लोकसभा चुनावों का सबसे प्रमुख प्रश्न था– लोकतन्त्र बनाम तानाशाही? इन नीतियों व तत्वों की सार्थकता यह रही कि भारतीय मतदाताओं की परिपक्वता और जागरूकता नितान्त स्पष्ट हुई।

लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में कमोबेश लोकलुभावन नीतियों से अधिक कई बार नेतृत्व की सक्रियता व प्रभावशीलता दृष्टिगोचर होती है। प्रथम तीन आम चुनावों में कांग्रेस की सफलता का मुख्य कारण पं. जवाहरलाल नेहरू का प्रभावशाली नेतृत्व और व्यक्तित्व था। आम चुनावों में कांग्रेस की विजय का कारण श्रीमति इन्दिरा गांधी का नेतृत्व था। उन्होंने अपने कार्यक्रम और आर्थिक नीतियों, बांग्लादेश के प्रति नीति आदि से मतदाताओं को बहुत प्रभावित किया, लेकिन 1977 के आम चुनावों में इन्दिरा गांधी को जो भारी पराजय का सामना करना पड़ा, उसका मुख्य कारण उनके व्यक्तित्व की छवि का धूमिल पड़ जाना था। 1980 के चुनावों में कांग्रेस की सफलता के दो प्रमुख कारण रहे प्रथम, इंन्दिरा गांधी का नेतृत्व और द्वीतीय, विपक्ष का बिखराव। 1990, 1996 और 1998 के चुनाव में नेतृत्व के गुण के कारण ही 'भाजपा' को अच्छी सफलता मिली। इसी प्रकार 2004 तथा 2009 के आम चुनावों में सोनिया गांधी के नेतृत्व के कारण कांग्रेस को सफलता प्राप्त हुई।

2014 के 16वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपने घोषणापत्र में एक पारदर्शी सरकार सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी लोकपाल की स्थापना, आतंकवाद विरोधी तंत्र को पुनर्जीवित करने, उच्च गति रेल नेटवर्क की डायमंड चतुर्भुज परियोजना शुरू करने, ई–ग्राम विश्व ग्राम योजना, कौशल विकास, राम मंदिर निर्माण, धारा 370 हटाने, धारा 44 से समान नागरिक संहिता लागू करने, सबका साथ सबका विकास, जनहितैषी सुशासन, ब्रांड इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, के विजन के मुद्दे पर 16वीं लोक सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 543 में से सर्वाधिक 282 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया तथा भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को 334 सीटें प्राप्त हुई। इस प्रकार भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र एक प्रकार से नियमों और कायदों का आदर्श मसौदा प्रतीत होता है, जो कि विस्तृत व व्यापक घोषणापत्र था, जिसने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटन, शैक्षणिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, संवैधानिक, ग्राम से लेकर संपूर्ण विश्व की संकल्पना आधारित जो प्रस्तावना से लेकर निष्कर्ष के रूप में **अमृतमय भारत** की परिकल्पना प्रस्तुत करता है।

2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणापत्र में स्वास्थ्य का अधिकार का वादा, जीडीपी का कुल 3 प्रतिशत स्वास्थ्य योजनाओं पर खर्च करने का आश्वासन,महिला सशक्तिकरण और शिशु सुरक्षा, श्रमिक सुरक्षा, युवा और शिक्षार्थी कार्यक्रम ,ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा योजना, किसानों का कर्जा माफी, आधारभूत संरचना का विकास, भ्रष्टाचार निरोधी कानून, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थाई सदस्यता, आतंकवाद के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की विदेश नीति, सूचना तकनीकी का विकास पंचायतों को बैंक से जोड़ने की योजना से संबंधित मुद्दों को सम्मिलित किया गया जो कि यथार्थ से काफी परे कहा जा सकता है।

वहीं, 2014 के लोकसभा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) के चुनावी घोषणापत्र में श्रमिक उत्पीड़न के मुद्दों, किसानों के मुद्दों, मूल्य वृद्धि ,बेरोजगारी, खाद्य सुरक्षा, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, महिला उत्पीड़न,अल्पसंख्यकों के मुद्दों को प्राथमिकता दी है तथा नवउदारवादी युग में निर्धनों व उत्पीड़ित वर्गो की माँगो को अपने घोषणा पत्र में उल्लेखित किया हैं। इनका घोषणपत्र हमेशा की तरह लोककुभावन एवं स्वप्नलोकी ही था।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली में अन्य घटकों के साथ दलों की विचारधारा, कार्यक्रम व लोकलुभावन नीतियों की भी प्रासंगिकता बहुत अधिक होती है। कांग्रेस के लिए बहुत वर्षों तक यह समझा जाता था कि वह गांधीवादी सिद्धांतों पर चलने वाली है, समाजवाद की समर्थक है, मजदूरों व किसानों के हितो की रक्षा करने वाली पार्टी है। इसीलिए वह 1977 के पूर्व तक निरन्तर विजयश्री को छूती रही। किन्तु 1977 के बाद कांग्रेस अस्पष्ट व अनिश्चित कार्यक्रम मतदाताओं के समक्ष रखा जिसे जनता ने अस्वीकार कर दिया।

राज्य स्तर पर जो दल क्षेत्रीय प्रश्नों और समस्याओं के संबंध में ठोस और आकर्षक कार्यक्रम मतदाताओं के सामने रखते हैं, वे पर्याप्त सफलता प्राप्त कर लेते है। पंजाबी सूबे की मांग के कारण अकाली दल ने पंजाब में सफलता प्राप्त की और हिन्दी के विरोध में 91 कार्यक्रम अपनाकर डी.एम.के. ने तमिलनाडु में सफलता प्राप्त की। इसी प्रकार असम में असम गण परिषद ने विदे शियों की पहचान के प्रश्न पर, आन्ध्र प्रदेश में तेलगु देशम ने आंध्र– जनता या तेलगू जनता के स्वाभिमान के प्रश्न पर, हरियाणा में देवीलाल ने कृषक और गरीब जनता की कर्जमाफी तथा वृद्धावस्था पेंशन देने के प्रश्न पर चुनावो ं में विजय प्राप्त की। 1991 के चुनाव में भारतीय जनात पार्टी ने छद्म धर्मनिरपेक्षता और मुस्लिम तृष्टिकरण के विरोध की विचार धारा अपनाई। इसका चुनावों में स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर हुआ।

इसी प्रकार 14वीं लोकसभा (2004) तथा 15वीं लोकसभा (2009) के चुनावों में भी यह परिलक्षित हुआ कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने चुनाव साम्प्रदायिकता, विदेशी मूल का मुद्दा, जातिवाद आरक्षण, गरीबी हटाओ का नारा तथा सबको रोजगार की व्यवस्था सुलभ कराने के उदेश्य से लड़ा। इसके अतिरिक्त सभी क्षेत्रों के क्षेत्रीय दलों ने भी स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दी। लेकिन मतदाता ने अपनी जागरूकता का परिचय देकर एक साझा सरकार का गठन किया किन्तु, सभी मतदाता केन्द्र और राज्यों में स्थिर और सुढ़ृढ शासन चाहते हैं। 1977 के पूर्व कांग्रेस का चुनावों में सफलता का एक कारण यह भी था कि मतदाता जानते थे कि केन्द्र और राज्यों में स्थिर और सुढ़ृढ शासन स्थापित कोई अन्य दल नहीं था। 1971 और 1972 के चुनावों में भी कांग्रेस की विजय का प्रमुख कारण यह था कि मतदाता 1967 जैसी अस्थिरता की पुनरावृति नहीं चाहते थे।

नीति, कार्यक्रम, योजना, व्यवस्था इत्यादि की सार्थकता या प्रांसगिकता निर्धारित करने का मापदण्ड यह है कि राजनीतिक दलों द्वारा अंकित घोषणा पत्र कितना अधिक वास्तविकता के धरातल पर स्थापित होता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था तत्कालीन समस्याओं व चुनौतियों का सामना करने में किस हद तक सफल रही है? कई दूसरे देशों में औपनिवेशिक शासन से मुक्ति मिली और स्वतंत्रता प्राप्त हुई, लेकिन कुछ समय के बाद तानाशाही और सैन्य शासन के तले ये देश चलने लगे। भारत अपने बड़े आकार और विविधता के बावजूद आज भी लोकतांत्रिक देश है। इस उपलब्धि पर गर्व करने के साथ–साथ हमें भारतीय लोकतंत्र के संबंध में मूल्यांकन व विचार करने की आवश्यकता है। निर्वाचित प्रतिनिधियों का आपराधिक रिकॉर्ड, घोटाले और संसद में पुनरावृत्ति की खामियों से संबंधित चिंताओं में कई बड़े सवाल खड़े किए है? मुख्य सवाल है कि भारतीय लोकतन्त्र कितना लोकतांत्रिक है? राजनेताओं द्वारा की गई लोकलुभावन घोषणाएं कितनी पूर्ण होती है?

लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की मुकुलिका बनर्जी के अनुसार 'गरीब लोग नागरिकता के महत्व, अधिकार और कर्तव्य के साथ ही पहचान से प्रेरित होकर बड़ी संख्या में मतदान करते है।'

भारत में एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है, जंहा लोग पांच साल में एक बार अपने प्रतिनिधियों को बुलाते है। ये प्रतिनिधि जनता की तरफ से कानून और नीतियां बनाते है। विसंगति यह है कि केवल पांच साल में एक बार चुने जाने से जनप्रतिनिधियों की जनता के प्रति जवाबदेही कम होती है और लोगों की भागीदारी सीमित हो जाती है। इसके अलावा अधिकांशतः जनप्रतिनिधियों द्वारा घोषित नीतियाँ जनता की इच्छाओं व जनाकांक्षाओं के अनुरूप नहीं होती। इसका एक प्रमुख कारण है कि राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने के लिए बड़े कोष की जरूरत होती है और यह पैसा अपना विशेष हित चाहने वाले धनी लोगो का होता है। इसीलिए एक बार चुने जाने के बाद हमारे जनप्रतिनिधि पहले उन लोगो का हित साधने की कोशिश करते है जिनसे उन्हे चुनाव में धन प्राप्त होता है और जनता के हितो को भुला दिया जाता है। ऐसे में अगर जनप्रतिनिधि उनके हितो का प्रतिनिधित्व नहीं करेगें, तो क्या करना चाहिए?

यह समस्या केवल भारत में ही नहीं है। दुनियाँभर के प्रतिनिधि लोकतंत्रों ने इस संरचनात्मक दोष के समाधान के लिए खोज की है। अभिनव समाधान यह हो सकता है ''जनमत संग्रह व पहल'' जो कि भारत जैसे विशाल देश में मुश्किल प्रक्रिया है किन्तु इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी की मदद ली जा सकती है व अभिनव तरीके से समस्या का हल निकाला जा सकता है। लोगो को नीतियों और कानून की शुरूआत के लिए सीधे मतदान करने की प्रणाली विकसित करने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि नागरिकों की आवाज सुनी जा रही है। इसकी मदद से एक ''राजनीतिक तन्त्र'' विकसित होगा जो नागरिको की आवाज बुलंद करेगा और यह आवाज लोगो की रूचि से अलग हुई विधायिका को उसका असली चेहरा दिखा है। अब समय आ गया है, जब हम राजनीति और लोकतंत्र की गहराईयों को समझे और इसे लोगो की पसंद के अनुरूप काम करने के लिए तैयार करें।

गहन व गंभीर मुद्दो जैसे महिला उत्पीड़न, सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, गरीबी, कालाधन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नस्लवाद, पर्यावरण प्रदूषण इत्यादि पर राजनीतिक जुमलेबाजी के स्थान पर सभी दलों को मतैक्य होकर सख्त से सख्त कानून बनाए जाने की नितान्त आवश्यकता है, जिससे कि वास्तविक राजनीतिक आधुनिकीकरण व विकास दृष्टिगोचर हो सके, जो "सतत् व समावेशी" विकास तक लेकर जाए।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में शुचिता बनाए रखने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि इसमें निहित तमाम् बुराईयों व अवगुणों को समाप्त किया जाए, लोकलुभावन नीतियों के निर्माण को प्रमुखता देने के बजाए उनके क्रियान्वयन पर अधिकाधिक बल दिया जाए क्योंकि लोकलुभावन नीतियों के कारण जनता राजनीतिक व्यवस्था व राजनेताओं के वास्तविक चेहरे के स्वरूप से अवगत होने में कतिपय विफल सिद्ध होती है। यही कारण है कि 1922 में श्री सी. राजगोपालाचारी ने आज की स्थिति का पूर्वानुमान लगाते हुए कारागार की डायरी में लिखा कि ''चुनाव और उसका भ्रष्टाचार, अन्याय, धनबल की ताकत और तानाशाही और प्रशासन की अक्षमता, लोकतान्त्रिक व्यवस्था को धराशाही कर देगी।'' निःसंदेह स्वतंत्रता के बाद के प्रांरभिक दशकों में भारत ने अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में काफी प्रगति की किन्तु इसके साथ–साथ राजनीतिक प्रणाली की पवित्रता में भी लगातार गिरावट आई है। समसामयिक संदर्भों में देखे तो राजनीतिक दलों में आपराधिक पृष्ठभूमि के कर्मियों के प्रवेश और राजनीति में धन और बाहुबल के उदय से स्पष्ट होता है। इससे लोकतंत्र में सामाजिक व आर्थिक असमानता बढ़ी और जाति, धर्म, समुदाय पर आधारित राजनीतिक (वोट बैंक की राजनीति) का लोकतंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। वर्तमान समय में कालेधन का चुनावी प्रक्रिया में व्यापक प्रयोग व मौजूदा स्वरूप में देश का कानून, ''राजनीति के आपराधीकरण'' के बढ़ते कैंसर को रोकने में असमर्थ है। ''एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स'' (ए.डी.आर) के अनुसंधान और विश्लेषण से चुनाव प्रणाली में धन और बाहुबल के बीच एक सीधा संबंध देखने को मिलता है।

अपराधिक पृष्ठभूमि वाले एक अमीर उम्मीदवार की एक निष्कपट उम्मीदवार की तुलना में चुनाव जीतने की संभावना लगभग दोगुनी होती है। 19वीं लोकसभा में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 30 प्रतिशत

सांसद थे और उनकी घोषित सम्पति 5.36 करोड़ रूपये थी। 16वीं लोकसभा में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों की संख्या बढ़कर 34 प्रतिशत हो गई और उनकी घोषित औसत संपति 14.70 करोड़ रूपये है। जब राजनीतिक दल कॉरपोरेट या बड़े व्यापारियों से बड़े पैमाने पर धन प्राप्त करते है, तो जाहिर है कि सत्ता में आने के उपरान्त यही राजनीतिक दल इन व्यापारियों के पक्ष में नीति निर्माण करते है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकलुभावन नीतियों से अधिक प्रांसगिकता या महत्व इस बात का है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में शुचिता कायम हो तथा वैधता कायम करने के लिए कानूनी नींव आवश्यक है। भारत में राजनीतिक दलों को विनियमित करने के लिए कोई कानून नहीं है। पार्टी पदाधिकारियों और राजनीतिक दलों में आन्तरिक पारदर्शिता अत्यन्त आवश्यक हैं। जनप्रतिनिधित्व कानून को कारगर तरीके से लागू किया जाना चाहिए।

पिछले कई वर्षों में लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण लोकतंत्र और समाज का नैतिक पतन, व जनता को लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ मोहभंग और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास कम हुआ है। हमें एकजुट हो कर पूरी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को दुनियाँ का सबसे प्रासंगिक व कारगर लोकतंत्र बनाने के लिए संघर्ष करना होगा व प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी होगी।

लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अन्य शासन तंत्रों की तुलना में जन सहभागिता अधिक होती है। राजनीतिक दलों के अस्तित्व से राजनीतिक सामाजीकरण की व्यवस्था होती है। दबाव समूहों के माध्यम से जनता जन प्रतिनिधियों से सीधे संपर्क में होती है। लोकतंत्र में जनता को यह ज्ञात होता है कि सत्ता निर्माण की कुंजी 'मतदान' सदैव उनके हाथों में होती है। लोकतंत्र का आधार समानता होने के कारण जनता की भागीदारी बनी रहती है। संविधान अनुरूप शासन का व्यवहार नहीं होने पर जनता क्रांति के द्वारा सत्ता को बदल सकती है। निष्कर्षतः लोकतांत्रिक व्यवस्था में नीति निर्माण से अधिक महत्वपूर्ण उनकी क्रियान्विति है। इस सन्दर्भ में हार्वड विश्वविद्यालय के प्रो0 लेण्टप्रेटचेट ने भारत को ''फ्लेलिंग स्टेट '' बताते हुए कहा कि भारतीय मस्तिष्क मेधावी व अन्य अंग निष्क्रीय है अर्थात् भारत में नीतियाँ उच्च कोटि की बनती है चाहे वह लोकलुभावन ही क्यों न हो किन्तु उनकी क्रियान्विति का स्तर न्युन है। इस सन्दर्भ में 'नागरिक समाज' की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यदि वह जागरूक व सजग होगा तो वह राजनीतिक व्यवस्था को क्रियाशील व गतिशील बनाए रखने में कारगर सिद्ध होगा। यदि जनता अनुभव करती है कि किसी दल विशेष ने केवल लोकलुभावन नीतियों व घोषणाओं का सब्जबाग ही जनता को दिखाया है उसे अमलीजामा नहीं पहनाया है तो इन स्थितियों में विभिन्न परिपक्व लोकतंत्रों की तर्ज पर भारत में चुनाव सामाजिक विकल्पों में से व्यक्तिगत वरीयता का एकत्रीकरण है जिससे सरकार की नींव पड़ती है। शासन में पारदर्शिता के लिए योजना के कार्यान्वयन के लिए नौकरशाही को जिम्मेदार बनाकर, जागरूक मतदाता लोकतंत्र को विस्तार व मजबूती प्रदान कर सकता है। प्रायः चुनावों में चार सी– करप्शन (भ्रष्टाचार), क्रिमीनलाईजेशन (अपराधीकरण), कास्टिज्म (जातीय) कम्युनलिज्म (साम्प्रदायिकता) को दृष्टिगत रखते हुए जनता को विभिन्न प्रलोभनों के माध्यम से सत्ता पक्ष या दल विशेष अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करता है किन्तु इस दुष्प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए ''आदर्श आचार संहिता'' के ठीक से अनुपालन के लिए ''जर्मन पार्टेनगेस्टज'' की तर्ज पर चुनाव आयोग को एक नौकरशाही व्यवस्था बनाए जाने की नितान्त आवश्यकता है। यह व्यवस्था चुनावी प्रक्रिया, चुनाव अभियान के लिए धनराशि, दलों व उम्मीदवारों पर पैनी नजर रखने के कार्यों का ठीक से नियमित करेगी। वैश्विक सांस्कृतिक गति की परिस्थितियों में भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था में सकारात्मक व संरचनात्मक सुधार करते हुए विशाल ही नहीं वरन् श्रेष्ठ लोकतंत्रों की श्रेणी में भी शामिल हो सकता है। अतः आवश्यकता है कि राजनीतिक दल वोट बैंक के आधार पर लोकलुभावन नीतियाँ न बनाकर धरातल पर लागू करने वाली घोषणाओं को ही अपने घोषणा पत्र में शामिल करें ताकि स्वस्थ एवं पारदर्शी लोकतंत्र की स्थापना हो सके। चाहे राजनीतिक दलों की विचारधारा में मतभेद हो या घोषणापत्र में

विभिन्नताएं हो, किंतु उनका लक्ष्य मात्र जनकल्याण होना चाहिए अर्थात् सभी के लक्ष्य व उद्देश्य समान हों। तभी लोकतंत्र का आधार सुदृढ़ हो सकता है।

संदर्भ सूचीः–

1. रॉय, रामाश्रय, डेमोक्रेसी इन इण्डिया : फॉर्म एण्ड सब्सटेन्स, क्षिप्रा प्रकाशन, दिल्ली, 2005, पृ. .सं. 1–5
2. शुम्पिटर, ए जोसेफ, कैपिटलिज्म, सोशियलिज्म एण्ड डेमोक्रेसी, हार्पर प्रकाशन, न्यूयॉर्क, 1950, पृ. .सं. 285
3. भारत का संविधान, कानून प्रकाशन, जोधपुर, 1998, पृ. .सं. 3–4
4. बसु, दुर्गादास, इन्ट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इण्डिया, बाधवा एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली, पृ.सं. 2–6
5. त्रिपाठी, डी सी, भारतीय शासन एवं राजनीति सिद्धांत एवं व्यवहार, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 2012 पृ.सं. 66–70
6. र ाघवन, बालचंद्रन, फोर्टी इयर्स ऑफ़ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी : सर्वे ऑफ इंडियन इलेक्शन पब्लिशिंग हाउस, 1990, पृष्ठ संख्या 30 –40
7. नवभारत टाइम्स 13 मई, 2018
8. कोहली, अतुल, द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, कैंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, प्रिंसटन, विश्वविद्यालय, 2001, पृष्ठ संख्या 310
9. इण्डिया टूडे, जून, 2018
10. महाजन, गुरप्रीत, इंडिया : पोलिटिकल आइडियाज एंड द मेकिंग ऑफ डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स, जेड बुक्स, 2013 पृष्ठ संख्या 102–110
11. मनीवन्नन., के. ग्रेट इंडियन डेमोक्रेसी, संकल्पिता पब्लिशर्स, 2014
12. देसाई, मेघनाद, द रायसीना मॉडलः इंडियन डेमोक्रेसी एट सेवेन्टी, पेंगुइन हाउस पब्लिशर्स
13. भारतीय जनता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र 2014 ,एक भारत श्रेष्ठ भारतः सबका साथ सबका विकास पृष्ठ संख्या 1– 68
14. कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र 2014 , आपकी आवाज : हमारा संकल्प
15. इंडियन एक्सप्रेस 7 अप्रैल, 2014
16. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सिस्ट): मैनिफेस्टो फॉर द 16 लोकसभा इलेक्शन, 2014
17. सरदेसाई ,राजदीप 2014 : द इलेक्शन दैट चेंजड् इंडिया, पेंगुइन पब्लिशर्स, 2015
18. स्टुअर्ट, हैरिस, रिइन्वेन्टिगं इंडिया ,ब्लैकवैल पब्लिशर्स, 2006, पृं सं.40–50

❑❑❑

भारत में भाषा की राजनीति

*डॉ. राजीव कुमार सिंह

सामान्यतः भाषा को अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों के मध्य विचारों एवं सूचनाओं के आदान–प्रदान के साधन के रूप में कार्य करती है। किन्तु भाषा आज अभिव्यक्ति साधन मात्र नहीं है। भाषा किसी भी समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक विकास का द्योतक भी है, तथा राष्ट्र निर्माण–प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कारक भी। जहाँ यह एक ओर राजनैतिक एवं सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया को बल प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर अलगाववाद को बढ़ावा देने में मुख्य कारक का भी कार्य करती है। यह व्यक्ति या व्यक्ति समूहों के राजनैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी है। आज के वैश्विक समाज में यह रोजगार के साधन के रूप में भी कार्य करती है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि भाषा आज बहुआयामी भूमिका का निर्वाह करती है।

भारत, जिसे भाषाओं की प्रयोगशाला भी कहा जाता है, में 1991 की जनगणना के अनुसार लगभग 1652 भाषाओं का प्रयोग अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में होता है। इनमें से 63 भाषाओं को छोड़कर अन्य सभी स्थानीय हैं। मध्यकाल के मशहूर शायर अमीर खुसरों के अनुसार भारत में हर दस कोस के बाद एक नई प्रकार की भाषा बोली जाती है। भारत जैसे बहु–भाषी देश में भाषा की भूमिका और भी बढ़ जाती है। जहाँ देश के सामाजिक, साहित्यिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक इतिहास को विभिन्न भाषाओं ने समृद्ध किया है वही राजनैतिक रूप से इसने विभिन्न समस्याओं को जन्म भी दिया है। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक काल से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में भाषाओं के महत्व को समझा और भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठाई। संगठनात्मक स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी ने प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों को क्षेत्रीय भाषा में कार्य करने की छूट प्रदान की और किसी भी भाषा को एक सर्वमान्य तथा किसी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं प्रदान किया। कांग्रेस पार्टी ने जब 1916–1917 में प्रांतीय स्तर पर स्थानीय भाषा मे काम करने का प्रावधान किया जो जल्दी ही इसका जन आधार बढने लगा।

भारतीय संविधान निर्माताओं ने देश में क्षेत्रीय स्तर पर भाषा की महत्ता एवं हिंदी एवं गैर–हिंदी क्षेत्रों के मध्य टकराव को भली–भाँति समझा और संविधान में इसके लिये विस्तृत प्रावधान किया। 92वें संविधान संशोधन के बाद संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओ–कश्मीरी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, हिन्दी, उर्दू, संस्कृत, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली (संविधान संशोधान द्वारा) मलयालम, मराठी, (मैथली, डोगरी, संथाली और बोडा) को राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। राजकीय दर्जा प्राप्त भाषाएँ देश की 97 प्रतिशत जनसंख्या द्वारा प्रयोग की जाती है। कोई भी भारतीय नागरिक आठवीं अनुसूची में किसी भी भाषा का उपयोग केंद्र या राज्य सरकार के सम्पर्क, पत्र–व्यवहार या अन्य किसी कार्य के लिये कर सकता है।

भारतीय संविधान के नौ अनुच्छेदों (343–351) में भाषा से संबंधित प्रावधान दिए हैं। अनुच्छेद 343 में हिंदी को केंद्र सरकार की भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। किंतु साथ ही साथ अंग्रेजी को

* सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ (हरियाणा)

भी 15 साल के लिये अपनाया गया है जिसकी सीमा संसद बढ़ा सकती है। अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति द्वारा भाषायी आयोग के गठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 345 राज्यों को अंग्रेजी के अलाव अन्य किसी भारतीय भाषा को अपनाए जाने की छूट दी गई है। अनुच्छेद 346 में राज्यों के मध्य संचार के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग का प्रावधान है किंतु दो या अधिक राज्य आपसी सहमति से हिंदी का उपयोग इन कार्यों के लिये कर सकते हैं। अनुच्छेद 347 राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया है तथा वह किसी राज्य सरकार को भाषा–विशेष के उपयोग का निर्देश दे सकते हैं। अनुच्छेद 348 में सभी सरकारी कार्यों का अंग्रेजी रूपांतरण अनिवार्य बताया गया है। अनुच्छेद 349 में यह प्रावधान है कि शुरूआती 15 सालों में अनुच्छेद 348 में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 350 भारतीय नागरिको को किसी भी सरकारी (केंद्र तथा राज्य) पत्र–व्यवहार में आठवीं अनुसूची में प्रदत्त किसी भी भाषा में उपयोग करने की छूट दी गई है। अनुच्छेद 351 हिंदी के प्रोत्साहन कि लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों को कार्य करने का निर्देश देता है। यद्यपि भाषाओं के बारे में निश्चित प्रावधान, भारतीय संविधान में प्रदत्त है किंतु संविधान भाषायी बहुलता का कोई ठोस समाधान प्रदान नही करता है और इस कार्य को आगे आने वाली सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। संविधान निर्माता इस बात से भली–भांति परिचित थे कि इस समस्या का समाधान राजनैतिक सहमति पर निर्भर है, और कोई भी निर्णय किसी पर थोपा नहीं जा सकता है।

भाषा के आधार पर राज्यों का पुर्नगठन

संविधान सभा ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग के लिए दर आयोग की नियुक्ति की थी। आयोग ने इस मांग को राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के खिलाफ पाया। कांग्रेस पार्टी ने अक्टूबर 1948 में जे.वी.पी. (जवाहर लाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एवं पट्टाभि सितारमय्या) आयोग का गठन किया जिसने दर आयोग के सुझावों के साथ सहमति व्यक्त की। 1953 में श्रीमालु द्वारा तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की मांग एवं आमरण अनशन के दौरान हुई उनकी मृत्यु और उसके बाद उपजी हिंसा के कारण भारत में भाषा के आधार पर पहले राज्य 'आंध्र प्रदेश' का गठन हुआ। तदुपरांत 1954 में केंद्र सरकार ने फजल अली के नेतृत्व में 3 सदस्यीय राज्य पुर्नगठन आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें राज्यों को चार भाग में वर्गीकरण खत्म करके, उनकी भाषा के आधार पर पुर्नगठन करने का सुझाव दिया। आयोग के सुझाव के आधार पर 1956 में राज्य पुर्नगठन कानून पारित हुआ और इस प्रकार पुनर्गठन के बाद 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शसित क्षेत्रों की स्थापना हुई। किंतु दसके बाद भी भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग खत्म नहीं हुई। सन् 1956 में सी. डी.देशमुख की बम्बई राज्य को भाषा के आधार पर दो भाग–महाराष्ट्र एवं गुजरात में विभक्त करने की मांग न माने जाने पर उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडन से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वहां दो भाषायी दबाव समूह, संयुक्त महाराष्ट्र समिति तथा महा गुजरात जनता परिषद् के मध्य कई बार टकराव की स्थिति पैदा हुई और 1960 मे बम्बई राज्य को दो भाग में विभक्त करके गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य का सर्जन हुआ। इसी तरह संत फतेह सिंह की आत्मदाह की घोषणा के बाद पंजाब राज्य पंजाबी–भाषी पंजाब एवं हिंदी भाषी हरियाण में विभक्त कर दिया गया। वर्तमान में जब हमारा देश 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त है, भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन की माँग उठती रहती है, जैसे कि आजकल भोजपुरी भाषा के आधार पर पूर्वांचल राज्य के गठन की मांग उठाई जा रही है।

उत्तर –दक्षिण विभेद

संविधान में जहाँ एक ओर हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रोत्साहित करने की बात कही गई है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हर राज्य को अपने क्षेत्र की भाषा अपनाने की छूट प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 120 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद के सभी कार्य हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में किए जाएगे। साथ ही साथ संसद सदस्यों को सभपति अथवा लोकसभाध्यक्ष की पूर्व अनुमति से अपनी 'क्षेत्रीय' भाषा में अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदान किया गया है।

इसी अनुच्छेद में केन्द्रीय विधि निर्माताओं को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ के पंद्रह वर्षों के पश्चात् वे इस अनुच्छेद में वर्णित 'अथवा अंग्रेजी में' शब्द का लोप कर सकते हैं। किंतु उत्तर दक्षिण विभेद ने इस अनुच्छेद को यथावत बनाए रखा तथा इस भाषायी मतभेद वर्तमान में कोई मतैक्य बनता नहीं दिख रहा है। इसी प्रकार का प्रावधान अनुच्छेद 210 के अंतर्गत राज्यों के लिए प्रदान किया है। इसके बावजूद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करने के प्रस्ताव का निरंतर विरोध किया जाता रहा है, विशेषकर गैर–हिंदी भाषी राज्यों (दक्षिण भारत के राज्य) ने इसका जमकर विरोध किया और इसे आर्य संस्कृति को द्रविड़ों के ऊपर थोपे जाने की साजिश बताया।

1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 22 प्रतिशत जनसंख्या की मातृभाषा हिंदी है जबकि 20.22 प्रतिशत जनसंख्या इसका प्रयोग सह–भाषा के रूप में करती है। इसके अलावा 6.16 प्रतिशत लोग इसे द्वितीय भाषा एवं 2.60 प्रतिशत व्यक्ति इसका तृतीय भाषा के रूप में करते हैं। कुल मिलाकर हिंदी आधुनिक लोकतंत्र के जादुई आंकड़े (50.98 प्रतिशत) को छूती नज़र आती है।

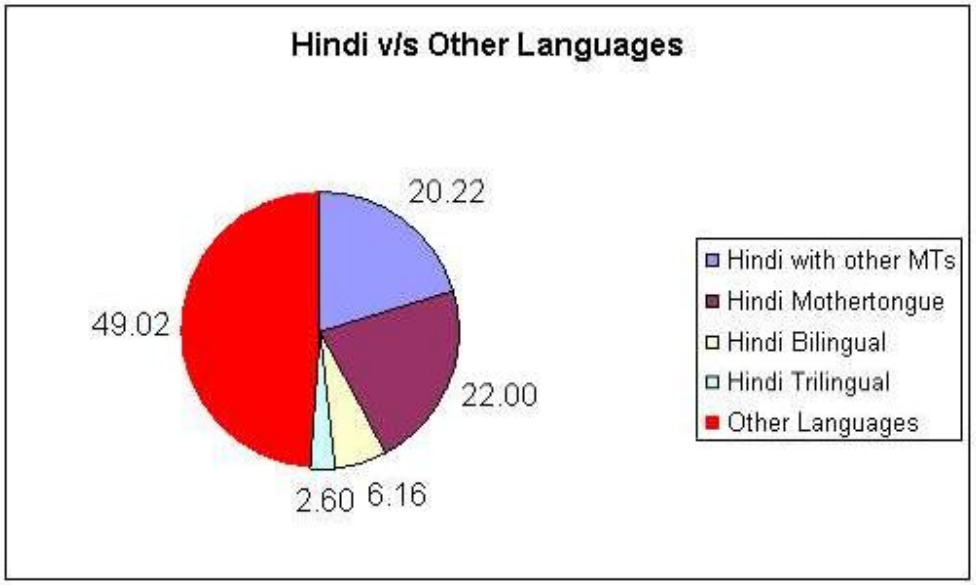

1956 में जब भाषा आयोग ने संविधान के प्रावधानों की सराहना कर उसे सही ठहराया तो गैर–हिंदी भाषी क्षेत्रो के राजनीतिक गुटों का यह तर्क था कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाए जाने पर राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक, शैक्षणिक आदि क्षेत्रों में उनकी भागीदारी काफी कम हो जाएगी। भाषा के मुद्दे ने क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उद्भव एवं विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जहां दक्षिण में डी.एम.के. ने हिंदी विरोध को मुख्य मुद्दे बनाया वहीं उत्तर भारत में जनसंघ एवं संयुक्त समाजवादी पार्टी ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने पर जोर दिया। भाषा अधिनियम 1963 के प्रावधानों के अस्पष्ट होने के कारण उत्तर तथा दक्षिण दोनों ओर के राज्यों में कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान उठाना पड़ा। 1967 के आम चुनावों में डी.एम.के. की मद्रास में जीत एवं जनसंघ एवं संयुक्त समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर जीत इस बात की द्योतक है कि भाषा, वोट बैंक की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके बाद लगभग हर राज्य में क्षेत्रीय भाषा को प्रोत्साहन एवं महत्वपूर्ण दर्जा प्रदान करने का मुद्दा एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा बन गया। चाहे पंजाब में अकाली दल द्वारा पंजाबी भाषा एवं संस्कृति का मुद्दा हो या मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए उत्तर प्रदेश एवं बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी भाषा का दर्जा प्रदान करने का मामला या फिर असम में असमिया एवं बांग्ला भाषाई गुटों के मध्य हिंसात्मक संघर्ष की घटना हो, भाषा राज्यों की राजनीति में एक महत्वपूर्ण

निर्णायक तत्व साबित हुई है जिसकी महत्ता केंद्रीय राजनीति पर साफ तौर से परिलक्षित होती है। केंद्र सरकार की भाषा नीति जब 1963 में घोषित हुई जो वहां एक ओर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में अंग्रेजी भाषा के विरोध में हिंसात्मक धरना एवं प्रदर्शन हुए, वहीं इन प्रदर्शनों के विरोध में मद्रास में रैलियाँ एवं धरने के माध्यम से विरोध प्रकट किया गया जो जल्द ही आंध्र प्रदेश एव कर्नाटक राज्य तक फैल गया। जब वर्ष 2004 में तमिल को ऐतिहासिक भाषा का दर्जा प्रदान किया गया जो उत्तर भारत के कई राजनीतिक दलों ने ऐसा दर्जा संस्कृत भाषा को भी प्रदान करने की मांग की, जिसे वर्ष 2005 में मान लिया गया। यह घटना इस बात की प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भाषा के आधार पर उपजा उत्तर–दक्षिण विभेद आज भी कायम है तथा भाषा का जाति, धर्म आदि की भांति एक महत्वपूर्ण राजनैतिक स्थान है, जो क्षेत्रीय राजनीति के साथ–साथे केंद्रीय राजनीति मे समान रूप से प्रभावी है।

भाषा एवं शिक्षा

शिक्षा प्रारंभ में राज्य अनुसूची का विषय थी किंतु अब इसे समवर्ती सूची में शमिल कर लिया गया है। शिक्षा–क्षेत्र केंद्र सरकार की भूमिका सिर्फ नियोजन, दिशा–निर्देशन एवं नियमन तक सीमित है तथा राज्य सरकारें अपने–अपने अधिकार क्षेत्रों में स्वतंत्र हैं। राज्यों का भाषा के आधार पर गठन एवं हर राज्य की क्षेत्रीय राजनीति में भाषा के महत्व के कारण आज हर राज्य में अलग–अलग राजकीय भाषा है। 1956 मे राज्यों के पुर्नगठन के बाद संविधान में दो नए अनुच्छेद 350क एवं 350ख को शमिल किया गया। अनुच्छेद 350क में यह कहा गया है कि "प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।" अनुच्छेद 350ख के अंतर्गत भारतीय अल्पयंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रारंभिक एवं सेकंडरी स्तर पर राज्यों के मध्य भाषा के आधार पर शिक्षा–क्षेत्र में कोई तालमेल नहीं है। क्षेत्रीय भाषा की महत्ता हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रचार–प्रसार की जरूरत एवं अंग्रेजी की एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता ने भारतीय छात्रों के लिए कम से कम तीन भाषाओ के ज्ञान को आवश्यक बना दिया है। केंद्रीय शिक्षा सलाहाकार समिति की बैठक में तीन भाषा सूत्र का सुझाव दिया गया जिसे कुछ मामूली बदलाव के बाद 1961 में मुख्यंत्रियों के सम्मेलन में अनुमोदित कर दिया गया। हालाँकि इस फार्मूले को अपनाए जाने का मुख्य कारण राजनैतिक था ना कि सामाजिक या शैक्षणिक। अनुमोदन के 45 वर्ष के बाद भी इस सूत्र को एक समान रूप से लागू नहीं किया जा सका है। जहां दक्षिण में हिंदी की उपेक्षा हुई है वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में उर्दू ने क्षेत्रीय भाषा का स्थान ले लिया है जो साफ तौर से मुस्लिम मतदाताओ को ध्यान में रखकर किया गया फैसला है। 1966 में गठित कोठरी समिति ने अंग्रेजी या अन्य किसी आधुनिक भारतीय या यूरोपीय भाषा की शिक्षा पर बल देने की बात कही तथा क्षेत्रीय भाषाओं को कालेज एवं विश्वविद्यालय स्तर पर अपनाने का सुझाव दिया। सरकारिया आयोग ने तीन भाषा फार्मूले को सच्चे रूप से देशभर में लागू करने का सुझाव दिया। समितियाँ या कमीशन चाहे जो भी सुझाव दे अंतिम फैसला रातनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है और शैक्षणिक एवं सामाजिक हित उसके बाद आते हैं।

भाषायी अल्पसंख्यक

भारतीय संविधान में दो आधारों पर अल्पसंख्यकों को वर्गीकृत किया गया है–धार्मिक आधार पर और भाषा के आधार पर। संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 में भाषायी अल्पसंख्यकों के अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 29 मे जहाँ अधिकार प्रदान किया गया है कि "भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग की, अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा तथा राज्य द्वारा पोषित या राज्य–निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इसमें से किसी आधार पर वंचित

नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 में धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों को अपनी रूचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार होगा।"

संविधान की आठवीं अनुसूची में बाईस भाषाओं को राजकीय दर्जा प्राप्त है जो ज्यादातर भारतीयों द्वारा उपयोग की जाती है। हर राज्य में एक या दो भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। सन् 1981 की जनगणना के अनुसार लगभग 20 प्रतिशत लोग भाषा के आधार पर विभिन्न राज्यों में अल्पसंख्यक हैं, जो विभिन्न प्रकार की मांगे राज्य या केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते रहते हैं जिसमें उनके लिए अलग राज्य का गठन, उनकी भाषा को सरकारी कार्यों में उपयोग, प्रोत्साहन तथा उनकी भाषा में शिक्षा आदि प्रमुख है। नेपाली, बोडों, कोंकन, संथाली आदि कुछ प्रमुख राज्यविहीन भाषायी अल्पसंख्यक है। इसके अलावा भारत में भाषायी अल्पसंख्यक की एक ऐसी श्रेणी है जो भाषा के आधार पर राज्य में निवास करते हैं। उदाहरणतः लगभग 1 करोड़ बांग्ला–भाषीय पश्चिम बंगाल से बाहर निवास करते हैं क्योंकि ये अल्पंसख्यक क्षेत्रीय भाषा एवं अन्य आधार पर भिन्न होते हैं, अतः इनमें असुरक्षा तथा विभेद की भावना के कारण, राजनीतिक एवं सामजिक सक्रियता ज्यादा होती है और ये राजनीतिक गुटों के वोट बैंक के मुख्य लक्ष्य होते हैं ठीक वैसे ही जैसे कि महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के हिंदी निवासी हैं, या असम में बांग्ला भाषीय एवं हिंदी भाषीय।

वर्तमान स्थिति

भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में जहां सूचना, संचार तथा तकनीकी क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई ही, वहीं अंग्रेजी का एक सर्वमान्य भाषा के रूप में उदय हुआ है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अति आवश्यक हो गया है। आज भारत को आईटी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण दर्जा प्रदान करने में अंग्रेजी भाषा के ज्ञान की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इसका कुछ श्रेय त्रिभाषा सूत्र में शमिल अंग्रेजी भाषा को दिया जा सकता है। भारत जैसे बहुभाषायी देश में क्षेत्रीय भाषा की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। जहाँ एक ओर अंग्रेजी या अन्य भाषाओं के कार्यों या तकनीक को क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराने कार्य जारी हैं वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी को प्रचार–प्रसार की भी आवश्यकता महसूस की जा रही है। राजनीतिक मुद्दों के तौर पर 'भाषा का मुद्दा' आज एक सुलगते कोयले की भाँति है जिसे यदि छेड़ा गया तो यह एक बड़ी आग को अंजाम देने का सामर्थ्य रखता है। हाँलाकि आज उत्तर–दक्षिण विभेद की तीक्ष्णता में कुछ कमी आई है किंतु आज भी क्षेत्रीय भाषाओं को संवैधानिक दर्जा से, भाषायी आधार पर एक नए पूर्वांचल राज्य की माँग कुछ राजनीतिक गुटों द्वारा की जा रही है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भाषा की महत्ता और भी बढ़ गई है। जहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व की प्रमुख भाषाओं के संर्वद्धन की बात चल रही है, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी आज इस प्रक्रिया की अत्यंत जरूरत है। भाषा को राजनीति के 'नकारात्मक मुद्दे' की श्रेणी से निकालकर एक विकासात्मक एवं सांस्कृतिक पहचान का मुद्दा बनाए जाने पर बल देना होगा। प्रशासनिक रूप से सरकार के सभी कार्य, जिससे क्षेत्रीय नागरिकों के हित निहित होते हैं, क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध होने चाहिए। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषा एवं हिंदी के साथ–साथ अंग्रेजी भाषा को भी अपनाए रखना चाहिए क्योंकि जब हम आज ई–गर्वनेंस की बात करते हैं तो आज हम सभी कार्य हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं मे नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अंग्रेजी या अन्य किसी भाषा का ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है।

संदर्भ सूची

1. भारत का जनगणना, 1991 www.censusofindia.net
2. बिपनचंद्र, इंड़िया आफ्टर इंडिपेंडेंस, पेंगुइन पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2005
3. सुदीप्ता कविराज, पॉलिटिक्स इन इंडिया, ऑक्सफोर्ड़ पब्लिकेशन, नई दिल्ली 2001

4. रूम्की बासु, ऐसेज ऑन इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जवाहर पब्लिकेशन, नई दिल्ली 2000
5. द हिंदू, नेशनल डेली, दिल्ली संस्करण
6. प्रकाश चंद्र उपाध्याय, द पॉलिटिक्स ऑफ़ इड़ियन सेकुलरिज्म, क्रिटिकल क्वेस्ट पब्लिशर्स
7. यम.यल.छिप्पा, पर्सपेक्टिव फ्रॉम इंडियन पॉलिटिक्स, अभिजीत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2001
8. एस. सी. दुबे, इंडियन सोसाइटी, नेशलनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, 2006
9. पी.यम.बक्शी बेयर एक्ट, यूनिवर्सल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2005
10. दुर्गा.दत्त.बासु, भारत का संविधान, बाधवा पब्लिकेशन, नागपुर, 2007

❑❑❑

लोकतंत्र में सामाजिक जनसंचार माध्यम चुनौती एवं संभावनाएँ

*आनंद सौरभ

आधुनिक युग में लोकतंत्र को समाज और राज्य के शासन की सर्वोत्तम राजनीतिक प्रणाली के रूप में स्वीकार किया गया है। लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए, लोगो द्वारा शासन है। जनता की आवाज और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र के बुनियादी मूल्यों में समाहित है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मनुष्य का प्राकृतिक और सार्वभौमिक अधिकार है। जनता की आवाज को मंच देने का कार्य जनसंचार माध्यम (मीडिया) करता है। लोकतंत्र के लिए मीडिया की भूमिका को हृदय के समान माना गया है। सत्ता के विकेंद्रीकरण, सत्ता में जन भागीदारी एवं राष्ट्र निर्माण को व्यापक रूप से साकार करने में मीडिया की भूमिका अहम् है। इन्ही वजहों से मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। आधुनिक युग की शुरूआत पश्चिम में पुनर्जागरण से हुई। फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का पाठ पढ़ाया। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था इन मूल्यों की वाहक बनी। औद्यौगिक क्रांति ने दुनिया के स्वरूप को बदल डाला। प्रिंटिंग प्रेस का अविष्कार इसी क्रांति की देन थी जिसके बाद अभिजात्यों तक सीमित सूचनाओं का प्रवाह जन–जन तक होने लगा। प्रौद्योगिकी ने जन संचार के नए नए माध्यमों को विकसित किया। समाचार–पत्रों ने राष्ट्रीय आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। 1861 में 'टाइम्स ऑफ इंडिया', 1865 में 'पायनियर', 1868 में 'अमृत बाजार पत्रिका', 1875 में 'स्टेट्समैन' और 1880 में 'ट्रिब्यून' की शुरूआत की गई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के सारे शीर्ष नेता पत्रकार की भूमिका में भी थे। देश में नवजागृति और राष्ट्रीय चेतना का संचार करने में इन महापुरूषों द्वारा संपादित समाचार–पत्रों ने बड़ी भूमिका का निर्वाह किया। पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादित पत्र 'अभ्युदय' हो या गणेश शंकर विद्यार्थी का समाचार पत्र 'प्रताप' या लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित 'द पंजाबी', इन पत्रों ने जनता में राष्ट्र प्रेम का संचार किया। बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा में 'केसरी' और अंग्रेजी भाषा में 'मराठा' नामक पत्रों का प्रकाशन किया। मीडिया ने न केवल राष्ट्रप्रेम का अलख जगाया बल्कि एक समतामूलक और लोकतांत्रिक समाज के मूल्यों को भी आम जन–मानस में समाहित किया। आजादी के बाद जहाँ विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र के तीन स्तंभ बने वही मीडिया ने खुद को चौथे स्तंभ के तौर पर स्थापित किया और देश में लोकतंत्र की जड़ों को गहराई से जमाने में अग्रणी भूमिका निभाई। बीसवीं सदी के आखिरी दशकों में प्रौद्योगिकी ने संचार माध्यमों में बड़ा परिवर्तन लाने में सफलता प्राप्त की। जिसे संचार क्रांति का नाम दिया गया। इसी दौर में भारत ने उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमंडलीकरण को अपनाया। भारत जल्द ही कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की दुनिया में प्रणेता बन गया। मैक्लुहान ने 'वैश्विक गाँव' की जो संकल्पना की थी वो आज हकीकत थी और भारत इस वैश्विक गाँव का हिस्सा था। संचार क्रांति से आए इंटरनेट को न्यू मीडिया का नाम दिया गया और इसने पूरे विश्व को एक सूत्र में जोड़ दिया। इंटरनेट ने समय और दूरी को मानो खत्म कर दिया। न्यू मीडिया ने एक आम भारतीय को कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से

* शोधार्थी, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली

दुनिया के किसी भी हिस्से से चंद पलों में जुड़ सकने की आजादी दी। यह एक विलक्षण और अकल्पनीय अनुभूति थी जिसने संचार के मायने बदल कर रख दिए। जल्द ही ब्लॉग, ऑरकुट, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप्प जैसी नए अनुप्रयोगों (ऍप्लिकेशंस) ने न्यू मीडिया का भी कायाकल्प कर दिया। यह न्यू मीडिया का संवादात्मक स्वरूप था जिसमें इंटरनेट की सहायता से लोगों ने एक दूसर से संवाद स्थापित करना शुरू किया। लोगों के बीच संवाद स्थापित करने का माध्यम बनने के कारण इसे सोशल मीडिया का नाम दिया गया और इसने पिछले कुछ वर्षों में जीवन के सभी आयामों को प्रभावित किया है। सोशल मीडिया ने जहाँ अरब देशों में लोकतंत्र के लिए संघर्ष को मजबूत किया, वही भारत सहित कई देशों में जन–आंदोलनों की आवाज बना। सोशल मीडिया ने राजनीतिक एवं सरकारी सूचना तंत्र को पूरी तरह से बदल डाला है।

सोशल मीडिया–परिभाषा एवं अवधारणा

प्रसिद्ध संचार वैज्ञानिक मैगीनसन के अनुसार "संचार समानुभूति की प्रक्रिया है जो समाज में रहने वाले सदस्यों को आपस में जोड़ती है। "संचार के माध्यम से ही सामाजिक संबंध को मूर्त रूप प्राप्त होता है। दो शब्द सोशल और मीडिया से बना जन–संचार का यह माध्यम समाज के हर व्यक्ति को खुद को अभिव्यक्त करने का मंच प्रदान करता है। "सामाजिक मीडिया पारस्परिक संबंध के लिए अंतर्जाल या अन्य माध्यमों द्वारा निर्मित आभासी समूहों को संदर्भित करता है। यह व्यक्तियों और समुदायों के साझा, सहभागी बनाने का माध्यम है। इसका उपयोग सामाजिक संबंध के अलावा उपयोगकर्ता सामग्री के संशोधन के लिए उच्च पारस्परिक प्लेटफार्म बनाने के लिए मोबाइल और बेब आधारित प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के रूप में भी देखा जा सकता है। सामाजिक मीडिया के कई रूप हैं जिनमें कि इंटरनेट फॉरम वेबलॉग, सामाजिक ब्लॉग, माइक्रोब्लॉगिंग, विकीज, सोशल नेर्टवक, पॉडकास्ट, फोटोग्राफ, चित्र, चलचित्र आदि सभी आते हैं। अपनी सेवाओं के अनुसार सोशल मीडिया के लिए कई संचार प्रौद्योगिकी उपलब्ध हैं।"

सोशल मीडिया इंटरनेट के माध्यम से लोगों को संवाद का मंच मुहैया कराता है। इस मंच के माध्यम से न केवल आप दुनिया के तमाम घटनाओं से अवगत होते हैं बल्कि अपनी बातों को भी सामने रखते हैं। सोशल मीडिया के उपयोगकर्ता एक क्लिक की सहायता से हजारों लोगों तक अपनी पहुच स्थापित करते है। अपनी असीमित पहुँच एवं विस्तार के कारण सोशल मीडिया ने संचार जगत को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। सोशल मीडिया आज साइबर स्पेस का लगभग पयार्यवाची बन गया है। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब आदि प्रमुख सोशल मीडिया साइट हैं। सन 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने हॉवर्ड विश्वविद्यालय के अपने साथी छात्रों के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक बनाया जोकि जल्द ही पूरे विश्व में सोशल मीडिया का पर्याय बन गया। आज दुनिया भर में फेसबुक के करीब 2.19 अरब मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं जिनमें सर्वाधिक 27 करोड़ भारतीय हैं। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिग साइट है जहाँ 140 अक्षरों या उससे कम में खुद को व्यक्त किया जाता है। यह सोशल मीडिया का एक बहुत ही लोकप्रिय मंच है। दुनिया भर में करीब 33 करोड़ लोग ट्विटर के सक्रिय मासिक उपयोगकर्ता है जिनमें लगभग एक करोड़ भारतीय हैं। वीडियो साझा करने वाली वेबसाइट यूट्यूब का निमार्ण 2005 में स्टीव चेन एवं चाड हर्ली ने किया था जिसे बाद में गूगल ने खरीदा। आज एक अरब से ज्यादा लोग यूट्यूब का उपयोग करते हैं। इस सोशल मीडिया साइट पर हर दिन लगभग पांच अरब वीडियो देखे जाते हैं। वक्त के साथ–साथ सोशल मीडिया का भी दायरा बढ़ता जा रहा है और अब इसका उपयोग केवल लोगों के बीच संवाद स्थापित करने तक सीमित नहीं बल्कि विज्ञापन, मार्केटिंग, नौकरी आदि अन्य कार्यों के लिए भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया की लोकप्रियता हर दिन बढ़ती जा रही है। कम्प्यूटर स्क्रीन से निकल कर यह मोबाईल फोन में जा पहुंचा है जिसने इसे असीमित विस्तार दिया है। शहर, कस्बाँ से होता आज यह गाँवों तक पहुंच गया है। आकड़ों के मुताबिक, भारत में इंटरनेट के 40 फीसदी ग्रामीण उपयोगकर्ता हैं। देश में सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं में 80 प्रतिशत युवा हैं और इनकी आयु

15–34 वर्ष है। सोशल मीडिया एक आभासी दुनिया का सृजन करती है जो वास्तविक दुनिया जैसा ही प्रतीत होता है। यह आभासी दुनिया अनंत है, यहाँ साइबर स्पेस की कोई सीमा नहीं। यह अनंत आभासी दुनिया युवाओं को खासकर आकर्षित करती है।

लोकतंत्र का वाहक – सोशल मीडिया

लोकतंत्र और सोशल मीडिया का अंतःसंबंध अत्यंत गहरा और व्यापक है। सोशल मीडिया जनमानस की वैचारिक अभिव्यक्ति के सशक्त उपकरण के रूप में उभरकर सामने आया है। यह लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सोशल मीडिया ने सभी को खुलकर बोलने का और हर मुद्दे पर अपनी राय रखने का मौका दिया है। सोशल मीडिया पर सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका स्थित फेसबुक मुख्यालय में इस माध्यम की शक्ति और संभावनाओं को लेकर अपने विचार रखते हुए कहा था कि सोशल मीडिया लोकतंत्र की ताकत बनकर उभरा है। सोशल मीडिया शासन, नागिरक प्रबंधन और कूटनीति में एक बड़ा कारक बनकर उभरा है। सरकार और जनता के बीच संवादहीनता एक बहुत बड़ी खाई है। जन–संचार के दौर में भी लोकतंत्र में जनता और सरकार के बीच आमतौर पर संवाद एकतरफा रहा है। सरकार को अपने कार्यों और नीतियों की जनता से प्रतिक्रिया चुनाव में मतदान के माध्यम से ही मिला करती थी पर सोशल मीडिया ने इस आयाम को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। सोशल मीडिया के प्रादुर्भाव से शासन प्रणाली एवं सरकारी सूचना तंत्र में व्यापक बदलाव आया है। वास्तविक काल में आवश्यकता के आधार पर सरकारी विभाग एवं अधिकारी शिकायतों का निपटारा कर रहे हैं। सोशल मीडिया ने सरकारी तंत्र को ज्यादा जवाबदेह बनाया है। सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को अपने कार्यों, नीतियों और योजनाओं की वास्तविक समय में समीक्षा जनता से मिल जाती है जिससे समय रहते जनता के हित में सुधार की गुंजाइश रहती है। सरकार सोशल मीडिया पर हुई प्रतिक्रिया के आधार पर सुधारात्मक कदम उठा सकती है। सोशल मीडिया राजनीतिक दलों एवं नेताओं को लोगों से सीधे जुड़ने का मौका देता है। लोगों के साथ संवाद स्थापित कर उन्हे जानने का मौका देता है। सोशल मीडिया ने राजनीतिक संचार को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। राजनीतिक संवाद इतना प्रत्यक्ष , दोतरफा एवं प्रभावी पहले कभी नहीं था।

इस दशक की शुरूआत अरब देशों में लोकतंत्र के लिए जन संघर्षों से हुई। इन आंदोलनों ने दशकों से सत्ता पर काबिज़ तानाशाहों को उखाड़ फेंका। इसे अरब या जैस्मिन क्रांति का नाम दिया गया। सोशल मीडिया को इस क्रांति की सबसे बड़ी वजह माना गया है जिसने जनता को संगठित करने का कार्य किया। ट्यूनीशिया में तानाशाही के खिलाफ सोशल मीडिया पर शुरू हुआ अभियान राष्ट्रीय सीमाओं को पार करता हुआ मिस्र, यमन और लीबिया तक पहुंचा। फेसबुक, ट्विटर एवं यू–ट्यूब के माध्यम से दुनिया भर में जन–समर्थन तैयार किया गया। फेसबुक पेज के जरिये आंदोलनों की रूपरेखा तय की गयी। सोशल मीडिया के माध्यम से नौजवानों ने अपने संघर्ष से होस्नी मुबारक, बेन अली एवं गद्दाफी जैसे शासकों को उखाड़ फेंका। सोशल मीडिया लोकतंत्र के वाहक बनें। भारत में भी हाल के वर्षों में सोशल मीडिया के माध्यम से लोकतंत्र को समृद्ध एवं मजबूत बनाने के कई कार्य हुए हैं। पिछली संप्रग सरकार में 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला खदान घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला सहित भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में गांधीवादी अन्ना हजारे के आंदोलन में सोशल मीडिया का बखूबी प्रयोग किया गया। सोशल मीडिया के माध्यम से शहर में भ्रष्ट्राचार के खिलाफ लोग इकट्ठा हुए और सरकार को संसद में लोकपाल विधेयक पास करने के लिए बाध्य होना पड़ा। दिसंबर 2012 के में राष्ट्रीय राजधानी में एक नवयुवती के साथ बलात्कार एवं नृशंस हत्या की वारदात हुई। निर्भया कांड ने लोगों को उद्वेलित कर दिया और सोशल मीडिया ने यहाँ भी लोगो को जोड़ने का कार्य किया। महिला सुरक्षा को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। फेसबुक और ट्विटर पर निर्भया जैसे हैशटैग के साथ अभियान चलाए गए जिसके बाद सरकार ने न्यायमूर्ति जे एस वर्मा की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया एवं उसकी अनुशंसाओं के आधार पर महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों को और व्यापक एवं सख्त किया।

सोशल मीडिया देश में जन–आंदोलनों का मंच बन गया है। इसने नागरिकों की मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के सामने रखने का अवसर दिया है। ऐसे अनेक उदहारण है जहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से पीड़ित, शोषित, वंचित तबकों को अपनी बात सरकार तक पहुंचाने में मदद मिली। इस मंच के न होने से संभवतः इन तबकों के गुस्से का इस्तेमाल नक्सली, अलगाववादी एवं अन्य असामजिक तत्व अपने फायदे के लिए कर सकते थे। देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के सशिक्तकरण में भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सेल्फी विद डॉटर जैसे अभियान हो या मेंस्टुअल हाइजीन जैसे जरूरी मुद्दों पर जागरूकता फैलाई जा रही है। चुनाव आयोग के आकड़ों के मुताबिक 2014 के आम चुनावों में करीब बारह करोड़ नए युवाओं का नाम मतदाता सूची में पहली बार हुआ। यह भारत के राजनीतिक इतिहास में अद्वितीय घटना थी। इन युवाओं को मतदाता के तौर पर जागरूक करना एक बड़ी चुनौती थी और चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। चुनाव आयोग के सोशल मीडिया पर की गयी पहल से न केवल मतदाता जागरूक हुए बल्कि मतदान प्रतिशत में भी सुधार आया और लोकतंत्र का पर्व कह जाने वाले चुनाव की साथर्कता बढ़ी। 2014 के आम चुनावों को सोशल मीडिया चुनाव के तौर पर भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने अपने चुनावी अभियान में सोशल मीडिया का जम कर प्रयोग किया। फेसबुक पर 'आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी' जैसे पेज बनाये गए और व्हाटसएप्प के माध्यम से भी संदेश जन–जन तक प्रसारित किये गए। लोकसभा चुनावों में भारी सफलता के बाद मोदी ने अपने विजय की घोषणा भी ट्विटर के माध्यम से की। आज मोदी सोशल मीडिया पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है जहाँ उनके 9.7 करोड़ से ज्यादा अनुयायी (फॉलोवर) हैं। उनकी राजनीतिक सफलता में सोशल मीडिया की भूमिका को देखने के बाद इस माध्यम को खारिज करने वाले कई राजनेताओं ने इसे अपनाया है और वे इस मंच के माध्यम से लोगों से जुड़ रहे हैं।

सूचना एवं संचार का लोकतंत्रीकरण

मीडिया को लोगों की भरोसेमंद आवाज होनी चाहिए, जैसा कि अफ्रीकी–अमेरिकी मानवाधिकार कार्यकर्ता मैल्कॉम एक्स ने कहा है, 'मीडिया धरती की सबसे शक्तिशाली वस्तु है। उसके पास निर्दोष को दोषी और दोषी को निर्दोष बनाने की शक्ति है, क्योंकि वह जनता के दिमाग को नियंत्रित करती है। 'लेकिन पिछले कुछ समय में पारम्परिक मीडिया जैसे समाचार पत्र एवं समाचार चैनलों की विश्वसनीयता घटी है। विज्ञापनदाताओं के हितों से चलने वाली कॉर्पोरट मीडिया जनहित के मुद्दों को उठा पाने में नाकाम रही है। बाजार ने मीडिया के जन सरोकारों को उठाने की प्रवृति को प्रभावित किया है। जो मीडिया कभी राष्ट्रीयता की प्रसारक थी वह आज मुनाफा के जाल में उलझी है। टीआरपी की मारामारी और सनसनीखेज खबरों ने पारंपरिक मीडिया को जहाँ लोगों से दूर किया है वही पेड न्यूज और फेक न्यूज जैसी बीमारियों ने भी इसे बुरी तरह जकड़ लिया है। इस दौर में सोशल मीडिया नागिरकों के बीच एक समाधान के तौर पर सामने आया है और वह 'लोकतंत्र के चौथे स्तंभ' के तौर पर स्थापित होने की और अग्रसर है। मुख्यधारा मीडिया से ऊब चुक लोगों के लिए सोशल मीडिया एक सुलभ माध्यम है जहाँ खबरों का विस्तार असीमित है। कीबोर्ड पर अपनी अंगुलियों के सहारे इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हार्ड न्यूज़ से लेकर सांस्कृतिक और सामाजिक 'सॉफ्ट न्यूज' और बौद्धिक खबरें सहित मन–मुताबिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। समाचार पत्र एवं चैनल का मालिकाना हक़ जहां चंद हाथों में सिमटा होता है वही सोशल मीडिया में हर एक उपयोगकर्ता अपने फेसबुक वॉल, ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल का मालिक है और वह इन माध्यमों का प्रयोग अपनी आवाज को समाज के समक्ष रखने के लिए करता है। जो खबर मीडिया दबा देता है या उसमें छूट जाती हैं , वैसी खबर सोशल मीडिया में 'वायरल' हो जाती है। वह दौर इतिहास का हिस्सा हो गया है जब पाठकों की भागीदारी महज संपादकों के नाम पत्र तक सिमटी थी। आज हर वह नागिरक संपादक है जिसका अपना ब्लॉग और सोशल मीडिया

अकाउंट है और जिसका उपयोग वह अपनी बातों को सामने रखने में करता है। सोशल मीडिया ने सूचना एवं संचार का सम्पूर्ण रूप से लोकतंत्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण कर दिया है।

सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव एवं चुनौतियां

सोशल मीडिया को 'सूचना हाईवे' का नाम दिया गया है जहाँ कोई भी यात्रा कर सकता है। लेकिन जैसे हाईवे पर दुर्घटनाओं का खतरा होता है उसी प्रकार सोशल मीडिया भी दुर्घटनाओं के खतरे से भरा है। अपनी तमाम खूबियों के बावजूद सोशल मीडिया का नकारात्मक पक्ष भी काफी सबल है। यहाँ सूचना प्रदान कर रह व्यक्ति की जवाबदेही तय नहीं है जिसके कारण सोशल मीडिया बड़ी संख्या में फर्जी खबरों और अफवाहों का स्रोत बनता जा रहा है। सोशल मीडिया में एक बड़ी संख्या जाली उपयोगकर्ताओं की ट्विटर पर करीब 30 प्रतिशत उपयोगकर्ता जाली हैं। इन जाली उपयोगकर्ताओं की मदद से जनमत तैयार कराने का काम लिया जाता है। ये उपयोगकर्ता विरोधियों को ट्रोल करने का कार्य करते हैं और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। ये ट्रोल संगिठत गिरोह की भाँति कार्य करते हैं। हाल ही में कई ऐसी घटनाएँ सामने आयी हैं जहाँ सोशल मीडिया ने जातिवाद, सांप्रदायिकता और सामाजिक तनाव बढ़ाने का कार्य। ऐसे घृणित कार्यों के लिए सोशल मीडिया का दुरूपयोग बढ़ता जा रहा है। भद्दी भाषा और फर्जी खबरों को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। हाल ही में ऐसे तथ्य सामने आए कि सोशल मीडिया वेबसाइटों ने उपयोगकर्ताओं की निजी जानकारियाँ मुनाफे के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिक जैसी कंपनियों के साथ साझा की जिसका इस्तेमाल राजनीतिक दलों एवं नेताओं के लिए जनमत तैयार करने में किया गया। सोशल मीडिया पर ऐसे भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने कुछ देशों के आम चुनावों को प्रभावित किया। लोकतंत्र के अच्छे स्वास्थ्य लिए यह शुभ लक्षण नहीं है।

निष्कर्ष:

साइबर सुरक्षा एवं सोशल मीडिया का दुरूपयोग की अनदेखी नहीं की जा सकती। ये मुद्दे कानून, व्यवस्था के साथ–साथ आंतरिक सुरक्षा से भी जुड़ हैं। हाँलाकि किसी क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव या किसी अन्य वजह से हालात बिगड़ने पर सोशल मीडिया और इंटरनेट सेवाएँ अस्थायी तौर पर बंद कर दी जाती हैं लेकिन यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं। भारत को जर्मनी जैसे देश से सीख लेने की जरूरत हैं जहाँ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री के खिलाफ विनियमन लाया गया है और सोशल मीडिया वेबसाइटों की भी जवाबदेही तय की गयी है। जरूरत इस बात कि है कि देश में साइबर अपराध से निपटने वाले तंत्र को मजबूत और प्रभावी बनाया जाए। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के साथ साथ भारत सबसे युवा देशों में भी एक है। युवा प्रवृति से अधीर होते हैं और शासन में जल्द परिवर्तन देखना चाहते हैं। अपार ऊर्जा से संचित ये युवा तुरंत नकारात्मकता का शिकार हो जाते हैं और ऐसी स्थिति लोकतंत्र के अच्छे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं होती है। सोशल मीडिया ने जहाँ उन्हें अपनी बात राजनेता और शासन व्यवस्था तक पहचान का अवसर देता है जिससे उनकी बातें राष्ट्रीय पटल पर तुरंत आ जाती हैं पर साथ ही इस त्वरित प्रतिक्रिया से भारतीय लोकतंत्र की बारीकियों को समझने की प्रवृति का ह्रास हुआ है। आवश्यकता इस बात की है कि सोशल मीडिया की असीम शक्तियों का तार्किक उपयोग हो। ताकि इसका उपयोग अफवाह फैलाने, द्वेष बढ़ाने और सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने की जगह राष्ट्र निर्माण एवं लोकतंत्र को मजबूत बनाने में हो। सोशल मीडिया का उपयोग युवाओं को रचनात्मक बनाने के लिए किया जाए, जिससे देश का लोकतांत्रिक आधार और मजबूत हो।

संदर्भ

कुशवाहा, राहुल. (2016). भारतीय लोकतंत्र में युवाओं और मीडिया का बढ़ता वर्चस्व – सकारात्मक या नकारात्मक पहलू International Research Journal of Multidisciplinary Studies. 2. 1-3.

http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/175232/5/chapter%202.pdf

हिंदी पत्रकारिता दिवसः सोशल मीडिया ने पूरे मीडिया जगत पर असर डाला है; ; https://www.prabhatkhabar.com/news/vishesh-aalekh/hindi-journalism-day-social-media-media-world-impacted/996791.html

उमेश कुमार राय, सोशल मीडिया का बढ़ता दायरा वरदान भी अभिशाप भी, साहित्य संहिता, वॉल्यूम 3 अंक 1

जनसंदेश टाइम्स, 5 जनवरी 2014, पृष्ठ संख्याः 1 (पत्रिका,ए टू ज़ेड लाइव), शीर्षकः आम आदमी की नई ताकत बना सोशल मीडिया, लेखकः रवीन्द्र प्रभात

http://www.dw.com/hiसोशल–मीडिया–के–सामने–विश्वसनीयता–की–चुनौती/a–15183664

https://qz.com/1248162/facebook-will-go-on-a-hiring-spree-to-get-indias-2019-electrons-right/

http://www.sarita.in/politics/social-media-providers

http://www.newswriters.in/2016/02/09what-is-social-media/

http://hi.wikipedia.org/wikiसामाजिक मीडिया

http://hindi.mapsofindia.com/my-india/society/role-of-social-media-in-india

❑❑❑

इक्कीसवीं सदी में भारत में महिलाओं की स्थिति और नारी सशक्तीकरण के लिए संसदीय प्रयास

*डॉ. नावेद जमाल
**संजीव कुमार सिंह

सशक्तीकरण का अर्थ है किसी को स्वयं के निर्णय लेने में सक्षम बनाना तथा अपने जीवन की परिस्थितियों पर और अधिक नियंत्रण प्राप्त करने लायक शक्ति या अधिकार प्रदान करना।[1] सशक्तीकरण, प्रक्रिया और परिणाम दोनों को व्यक्त करता है। यह स्वयं के जीवन में अपना लक्ष्य तय करने, कौशल प्राप्त करने, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार नारी सशक्तीकरण का अर्थ कार्य करने के स्तर पर महिलाओं द्वारा अपने जीवन में विभिन्न विकल्पों और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमता में विस्तार करना है जिन्हें पहले करने से मना कर दिया जाता था।[2]

नारी सशक्तीकरण का अर्थ है महिलाओं के लिए एक ऐसा सामाजिक–आर्थिक और राजनैतिक पर्यावरण बनाना जिसमें महिलाएँ अपने व्यक्तिगत हित संबंधी विषयों के साथ–साथ बहुस्तरीय प्रक्रिया हो जिसमें उनकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मंचों तक पहुंच और भागीदारी बढ़ाने के साथ–साथ इन क्षेत्रों में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाना भी शमिल है।

सितंबर 1893 में स्वामी विवेकानंद का एक साक्षात्कार जो 'बोस्टन इवनिंग' में प्रकाशित हुआ था, कहा कि–विश्व कल्याण के लिए कोई मौका नहीं है जब तक कि महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होता है क्योंकि पक्षी का केवल एक पंख से उड़ना संभव नहीं है। इसी प्रकार जॉन रॉल्स ने पुस्तक "ए थ्योरी ऑफ़ जस्टिस में कहा है कि किसी भी जंजीर की ताकत उसकी सबसे कमजोर कड़ी जितनी ही होती है। वस्तुतः समाज में सतत् और संतुलित विकास बिना महिला सशक्तीकरण के संभव नहीं है और उससे से भी अधिक जैसे कांट के दर्शन में हर मनुष्य अपने आप में साध्य है उसी प्रकार महिला सशक्तीकरण स्वयं में महिलाओं के लिए व्यापक मानवाधिकारों की प्राप्ति के लिए एक आवश्यक शर्त है।

अब अगर हम भारत में महिलाओं की स्थिति और उनके सशक्तीकरण की आवश्यकता की जांच पड़ताल करें तो निम्नलिखित मानकों को देखने के बाद हम आसानी से इस विषय में कुछ कह सकते हैं–

वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र–संघ ने जो सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (मिलेनियम डेवलपमेंट गोल या एम् डी जी) बनाए उसमें कुल निर्धारित आठ लक्ष्यों में से दो सीधे रूप से महिलाओं की मौजूदा स्थितियों से जुड़े थे। इन लक्ष्यों में तीसरा लक्ष्य समानता और सशक्तीकरण था जबकि चौथा मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना था। तीसरे लक्ष्य को मुख्य रूप से नारी–शिक्षा, श्रम–समानता, महिलाओं के प्रति हिंसा में कमी और शासन में उनकी भागीदारी के रूप में विभाजित कर देखा गया। चौथे लक्ष्य को नारी स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य और प्रसूति के लिए उचित आधार ढांचा और उस ढांचे तक महिलाओं की पहुंच के रूप में देखा गया।[3] इसी प्रकार सहस्त्राब्दि (एम डी जी) की समय–सीमा जो 2015 थी, की समाप्ति के बाद 17 सतत विकास लक्ष्य रखे गए जिसमें पाँचवा लैंगिक समानता रखा गया है।[4]

* सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
** शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली

संयुक्त राष्ट्र संघ का मानना है कि दुनिया ने सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (लड़कियों और लड़कों के बीच प्राथमिक शिक्षा की बराबर पहुंच सहित) लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में कुछ प्रगति हासिल की है परंतु आज भी महिलाओं और लड़कियों को दुनिया के हर हिस्से में भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने सतत विकास के लक्ष्यों में इसे शामिल किया है। संयुक्त राष्ट्र कहता है कि लिंग समानता न केवल एक मौलिक मानव अधिकार है, बल्कि एक शंतिपूर्ण, समृद्ध और टिकाऊ दुनिया के लिए एक आवश्यक आधार है। यह कहता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सम्मानजनक कार्य और राजनीतिक और आर्थिक निर्णय प्रक्रियाओं में महिलाओं और लड़कियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने से संधारणीय अर्थव्यवस्थाओं, समाज और राज्य अंततः संपूर्ण मानवता को लाभ मिलेगा।[5]

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गठित महिलाओं की स्थिति संबंधी आयोग विश्व महिला सम्मेलनों के आयोजन के लिए उत्तरदायी रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं पर चार विश्व सम्मेलन आयोजित किए हैं। ये आयोजन 1975 में मेक्सिको सिटी, 1980 में, कोपेनहेगन 1985 में नैरोबी और 1995 में बीजिंग में हुए। बीजिंग में महिलाओं पर 1995 के चौथे विश्व सम्मेलन ने लिंग समानता के वैश्विक एजेंडा के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ तय किया। बीजिंग घोषणा और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, 189 देशों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया। यह महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए विश्व स्तर पर एक एजेडा तय करने वाला और लैंगिक समानता पर प्रमुख वैश्विक नीति विषय दस्तावेज़ माना जाता है। यह महिलाओं के उन्नयन और लैंगिक–समानता की दिशा में उपलब्धियों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रणनीति उद्देश्यों और कार्यों को निर्धारित करता है, ये क्षेत्र निम्नलिखित है[6]:

1. महिलाए और गरीबी
2. महिलाओं की शिक्षा और प्रशिक्षण
3. महिलाएं और स्वास्थ्य
4. महिलाओं के प्रति क्रूरता
5. महिला और सशस्त्र संघर्ष
6. महिलाएं और अर्थव्यवस्था
7. शक्ति में भागीदारी और निर्णय लेने में भागीदारी
8. महिलाओं की प्रगति के लिए संस्थागत तंत्र
9. महिलाओं के मानवाधिकार
10. महिलाएं और जनसंचार माध्यम
11. महिलाएं और पर्यावरण
12. कन्या–शिशु

इस प्रकार उपर्युक्त आधारों को देखते हुए, नारी–अधिकारों की पहचान और भारत में इनकी दशा की जांच–पड़ताल निम्नलिखित मुद्दों के रूप में की जा सकती है: महिलाओं की शिक्षा से संबंधित मुद्दें, महिला स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य और भ्रूण हत्या संबंधी मुद्दे; विवाह, बाल विवाह और तलाक के मुद्दें'; घरेलु हिंसा से संबंधित मुद्दे; यौन हिंसा, बलात्कार से संबंधित मुद्दे; महिलाओं के कानूनी अधिकार के मुद्दे; महिलाओं की शासन में भागीदारी संबंधी मुद्दे, महिलाओं के सामाजिक–धार्मिक अधिकार के मुद्दे, महिलाओं से संबंधित श्रम कानून और रोजगार के मुद्दे तथा लिंग समानता से संबंधित मुद्दे।

यदि इन क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति देखें तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार, पुरूषों के लिए प्रभावी साक्षरता दर 82.14% थी जबकि महिलाओं के लिए यह 65.14% थी।[7] इस प्रकार अभी भी साक्षरता दर में लैंगिक अंतर 16.68% का है। अखिल भारतीय स्तर पर, व्यस्क (15 + वर्ष) साक्षरता दर 76% थीं और पुरूषों में यह 78.8% और महिलाओं में 59.3% थीं। ग्रामीण–शहरी अंतर दोनों (महिला और पुरूष) के लिए मौजूद था। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए व्यस्क साक्षरता दर 50.6% थी और

शहरी इलाकों में 76.9% जबकि ग्रामीण इलाकों में पुरूषों के लिए 74.1% की तुलना में शहरी क्षेत्रों में व्यस्क साक्षरता 88.3% थी।

भारत में प्रति एक लाख माताओं में प्रसूति के समय होने वाली मृत्यु यानि कि मातृत्व मृत्यु दर युनिसेफ द्वारा वर्ष 2015 में 174 प्रति लाख बताई गई जो विश्व औसत 216 से कम है, परंतु विकसित देशों की अपेक्षा बहुत अधिक है। उदाहरणार्थ मातृत्व मृत्यु दर जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यू एस ए आदि में 10 प्रति लाख से भी कम है।[8]

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एन सी आर बी,) के अनुसार वर्ष 2016 में भारत में महिलाओं के विरूद्ध कुल 3,38,954 अपराध हुए और अपराध दर 55 से ऊपर रही अर्थात् इस वर्ष प्रति 1000 महिलाओं में 55 महिलाओं के साथ आपराधिक कृत्य हुए। इन अपराधों में पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के कुल 1,10,378 मामले सामने आए, महिला उत्पीड़न और उनकी शीलता भंग करने के इरादे से कुल 84,746 मामले दर्ज किए गए। इसी तरह महिलाओं के अपहरण के कुल 64,519 मामले सामने आए तथा देश में कुल 38,947 महिलाएँ बलात्कार की शिकार हुई। बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम–2012 के आधार पर कुल 36,022 मामले दर्ज किए गए[9] जो अपने आप में एक बड़ी संख्या हैं। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के अनुसार भारत में भारतीय दंड सं. के अंतर्गत हुए कुल किसी भी प्रकार के अपराधों का दसवाँ हिस्सा महिलाओं के विरूद्ध हुआ अपराध महिलाओं के विरूद्ध होता है। हालांकि ये सभी वे मामले हैं जो एन सी आर बी ने पुलिस व्यवस्था में दर्ज मामलों को जोड़ते हुए बताया हैं, पंरतु महिलाओं के विरूद्ध हुए बहुत से मामले आज भी पुलिस व्यवस्था में दर्ज नहीं हो पाते हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर कार्यबल भागीदारी में महिलाओं का प्रतिशत 25.51% था और पुरूषों का 53.26%, जबकि पुरूषों के लिए कोई ग्रामीण शहरी अंतर नहीं था। वही ग्रामीण–शहरी महिलाओं के लिए काफी अंतर पाया गया (ग्रामीण–30%, शहरी–15.4%)।[10]

2016 में, केंद्रीय मंत्रिपरिषद् में 75 मंत्रियों में 9 ने अर्थात् कुल 12% महिलाएँ हैं (534 में से 64)। सन् 2015 में, सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीशों का हिस्सा केवल 4% (26 में से 1) था और भारत में सभी उच्च न्यायालयों पर विचार करें तो यह 10% (517 में से 54) महिलाएँ थी। वही 2016 में, सभी स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों में 46% महिलाएँ थी।[11]

भारत में महिलाओं की स्थिति को देखते हुए सरकार ने पहले भी कदम उठाए है। यहाँ हम विशेष रूप से यदि एम डी जी और सतत विकास लक्ष्य को देखें तो भारत राज्य द्वारा नई सदी में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत से प्रयास किए गए है। परंतु यहाँ हम विधायिका द्वारा नई सदी में उठाए गए कदमों की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि विधायिका द्वारा उठाए गए कदमों से सशक्तीकरण के लिए एक स्थायी और दीर्घकालीन ढांचा तैयार होता है। हालांकि मुख्य मुद्दे भले ही उचित कार्यान्वयन बना रहता है परंतु विधायिका के उपबंध विभिन्न माध्यमों से लोकतांत्रिक के साथ–साथ कानूनी व्यवस्था में उत्तरदायित्व तय करने का कार्य करते है, जिसमें विपक्ष, न्यायालय और जनता के प्रति जवाबदेही भी शमिल होते है। नारी–सशक्तीकरण के लिए भारतीय संसद द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं:

1. प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक (दुरूपयोग का रोकथाम और नियमन) अधिनियम, 1994 (पीएनडीटी) 1994 में कन्या भ्रूण–हत्या को रोकने और देश में घटते लिंग अनुपात को रोकने के लिए पारित किया गया था। परंतु नैदानिक तकनीकों के आगमन के साथ यह अधिनियम कारगर नहीं रह गया था। इसी संदर्भ में, उच्चतम न्यायालय में लोकहित मुकदमा दायर किया गया था और माननीय उच्चतम न्यायलय ने सरकार को नई पूर्व–गर्भधारण लिंग चयन तकनीक हैं (सेक्स प्री–सिलेक्शन तकनीक) को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम को और अधिक मजबूती प्रदान करने को कहा गया। इसी कारण प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक (पीएनडीटी) अधिनियम में संशोधन किया गया था और नए पूर्व निर्धारित और प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन का निषेध) अधिनियम 2003 अस्तित्व में आया था।

इसके अलावा, सभी अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग मशीनों का पंजीकृत किया जाना और निर्माताओं को क्लीनिकों और चिकित्सकों के बारे में जानकरी प्रस्तुत करना, जिनकों अल्ट्रासाउंड मशीनरी बेची गई है, अनिवार्य बना दिया गया। अधिनियम ने सभी पराश्रव्यलेखन (अल्ट्रासोनोग्राफी) इकाइयों में यह भी अनिवार्य बना दिया है कि वे साइनबोर्ड रखें जो स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि भ्रूण के लिंग का पता लगाना अवैध है।[12]

2. **घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005** महिला अधिकारों के लिए एक मील का पत्थर है। लंबे समय से नारी–अधिकारवादियों और नारी–आंदोलन की यह मांग रही है कि निजी मामलों के नाम पर महिलाओं के साथ घरों में होने वाले किसी भी हिंसा को रोकने के लिए एक कारगर कानून लाया जाना चाहिए। यह कानून इसी मांग को पूरा करता है। यह कानून महिलाओं को घर की चारदीवारी में होने वाली हिंसा और प्रताड़ना से बचाता है। यह एक नागरिक कानून है जो अपने सुरक्षा आदेश, निवास आदेश, महिलाओं को आपातकालीन राहत प्रदान करता है जिसमें न्याय तक पहुंच की पूरी प्रणाली को सुविधाजनक बनाने का प्रावधान करता है। यह विशिष्ट कार्यकताओं की पहचान करता है जैसे कि सुरक्षा अधिकारी और सेवा प्रदाता जिनका प्राथमिक कर्त्तव्य महिलाओं की सहायता करना है। इस कानून के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संरक्षण आदेश जारी किया जा सकता है जिसका उल्लंघन दंडनीय है। इस कानून में एक निश्चित अवधि के कारावास, जुर्माने या फिर दोनों दंड देने की व्यवस्था है।[13]

3. **हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005**– हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानों से लिंग भेदभाव को हटाने के लिए अधिनियमित किया गया था। संशोधन के तहत, अब बेटियों और बेटों को अब संपत्ति मे सामान उत्तराधिकार प्राप्त होगा।[14]

4. **दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी)**– सीआरपीसी में 2005 और 2008 में कुछ संशोधन किए गए थे जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण संशोधन इस प्रकार हैं:

(i) सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले महिलाओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई।

(ii) जहाँ तक व्यावहारिक हो सभी बलात्कार के मामलों की सुनवाई महिला न्यायाधीश की अदालत में करने की कोशिश की जानी चाहिए।

(iii) जहां तक व्यावहारिक हो सभी यौन अपराध मामलों में कैमरे के सामने होने वाले परीक्षण महिला न्यायाधीश के न्यायालय में होने चाहिए।

(iv) बाल बलात्कार के मामलों में जांच तीन महीने के भीतर पूरी की जाएगी।

(v) बलात्कार के मामलो मे कोर्ट की कार्यवाही, गवाह से पूछताछ से दो महीने की अवधि के भीतर पूरा की जानी चाहिए।

(vi) बलात्कार के अपराध में, पीड़िता के बयान की रिकॉर्डिग पीड़ित के निवास या उसकी पसंद के स्थान पर आयोजित की जाएगी और जहां तक व्यावहारिक हो यह महिला पुलिस अधिकारी द्वारा कराई जानी चाहिए।[15]

5. बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम बाल विवाह एक पुरानी प्रथा है जिसकी बुराइयों को देखते हुए इसे प्रतिबंधित करने के लिए बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1919 लाया गया, जिसे शारदा अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है।

इस अधिनियम द्वारा 15 साल से कम उम्र के लड़कियों और 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया। 1978 में, इस कानून में संशोधन किया गया और इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए शादी की न्यूनतम आयु को लड़कियों के मामले में 15 साल से 18 साल और लड़कों के मामले में 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दिए गया। लेकिन इस कानून के बावजूद, बाल–विवाह जारी रहा। इस समस्या से निपटने के लिए एक और प्रयास, विधायिका के माध्यम से बाल विवाह अधिनियम, 2006 के रूप में किया गया। यह अधिनियम पुराने अधिनियमों की कमियों को दूर करने

के लिए और बाल विवाह की समस्या से प्रभावी रूप से निपटने के लिए 10 जनवरी 2007 को अधिसूचित किया गया। यह 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ।

यह कानून का मूलतः 18 वर्ष से कम लड़कियों और 21 वर्ष से कम के लड़कों को बच्चों के रूप में देखता है और किसी भी बच्चे की शादी को अपराध मानता है। इस कानून के प्रावधानों को मुख्यतः तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता हैं–रोकथाम, संरक्षण और अपराधियों का अभियोजन। इसके अंतर्गत कोई जो लड़का 21 वर्ष से अधिक उम्र का है, यदि वह 18 वर्ष से काम उम्र की लड़की से विवाह करता है तो अपराधी माना जाएगा। इसी प्रकार बाल विवाह का आयोजन कर रहा कोई व्यक्ति जैसे– पिता या कोई संस्था भी अपराधी माने जाएगें और उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। इसमें शामिल किसी महिला पर केवल जुर्माने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत अधिकतम दो साल तक की सजा और एक लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।[16]

6. राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना। 2007 में ससंद के बाल अधिकार संरक्षण (सीपीसीआर) अधिनियम, 2005 के तहत की गई थी। उक्त आयोग भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सांविधिक निकाय है। आयोग का आदेश यह सुनिश्चित करना है कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम, और प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकार के परिप्रेक्ष्य में तथा भारत के संविधान और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की भावना के अनुसार कार्य करें। बच्चों को 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।[17]

7. आम तौर पर महिला आरक्षण विधेयक के रूप में जाने वाला 108वाँ सांविधानिक संशोधन विधेयक, 2008, लोकसभा, राज्य सभा और राज्यों की विधानसभा में सभी सीटों में से एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने के उद्देश्य से लाया गया था। यह मई 2008 पेश किया गया था पंरतु पारित नहीं किया जा सका। इससे पहले इस बिल को 90 के दशक के उत्तरार्ध में तीन बार पेश किया गया था, लेकिन संबंधित लोकसभा के विघटन के साथ समाप्त हो गया। इसलिए इसे अंततः राज्य सभा में पेश किया गया जो 9 मार्च 2010 को पारित किया गया। चूँकि राज्य सभा एक सतत सभा है, जिसका विघटन नहीं होता, इसलिए अब यह बिल भी व्यपगत नहीं होगा।

विधेयक की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैंः– यह लोकसभा , राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा में सभी सीटों मे से एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है। आरक्षित सीटों का आवंटन संसद द्वारा निर्धारित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या में से एक तिहाई विधायकों में इन समूहो की महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होगी।

आरक्षित सीटों को राज्य या संघ शसित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रीय क्रम द्वारा आवंटित किए जाने का प्रावधान है। यह भी प्रावधान है कि महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण इस संशोधन अधिनियम के शुरू होने के 15 साल बाद तक अस्तित्व में रहेगा।[18]

8. वैयक्तिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2010– इस संशोधन के द्वारा अभिभावक और शिशु अधिनियम, 1890 और हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। संरक्षक और प्रतिपाल्य, 1890 की धारा 19 के उपधारा (ख) के अंतर्गत 'मां' को अभिभावकों में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इस संशोधन के द्वारा पिता के साथ–साथ माँ को भी अभिभावक के रूप में शामिल किया गया। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (सी) को जो एक विवाहित महिला को अपने वैवाहिक आधार पर गोद लेने में असमर्थ बनाता था को संशोधित किया गया और विवाहित महिला के भी गोद लेने के अधिकार को इसमें शमिल किया गया।[19]

9. बाल दुर्व्यवहार से निपटने के लिए यौन अपराध अधिनियम, 2012– बच्चों के साथ होने वाले यौन दुर्व्यवहार से निपटने के लिए विधायिका द्वारा एक विशेष कानून लाया गया। यह अधिनियम, 14 नवंबर, 2012 से प्रभाव में आ गया है। यह अधिनियम बच्चों को यौन हिंसा, यौन उत्पीड़न और अश्लील

चलचित्रों में प्रयोग किए जाने जैसे अपराधों से बचा कर उनको सुरक्षा प्रदान करता है। यह अधिनियम उपबंधित करता है कि बाल अपराधों की रिपोर्टिंग, अपराधों की जांच, जांच और परीक्षण के लिए बच्चों के अनुकूल प्रक्रियाएँ अपनाई जाएंगी। अधिनियम कड़े दंड का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के तहत दंड की सीमा जुर्म के अनुसार 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक है जिसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।[20]

10. महिलाओं का अश्लील रूप में प्रदर्शन (निषेध) संशोधन विधेयक, 2012– यह विधेयक 13 दिसंबर, 2012 को राज्यसभा में पेश किया गया था। यह विधेयक महिलाओं का अश्लील रूप में प्रदर्शन (निषेध) अधिनियम, 1986 में संशोधन करने के लिए लाया गया था, पुराना विधेयक जो विज्ञापनों या प्रकाशनों, लेखों और चित्रों (मुख्य रूप से मुद्रण जन संचार माध्यम प्रिंट मीडिया) के माध्यम से महिलाओं के अश्लील प्रतिरूपण को प्रतिबंधित करता था। यह नया विधेयक मीडिया की नई तकनीकों के आ जाने के कारण जरूरी हो गया है। वस्तुतः इस नए विधेयक से इंटरनेट, उपग्रह आधारित संचार, केबल टेलीविजन इत्यादि जैसे संचार के नए रूपों को कवर करते हुए पुराने अधिनियम के दायरे को विस्तारित किया जाना चाहता था, पंरतु अभी भी यह संसद से पारित नहीं हो पाया है।[21]

11. कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013– यह अधिनियम महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षा पर और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने का प्रावधान करता है। यह अधिनियम, सार्वजानिक और निजी, संगठित या अंसगठित सभी कार्यस्थलों पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें सभी महिलाओं को शामिल किया गया है, चाहे उनकी उम्र या रोजगार की स्थिति कुछ भी हो। घरेलू श्रमिकों को भी इस अधिनियम के दायरे में भी शामिल किया गया है। यह कानून आंतरिक और स्थानीय शिकायत समिति के रूप में एक तंत्र प्रदान करता है जो यौन उत्पीड़न के मामलों में शिकायत निवारण का कार्य करता है। यह नियोक्ताओं पर भी यह कर्त्तव्य सौंपता है कि वह समय–समय पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के द्वारा कर्मचारियों को लिंग के प्रति संवेदनशील बनाने का कार्य करेंगे।[22]

12. आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013– न्यायमूर्ति वर्मा कमेटी की द्वारा सिफारिशों के अनुरूप महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए की गयी भारतीय दंड संहिता, 1860 दंड प्रक्रिया, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की संहिता में अपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 के माध्यम से व्यापक संशोधन पेश किए गए।

इस संशोधन में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से संबंधित प्रावधान को और अधिक कड़े किए जाने का प्रावधान है। इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं:

(ए) एसिड हमले, यौन उत्पीड़न, बुरी नजरो से देखना या घूरना, किसी महिला को अपमानित करने जैसे नए अपराध, को अब भारतीय दंड संहिता में शामिल किया गया है।

(बी) बलात्कार की परिभाषा में गैर–भेदक यौन अपराध को भी शामिल करके इसका दायरा बढ़ा दिया गया है।

(सी) जो व्यक्ति प्रभावशाली स्थिति में हैं, उस के द्वारा यौन क्रियाओं के लिए मजबूर किए जाने को बलात्कार की परिभाषा में शामिल करने के लिए इन प्रावधानों को विस्तारित किया गया है, जैसे–किसी क्षेत्र में तैनात सशस्त्र बलों के किसी सदस्य द्वारा या सांप्रदायिक या अन्य हिंसा की स्थिति में या ऐसी स्थिति में जिसमें महिला सहमति देने में अक्षम हो, उसके साथ हुए यौन कर्म को बलात्कार में शामिल किया गया है।

(घ) इस संशोधन के माध्यम से सामूहिक–बलात्कार के और पीड़ित को गंभीर चोट पहुंचने या स्वास्थ्य दृष्टि से गंभीर अवस्था में पहुंचाने के लिए जुर्माना बढ़ाया दिया गया है।

(ई) इसमें एक नया प्रावधान भी जोड़ा गया है जो सार्वजानिक और निजी अस्पतालों (चाहे वह केंद्र सरकार के दायरे में हो या राज्य सरकार के) पर एक कर्तव्य डालता है कि वे धारा 326, 375 और 376

(एसिड हमला और बलात्कार) के अंतर्गत आने वाली किसी भी पीड़िता को मुफ्त में प्राथमिक चिकित्सा उपचार प्रदान करेंगें।[23]

13. लोकसभा ने 9 मार्च–2017 को मातृत्व हित लाभ (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया। राज्यसभा द्वारा इस विधेयक को पहले ही, शीतकालीन सत्र के दौरान, पारित कर दिया गया था। इसलिए, लोक सभा की सहमति के साथ ही इसे संसद द्वारा सहमति प्राप्त हो गई। विधेयक निम्नलिखित प्रदान करने के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में संशोधन किए गएः

(i) पहले दो बच्चों के लिए, काम करने वाली महिलाओं को प्रसुति अवकाश की अवधि 12 सप्ताह बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई है।

(ii) पहले से चली आ रही 12 सप्ताह की प्रस्तुति छुट्टी दो से अधिक बच्चों की स्थिति के लिए पोषक शिशु जन्म तक जारी रखी गयी है।

(iii) तीन महीने की उम्र से कम उम्र के बच्चे को अपनाने वाली माताओं और "कमीशनिंग माताओं" को 12 सप्ताह की मातृत्व छुट्टी उपलब्ध होगी। कमीशनिंग मां को जैविक मां के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी अन्य महिला के गर्भाशय में भ्रूण को बनाने के लिए अपने अंडे का उपयोग कराती है।

(iv) जिस इकाई में 50 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, उसमें शिशु–गृह की व्यवस्था की जाएगी। इसमें काम करने वाली महिला माता को अपने बच्चे की देखभाल और स्तनपान कराने के लिए कामकाजी घंटों के दौरान चार बार शिशु–गृह जाने की अनुमति दी जाएगी।

(v) यदि संभव हो तो नियोक्ता माता (कर्मचारियों) को घर से काम करने की अनुमति दे सकता है।

(vi) प्रत्येक प्रतिष्ठान को महिलाओं को उनकी नियुक्ति के समय से ही इन लाभों को उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।[24]

14. मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2017– मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2017 लोकसभा में 8 दिसंबर, 2017 को पेश किया था। यह विधेयक लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप सहित तलाक की सभी घोषणाओं को अवैध घोषित करता है। यह तलाक–ए–बिद्दत या तीन तलाक को या किसी मुस्लिम व्यक्ति द्वारा दिए गए ऐसे तलाक को जो त्वरित हो और अपरिवर्तनीय हो अवैध घोषित करता है। तलाक–ए–बिद्दत मुस्लिम निजी कानूनों के तहत एक ऐसे अभ्यास को संदर्भित करता है जहां एक मुसलमान व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के लिए एक बार मे ही तीन बार 'तलाक' शब्द की घोषणा तुरंत कर दी जाती है जो अपरिवर्तनीय होती है।

यह विधेयक तलाक को एक संज्ञेय और गैर–जमानती अपराध घोषित करता है। (संज्ञेय अपराध वह है जिसके लिए एक पुलिस अधिकारी वारंट के बिना आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है।) इसके प्रावधान है कि, जिस पति ने इस प्रकार तलाक घोषित किया है उसे तीन साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। यह विधेयक यह भी प्रावधान करता है कि वह मुस्लिम महिला जिसके खिलाफ तलाक घोषित किया गया है, अपने पति से अपने और अपने आश्रित बच्चें के लिए निर्वाहभत्ता लेने की हकदार होगी। भत्ते की राशि प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा तय की जाएगी।

साथ ही इसमें यह प्रावधान है कि जिस किसी मुस्लिम महिला के खिलाफ इस तरह की तलाक घोषित की गई है, वह अपने नाबालिग बच्चों को कानूनी रूप से अपनी देखरेख में लेने की हकदार होगी। ऐसी निगरानी के अधिकार का निर्धारण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा।[25]

इन विभिन्न विधायी प्रयासों में अभी भी निर्णय निर्माण में भागीदारी दिला सकने वाला महिला आरक्षण बिल संसद से पास किया जाना बाकी है। इसी तरह से मीडिया द्वारा महिलाओं का अश्लील प्रदर्शन निषेध बिल भी संसद से पारित नहीं हो पाया है। तीन तलाक संबंधी बिल लोक सभा के बाद राज्य सभा में पारित नहीं कराया जा सका है। इन विधायी प्रयासों के बावजूद अभी भी इनके कार्यान्वयन में कमी के चलते महिलाओं की स्थिति में तेजी से सुधार संभव नहीं हो पा रहा है। नारी सशक्तीकरण के लिए

रोजगार और श्रम सुधारों में अभी भी विधायी कदमों का इंतजार किया जा रहा है।

भारत ने कई विधायी और संवैधानिक प्रावधानों सहित महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कई प्रगतिशील योजनाएं भी बनाई हैं। पंरतु अकेले सरकारी गतिविधियां इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नही होंगी। समाज की विभिन्न संस्थाओं और सभ्य–समाज के सदस्यों को भी इसमें अपनी हिस्सेदारी जोड़नी होगी और ऐसा माहौल बनाना होगा कि समाज में लिंग पक्षपात न रहे। नारी सशक्तीकरण पूरा किया जा सकता है जब उनकी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो। उनका कौशल और क्षमता बढ़ाई जाए ताकि वे किसी सहानुभूति या सहारे के बिना अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। ऐसा माहौल पैदा किया जाए जिसमें महिलाओं को स्वयं आत्मविश्वास आए और वे समानता की भावना के साथ राजनीतिक, सामाजिक और वित्तीय मामलों में बराबर की भागीदारी के साथ–साथ निर्णय निर्माण में भी बराबर की हकदारी रख पाएं।

संदर्भ सूची

1. ऑक्सफ़ोर्ड शब्दकोष
2. कबीर, नैला. "रेफ्लेक्शंस ऑन द मेज़रमेंट ऑफ़ वीमेन'स एम्पावरमेंट", इन डिस्कोसिंग वीमेन'स एम्पावरमेंटः थ्योरी एंड प्रैक्टिस. स्टॉकहोल्मः 2001
3. संयुक्त राष्ट्र–संघ सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य http://www.un.org/millenniumgoals/
4. संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य https://www,.iun.org/sustrainabledevelopmentt/sustainable-developmenty-goals/
5. पुनः वही
6. चौथा महिला विश्व सम्मेलन, बीजिंग रिपोर्ट, 1995
7. भारतीय जनगणना रिपोर्ट, 2011
8. यूनिसेफ मातृत्व मृत्यु दर रिपोर्ट, 205
9. राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एन सर आर बी) की रिपोर्ट, 2016
10. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की "भारत में महिला और पुरूष" रिपोर्ट, 2016
11. पुनः वही
12. से 25. संसदीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, राज्य सभी व लोक सभा की वार्षिक रिपोर्ट

❑❑❑

महिला सशक्तीकरण में आरक्षण की भूमिका एवं विवेचन

***डॉ. गजनफर आलम**

महिला सशक्तीकरण– महिला सशक्तीकरण में समाजिक सुविधाओं की उपलब्धता और आर्थिक नीति–निर्धारण में भागीदारी समान कार्य के लिए समान वेतन कानून के तहत सुरक्षा एवं प्रजनन अधिकारों के सरंक्षण आदि को सम्मिलिति किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि महिला सशक्तीकरण का तात्पर्य प्रत्येक क्षेत्र में उनकी उपस्थिति या भागीदारी को सुनिश्चित कराने से है। महिला सशक्तीकरण की शुरूआत संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा 8 मार्च 1975 को अंतराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने से मानी जा सकती है। पुनः महिला सशक्तीकरण की पहल 1985 में महिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नौरोबी में की गई।

भारत सरकार ने समाज में लिंग आधारित भिन्नताओं को दूर करने की यात्रा एक तरह से सन् 1952 में महिला कल्याण की नीति अपनाकर शुरू की थी। बाद में यह यात्रा महिला विकास तक पहुँची और अब महिला सशक्तीकरण का नारा सामने आया है। महिला सशक्तीकरण का राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य महिलाओं की प्रगति एवं विकास को सुनिश्चित करना तथा आत्मशक्ति को बढ़ाना है।

महिला सशक्तीकरण हेतु उठाए गए कदमः

1985 में देशभर की महिलाओं और बच्चों की स्थिति सुधारने हेतु महिला और बाल विकास विभाग की स्थापना की गई। यह विभाग सरकारी एवं गैर–सरकारी संगठनों में ताल–मेल रखते हुए नीति, योजनाएँ तथा कार्यक्रम बनाता है। महिला और बाल विकास विभाग के अंतर्गत एक सांविधानिक संस्था– "राष्ट्रीय महिला आयोग" तथा तीन अन्य स्वायत्त संगठन कार्य करते है।

भारत में 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ जिसके माध्यम से सदियो से पिछड़े शोषित तथा उपेक्षित नारी वर्ग के विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष 2001 में भारत सरकार ने महिला सशक्तीकरण वर्ष" घोषित किया तथा राष्ट्रीय महिला शक्ति संपन्नता नीति 2001 की घोषणा की जिसके लक्ष्य निम्नलिखित हैः–

1. महिलाओं के सम्पूर्ण उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना।
2. राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक एवं संस्कृतिक क्षेत्रों में उन्हें पुरूषों के समान अधिकार प्रदान करना।
3. उन्हें समस्त मानवधिकार तथा मौलिक अधिकार प्रदान करना।
4. सभी स्तरों पर यथा–स्वास्थ्य, परिचर्या, स्तरीय शिक्षा, जीविका, व्यवसायिक मार्गदर्शन, रोजगार, सुरक्षा तथा सार्वजनिक पदों आदि पर महिलाओं की समान पहुँच उपलब्ध कराना।
5. महिलाओं के साथ होने वाले सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन के उद्देश्य से कानूनी प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण करना।
6. पुरुषों तथा महिलाओं दोनों की सक्रिय भागीदारी द्वारा सामजिक रवैये और प्रथाओं में परिवर्तन लाना।

* समाजशास्त्र विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना, बिहार

7. विकास प्रक्रियाओं में महिला केन्द्रित बनाना।

8. महिलाओं तथा बालिकाओं के साथ होने वाली हिंसा के सभी रूपों तथा भेदभावों का उन्मूलन करना आदि।

आरक्षण एवं महिला सशक्तीकरणः

महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में सशक्त भागीदारी देने के लिए विधायिका में आरक्षण के द्वारा इनके लिए स्थान सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसी विचार को ध्याान में रख कर भारत सरकार ने संसद में बार–बार विधेयक प्रस्तुत कर महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने का प्रयास किया है। उल्लेखनीय है कि महिला आरक्षण विधेयक को 1996, 1998 व 1999 में भी लोकसभा में पेश किया गया था। किंतु तीनों बार पारित होने से पूर्व ही, लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण यह निरस्त हो गया था। प्रधानमंत्री एच. डी. देवगौड़ा की सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में 12 सितंबर 1996 को महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश किया था। किंतु 11वीं लोकसभा भंग होने से यह निरस्त हो गया। बाद में दिसंबर 1998 में तत्कालीन प्रधामंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने लोकसभा में 84वाँ संविधान संशोधन विधेयक पेश की महिला आरक्षण की दिशा में एक और प्रयास किया। 12वीं लोकसभा भंग हो जाने की वजह से यह विधेयक आगे नहीं बढ़ पाया। यू.पी.ए. सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के एक बड़े वायदे को पूरा करते हुए तत्कालीन विधिमंत्री हंसराज भारद्वाज ने लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं मे महिलाओं के लिए एक–तिहाई सीटों के आरक्षण के प्रावधान वाले इस विधेयक को 06 मई 2008 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया। सपा व जनता दल (यू.) के भारी विरोध के बावजूद सरकार वह विधेयक पास कराने में सफल हो गई। वर्तमान सरकार ने भी इस विधेयक को पास कराने हेतु सकारात्मक पहल की है।

विधेयक में कहा गया है कि 108वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2008 के उपबंध आरंभ से 15 वर्षों की अवधि की पश्चात् प्रभावी नहीं रहेंगा। इस विधेयक के जरिए संविधान के अनुच्छेद 239 क, 331 एवं 333 में संशोधन किया जाएगा। इसी तरह अनुच्छेद 330 के बाद एक नया अनुच्छेद 330 (क), 332 के बाद 332 (क) और 334 के बाद 334 (क) जोड़कर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है।

आरक्षण के पक्ष में दिए जाने वाले तर्कः

1. महिलाओं का प्रतिनिधित्व संसद एवं राज्य विधान मंडलों में नगण्य है। इसका प्रमुख कारण राजनीतिक दलों की संकीर्ण सोच एवं अदूर दर्शिता के कारण महिलाओं को समुचित संख्या में टिकट नहीं दिया जाना है।

2. महिलाओं की आधी आबादी होने के नाते नीति निर्धारण में उनकी समुचित भूमिका सुनिश्चित करना आवश्यक है।

3. प्रतिनिधित्व से लड़कियों के समक्ष एक नया भूमिका प्रतिरूप (रोल मॉडल) पेश हो सकेगा और इसका सकारात्मक प्रभाव महिला सशक्तीकरणा के रूप में उभरेगा।

4. प्रतिनिधित्व मिलने अथवा दिए जाने से उनका आत्मसमान बढ़ेगा।

5. महिलाओं में निरक्षरता का प्रतिशत पुरूषो की तुलना में काफी ज्यादा है। अभी शेष महिलाओं को साक्षर बनाने में कई दशक लग जाएंगे। इसलिए महिलाओं को संसद व विधानमंडल में आरक्षण देकर उनकी चेतना का शीघ्र विकास किया जा सकता है।

6. जब संविधान में 73वां और 74वां संशोधन करके महिलाओं को क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में 50ः आरक्षण दिया जा चुका है तो संसद तथा विधानमंडलों में क्यों नहीं?

7. पुरूष के प्रभुत्व के चलते राजनीतिक दल चुनाव में अधिक महिलाओं को खड़ा नहीं करते। आरक्षण से दलों द्वारा महिला उम्मीदवारों को चुनाव के लिए समर्थन करना सुनिश्चित होगा।

8. दलित महिलाएं सैकड़ों वर्षों से पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में उत्पीड़न एवं अन्याय की शिकार रही हैं। अतः दलित महिलाओं का उसी श्रेणी में आरक्षण देकर उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहिए।

9. पर्याप्त प्रतिनिधित्व के अभाव में महिला सदस्य कानून बनाने की प्रक्रिया में प्रभावशाली हिस्सा लेने तथा महिलाओं के पक्ष में कानून लागू कराने में असफल रहती हैं जिसका महिलाओं के हितों पर उल्टा प्रभाव पडता है।

भारत की पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण तो मिल गया है लेकिन विधानसभा और लोकसभा के गलियारों में महिलाओं की अपेक्षित भागीदारी सुनिश्चित करने में राष्ट्रीय राजनीतिक दल ईमानदारी नहीं दिखा रहे है। हमारे यहाँ संसद में महिलाओं का प्रतिशत पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि देशों से भी कम है। अन्य देशों की तुलना की जाए तो इस मामले में रवान्डा सबसे उपरी पायदान पर है। यहाँ लोअर हाउस में 56.30% महिलाएं है।

आजादी के 65 साल बाद भी लोकसभा में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए औसतन लगभग 50 महिलाएं ही पहुँची है। ये शर्मनाक आकड़े तब और अखरते है जब हम याद करते है कि अगर पिछले आमसभा चुनाव में उक्त विधेयक पारित कर दिया गया होता तो आज लोकसभा में कम से कम 179 महिलाएँ होती।

विधायिका में महिला आरक्षण के मामले पर सभी गतिरोधों को समाप्त करने के लिए एक नया प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। इस प्रस्ताव के अंतर्गत महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए संसदीय एवं विधान सभा की सीटों की वर्तमान संख्या में एक–तिहाई की वृद्धि कर उसे महिलाओं के लिए आरक्षित करने की योजना है।

लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

वर्ष	महिला सदस्य संख्या
1952	22
1957	22
1962	34
1967	31
1971	22
1977	19
1980	28
1984	44
1989	27
1991	39
1996	39
1998	43
1999	49
2004	44
2009	59
2014	61

देश के संसदीय इतिहास में पहली बार इतनी अधिक संख्या में महिलाएँ संसद में पहुची है। हालांकि महिलाओं की संख्या को लोकसभा में 10% तक पहुचने में 60 वर्षों से ज्यादा का समय लग गया। संतोष

की बात यह है कि नई लोकसभा में 61 महिलाएं निर्वाचित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कैबिनेट में 06 और राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में एक महिला को शामिल करना राजनीति में स्त्रियों की सहभागिता बढ़ाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता श्रीमती सुमित्रा महाजन को लोकसभा की अध्यक्ष बनाया गया है। पिछली लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष थी तथा सुमित्रा महाजन दूसरी। ये दोनो महिला होने के कारण नही बल्कि सार्वजनिक जीवन में अपनी प्रतिभा, लगन और सक्रियता के कारण इन पदों तक पहुंची हैं इन महिलाओं की राजनीतिक यात्रा में उन बाधाओं को भी लाघंना पड़ा है जो भारत की अन्य महिलाओं के सामने अवरोध और चुनौती के रूप में खड़ी रहती है।

मौजूदा मंत्रिपरिषद् में महिलाओं की स्थितिः

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नवगठित सरकार में शमिल कुल 45 मंत्रियों में सात महिलाएँ है। इन महिला मंत्रियों को महत्वपूर्ण मंत्रालय भी दिए गए हैं। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में यह पहला अवसर है जब इतनी महिलाएं मंत्रिमडल में शमिल है। पिछली सरकार डॉ. मनमोहन की संख्या 07 तो थी किंतु कैबिनेट में मात्र तीन महिला सदस्य थी। वर्तमान मंत्री की सुची निम्न है।

1. सुषमा स्वराज – विदेशी मंत्री
2. उमा भारती – जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्री
3. मेनका (संजय) गाँधी – महिला एवं बाल कल्याण मंत्री
4. निर्मला सीताराम – रक्षा मंत्री
5. हरसिमरत कौर बादल – खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
6. डॉ. नेजमा हेपतुल्ला – अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री (अब वर्तमान राज्यपाल)
7. स्मृति ईरानी – वस्त्रोद्योग मंत्री
8. सुमित्रा महाजन – लोकसभा अध्यक्ष

भाजपा ने अपने घोषणापत्र में इस बात को शामिल किया है और अब यह उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वह इस बिल को पास करा कर महिलाओं की सशक्त भागीदारी का श्रैय बटोरे। क्योंकि भाजपा लगातार कहती रही है कि यदि कांग्रेस इसे पास नहीं करा पाई तो वह जरूर पास कराएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी से सबको आकांक्षा है कि महिला आरक्षण बिल के पास कराएगें उनकी भागीदारी और प्रतिनिधित्व का एक नया आयाम गढ़ा जा सकेगा। महिलाओं को मंत्रिपरिषद् में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर वर्तमान सरकार ने ने यह उमीद बढ़ा दी है कि सरकार विधेयक को लेकर आगे बढ़ेगी। सभी राजनीतिक दलों के नेता को चाहिए कि आपसी मतभेदों को भुलाकर तथा पुरूष मानसिकता से निकलकर इस बिल पर आम सहमति बनाएं तथा महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया को तीव्रता दे।

निष्कर्षः

उपरोक्त समस्त चर्चाओं के आधार पर स्पष्ट है कि महिला विकास का सवाल मुख्यतः एक राजनीतिक सवाल है और जब तक इस राजनीतिक सवाल के रूप में नहीं देखा जाएगा और देश की राजनीति एवं सत्ता में महिलाओं को समान भागीदारी नहीं दी जाएगी, तब तक महिलाओं की प्रगति अधूरी ही रहेगी। महिला आरक्षण एक अस्थायी आंतरिक व्यवस्था ही हो सकती है। यह सच्ची लोकतांत्रिक प्रक्रिया और आम महिलाओं की मुख्यधारा में भागीदारी का विकल्प नहीं हो सकता, परंतु उस दिशा में एक सही कदम है। अपने पैरों पर खुद खड़ा होना होगा और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी क्षमता, योग्यता विवेक तथा परिश्रम से आगे बढ़ना होगा।

संदर्भ सूची

1. भारतीय महिलाएँ : दशा एवं दिशा – सुभाष शर्मा पृ. 24–48
2. भारत में स्त्री असमानता एवं विमर्श – डॉ. गोपा जोशी पृ. 85–88
3. द चेंजिग पोजिशन ऑफ इंडियन वुमेन–एम. एम. श्रीनिवास पृ.– 54–62
4. रिजवैशन एण्ड ए स्टडी फॉर पॉलिटिक्स एम्पावरमेंट– रचना सुचिनमयी पृ.– 172–182
5. महिला जागृति एवं कानून – पी. एन. नाटानी– पृ. 95–98
6. समकालीन भारतीय समाज – नदीम हसनैन, पृ. 181–185
7. सूचना एवं जनसंम्पर्क विभाग विहार की मासिक पत्रिकाएँ
8. कुरुक्षेत्र 2010, 2012 तथा योजना, 2008, 2009 एवं 2010
9. विभिन्न दैनिक समाचार पत्र (दैनिक हिन्दुस्तान, द हिन्दू, प्रभात खबर, दैनिक जागरण व राष्ट्रीय सहारा।

❑❑❑

समानता हेतु स्त्री–संवेदी बजट

***डॉ. संजुला थानवी**

गृहिणी व कामकाजी महिलाएँ देश व अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में पुरूषों के समान ही योगदान करती हैं। उन पर सरकार की प्रत्येक नीति का प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में महिलाओं से संबंधित सभी विषयों का विश्लेषण करना अनिवार्य हो जाता है। ऐसे में मौद्रिक व राजकोषीय विषयों को भी महिला–केंद्रित करके देखा जाना चाहिए। माना जाता है कि महिलोन्मुख बजट विश्लेषण प्रक्रिया न केवल महिला सशक्तीकरण के मार्ग को सशक्त करेगी बल्कि उन्हें मुख्यधारा में लाने में भी सहायक सिद्ध होगी।

स्त्री संवेदी का आशय महिलाओं के लिए मात्र अधिक धन सुनिश्चित करना ही नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य है कि सरकारी आय और व्यय की प्राथमिकताओं को इस तरह पुनर्निधारित किया जाए कि लैंगिक सरोकार परिलक्षित हो सके। जेंडर के प्रति संवेदनशील बजट का अर्थ है बजट के प्रावधानों में लैंगिक प्रतिबद्धता का स्थानांतरण हो।

आज सूचना व प्रौद्योगिकी के युग में आत्मनिर्भर होने के बाद भी देश के सुदूर क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। अशिक्षा, बालमृत्यु, स्वास्थ्य सेवाओं का न पहुंच पाना, स्वच्छ पानी का अभाव, स्त्री–पुरूष साक्षरता का असंतुलित अनुपात 79.19 प्रतिशत व 52.12 प्रतिशत महिला सुरक्षा कानूनों का निष्प्रभावी होना, सामाजिक कुप्रथाओं का महिमा–मंडन, यौन शोषण आदि के चलते स्त्री संवेदी बजट की अवधारणा की सफलता पर शंका उत्पन्न करता है। किंतु ये सभी कारक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बजट व्यवस्था से संबंधित हैं और उसे प्रभावित करते हैं।

स्त्री संवेदी बजट व्यवस्था का अर्थ मात्र यह स्पष्ट करने का प्रयास है कि महिलाओं से जुड़ी योजनाओं व कार्यक्रमों हेतु कितना धन निर्धारित व आबंटित किया गया है, क्योंकि ऐसी समस्त योजनाओं का संबंध महिला व बाल कल्याण से होता है और ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आबंटित धन का उल्लेख ही स्त्री संवेदी बजट कहलाता है। किंतु यह आर्थिक सशक्तीकरण के साथ–साथ सामाजिक समानता पर भी बल देता है और विकास के अन्य क्षेत्रों को भी अंगीकार करता है।

स्त्री संवेदी बजट महिलाओं के उत्थान व सशक्तीकरण की दिशा में एक सशक्त माध्यम है क्योंकि बजट के तमाम प्रावधान महिला–पुरूष पर अलग–अलग तरीके से प्रभाव डालते हैं। जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं का महिलाओं के समीप होना उनके जीवन के समग्र पक्षों को प्रभावित करता है, जबकि ऐसे तत्व पुरुषों के जीवन को बहुत कम प्रभावित करते हैं। उदाहरणार्थ, पानी की कमी से जूझते गांवों में कुए का खुदवाना पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को अधिक प्रभावित करता है क्योंकि यदि महिला दो घंटो का श्रम पानी लाने में व्यतीत करती है तो गांव में ही कुआं खुदवाने या हैडपंप लगवाने से उसके दो घंटों के श्रम में बचत होगी। साथ ही दूषित पानी स्वच्छ करवाने का प्रयास भी समान महत्व रखता है। इसी प्रकार से सड़कों के विकास पर किए गए सरकारी खर्च का गरीबी उल्मूलन, कृषि विकास तथा महिलाओं के विकास पर भी दूरगामी प्रभाव पड़ता है। यदि सरकार निःशुल्क सरकारी चिकित्सा सेवा या प्रसूति केद्र बनवाती है तो सुगम यातायात मार्ग भी बनवाए जाने चाहिए ताकि गर्भवती महिलाओं को

* एसोसिएट प्रोफेसर, विधि विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

शीघ्रता से स्वास्थ्य केंद्रो तक ले जाया जा सके। इससे माँ व बच्चे दोनों के जीवन की सुरक्षा की जा सकती है। इस प्रकार से सभी सुविधाएँ समाज से अधिक महिलाओं के विकास व उत्थान में अति महत्व रखती हैं।

ऐसी सुविधाओं और प्रावधानों के प्रति मौद्रिक के साथ–साथ गैर–मौद्रिक आयामों पर भी गंभीर दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होती है क्योंकि महिला सशक्तीकरण पर मौद्रिक व गैर–मौद्रिक सावधानों का समान रूप से प्रभाव पड़ता है। सशक्तीकरण जैसे गंभीर व संवेदनशील विषय हेतु गैर–मौद्रिक आयामों पर भी समान रूप से ध्यान दिया जाना जरूरी है, बजाय इसके कि उसे मात्र आर्थिक दायरे तक सीमित किया जाए। वास्तव में अमौद्रिक तत्व महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा से संबंध ा रखते हैं। यद्यपि उन्हें रात्रिकालीन पारी में काम करने की छूट मिल चुकी है, किंतु कार्य की स्वतंत्रता के साथ उनकी सुरक्षा की गारंटी भी आवश्यक है। इस दृष्टि से कानूनी व सुरक्षा मामलों में किया गया व्यय उनकी सामाजिक सुरक्षा के साथ–साथ बजटीय प्रावधानों को भी प्रभावित करता है। रात्रि सुरक्षा आदि पर भी किए गए व्यय आदि महिलाओं को मिलने वाले लाभ से सीधा संबंध रखते हैं।

मूल रूप से अशिक्षा ही महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक पिछड़ेपन का मूल कारण है। एक अशिक्षित महिला समस्त सुविधाएँ उपलब्ध होने के बाद भी उनका सही लाभ नहीं उठा पाती हैं, क्योंकि अशिक्षा के कारण व उन लाभों को जान ही नहीं पाती हैं और इसी कारण उनमें निर्णय लेने की क्षमता का अभाव रहता है। यदि स्त्री संवेदी बजट के आधार पर नारी–शिक्षा हेतु पृथक व संवर्धित बजट प्रावधान किए जाए तो जागरूक महिला स्वयमेव विकास के प्रति अग्रसर होगी और अपने विकास संबधी मुद्दों को अधिक गंभीरता से संबोधित कर सकेगी।बजट के तमाम प्रावधान पुरुष और स्त्री वर्ग को अलग–अलग तरीके से प्रभावित करते हैं, क्योंकि समाज में दोनों के उतरदायित्व, क्षमताएं व भागीदारी भिन्न–भिन्न हैं। महिला–पुरुष के आंकड़ों को पृथक करके महिला सशक्तीकरण की वास्तविक स्थिति को समझा जा सकता है।

सरकारी योजनाएँ और स्त्री संवेदी बजट

विगत कुछ वर्षों से महिला सशक्तीकरण एक आंदोलन के रूप में उभरकर सामने आया है और सरकार ने भी इस ओर गंभीर दृष्टिकोण अपनाया है। महिला विकास हेतु कई योजनाओं व कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाने लगा है। महिला विकास हेतु प्रतिबद्ध महिला एवं बाल विभाग द्वारा (सातवी पंचवर्षीय योजना) के अंतर्गत महिलाओं के लिए 27 लाभार्थी उन्मुख या विकासोन्मुख परियोजनाओं की संकल्पना पर बल दिया गया था, जबकि (आठवी पंचवर्षीय योजना) में भी जेंडर परिदृश्य और सामान्य विकासात्मक क्षेत्रों में महिलाओं के लिए निधियों के एक निश्चित प्रवाह को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को पहली बार उजागर किया गया। यह प्रावधान स्त्री संवेदी बजट के प्रति सरकारी तंत्र की गंभीरता तथा महत्वपूर्ण होते सशक्तीकरण की दिशा को स्पष्ट करता है।

1997–2000 के बीच संचालित (नौवीं पंचवर्षीय योजना) में सशक्तीकरण की दिशा में महिला घटक योजना को अस्तित्व प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकारों को महिलाओं से संबंधित सभी क्षेत्रों में कम–से–कम 30 प्रतिशत निधियॉ देने का निर्देश दिया गया और महिलाओं के प्रति वृहद दृष्टिकोण अपनाने पर विशेष बल दिया गया । इसका सीधा उद्देश्य महिलाओं का सामाजिक व आर्थिक विकास करना था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से सभी विभागों को नियोजन प्रक्रिया में शुरू से ही इस विषय पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए गए। महिला वर्ग के प्रबुद्ध संघर्ष के परिणामस्वरूप यह उपलब्धि प्राप्त की गई थी। महिला विकास व उत्थान का विषय एक देशव्यापी विकासपरक विषय के रूप में उभरा था और समाज भी इस ओर जागरूक हुआ था। इस उपलब्धि को अधिक सशक्त बनाने के लिए (नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वीमेन, 1988–2000) की इस महत्वपूर्ण सिफारिश को कैबिनेट (संसद) ने अपनी मंजूरी दी कि योजना आयोग तथा समस्त मंत्रालयों/विभागों में एक महिला एकक (वीमेन सैल) होगा तथा संघ राज्य स्तरीय सभी मंत्रालयों व विभागों की वार्षिक

रिपोर्ट में इस दिशा में किए गए कार्यों का प्रलेखन व समीक्षा भी होगी। इसी दिशा में प्रत्येक क्षेत्र में महिला घटक योजना के निर्माण, पर्यवेक्षण व क्रियान्वयन, महिला एकक की स्थापना हेतु जेंडर केंद्रित बिंदु की स्थापना तथा वार्षिक रिपोर्ट में महिला घटक योजना का अध्याय शामिल करने हेतु सलाहकार समिति की स्थापना करने की सिफारिश की गई।

सरकार के इन प्रयासों ने महिला विकास को आगे बढ़ाने में मदद की। परिणामस्वरूप वर्ष 2001 में राष्ट्रीय महिला शक्ति संपन्नता नीति का निर्माण किया गया और क्रियात्मक कार्य नीति के रूप में बजट प्रक्रिया में महिला परिदृश्य को शामिल करने की परिकल्पना की गई।

इसी प्रयास को दसवी योजना में भी जारी रखा गया। योजना में जेंडर विभेद प्रभाव को स्थापित करने तथा जेंडर प्रतिबद्धताओं को बजटीय प्रतिबद्धताओं में बदलने के लिए स्त्री संवेदी बजट हेतु प्रतिबद्धताओं पर बल दिया गया। इस योजना के दस्तावेज के अनुच्छेद (2.11.57) में राष्ट्रीय महिला शक्ति संपन्नता नीति, 2000 के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित बातों पर बल दिया गया –

- महिलाओं के विकास हेतु सकारात्मक आर्थिक व सामाजिक नीतियों के माध्यम से अनुकूल वातावरण बनाना, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर सकें।
- राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व नागरिक, सभी क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों के समान ही मानवाधिकारों और मौलिक स्वतत्रंताओं का सैद्धान्तिक व वास्तविक लाभ प्रदान करना।
- राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक जीवन में महिलाओं की सहभागिता और निर्णयन की प्रक्रिया में समान अवसर प्रदान करना।
- सभी स्तरों पर महिलाओं के स्वास्थ्य, देखभाल, आधारभूत शिक्षा, जीविका और व्यावसायिक मार्ग–दर्शन, रोजगार, समान पारिश्रमिक, व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक पदों आदि को सुलभता सुनिश्चित करना।
- विकास प्रक्रिया में महिला परिप्रेक्ष्य को शामिल करना।

वर्ष 2004–05 के दौरान भी महिलाओं हेतु बजट पहलुओं को मुख्यधारा में लाने पर बल दिया गया ताकि लैंगिक स्तर पर संसाधनों हेतु सकारात्मक आबंटन नीति की समीक्षा तथा योजनाओं का उचित तरीके से क्रियान्वयन किया जा सके।

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की डॉ. आशा कपूर मेहता के अनुसार 'महिलाओं के उत्थान तथा विकास पर स्त्री संवेदी बजट का प्रभाव पड़ता है। जेंडर बिंदु इस प्रकार माने गए हैं– सड़क तथा पीने के पानी की व्यवस्था, गृहिणी आयकर में छूट, एक परिवार में केवल एक व्यक्ति को संगठित क्षेत्र में रोजगार, ऐसे दहेज को प्रोत्साहन देना जिसमे स्त्रीधन पर केवल बेटी का अधिकार हो, अल्प समय के लिए पुरानी आदतों में बदलाव के लिए घर में शौचालय तथा उन्नत चूल्हों जैसी परियोजनाओं को चलाना।

स्पष्ट है कि ऐसी योजनाएँ बनाई जानी चाहिए, जिनमें महिलाओं पर कार्यभार न बढ़े और उन्हें आराम मिले। किंतु आर्थिक सशक्तीकरण के नाम पर उन पर कमाई का अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहिए और उनके द्वारा अर्जित आय पर उनका ही नियंत्रण होना चाहिए। इसके लिए ऐसी योजनाएं बनाने पर जोर दिया जाता है, जो महिलाओं के विकास में सहायक हों।

राष्ट्रीय प्रणाली हेतु एशिया–प्रशांत देश जेंडर प्रशिक्षण

भारत सहित एशिया व प्रशांत विकास क्षेत्र में जेंडर प्रशिक्षण के माध्यम से महिला–पुरुष के मध्य व्याप्त असतुंलन को दूर करने के लिए भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है। इन कार्यक्रमों में जेंडर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। कार्यक्रमों में प्रशासनिक व राजकीय तंत्र भी अपना योगदान देता है, जिसके अतर्गत निम्नलिखित बातों पर बल दिया जाता है :–

• जेंडर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सार्थकता का मूल्यांकन तथा विश्लेषण।

• कौशल सहभागिता (सरकार) में महिला–पुरुष समानता के लिए, उत्तरदायी राष्ट्रीय तंत्रों के लिए जेंडर प्रशिक्षण अनुभवों की सहभागिता,

• क्षेत्र में व्यापक प्रचार हेतु जेंडर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सार्थकता हेतु दिशा–निर्देशों का निर्धारण करना।

जेंडर प्रशिक्षण कार्यक्रम को भारत सहित एशिया–प्रशांत क्षेत्र के कई देशों मे लागू किया गया, जिनमें बांगलादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया, कोरिया, लाओस, मालदीव, मंगोलिया, नेपाल, फिलिपींस, थाईलैन्ड, श्रीलंका तथा वियतनाम शामिल हैं।

महिला–पुरूष समानता संवर्धन परियोजना

स्त्री–संवेदी बजट की सफलता के लिए सबसे प्रमुख कदम महिला–पुरुष के बीच उत्पन्न भेदभाव के अंतर को दूर करके असंतुलन को मिटाना है। इसी दृष्टि से भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के संयुक्त प्रयास से संचालित महिला–पुरुष समानता संवर्धन परियोजना को भी महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें अपत्यक्ष रूप से स्त्री संवेदी बजट को प्रदर्शित किया गया है। यह परियोजना आर्थिक क्षेत्र के साथ–साथ सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्र में भी महिला विकास की द्धोतक है। यह परियोजना महिलाओं को राज्य संसाधनों का यथोचित लाभ दिलवाने और उनके पूर्ण विकास हेतु प्रतिबद्धता दर्शाती है।

इस परियोजना में महिला एवं बाल विकास विभाग एक कार्यपालक अभिकरण के तौर पर कार्य करता है। परियोजना में विभिन्न महिला विषयों पर वृहत् स्तरीय शोध का प्रावधान है, जिसे तीन घटकों में रखा गया हैः–

• महिला नेतृत्व पर कार्यशोध– इसमें एक अध्ययन क्षेत्र, स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के मार्ग में सहायक अथवा बाधक कारकों से संबंधित है तो दूसरा अध्ययन क्षेत्र राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तन लानेवाली महिलाओं की रूपरेखा से संबंधित है।

• कमजोर वर्ग की महिलाओं पर शोध– इसके अंतर्गत अक्षम महिलाओं, कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं, एच.आई.वी. या एड्स प्रभावित महिलाओं, वृद्ध महिलाओं की संपत्ति विषयक अधिकारों, स्वास्थ्य सुविधाओं, आजीविका के अवसरों तथा सामाजिक सुरक्षा जैसे विषयों का अध्ययन शामिल है।

• वृहत आर्थिक नीतियों का प्रभाव– इसके अंतर्गत महिला कामगारों पर मुद्रा नीति, राजकोषीय नीति तथा वित्तीय संस्थाओं आदि के प्रभाव का विश्लेषण करने का प्रस्ताव है।

स्त्री संवेदी बजट प्रस्तावों के परिप्रेक्ष्य में बीजिंग में आयोजित चौथे विश्व महिला सम्मेलन का भारत ने भी अनुसमर्थन किया और महिलाओं से संबंधित 12 चिंताजनक विषयों को निर्धारित करते हुए व्यापक कार्यवाही की वचनबद्धता स्वीकार की। इन क्षेत्रों में महिलाएं और गरीबी, शिक्षा और प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, प्रतिहिंसा, सशक्त संघर्ष, अर्थव्यवस्था, सत्ता और निर्णयन में महिलाओं की भागीदारी, उन्नति हेतु संस्थागत तंत्र, मानवाधिकार प्रचार माध्यम, पर्यावरण आदि विषय शामिल किए गए थे। बीजिंग सम्मेलन की इस रूपरेखा व कार्यक्रमों की न्यूयार्क में आयोजित 49वें सत्र में समीक्षा भी की गई तथा उन्हें विभागीय रिपोर्ट में भी स्थान दिया गया।

सरकारी प्रावधान और स्त्री–संवेदी बजट

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान द्वारा किए गए आर्थिक नीतिगत अध्ययन के माध्यम से महिला व बाल विभाग ने सर्वप्रथम 2000–01 के आर्थिक सर्वेक्षण में महिला–पुरुष असमानता तथा महिलाओं की स्थिति जैसे विषयों को उजागर किया। साथ ही महिला परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय बजट का विश्लेषण किया। इसी आधार पर राज्यों के बजट का विश्लेषण हुआ और परिणामस्वरूप 'राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान' के मॉडल पर आधारित राष्ट्रीय बजट में महिलाओं के व्यय संबंधी आंकड़ों को अलग से दर्शाया जाने लगा।

वर्ष 2004–05 में महिलाओं को मुख्यधारा में लाने को महिला सशक्तीकरण में एक नया मंत्र माना गया और महिलोन्मुख बजट प्रक्रिया के साथ–साथ महिलोन्मुख बजट आयोजना की अवधारणा को भी महत्वपूर्ण माना गया। इससे पूर्व महिलाओं–पुरुषों के लिए अलग–अलग आंकड़ों का उल्लेख करने को भी जागरूकता में एक विशिष्ट कड़ी कहा गया था। इन्हीं तत्वों को ध्यान में रखकर वर्ष 2004–05 में महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए कई उपाय भी किए गए और सार्वजनिक व्यय एवं नीति संबंधी महिलोन्मुख शिक्षा, स्वास्थ्य तथा ग्रामीण विकास जैसे सामाजिक विषयों से आगे बढ़कर सार्वजनिक व्यय, राजस्व व नीति के क्षेत्रों को भी शामिल किया गया।

विभिन्न अध्ययनों से स्पष्ट हो चुका है कि राजकोषीय, मौद्रिक तथा व्यापारिक नीति का प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं पर प्रभाव पड़ता है, अतः महिलाओं हेतु संसाधनों के आबंटन–विश्लेषण में सार्वजनिक व्यय की राशि प्रत्येक रूपए को शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही बजट नियोजन से लाभार्थियों के निर्धारण तक उसके महिलोन्मुख स्वरूप का विश्लेषण किया जाना चाहिए ताकि बजट के प्रत्येक पक्ष में महिला–संवेदी विश्लेषण का ध्यान रखा जा सके।

संसाधनों के आबंटन हेतु योजनाएँ

राष्ट्रीय लोक एवं वित्त संस्थान के माध्यम से महिला एवं बाल विकास विभाग, विभिन्न योजनाओं में महिलाओं हेतु व्यय संबंधी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष योजनाओं का विश्लेषण करता है। इनके आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित दो प्रकार की स्कीमों में वर्गीकृत किया गया है –

महिला विशिष्ट योजनाएँ – जिनके अंतर्गत महिलाएं ही विशेष रूप से लाभार्थी होती हैं।

महिला समर्थक योजनाएँ – जिनमें महिलाओं संबंधी पर्याप्त घटक शामिल होते हैं।

मूल रूप से महिला विशिष्ट योजनाओं का सीधा व प्रत्यक्ष लाभ महिलाओं को ही मिलता है। वर्ष 2016–17 के दौरान बजट प्राक्कलन 90624.76 करोड़ रूपए था, जो गत वर्ष से 11.5 प्रतिशत अधिक है।

वास्तव में महिला समर्थक आबंटन को निम्नलिखित सूत्र द्वारा परिकलित किया जाता है –

(क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, श्रम तथा ग्रामीण विकास जैसे मुख्यधारा के क्षेत्रों के मंत्रालयों के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जिनकी लगभग सभी योजनाओं के लाभार्थियों में बड़ी संख्या में महिलाएँ होती है।

$$\textit{महिला समर्थक आबंटन} = \textit{(कुल व्यय} - \textit{म.वि.का) म.घ.}$$

(ख) कृषि और सहकारिता, लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग जैसे अन्यमंत्रालयों, जिनके केवल कुल कार्यक्रमों में ही महिला घटक शामिल होते हैं, इनमें महिला समर्थक आबंटन का परिकलन निम्नलिखित सूत्र के आधार पर किया जाता है।

$$\textit{महिला समर्थक आबंटन} = \textit{जोड़ (वि.सा.योजना म.घ.)}$$

किंतु उपर्युक्त मॉडल के अलावा अन्य कई तत्व भी दूसरे कार्यक्रमों में मौजूद रहते हैं, जो महिलाओं के विकास को प्रभावित करते हैं और उन पर अतिरिक्त बजटीय आबंटन सार्वजनिक व्यय के रूप में किया जाता है। इस दृष्टिकोण से महिला संबंधी कार्यक्रमों को पांच प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

1. शिक्षा एवं प्रशिक्षण – बालिकाओं की उच्च माध्यमिक स्तर से आगे की शिक्षा, महिलाओं को तकनीकी शिक्षा और विस्तार कार्यो का प्रशिक्षण आदि।

2. जरूरतमंद महिलाओं हेतु सहायता– निराश्रित/अक्षम महिलाओं तथा विधवाओं एवं उनके बच्चों को विवाह/शिक्षा आदि कार्यो के लिए पेंशन/वित्तीय सहायता, आश्रमगृह, वेश्याओं का पुनर्वास आदि।

3. स्वास्थ्य– मातृ एवं बाल देखभाल, महिलाओं के लिए अस्पताल तथा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि।

4. महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम–कामकाजी महिला होस्टल, स्वयं सहायता समूह योजना, महिला सहकारी बैंक आदि।

5. अन्य विविध उपाय ।

संसाधनों के आबंटन हेतु अभिनिर्धारित योजनाएँ

बजट प्रावधान	2015–16	2016–17करोड	2017–18करोड	2018–19 करोड
महिला समर्थक योजनाओं में आबंटन	81249.12	96331.83	117222	121961

महिला सशक्तीकरण में स्त्री–संवेदी बजट पर बल दिए जाने के कारण इसे सशक्तीकरण के लक्ष्य का मूल वाक्य निर्धारित किया गया है।

महिला योजना एवं बजट प्रक्रिया हेतु उपाय

सार्वजनिक व्यय, महिला संवेदी एवं महिलोन्मुख व्ययों का पृथक रूप से निर्धारण कर के स्त्री संवेदी बजट का विश्लेषण किया जाता रहा है। महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अधिकाधिक लाभ पहुंचे, इसलिए विभिन्न विभागों को बजट प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित परामर्श दिए गए हैं–

- विशिष्ट महिला कार्यक्रमों तथा योजनाओं की सूची बनाना।
- महिलाओं के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण दर्शाना।
- महिला लाभार्थियों की संख्या रोजगार के अवसरों की वृद्धि परियोजना के उपरांत संसाधनों, आय, कौशलों आदि में वृद्धि जैसे प्रत्याशित उत्पाद संसूचक दर्शाना।
- वार्षिक बजट में संसाधनों के आबंटन तथा उनके वास्तविक लक्ष्यों का मात्रात्मक निर्धारण।
- संबंधित योजना के उपायों के जरूरतमंद लक्षित लाभार्थियों की संख्या तथा विगत व्यय की प्रवृत्तियों आदि के संदर्भ में संसाधनों के आबंटन की पर्याप्तता का मूल्यांकन।

निष्पादन–संबंधी लेखा परीक्षा

- वार्षिक लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक एवं वित्तीय निष्पादन की समीक्षा तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं का अभिनिर्धारण उदाहरणार्थ सेवा सरंचना तथा क्षमता विकास आदि में सुधार की आवश्यकता।
- वास्तविक जांच कार्य के अतंर्गत कार्यक्रमों के उपायों, लाभान्वित महिलाओं के मामलों का मूल्यांकन तथा कार्यक्रम के पूर्व पश्चात महिलाओं की तुलनात्मक स्थिति का अभिनिर्धारण, जैसे प्रभाव संसूचक आदि।
- व्यय एवं उत्पाद संसूचकों तथा प्रभाव संसूचकों की प्रवृत्तियों के विश्लेषण का संकलन,
- वार्षिक लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक एवं वित्तीय निष्पादन की समीक्षा तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग में आने वाली अभिनिर्धारित बाधाओं का निराकरण,
- लक्षित लाभार्थियों की संख्या/शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, साक्षरता अनुपात आदि जैसी समस्याओं की व्यापकता के संदर्भ में संसाधनों की आवश्यकता का निर्धारण।
- प्रशिक्षित श्रम शक्ति आदि उपलब्ध वास्तविक एवं वित्तीय संसाधनों की पर्याप्तता की समीक्षा करना।
- समीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर कार्यक्रमों/ योजनाओं नीतियों में संशोधन की आयोजना।

स्त्री संवेदी बजट में बजट आयोजना का प्रारूप

यद्यपि विभागों व मंत्रालयों को सार्वजनिक व्यय एवं महिला संवेदी समीक्षा हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं किंतु विभागों का कर्तव्य है कि वे स्वयं अपने व्यय कें महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का निर्धारण

करें और सभी संबंधित कार्यक्रमों को सूचीबद्ध करके उनका महिलोन्मुख परिप्रेक्ष्य से विश्लेषण करें, जिससे महिलाओं को लाभार्थियों के रूप में बढ़ावा देने के लिए विशेष उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। महिलोन्मुख बजट के संदर्भ में विभागों द्वारा अधिकाधिक सार्थक परिणामों की प्राप्ति के लिए बजट के विस्तृत ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया जाता है :–

(1) केंद्र, राज्यों तथा स्थानीय प्रशासन के बजटों और व्यय में महिलाओं हेतु संसाधनों के आबंटन का मात्रात्मक आधार पर निर्माण किया जाता है, जिसके अतंर्गत निम्नलिखित तत्वों पर ध्यान दिया जाता है–

• कार्यविधि का परिशोधन तथा मानकीकरण और उसी के अनुसार साधनों का विकास निर्धारित करना।

• अपनाई गई प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना।

• सेवा समूहों हेतु आबंटन की वरीयताओं में परिवर्तन तथा पद्धति में परिवर्तन का विश्लेषण करना।

• संसाधनों के आबंटन तथा वास्तविक व्यय में अंतर ज्ञात करना तथा वास्तविक लक्ष्यों का अनुपालन करना।

(2) केंद्र तथा राज्य स्तरों पर सरकार की मौद्रिक, राजकोषीय तथा व्यापारिक नीतियों का महिलोन्मुख दृष्टि से संपरीक्षा करना, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाता है :–

• ऋण नीति तथा कराधान जैसी बृहत नीतियों के मार्गदर्शन हेतु अनुसंधान व सूक्ष्म अध्ययन करना।

• महिला–पुरुष निरपेक्ष मानी जानी वाली नीतियों/कार्यक्रमों के महिलोन्मुख प्रभाव का अभिनिर्धारण।

• महिलाओं एव पुरुषों के बीच मौजूद असंतुलन की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता का अभिनिर्धारण करने के लिए सूक्ष्म अध्ययन करना।

(3) केंद्रीय एवं राज्य बजटों की विभिन्न योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है,ताकि लाभ के मामलों का बारीकी से अध्ययन किया जा सके तथा सेवाएं प्रदान करने की लागत, का विश्लेषण हो सके।

(4) बृहत संसूचकों (महिला साक्षरता, मातृ मृत्यु दर, श्रम शक्ति आदि में महिलाओं की भागीदारी) में परिलक्षित होने वाली महिलाओं की स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन –

• इन प्रभावों के अंतर्गत ध्यान रखते हुए विभिन्न कार्यक्रमों, कार्य नीतियों, अंतःक्षेपों तथा नीतिगत उपायों का विश्लेषण किया जाता है। तत्पश्चात् संबंधित इस कार्यक्रम में सुधारात्मक कार्यवाई की आवश्यकता सिद्ध करते हुए मातृ मृत्युदर जैसे संसूचकों के साथ संबद्ध करके देखा जाता है।

(5) महिला–पुरुष के पृथक आंकड़ों के संग्रहण को संस्थागत बनाया जाता है, ताकि

• कार्यान्वयन अभिकरणों से प्राप्त सूचना के लिए प्रबंधकीय सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) विकसित की जा सके।

• जनगणना व विभिन्न सर्वेक्षणों (एन.एस.ओ.,सी.एस.ओ.) के दौरान आंकड़ों की संग्रहण प्रक्रिया में नए परिमाप (पैरामीटर) शामिल किए जाएं।

(6) परामर्श तथा क्षमता विकास करना, जिससे–

• अनुसंधान तथा उत्तम कार्यो की जानकारी, तुलना व परस्पर आदान–प्रदान किया जा सके।

• जानकारी के प्रचार–प्रसार के लिए कार्यविधियां तथा साधन विकसित किए जा सकें।

• विशेषज्ञों तथा सभी पक्षों के मंच एवं भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

(7) महिला–पुरुषों की समान भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु निर्णयन प्रक्रियाओं की समीक्षा करना, जिससे–

• इन प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर पुरुष के समान स्तर तक किया जाए और इन कार्यों हेतु प्रक्रियाएं एवं मॉडल स्थापित किए जा सके।

• अर्थव्यवस्था में अवैतनिक कार्यकलापों के माध्यम से महिलाओं का अप्रत्यक्ष योगदान दर्शाने हेतु अनुषंगी खातों का निरूपण तथा प्रदर्शन करना। समस्त प्रक्रिया के पूरा होने पर इसे समस्त संबंधित विभागों व मंत्रालयों को भेजा जाता है ताकि महिलाओं को दृष्टिगत रखकर ऐसी स्कीमों की समीक्षा की जा सके और सकारात्मक व उत्साहवर्धक निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकें।

महिला–संवेदी बजट व महिलाओं पर किए जाने वाले व्यय की दिशा

महिलाओं पर किए जाने वाले व्यय में अधिकांश राज्यों में कुछ वृद्धि अवश्य देखी गई है, किंतु कुछ राज्यों में इन पहलुओं को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया है। 2001 के जनसंख्या आंकड़ों को सुविधानुसार तीन भागों मे वर्गीकृत किया गया है– प्रथम, तीन करोड़ से अधिक महिला जनसंख्या वाले राज्य, जिनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पं.बंगाल, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु शामिल है। द्वितीय, 1. 5 करोड़ से 3.0 करोड़ की महिला जनसंख्या वाले राज्य, जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा व केरल को रखा गया है। तृतीय, 50 लाख से 1.50 करोड़, गुजरात, उड़ीसा व केरल को रखा गया है। तृतीय, 50 लाख से 1.50 करोड़ तक की महिला जनसंख्या वाले राज्य, जिनमें झारखंड, असम, पंजाब, छतीसगढ़, हरियाणा व दिल्ली को रखा गया है, जबकि जम्मू कश्मीर, उतरांचल, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय व नागालैंड को चौथे वर्ग में रखा गया है, जिनमें महिला जनसंख्या 5 लाख से 50 लाख के बीच है।

महिला सशक्तीकरण पर किए जाने वाले व्यय के सम्बन्ध में अव्यवस्था दिखाई देती है, जिसे सुचारु व व्यवस्थित करने के लिए केंद्र व राज्य स्तरों पर सार्वजनिक व्यय के महिलोन्मुख विश्लेषण हेतु एक ऐसा मानक मॉडल विकसित किए जाने की आवश्यकता है जिसमें समस्त प्रशासनिक, नियोजन व सेवा के योगदान को शामिल किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा अंगीकृत की गई राष्ट्रीय महिला शक्तिसंपन्नता नीति में भी महिलाओं हेतु बजट की आवश्यकता को वरीयता देने पर बल दिया गया है।

अस्तु, मूल रूप से महिला–पुरुष समानता हेतु बजट को तभी कारगर रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है, जब महिला–पुरुष भेदभाव को समाप्त किया जाए और उनके अनुपात में पैदा हुए असंतुलन को भी ठीक करने के प्रयास किए जाएं। स्त्री संवेदी बजट के निर्माण व क्रियान्वयन को निम्नलिखित आधार पर अपनाया जाए तो संभवतः स्त्री संवेदी बजट को महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण में सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है :–

• आर्थिक सशक्तीकरण हेतु कार्यकलापों के विस्तृत ढांचे का मूल्यांकन।

• केंद्र व राज्य स्तर पर सरकार की मौद्रिक, राजकोषीय तथा व्यापारिक नीतियों का महिलोन्मुख संपरीक्षा।

• विभिन्न योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन।

• महिला साक्षरता, मातृ मृत्युदर, श्रमशक्ति में महिलाओं की भागीदारी जैसे बृहद संसूचकों में प्रकट होने वाली महिलाओं की स्थिति पर कार्यकलापों व नीतियों का विश्लेषण।

• महिला–पुरुषों के अलग–अलग खंडो के संग्रहण को संस्थागत बनाना।

• औद्योगिक लाइसेन्स, वाणिज्यिक भूखंडों, गैस स्टेशनों व पैट्रोल पंप आबंटन में महिलाओं व संबंधित समूहों को प्राथमिकता।

• निर्यात संवर्धन योजनाओं में निधियों का निर्धारण।

• औद्योगिक इकाइयों को विशेष कर संबंधी छूट।

• असंगठित क्षेत्रों में स्वास्थ्य बीमा योजना को प्रोत्साहन।

• उचित दर दुकानों साइबर कैफे तथा पी.सी.ओ. आबंटन में सकारात्मक वितरण।

• परिवहन में आरक्षित डिब्बों का प्रावधान।

- बैंक ऋणों की ब्याज दरों में छुट।
- सामाजिक सुरक्षा व विशेष न्यायालयों का निर्माण।
- सार्वजनिक सुविधाओ की निकटवर्ती व सुगम उपलब्धता।
- वाणिज्यिक अथवा घरेलू बिजली कनेक्शन प्रदान करने के मामलों में महिलाओं को प्राथमिकता।

वस्तुतः महिला विकास के क्षेत्रों के प्रत्येक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर सरकार व संबंधित विभागों को अपनी नीतियां निर्धारित करनी होंगी और महिलाओं के लिए बनाई जाने वाली समस्त योजनाओं का सूक्ष्म विश्लेषण करके उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के प्रयास करने होंगे, जों स्त्री संवेदी बजट के द्वारा ही संभव हो सकता है। इसके माध्यम से ही उनमें आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन के प्रति जागरूकता और विकसित होगी। किंतु अवसरों की उपलब्धता में आर्थिक पक्ष व संसाधनों का तार्किक वितरण होना आवश्यक है। उनके विकास से संबंधित क्षेत्रों में महिलोन्मुख शिक्षा, स्वास्थ्य व ग्रामीण विकास जैसे विषयों हेतु पृथक नीति बनाने को भी प्राथमिकता दी जाती है। महिलाओं के विकास को दृष्टिगत रखकर बजट बनाया जाना चाहिए। बजट को जेंडर अन्ध न होकर जेंडर संवेदी होना चाहिए। केवल प्रसूति वित्त लाभ अधिनियम अथवा कुछ श्रम कानून बनाकर या यौन उत्पीड़न विरोधी कानून बनाकर महिलाओ को सशक्त नहीं किया जा सकता और न ही इन्हें महिला सशक्तीकरण का शस्त्र माना जा सकता है, क्योंकि इन कानूनों के बाद भी अब तक महिलाओं का अपेक्षित सशक्तीकरण नहीं हो सका है। यदिखुलेआम इन कानूनों का उल्लंघन किया जाता है तो सशक्तीकरण व विकास के समस्त लक्ष्य प्राप्त नहीं होंगे।

संदर्भ :

1. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट।
2. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की जेन्डर बजट निर्माण पुस्तिका 2017
3. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित Performance during the XI plan period evaluation of Gender Budgeting Scheme
4. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) Charter of Gender Budget Cells, मार्च 2007
5. राष्ट्रीय लोक वित्त तथा निति संस्थान Gender Budgeting in India (फरवरी, 2003)
6. समीक्षापरक लेखों तथा प्रशिक्षण पुस्तिकाएँ

❑❑❑

राजनीति में लैंगिक भेदभाव के कारण

*डॉ. अनिता शर्मा
**डॉ. हरिहरानंद शर्मा

भारतीय संविधान पुरूष और महिला में किसी भी प्रकार का भेद या पक्षपात नहीं करता है यह सच है, पंरतु राजनीतिक रूप से यह भेद आसानी से दिखाई दे जाता है। वह महिला जो मतदान करने, किसी आंदोलन के नेतृत्व करने, पार्टी कार्यक्रमों में भाग लेने, राजनीतिक पार्टियों को आर्थिक मदद देने जैसे कार्यो में बराबर सहयोग एवं भागीदारी वहन करती है वही राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में नाममात्र की संख्या में क्यों हैं? यह सवाल प्रासंगिक है। आज महिलाएं पुरूषो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगभग सभी कार्य क्षेत्रों में निरंतर संख्यातमक दृष्टि से आगे बढ रही है यहाँ तक कि नौकरियों सूची में महिलाओं का वर्चस्व तक दिखाई देता है परंतु राजनीति क्षेत्र अथवा राजनीतिक प्रतिनिधित्व में महिलाओं की संख्या गिनने तक ही सीमित क्यों है? यह सवाल चिंता पैदा करता है। (भारत की संसद और राज्य विधान मंडलों में महिला सदस्यों की संख्या का कम होना इसका महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकता है)। यह सच है कि अन्य राज्यों की तरह असम की राजनीतिक भागीदारी में महिलाओं या आधी आबादी का महत्वपूर्ण योगदान है परंतु राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दृष्टि से संसद और विधानसभा में इनकी संख्या पर्याप्त नहीं है। आजादी के 70 वर्षो के बाद वर्तमान में विधान सभा की 06 विधायक और लोकसभा में 02 सांसद पूरे असम की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं।[1] ये हालात हमें उन कारणों की ओर अध्ययन करने को प्रेरित करते है जिनसे यह पता लगाया जा सके कि वे कौन से मनोवैज्ञानिक, व्यावहारिक एवं सामाजिक सैद्धांतिक बाधाएं है जिनके कारण आज भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र रूचि होने के बावजूद वें अल्प हैं।

मनोवैज्ञानिक और शारीरिक कारण

राजनीतिक प्रतिनिधित्व महिलाओं से यह अपेक्षा रखता है कि वे सक्रिय रूप से राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले परंतु अकेलापन एक ऐसा मनोवैज्ञनिक दबाव है जिसके चलते महिलाएं स्वयं को हीन, अबला और अशक्त अनुभव करती हैं ऐसा होने के अशक्त अनुभव करती हैं ऐसा होने के पीछे वे पारिवारिक और सामजिक कारण हैं जिन्होंने महिलाओं की स्थिति उनकी जिम्मेदारी और उनके मन में सदैव से यह बात अत्यंत गहराई के साथ बिठा दी कि वे स्वयं राजनीतिक गतिविधियों के लिए उतनी समर्थ नहीं है जितना होना चाहिए। इसके कारण राजनीति और समाज में कार्य करने का जो मानस महिला अपने मन में धारण किए रहती है वह कुंठित हो जाता है और प्रतिरोध की संभावना न्यून होने के कारण वे राजनीति से उदासीन हो जाती है।

हीन भावना की प्रवृत्ति दूसरा महत्वपूर्ण कारण है जिसका प्रभाव हमारे आसपास के परिवेश में आसानी से देखने में आता है। महिलाओं को लैंगिक भेदभाव से देखने की प्रवृत्ति, व्यक्तिगत और सामजिक स्तर पर उनकों दूसरे स्थान पर रखने की प्रवृत्ति, महिलाओं के खिलाफ दमन और हिंसा, जैसे अनेक कारक मौजूद है जिसके चलते महिलाएं उपेक्षित और असहाय महसूस करती हैं जिसके कारण वे ऐसे किसी भी काम से दूर हो जाती है जिनमें पुरूषों का दखल सबसे ज्यादा हो।

* सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, एम. डी. के. जी. कॉलेज, डिब्रुगढ़ (असम)
** व्याख्याता (हिंदी) राजकीय आचार्य संस्कृत कॉलेज, गनोडा, बांसवाडा (राजस्थान)

भारत के राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने हाल ही में संकेत दिया था कि वे विशेष रूप से विकासशील देशों में महिलाएं बंधन की स्थिति में होती है, और जंगली, गुलामी, यौन शोषण और उत्पीड़न बलात्कार और हिंसा की शिकार हैं। द्विपत्नीत्व, बहुविवाह और बाल विवाह जैसे अनेक आपराधिक कृत्य हैं जिनका शिकार महिलाएं होती है।

मनोवैज्ञानिक कारणों में तीसरा कारण बदनामी का है। राजनीति में जब किसी कार्यकर्ता के रूप में महिला सक्रिय होना आरंभ करती है तो स्त्री द्वेष के चलते उसे तरह–तरह की अफवाहों, लांछनों का सामना करना पड़ता है। जिसके वे हतोत्साहित होती है।

चौथा कारण राजनीति में भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार और दूषित विचार से घनिष्ठ संबंध का होना है। आज राजनीतिक क्षेत्र में धन, बाहुबल और हिंसा प्रचलित है जो पवित्र राजनीति को दूषित करती है। महिलाएं भावुक होती है और वे इसका सामना ठीक ढंग से कर पाने में सक्षम होती है और डर के कारण वे राजनीति से उदासीन हो जाती है।

शारीरिक कारणों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की बढ़ती प्रवृत्ति है। यह राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व बढ़ाने के मध्य सबसे बड़ी बाधा है। हिंसा, राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में बाधा पहुंचाती है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किये गए एक अध्ययन में कहा गया है कि –राजनीति में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का स्पेक्ट्रम (Violence against women in politics) पूरे दक्षिण एशिया मे फैला है। धमकियों से लेकर चारित्रिक हनन, अपहरण, शारीरिक हमला, अत्याचार और हत्या तक कर देने के कारण महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व अप्रत्यक्ष रूप से बाधित हुआ है। उम्मीदवारों और उनके परिवारों के साथ ही मतदाताओं को चुनाव के दौरान नियमित रूप से हिंसा का सामना करना पड़ा है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार हिंसा का अर्थ है– किसी को शारीरिक रूप से चोट पहुँचाना, क्षति पहुँचाना या मारने का व्यवहार।[3]

इस आधार पर हम कह सकते है कि चुनाव के समय महिलाओं के साथ हिंसक व्यवहार होता है और यह व्यवहार राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अवसर को बाधित करता है अथवा प्रभावित करता है। इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि पुरूषों की तुलना में महिलाएं हिंसा से अधिक शिकार होती है चाहे उनका निजी जीवन हो अथवा सार्वजानिक जीवन।

पुरूषवादी अहं एवं स्त्री द्वेष

परंपरागत रूप से राजनीति पुरूषों का कार्यक्षेत्र रहा है। यदि कोई महिला उम्मीदवार उनके समक्ष प्रतियोगी के रूप में खड़ी होती है तो वे इसे चुनौती के रूप में लेते हैं और व्यक्तिगत रूप से यह चेष्टा करते हैं कि वह स्त्री प्रतियोगी से जीत न पायें। ऐसे में वह उन परंपरागत हथकण्डों को अपनाता है जिनसे महिलाओं को राजनीति का मैदान असहज, असुरक्षित और अव्यवहारिक प्रतीत हो। पुरूषवादी अहं को संतुष्ट करने के लिए ऐसे उम्मीदवार, महिला उम्मीदवारों को धमकी, यौन शोषण, उत्पीडन, गाली देना, जैसी मानसिक यातना देते हैं ऐसे में महिलाओं के मन में डर पैदा हो जाता है और वे राजनीतिक क्षेत्र से अलग रहना उचित समझती है।

राजनीतिक व्यवस्था में पुरूष सदैव से हावी रहा है जिसके चलते महिलाओं की भागीदारी बाधित और सीमित होती है। राजनीतिक मामलों में पुरूष ही मानदंड और नियम तैयार करते हैं। यहां तक कि राजनीतिक जीवन भी पुरूषों के अनुसार ही संचालित होता है। प्रायः यह भी देखा जाता है कि राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवारी के लिए उन शर्तों को शमिल कर लेती हैं, जिसके लिए महिलाएं उपयुक्त नहीं है उदाहरण आर्थिक स्थिति, जातिगत समीकरण, नामांकन जीतना आदि। ऐसे में महिलाओं का अनुपात पुरूषों की तुलना में कमतर हो जाता है और वे राजनीति में शिथिल हो जाती है। परंतु जिन देशों ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनायी है वहां महिलाओं के प्रतिनिधित्व में बढ़ावा देखा गया है। कनाडा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।[5]

भाषा व्यवहार

भाषा के संबंध में एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू यह है कि राजनीति में पुरूष अभद्र भाषा का प्रयोग करते देखे जा सकते हैं। पुरूष सासंदों द्वारा महिलाओं के लिए प्रयुक्त की जाने वाली मर्यादाहीन भाषा भी वह एक कारण है जिससे महिला प्रतिनिधियाँ अपमानित महसूस करती है। कुछ उदाहरणों द्वारा इसे स्पष्ट किया जा सकता है। विपक्ष के साथ पुरूष सांसद संजय निरूपम के द्वारा स्मृति ईरानी को ठुमका लगाने को कहना, और यह भी अभिनय में उनका ठुमका लगाना बढिया रहा है।[6] असम के नीलमणि सेन (पूर्व विधायक) ने भी उनके लिए अपशब्द कहे थे। श्रीमती ईरानी को जब वस्त मंत्रालय सौपा गया तब शरद यादव और अनवर अली के द्वारा श्रीमती ईरानी को यह टिप्पणी की गई कि आप अपने शरीर को ढक कर रखिए।[7] वस्त्र मंत्रालय सौंपने पर यह चुटकला कहा गया कि बेटी को शिक्षा के बदले सिलाई मशीन दी गई। अतः यह सब व्यवहार एक महिला राजनीतिज्ञ को अपने काम से डिगाने और असफल करने की नीयत से किया गया। इस प्रकार के निरंकुश व्यवहार और इस स्तर के पुरूष नेताओं के द्वारा संसद में किया जाना यह साबित करता है कि किस तरह एक संभ्रात महिला का राजनीतिक जीवन बेवजह उत्पीड़न का शिकार होता है। "एक अन्य उदाहरण आप पार्टी से अलग हुई विधायक अलका लांबा का है जिनसे दिल्ली की गलियों में कुछ स्थानीय गुंडों के द्वारा धक्का मुक्की की गई उन्हें लिंगभेद से संबंधित कामुक टिप्पणियों से अपमानित किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि जिसने ये गालियां और अपमानित करने को कार्य किया वह दिल्ली विधानसभा का विधायक था।"[8] देश में अनेक जुमले और चुटकले सुनने को मिल जाएंगे जो महिला नेत्रियों जैसे मायावती, जयललिता, ममता बनर्जी, जैसी राजनीति में सक्रिय महिलाओं पर बने हैं। कुछ भद्दे जुमले उनके अविवाहित जीवन और राजनीतिक मुद्दों लेकर भी सोशल मीडिया पर प्रचलित है।

असम की वयोवृद्ध राजनीतिक नेत्री रेणुका देवी जो तीसरी और छठी लोकसभा की सांसद चुनी गई उन्होंने बताया कि संसद और विधानसभा में पुरूष महिलाओं के समक्ष अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल उनकी मानसिक क्षमता को कम करने के लिए करते हैं।

समाज, धर्म, संस्कृति और परंपराएं

महिलाएं अपने जीवन के आरंभ से ही अपने परिवार, समाज, धर्म, संस्कृति और परंपराओं में अगाध श्रद्धा और भावना रखती आई है और पुरूषवादी मानसिकता या पितृसत्तात्मक धाराणाओं के बीच विकासशील देशों में उन्हे घर परिवार तक ही सीमित करके रखा हुआ है। वह न तो आर्थिक निर्णय लेने में सक्षम है और न ही ही बिना पारिवारिक सहमति के सामाजिक कार्यों में अपना सक्रिय योगदान दे सकती है। धर्म ने महिलाओं को गुणों के आधार पर उसके विकास को बाधित किया है वो परंपराओं की दुहाई देकर उसे राजनीति के क्षेत्र में पुरूषों की आवश्यकता और संभावना को ही मजबूती दी है। जैसे परिवार का मुखिया पुरूष ही बनेगा, पिता की मृत्यु के बाद पुत्र ही उत्तराधिकारी होगा, महिलाओं को पर्दे में रखना आदि। ये प्रक्रियाएं महिलाओं को यह आभासित कराता रहता है कि उनका जन्म केवल घर परिवार की देखभाल तक ही सीमित है और वे राजनीति सहित अन्य कार्यों के लिए पुरुषों को आगे देती है और स्वयं अपने कदम पीछे रखती है।

शिक्षा का अभाव

शिक्षा या साक्षरता की दर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के प्रतिशत को प्रभावित करती है। यह तथ्य दृढ़ता के साथ देखने को मिलता है। अमेरिकी समाजशास्त्री बर्न्स, स्कॉलजमेन और वेर्बा ने दशकों के शोध के आधार पर अमरीकी राजनीति से महिलाओं और पुरुषों की सगाई को प्रभावित करने वाले कारकों के आधार पर यह निष्कर्ष दिया कि शिक्षा राजनीतिक भागीदारी की सशक्त भविष्यवाणी है।

आर्थिक स्थिति का सुदृढ़ नहीं होना

राजनीति में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की प्रमुख बाधाओं में से एक महिलाओं की आर्थिक स्थिति का सुदृढ़ नहीं होना है। चूंकि भारत की अधिकांश महिलाएं आर्थिक रूप से पुरूषों पर निर्भर है

इसलिए स्पष्ट है कि वित्तीय बाधाओं के कारण उन्हें असफलताओं का सामना करना पड़ता है। महिलाएं राजनीति के लिए पैसे का निवेश नहीं कर सकती है जितना एक पुरूष उम्मीदवार करता है। कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति महिला राजनीतिक उम्मीदवारों के लिए एक बाधा बन जाती है। एक अध्ययन से पता चलता है कि भारत में महिलाओं का मानना है कि केवल अमीर और शिक्षित ही राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं। यह सच है कि गरीबी पुरूषों को भी राजनीति से वंचित करती है परंतु लिंग की दृष्टि से देखें तो पाते है कि पुरूषों की अपेक्षा महिलाएं ज्यादा गरीब हैं।

संचार और मीडिया का सहयोग नहीं होना

महिलाएं अपने पुरूष समकक्षों की तुलना में संचार और सूचना तक कम ही पहुंच पाई है क्योंकि वे तथाकथित निजी क्षेत्र के भीतर मौजूद रहती है। इसके अलावा वे निजी और सार्वजनिक, दोनों क्षेत्रों में पुरूषों की तुलना में कम मुखर भी है। पुरूष राजनीतिक रसूखदारों द्वारा मीडिया को नियंत्रित करना, महिलाओं का नेटवर्क कम होना, मीडिया तक उनकी पहुंच नहीं हो पाना, महिला समूहों को मीडिया द्वारा प्रोत्साहन नहीं देना, जैसे कारण वे हैं जिनसे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बाधित होती है। ऐसे में मीडिया महिलाओं के मुद्दों को उठाने में सकारात्मक भूमिका निभा सकती हैं। साथ ही साथ उन लोगों को भी जागरूक कर सकती हैं जो राजनीति में महिलाओं को आगे नहीं आने देते परंतु हम देखते हैं कि पुरूष मानसिकता को धारणा किए हुए मीडिया महिलाओं के इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेते उनमें इतना साहस भी नहीं होता कि वे इस विषय पर संवाद आयोजित कराकर खुले मन से महिलाओं के पक्ष में बोलें।

राजनीति में धनबल और बाहुबल का प्रयोग

चुनावी राजनीति के क्षेत्र में धनबल और बाहुबल की शक्ति ने महिलाओं के प्रवेश को रोका है। धनबल और बाहुबल वह संसाधन है जिसका उपयोग सीमित लोगों के पास है, बहुसंख्यक लोग जिनमें महिलाओं को शमिल किया जा सकता है वे इसकी पहुंच से दूर हैं। वे इतनी सक्षम भी नहीं हैं कि चुनाव के लिए धन और बाहुबल को उत्पन्न कर सके। राजनीति में काला धन बिना कोई विरला ही सफल हो पाता है। बाहुबल के चलते राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा मिला है जिसके कारण महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी शुन्य हो जाती है। महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र को इस कारण से असुरक्षित मानते हुए इसमें प्रवेश नहीं करती हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि राजनीति में पुरूषों के बाहुबली और धनबली होने के साथ साथ अपराधी होने के अनेक उदाहरण मिल जाएंगे लेकिन महिलाओं के संदर्भ में ऐसे उदाहरण अलभ्य और दुर्लभ हैं।

संगठन और प्रोत्साहन की कमी

महिलाएं प्रारंभ से ही दूसरे दर्जे पर देखी जाती रहीं है। समाज, परंपरा और पितृसत्तात्मकता के चंगुल ने सदैव महिलाओं को हाशिए पर रखा है उन्हें घर, परिवार, बच्चे, सेवा और परंपराओं के नाम पर ही परिभाषित और स्थापित किया गया है। इसलिए वे सार्वजनिक जीवन के क्षेत्रों में बहुत ही मुश्किल से जा पाती है। ऐसे में महिलाओं को विकास प्रक्रिया का हिस्सेदार बनाना बहुत आवश्यक है अन्यथा महिलाओं को बेतरतीब और स्थिर समुदाय के रूप में राजनीतिक दलों की महिला विभाग प्रेरक की भूमिका निभाने में मदद कर सकते हैं। हांलाकि महिला समुदाय को सही दिशा में जुटाया और प्रेरित किया जाना चाहिए ताकि वे विकास की अभिकर्ता बन सकें। क्योंकि भारत में अक्सर महिलाओं को धर्म, जाति, वर्ण समुदाय, प्रतीक, रिवाज, त्योंहारों के नाम पर केवल इस्तेमाल किया जाता है। स्वतंत्रता संघर्ष में बड़े पैमाने पर भागीदारी निभाने के बावजूद भी सरकार और संबंधित स्वैच्छिक एजेंसियों के प्रयासों की कमी के कारण अधिकांश राजनीतिक रूप में जाग्रत महिलाएं भी राजनीति का हिस्सा नहीं बन सकी।

अंत में यह कहा जा सकता है कि ऊपर लिखे गए सभी कारक हमारे समाज और राजनीतिक जीवन की वास्तविक सच्चाई है जिसका सामना हमारी आधी आबादी करती आ रही है और तब तक करेगी जब तक कि सरकार और समाज (विशेषकर पुरूष) कोई ठोस कदम इन महिलाओं के लिए नहीं

उठाए। केवल तुष्टीकरण की नीति छोडकर गंभीरता के साथ महिलाओं को उचित नेतृत्व प्रदान करने की पहल करनी चाहिए। महिला राजनीतिज्ञों को जागरूक और प्रशिक्षित होना चाहिए एवं उन मुद्दों और मसलों को सार्वजानिक गति देनी चाहिए जो महिलाओं की समस्याओं ओर हितों से जुड़े हों। पुरूष राजनीतिज्ञों को भी चाहिए कि वे महिलाओं का सम्मान करे, अपनी मानसिकता में बदलाव करें, विधायी और संसदीय भाषा का आधिकारिक प्रयोग करें। उन भाषायी टिप्पणियों से बचें जो अक्सर महिला राजनीतिज्ञों को अपमानित महसूस कराये। महिला नेत्रियों की मानसिक क्षमताओं को कमतर नहीं आंके उनके निजी जीवन संबंधी टिप्पणियों से राजनीति को दूर देखें मुकाबला करें। महिला नेत्री ही महिलाओं के मसले पर खुलकर अभिव्यक्ति कर सकती है इस बात को पुरूष समझे और उन्हें राजनीति में आने के अवसर प्रदान करें। जब महिला घर परिवार और देश के अन्य कार्यक्षेत्रों में खुद को सक्षम साबित कर सकती है तो राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना परचम फहराना से उसे कोई नहीं रोक सकता बस केवल मन बदलने की देर है।

राजनीति में स्त्री द्वेश एवं हिंसा

बडे पैमाने पर भागीदारी निभाने के बावजूद भी सरकार और संबंधित स्वैच्छिक एंजेंसियों के प्रयासों की कमी के कारण अधिकांश राजनीतिक रूप से जाग्रत महिलाएं भी राजनीति का हिस्सा नहीं बन सकी।

अतं में यह कहा जा सकता है कि ऊपर लिखे गए सभी कारक हमारे समाज और राजनीतिक जीवन की वास्तविक सच्चाई है जिसका सामना हमारी आधी आबादी करती आ रही है और तब तक करेगी जब तक कि सरकार और समाज (विशेषकर पुरूष) कोई ठोस कदम इन महिलाओं के लिए नहीं उठाए। केवल तुष्टीकरण की नीति तक ही महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात नहीं करनी चाहिए वरन् गंभीरता के साथ महिलाओं को उचित नेतृत्व प्रदान करने की पहल करनी चाहिए। राष्ट्रमंडल महिला सांसदों के समूह द्वारा तैयार की गई 'संसद में महिलाओं की भागीदारी' रिपोर्ट को आधार बनाकर एक आचार संहिता बनायी जानी चाहिए और उसकी कठोर अनुशासन के साथ अनुपालना करानी चाहिए। महिला राजनीतिज्ञों को जागरूक और प्रशिक्षित होना चाहिए एवं उन मुद्दों और मसलों को सार्वजानिक गति देनी चाहिए जो महिलाओं की समस्याओं और हितों से जुड़े हों। पुरूष राजनीतिज्ञ महिलाओं को अपमानित महसूस कराकर उनकी मानसिक क्षमताओं को कमतर नहीं आंके उनके निजी जीवन संबंधी टिप्पणियों से राजनीति को दूर रखें। महिला राजनीतिज्ञ, पुरूष राजनीतिज्ञों के द्वारा की गई टिप्पणियों का नजरंदाज न करें, गंभीरता से देखें, मुकाबला करें। महिला नेत्री ही महिलाओं के मसले पर खुलकर अभिव्यक्ति कर सकती है इस बात को पुरूष समझे और उन्हें राजनीति में आने के अवसर प्रदान करें। जब महिला घर परिवार और देश के अन्य कार्यक्षेत्रों में खुद को सक्षम साबित कर सकती है जो राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना परचम फहराने से उसे कोई नहीं रोक सकता बस केवल मन बदलने की देरी है।

संदर्भ

1. http:/loksabha.nicin/members/women.aspx प्राप्त दिनांक 16.11.2016
2. द पार्लियामेण्टरियन, जनवरी अंक, कॉमनवेल्थ पार्लियामेण्टरी असोसियेशन, वेस्टमिनिस्टर हाउस, लंदन (यू.के.), वर्ष 194, पृ. 3
3. द ऑक्सफार्ड डिक्शनरी, तृतीय संस्करण 2010
4. शवेदोवा नदेजदा (2005), ऑब्स्टेकल्स टू वुमन्स पार्टिसिपेशन इन जूली करम, अज्ज (2005): वुमन इन पार्लियामेण्टः बियोण्ड नम्बर्स, संशोधित संस्करण स्टॉकहॉमः इण्टरनेशलन आइडिया पब्लिकेशन, वर्ष 2005, पृ. 1

5. टास्क फोर्स रिपोर्ट "बेरियर्स टू वुमन्स पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेण्ट", सिक्सथ मीटिंग ऑव द कॉमनवेल्थ वुमन पेर्लियामेंटेरियन ग्रुप, कनाडा, वर्ष 194, पृ 8
6. http://wwwindiatoday.in>india>north प्राप्त दिनांक 20.01.2018
7. http://timesofindia.indiatimes. com.46585284.cms प्राप्त दिनांक 18.03.2017
8. नेन्सी बर्न्स, की ल्हेमन, स्कॉल्जमन एंड सिडनी वर्बा प्राइवेट रूट्स ऑव् पब्लिक, एक्शन, जेंडर इक्वलिटि एण्ड पॉलिटिकल पार्टिसीपेशन, हॉर्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, वर्ष 2001, केम्ब्रिज, पृ. 2
9. M.hindustantimes.com>delhi> bjp-mla प्राप्त दिनांक 16.11.2016
10. www.nelive.in.assam प्राप्त दिनांक 18.11.2016

भारत में चुनावी रैलियों का नृजातीय अध्ययन–झारखंड विधान सभा, 2014 चुनाव के विशेष संदर्भ में[1]

***प्रवीण कुमार झा**
****पंकज कुमार झा**

चुनाव राजनीति का ऐसा अखाड़ा है जहाँ रैलियाँ व जनसभा सभी राजनीतिक दलों व सूरमाओं को आपस में शाब्दिक युद्ध लड़ने का मंच प्रदान करता हैं। वहीं दूसरी तरफ मतदाताओं के बीच अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का भी मौका देता है। दिलचस्प है कि यह ऐसा युद्ध मंच है जिसमें धारदार भाषणों, आक्रामक मुद्राओं व चुटीले जुमलों से अपने राजनीतिक विरोधियों पर तंज कसने की भरपूर कोशिश की जाती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि बहुत सारे राजनीतिक मानवविज्ञानियों ने लोकतंत्र के इस महापर्व में रैलियों व जनसभाओं को बहुत खास बताया है। शायद यही कारण है कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर मुकुलिका बनर्जी चुनाव को सेकरेड इलेक्शन्स यानि पवित्र चुनाव करार देते हुई कहती हैं कि 'चुनावी रैली के दौरान आम लोग राजनीतिक समानता की अनुभूति करते है, जब कतार में खड़े होकर सभी लोग नेताओं को सुनने रैली में जाते हैं तब वहाँ गरीब–अमीर, सवर्ण–दलित का भेद मिट जाता है, इस लिहाज से वह आम लोग इस पूरी प्रक्रिया से अपने आपको जोड़ता है, वह भारतीय राज्य द्वारा प्रदान किए गए नागरिकता, समानता व प्रक्रियात्मक निष्पक्षता को आत्मसात् करता है। यही कारण है कि चुनाव को आधुनिक भारतीय लोकजीवन में सबसे पवित्र परिघटना के रूप में देखा जाता है' (बनर्जी 2014)।

बहरहाल इस लेख में भारतीय लोकतंत्र में रैलियों के महत्व को नृजातीय शोध पद्धति के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इस लिहाज से इस पद्धति की सिद्धि के लिए झारखंड राज्य विधान सभा चुनाव, 2014 के अध्ययन को प्रस्तुत किया गया है (झा 2014) गौरतलब है कि यह लेख तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला हिस्सा, भारतीय लोकतंत्र में रैलियों के महत्व को विस्तार से प्रस्तुत करता है। दूसरा हिस्सा, नृजातीय शोध पद्धति क्या है तथा चुनावी अध्ययन में इस पद्धति को लागू करने संबंधी सवाल को हल करने की कोशिश करता है। जबकि तीसरे हिस्से में झारखंड विधान सभा चुनाव, 2014 के अंतर्गत चाईबासा सीट पर हुए चुनाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी और झामुमो के नेता हेमंत सोरेन की रैली को नृजातीय अध्ययन के जरिए प्रस्तुत किया गया है। जबकि चौथे हिस्से में इन तीनों रैलियों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है।

भारत में चुनावी रैलियों का महत्व[2]

भारतीय लोकतांत्रिक संस्कार में विभिन्न दलों व नेताओं के द्वारा की जाने वाली रैलियों व जनसभाओं का अपना राजनीतिक समाजशास्त्रीय, राजनीतिक मानवशास्त्रीय व महत्व है। चुनावी रैलियों में भारी तादाद में शामिल होकर मतदाता जहाँ लोकतंत्र के इस तीर्थ में अपनी सबल सहभागिता पक्की करता है वहीं इस अवसर पर नेताओं को भी अपनी लोकप्रियता व छवि पर जनता से वैधता प्राप्त करने का मौका होता है। लेकिन यहाँ यह सवाल अधिक गूढ़ है कि क्या सचमूच रैलियों में जुटने वाली भारी भीड़ ही किसी उम्मीदवार व दल के पक्ष में बहने वाली बयारों का प्रतीक होती है। निश्चित तौर पर

* सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, शहीद भगत सिंह कॉलेज, दिल्ली
** सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, दिल्ली

लोकतांत्रिक महापर्व में रैलियों में जुटने वाली भीड़ एक हवा बनाने का काम करती है, क्योंकि इस पर गली मोहल्लों, चौक चौराहों पर जबरदस्त चर्चा परिचर्चा व मंथन तो होती ही है। परंतु यह कहना बिल्कुल तार्किक प्रतीत नहीं होता है कि यह चुनावी परिणामों को भी प्रभावित करती है। अब तक के चुनावी राजनीति की सूक्ष्मता से पड़ताल करने पर यह बात बिल्कुल स्पष्टता से सामने दिखाई पड़ती है कि कई बार बहुत भीड़ जुटाने वाली पार्टियाँ भी चुनाव में मुँह के बल गिरती है। इससे साफ संकेत मिलता है कि रैली में सुनने आया मतदाता उसी पार्टी या नेता को समर्थन देगा इस बात की कोई ठोस गारंटी नहीं होती (झा 2015)।

गोया कि इस प्रकार की चुनावी रैलियों व सभाओं में हर परिस्थितियों में उमड़ने वाला जन–सैलाब मंच पर बैठे पार्टी के बड़े नेताओं में भी चरम उत्साह पैदा करता है जिसके सहारे वह मतदान वाले दिन तक पूरे लाव लश्कर से पूरी मशीनरी झोंक देता है। आस पास के गाँवों, कस्बों, चौक–चौराहों से ट्रैक्टरों, दोपहिया वाहनों, बसों, बैलगाड़ियों ऑटो रिक्शा में सवार होकर आए लोगों में इस प्रकार की चुनावी रैली का हिस्सा बनना, बिना तंबू के तपतपाते सूरज की रोशनी में टकटकी लगाकर अपने पसंदीदा नेताओं का अभिवादन करना, चुनावी नारों को तेज स्वर में दोहराना और नेताओं के दिए गए भाषण को बाद में चाय की दुकान पर खूब परिचर्चा करना आदि जनलोकतांत्रिक आकांक्षाओं को बढ़ाता है (मुखर्जी 2014)।

इन रैलियों का आयोजन भी बहुत खर्चीला होता है रैली की घोषणा होते ही आस–पास के इलाको के कद्दावर नेताओं, सांसदों, विधायकों को प्रबंधन की सारी जिम्मेदारी, मसलन पैसों का प्रबंध, मंच की साज–सज्जा, पर्चा व पुस्तिकाओं की छपाई से लेकर भीड़ जुटाने तक सौंप दी जाती है। मंच की साज–सज्जा पर विशेष फोकस किया जाता है, ताकि सभी श्रोताओं के साथ–साथ मीडिया बिरादरी का ध्यान भी इसकी तरफ आकर्षित हो। इस अवसर पर छपने वाले पर्चों में स्पष्ट रूप से उम्मीदवारों का नाम, दल का नाम और उसका चुनाव चिह्न होता है। मंच के पीछे बनाये गये बड़े बैनर में पार्टी से जुड़े बड़े नेताओं के साथ–साथ राज्यस्तरीय नेताओं की भी तस्वीर होती है। मैदान में प्रवेश द्वार के पास भी पार्टी के बड़े–बड़े नेताओं की तस्वीर वाली विशाल होर्डिंग लगाई जाती है। बहरहाल इस चुनावी तामझाम के जरिए राजनीतिक दल जब जनता से जुड़ते हैं तो उसके आभामंडल का प्रभाव मतदाताओं पर भी पड़ता है। मतदाताओं को भी इस बात का भरोसा हो जाता है कि फलां उम्मीदवार और उसका दल बेहतर सरकार व शासन दे सकते हैं।

चुनावी रैली में बड़े बड़े नेताओं के करिश्माई व्यक्तित्व की भी बड़ी अहम भूमिका होती है जिससे समर्थक तो समर्थक उसके विरोधी भी उनके भाषण सुनने से स्वयं को रोक नहीं पाते हैं। नरेंद्र मोदी, लालू प्रसाद यादव, मायावती, ममता बनर्जी, जयललिता जैसी नेता अद्भुत संप्रेषण क्षमता के बल पर अपने करिश्माई ब्रांड का मूल मंत्र लोगों तक पहुँचाते हैं। नेताओं द्वारा मतदाताओं को सभी स्तरों पर रिझाने के इस प्रयास को प्रसिद्ध समाजवैज्ञानिक सुदिप्ति कविराज सांकेतिक प्रयोग करार देते हैं। कविराज गाँधी के भाषणों में इस सांकेतिक प्रयोग की पुट पाते हैं। गाँधी द्वारा अपनाई गई प्रदर्शनकारी राजनीति प्रमुख रुप से भारतीय राजनीति के सांस्कृतिक अभिलेख की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारे देश के नेताओं द्वारा अपने परिधानों, भाव–भंगिमाओं, भाषाओं व मौन स्थिति के माध्यम से किस तरह से संचार व संप्रेषण किया जाता है। इस रूप में नरेंद्र मोदी के ऊर्जावान भाषण, लालू यादव की गंवई शैली, राम विलास पासवान का क्रीजदार कुर्ता, जयललिता व नीतीश कुमार के मौन व्यवहार, ममता बनर्जी की सूती साड़ी हो या मायावती की सलवार कमीज यह सब ना केवल उनके व्यक्तिगत सलीकों व सौदंर्य बोध को प्रस्तुत करता है बल्कि रैली व आम सभा में खड़ा समाज का हर नागरिक उससे मंत्रमुग्ध हो जाता है।

मंच की तैयारी में जुटे सारे स्थानीय नेताओं में भी इस बात की प्रतिस्पर्धा होती है कि उसको अधिक तवज्जो दी जाए। इसलिये सभी स्थानीय उम्मीदवार सहित सभी नेता अपनी प्रभावपूर्ण छवि

प्रस्तुत करने के प्रति विशेष सजग होते हैं। वे कपड़े, केश सज्जा, जूते–चप्पल, चेहरे की भाव भंगिमा, वाणी के उतार–चढ़ाव और शारीरिक भाषा का प्रयोग इस प्रकार करते हैं कि मतदाताओं का उनकी तरफ आकर्षित होना लाजिमी हो जाता है। महत्वपूर्ण है कि उम्मीदवार के चेहरे की भाव भंगिमा को पढ़ने में भाषण सुनने आये मतदाता भी चतुर होता है। किसी उम्मीदवार के तनाव ग्रस्त चेहरे को देखकर मतदाता भी यह भांप लेता है कि उनकी नैया डोल रही है वहीं किसी कमजोर उम्मीदवार के लिये मतदाता यह कहने में कोई गुरेज नहीं करता है कि अपने नाम पर उसे एक भी वोट नहीं मिलने वाला, उसे तो बस पार्टी के ही सहारे जीत का भरोसा है। बहरहाल रैलियों में तस्वीरों, फोटोग्रॉफ लेने की अपनी एक प्रतियोगिता बनी रहती है। दो समान कद वाले नेता एक फ्रेम में तस्वीर नहीं खिंचवाना चाहते हैं। इन रैलियों व सम्मेलनों को मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के कवरेज को स्थानीय नेता सोने पे सुहागा मानते हैं। इसके कवरेज के बाद पूरा देश इस प्रकार की रैलियों और सम्मेलनों को देख–सुन सकता है।

रैली के बाहर लगी चाय की दुकानों पर त्योहारों जैसी भीड़ जुटी होती है। चाय दुकानदार भी इस विशेष अवसर पर अपनी दुकान पर कोल्ड ड्रिंक्स, नमकीन, मसालेदार भुजिया, चिप्स, चाउमिन बेच रहा होता है। मैदान के अंदर व बाहर प्रवेश द्वार पर पुलिस गश्त लगा रही होती है। लाउडस्पीकर पर मुख्य अतिथि के सम्मान में शांति बनाने का आग्रह किया जाता है। वहीं भीड़ में गुमशुदा हुए बच्चों व औरतों के संबंध में भी सूचना दी जाती है। मैदान पर खड़ी भीड़ को मंच से पहले तक रोकने के लिये लगाया गया बांस का घेरा भी उनके उत्साह के आगे नाकाम साबित हो जाता है। आधी भीड़ बांस पर चढ़कर उसे हिला हिलाकर जमीन पर गिरा चुकी होती है। ग्रीष्म की दोपहरी में सूर्य भी अपने शबाब पर होता है बढ़ते तापमान में मैदान में उपस्थित लोगों को राहत पहुँचाने के लिये आइसक्रीम, सॉफ्टी, मसालेदार लस्सी व शरबत की ब्रिकी बढ़ जाती है।

समग्र रूप से आज के बदलते परिवेश में जबकि चुनाव की पूरी तैयारी उच्च तकनीकी स्तर थी हाई टेक होती जा रही है। आधुनिक सूचना के साधनों व सामाजिक संचार माध्यमों (मीडिया) के सहारे जनता से संचार व संवाद करने की परंपरा बढ़ रही है, बड़े बड़े नेताओं के द्वारा अपनी बातों को ट्विटर व फेसबुक के माध्यम से साझा किया जाने लगा है। बावजूद इसके चुनावी रैली व जनसभाओं का महत्व बना हुआ है और बना रहेगा। तब तक जब तक समाज का वह अंतिम व्यक्ति विकास की आस लिए चुनावी रैलियों व जनसभाओं में जाता रहेगा जिसकी लोकतांत्रिक सहभागिता के प्रति अटूट आस्था अभी भी बनी हुई है।

चुनावी नृजातीय अध्ययन के क्या हैं मायने?

चुनावी अध्ययन के संबंध में प्रयोग की जा रही नई शोध पद्धति यानि नृजातीय अध्ययन के मायने क्या है? भारतीय चुनावी अध्ययन को अब तक मात्रात्मक शोध पद्धति के नजरिये से देखा जाता रहा है। जिसमें चुनावी जीत–हार, वोट प्रतिशत का अहम भूमिका देखी जाती रही है। इस संदर्भ में चुनावी अध्ययन के लिए प्रयोग की जा रही नृजातीय अध्ययन को समझना काफी रोचक व महत्वपूर्ण होगा। चुनावी नृजातीय के संबंध में प्रोफेसर मुकुलिका बनर्जी तीन तत्वों का उल्लेख करती हैं। पहला, सर्वे अथवा ओपिनियन पोल के विपरीत, नृजातीय अध्ययन प्रणाली में केवल लोगों का सवालों को ही नहीं है बल्कि इसके अंतर्गत उनकी क्रियाओं का भी सूक्ष्मता से पर्यवेक्षण भी किया जाता है। यह बहुत ही अहम होता है क्योंकि अक्सर ऐसा दिखाई पड़ता है कि लोग जो कहते हैं उससे अलग व्यवहार करते हैं। जिस व्यक्ति से सर्वेक्षण संबंधी सवाल पूछा जाता है उस पर काफी दबाव होता है, यह जरूरी नहीं है कि वह सब कुछ सत्य ही बोलता है। उन्हें इस बात की फिक्र भी रहती है कि कहीं कोई दूसरा उसकी बात सुन तो नहीं रहा है। इससे चीजें कई बार स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। इस बात को समझाने के लिए आपके सामने हिन्दुस्तान के एक राज्य उत्तर प्रदेश में किए गए शोध का हवाला देना उचित होगा। जब हमारे शोधार्थी (नारायण, फील्ड रिपोर्ट, 15) चुनाव के वक्त यहाँ के एक गाँव में औरतों से

बातचीत कर रहे थे, उस वक्त हमने पाया कि एक औरत गाँव में कुएं के पास कुछ साफ कर रही थी। उनसे चुनाव को लेकर बातचीत हुई। उनसे पूछा गया कि वे क्या इस बार वोट डालेंगी? उनका जबाव बिल्कुल उग्र था। वे राजनेताओं के भ्रष्ट्राचार और दोषपूर्ण व्यवहार से बहुत आहत थीं और बार–बार कह रही थीं कि हम क्यों वोट डालेंगे, सरकार ने हम गरीबों को क्या दिया है, जो हम वोट डालें? उससे बातचीत के आधार पर हमारे शोधार्थी को लगा कि शायद यह महिला वोट डालने ना जाए। वहीं अगले दिन जब शोधार्थी (मतदान कक्ष)पोलिंग बूथ पर मौजूद वोटरों से बात कर रहा था तब उसने पाया कि कल तक राजनेता और मतदान के प्रति रोष व्यक्त करने वाली वह महिला बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से कतार में खड़ी होकर अपने मतदान का इंतजार कर रही थी। अब वह काफी खुश थी और अपनी सबसे पसंदीदा साड़ी और हाथ में चाँदी की वही चूड़ी पहनकर आई थी जिसे वह कल साफ कर रही थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि अगर हम केवल उसके घर में कहे गए कथनों को ही रेखांकित करते तो इस आधार पर कहा जा सकता था कि वे वोट नहीं डालेगी। मगर जिस तरह से वह वोट डालने आईं, वह साफ इशारा कर रहा था कि ग्रामीण महिलायें बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से किसी को कुछ बताए बगैर अपना वोट डालती हैं। इस तरह से नृजातीय शोध के माध्यम से उसके रूख और व्यवहार, दोनों को जाँचा जा सकता है।

मानववैज्ञानिक शोध से जुड़ी दूसरी विशेषता यह रही है कि इसमें अध्ययन के केंद्र में सूचना देने वाले की विचारधारा और शब्दावलियों का खूबसूरत चित्रण किया जाता है जिसके अंतर्गत फील्ड पर मिलने वाली सूचनाओं को विशेष अहमियत दी जाती है ना कि हमारे स्वयं के विश्लेषण को। इसके अंतर्गत सूचना देने वाले के ही चश्मे से उसकी ही दुनिया पर्यवेक्षण, खुली बातचीत को प्रस्तुत किया जाता है। जैसा कि कविराज ने रेखांकित किया है– यह हमेशा से प्रशंसनीय नहीं रहा है बल्कि बहुत चुनौती भरा रहा है... किसी उपाश्रित अनुभवों के दैनिक चरणों को, उनकी जबान में, किसी विशिष्ट दृष्टि के साथ सैद्धांतिक आधार पर प्रस्तुत करना। निश्चित तौर पर यह बहुत ही जटिल है और सूचना देने वाले की सूचनाओं में मौजूद नैतिक दुविधाओं को, मानवशास्त्रियों को अपने विश्लेषणपरक चश्मे से जाँचना पड़ता है। इस प्रकार की सूचना देने वालों के विचारों को तवज्जो देने से पहले, हमें पूर्ण रूप से सजग भी रहना चाहिए क्योंकि शोधार्थी और सूचना देने वाले के बीच में एक खास रिश्ता होता है, जिसमें सूचना देने वाला अपनी जानकारी को कई बार बहुत अनोखे कथन के रूप में भी प्रस्तुत करता है। एक नृजातिविज्ञानी की भूमिका में हमें भी कुछ सवाल पूछने चाहिये, उसके उपरांत उसे हमारे विश्लेषणपरक फ्रेम में बिठा के देखना चाहिए। हमारे फील्ड शोधार्थियों ने उसी तरह से जवाब दिया जैसा उस वक्त वह अपनी सीमाओं के भीतर अनुभव कर रहे थे। निश्चित तौर पर इस अंतर–विषयनिष्ठ स्थान पर विभिन्न ज्ञानमीमांसाओं, तत्वमीमांसाओं, भावनाओं और ऊर्जाओं की बहुत जटिल तरीके से अंतरक्रिया होती है। इस प्रकार पूरी प्रक्रिया में, नृजातिविज्ञानी को अपने सूचक व्यक्तियों (informant) से बहुत सारा ज्ञान मिलता है जिनका उपयोग वह जरूरत के हिसाब से वह इसका प्रयोग करता है।

बहरहाल, यहाँ इन दोनों प्रकार की विशेषताओं में विरोधाभास उत्पन्न होने पर, सूचक व्यक्ति के कार्यों और उसके विचारों में अंतर और विरोधाभास को प्रमुख कारण माना जाता हैं, वहीं शुरुआत में इसमें सूचक व्यक्ति के कथनों और विचारों को केन्द्रीय माना जाता था। परंतु इस प्रकार की स्थिति में एक तीसरी विशेषता भी देखने को मिलती है जो वृहत होता है और उसका सरोकार सदैव से समग्रवादी (holistic) दिखाई पड़ता है। लोकपरंपरा को तवज्जो देने का अर्थ यह नहीं है कि फील्ड से सूचना देने वाले इंफोरमेंट यानी सूचनादाता की किसी भी सूचना को आप शोध में स्थान देते हैं। यहाँ यह भी देखना जरूरी है कि इसकी समझ और महत्व को हम सभी चीजों से जोड़कर देख सकते हैं कि नहीं। जैसा कि मैंने अपने शोध क्षेत्र पश्चिम बंगाल से बहुत कुछ सीखा है जहाँ अगर लोगों की राजनीतिक विचारधारा को समझना है तो आपको इनके जीवन के अन्य पक्ष मसलन रीति–रिवाजों, कार्य, श्रम, असमानता, आध्यात्मिकता आदि की भी समझ बनानी पड़ेगी। किसी भी प्रकार के राजनीतिक विश्लेषण के लिये यह

बहुत ही जरूरी है क्योंकि जो मतदाता होता है वह फैक्टरियों में काम करने वाला दिहाड़ी मजदूर, खेती किसानी करने वाले खेतिहर, घर में चौका–चूल्हा करने वाली गृहणी– कोई भी हो सकता है। इस रूप में 'मतदाता' के तौर पर वोट देने वाले जटिल व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया जाता है जिसके साथ बहुस्तरीय प्रेरणायें और विश्वास जुड़े होते हैं। उदाहरणस्वरूप, वह महिला एक दिन पहले जो नेताओं को खरी–खोटी सुना रही थी, वह मतदान वाले दिन खूबसूरत साड़ी और चाँदी की चूड़ी पहने वोट डालने का बेसब्री से इंतजार क्यों कर रही थी। उसे जानने के लिए कि वे किसे वोट देना चाहती है, हमें उसकी पूरी जीवनशैली को समझना पड़ेगा। महत्वपूर्ण रूप से यह सब समग्रवाद को प्राप्त करने के लिए नृजतिविज्ञानियों और सामाजिक मानवशास्त्रियों को प्रेरित है जिसके माध्यम से वे स्थानीय संस्कृति और सामाजिक जीवन को भाँपने की कोशिश करता है। मैं स्पष्ट रूप से (क्षेत्र कार्य) फील्ड–वर्क के अपने शोध के दौरान राजनीतिक व्यवहारों पर किए गए विशिष्ट पर्यवेक्षण को सबके साथ साझा करना चाहूंगा। एक मानवविज्ञानी की भूमिका में मैं अपने शोध से संबधित हर विशेष पर्व–त्योहारों, उत्सवों, जलसों में मौजूद रही। पिछले कई वर्षों में मैंने लगातार कोशिश की है कि मैं वहाँ ईद, कुर्बानी, सुन्नत, निकाह, रमजान, फसल–पैदावार के सभी अवसरों पर उपस्थित रहूँ। मैंने यह पाया कि अमूमन गाँव में औरतों के पास पहनने के लिए दो सूती साड़ियाँ होती हैं और उसी को वह अपने रोजमर्रा के जीवन में अदला–बदली कर पहनती हैं। इसके अतिरिक्त उनके पास एक तीसरी साड़ी भी होती है जिसे वह सबसे अच्छी साड़ी कहती हैं, विशेष समारोहों में ही वे ये साड़ी पहनती हैं। अधिक सुंदर हैंडलूम की सूती साड़ी को मैंने मतदान के दिन बहुत सारी महिलाओं को पहनते हुए देखा। उस वक्त मुझे अहसास हुआ कि मतदान उनके लिए काफी अहमियत रखता है। इससे मुझे अहसास हो रहा था कि किस तरह से मतदान हमारे मुल्क में बहुत पवित्र दिन के रूप में देखा जाता है। इसके आधार पर अखिल भारत में संपन्न अपने सीईई अध्ययन के दौरान प्रस्तुत किए गए शब्द 'पवित्र चुनाव' (sacred election) को भी पुख्ता समर्थन मिल रहा था।

इस प्रकार की संगत व्याख्या को एक और विवेचन के संदर्भ में देख सकते हैं जिसे 'दान' की विचारधारा कहते हैं। हिन्दुस्तानी संदर्भ में दान का अर्थ स्वेच्छा और निःस्वार्थ भाव से और बदले में बिना किसी की इच्छा या चाहत की उम्मीद से दी गई राशि या सामग्री से है। इस शब्द का प्रयोग पूरे मुल्क में विभिन्न हिन्दुस्तानी भाषाओं में किया जाता है। चुनावी संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग मतदान (मत– अपना विचार/समर्थन, दान– देना) के संदर्भ में विशेष रूप से किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग हमारे राजनेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना किसी प्रतिफल की इच्छा से किए जाने वाला दान के रूप में करते हैं। इसकी तुलना अन्नदान, गोदान, श्रमदान, कन्यादान से भी की जाती है। एक मानव विज्ञानी की भूमिका में हमें मूल रूप से सृजित तुलनाओं और रूपकों को तलाशना पड़ रहा है जिसके आधार पर हम यह कह सकें कि मतदाता किस तरह से मतदान की समझ रखता है, जैसा कि हम दूसरे प्रकार के दान संबंधी सिद्धांतों से वाकिफ हैं।

राजनीतिक रैलियाँ

इस भाग के अंतर्गत मुख्य रुप से चाईबासा विधानसभा चुनाव सीट में हुए भाजपा, कांग्रेस व झामुमो के बड़े नेताओं मसलन नरेन्द्र मोदी, राहुल गाँधी व हेमंत सोरेन द्वारा की गई राजनीतिक रैलियों को नृजातीय आधार पर देखने की कोशिश की गई है।

नरेन्द्र मोदी की रैली

दिनांक 25 नवंबर, 2014 को चाईबासा स्थित टाटा मैदान में सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जनसभा का आयोजन किया जाना था। सड़क पर लोगों का भारी सैलाब देखा जा सकता था। मैदान में मौजूद युवक–युवतियों की टोली भाजपा की केसरिया रंग वाली टोपी पहने हुई थी। इन टोपियों पर 'पूर्ण बहुमत संपूर्ण विकास' 'चलो–चलो मोदी के साथ' का नारा लिखा हुआ था। इससे स्थानीय कार्यकर्ताओं व समर्थकों में काफी उत्साह देखा जा सकता था। हालांकि महिला समर्थकों की तादाद

पुरुष की तुलना में कम थी परंतु उनमें गजब का उत्साह था। शहरी परिवेश से आई युवतियां जीन्स व टी–शर्ट के साथ–साथ काला चश्मा पहनकर मोदी जी को देखने की प्रतीक्षा कर रही थीं। ग्रामीण आदिवासी महिलाएं भी लाल, पीली, नीली साड़ियों के साथ मिलते–जुलते ब्लॉउज पहनी हुई थी। कुछ मध्यमवर्गीय महिलाएँ रंगीन सिफोन की साड़ियों पर रंग–बिरंगे स्वेटर पहनी हुई थी। मंगल बाजार चौक से अपनी एक सहेली के साथ आई 65 वर्षीय सीमा दत्ता ने कहा कि *'मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में भी सरकार बनी है, हमें लगता है कि दोनों ही जगह एक पार्टी की सरकार बनेगी तो झारखंड का उससे विकास होगा'*।

मंच पर भाजपा के वरिष्ठ नेता व खूंटी से सांसद करिया मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, सिंहभूमि से सांसद लक्ष्मण बिरुआ, पूर्व उपमुख्यमंत्री रघुवर दास, चाईबासा से भाजपा के उम्मीदवार जेबी तुबीद आसीन थे। अपने नियत समय से 1 घंटे की देरी से टाटा मैदान में जैसे ही नरेन्द्र मोदी का हेलीकॉप्टर सुबह 11.25 बजे उतरा वैसी ही लोगों के बीच 'मोदी, मोदी' के नारे लगाए जाने लगे। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत बहुत ही निराले अंदाज में की। चाईबासा के लोगों को अपनी तरफ रिझाने के लिए मोदी ने कहा कि यह चाईबासा (संबोधित किया 'चायबासा') की धरती है और मैं चायवाला हूँ, तो मेरा और यहाँ की जनता का नाता काफी गहरा हुआ ना। यह सुनते ही टाटा मैदान में खड़े लोगों के बीच में से जनसमर्थन का सैलाब उमड़ पड़ा। जनजातीय आबादी को अपनी तरफ विशेष रुप से आकर्षित करने के लिए मोदी ने ठीक अगली पंक्ति में संथाली भाषा में कहा– बोयहा आर मिसिको जोतो कोगे जोहार यानि भाईयों बहनों को मेरा नमस्कार। इसके बाद दो मिनट तक इतनी तालियां और सीटियां बजीं की मोदी एक मिनट तक मुस्कुराते हुए जनता का अभिभादन स्वीकार करने में तल्लीन रहे। प्रधानमंत्री ने मंच पर खड़े सभी नेताओं को अभिवादन किया परंतु वह अर्जुन मुंडा का नाम लेना भूल गये। तुरंत भीड़ से किसी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा– *अरे ले लो जी..मुंडा जी का नाम ही नहीं लिए..इसको तो सेटिंग में डाल दिया...मुंडा जी का अब कोई चांस नहीं है।*

भीड़ में दूर से ही बड़े स्क्रीन पर लाइव प्रसारण देख रही दो बूढ़ी औरतें आँखे मिचमिचा कर मंच पर बैठे मोदी जी को खोजते हुए कहती है, ओकनी ए ओकनी मोदी (कहाँ हैं मोदी)। इस पर कुछ लोग उसे बताते हैं 'वो रहे मोदी जी'।

भाषण की शुरुआत में ही कांग्रेस पार्टी पर आक्रमण करते हुए मोदी ने कहा कि जिन्होंने 60 साल काम नहीं किया, वो हमसे 6 महीने का हिसाब मांग रहे हैं। साठ साल तक देश की जनता को लूटने वाली कांग्रेसी आज छह माह का हिसाब लेने लगी हैं। जनता ने एक बार लोकसभा चुनाव में हिसाब ले लिया और झारखंड में भी हिसाब जरूर लेगी। एक बार फिर जनता के बीच से हंसी, तालियाँ व सीटियों की आवाज गूँजने लगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा पर बरसते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह चुनाव फैसले की घड़ी है। सोच समझकर फैसला लेना है। यहाँ कुछ दलों को विकास से मतलब नहीं है उन्हें बस परिवारवाद और बाप–बेटा को अपनी चिंता है। बहरहाल बाप–बेटा का नाम सुनते ही भीड़ में खड़े दो व्यक्तियों के बीच आपसी तू–तू मैं मैं हो गई। ऐसा लगता था कि मानों इनमें से एक भाजपा का और दूसरा झामुमो का समर्थक था।

जनता से पूर्ण विकास का वायदा करते हुए मोदी ने आगे कहा कि मैं झारखंड को मुसीबतों से मुक्ति दिलाने आया हूँ। आप भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार दें। स्थानीय झारखंड के लोगों का दुलार व प्यार पाने के लिए नरेन्द्र मोदी ने कहा कि झारखंड के लोगों को झारखंड में ही नौकरी मिले। यह सुनिश्चित कराने का काम भाजपा की सरकार करेगी। आप लोगों को यहाँ से हजार मील दूर जाकर नौकरी करनी पड़ती है हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को अपने घर पर ही रोजगार मिले। इसके लिए मेक इन इंडिया का नारा दिया है और राज्य में भी वही हालात होंगे। बस स्टैंड चौक से आए तीरथ मुंडा ने कहा कि हमको नौकरी देगा तो हमारा वोट मोदी को...वोट फॉर मोदी..वोट फॉर मोदी। इस तरह 12. 30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण समाप्त हुआ। सभा समाप्त होते ही जब तक मोदी जी नहीं गये

तब तक उनकी एक झलक पाने के लिए लोग मैदान में डटे रहे। ना एनएसजी के लोग हटे और ना ही जिला पुलिस के जवान। पब्लिक तो मोदी जी एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आई। हेलिकॉप्टर जब करीब 12.45 मिनट पर उड़ा, तो हाथ ऊपर कर ईचा गाँव से पहुँचा मंगल गोप कहता है बाय–बाय मोदी जी। उसे ऐसा लगा मानो मोदी जी उसके विदा करने के अंदाज को ऊपर से देख रहे हैं। कहता है मोदी जी देखें या ना देखें हम तो विदा कर दिए गए।

राहुल गाँधी की रैली

नरेंद्र मोदी की रैली से ठीक चार दिन बाद यानी 26 नवंबर, 2014 को टाटा मैदान में राहुल गाँधी की रैली का आयोजन किया गया। मैदान में तीन प्रवेश द्वार बनाए गए थे, जिसपर पुलिस जाँच कार्य में तैनात थी, प्रवेश द्वार के बाहर मैदान में चाट,पापड़ी, गोल–गप्पे की दुकान पर स्कूली बच्चों व युवतियों का तांता लगा हुआ था। टाटा कॉलेज में बीए राजनीति विज्ञान की तृतीय वर्ष की छात्रा रेखा हांसदा ने बताया कि राहुल गाँधी युवा हैं और स्मार्ट भी। उन्हें ही देखने आई हूँ। वोट किसे डालेंगी के सवाल पर थोड़ा झिझकते हुए उन्होंने कहा कि वोट किसको डालना है यह अभी डिसाईड नहीं किया है। मोदी जी की रैली की तुलना में राहुल गाँधी की रैली में लोगों की तादाद कम थी। मंच पर पूर्वमंत्री सुबोधकांत सहाय, स्थानीय नेताओं में प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत, राष्ट्रीय सचिव शुभंकर सरकार, चाईबासा विधानसभा के प्रत्याशी अशोक सुंडी आदि विराजमान थे। सुबोधकांत सहाय ने अपने संक्षिप्त भाषण के दौरान पीएम मोदी को सपनों का सौदागर व शब्दों का बाजीगर करार दिया। इसी बीच भीड़ से एक शरारती तत्व ने लिखा कि अच्छा मोदी क्या शाहरुख खान हो गया जो वह बाजीगर है। राहुल गाँधी के मैदान में आते ही भीड़ के बीच से इंदिरा गाँधी अमर रहे, राजीव गाँधी अमर रहे का नारा लगाना शुरु कर दिया। मंच पर चढ़ते हुए राहुल ने तमाम नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं, मीडियाकर्मी व मैदान में आये सभी लोगों को नमस्कार करते हुए कहा कि *हागा ओन्डो मिसी को, सोबेन को जोहार और बिरसा मुंडा व सिद्धू कान्हू की जमीन पर आपके स्वागत के लिए आभार कहा*। यह सुनते ही टाटा मैदान में उपस्थित लोगों ने सीटियों व तालियों से उनका अभिवादन किया। राहुल गाँधी ने कहा हमारे देश के पीएम और हमारी पार्टी की सोच में फर्क है। हमारे देश के पीएम हिन्दुस्तान के सभी लोगों, महिलाओं, आदिवासियों की पूरी शक्ति अपने हाथों में लेना चाहते हैं। वे कहते हैं कि *मैं अकेला देश चलाऊँ, झारखंड चलाऊँ।* जबकि हमारी सोच बिल्कुल अलग है हम चाहते हैं कि झारखंड की जनता यहाँ का शासन चलाएँ, आप लोग यहाँ हुकूमत करें, महिला व आदिवासी चलाये, हम आपको शक्ति देना चाहते हैं, हम एक व्यक्ति नहीं प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में शक्ति देना चाहते हैं। फिर से राहुल भईया जिंदाबाद के नारे से मैदान गूंजने लगा। इसी बीच मनोहरपुर से आये मोहम्मद मलिक ने गर्मजोशी से कहा– शाबाश राहुल। पेशे से शिक्षक मलिक कुरैशी ने बताया कि अभी हिन्दुस्तान में सभी कौमों की फ्रिक कांग्रेस पार्टी को ही है। राहुल जी हमारे सबसे प्रिय नेता है, चायबासा सहित पूरे झारखंड की जम्हूरियत में उनका कद बहुत ऊँचा है।

राहुल ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री को कुछ मुट्ठी भर उद्योगपति का प्रधानमंत्री करार देते हुए कहा कि जब आपकी जमीन आपसे छिनेगी, माइन्स छिनेगा, पानी और जंगल छिनेगा तब आपको पता चलेगा कि वह कुछ उद्योगपति के प्रधानमंत्री हैं, ये तो आदिवासियों के पीएम हैं ही नहीं। हम इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आदिवासियों की एक इंच जमीन उद्योगपतियों को नहीं लेने देगी। राहुल पहली बार बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे थे। उनकी भाषा व भाषण बहुत सधे हुए थे। भीड़ में भाषण सुन रहे नशे में धुत एक व्यक्ति ने कहा ठीक कहा भाई साहब। अब तो इस लौन्डे को भी राजनीति आ गई...क्यों ना आये भला राजनीति तो इसके खूनवे में है। इधर राहुल ने अपने भाषण को बढ़ाते हुए कहा कि यह देश कोई बिजनेसमैन का नहीं है यह आदिवासियों, महिलाओं और गरीब गुरबों का देश है। हम बेरोजगारो को 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने के लिए मनरेगा लेकर आयें, भोजन का अधिकार दिया, आदिवासी बिल सुलभ कराया। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में रोजगार, जल

जंगल व जमीन का हक देने से आदिवासी मालिक बनेंगे तब झारखंड बदलेगा। तभी भीड़ में से किसी ने गुस्साते स्वर में कहा तुम क्या मालिक बनाओगे। हम आदिवासी हमेशा से मालिक थे मालिक हैं और रहेंगे। बहरहाल महिलाओं की ही भीड़ में हमने चाईबासा बड़ी बाजार की साठ वर्षीय शांति देवी से बातचीत किया उन्होंने कहा कि वह वर्षों पहले इसी मैदान में राजीव गाँधी का भाषण सुनने आई थी, आज किसी ने कहा कि राजीव का बेटा भाषण देने आया है इसलिए खुद को रोक नहीं पाई।

भाषण के अंतिम हिस्से में राहुल ने कहा कि हम आपको आपका अधिकार दिलाना चाहते हैं, अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो विधान सभा की सीटों की संख्या 81 से बढ़कर 140 हो जाएगी। बीपीएल परिवार को 35 किलो मुफ्त में चावल मिलेगा, सरना कोड को समाप्त किया जाएगा। 24 घंटे बिजली की उपलब्धता होगी। 5 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी, हर गाँव में पक्की सड़क होगी, हमारी सरकार आयेगी तो हम आपको झाड़ू नहीं लगवाएंगे...विकास करेंगे, हम सब मिलकर विकास करेंगे। इसके साथ ही साथ अपने स्थानीय उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील किए वगैर ही राहुल ने अपनी सभा समाप्त कर दी। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद राहुल गाँधी हेलीपेड की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी वे अचानक जनता की तरफ मुखातिब हुए। मंच के बाई तरफ सुरक्षित जोन डी एरिया से लोगों से हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी महिलाओं की जमा भीड़ की तरफ देखते हुए राहुल बेरीकेडिंग को पारकर उनके बीच गये। हालचाल पूछा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विदा हो गए।

हेमंत सोरेन की रैली

दिनांक 29.11.14, 2 बजे दोपहर में चाइबासा से करीब 14 किलोमीटर दूर झींकपानी स्थित माटा गुटु में हेमंत सोरेन की रैली को सुनने व इसके गाहे–बगाहे आदिवासी चेतना को नजदीक से समझने का मौका मिला। सड़क किनारे स्थित 'माटा गुटु' का मैदान' में लोगों की तादाद करीब 100 के आस–पास थी। मैदान में रैली से पहले पहुँचकर हमें अहसास ही नहीं हो रहा था कि यहाँ कोई रैली होने जा रहा है। इस लिहाज से हेमंत सोरेन की रैली निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी व राहुल गाँधी की रैली से अलग थी। धीरे–धीरे मैदान में लोगों की तादाद पढ़ने लगी, यहाँ भी रैली में अधिकांश पुरुष ही थे जिन्होंने अपनी परंपरागत वेश–भूषा धारण किया हुआ था। युवा व किशोर साधारण शर्ट के उपर पीले, काले व सफेद रंग की तौलियाँ लपेटे हुए थे जबकि नीचे साधारण पैंट व चमड़े का चप्पल धारण किये हुए थे। हेमंत सोरेन के मैदान में पहुँचने से पहले ही समर्थकों का रैला उनकी आगवानी करने निकल गया था। इसमें सबसे आगे ढोल–नगाड़े के साथ–साथ नाचते गाते कार्यकर्तताओं की टोली निकलती है, उनके हाथ में झामुमो का बड़ा–बड़ा बैनर था जिसमें शिबू सोरेन व पार्टी का चुनाव चिन्ह अंकित था।

हेमंत के मैदान में पहुँचने से पहले स्थानीय विधायक पद के उम्मीदवार बिरुआ ने अपने संक्षिप्त भाषण में 14 साल बनाम 14 माह के मुद्दों को उठाया। एवं इसी के आधार पर अपना वोट मांगा। बरुआ ने कहा– भाजपा ने चुनाव में ऐसा प्रत्याशी उतारा है जो 25–30 साल तक बड़े व महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं। वे चाहते तो जिला, शहर व गाँव के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। परंतु उस समय कुछ नहीं किया, अब अचानक सेवक बनकर आ गये हैं।

हेमंत सोरेन जैसे ही मंच पर पहुँचे लोगों ने तालियाँ बजाकर उनका स्वागत किया। अपने भाषण में हेमंत ने भाजपा को पूँजीपति व व्यापारियों की पार्टी करार दिया। उन्होंने पूर्व सीएम मधु कोड़ा पर भी करारा प्रहार किया।

हेमंत सोरेन एक तरफ अपना भाषण दे रहे थे दूसरी तरफ मैदान में आदिवासी नाचने–गाने–बजाने में लगे थे। इसी बीच अपने भाषण के दौरान हेमंत सोरेन ने प्रभावशाली तरीके से कहा कि हम ईचा बांध नहीं बनने देगें। क्योंकि इससे इस इलाके से आदिवासियों का भारी पलायन हुआ है। हम इस तरह से आदिवासियों को इस इलाके से भटकने नहीं देंगे। भाजपा की सरकार इस प्रकार के बांध बनाकर जो विनाश कर रही है उसके निर्माण को रोके। नहीं तो हम आदिवासी समाज उसका पुरजोर विरोध करेंगे। इसके बाद पूरा आदिवासी समाज तालियों से हेमंत के पुरजोर समर्थन में उतर आया। निश्चित तौर पर

यह नरेन्द्र मोदी के नदियों को जोड़ने के नारे से बिल्कुल अलग था। जिसे स्थानीय आदिवासी समाज समर्थन दे रहा था। इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने अपने भाषण को विराम दिया। और आदिवासियों के साथ नाचने गाने लगे।

तुलनात्मक अध्ययन

चायबासा में नरेंद्र मोदी, राहुल गाँधी व हेमंत सोरेन की रैलियों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन रूप से अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि राजनीतिक मानवशास्त्र के नजरिए से खचाखच भीड़, शोर–शराबा, आधुनिक तकनीक का प्रयोग व खूब अच्छा चाक–चौबंद नरेंद्र मोदी की रैली में देखने को मिला। यहाँ विशेष रुप से शहरी आबादी, युवक–युवतियों, महिलाओं व बच्चों की तादाद थी। महिलाएँ अमूमन लाल साड़ियाँ पहनकर आई थीं। जबकि कुछ लोग बहुत ही विशेष वेशभूषा में सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहे थे। इस प्रकार की व्यवस्थित प्रबंधन की कमी बाकि रैलियों में देखी जा सकती थी। हालांकि राहुल गाँधी की रैली में जुटे लोगों की तादाद इस बात का साफ अहसास दिला रही थी कि पार्टी सत्ता से बाहर है। राहुल जिस माईक का प्रयोग कर रहे थे उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी। हालांकि राहुल को सुनने उसके परंपरागत वोटर जरुर आये थे परंतु उनमें जोश व उत्साह की कमी साफ देखी जा सकती थी। इसी तरह से कम संख्या के बावजूद हेमंत सोरेन की रैली इस मायने में काफी रोचक व महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसमें आदिवासी परंपरागत शैली को विशेष तरजीह दी जा रही थी। हेमंत सोरेन के लिए झामुमो कार्यकर्ताओं व समर्थकों का समूह ढोल नगाड़े बजाते हुए सड़क पर खड़े थे। मैदान पर एक कोने में तासा बैंड बाजा बज रहा था। मंच के ठीक सामने युवाओं की एक गीत मंडली झारखंड अब राईज हैते हेमंत भईया हो...के गीत गा रहे थे। मैदान के बाहर हड़िया की दुकान पर स्थानीय आदिवासी लोगों का तांता लगा हुआ था। वे हड़िया पीकर हेमंत को सुनने की तैयारी में थे। यही नहीं हड़िया की दुकान के ठीक आस–पास जमीन पर चादर डालकर लोग मूंगफली (स्थानीय लोग चिनिया बादाम कहते हैं) बेच रहे थे। पास में ही गोल गप्पे का स्टॉल लगा हुआ था जहाँ विशेष रूप से आदिवासी महिलाओं का हुजूम उमड़ा हुआ था, औरतें गोल–गप्पा यानि घुपचुप का पानी पीने के लिए दुकानदार पर दबाव बना रही थी। इसके ठीक सामने एक पान की दुकान थी जहाँ लोग चायबासा की चुनावी रंग पर आपस में फुसफुसा रहे थे। पहली बार हमने किसी जनसभा में मुर्गा को बेचते हुए भी देखा था। यह सब (विशेष रुप से हड़िया व मुर्गा) झामुमो की रैली को अन्य दलों की रैली से अलग बना रही थी। हालांकि मोदी व राहुल की रैलियों में मैदान के कोने पर गोल–गप्पे, चाट–चाउमिन व पान–मसाले की रेहड़ी लगी हुई थी परंतु वह हड़िया, मूंगफली व मुर्गा की दुकान तो झामुमो की जनसभा में ही देखने को मिली। जहाँ तक स्थानीय मुद्दों की बात है तो यह भी बहुत खास बात है कि जहाँ मोदी ने अपनी सभाओं में नदियों को जोड़ने, सिंचाई करने, विदेश की अपनी यात्राओं के अनुभव को साझा किया, वहीं इन सबके अलग हेमंत अपनी सभाओं में स्थानीय ईचा बांध से प्रभावित पंचायतों की समस्याओं को रेखांकित कर रहे थे। और इसी आधार पर वे अपनी सभा में ईचा बांध का विरोध भी कर रहे थे। महत्वपूर्ण है कि दोनों ही नेताओं के बीच मुद्दों के संबंध में एक विरोधाभास भी देखा जा सकता है। मोदी चूँकि राष्ट्रीय कद के नेता हैं इसलिए वे मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे थे वहीं इसके ठीक विपरीत हेमंत स्थानीय आदिवासी समाज की नब्ज को पकड़ते हुए बड़े–बड़े बांधों व परियोजनाओं का विरोध कर रहे थे। नरेंद्र मोदी, राहुल गाँधी व हेमंत सोरेन की राजनीतिक रैलियों को सुनने पहुँचे स्थानीय पत्रकार दिलीप बनर्जी ने कहा– मोदी जी की सभा की भाषा व जुबान हेलीकॉपटरीय थी, राहुल की अपनी कोई सवारी नहीं थी वह बस मोदी जी की रैली को ही छोड़ रहे थे जबकि हेमंत की सभा यहाँ के स्थानीय लोगों के मूड के हिसाब से थी। वे यहाँ की स्थानीय समस्या को भलीभांति समझते थे, शायद इसलिए उनकी सभा में कम भीड़ के बावजूद लोगों का जो उत्साह था व मोदी व राहुल की रैली से कमतर नहीं था।

समग्र रुप से यह देखा जा सकता है कि चुनावी राजनीति व रैलियों को एक अलग तरीके अर्थात् नृजातीय प्रविधि के आधार पर देखा जा सकता है। इससे चुनावी राजनीति के अब तक हुए शोध पद्धति व तकनीक का सबलीकरण, गहनीकरण हुआ है। वह अधिक से अधिक समावेशी हुई है। यही कारण है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा हाल में हुए शोध EECURI Project द्वारा आँकड़े नहीं अहसास के नारों के साथ लोकतांत्रिक चुनावी पद्धति का पूर्ण रुप से अहसास करने की कोशिश की जाएगी।

संदर्भ सूची

मुकुलिका बनर्जी (2007), सैक्रेड इलेक्शंस, इकोनॉमिक ऐंड पॉलिटिकल वीकली, 42 (17) 1556–62।

..... (2008), 'डेमोक्रेसी, सेक्रेड ऐन्ड एवरीडे एन एथनोग्राफी केस फ्रॉम इंडिया', संगृही है, जुलिया पाले (संपा.), डेमोक्रेसी ऐन्थ्रोपॉलाजिकल पर्सपेक्टिव्स, सांता फी स्कूल फॉर एडवांस रिसर्च प्रेस।

..... (2011), 'इलेक्शन्स एज कम्युनिटाज', सोशल रिसर्च, 78 (1):75–98.

..... (2014), व्हाई इंडिया वोट्स, रटलेज टेलर ऐंड फ्रांसिस ग्रुप, लंदन न्यूयार्क न्यू दिल्ली।

एम. मिशेलुटी (2008), द वर्नाक्युलराईजेशन ऑफ डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स, कॉस्ट ऐंड रिलीजन इन इण्डिया, रोटलेज, नई दिल्ली.

एम.एन श्रीनिवास (संपा.), कास्ट इन मार्डन इंडिया ऐंड अदर एंसेज़, मीडिया प्रोमोटर्स ऐंड पब्लिशर्स, मुंबई।

..... (1975), विलेज स्टडीज, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ऐंड सोशल रिसर्च इन इंडिया, इकोनॉमिक ऐंड पॉलिटिकल वीकली ऑफ इंडिया, 10 (33–35)।

ज्यॉर्ज ई. मार्कस (1986), कंटेम्परेरी प्रॉब्लम्ज ऑफ एथ्नॉग्राफी इन द मार्डन वर्ल्ड सिस्टम, क्लिफर्ड जेम्स तथा जॉर्ज ई. मार्कस (संपा.), राइटिंग कल्चर द पॉएटिक्स ऑफ एथ्नॉग्राफी, युनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस, कैलिफोर्नियां

.....(1998), एथ्नॉग्राफी थ्रू थिंक ऐंड थिन, प्रिंसटन युनिवर्सिटी प्रेस, न्यु जर्सी.

पंकज कमार झा (2014), झारखंड विधान सभा चुनाव 2014, भूताहा गाँव, चायबासा (अप्रकाशित रिपोर्ट).

.....(2015), रैलियों का राजनीतिशास्त्र, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, 24 अक्टूबर.

सतेंद्र कुमार (2012), 'एथ्नॉग्राफी ऑफ यूथ पॉलिटिक्स लीडर्स, ब्रोकर्स ऐंड मौरैलिटी इन अ प्रोविंशियल युनिवर्सिटी, नॉर्थ इण्डिया', हिस्ट्री ऐंड सोशियोलॉजी ऑफ साउथ एशिया 6 (1)

राजनीतिक अध्ययन में एथ्नॉग्राफी की भूमिका, प्रतिमान, दिल्लीं।

❑❑❑

समकालीन विश्व में राष्ट्रवाद

*डॉ. अभय प्रसाद सिंह

उत्तर–ओबामा और उत्तर ब्रेग्जीट राजनीतिक कथानक मूलतः वैश्विकवाद और राष्ट्रवाद संबंधी दर्शन के विमर्शात्मक द्वंद्व का अभिव्यक्तीकरण है जिसने ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, फ्रांस, नीदरलैंड, रूस, टर्की, भारत ओर इजरायल को भी प्रभावित किया है। ब्रेग्जीटवाद और ट्रंपवाद वैश्वीकरण के प्रतिपेक्ष का द्योतक तो है ही, साथ ही राष्ट्रवाद के पुनरूद्भव का परिचायक भी। संजाजीय–धार्मिक राष्ट्रवाद का यह संस्करण वैश्विकवाद के पैरोकारों को तत्वमीमांसात्मक चुनौती देता प्रतीत होता है। इस राष्ट्रवाद बनाम वैश्विकवाद के कथानक ने जिस प्रकार ब्रिटेन, अमेरिका और अन्य राष्ट्र–राज्यों में एक गहरा राजनीतिक विभाजन पैदा किया है उससे ऐसा लगता है कि अंततः राष्ट्रवाद और वैश्विकवाद में से एक पक्ष जीतेगा और दूसरा परास्त होगा।

यह शोध आलेख मूलतः समकालीन राष्ट्रवाद संबंधित पाश्चात्य एवं भारतीय तत्वमीमांसा का विमर्श मूल्यांकन है तथा एक अन्वेषण है कि वैश्विकवादी राष्ट्र–राज्य में, खासकर भारत जैसे बहु–सामुदायिक राष्ट्र में, राष्ट्रवाद का राजनीतिक प्रारूप कैसा हो।

1. राष्ट्रवाद का पाश्चात्य दर्शन

राष्ट्रवाद के उद्भव एवं प्रसार से संबंधित पाश्चात्य दर्शन या जो आदिकालिक है या आधुनिक यथार्थवादी एंथनी स्मिथ जैसे विद्वान अपने संजातीय (ethnic) राष्ट्रवाद विमर्श में संजातीय–प्रतीकवाद का प्रयोग करते हैं। साथ ही, हैस्टिंग्स का तर्क है कि वास्तविक संजातीय–सांस्कृतिक राष्ट्र प्राक्–आधुनिक काल में दीर्घ काल से मौजूद थे।

आधुनिक यर्थावादियों में गेलनर, हॉब्सबॉम आदि की आवधारणा थी कि राष्ट्र, वास्तविक लेकिन विशिष्टतया आधुनिक निर्मितियां ही हैं, तथा इन्हें पूंजीवाद के उद्भव के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। गेलनर ने राष्ट्रवाद के उद्भव को "औद्योगिक समाज" की जरूरत के रूप में व्याख्यापित किया है। उनके अनुसार, राष्ट्रवाद आत्म–'चेतना का राष्ट्रीय जागरण नहीं है, बल्कि राष्ट्रवाद राष्ट्र की खोज वहां भी कर लेता है जहां उसका अस्तित्व न हो। दूसरी ओर एंडरसन राष्ट्रवाद को एक "कल्पित समुदाय" के रूप में विमर्शित करते हैं तथा इसमें (Print-Capitalism) की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं।

पाश्चात्य दर्शन में शास्त्रीय एवं उदारवादी राष्ट्रवाद पर व्यापक विमर्श है। इस बहस के मूल में राष्ट्रवाद दर्शन की नैतिक वैधता का विमर्श विश्लेषण है। उदाहरण के तौर पर उन राज्यहीन राष्ट्रीय समूहों के लिए, जो तानाशाही के शिकार हों (जैसे–यहूदी, सीरियाई), अपने राष्ट्र–राज्य का अस्तित्व जरूरी है। कई बार राष्ट्रवादी अपेक्षाएं व्यक्तियों की स्वायत्ता को बाधित करती हैं। कभी–कभार संजातीय–राष्ट्रीय समुदाय के अंदर की विविधिता के समरूपण का भी खतरा होता है। इसके विपरीत, भारत, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे राष्ट्र राज्यों में सदियों से विविध पृष्ठभूमि के संजातीय नागरिक समरसता एवं सौहार्द के साथ जीवन यापन करते है।

समकालीन पाश्चात्य दार्शनिकों में राष्ट्रवाद के पक्ष में मूलतः दो तरह के दार्शनिक तर्क हैं। गहन समुदायवादी परिप्रेक्ष्य उस राजनीतिक प्रारूप की वैधता की संस्तुति करता है। जिसमें व्यक्ति के

* सहायक प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग पी. जी. डी. ए. वी. कालेज, दिल्ली

पहचान–संबंधित गैर–विवादस्पद हित के लिए राजनीतिक समुदाय का होना आवश्यक है। संजातीय–सांस्कृतिक राष्ट्र ही वह राजनीतिक समाज है जिसमें ऐसे व्यक्ति की पहचान की सुरक्षा एवं संवर्धन संभव है।

दूसरा तर्क है कि ऐसे समुदाय की पहचान एवं सहयोग देने के लिए ऐसे उन्हें राष्ट्र–राज्य का रूप इख्तियार करना होगा।

उदारवादी राष्ट्रवादियों का निष्कर्ष है कि संजातीय राष्ट्रीय समुदाय को राज्य का अधिकार है तथा ऐसे राज्य के नागरिकों को अपने संजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने का अधिकार है। इस प्रकार समुदायवादी, अपने मूल चिंतन में संजातीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपराओं के परिरक्षण की पैरोकारी करते हैं।

इसके विपरीत सार्वदेशिकवादी सिद्धांतकारों के लिए मूल नैतिक जवाबदेही सभी लोगों के लिए है तथा उनके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था सार्वभौमिक नैतिक जवाबदेही को स्वीकार करे। पाश्चात्य दर्शन में ऐसे विद्वान अपने तर्क को वैश्विक न्याय की अवधारणा के रूप में प्रस्तावित करते हैं।

राष्ट्रवाद और सार्वदेशिकवाद के बीच बहस में बी. बारबर और चार्ल्स टेलर जैसे विद्वान सार्वदेशिकवाद एवं राष्ट्रवाद के संश्लेषण सिद्धांत की वकालत करते हैं। टेलर के अनुसार, हमारे समक्ष सार्वदेशिक के साथ–साथ राष्ट्र–भक्त होने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है।

2. राष्ट्रवादः एकजुटता एवं न्याय की विचारधारा

समकालीन पाश्वचात्य विमर्श में समुदाय की गहन जरूरत और सामाजिक एकजुटता को प्राथमिकता दी गई है। तत्वमीमांसा–संबंधी इस बहस में राष्ट्रवाद के तात्विक मूल्य की महत्ता पर जोर दिया गया है। इस विमर्श में किसी व्यक्ति का समुदाय नैतिक रूप से बुने हुए अभिकरणों की संरचना का रूप लेता है जिसमें भाषा, परंपरा को संरक्षित एवं संवर्धित करने की जबावदेही होती है। चूंकि किसी समुदाय में ही एक व्यक्ति अवधारणा एवं अर्थ–ग्रहण करता है जिससे वह समुदाय के सामान्य सांस्कृतिक जीवन को समझ सके तथा वह अपने जीवन को भी, इसलिए संजातीय राष्ट्रीय समुदाय महत्वपूर्ण है।

नील्सन (1993) और मैकीन्टायर (1984) जैसे विद्वानों ने किसी व्यक्ति की राष्ट्रीय पहचान के निर्धारण में प्रकृति की बजाय पोषण को महत्व दिया है। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की पहचान सामुदायिक जीवन में उसकी सहभागिता से होती है। हम कौन हैं इसका ज्ञान हमें उस सामाजिक संदर्भ से होती है जिसमें हम परिपक्व (पलते–बढ़ते) होते हैं। नील्सन के अनुसार, राष्ट्रीय चेतना का ग्रहण एवं पोषण उसी राष्ट्र–राज्य में संभव है जिसकी अपनी साझी राष्ट्रीय चेतना है।

इसाइया बर्लिन (1976) एवं किमलिका और पैटन (2003) जैसे विद्वान विविधतावादी राष्ट्रवाद के पक्ष में तर्क देते हैं। संस्कृतियों से बने राष्ट्र में प्रत्येक अंतनिर्हित संस्कृति का अपना मूल्य एवं महत्व है इनके साझे बहुलवादी राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से समझा जा सकता है।

राष्ट्रवाद के तात्विक मूल्य का तर्क एवं राष्ट्रवाद का विविधतामूलक तत्व बहुलता की महत्ता को राष्ट्रीय संदर्भ में प्रस्तुत करता है। दूसरी ओर, समृद्धि, पोषण उन्मुखी पहचान एवं नैतिक मूल्य परक तर्क, जो गहन समुदायवादी दृष्टिकोण की उपज है, सामुदायिक जीवन को व्यक्ति के संदर्भ में महत्व देता है।

डेविड मिलर (2013) किसी समाज में बहुसांस्कृतिक विविधता के महत्व को स्वीकार करते हैं लेकिन वे एक सर्वसमावेशी राष्ट्रीय पहचान पर बल देते हैं। वे ब्रिटिश राष्ट्रीय पहचान का उदाहरण देते हुए कहते है कि किस बखूबी से वहां स्कॉटिश, इंग्लिश वेल्स एवं अन्य संजातीय पहचानों का समावेशन हुआ है। मिलर के अनुसार, इस प्रकार सर्वसमावेशी राष्ट्रीय पहचान सामाजिक एकजुटता के लिए अवश्यंभावी है, जो महज संविधानिक राष्ट्रभक्ति से संभव नहीं है।

पाश्चात्य विद्वानों ने राष्ट्रवाद विमर्श में न्याय की अवधारणा को अपने तर्क के केंद्र में रखा है। साझा आत्म–निर्णयन, अतीत के अन्याय का प्रतिकार एवं हितों का समान व न्यायपूर्ण वितरण जैसे

सरोकर इन विद्वानों के लिए केंद्रीय महत्व के प्रश्न हैं। गहन समुदायवादियों के विपरीत उदारवादी चिंतक राष्ट्र के सदस्यों की इच्छा से उद्भूत राष्ट्रीय दावों को वैधता प्रदान करते हैं।

बुचानन (1991), वाल्ड्रन (1992) एवं कुकाथा और पूल (2000) जैसे विद्वानों ने उदारवादी विचार बिंदु से प्रतिकारात्मक अधिकार की बात की है। इस तर्क को आगे बढ़ाते हुए विल कीमलीका (2003) ने कहा है कि उदारवादी तटस्थता सिद्धांत की यह जरूरत है कि बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक समुदायों को आधारभूत सांस्कृतिक हित मुहैया कराए अर्थात् उसे अंतरात्मक अधिकार दे। उनके अनुसार, संस्थागत सुरक्षा और अल्पसंख्क समूहों को अपनी संस्थागत–संरचना का अधिकार देकर उन्हें वह उपचार प्रदान करता है जो समानता स्थापित कर राष्ट्र–राज्य को ज्यादा उदार एवं बहुसांस्कृतिक बना देता है। दूसरी ओर डेविड मिलर का तर्क है कि संजातीय राष्ट्रीय एकजुटता एक शाक्तिशाली अभिप्रेरण है जिससे हितों का कारगर एवं समतावादी वितरण संभव है।

3. राष्ट्र–राज्य का वैश्वीकरण

वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने राष्ट्र–राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं को एकीकरण किया है। इसके परिणामस्वरूप आप्रवासियों एवं अल्पसंख्यकों की पहचान एवं हित का मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने नागरिकता की भू–क्षेत्रियता एवं राष्ट्र–राज्य की संप्रभुता चुनौती प्रस्तुत की है। सोवियत संघ क विखंडन, यूरोपीय युनियन का गठन एवं ब्रेग्जिट का निर्णय राष्ट्र–राज्य–उन्मुखी राष्ट्रवाद के जटिल पक्षों को उजागर करता है।

पाश्चात्य विमर्श में इस संदर्भ में दो सैद्धांतिक विचार चर्चा का पहला केंद्रीय प्रश्न है कि राष्ट्र–राज्य की बजाय परा–राष्ट्रीय निकाय (यूरोपीय यूनियन जैसा) होना चाहिए तथा सार्वभौमिक मानवीय हितों को प्रधानता दी जानी चाहिए। इसके इतर दूसरा प्रश्न यह है कि किस तरह से उपलब्ध राष्ट्र–राज्यों को अधिकारिक रूप से समायोजित किया जाए ताकि सभी सामुदायिक समूहों के हितों की रक्षा की जा सके।

थोमस पोगी (2001) और जोसफ कॉरेन्स (2013) वैश्विक न्याय एवं खुली सीमाओं की बात करते हैं। पोगी के अनुसार, समकालीन वैश्वीकरण ने गरीबों के साथ अन्याय किया है इसलिए न्याय की पुनःस्थापना के लिए गरीबों में हितों का पुनर्वितरण हो। इसके विपरीत जोसफ कारेन्स अर्थव्यवस्थाओं के बीच सीमाओं को खत्म करने की वकालत करते हैं। इन विद्वानों की नजर में शरणार्थियों को कहीं भी आने–जाने और बसने का अधिकार होना चाहिए।

इस विमर्श के दूसरे सिरे पर जॉन रॉल्स (1999) और डेविड मिलर (2013) हैं। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक Law of Peoples (1999) में एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की वकालत की है जो उदारवादी और भद्र राष्ट्र–राज्यों से गठित होगी। रॉल्स के अनुसार, प्रत्येक राष्ट्र–राज्य ऐसे राष्ट्र–जनों (Peoples) का सांस्कृतिक समरूप होगा जिसके सदस्य सह–नागरिक होने के साथ एकजुटता का भाव रखेंगे। डेविड मिलर इस दिशा में विकसित राष्ट्रों को जरूरतमंद राष्ट्रों के विकासात्मक लक्ष्य की उपलब्धियों के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद के कुछ हिस्से के योगदान की वकालत करते हैं।

डेविड मिलर (2013 : 182) थॉमस क्रिश्चियानी (2012) मध्यम मार्ग की बात करते हैं। उनके अनुसार, लाभार्थी एवं लाभोन्मुखी राज्यों के बीच वार्ता एवं अंतरराष्ट्रीय विधि की व्यवस्था से बहु–राष्ट्रीय संस्कृतियाँ लाभान्वित होंगी। क्रिश्चियानों के अनुसार, गरीब मुल्कों से श्रमिक अमीर मुल्कों में रोजगार के लिए अस्थायी प्रवास करें और फिर अपने मुल्क में लौटकर विकास को प्रोत्साहित करें। क्रिश्चीयनों का यह तर्क आज ज्यादा प्रासंगिक है क्योंकि ट्रंप द्वारा मेक्सिको से आप्रवासियों को अमेरिका आने से रोकने के लिए दोनों मुल्कों की सीमा पर दीवार बनाने से कम व्ययकारी होगा आप्रवासियों को अस्थायी रोजगार देना।

4. राष्ट्रवाद का भारतीय दर्शन : गांधी एवं टैगोर

गांधी अंगभूत राष्ट्रवाद के विरुद्ध थे। उनके अनुसार, सशस्त्र राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद है जो

फासीवाद के रूप में अभिव्यक्ति होता है। आशीष नंदी ने गांधी की राष्ट्रवादी अवधारणा की गहन व्याख्या प्रस्तुत करते हुए कहा कि गांधी राष्ट्रवाद को न्याय और समानता के अपने सार्वभौमिक संघर्ष के रूप में परिभाषित करने को उत्सुक थे और उन्होंने यह स्पष्ट कहा था कि सशस्त्र राष्ट्रवाद का दूसरा नाम साम्राज्यवाद है और उनके लिए वह अभिशाप है।

गांधी का राष्ट्रवाद भारत को राष्ट्रीय संसक्तता प्रदान करने का प्रयास था। यह राष्ट्रीय संसक्तता उन्होंने समकालीन राजनीतिक संस्कृति को रूपांतरित कर तथा "उचित साधन" को सांविधानिक प्रजातंत्र की पूर्व शर्त के रूप में स्थापित करके की थी। गांधी ने इस दिशा में भारतीय गांव को राजनीतिक परिकल्पना एवं राजनीति के केंद्र में स्थापित किया। आशीष नंदी के अनुसार, गांधी की सोच में गांव भारतीय सभ्यता की मूलभूत इकाई था, और उनके भारत के भविष्य की कल्पना गांव के इर्द–गिर्द ही थी।

गांधी का ग्राम स्वराज, खादी और चर्खा राष्ट्रीय संसक्तता की दिशा में उनके राजनीतिक–अर्थशास्त्रीय दर्शन की अभिव्यक्ति है। गांधी नीतिशास्त्र (नैतिकता का दर्शन) और धर्म के पृथक्करण के विरुद्ध थे। उन्होंने सेवा धर्म को ही अपना धर्म माना क्योंकि सत्य और ईश्वर की प्राप्ति सेवा से ही संभव है।

गांधी के धर्म–बहुल भारत में नैतिकता और धर्म को नेहरू की धर्मनिरपेक्षता की समझ से नहीं समझा जा सकता। गांधी के लिए भारतीयता की पहचान एक अहिंसात्मक एवं नैतिक समुदाय से बना स्वराज्य था जो मशीनी और निर्दयी आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता से स्वाधीन है। हमारे गांधी और वैश्विक गांधी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के पैरोकार हैं। इसलिए तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, आंग सान सू की, एडोल्फो पेरेज एस्कीवेल जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता अपने जीवन पर गांधी के दर्शन के प्रभाव को स्वीकारते हैं। गांधी के राष्ट्रवाद में लघु जन संस्कृतियाँ महत्वपूर्ण है। गांधी का राष्ट्रवाद सभी जातियों संजातियों, भाषाओं, धर्मों एवं अस्मिताओं से बने समुदाओं के प्रतिसम्मान और सहअस्तित्व पर आधारित है।

5. टैगोर का राष्ट्रवादी परिप्रेक्ष्य

टैगोर के अनुसार राष्ट्र को लोगों के राजनीतिक एवं आर्थिक एकजुटता के संबंधों में समझा जाता है और यह एक ऐसा पहलू है जिसमें पूरी आबादी एक यांत्रिक उद्देश्य में जुड़ जाती है।

टैगोर का तर्क है कि आधुनिक राष्ट्र के पास नियामक शक्तियाँ हैं जिसे वह यांत्रिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयुक्त करती है, टैगोर की मान्यता है कि यह आधुनिक राष्ट्र–राज्य आक्रामक और प्रतिस्पर्धी है जो विविधता में ह्रास लाता है। इसलिए यह आंतरिक और बाह्य अभिविन्यास में उस स्वतंत्रता का प्रतिवाद है जो जीवंत जगत में साहित्य, कला, सामाजिक अनुष्ठानों एवं प्रतीकों में अभिव्यक्त होता है।

टैगोर के लिए यह तो हमारी राष्ट्रवाद की सनक है जो हमें राष्ट्र उत्सव से जोड़ देता है। इसके बावजूद, 'जो हम व्यवहार में देखते हैं, कि प्रत्येक राष्ट्र जिसने भौतिक समृद्धि हासिल की है वह उसे वाणिज्यिक चालाकी या औपनिवेशीकरण या दोनों की आक्रामक स्वार्थपरकता से प्राप्त हुई है।

राष्ट्रवाद बनाम देशभक्ति पर टैगोर का परिप्रेक्ष्य भारत के सांस्कृतिक एकता की अवधारणा से व्युत्पन्न है। टैगोर स्वीकार करते हैं कि वेद, उपनिषद, भगवद गीता जैसे दार्शनिक ग्रंथ भारतीय संस्कृति के मूल में हैं लेकिन वे भारतीय एकता की आत्मा नहीं हैं। उन्नीसवीं सदी के प्रमुख चिंतकों यथा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, अरबिंद से राष्ट्र–मीमांसा की तुलना में टैगोर की राष्ट्रमीमांसा पृथक् है।

टैगोर कबीर के समन्वयवाद, रामानुज, रामदास, नानक और चैतन्य के भक्तिवाद आदि को भारतीय सभ्यता के एकीकरण में ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। टैगोर ने राष्ट्र को राष्ट्र–राज्य और समाज में वर्गीकृत किया है। उनके अनुसार राष्ट्र राज्य अपने भू–क्षेत्रीयता, यांत्रिक नौकरशाही और राजनीति पर आलंबित है जबकि समाज निःस्वार्थ व सृजनात्मक सामाजिक जन की सहजीविता पर आधारित है। इसीलिए टैगोर

राष्ट्र–विचारधारा को 'स्वदेशी समाज' की विचारधारा से प्रतिस्थापित करते हैं। टैगोर का स्वदेशी समाज प्यार व सहयोग के ताने–बाने से बुना है।

रवींद्रनाथ के लिए भारत की परंपरा 'प्रजातियों के आपसी समायोजन' के लिए सक्रिय रहती है और प्रजातियों के बीच वास्तविक अंतर को स्वीकार करते हुए एकता का आधार तलाश करती है।

6. टैगोर एवं गांधी : राष्ट्रवाद पर विमर्श

जहाँ गांधी ने पाश्चात्य सभ्यता एवं सशस्त्र राष्ट्रवाद की तीखी आलोचना की, वहीं टैगोर ने भारतीय सभ्यता के समन्वयकारी तत्वों की महत्ता का उद्धृत किया। गांधी और टैगोर समकालीन जगत में पूर्व बनाम वर्तमान की बहस की अलग–अलग व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। भारत में शास्त्रीय परंपरा के दायरे में लोक संस्कृति का रवींद्रनाथ जैसा सृजनशील इस्तेमाल बहुत कम लोग कर पाए हैं। दूसरी तरफ गैर–शास्त्रीय दायरे में शास्त्रीय चिंतन का गांधी जैसा प्रभावी इस्तेमाल किसी ने नहीं किया। आधुनिकतावादी होने के बावजूद रवींद्रनाथ के लिए आधुनिक दुनिया का महत्व कम होता चला गया। उधर प्रति–आधुनिक होने के बावजूद गांधी आधुनिकतावदियो की निगाह में आधुनिकता के ऐसे प्रमुख आलोचक बनकर उभरे जो परंपरा के पक्ष में खड़ा होकर उत्तर–आधुनिकता को प्रोत्साहन देता लगता था।

एक क्षेत्र ऐसा भी था जहाँ रवींद्रनाथ और गांधी के चिंतन परस्परव्यायी होकर विचारधारात्मक रूप से एक–दूसरे को मजबूती देते थे। दोनों को लगता था कि सांस्कृतिक रूप से टिके रहने के लिए भारत को एक 'राष्ट्रीय विचारधारा' की जरूरत है। इसी जरूरत के तहत उन्होंने मान्यता बनाई थी कि भारत को या तो पश्चिमी राष्ट्रवाद की अवधारणा से अपना पिंड छुड़ाना होगा या फिर उसे इस अवधारणा में एकदम नई सारवस्तु का समावेश करना होगा।

गांधी और टैगोर विषाक्त, आक्रामक और हिंसात्मक राष्ट्रवाद के विरुद्ध थे। नंदी के अनुसार, बीसवीं सदी में भारत के दो प्रमुख नायकों गांधी और टैगोर ने उत्तर–औपनिवेशक भारत की ओर देखा और साथ ही उत्तर–राष्ट्रवादी भारत की ओर भी।

7. राष्ट्रों एवं सभ्यताओं के टकराव की राज्यव्यवस्था

हमने इसी 21वीं सदी के दूसरे दशक में सांविधानिक प्रजातंत्र की स्थापना के लिए "अरब लोकतांत्रिक क्रांति" 'अरब स्प्रिंग्स' जैसा शांतिपूर्ण आंदोलन भी देखा है। इसका स्याह पक्ष हमने वैश्विक आतंकवाद के अलकायदा, आई.एस.आई., और बोको हरम के पाशविक स्वरूप में भी देखा है। मोसुल, अलेप्पो और अल्जीरिया में रूसी, अमेरिका और नॉटो सेनाएँ कंट्टरपंथी आतंकवादी संगठनों से युद्धरत हैं।

भारत के पड़ोसी मुल्कों में भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सैन्य और हिंसा का शासन है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और म्यांमार अब तक भी समावेशी संविधानवादी एवं प्रजातांत्रिक राष्ट्र–राज्य बनने में असफल रहे हैं।

8. निष्कर्ष : राष्ट्रवाद का उत्तर–सत्य

भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक राष्ट्र है। इस राष्ट्र का सांस्कृतिक व सभ्यतायी मूल कालानुक्रम में उत्तरोत्तर सबल हुआ है। इसकी इतिहास–यात्रा नदी, घाटी और साम्राज्य से शुरू होकर राष्ट्रभाव और विज्ञान के उत्कर्ष की ओर अग्रसर है। विविध समुदाय के एकल सांस्कृतिक मूल में भारतीय सांस्कृतिक दर्शन एवं संस्थाओं की ऊर्जा है जो वेदों, उपवेदों, पुराणों, स्मृतियों एवं मठ, धाम, पीठ, आश्रम, महाकुंभ आदि द्वारा अभिव्यक्त है। शंकर का ज्ञानमीमांसा, रामानुज, मीरा बाई और चैतन्य की भक्ति–मीमांसा, गांधी एवं टैगोर की सभ्यता–मीमांसा और अंबेडकर की न्याय–मीमांसा भारतीय राष्ट्रवाद के वैश्विक दृष्टि की परिचायक है। भारतीय राष्ट्र पाश्चात्य राष्ट्र–राज्य से भिन्न है, क्योंकि इसके मूल में दर्शन, नैतिकता, संस्कृति एवं समन्वय के आधार स्तंभ हैं।

संदर्भ

Berlin, I.J., 1976, Vico and Herder, Oxford : Clarendon Press.

Buchanan, A., 1991, Secession : The Morality of Political Divorce from Fort Sumter to Lithuania and Quebec, Boulder : Westview Press.

Carens, J., 2013, The Ethics of Emigration, Oxford : Oxford University Press.

Cohen, J.(ed.), 1996, For Love of Country : Debating the Limits of Patriotism, Boston : Beacon Press.

Gandhi, M., K., 1957, An Autobiography : The Story of My Experiments with Truth, Boston : Beacon Press.

Gupta, K.S., 2005, The Philosophy of Rabindranath Tagore, Aldershot : Ashgate.

Kukatha, C., and R. Poole (eds.), 2000, Australian Journal of Philosophy (Special Issue on Indigenous Rights), Volume 78.

Kymllicka, Will and A. Pattern (eds.), 2004, Language Rights and Political Theory, Oxford : Oxford University Press.

Kymllilcka, Will, 2003, 'Liberal Theories of Multiculturalism.' in L.H. Meyer, S.L. Paulson, and T.W. Pogge (eds.), Rights, Culture and the Law, Oxford : Oxford University Press.

MacIntyre, Alasdir, 1984, Is Patriotism a Virtue? (The Lindley Lecture), Lawrence : University of Kansas. Reprinted in Primoratz (ed.), 2002.

Miller, D., 2013, Justice for Earthlings : Essays in Political Philosophy, cambridge : Cambridge University Press.

_____ 1995, On Nationality, Oxford : Oxford University Press.

Nandy, A., 2010, Ashis Nandy Reader, Shanghai : West Heavens Project and Nanfang : Nanfang Daily Press.

Neilson, K., 1993, 'Liberal Nationalism : LIberal Democracies and Secession' University of Toranto Law Journal, 48(2) : 253-295.

Pogge, T, 2001, 'Rawls on International Justice', The Philosophical Quarterly, 51(213) : 264-53.

Rawls, J., 1999, The Law of Peoples, Cambridge, M.A : Harvard University.

Tagore, R., 1991, Nationalism, London : Papermac (Quoted in L.P. Thompson's Introduction to Rabindranath Tagore).

Taylor, C. 1993, Reconciling the Solitudes : Essays on Canadian Federalism and Nationalism, Montreal and London : McGill-Queen's University Press.

Waldron, J., 1992, Superseding Historic Injustice', Ethics, 103(1) : 4-28.

❑❑❑

भारत–अमेरिका संबंध : 21वीं सदी में उभरते आयाम एवं चुनौतियाँ

*गौरव कुमार शर्मा

भारत एवं अमेरिका के संबंध ऐसे दो राष्ट्रों के मध्य संबंधों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें एक क्षेत्रीय शक्ति है तो दूसरी वैश्विक शक्ति है। दोनों में कुछ समानताएँ एवं भिन्नताएँ हैं। समानता के रूप में यह कहा जा सकता है कि दोनों ही जनतांत्रिक देश हैं जिसमें बहुलवादी समाज है तथा औपनिवेशिक शक्तियों से स्वतंत्रता प्राप्त की है जिसमें अमेरिका 1776 में आजाद हो गया था तथा भारत 1947 में।

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संसार में दो महाशक्तियों ने शीत युद्ध को जन्म दिया और विश्व को दो शक्ति गुटों में विभाजित कर दिया। उसी समय भारत ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्र होकर एक नवोदित राष्ट्र के रूप में उभरकर क्षितिज पर प्रकाशमान हुआ। भारत ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शक्ति गुटों की राजनीति से पृथक रहकर गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनानें का निर्णय लिया। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की समय–समय पर कड़ी परीक्षा होती रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजबेल्ट ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करके दक्षिण एशिया की तरफ एक पहल की। उससे पूर्व अमेरिका दक्षिण एशिया के बारे में कोई नीति नहीं रखता था। सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो भारत और अमेरिका दोनों ही बहुलवादी समाज है। दोनों ही देशों में जनता को धर्म एवं अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता दोनों गणराज्यों का आधार स्तंभ है।[1]

भारत और अमेरिका जो कि विश्व के दो बड़े लोकतंत्र है, इनमें अभी तक सहयोग के बजाय विरोध अधिक पाया गया है। दोनों देशों के संबंधों की राजनैतिक एवं रणनैतिक समझ को मुख्य रूप से आर्थिक हितों के टकराव और विरोध की नजर से देखा गया है। आश्चर्यजनक रूप से पिछले पाँच दशकों में दोनों के संबंधों में विरोध एवं सहयोग समानांतर चला आ रहा है। आर्थिक क्षेत्र में दोनों देशों में वृद्धि देखी गई है। अमेरिका ने सदैव भारत की रणनीति को अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया है।[2]

प्रत्येक मौके पर दोनों देशों ने अपने लाभ–हानि का आंकलन करके उसी को मुख्य लक्ष्य रखा है। ऐसा मुख्य रूप से अमेरिका ने किया है। यह अवधारणा दोनों के रिश्तों में दाता और प्राप्तकर्ता के रूप में प्रत्यक्ष रूप से नजर आती थी। हालांकि भारत और अमेरिका दोनों को एक–दूसरे से आपस में प्रत्यक्ष रूप से कोई भी परेशानी महसूस नहीं हुई। दोनों ही देश एक ऐसे खेल में बंध गए जो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें।[3]

प्रारंभ से ही भारत के मामले में अमेरिका ने पाकिस्तान को वरीयता दी तथा 1970 के दशक के बाद से अमेरिका–पाकिस्तान–चीन गठजोड़ मजबूत बना। भारत द्वारा इस गठजोड़ के विरुद्ध सोवियत रूस से शांति संधि करने के बाद अमेरिका के साथ भारतीय रिश्तों में और गिरावट आयी, तथा भारत को आशंका की निगाह से देखा जाने लगा। इस प्रकार पाकिस्तान चीन एवं सोवियत संघ ने मुख्य रूप से भारत और अमेरिका के संबंधों को प्रभावित किया।[4]

शीत युद्ध की राजनीति में महाशक्तियाँ भी छोटी शक्तियों की कठिनाईयों से चिंतित एवं उलझी हुई रहीं। इनका यह डर कि ये राष्ट्र कहीं दूसरे गुट में जाकर न मिल जाए उसकी खींचतान में इन

* शोधार्थी, दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

राष्ट्रों के आपसी हितों को भी प्रभावित किया। भारत एवं अमेरिका के संबंध भी इस पृष्ठभूमि में समझे जा सकते हैं।

अमेरिका के द्वारा विश्व दृष्टिकोण को प्रभावित करने में वहां के प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, उपजाऊ एवं विशाल भूमि, आधुनिक तकनीक, उदार राजनीतिक मूल्य, विधि का शासन, शिक्षित अभिजन एवं राजनेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमेरिका विदेश नीति के विकास में वहाँ के भूगोल का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अटलांटिक व प्रशांत महासागरों ने अमेरिकी सुरक्षा को मजबूत बना दिया था।[5]

21वीं सदी में भारत और अमेरिका संबंध विश्व पटल पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। भारत और अमेरिका दोनों ही परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। अमेरिका एक विश्व शक्ति है वहां दूसरी ओर भारत अभी उदीयमान शक्ति है। अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को कूटनीतिक, राजनीतिक एवं द्विपक्षीय वार्ताओं के द्वारा अहम बनाता रहता है। अमेरिकी विदेशी नीति का प्रमुख लक्ष्य यह है कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसे चनौती देने लायक कोई भी राज्य एवं राज्यों का समूह शेष न रहे। जबकि भारत सहिष्णुता विश्व शांति तथा हस्तक्षेप की ओर पंचशील की नीति को अपना आधार बनाए हुए है।[6]

आतंकवाद के संदर्भ में देखा जाए तो अमेरिका के सामने वास्तव में समस्या यह है कि यदि वह इस्लामी कट्टरपंथियों के बारे में लचीली नीति अपनाता है तो इसे अमरीका की कमजोर नीति समझा जा सकता है और यदि पूर्ववत् रूख बरकरार रखता है तो पूरे इस्लामिक जगत में उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु होने वाला दुष्प्रचार सहज है। इसी कारण अमेरिकी विदेशी नीति में पाकिस्तान की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। अमेरिका विश्लेषकों और विद्वानों का मानना है कि इस्लामी कट्टरपंथी उग्रवाद का जन्म और विकास पाकिस्तान में हुआ है और अब पाकिस्तान भी इसके उन्मूलन में अमेरिका का सबसे प्रभावशाली साथी सिद्ध हो सकता है। अफगानिस्तान में आतंकवाद के विरुद्ध जो अंतरराष्ट्रीय लड़ाई लड़ी जा रही है, उसकी 85 प्रतिशत सामग्री पाकिस्तान के जरिए ही अफगानिस्तान पहुंचती है। अमेरिका, परमाणु अप्रसार संधि का पक्षधर होने के बावजूद और पाकिस्तान के परमाणविक तस्करी का पर्दाफाश होने पर भी अमेरिका इस मामले में भी पाकिस्तान और भारत को समभाव से ही देखता रहा है। अमेरिका की हमेशा ही यह कोशिश रही है कि कश्मीर विवाद के निपटारे में भारत अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार करे।[7]

भारत कश्मीर विवाद को द्विपक्षीय संवाद से शांतिपूर्ण ढंग से निपटाना चाहता है, वही पाकिस्तान अमेरिका के माध्यम से इसके अंतरराष्ट्रीयकरण को ही अपने हित में समझता है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान और चीन का समर्थन करते हुए, भारत से भी अपने संबंध मधुर बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील है। आर्थिक और राजनीतिक स्तरों पर संबंधों में सुधार दिखाई भी दे रहा है, परंतु सुरक्षा और सैन्य क्षेत्र में अमेरिका का यथावत समर्थन पाकिस्तान को जारी है।[8]

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दो विशाल लोकतांत्रिक देश है। यह तर्क दिया जाता है कि भारत, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है तथा अमेरिका जो सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र है, उनको स्वाभाविक मित्र होना चाहिए था परंतु यह आज भी उतनी ही भ्रमित स्थिति बनी हुई है, जितनी की स्वतंत्रता के समय थी।[9]

भारत और अमेरिकी संबंधों में 21वीं सदी में सकारात्मक रूख देखा जा सकता है। अमेरिका ने एक स्थाई, सुरक्षित, शक्तिशाली तथा एकीकृत दक्षिण एशिया का पक्षधर है। भारत तथा कुछ अन्य देशों में बढ़ते आतंकवाद ने अमेरिका को चिंतित कर दिया है क्योंकि वह खुद भी इससे पीड़ित है। भारत और अमेरिका दोनों ही देश हिंद महासागर क्षेत्र में स्थायित्व को लेकर समान रूचि रखते हैं एवं एशिया में उचित शक्ति संतुलन में दोनों की समान रूचि है। भारत बड़ा देश है और आर्थिक एवं सैन्यशक्ति के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका संबंध रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बन रहे हैं। 21वीं सदी में दोनों राष्ट्रों के आपसी संबंधों में सकारात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन के कारकों को खोजने का प्रयत्न प्रस्तुत अध्ययन में किया जाना अपेक्षित है।[10]

21वीं सदी में एक वैश्विक ताकत के रूप में उभरने की अभिलाषा पूरी करने की दिशा में भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। पिछले 10 वर्षों से इसका आर्थिक विकास दर औसतन 7–8 प्रतिशत रहा है। अपने बढ़े बाजार को विदेशी निवेश के लिए खोलने के बाद देश में प्रशिक्षित, शिक्षित और सस्ती श्रम शक्ति का उदय और राजनैतिक स्थिरता से परिपूर्ण वातावरण ने भारतीय मध्य वर्ग के लिए रोजगार के अनेक अवसर पैदा किए हैं।

भारत, चीन और अमेरिका एक रणनीतिक त्रिकोण के रूप में उभर रहे हैं जा नियंत्रण और संतुलन का काम करेंगे। तीनों अपने हितों को समझते हैं लोकतंत्र और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत एवं अमेरिका के रणनीतिक हित एक जैसे हैं। चीन के हित, भारत और अमेरिका के साथ संबंध संरचनात्मक हितों से संचालित होने के बजाय प्रासंगिक होते हैं। अमेरिका यह चाहता है कि आतंकवाद, ऊर्जा, सुरक्षा और उभरते हुए चीन जैसे कारकों से निर्धारित होने वाले उसके वैश्विक रणनीतिक हितों को हासिल करने में लोकतांत्रिक भारत भी उसका सहभागी बने। भारत अमेरिका के साथ अपने प्रगाढ़ होते संबंधों को खुद के विश्व में ताकतवर होने के तौर पर लेता है।[11] 2005 में नई दिल्ली में हुई संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में तत्कालीन विदेश मंत्री कोंडोलिजा राइस ने कहा था कि बीते कुछ सालों में भारत और अमेरिका के बीच संबंध काफी संभावनाएँ दिखने के स्तर से उन संभावनाओं को महसूस करने के स्तर तक पहुंच गए हैं।

चीन और पाकिस्तान का गठबंधन दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन अब तक इस तथ्य को नया अमेरिका प्रशासन नहीं जान सका है। चीन और पाकिस्तान दोनों का पड़ोसी भारत इस समय चीन के साथ अपने संबंध रचनात्मक और मधुर बनाने और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में पाकिस्तान के साथ चल रहे झगड़े से ऊपर उठना चाहता है। ऐसे में अमेरिका को यह देखना होगा कि वह भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ संबंध बनाने में संतुलित नीति अपनाए, जिससे चीन दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन को बिगाड़ने का काम न कर सके।

चीन के साथ पाकिस्तान की नजदीकी कई कारणों से हैं जैसे भारत को आगे बढ़ने से रोकना इस्लामिक मध्य पूर्व देशों से ऊर्जा हासिल करना, अपने मुस्लिम बहुल प्रांत झिंजियांग में स्थायित्व बनाए रखना, पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में मदद कर उसके लिए अंतरराष्ट्रीय महत्व का बनना, अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका मौजूदगी को सीमित करना और काराकोरम और ग्वादर पोर्ट के जरिए पश्चिम एशिया, यूरोप और मध्य एशिया तक पहुंच बनाना। ये सारे तत्व चीन और पाकिस्तान के संबंधों में अहम रोल निभाते हैं। अमेरिका इन दोनों के अगले कदम को बारीकी से देखेगा जिससे दक्षिण एशिया में उसके राष्ट्रीय हितों को कोई नुकसान न हो।[12]

21वीं सदी में भारत अमेरिका संबंधों के सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

हिंद प्रशांत क्षेत्र एवं भारत अमेरिका साझाहित

हिंद प्रशांत क्षेत्र दुनिया का विशालतम तथा सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और जनसंख्या वाला क्षेत्र है यह भौगोलिक एवं प्राकृतिक रूप से संसाधनों से समृद्ध होने के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आकर्षण का केंद्र बन रहा है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिकार मानते हैं कि भारत–हिंद प्रशांत क्षेत्र में और उससे भी आगे एक प्रमुख शक्ति है। भारत और अमेरिका इस क्षेत्र को स्वतंत्र खुले क्षेत्र के रूप में स्वीकार कर इसकी सार्वभौमिकता व अखंडता पर बल दे रहे हैं।[13]

भारत–अमेरिका रणनीतिक भागीदारी

दोनों देशों ने इस दिशा में बहुत प्रगति की है। रक्षा सहयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास, उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग समूह का अगला कार्य रणनीतिक भागीदारी में अगला कदम, ऐतिहासिक नागरिक परमाणु समझौता, अमेरिका द्वारा भारत को बड़े रक्षा भागीदार के रूप में नामित करना, वाणिज्य, ऊर्जा, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की दिशा में निरंतर सहयोग कर रहे हैं।[14]

रक्षा और आतंकवाद से मुकाबला

पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका ने भारत के लिए 10 अरब डॉलर से अधिक रक्षा बिक्री सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन क्षमताओं ने हिंद महासागर क्षेत्र में मजबूत सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की सुरक्षा को मजबूत किया है। भारत एवं अमेरिका ने जून 2015 में नए सिरे से 10 साल के रक्षा ढाँचा पर हस्ताक्षर किए। नया ढाँचा उच्च स्तर रणनीतिक विचार विमर्श के लिए दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच आदान–प्रदान और क्षमताओं को मजबूत बनाने का अवसर प्रदान किया है। भारत–अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास के क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में वृद्धि हुई है। अमेरिका–भारत नौसैनिक मालाबार अभ्यास एक जटिल, बहुपक्षीय अभ्यास है।[15]

आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंध

दोनों देशों के बीच जो दो तरफा व्यापार 2014 के 36 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2016 में 115 बिजियन डॉलर हो गया है। 2020 तक 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर लक्ष्य है। लोगों से लोगों के संबंध लगभग 102,673 छात्रों के साथ भारतीय छात्र समूह संयुक्त राज्य अमेरिका में विदेशी छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। "अमेरिका फर्स्ट" की नीति और "मेक इन इंडिया" की नीति में आपसी विरोधाभास नहीं है बल्कि एक–दूसरे के बाजारों में निवेश करना पारस्परिक रूप से फायदेमंद होगा।

संचारिकी विनिमय समझौता

29 अगस्त, 2016 को भारतीय रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर और अमेरिकी रक्षामंत्री एश्टन कार्टर के बीच अमेरिकी यात्रा के दौरान इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह एक 'कार्यात्मक' समझौता था जिसमें एक देश दूसरे देश का दौरा कर रहे सैन्य बल के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के लिए अपने बंदरगाह एवं हवाई अड्डों की सुविधा प्रदान करेगा। यह संयुक्त अभ्यास के दौरान ही किया जाएगा। वर्ष 2016 में भारत और अमेरिका के बीच नागरिक दायित्व कानून पर भी हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत अमेरिका भारत में कोई संयत्र लगाता है और कोई दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटना की समस्त जिम्मेदारी ईंधन प्रदाता देश अमेरिका की होगी।

भारत और अमेरिका के बीच 2016 में लेमोआ (LEMOA) (लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट) समझोता हुआ इसके तहत दोनों देश एक–दूसरे के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस समझौते के तहत दोनों देश एक–दूसरे के युद्धक बेड़ों से ईंधन, पानी और भोजन जैसे संसाधनों को परस्पर उपयोग कर सकेंगे। यह समझौता भारत के रणनीतिक विकल्पों को सीमित नहीं करेगा क्योंकि यह 'टीचर टू समझौता' है। और यह संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान भारत सरकार द्वारा अमेरिकी सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर ही लागू होगा।

सीआईएसएमओए संचार और खुफिया और समक्ष की सुरक्षा ज्ञापन और वीईसीए (बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट) इन तीनों समझौतों ने भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग की कागजी प्रक्रिया को आसान बना दिया है तथा सामरिक साझेदारी के मामले में दोनों देशों ने नए मानक तय किए हैं।[17]

अमेरिका–भारत रणनीतिक प्लस रिश्ता

अमेरिका के राजदूत रिचर्ड वर्मा द्वारा अमेरिका–भारत रणनीतिक प्लस रिश्ते में नई गतिशीलता एक भाषण दिया गया। यह शब्द भी रिचर्ड वर्मा ने गढ़ा है। रिचर्ड वर्मा ने कहा अब हमारे संबंध केवल सामरिक हितों तक सीमित नहीं है। अब ये संबंध व्यापार, शैक्षिक, वैज्ञानिक और अन्य अनौपचारिक संबंध शामिल हैं। इसमें असैन्य परमाणु संपर्क समूह की बाधाओं को दूर करना, बौद्धिक संपदा और खाद्य सुरक्षा के मुद्दों के लिए नया मंच शुरू करना, स्मार्ट सिटी और परिवहन सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करना और द्विपक्षीय भारत–अमेरिका प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की शुरुआत करना शामिल है।[18]

दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर क्षेत्र पर भारत–अमेरिका सहयोग

हाल के वर्षों में भारत–चीन और अमेरिका के बीच दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर क्षेत्र ध्यान का क्षेत्र बनकर उभरा है। दक्षिणी चीन सागर भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत 5 खरब डॉलर का सालाना वैश्विक व्यापार दक्षिणी चीन सागर से होता है। दक्षिणी पूर्व एशियाई और पूर्व एशियाई राष्ट्रों के साथ भारत के 50 प्रतिशत व्यापार वहीं से गुजरता है।

इस क्षेत्र पर अधिक चीन वर्चस्व या इस क्षेत्र का नियंत्रण काफी हद तक एशिया प्रशांत क्षेत्र और अन्य जगहों पर अमेरिका की सामरिक, राजनैतिक हितों को प्रभावित कर सकता है। अतः भारत और अमेरिका दोनों इस क्षेत्र में विवादों का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं और सामुद्रिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। भारत का यह मानना है कि सभी देशों को इस क्षेत्र पर संयम से काम लेना चाहिए और कूटनीतिक, द्वीपक्षीय मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार और बल प्रयोग की धमकी का सहारा लिए बिना करना चाहिए।[19]

निष्कर्ष

एशिया में प्रमुख शक्तियों अमेरिका, चीन, जापान, रूस, भारत और पाकिस्तान के संबंध भारत और अमेरिका की वैश्विक साझेदारी तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, दशकों पुरानी लोकतांत्रिक परंपरा, प्रशिक्षित युवा की बढ़ी फौज बदलते वैश्विक परिदृश्य में अमेरिका की इसके साथ ऐतिहासिक संबंध बनाने को प्रेरित करती है। नेशनल इंटेलीजेंस काउंसिल ने अपनी 2014 की रिपोर्ट– "मैपिंग द ग्लोबल फ्यूचर" में कहा था कि भारत और चीन का नई वैश्विक ताकतों के तौर पर उदय 21वीं सदी की शुरूआत में भू–राजनीति परिदृश्य को बदल देगा।

भारत और अमेरिका दुनिया में लोकतांत्रिक मूल्यों, स्वतंत्रता और मानवाधिकार को बढ़ावा देने वाले प्राकृतिक तौर पर साझेदार हैं। पिछले दो अमेरिकी राष्ट्रपतियों जॉर्ज बुश और बिल क्लिंटन के शासनकाल में ही भारत और अमेरिका ने आगे बढ़ने की नीति पर आधारित स्थिर संबंधों के लिए हाथ मिलाया था। तत्कालीन राजनीतिक मामलों के उप विदेश मंत्री आर निकोलस बर्न्स ने अप्रैल 2007 में साफ कर दिया था कि–

राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की कोशिशों से हमारे बेहतर संबंधों की शुरुआत हुई। 2001 में राष्ट्रपति बुश इन संबंधों को और आगे ले गए और भारत के सुधारवादी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ असैन्य परमाणु, ऊर्जा, व्यापार, विज्ञान और खेत के क्षेत्र में अभूतपूर्व और प्रभावी समझौते किए।

पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, भूमंडलीकृत दुनिया में, बार–बार, मौकों की समानता और नागरिकता की धारणा की महत्ता पर जोर देते आए हैं। दोनों देश लोकतंत्र को विषम सामाजिक परिस्थितियों से बाहर निकालने में सफल हो रहे हैं। ओबामा का अमेरिका के युवा और आकर्षक राष्ट्रपति के तौर पर सामने आना दो समान धारणाओं–अमेरिका की कई में से एक और भारत की विविधता में एकता का सही साबित होना है।

संयुक्त राज्य के लिए दक्षिण एशिया में भारत अकेला ऐसा देश है जो मुश्किल अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में लोकतंत्र और स्थायित्व की धारणाओं को अपना रहा है। भारत दक्षिण एशिया में वैश्विक शक्ति संतुलन के लिए अमेरिका को अद्वितीय मौका उपलब्ध करा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच डि–हायफनेशन की नीति अपनाकर अमेरिका को इस क्षेत्र में परमाणु हथियारों की होड़ को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने हैं। अमेरिका को पुराने उदाहरणों से सीख लेते हुए सुनिश्चित करना चाहिए कि पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद का इस्तेमाल भारत की संप्रभुता और आंतरिक सुरक्षा खतरे में डालने के लिए न हो।

ओबामा के अमेरिका में दूसरी बार राष्ट्रपति चुनकर आने के बाद यूपीए सरकार के लिए जरूरी था कि वह विदेश नीति के अहम हिस्से के तौर पर भारत–अमेरिका की साझेदार को बनाए रखे। ओबामा

की अफ–पाक और पूर्वी एशिया की नीति को बरकरार रखने से भारत को असामान्य भू–राजनीतिक मौके–मिले हैं। अमेरिका के एशिया प्रशांत महासागर क्षेत्र में संतुलन बनाने की कोशिशों से भारत–अमेरिका की संयुक्त नीतियों को प्राथमिकता मिलेगी। इससे क्षेत्रीय और वैश्विक तौर पर भारत और अमेरिका राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा मामलों पर एक साथ आगे आएंगे।

21वीं सदी में प्रधानमंत्री मोदी सरकार की विदेश नीति की दिशा में अमेरिका के लिए एक दृष्टिकोण विकसित किया गया है जो इसके आर्थिक–वैज्ञानिक–तकनीकी संबंध संतुलन, बढ़ती सैन्य क्षमताओं को संतुलित करती है जिससे भारत अपनी सीमाओं से परे चीनी प्रभाव को रोकने में सक्षम होगा। भारत को इस तथ्य को समझना होगा कि दुनिया के अनेक देशों के साथ अमेरिका के रक्षा संबंध हैं लेकिन अमेरिका ने उनको शक्तिशाली बनाने के बजाए अमेरिका पर उनकी निर्भरता को बढ़ाया है। भारत–अमेरिका संबंधों का भविष्य उज्ज्वल रहने के आसार हैं क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड टंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के दृष्टिकोण विदेश नीति के क्षेत्र में दक्षिणपंथी हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. डॉ. संघमित्र पटनायक '21वीं में भारत–अमेरिका की वैश्विक साझेदारी', वर्ल्ड फोकस, अंक–18, सितंबर, वर्ष–2013, पृ. 97
2. एस.डी. मुनि, ईश्युज इन डंडो–यू, एस.रिलेशंस, वर्ल्ड फोकस, 24(4–5), अप्रैल–मई, 2017, पृ. 25 से उद्धत
3. वी.के. श्रीवास्तव, 'इंडो–अमेरिकन रिलेशन सिंस सितंबर 11', वर्ल्ड फोकस, 23(7–8), जुलाई–अगस्त, 2002, पृ. 19
4. चिंतामणि महापात्रा, 'पैराडाइस शिफ्ट इन इंडो–यू.एस. रिलेशंस : प्रोबलम्स एंड प्रोस्पेक्टस', 'इन आर.एस. यादव, इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी', इंडिया क्वार्टरली, वाल्यूम 64, अंक 3, जुलाई–सितंबर, 2008
5. आउट ऑफ द ब्लैक लिस्ट, 'फ्रंट लाइन', 26 अक्तूबर, 2001, पृ. 86–88
6. बलदेव राज नैय्यर, अमेरिकन, जियोपॉलिटिक्स एंड इंडिया, नई दिल्ली, 1976 तथा अमेरिकन पॉलिसी टुर्वाड्स इंडिया : द लार्जर फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वॉल्यूम 11, अं. 12, 20 मार्च 1976, पृ. 455–68
7. 'इंडिया कुड प्ले ए मेजर रोल इन ईराक : ब्लेकवेल', द हिंदू, 20 जून, 2003, पृ. 10
8. परमा सिन्हा पालित, 'वाजपेयी–बुश ज्वाइंट डिक्लेरेशन', स्ट्रेटजिक ऐनेलिसिस, 25(9), दिसंबर 2001, पृ. 1089–94
9. चिंतामणी महापात्रा, 'पोखरण–II एंड ऑफ्टर डार्क क्लाउड्सओरव इंडो–यू.एस. रिलेशंस', स्ट्रेटेजिक ऐनेलिसिस, वॉल्यूम 22, अंक 10 जनवरी, 1999, पृ. 1630
10. महापात्रा, पृ. 716, पद टिप्पणी संख्या 47
11. वहीं
12. वहीं संदर्भ संख्या 1 पृ. 97
13. एच.आर.एम.सी. मास्टर, प्रेस ब्रीफिंग वाय प्रेस सैक्रेटरी सराह सैंगर्स एंड नेशनल सिक्युरिटी एडवाइजर एच.आर.एम.सी. मास्टर, दी व्हाईट हाउस, 2 नवंबर, 2017, https://

www.whitehouse.gov. / ब्रीफिंग्स स्टेटमेंट्स / प्रेस ब्रीफिंग्स, सैक्रेटरी सराह सैंगर्स–11217 एसेस्ड ऑन 7 दिसंबर, 2017

14. सरगोई डिसिल्वा, रानासिंघे, साउथ एंड वेस्ट एशिया रिसर्च प्रोग्राम, accessed फ्रोम www.fai.org, date
15. शिशिर गुप्ता, दी हिंदुस्तान टाइम्स, 19 सितंबर 2015, पृ. 9
16. आमिर लतीफ एंड एंब. कार्ला. एफ. इंद्रफर्थ, "यू.एस. – इंडिया डिफेंस ट्रेंड : अपोर्चूनिटीज फोर डिपैंडिंग दी पार्टर्नशिप", यू.एस. इंडिया डिफेंस ट्रेंड रिपोर्ट : सी.एस.आई.एस. रिपोर्ट रोलत इवेंट, अक्तूबर 2012, एसैस्ड फ्रोम www.csis.org/program/wadhanichair
17. गुरूप्रीत, एस. खुराना, "इंडो–यू.एस. लोजिस्टिक्स एग्रीमेंट लेमाओ : एन एसैसमेंट एसैस्ड फ्रोम www.meritime.org
18. प्रेस ब्रीफ प्रीपेएर्ड फोर एंबेसेडर रिचर्ड वर्मा ऑन 2–3 जून, 2015, एसैस्ड फ्रोम www.u.s.assemblydelhi.com
19. रोनाल्ड ओ 'रूर्क, मैरीटाइम टेरीटोरियल एंड एक्सक्लुजिव इकोनॉमिक जोन (EEZ) डिस्पुट इन्वोलविंग चाइना, कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस 7–5700 एसैस्ड फ्रोम www.crs.gov.R42784

❑❑❑

भारत अमेरिका संबंध : मतभेद के नवीनतम बिंदु

***अंकेश कुमार मीणा**

भारत व अमेरिका दोनों ही विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत के अमेरिका के साथ औपचारिक संबंध स्थापित हो चुके थे। दोनों देशों ने अपने आधुनिक इतिहास के दौरान अपने संबंधों में काफी उतार–चढ़ाव देखे हैं। शीत युद्ध के दौरान भिन्न–भिन्न सामरिक व विचारधारात्मक कारकों से दोनों देशों में तनावपूर्ण संबंध रहे थे, लेकिन परिस्थितियां बदलने पर दोनों देश एक–दूसरे के करीब भी आए हैं। वर्तमान में भारत और अमरिका के मध्य आर्थिक सहयोग बढ़ता जा रहा और आने वाले वर्षों में इसके और अधिक बढ़ने की संभावना है। इसी प्रकार सैन्य सहयोग भी बढ़ा है। किंतु हाल की परिस्थितियों में दोनों देशों में कुछ बिंदुओं पर पुनः मतभेद उभर रहा है। बहरहाल अमरिका भारतीय उपमहाद्वीप तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में शांति व स्थिरता की वकालत कर रहा है। यह अब अच्छी तरह स्थापित हो चुका है कि दोनों देशों के पास एक–दूसरे को देने के लिए बहुत कुछ है।

हाल ही में 'शांग्रि–ला वार्ता' में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की उम्मीदों के विपरीत बयान दिया जो चर्चा का विषय बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ''भविष्य में जब दुनिया सत्ता परिवर्तन और राजनीतिक मॉडल पर प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही होगी तब भारत स्वयं को एशिया में एक स्वतंत्र शक्ति व अभिनेता के रूप में पेश करेगा।'' साथ ही उन्होंने हिंद–प्रशांत क्षेत्र पर भारत–अमेरिका के साझा दृष्टिकोण की भी बात की जो अमेरिकी रक्षा सचिव जेम्स मेटिस द्वारा इसी समारोह में दिए गए बयान से काफी अलग थी। लिहाजा दोनों देशों के बीच बढ़ती असहमति इसके मतभेद के संकेत दे रहे है।[1]

इसके अतिरिक्त यदि दोनों देशों के मध्य मतभेद के अन्य बिंदुओं की बात की जाए तो अमेरिका हिंद–प्रशांत क्षेत्र को रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण मानता है जबकि भारतीय प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र को एक प्राकृतिक भू-क्षेत्र बताया। दरअसल अमेरिका हिंद–प्रशांत क्षेत्र को सामरिक व रणनीतिक क्षेत्र के रूप में बनाए रखना चाहता है जबकि भारत सिर्फ व्यापार के नजरिए से इस क्षेत्र को विकसित करना चाहता है। प्रधानमंत्री ने रूस, चीन तथा अमेरिका से भारत के संबंधों को एक समान रूप में संदर्भित किया तथा हिंद–प्रशांत क्षेत्र में शांति व स्थिरता पर बल दिया। जहां तक अमेरिका का प्रश्न है तो उसने इस क्षेत्र में चीन की उन गतिविधियों का मुकाबला करने की बात की जिनसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा।[2]

उल्लेखनीय है कि 'हिंद–प्रशांत' क्षेत्र की अवधारणा 2013 में हुई भारत–अमेरिका सामरिक वार्ता के दौरान प्रस्तुत की गई थी। वास्तव में यह अवधारणा एशिया के नये विकास क्षेत्रों में अमेरिका की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए एक नई संभावना को तलाशने की कोशिश थी।[3] हिंद प्रशांत क्षेत्र पूर्वी अफ्रीका व पश्चिमी एशिया से पूर्वी एशिया तक विस्तृत पूर्वी हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर को संदर्भित करता है।[4] प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी एक देश की न बताकर सभी देशों की बताई है। विदेश नीति के जानकारों के मुताबिक प्रधानमंत्री का उपर्युक्त बयान अप्रत्यक्ष रूप से अमेरीका को हिंद–प्रशांत क्षेत्र में तनाव पैदा न करने का संदेश है।

---

* शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

दोनों देशों में तनाव का एक बिंदु H1B पेशेवर वीजा में प्रस्तावित कटौती और H4 वीजा को रद्द करने की कोशिश है। दरअसल अमेरीकी कंपनियां H1B वीजा के तहत कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में विदेशी कर्मचारियों की भर्ती करती है। यह वीजा भारतीय पेशेवरों में भी खासा लोकप्रिय है क्योंकि लाखों भारतीय HIB वीजा के तहत अमेरिका में कार्य करते हैं। H4 वीजा H1B वीजा धारकों के जीवन साथियों को जारी किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ट्रंप प्रशासन के इस प्रस्ताव से अमेरिका में रह रही भारतीय महिलाएं खासा प्रभावित होंगी।[5]

अमेरिका द्वारा स्टील व एल्युमिनियम के आयात पर नए प्रशुल्क की योजना से न केवल भारत वरन् संपूर्ण विश्व प्रभावित होगा। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस्पात पर 25% व एल्युमिनियम पर 10% की दर से शुल्क लगाने के फैसले से भारत के स्थानीय बाजारों पर तो असर पड़ेगा ही साथ ही इस निर्णय से विश्व में तेल कीमतें भी बढ़ेंगी। जाहिर है, इससे भी दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी बढ़ने की संभावना है।[6]

अमेरिका द्वारा ईरान परमाणु समझौते से बाहर निकलना, डेयरी उत्पादों पर भारतीय प्रशुल्क के टैरिफ, चिकित्सा उपकरणों पर भारतीय मूल्यों में कटौती, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अमेरिकी कंपनियों के लिए भारतीय सर्वर पर डेटा स्थानीकरण के नियम लागू करना तथा हिंद–प्रशांत क्षेत्र में शांति व स्थिरता पर बल दिया जा रहा है। अमेरिका को इस क्षेत्र में चीन की गतिविधियों का मुकाबला करने की बात की, जिससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा।

अमेरिका द्वारा ईरान परमाणु समझौते से बाहर निकलना, डेयरी उत्पादों पर भारत के टैरिफ चिकित्सा उपकरणों पर भारतीय मूल्यों में कटौती, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अमेरिकी कंपनियों के लिए भारतीय सर्वर पर डेटा स्थानीयकरण के नियम लागू करना तथा हार्ले डेविडसन जैसे विवादास्पद मुद्दे इसी कड़ी की बानगी हैं।[7]

दोनों देशों में बढ़ती असहमति में भारत की भूमिका भी कम नहीं है। क्योंकि भारत के द्वारा उठाये गये कई कदमों पर अमेरिका ने ऐतराज जताया है। भारत ने अमेरिका व जापान के साथ समुद्री अभ्यास में शामिल होने के ऑस्ट्रेलिया के प्रस्ताव को ठुकरा दिया नौसेना प्रमुख एडरिन सुनील लांबा ने स्पष्ट तौर पर कहा कि "'क्वॉड' (चतुष्टय) में सैन्यीकरण की कोई योजना नहीं थी"। इसके विपरीत 'शंघाई सहयोग संगठन' के सदस्य देशों के साथ होने वाले सैन्याभ्यास में शामिल होने के लिए भारत द्वारा स्वीकृति देने से भारत अमेरिका में मतभेद बढ़ सकता है।[8]

इसके साथ ही डेयरी उत्पादों के निर्यात के प्रतिरोध पर भारत के टैरिफ तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अमेरिकी कंपनियों के लिए भारतीय सर्वर पर डेटा स्थानीयकरण के नियम को लागू करना भारत के ऐसे कदम है जो तनाव का कारण बन रहे हैं।

भारत व अमेरिका के रक्षा मंत्री व विदेश मंत्रियों की आगामी 'टू–प्लस टू वार्ता' निर्धारित करने में लगभग छह माह का समय गुजर चुका है, जबकि भारतीय प्रधानमंत्री की चीन के राष्ट्रपति सी चिनफिंग व रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के साथ औपचारिक व अनौपचारिक शिखर सम्मेलनों के माध्यम से कई मुलाकातें हो चुकी होगी।[9]

हाल में व्यापार व संरक्षणवाद के नाम पर दोनों देश कई बार एक–दूसरे को WTO में ले गए है। यह भारत–अमेरिका के मध्य विरोध का एक अन्य बड़ा पहलू है। अतः इन पहलुओं पर भारत को मंथन करने की आवश्यकता है।[10]

भविष्य की राह की बात करें तो पूंजीवादी व मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत व अमेरिका के संबंध हमेशा से सहयोगी रहे है। किंतु वर्तमान समय में इस संबंध के लेन देन की नीति पर निर्भर रहने के कारण दोनों देशों में विभिन्न मुद्दों पर असहमति देखी जा रही है। इन असहमतियों के कारण दोनों देशों में दोनों देशों के संबंधों में अस्थिरता आ रही है।

दरअसल नए अमेरिकी कानून तथा रूस व ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध भारत–अमेरिका संबंधों के लिए बड़ी चुनौतियां पेश कर रहे है। अमेरिका ईरान के मामले में तो भारतीय संस्थाओं को रोक ही रहा है साथ ही रूस के साथ व्यापार करने पर भी रोकने की कोशिश कर रहा है। जाहिर है अमेरिका भारतीय हितों की अनदेखी कर रहा है। एक तरफ रूस के साथ जहां भारत का 70 वर्षों का गहरा रिश्ता है, वहीं मौजूदा वक्त में भारत ने ईरान में चाहबार बन्दरगाह को विकसित किया है तथा ईरान से भारत बड़े पैमाने पर कच्चा तेल भी आयात कर रहा है। स्पष्ट है ये प्रतिबंध भारत के ईरान व रूस के साथ संबंधों को एक चुनौतीपूर्ण चौराहे पर ले जाएंगे।

हालांकि यह भी सच है कि अनेक असहमतियों के बावजूद दोनों देशों में मधुर संबंध बने हुए है। यह वजह है कि ट्रंप प्रशासन भारत को 6 अपैच (apache) हैलिकॉप्टर के सौदे को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। किंतु सवाल यह है कि इससे दूसरे मुद्दों पर दोनों देशों में सहमति नहीं बनती है दोनों देशों के व्यापारिक व कूटनीतिक हित किस हद तक प्रभावित होंगे। भारत ने अमेरिकी नाराजगी के बावजूद ईरान से कच्चे तेल के आयात को जारी रखने के संकेत दिए है। जो भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का परिचायक है। जाहिर है भारत केवल ट्रंप प्रशासन की नाराजगी से बचने के लिए अपने वैश्विक व व्यापारिक संबंधों की स्वतंत्रता के संबंध में समझौता नहीं करेगा।[11] बहरहाल अमेरिका व भारत दोनों देशों को चाहिए कि 'टू प्लस टू' वार्ता' जैसी व्यवस्था को विकसित करें ताकि निरंतर संवाद के माध्यम से हिंद प्रशांत जैसे मुद्दे सहित अन्य मसले सुलझाने के प्रयास किए जाएं। दोनों देशों के रिश्ते इसलिए भी बेहतर होना जरूरी है क्योंकि आतंकवाद समेत दूसरे मुद्दों पर मिलकर कार्य करना वक्त की जरूरत है तथा यह अंतरराष्ट्रीय हित के लिए भी बेहद जरूरी है।

संदर्भ ग्रंथ

1. The Hindu June 2, 2018
2. The Pioneer, June 7, 2018
3. WWW.mea.gov.in/bilateral document
4. Https://en.m.wikipedia.org/wiki/asia-pacific
5. The Hindu. Business Line, November 16, 2017
6. The Diplomate, may 27, 2018
7. Rstv (Rajya sabha) June 1, 2018
8. The Hindu Business line, April 29, 2018
9. The Economic Times, February 07, 2018
10. The Economic Times, May 31, 2018
11. The Times of India, May 21, 2018

❑❑❑

भारत की पड़ोसी देशों के साथ विदेश–नीति वर्तमान संदर्भ में

*डॉ. शान्तेष कुमार सिंह
**राकेश कुमार मीणा

वर्तमान समय में भारत ने अपनी विदेश नीति के सिद्धांतों को गतिशीलता प्रदान की है। स्वतंत्रता के समय देश ने विदेश नीति के जिन सिद्धांतों की स्थापना की थी, वर्तमान सरकार उन्हें मजबूत करते हुए अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक, आर्थिक और एकीकरण के नए आयामों को दिशा देते हुए आगे बढ़ रही है। वर्तमान समय में पास के पड़ोसी देशों के साथ सहयोग स्थापित करने के प्रयास जारी है। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सभी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) देशों के शीर्ष नेतृत्व को बुलाना। प्रधानमंत्री मोदी की यह सकारात्मक कूटनीतिक प्रयास क्षेत्रीय सहयोग और आपसी समझ को मजबूत करती है। प्रत्येक देश की सामरिक अनिवार्यता एक दूसरे से भिन्न होती है। लगातार आतंकवाद को समर्थन देना, देश के भीतर ही अस्थिरता, धार्मिक और संजातीय कट्टरवाद, और इनके अलावा आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक मामलों में बड़े पड़ोसी द्वारा देश द्वारा छोटे देश में हस्तक्षेप करना आदि कृत्य पड़ोस नीति में बाधा डालते हैं।[1]

अच्छी बात यह है कि इस प्रकार की बाधाएं भारत सरकार की पड़ोस नीति को मजबूत करने वाली इच्छा शक्ति को कमजोर नहीं कर पा रही रही है। जबकि सरकार की त्वरित पहलों से क्षेत्रीय एकीकरण के प्रयास सकारात्मक रूप से जारी है। इसी के फलस्वरूप बांग्लादेश–भूटान–भारत–नेपाल मोटर वाहन समझौता हुआ और साथ ही साथ 'लुक ईस्ट' नीति से 'एक्ट ईस्ट' नीति में परिवर्तन हुआ। सरकार ने इस नीति को काफी महत्व दिया जिसमें अपनी पड़ोस नीति के तहत पूर्वी पड़ोसी देशों को शामिल किया।[2]

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क के सभी देशों के शीर्ष नेतृत्व को बुलाना इस बात का द्योतक है कि वे क्षेत्र में सभी देशों को समान भाव से देखते है चाहे वे आकार में छोटे हो चाहे या उनकी अर्थव्यवस्था छोटी हो। यद्यपि कुछ आलोचक इस कदम की आलोचना करते हुए कहते हैं कि मोदी के इस समारोह में पड़ोसी देशों के शीर्ष नेतृत्व को बुलाना 'बिग ब्रदर' (बड़े भाई) की छवि को स्थापित करने का प्रयास है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा भूटान और नेपाल जैसे देशों में करना उनकी 'पहले पड़ोस' की नीति को चरितार्थ करता है।

जिस प्रकार से विदेश मंत्रालय ने भारत के संबंध को अन्य देशों के साथ परिभाषित किया है और शीर्ष नेतृत्व द्वारा उसे समर्थन मिला है, उसके चलते इसने अपने पड़ोस और अंतरराष्ट्रीय मंच पर काफी देशों को अचंभित किया है। नियमित रूप से विभिन्न देशों के मुखियाओं की भारत यात्रा, अपने नजदीकी पड़ोसियों के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने के त्वरित प्रयास और पाकिस्तान की भारत के समक्ष असफल सामरिक नीति आदि इस बात को सिद्ध करने के पर्याप्त साक्ष्य है कि भारत की पड़ोसी देशों के प्रति विदेश नीति आक्रामक होने के साथ–साथ समग्रता का दृष्टिकोण लिए हुए है।[3]

भारत की विदेश नीति में प्रारंभ से ही कुछ सिद्धांत रहे जैसे, अहिंसा, मूल्य, शांति, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद एवं रंगभेद का विरोध, पंचशील, आर्थिक आत्मनिर्भरता, विकासशील देशों को सही दिशा देने

* सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, शहीद भगत सिंह कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
** शोध अध्येता, विदेशी मामलो की भारतीय परिषद, सप्रु हाउस, नई दिल्ली

हेतु उनकी आवाज को विश्व मंच पर उठाना, जलवायु परिवर्तन के मसले पर जोर देना, इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में योगदान देना। विगत दशको में भारतीय नेतृत्व ने बदलते वैश्विक परिदृश्य और बढ़ती जिम्मेदारियों के कारण अपनी विदेश नीति की संरचना में परिवर्तन करने का सराहनीय प्रयास किया है। शस्त्रों के निषेधीकरण में व्यापक जिम्मेदारी लेते हुए भारत ने शांति और सौहार्द्र को प्रगाढ़ करने हेतु प्रशंसनीय प्रयास किया है। वैश्विक समस्याओं जैसे आतंकवाद, संजातीय और पंथीय नफरत से लड़ते हुए भारत ने सार्वभौमिक सौहाद्रता और भातृत्व को मजबूत किया है। बिना किसी स्वार्थ के संकट के समय में एक–दूसरे देश का साथ देने की नीति पर भी भारत ने अमल किया जिसका उदाहरण है नेपाल में आए भूकंप के बाद उसको सहायता प्रदान करना।

विगत तीन वर्षों में वर्तमान सरकार ने डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया के माध्यम से विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया है, जिससे विभिन्न आर्थिक अवसरों के नए रास्ते खुले है। भारत अपने अपार मानव श्रम और कौशलता के जरिए विश्व मंच पर बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने की प्रक्रिया से गुजर रहा है।

अफगानिस्तान

भारत और अफगानिस्तान के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध काफी पुराने रहे हैं। दोनों के मध्य सामरिक साझेदारी का समझौता साल 2011 में हुआ। जिसके तहत भारत द्वारा अफगानिस्तान के आधारभूत ढांचे का पुनर्निर्माण शामिल रहा, जिसमें शिक्षा, तकनीकी के साथ–साथ अफगानिस्तान को भारत के बाजार तक पहुंच मुहैया करवाना प्रमुख था। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घनी अप्रैल 2015 में भारत की यात्रा की और प्रधानमंत्री मोदी दिसंबर 2015 में अफगानिस्तान गए, जिसने संबंधों में प्रगति और प्रगाढ़ता को मजबूत किया। भारत की तरफ से अफगानिस्तान में सलमा बाँध के निर्माण में 300 मिलियन डॉलर का अनुदान दिया गया। इसके अतिरिक्त भारत की मदद से अफगानिस्तान में दर्जनों छोटे–बड़े आधारभूत ढांचे से संबंधित प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके साथ–साथ भारत और अफगानिस्तान के मध्य रक्षा सहयोग संबंध भी मजबूत हो रहे हैं।[4] यद्यपि भारतीय नेतृत्व इस बात से अवगत है कि अफगानिस्तान के भीतर और उसके आसपास हो रही घटनाओं को लेकर सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि अफगानिस्तान के स्थायित्व और मैत्री में भारत के गंभीर हित हैं।

भूटान

हिमालयी राज्य, भूटान के साथ हमारे रिश्ते सावधानीपूर्वक विकसित हुए हैं और उन्हें अनुकरणीय और मधुर कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री अपनी पहली विदेशी यात्रा (15–16 जून, 2014) के दौरान भूटान गए थे, इन्हें वहाँ के नरेश जिग्मे खेमर नामग्याल वांगचुक ने आमंत्रित किया था। इसका उद्देश्य भारत द्वारा भूटान को एक विश्वसनीय मित्र के रूप में प्रदत्त महत्व को दोहराना था। इस यात्रा के दौरान सहयोग और आर्थिक संबंधों के विकास को बल मिला। प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली विदेश यात्रा उनकी खुद की पसंद थी क्योंकि उनका मानना था कि भूटान के साथ हमारे रिश्ते अनूठे और विशिष्ट हैं।

पनबिजली क्षेत्र में भारत द्वारा भूटान को मिला सहयोग, दोनों देशों के लिए हितकारी है और यह अन्य देशों विशेषकर नेपाल के लिए तो यह आदर्श मॉडल की तरह है। भारत ने भूटान की प्रचुर हाइड्रो अथवा जलीय संभावनाओं को इस्तेमाल में लाने के लिए उसे विद्युत संयंत्र लगाने में सहायता दी है, इससे जहाँ एक ओर भारत अपनी ऊर्जा की बढ़ती जरूरतें पूरी करने के लिए बिजली खरीद पा रहा है, वहीं दूसरी ओर भूटान पर्याप्त राजस्व अर्जित कर रहा है। अतीत में, भूटान ने वर्ष 2003 में भारत विरोधी गतिविधियाँ चलाने वाले उग्रवादियों को अपने भू–भाग से खदेड़ दिया था और भारत को आश्वासन दिया था कि वह अपनी जमीन का इस्तेमाल ऐसी गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा, जो भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक हैं, इस बार भी प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान यह आश्वासन दोहराया गया।[5]

बांग्लादेश

भारत और बांग्ला देश ऐतिहासिक रूप से सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषायी रूप से गहरे संबंध साझा करते हैं। भारत की 'पड़ोस पहले की नीति' में बांग्लादेश प्रमुख स्थान रखता है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देश हमेशा साझी चुनौतियों से एक साथ मिलकर लड़ते हैं और कभी भी एक–दूसरे के हितों की अनदेखी नहीं करते हैं। अभी हाल ही में बांग्लादेश शरणार्थियों की समस्या से जूझ रहा था तो भारत सबसे पहल सहायता के लिए आगे आया। भारत की तरफ से यहाँ 'ऑपरेशन इन्सानियत' चलाया गया जिसके तहत चाय, चावल, बिस्कुट, नूडल्स इत्यादि खाने की सामग्री भेजी गई।[6]

प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने के बाद बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा पर जून, 2015 में गए। उनकी यात्रा के दौरान भूमि सीमा समझौता चर्चा का केंद्र बना रहा, जिस पर हस्ताक्षर तो 1974 में हो गए थे लेकिन भारत में बाद की केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, विशेषकर पश्चिम बंगाल एवं असम की आपत्तियों सहित विविध कारणों से संसद में इसका अनुमोदन नहीं करा सकीं थीं। प्रधानमंत्री ने जिस अंदाज से केंद्र और राज्यों के अभिमत को संघटित कर सर्वसम्मति से 100वां संविधान संशोधन पारित कराना सुगम बनाया और संसद के दोनों सदनों में 1974 के इस समझौते और इसे संबंधित 2011 के नयाचार (प्रोटोकाल) के अनुमोदन का मार्ग प्रशस्त किया, वह प्रशंसनीय है। सबसे महत्वपूर्ण इस यात्रा ने बांग्ला देश में भारत की कार्य को पूरा कर दिखाने की योग्यता के प्रति पुख्ता भरोसा कायम किया है।

पाकिस्तान

भारत और पाकिस्तान के संबंध विभाजन के बाद से ही सामान्य नहीं रहे हैं। दोनों देशों ने 1948, 1965, 1971 में युद्ध लड़े हैं और 1999 में यहां कारगिल युद्ध घटित हो चुका है। भारत के खिलाफ आतंकवाद सीमा पार से निरंतर जारी है। दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने की कोशिशें होती रही हैं लेकिन हर बार नतीजा अर्थ हीन रहा है। यहाँ यह उल्लेख करना जरूरी है कि पाकिस्तान के साथ समस्या की जड़ कश्मीर में नहीं बल्कि पाकिस्तान के भीतर मौजूद विविध शक्ति केंद्रों में है : ताकतवर सेना, प्रभावशाली आईएसआई, कट्टरपंथी ताकतें और गुट तथा पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित लेकिन कमजोर सरकार। जब वक्त इन केंद्रों के बीच भारत से रिश्ते सुधारने पर सर्वसम्मति नहीं बनेगी तक तब दोनों देशों के संबंध पाकिस्तान के साथ, भारत संबंधों को सामान्य और अच्छा बनाने के लिए निरंतर संवाद स्थापित करने के प्रयास में रहा है, वही दूसरी तरफ यह कोशिश भी रही है कि इसका असर सार्क के कार्य संचालन पर न पड़े। लेकिन इसका असर पड़ता है जैसे अभी 2018 में सार्क बैठक पाकिस्तान में प्रस्तावित थी लेकिन पाकिस्तान के अड़ियल रुख के कारण नहीं हो पा रही है। दोनों देशों के संबंधों में पाक समर्थित आतंकवाद और घुसपैठ ने द्विपक्षीय संबंधों पर बुरा प्रभाव डाला है। जिसके चलते इस पुरे क्षेत्र में कई बार स्थिरता और शांति खतरे में पड़ जाती है। भारतीय नेतृत्व द्वारा दोनों देशों के मध्य संबंधों को मधुर बनाने के निरंतर प्रयास रहे हैं, जिसके चलते विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान की यात्रा की और दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के मध्य बातचीत भी हुई। मोदी सरकार की आतंकवाद के प्रति आक्रमकता को न केवल पाकिस्तान के संदर्भ में देखा जाए वरन संपूर्ण दक्षिण एशिया के कल्याण के रूप में देखा जाना चाहिए। सरकार की 'पहले पड़ोस' की नीति को हमेशा सीमा पार आतंकवाद की चुनौती मिलती रही है लेकिन इसके प्रति गंभीरता में कमी नहीं आई है। यह बात सर्वदा उचित है कि भारत की 'पहले पड़ोस' की नीति का सार इस बात में है कि भारत सदैव अपने चारों तरफ एक खुशहाल और समृद्ध पड़ोस चाहता है।

श्रीलंका

श्रीलंका के साथ भारत के संबंध काफी गहरे रहे हैं। इसके महत्व को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी वर्ष 2015 और 2017 में श्रीलंका की आधिकारिक विदेश यात्रा पर गए थे। श्रीलंका के सजातीय संघर्ष ने न केवल वहाँ की आंतरिक राजनीति पर असर डाला बल्कि भारत के साथ संबंधों पर भी प्रभाव डाला। साल 2009 में एलटीटीई के खात्मे के बाद, भारत ने श्रीलंका के प्रति बहुआयामी नीति अपनाई है। इस नीति के कई तत्व रहे हैं– जैसे श्रीलंका सरकार को श्रीलंकाई तमिलों से किए वायदे, विशेषकर शक्तियों के सार्थक हस्तांतरण और 13वें संशोधन के समयबद्ध कार्यन्वयन का वायदा पूरा करने के लिए समझाना, श्रीलंकाई तमिलों को समय–समय पर यह भरोसा दिलाना कि 13वें संशोधन को कमजोर बनाने से रोकने और भविष्य में समुदाय के लिए समानता, न्याय और आत्मसम्मान सुनिश्चित करने के लिए वह हरसंभव कदम उठाएगा, लंबे अर्से तक चले गृह युद्ध से बुरी तह प्रभावित उत्तरी श्रीलंका के पुनर्निर्माण के लिए निवेश करना, जहां तक संभव हो तमिल नेताओं की मांगों को पूरा करना, लेकिन अंत में, संकुचित क्षेत्रीय पाटियों के दबाव में न आकर, व्यापक राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति के निरूपण में केंद्र का विशेषाधिकार का उपयोग करना, श्रीलंका में चीन की बढ़ती उपस्थिति पर सावधानी से नजर रखना और श्रीलंका के चीन की ओर झुकाव पर नियंत्रण रखना तथा मछुआरों का मसला हल करना इत्यादि।

वर्तमान में भारत और श्रीलंका दोनों जगह नई सरकारें हैं। दोनों देशों के मध्य बहुत कम अंतराल पर चार उच्च स्तरीय यात्राएं (श्रीलंका के विदेश मंत्री की भारत यात्रा, विदेश मंत्री की श्रीलंका यात्रा श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा और भारत के प्रधानमंत्री की श्रीलंका यात्रा) हुई है। इससे जाहिर होता है कि दोनों देशों के नेतृत्व अपने संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा रखते हैं। श्रीलंकाई संविधान के 13वें संशोधन के पूर्ण कार्यान्वयन के जरिए श्रीलंकाई तमिलों को शक्तियों के हस्तांतरण के अलावा, श्रीलंका में सार्थक सामंजस्य, मछुआरों की रक्षा एवं सुरक्षा, भारत की सुरक्षा चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता, व्यापार और वाणिज्य, समुद्रीय सुरक्षा और महासागरीय अर्थव्यवस्था आदि को बढ़ावा देने पर नए सिरे से बल दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि नई शुरुआत करने और अपने संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए दोनों पक्षों में राजनीतिक इच्छा शक्ति विद्यमान है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि श्रीलंका में नया नेतृत्व व्यावहारिक रूख अपनाएगा तथा भारत और चीन के साथ संबंधों में संतुलन लाएगा।[7]

नेपाल

पिछले कुछ वर्षों से कई कारणों से नेपाल के साथ संबंधों में कुछ हद तक ठहराव आ गया था। नेपाल में कुछ घटक 1950 की भारत–नेपाल शांति एवं मैत्री संधि के पुनरीक्षण की मांग कर रहे थे, जो भारत और नेपाल के विशिष्ट रिश्तों का आधार रही है। इस संधि के प्रावधानों के अंतर्गत, नेपाली नागरिकों ने भारतीय नागरिकों के समक्ष सुविधाओं और अवसरों को प्राप्त करते हुए भारत में अपूर्व लाभ उठाए हैं। इस संधि ने नेपाल को बंदरगाह विहीन देश होने के नुकसान से उबारा है। जिसके चलते दोनों देशों द्वारा एक प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूह का गठन किया गया है जो इस संधि की समीक्षा कर रहे हैं। नेपाल पिछले एक दशक से राजनीतिक बदलाव के कठिन दौर से गुजर रहा है। वह राजशाही के अंत, माओवादियों के मुख्य धारा में लौटने, लोकतंत्र के जन्म का गवाह बना और अब वह देश के लिए नया संविधान (2015) लिखने के बाद नए दौर से गुजर रहा है। पिछले साल नेपाल में आम चुनाव हुए और साम्यवादी दलों की सरकार अभी सत्ता में काबिज है। दोनों देशों के संबंध काफी पुराने रहे हैं और दोनों देशों के नेता पारस्परिक यात्राएँ निरंतर करते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की वर्ष 2014 की प्रथम नेपाल यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक थी। यह 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की प्रथम नेपाल यात्रा थी। इस यात्रा से पहले भारत–नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक हुई। बीस वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ, जब इसकी अध्यक्षता दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने की थी। श्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे विदेशी

प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें नेपाल की संविधान सभा और संसद को संबोधित करने का सौभाग्य प्रदान किया गया। अभी हाल ही नेपाल में राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन होने के बाद दोनों देशों के संबंध पुनः पटरी पर आ रहे हैं। वर्ष 2015 में नए संविधान की घोषणा के बाद नेपाल सीमा पर अघोषित नाकेबंदी हो गई थी जिसके कारण दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट आ गई थी। लेकिन बाद दोनों देशों के मध्य पारस्परिक यात्राओं और संवादों के जरिए आपसी विश्वास का निर्माण किया गया। इस दौरान यह भी बात उठी थी नेपाल अब चीन के नजदीक जा रहा है। लेकिन अभी मई 2018 की मोदी की नेपाल यात्रा ने धार्मिक और सांस्कृतिक मेलजोल को सुदृढ़ करते हुए इन बातों को अर्थहीन कर दिया।[8] अब नेपाल के नए प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के समक्ष चुनौती यह है कि वे कैसे आंतरिक राजनीतिक स्थिरता के साथ भारत और चीन के साथ रिश्तों में सामंजस्यता बैठा पाते हैं।[9]

निष्कर्ष :

पाकिस्तान के साथ भारत संबंधों को सामान्य और अच्छा बनाने के लिए निरंतर संवाद स्थापित करने के प्रयास में रहा है, वही दूसरी तरफ यह कोशिश भी रही है कि इसका असर सार्क के कार्य संचालन पर न पड़े। लेकिन दोनों देशों के संबंधों में पाक समर्थित आतंकवाद और घुसपैठ ने द्विपक्षीय संबंधों पर बुरा प्रभाव डाला है। जिसके चलते इस पुरे क्षेत्र में कई बार स्थिरता और शांति खतरे में पड़ जाती है। भारतीय नेतृत्व द्वारा दोनों देशों के मध्य संबंधों को मधुर बनाने के निरंतर प्रयास रहे हैं, जिसके चलते विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, गृहमंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान की यात्रा की और दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के मध्य बातचीत भी हुई। वर्तमान सरकार की आतंकवाद के प्रति आक्रमकता को न केवल पाकिस्तान के संदर्भ में देखा जाए वरन संपूर्ण दक्षिण एशिया के कल्याण के रूप में देखा जाना चाहिए। सरकार की 'पहले पड़ोस' की नीति को हमेशा सीमा पार आतंकवाद की चुनौती मिलती रही है लेकिन इसके प्रति गंभीरता में कमी नहीं आई है। यह बात सर्वदा उचित है कि भारत की 'पहले पड़ोस' की नीति का सार इस बात में है कि भारत सदैव अपने चारों तरफ एक खुशहाल और समृद्ध पड़ोस चाहता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात 'पहले पड़ोस' की नीति के जरिए प्रधानमंत्री एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव के जवाब में प्रस्तुत करना चाहते हैं। यद्यपि दक्षिण एशिया क्षेत्र में यह एक चुनौती भरा कदम है।[10]

प्रधानमंत्री मोदी भारत को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और मंचों पर यथोचित स्थान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के महत्व को इंगित करने के लिए सरकार ने विदेशों में भारतीय अभियान और दूतावासों की भूमिका में वृद्धि करने का पुरजोर प्रयास किया है। भारत अन्य देशों के साथ आपसी समझ को विकसित करने के लिए अन्य देशों के बौद्धिक प्रकोष्ठों के साथ ज्ञापन समझौतों पर हस्ताक्षर कर रहा है। इस प्रयास से एक ऐसा मंच तैयार होगा जहाँ शोधार्थीयों और वैज्ञानिक बुद्धिजीवियों के मध्य संवाद करने के अवसर प्राप्त होंगे।

वर्तमान दौर में किसी भी देश का विकास उनकी अर्थव्यवस्था से लगाया जाता है। इसलिए भूमंडलीकरण के दौर में सभी राष्ट्र आर्थिक रूप से सशक्त होना चाहते हैं। दक्षिण एशिया के सभी देशों की एक साझा ऐतिहासिक विरासत है और इनके मध्य समभिन्नरूपता भी है। आर्थिक विकास अलग–थलग रहने से नहीं हो सकता। इनके लिए सहयोग, आपसी समझ और एक–दूसरे से जुड़ने की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है कि क्षेत्र में मुक्त आवाजाही का प्रबंध हो। इससे लोग नजदीक आएंगे और एक इकाई के रूप में अपने आपको स्थापित करेंगे। इसके लिए क्षेत्र के सभी देशों के संपर्क (रेल और सड़क मार्ग से जोड़ने) को बढ़ाने के लिए प्रयास करने होंगे। इस स्थिति में भारत भौगोलिक रूप से बड़ा है और क्षेत्र के मध्य में भी है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस दिशा में भारत की बनती है। यह उम्मीद जताई जा सकती है कि सभी देश आपसी मतभेद को दरकिनार कर आपसी सहयोग से

अपनी–अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति का अहम हिस्सा 'पहले पड़ोस' की नीति कारगर और फलदायी साबित हो सकती है।

संदर्भ ग्रंथ

Kamal Madishetty, "Modi's Neighborhood first policy must march on, with or without Pakistan", 16 March 2017, CLAWS,

http://www.claws.in/1716/modis-neighbourhood-first-policy-must-march-on-with-or-without-pakistan-kamal-madishetty.html

Balaji Chandarmohan,"India's Neighborhood first policy: post 2014", EPRC Journal, Foreign Policy Research Center, New Delhi, 2015, p.99.

Ritika paasi, Aryaman Bhatnagar, Neighborhood first:Navigating ties under Modi, ORF and Global Policy Journal, New Delhi,2016, p. 3.

Dr. Nihar Ranjan Das, "Afghanistan's Relations with India and Iran: An Assessment of Ghani Period", ICWA, Issue Brief, July 27, 2016, https://icwa.in/pdfs/IB/2014/AfghanistansRelationswithIndiaandIranIB27072016.pdf

Rajeev Sharma, "Why Modi picked Bhutan for his firstforeign visit as PM", First Post, 7 June 2014,

https://www.firstpost.com/india/why-modi-picked-bhutan-for-his-first-foreign-visit-as-pm-1559503.html

Dr Ashish Shukla, "The Impact of recent High Level visits on India-Bangladesh Relations:, ICWA, issue brief, 20 June 2018, https://icwa.in/pdfs/VP/2014/India Bangladesh Relation VP20062018.pdf

Dr. M. Samatha, "Indian Prime Minister's Visit to Sri Lanka", ICWA view point, 26 March 2015, https://icwa.in/pdfs/VP/2014/PMSLvisit 206032015VP.pdf

Rakesh Kumar Meena, "Pradhanmantri modi ki Nepal Yatra: Ek sameeksha", ICWA view point, 6 June 2018, https://icwa.in/pdfs/VP/2014/PMNepalvisitVP662018.pdf

Dr Rakesh Kumar Meena, "Pradhanmantri Modi ki Nepal Yatra: Ek Sameeksha", ICWA view point, 6 June 2018, https://icwa.in/pdfs/VP/2014/PMNepalvisitVP662018.pdf

Vinay Koura, "Grading India's Neighborhood diplomacy", 1 January 2018, The Diplomat, https://thediplomat.com/2017/12/grading-indias-neighborhood-diplomacy/

❑❑❑

नेपाल में माओवादी नेतृत्व का भारत–नेपाल वैदेशिक संबंध पर प्रभाव

*डॉ. नरेंद्र कुमार आर्य

नेपाल दक्षिण–एशिया के सबसे छोटे देशों में से एक है किंतु इसकी सामरिक स्थिति इसे राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक का निर्विवाद दर्जा प्रदान करती है। 1940 तक विश्व के बहुत कम लोगों को नेपाल की भू–स्थिति के बारे में मालूम था। 1947 में भारत के स्वाधीन होने और 1949 में चीन में साम्यवादी राज्य की स्थापना होने के बाद से नेपाल दो महादेशों के बीच एक बफर राज्य के रूप में महत्वपूर्ण हो गया था। भारत और चीन के मध्य 'भाई–भाई' के मुहावरों के दौर तक सब कुछ ठीक था। दक्षिण एशिया की राजनीति में उबाल आया चीन के द्वारा तिब्बत के अधिग्रहण और 1962 में चीन–भारत युद्ध के पश्चात् बदलते हुए क्षेत्रीय घटनाचक्र के कारण नेपाल की भू–स्थैतिक स्थिति ने भारत के लिए नेपाल का मूल्याँकन नवीन ढंग से करने के लिए विवश किया। नेपाल आज भी भारत के लिए महत्वपूर्ण पड़ोसी राष्ट्र है। भारत और नेपाल की 1760 किमी. लंबी सीमा प्रायः खुली हुई है जहाँ से लोगों और वस्तुओं का निर्बाध आवागमन होता है। आज भी नेपाल का 60–64% तक निर्यात और आयात भारत के साथ ही होता है। चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था होने के वावजूद भी नेपाल के साथ अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर ही व्यापारिक संबंध विकसित कर पाया है।

माओवादी नेपाली राजनीति के परिप्रेक्ष्य में भारत–नेपाल वैदेशिक संबंध (2001 से 2018 तक)

भारत–नेपाल संबंध कालांतर में अनेक उतार–चढ़ाव के साझी रहे हैं। दूसरे शब्दों में, नेपाल–भारत सम्बन्ध समय–समय पर नेपाली आंतरिक राजनीति के कारण कभी अत्यधिक आत्मीय तो कभी नकारात्मक स्थिति में चले जाते हैं। विद्वानों की राय है कि भारत समय–समय पर अपने सुरक्षा हितों के लिए लोकतंत्र का 'कार्ड' खेलता रहा है जबकि राजशाही उसके हितों के ज्यादा अनुकूल रही है। नेपाली कांग्रेस को कमजोर करने किंतु अंततोगत्वा अपने सामरिक हितों के सवाल पर भारत ने लोकतंत्र को अपना समर्थन भी दिया। भारत–नेपाल के संबंधों की गतिशीलता गहराई से एक दुसरे के आंतरिक घटनाचक्र से जुड़ी हुई है। नेपाल के राजनेताओं की यह प्रवृति है कि वो किसी अस्थिरता और संवैधानिक संकट के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। कुछ राजनीतिक दलों का संकीर्ण और अंधराष्ट्रवाद अक्सर द्वीपक्षीय संबंधों के लिए दिक्कत पैदा कर देता है खासकर जब वो विपक्ष की भूमिका में होते हैं। वामदलों के लिए राष्ट्रवाद का पर्याय प्रति–भारतवाद हो जाता है। जून 2001 में राजकीय परिवार के सामूहिक आत्मसंहार के पश्चात् ज्ञानेंद्र को नेपाल नरेश बनाया, राजा ज्ञानेंद्र संसदीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाकर पुनः राजशाही को मजबूत करना कहते थे जोकि जनमत के खिलाफ था। ज्ञानेंद्र ने मनमानीपूर्ण रवैया अपनाते हुए कई प्रधानमंत्रियों को बर्खास्त किया, संसद को भंग किया और अंततः 2005 में देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। भारत ने नेपाल में अलोकतांत्रिक प्रवृतियों के उभार और सशक्तीकरण का संज्ञान लेते हुए नेपाल की सैन्य सहायता बंद कर दी और सार्क

* पूर्व व्याख्याता, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय, कोटद्वार, उतराखंड

सम्मेलनों में जिसमे नेपाल को शिरकत करनी थी, भाग नहीं लेकर अपनी असहमति व्यक्त की। इसी दौरान नेपाल में माओवादी आंदोलन अपने मजबूत दौर में था और 2005 के एशिया–अफ्रीका शिकार सम्मलेन में ज्ञानेंद्र ने माओवादी आंदोलन के लोकतांत्रिक तरीक से निपटने में असमर्थ होने के कारण ही आपातकाल लागू करने की विवशता का हवाला दिया। ज्ञानेंद्र के प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण, अलोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संगठनों में अविश्वास और उनके पतन की पृष्ठभूमि तैयार करने के कारण, नेपाल में माओवादी आंदोलन को जनसमर्थन हासिल होता जा रहा था। मुसतंग और मनांग जिलों को छोड़ कर 75 में से 73 जिलों में माओवादी वर्चस्व की स्थिति में थे। बाबूराम भट्टाराई माओवादियों के केंद्रीय संगठन का नेतृत्व कर रहे थे जबकि क्षेत्रीय, जिला और गाँव–चारों स्तरों पर माओवादियों का वर्चस्व स्थापित हो चुका था।

2005 में जब माओवादियों और अन्य दलों के बीच राजनीतिक डेडलॉक की स्थिति आ गयी थी तो भारत ने ही इनके बीच राजनीतिक समझौता करवाकर स्थिति का हल सुझाया था। फलस्वरूप, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते राजा ज्ञानेंद्र को अप्रैल 2006 में संसद को बहाल करना पड़ा था। गिरिजा प्रसाद कोईराला ने प्रधानमंत्री बनते ही तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए – राजा ज्ञानेंद्र से सारे अधिकार छीने, संसदीय सर्वोच्चता स्थापित की और असंतुष्ट कितु शक्तिशाली माओवादियों को अंतरिम सरकार में शामिल किया। इस में कोई दो राय नहीं कि भारत भी माओवाद के नकारात्मक और अराजक तत्वों से आंतरिक रूप से चिंतित है और नेपाल में माओवाद के उभार ने, भारतीय सुरक्षा संगठनों के चिंता में वृद्धि कर दी है। 2008 में कम्युनिस्ट पार्टी ओफ नेपाल के नेता पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' नेपाल के प्रधानमंत्री बने और भारत से पहले चीन की राजनयिक यात्रा करने वाले वो पहले नेपाली प्रधानमंत्री बने और पुरानी परंपरा को तोड़ा। इसके अतिरिक्त माओवादियों का चीन के प्रति स्वाभाविक वैचारिक झुकाव भी है। माओवादी सरकार और नेता भारत–नेपाल संधि की समीक्षा की बात तो उठाते हैं किंतु इसकी वजह से उन्हें कितने प्रकार के अनगिनत फायदे हैं हैं इसका जिक्र नहीं करना चाहते।

मई 2008 में नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना और नेपाली कांग्रेस दल के नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला पहले प्रधानमंत्री बने। कोइराला को जल्दी ही पद छोड़ना पड़ा और पुष्प कमल दाहाल पहले माओवादी प्रधानमंत्री बने। आठ महीने के कार्यकाल के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति राम बरन यादव ने जब प्रचंड के द्वारा सेनाध्यक्ष के हटाने के प्रस्ताव पर वीटो किया तो नाराज प्रचंड ने इस्तीफा दे दिया। प्रचंड के बाद उन्हीं की पार्टी नेपाली साम्यवादी दल (माओवादी मध्यमार्गी) के नेता माधव कुमार नेपाल नए प्रधानमंत्री बने। अगस्त में इन्होंने भारत की यात्रा की इसके पहले शर्म–अल–शेख में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शिखर वार्ता के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी इनकी मुलाकात हुई थी। प्रचंड के समय उत्पन्न नकारात्मक वातावरण से प्रधानमंत्री नेपाल का समय बेहतर था। प्रचंड ने आरोप लगाया की भारत कम्युनिस्ट पार्टी के एक अन्य महत्वपूर्ण नेता बाबूराम भट्टराई को भविष्य में प्रधानमंत्री के रूप में आरोपित करने की कोशिश करते हुए माओवादियों को सरकार से पदच्युत करना चाहता है और भारत–परस्त सरकार गठित करवाने का षड्यंत्र कर रहा है। अगस्त 2011 में नेपाल संयुक्त साम्यवादी दल (माओवादी) के अध्यक्ष बाबूराम भट्टाराई नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने। इस बात की सम्भावना व्यक्त की जा रही थी कि भट्टराई के समय में संबंध सुधरेंगे। भट्टाराई ने उच्च शिक्षा भारत से प्राप्त की है और भारत के प्रति उनका झुकाव स्वाभाविक है। भट्टाराई 38 सदस्यीय यात्रामंडल के साथ चार दिन की भारत आए और 3 महत्वपूर्ण समझौतों पर दस्तखत किए गए– जिनमें द्विपक्षीय निवेश संरक्षण समझौता, दुहरा कराधान परिहार समझौता के अतिरिक्त दर्जनों छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स में भारत ने आर्थिक और तकनीकी मदद देने का आश्वासन दिया और एक बिलियन डॉलर का सॉफ्ट ऋण तराई और काठमांडू को जोड़ने वाले सड़क परियोजना के लिए दिया। भारत के प्रति प्रचंड और नेपाल दोनों से अधिक मित्रता नेपाल में भट्टाराई के 'राष्ट्रवादी' व्यक्तित्व पर सवाल पैदा कर सकती है। अपनी भारत यात्रा के पूर्ण भट्टाराई ने 'द हिंदू' में लिखे लेख में स्पष्ट किया किया कि वो किसी खास एजेंडे

पर नहीं बल्कि सभी मुद्दों पर मित्रवत बातचीत के लिए भारत आ रहे हैं ताकि नेपाल भारत और चीन के आर्थिक विकास का भरपूर फायदा अपने नागरिकों को उपलब्ध करा सके।

2013 के संसदीय चुनावों में नेपाली कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और सुशील कोइराला फरवरी 2014 में नए प्रधानमंत्री बने और मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेपाल की यात्रा की और तीन महत्वपूर्ण संधियों पर आपसी सहमती बनी। सुशील कोइराला 1970 के दशक में लगभग 11 वर्षों तक भारत में राजनीतिक प्रवासन पर रहे और उन्होंने भारत के समाजवादी नेताओं से अच्छे संबंध बनाए। अपने दूसरे प्रधानमंत्री के कार्यकाल की शुरुआत प्रचंड ने अगस्त 2016 में की। प्रचंड भारत के साथ अपनी पुरानी छवि को तोड़ना चाहते थे और उन्होंने भारत यात्रा के पूर्व उपप्रधानमंत्री बिम्लेंद्र निधि को संभावित मुद्दे जिन पर बात होनी थी और आपसी सहयोग के समझौतों को अंतिम रूप दिया जाना था, की पृष्ठभूमि तैयार करने हेतु भेजा। निधि ने विदेशमंत्री सुषमा स्वराज से भी बात की। प्रचंड ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे पहले भारत की यात्रा की सितम्बर 2017 में। प्रचंड ने एसोचेम, सीआईआई और फिक्की के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और नेपाल के आर्थिक विकास में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया। कई जलविद्युत परियोजनाओं के विकास पर संधि हुई। भूकंप पीड़ितों के पुनर्वास और विनाश से प्रभावित आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए लगभग 1 बिलियन डॉलर की सहयता भारत ने मुहैया कराई। इसके अतिरिक्त सिचाई परियोजनाओं के लिए 200 मिलियन डॉलर, सड़कों के विकास के लिए 330 मिलियन डॉलर और महाकाली नदी पर सेतु के लिए 500 मिलियन डॉलर की एकमुश्त क्रेडिट राशि उपलब्ध कराई गयी।

तत्पश्चात्, अप्रैल में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी की राष्ट्रपति बनने के बाद भंडारी की पांच दिन की भारत की आधिकारिक यात्रा की। राष्ट्रपति भंडारी 2016 में ही भारत की यात्रा पर आनेवाली थीं, परंतु नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली से टकराव के कारण उनकी यात्रा रद्द हो गयी थी। राष्ट्रपति भंडारी ने भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने संबंधी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। जब अप्रैल 2015 में नेपाल के लोगो को भूकंप का भयानक तांडव झेलना पड़ा, तो भारत सबसे पहला देश था, जिसने सहायता सामग्री एवं सैनिकों को नेपाल सरकार के साथ बचाव अभियान में सहयोग करने के लिए भेजा। भंडारी ने भूकंप के कवरेज के तरीके और नेपाली सरकार की नकारात्मक छवि के लिए भारतीय मीडिया की आलोचना की। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ओली ने इस मुद्दे को संयुक्त राज्य के महासचिव बान की मून के समक्ष भी उठाया और भारत के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए चीन के साथ संबंधों की मजबूती पर विशेष ध्यान दिया। नेपाल की विदेश नीति में इस विशेष बदलाव का पता उस समय स्पष्ट हो गया, जब फरवरी 2016 में भारत की यात्रा के तुरंत बाद 'ओली' मार्च में चीन गये तथा काठमांडू एवं बीजिंग के बीच 'वन बेल्ट, वन रोड' के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।

2016–17 के दौरान चीन ने नेपाल के लिए अपने बीस चौंकियाँ खोल दी है जिससे नेपाल में चीनी नागरिकों और अन्य संदिग्ध तत्वों का प्रवेश करना आसान हो जायेगा, जो भारत–नेपाल की खुली सीमा के कारण एक चिंतनीय सुरक्षा संबंधी मुद्दा है। अगर चीन नेपाल में बढ़ती नजदीकियों के कारण उसका सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक–व्यापारिक व सुरक्षा सहयोगी बन जाएगा तो एक तरह से हिमालय का भौगोलिक अवरोध और एक बफर क्षेत्र भारत के हाथ से निकल जाएगा। नेपाली माओवादियों को चीन से भी सजग रहना होगा। उनका माओवाद अवश्य चीनी नेता से प्रेरित है लेकिन चीन साम्यवाद और माओवाद के वैचारिक युग से बहुत दूर निकल आया है। आज वो वैश्विक स्तर पर अमेरिका से भी बड़ी पूंजीवादी शक्ति है। इसी सोच के चलते जब राजा ज्ञानेंद्र को माओवादियों के कारण पैदा गृहयुद्ध से निपटने के लिए हथियारों की आवश्यकता थी तो भारत, अमेरिका और ब्रिटेन ने तो शास्त्रों की आपूर्ति नहीं की थी बल्कि उनके वैचारिक–मित्र चीन ने ही की थी।

भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की 2016 नेपाल यात्रा दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में एक अति महत्वपूर्ण पहल थी। राष्ट्रपति मुखर्जी ने अपनी यात्रा को 'मिशन ऑफ फ्रेंडशिप' कहा। भारत का नेपाल के साथ अच्छे रिश्ते बनाने का दूसरा कारण चीन का नेपाल की सड़क, बिजली जैसी अन्य मूलभूत संरचना में बढ़ती भागीदारी को रोकना है। पाकिस्तान का नेपाल के साथ मैत्रीपूर्ण प्रयासों के संदर्भ में भारत के लिए यह आवश्यक भी है कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि चीन–नेपाल–पाकिस्तान का भारत के विरोध में सामूहिक गंठजोड़ न हो पाए। काठमांडू के साथ मजबूत रिश्ता बनाये रखना नई दिल्ली के लिए इसलिए भी जरूरी है, ताकि नेपाल के नये संविधान में मधेशी लोगों के हितों की रक्षा की जा सके।

भारत–नेपाल रिश्ते वर्ष 2017 में एकबार फिर पटरी पर वापस लौटे। भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत और चीन में रक्षा मंत्री जनरल वांग यी ने सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए नेपाल की यात्रा की। तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ मुलाकात कर द्वीपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की थी। भारतीय जनता पार्टी अपने दक्षिणपंथी रूझान के चलते नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति, हिंदू राष्ट्र की जगह धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किये जाने और साम्यवाद का प्रतिरोध करती रही है। नेपाल की महामहिम भंडारी के भारत आने से पहले वित्त मंत्री अरूण जेटली नेपाल निवेश शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वहां पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बुनियादी ढांचे की जरूरतों के आधार पर अपने पड़ोसी देश के समर्थन के लिए भारत की प्रतिबद्धता का दोहराया था। भारत ने तकनीकी संस्थानों के निर्माण के लिए अपने पड़ोसी देश को 414 करोड़ रुपए देने का वादा भी किया। भारत के करीबी माने जाने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने भी भारत को दौरा किया और नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। देउबा के दौरे से पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जुलाई में यहां आईएमएसटीईसी (बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल) की बैठक में शिरकत की थी। भारतीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने भी नेपाल का दौरा किया और दिल्ली एवं कोलकाता को रेल के जरिए नेपाल से जोड़ने के मुद्दे पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच रेल संपर्क है क्योंकि प्रमुख निर्यात एवं आयात का काम भारतीय बंदरगाहों के जरिए किया जाता है। चीन की महत्वकांक्षी पहल वन बेल्ट वन रिजन (ओबीओआर) का हिस्सा बनने के बाद नेपाल का बीजिंग की तरफ झुकाव बढ़ता दिखा, जिसे भारत संदिग्ध निगाह से देखता है।

नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रचंड ने मार्च में बाओ सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन का दौरा किया और इस दौरान चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग सहित कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। चीन और नेपाल के गहरे होते संबंध का एक अन्य उदाहरण सागरमाथा फ्रेंडशीप 2017 के पहले 10 दिवसीय संयुक्त अभ्यास में भी देखने को मिला, जब आतंकवाद विरोधी और आपदा मोचन अभ्यास में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने हिस्सा लिया। नेपाल में खासे बहुमत से सरकार बनाने के बाद वहां प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली का कहना है कि नेपाल अब एक स्वतंत्र विदेश नीति की तरफ बढ़ेगा। पूर्ण बहुमत से नेपाल की सत्ता में आए ओली भारत से अच्छे संबंधों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनके तमाम आश्वासनों के बावजूद भारत की चिंता कम नहीं हुई है। नेपाल अब चीन ही नहीं, पाकिस्तान से भी नजदीकी बढ़ाने को इच्छुक है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खान अब्बासी ने हाल ही में नेपाल की यात्रा की। दूसरी तरफ चीन में शी जिनपिंग के और मजबूत होने के बाद नेपाल में और आक्रामक आर्थिक विस्तार के संकेत चीनी कंपनियों की तरफ से हैं।

यह सच्चाई है कि माओ त्से तुंग की नेपाल नीति और जिनपिंग की नेपाल नीति में काफी फर्क है। माओ त्से तुंग ने नेपाली नेताओं को साफ कहा था कि नेपाल हिमालय के दक्षिण में है, इसलिए नेपाल के हित में उचित यही होगा कि वह भारत से अपने संबंध मधुर रखे। लेकिन आज नेपाल और चीन के बीच हिमालय कोई रणनीतिक बाधा नहीं है। जिस समय माओ त्से तुंग ने नेपाली नेताओं को भारत से संबंध अच्छे रखने को कहा था उस समय की वैश्विक राजनीतिक अलग थी। उस समय चीन

तिब्बत में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा था। आज जिनपिंग के समय, तिब्बत में चीन के पैर पूरी तरह से जम चुके हैं। 2002 में ल्हासा तक व 2003 में भूटान के उत्तर में सिगात्शे तक चीन की रेलवे लाइन पहुंच गई है। चीन की योजना है कि 2020 तक काठमांडू के उत्तर में नेपाल सीमा तक चीनी रेल पहुंच जाए। भारत की चिंता ओली की गतिविधियों के कारण बढ़ी है। चीन–नेपाल रेलवे नेटवर्क को लेकर ओली काफी गंभीर हैं। उन्होंने चुनाव जीतने के तुरंत बाद नेपाल–तिब्बत सीमा पर स्थित रसुआगढ़ी का दौरा किया जहाँ से प्रस्तावित तिब्बत–नेपाल रेल लाइन को गुजरना है। भारत–नेपाल सीमा पर दो बार तनाव हुआ। दो बार नाकेबंदी की घटना हुई। 1988–99 में नेपाल की नाकेबंदी हुई थी। दुबारा नाकेबंदी 2015–16 में हुई। नेपाल में हुए चुनाव के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल ने नाकेबंदी को लेकर जनता के बीच जबर्दस्त प्रचार किया और भारत को खलनायक के तौर पर पेश किया। इस प्रचार का सबसे ज्यादा लाभ के पी शर्मा 'ओली' को हुआ। उनकी पार्टी को खासी सीटें मिलीं। अब ओली प्रधानमंत्री हैं। वे भारत से बराबरी के स्तर पर संबंधों को निर्धारित करना चाहते हैं। यही कारण है कि वे लगातार चीन से आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की वकालत कर रहे हैं। ओली ने न्यायपालिका पर नियंत्रण के बाद खुफिया विभाग को अपने नियंत्रण में कर लिया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठनों पर लगाम लगाई जा रही है। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती चीन की 'शार्प पॉलिसी' है। इस पॉलिसी के तहत चीन नेपाल सहित दुनिया के कई मुल्कों में राजनीतिक दलों और नेताओं को भ्रष्ट करने की कूटनीतिक चाल चल रहा है।

फरवरी 2018 को अनुभवी साम्यवादी नेता औली ने नेपाल के 51वें प्रधानमंत्री की शपथ ली। हालिया प्रधानमंत्रियों में औली नेपाल के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं क्योंकि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में सभी प्रमुख पद वामदलों के पास हैं और संसद के दोनों सदनों में भी वामदलों का दबदबा है। ओली की भारत–विरोधी रणनीति साफ दिख रही है। उन्होंने सत्ता में आने के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहिद खान अब्बासी को निमंत्रित किया। मार्च के पहले सप्ताह में अब्बासी नेपाल पहुंचे। भारत के लिए यही संकेत काफी है। पाकिस्तान की मंशा का अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे भी नेपाल में आईएसआई की गतिविधियां लंबे समय से हैं। भारत ने लगातार इस पर चिंता व्यक्त की है। अलबत्ता वर्तमान सरकार की नेपाल नीति की आलोचना विपक्षी दल लगातार कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार नेपाल के मामले में विपक्षी दलों को विश्वास में नहीं ले रही है। वर्तमान परिस्थितियों में नेपाल से संबंधित कूटनीति में विपक्षी दलों को विश्वास में लेना जरूरी है। इस समय नेपाल में वामपंथी सरकार है। भारत और नेपाल के आपसी भरोसे में जो कमी आई है, उसकी भरपाई करने के लिए भारत के वामपंथी दलों से सहयोग लेने में कोई हर्ज नहीं है। अपने पिछले प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में आवेगपूर्ण ढंग से भाग लिया था। इन प्रोजेक्ट्स में कोई खास प्रगति नहीं हुई है, वहीं भारतीय दबाव नेपाल पर हैं कि वो चीनोंमुख न होने पाए। विक्रम चाँद 'बिप्लव' और मोहन वैद्य 'किरण' सरीखे युवा माओवादी भारत के प्रति खास तौर से सख्त रवैया अख्तियार करते हैं और वाम दलों की नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। वर्तमान में भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत छोटे तथा बड़े लगभग 400 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। नेपाल के आर्थिक विकास में सहयोग करने तथा नेपाल के तराई क्षेत्र में विकास की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से, भारत, नेपाल को भारत से जुड़े उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में समेकित चेक पोस्टों के विकास, क्रास बार्डर रेल लिंक तथा तराई क्षेत्र में फीडर रोड तथा पाश्विक सड़कों के विकास के जरिए आधारभूत संरचना का विकास करने में सहायता प्रदान कर रहा है। नेपाल के सामान्य लोगों के लिए भारत अभी भी एक 'घरेलू' देश है और दोनों के बीच घनिष्ट रिश्तों की वजह है। नेपाली सरकार के अनुमानुसार, भारत में 15–20 लाख नेपाली नागरिक रह रहे हैं वहाँ तुलनात्मक रूप से चीन में मात्र 3500 (मुख्यभूमि) व् हांगकांग में मात्र 16000 नेपाली मूल के लोग रहते हैं।

निष्कर्ष

नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता भारत के सामरिक हितों के अनुकूल नहीं है। पिछले 26 वर्षों में 24 प्रधानमंत्री देश और संविधान के प्रति शपथ ले चुके हैं किंतु सत्ता लोलुपता और स्वर्थाधारित राजनीति के चलते समाज के सभी समुदायों और वर्गों के हितों के साथ विभेदीकरण किया जाता है और देश में अस्थिरता का माहौल बन जाता है। माओवाद की अपनी वैचारिक पद्धति उसके उस नजरिए को प्रभावित करती है जिससे वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति और निरंतर परिवर्तनशील अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्याख्या और विश्लेषण करता है। वामपंथी और माओवादी शुरू से ही नेपाल की राजशाही से भारत के पुराने मित्रतापूर्ण संबंधों के चलते उसे प्रतिक्रियावादी और लोकतंत्र के विरूद्ध मानते रहे हैं। इस लिहाज से ये थोड़ा विरोधाभासी प्रतीत हो सकता है कि दुनिया का सबसे विशाल लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला गणराज्य अपने बेहद नजदीकी पड़ोसी राज्य में लोकतंत्र का खुला समर्थक नहीं रहा है। मोर्गेन्थाऊ और केनेथ वाल्ट्ज के यथार्थवादी स्कूल के अनुसार शायद दक्षिण एशिया में स्थायित्व और शांति के वातावरण के लिए तत्कालीन भारतीय अप्रोच अनुपयुक्त नहीं कही जाएगी किंतु नेपाल में गणतांत्रिक, लोकतांत्रिक और जनवादी व्यवस्था को जब पूरे नेपाली समाज का सहयोग प्राप्त हो रहा है है तो निस्संदेह भारत को नेपाली नेतृत्व के साथ एक वैचारिक सहयोगी की भूमिका का निर्वहन करना होगा। नेपाल के माओवादी नेतृत्व को भी अपनी सोच, शैली, व्यवहारिकता, वरीयताओं और लघुकालीन और दीर्घकालीन उद्देश्यों के सार्वजनिक उद्घोषीकरण में सुसंगति को अपने पड़ोसियों के साथ व्यक्त करना होगा और उन्हें विश्वास में लेना होगा। माओवादियों को भी अपनी आंतरिक राजनीति में सत्ता प्राप्ति के लिए भारत–विरोध की बचकानी राजनीति से बचना होगा क्योंकि भारत एक महत्वपूर्ण वैश्विक शक्ति है और वैश्विक व्यवस्था भारत से क्षेत्रीय स्थायित्व और शांति के वातावरण की अपेक्षा करती है।

संभवतः किन्हीं दो अन्य पड़ोसियों के बीच इतने घनिष्ठ और अंतरंग संबंध असामान्य हैं, इनकी जड़ें अतीत में हैं और हजारों अलग–अलग तरीकों से तथ्य और आंकड़े व्यापार तथा निवेश, संस्कृति तथा व्यक्तिगत संपर्कों से बने संबंधों की जटिलता दैनंदिन अस्तित्व में उजागर होती हैं। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समानता, भाईचारा और नजदीकियां वो विरासत है जिसे भारत को 'सॉफ्ट पॉवर' के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए और नेपाल को चीन के आर्थिक और वित्तीय जाल में फंसने से रोकना चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत जन संस्थाओं और संगठनो को साथ जोड़कर जन–कूटनीति को बढ़ावा दे सकता है। भारत के शिक्षा संस्थानों में नेपाली छात्र–छात्रों को बंधुतापूर्ण और अन्य प्रकार का सकारात्मक अनुभव देकर हम उन्हें सांस्कृतिक, सामाजिक और बौद्धिक राजनयिकों का दर्जा देकर शेष नेपाली समाज से बेहतर संबंध बनाने की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ

1. "नेपालः क्रिटिकल डेवेलपमेंट कॉन्सट्रेन्टस", एशियन डेवेलपमेंट बैंक (एडीबी), डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवेलपमेंट (डीएफआईडी), व इंटरनेशनल लेवर ऑर्गेनाइजेशन (आईएलओ), मनिला/लंदन, 2009
2. कृष्णा हछेथु, "माओइस्ट इन्सर्जेन्सी इन नेपाल : एन ओवरव्यूह", यूनिवर्सिटी ऑफ बेलफिल्ड जर्मनी, http://www.uni-bielefeld.de/midea/pdf/harticle2.pdf
3. अली रियाज व सुभो बसु, "पाराडाइज लॉस्ट" स्टेट फेल्योर इन नेपाल, लेक्सिंगटन बुक्स, प्लाईमॉउथ, 2010, पृष्ठ संख्या–02
4. नेपाल में विभिन्न जातीय समूहों के ऐतिहासिक प्रस्थितिकरण, ऐतिहासिकरण, अस्मिताकरण व संस्कृतिकरण और इसका सामाजिक बदलावों और राजनैतिक चेतना पर किस तरह असर

पड़ा के लिए देखिए। फिशर, विलियम एफ, "फ्लुइड बाउन्ड्रज, फॉरमिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग आडेंटिटी इन नेपाल" ए कोलम्बिया यूनिवर्सिटी प्रेस, 2001

5. भट्टाराई, कृष्ण, "नेपाल", चेलसी हाउस, न्यूयॉर्क, 2008, पृष्ठ संख्या–52–67
6. मधेसिया आंदोलन के राजनीतिक पहलूओं और इसके लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव, समानता की मांग और संघीय सरकार पर दबाव और संवैधानिक प्रावधानों में प्रतिनिधिकरण के मुद्दों को समझाने के विश्लेष्णात्मक अध्ययन हेतु देखें। इस कल्पना, "द मधेशी अपसर्ज एंड द कंटेस्टेड आइडिया ऑफ नेपाल", स्प्रिंगर, सिंगापुर, 2017, पृष्ठ संख्या 01–03
7. रमेश सुमन, केशब गौतम, "द राइज ऑफ माओइटस इन नेपाल", http://crawfordlanuledulau/news-events/news/86/rise-maoists-nepal
8. ऑनेस्टो, ली, "डिस्पैचेज फ्राम पीपलस वार इन नेपाल", प्लूटो प्रेस, लंदन, 2005, पृष्ठ संख्या 17–25
9. देव राज दहल, "नेपाल : द कंस्टीट्यूएन्ट एसेंबली इलेक्शन एंड चैलेंजेज अहेड", http://libary.fes.de/pdf-files/iez/05481.pdf
10. मुर्शिद, एस. मंसूब, स्कॉट गेटस, "स्पाशियल–हॉरिजोन्टल इनइक्वालिटी एंड द माओइस्ट इनसरजेन्स इन नेपाल", वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, फरवरी, 2003
11. लेविन, नैन्सी ई, "कास्ट, स्टेट, एंड एथनिक बाउन्ड्रिज इन नेपाल", द जनरल ऑफ एशियन स्टडीज, वोल्यूम–46, नं.–1, (फरवरी, 1987), पीपी–86, स्टेबल, http://links.jstor.org/sici?sici=00219118%28198702%2946%3A1%3C71%3ACSAEBI%3E2101CO%3B2-B
12. रंजन, आलोक, "नेपाली क्रांति, मजदूर आंदोलन की समस्याएँ", 3 फरवरी, 2009, http://www.mazdoorbigu.Inet/archives/404
13. इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप, "नेपालस माओस्टः दियर एम्स, स्ट्रचर एंड स्ट्रैटेजी", एशिया रिपोर्ट, नं.–104, 27 अक्तूबर, 2005, ब्रुसेल्स
14. अविदित आचार्य, अक्तूबर 2009, "द माओइस्ट इन्सरजेन्सी इन नेपाल एंड द पोलिटिकल इकोनोमी ऑफ भॉयलेन्स, स्टैन्डफार्ड यूनिवर्सिटी, वर्किंग पेपर
15. "फ्रॉम पोलिटिसाइजेशन ऑफ ग्रिवान्सेज टू पोलिटिकल भॉयलेन्स : एन एनालिसिस ऑफ द माओइस्ट मूवमेंट इन नेपाल", लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स, वर्किंग पेपर नं.– 07–78, 2009, http://www.lse.ac.uk/internationalDevelopment/pdf/WP/WP78.pdf
16. http://www.bbc.com/hindi/news/020218_nepalrebel_asslshtml
17. शाह का मानना है की 2006 की राजनीतिक उथल–पुथल में नेपाली सिविल सोसाइटी (नागरिक समाज) के विभिन्न घटकों, जनसंचार–संगठनों, गैर–सरकारी संगठनों, पेशेवरों समूहों और स्वयंभू नागरिक समाज के विभिन्न फोरमों की राजशाही को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। देखें शाह, सौभाग्य, "सिविल सोसाइटी इन अनसिविल प्लेसेस सॉफ्ट स्टेट एंड रेजिम चेंज इन नेपाल", पॉलिसी स्टडीज 48, ईस्ट–वेस्ट सेंटर, वाशिंगटन, 2008
18. शर्मा, विष्णु, "नेपाल का माओवादी आंदोलन : एकता के नारे और विसर्जन की राजनीति", देश–विदेश, सितंबर, 2016
19. गंग बहादूर थापा, "द पीपलस वार इन चैलेन्जेज टू बिल्डिंग पीस एंड डेमोक्रेसी", पेपर प्रेजेंटेड ऐट फूकोयमा, इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस कॉन्फ्रेंस, जुलाई, 2006, 2006|http://paperroom|ipsa|org/papers/paper_5059.pdf

20. चाकन, माइरो एंड पैक, क्रिस्टोफर, "बैलेटस एंड बुलेटसः द इलेक्टोरल ओरिजिन ऑफ द माओइस्ट इनसर्जेन्स इन नेपाल", (2017), http://ssrn|com/abstract=2995007 or httsp://dx.|dio.|org/10.2139/ssrn.2995007
21. "पोलिटिकल ट्रांजिशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट इन नेपालः 2009–2014", द कार्टर सेंटर, अटलांटा, 2015
22. हरिवंश झा, "नेपालस न्यू ट्रिस्ट विद डेमोक्रेसी एंड द इंडिया फैक्टर", क्लाउज (CLAWS) जरनल, विंटर 2014, पृष्ठ संख्या 43–58
23. चंद्रा, विशाल, "इंडिया एंड साउथ एशिया : एक्सप्लोरिंग रीजनल परसेपशन्स", इंस्टीट्यूट फॉर डिफेन्स स्टडीज एंड एनालिसिस, पेंटागन प्रेस, नई दिल्ली, 2015, पृष्ठ संख्या 72–74
24. भौमिक, निलांजना, "विल नेपाल्स पीएम इम्प्रूव टाइज विद इंडिया?" टाइम मैगजिन, अक्टूबर 2014, http://content|time|com/time/world/article/0,8599,2097681,00.html
25. भट्टाराई, बाबूराम, "ए विजन फॉर नेपाल–इंडिया रिलेशन्स", द हिंदू, 19 अक्तूबर 2011, http://www.thehindu.com/opnioin/lead/a-vision-for-nepalindia-relations/article2552455.ece
26. नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान दिया गया भारत–नेपाल का संयुक्त वक्तव्य, 16 सितंबर, 2016, http://www.mea.gov.in/bilaeraldocuments.htm?dtl/27407 IndiaNepal + Joint + Statement + during + the + State + visit + of + Prime + Minister + of + Nepal + to + India
27. शुक्ला, शशांक, "चाइना एट आवर गेटस : द फॉल आउट ऑफ इंडियाज बॉच्ड नेपाल स्ट्रेटेजी", http://www.huffingtonpost.in/shashank-shukla/china-at-our-gates-the-fall-out-of-India-s-botched-nepal-strateg_a_22120518/
28. "चाइनिज डीलिवर आर्मस टू नेपाल", http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4469508|stm
29. लाल, राहुल, "राजनीति : नेपाल के साथ नई संभावनाएँ", जनसत्ता, 20 सितंबर, 2016, http://www.jansatta.com/politics/janasatta-article-about-india-nepal-relation/146698/
30. कमाल देब भट्टाराई, "नेपाल हैज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर/नाउ कम्स द हार्ड पार्ट : विल द सेकेंड टाइम टू बी द चार्म फॉर के. पी. शर्मा ओली", द डिप्लोमेंट फरवरी 2018 http://thediplomat.com/2018/02/nepal-has-a-new-prime-minister-now-comes-the-hard-part/
31. संजीच पांडेय, "राजनीतिः नेपाल में भारत की चिंता", जनसत्ता, http://www.jansatta.com/editors-pick/jansatta-column-politics-artical-indias-concern-in-nepal/618850/
32. कुमार, सुमिता, (संपा.), "स्टैबलिटी एंड ग्रोथ इन साउथ एशिया", इंस्टीट्यूट फॉर डिफेन्स स्टडीज एंड एनालिसिस, पेंटागन प्रेस, नई दिल्ली, 2014
33. "बायसेन्सस रिपोर्ट" 2006, हाँगकाँग, http://www.bycensus2006gov.hk/FileManager/EN/Content_962/06bc_em.pdf

❑❑❑

'आतंकवाद एवं भारत की विदेश नीति : एक अध्ययन'

***रईस अहमद खान**
****डॉ. आनंद मोहन द्विवेदी**

आज विश्व के विभिन्न देशों में आतंकवाद तेजी से फैलता रहा है। 20वीं सदी के अंतिम दशक में आतंकवाद जहां उपनिवेशवाद एवं यूरोपीय प्रभुत्व के विरूद्ध केंद्रित था, वहाँ अब यह धार्मिक कट्टरता व धर्मोन्माद का रूप धारण कर चुका है। वस्तुतः मानव जीवन अब सहज नहीं रहा है, क्योंकि विश्व के लगभग सभी देशों में न्यूनाधिक रूप में आतंकवाद ने अपने प्रभाव में द्रुतगति से वृद्धि कर ली है। आम आदमी तो क्या कड़ी सुरक्षा में रहनेवाले राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष, उच्चाधिकारी, न्यायाधीश, राजनेता, राजदूत, उद्योगपति आदि का जीवन भी अनिश्चित हो गया है कि वे अगले दिन खुली हवा में सांस ले पाएंगे या नहीं। स्पष्ट है कि विश्वभर में आतंकवादी संगठन अपनी उचित–अनुचित मांगे मनवाने के लिए कोई भी अमानवीय, घृणित, क्रूर या अप्रत्याशित कार्य कर सकते हैं। यदि आतंकी गतिविधियों को कारगर ढंग से नहीं रोका गया तो मानव का अस्तित्व समाप्त होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस विकट समस्या से भारत की विदेश नीति मुक्ति पाने हेतु प्रयासरत है।

विश्वस्तर पर द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद उत्पन्न अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों, जैसे– शीतयुद्ध एवं परतंत्र राष्ट्रों में पनपे असंतोष ने आतंकवाद को जन्म दिया था। कालांतर में, शस्त्रों की होड़, विश्वव्यापी आर्थिक असमानता एवं अमेरिकी विदेश नीति की कुटिलता ने आतंकवाद को विश्व के सभी महाद्वीपों में पहुंचा दिया है। आतंकवादियों की कुत्सित मानसिकता एवं कार्यप्रणाली से क्षुब्ध होकर ही हमारे राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने आतंकवादियों के मनोदशा को निम्नांकित शब्दों में व्यक्त किया था–[1]

"हिंसक पशुओं के सदृश इनमें भरी है क्रूरता।
करके कत्लेआम में समझते हैं अपनी शूरता।।"

आज भारत ही नहीं बल्कि विश्वभर में आतंकवादियों द्वारा किए जा रहे बम विस्फोटों व हिंसक गतिविधियों ने सरकारों के साथ–साथ आम आदमी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कब इन अमानवीय गतिविधियों पर रोक लगेगी? इन दुर्घटनाओं ने आज सभ्य समाज व शांतिप्रिय जीवन के सामने कई ज्वलंत प्रश्न खड़े कर दिए हैं कि ऐसे कार्य करनेवालों का मूल लक्ष्य क्या है, इनका पोषण व संरक्षण कैसे होता है और ये किस प्रकार नियंत्रित होंगे। इन सभी ज्वलंत प्रश्नों के हल खोजने हेतु भारत पिछले दो दशकों से ज्यों–ज्यों अपनी गृह एवं विदेश नीति को आतंकवाद के उन्मूलनार्थ केंद्रित करता रहा है, त्यों–त्यों हमारी विदेश नीति आतंकवाद की चपेट में आती गई है। अतः विषयानुसार भारतीय विदेश नीति पर आतंकवाद के दुष्प्रभाव की विवेचना इन बिंदुओं में करना समीचीन होगा–

दक्षिण एशिया में आतंकवाद एवं भारत–

यह कहना अतिश्योक्ति न होगा कि दक्षिण एशिया में भारत ही आतंकवाद से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है। जहां एक ओर आतंकवाद भारतीय लोकतंत्र एवं संप्रभुता के लिए खतरा बन गया है, वहीं दूसरी ओर शांति, सुरक्षा और विकास के लिए नासूर बना हुआ है। आतंकवादी जनता को डरा धमका कर भयाक्रांत करते हुए सरकार के कार्यों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं जिसके लिए ये जनसंहार, अपहरण,

* शोधार्थी, राजनीति विभाग, शासकीय टी.आर.एस. महाविद्यालय, रीवा (म. प्र.)
** अतिथि प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, शासकीय संजय गाँधी महाविद्यालय सीधी (म. प्र.)

हत्या, बलात्कार, लूटपाट, तस्करी, हाईजेकिंग, बम विस्फोट, आत्मघाती हमले आदि बर्बर कार्यों को अंजाम देते हैं। अब ये अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी साइबर क्राइम, मानव बम, जैविक हथियारों आदि का प्रयोग करने में भी संकोच नहीं करते। इससे निपटना भारतीय विदेश नीति के लिए गंभीर चुनौती बन गई है।

पाक द्वारा प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद–

1971 में पूर्वी पाकिस्तान से अलग होकर बंगलादेश के रूप में स्वतंत्र देश बन जाने के बाद से पाकिस्तान के शासकों ने भारत के साथ छद्म युद्ध छेड़ रखा है। इसके तहत पाक की गुप्तचर एजेंसी ISI ने सत्तर एवं अस्सी के दशक में पंजाब में सक्रिय अलगाववादियों को न केवल पाकिस्तान में सैन्य प्रशिक्षण दिया, बल्कि उन्हें भारत में आतंक और अव्यवस्था फैलाने हेतु धन एवं अस्त्र–शस्त्र भी उपलब्ध कराये। पंजाब के सैंकड़ों युवाओं को 'खालिस्तान' राष्ट्र के सृजन का सपना दिखाकर गुमराह किया, किंतु इनको जल्दी ही पाकिस्तान के शासकों की चाल समझ में आ गई और खालिस्तान आंदोलन स्वयं अपनी मौत मर गया।[2]

कालांतर में, श्रीलंका में तमिलों के जातीय संघर्ष से उत्पन्न आतंकवादी समूह 'लिट्टे' ने 20 वर्षों तक आतंक का कहर ढाया। इसी प्रकार चीन, बंगलादेश, म्यांमार (बर्मा) और नेपाल से आतंकवादियों को शरण मिलती रही है जिससे भारतीय विदेश नीति को समय–समय पर चुनौतियाँ मिलती रहीं है। कश्मीर समस्या ने तो भारतीय विदेश नीति को आतंकवाद के दलदल में ही धकेल दियी है। पाक ने कश्मीर सहित पूरे भारत में सीमा पार आतंकवाद से भारतीय सुरक्षा व संप्रभुता को खुली चुनौती दे रखी है। सीमा पार आतंकवाद एवं महाशक्तियों के आतंकवाद के प्रति दोगलेपन (दोहरी नीति) ने स्थिति को बद से बद्तर बना दिया है।

आतंकवाद पर महाशक्तियों की नीति/व्यवहार –

11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एवं रक्षा विभाग की बिल्डिंग पेंटागन पर अलकायदा के आतंकी हमलों की प्रतिक्रिया स्वरूप यह आशा बंधी थी कि सारा विश्व आतंकवाद से मुक्त हो जाएगा, परंतु अमेरिका की स्वार्थपूर्ण नीतियों के कारण यह संभव नहीं हुआ।[3] कहने को तो अमेरिकी प्रशासन सब प्रकार के आतंकवाद के विरूद्ध और भारत जैसे दुष्प्रभावित देशों के साथ खड़ा दिखाई देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि आतंकवाद के पूर्ण उन्मूलन के प्रति उसका दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण है। अमेरिका इजराइल के विरूद्ध फिलिस्तीनियों की कार्यवाही को आतंकवाद कहकर उनकी निंदा करता है, किंतु भारत के विरूद्ध पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित कश्मीरी आतंकवाद को स्वतंत्रता हेतु संघर्ष बताकर आतंकवादियों की पीठ थपथपाता रहा है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि दोहरे मापदंड व प्रयासों से जटिलतम आतंकवाद की समस्या का समाधान संभव नही है। इसलिए भारत ने 13 दिसंबर, 2001 को संसद पर हुए फिदायनी आतंकी हमले के बाद से ही पड़ोसी देशों के साथ अपनी विदेश नीति क्रमशः आक्रामक बनाना शुरू किया।[4] अतः आतंकवाद के बढ़ते खतरे को यथाशीघ्र दूर करने के लिए न केवल अंतरराष्ट्रीय बल्कि सामाजिक व सरकारी स्तर पर समुचित व सतत प्रयास किया जाना नितांत आवश्यक है।

अमेरिका ने ही रूस को कमजोर करने हेतु 20वीं सदी के अंतिम दशक में ओसामा बिन लादेन रूपी राक्षस तैयार किया है जो संपूर्ण मानवता के लिए खतरे के रूप में विद्यमान रहा है। कालांतर में, जब अमेरिका को लादेन भस्मासुर सिद्ध हुआ तो पाकिस्तान के एबटाबाद में उसका अंत कर दिया। निःसंदेह आज आतंकवाद विश्व में वृहद रूप धारण कर चुका है जिससे जनता के मानव अधिकार तथा शासकों, जनप्रतिनिधियों एवं राजदूतों के विशेषाधिकारों का हनन हो रहा है। यह विषम परिस्थिति न केवल वैश्विक लोकतंत्र व संपूर्ण मानवता के लिए खतरे की घंटी है, बल्कि विकसित एवं भारत जैसे विकासशील देशों की विदेश नीति के निर्माताओं के लिए करो या मरो के रूप में सामने खड़ा है।

भारत में आतंकी घटनाओं की भयावह श्रृंखला–

भारत में आतंकवाद के खतरे को बढ़ाने में अमेरिका, पाकिस्तान, चीन जैसे देशों की कुटिल नीतियों से भी आतंकवादी गतिविधियों में तेजी आई है जिसके प्रमुख उदाहरण उल्लेखनीय बन पड़ते हैं–

1. भारतीय संसद पर फिदायीन आतंकवादियों का हमला
2. गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर में 34 श्रद्धालुओं की हत्या
3. जम्मू के रघुनाथ एवं शिवमंदिर में हथगोलों से हमला
4. मुंबई की लोकल ट्रेनों एवं गेटवे आफ इंडिया में बम विस्फोट
5. बनारस में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट
6. हैदराबाद की जामा मस्जिद में बम विस्फोट
7. अजमेर में दरगाह के सामने हुआ विस्फोट
8. अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की हत्या आदि।

उल्लेखनीय है कि 11 जुलाई, 2006 को क्रमवार हुए मुंबई की लोकल ट्रेनों में विस्फोटों से 200 से ज्यादा लोग मारे गए और 700 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। विभिन्न आतंकवादी संगठनों के लिए मुंबई प्रमुख निशाना बनी हुई है। पिछले 15 सालों में इस महानगर ने सात आतंकवादी हमलों का दंश झेला है।

आतंकवाद के विविध कारण व दुष्प्रभाव–

पकड़े गए आतंकवादियों का ट्रायल द्रुतगति से नहीं होता है जिसके कारण ये कानूनी दांवपेंच में सफल होकर छूट जाते हैं। अतः ऐसी व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए जिससे उन्हें यथाशीघ्र दंड मिल सके। समाज का जो भी वर्ग, अफसर या जनप्रतिनिधि जिन आतंकवादियों का प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष समर्थन या सहयोग करता दिखाई दे तो उस पर भी कड़ी नजर रखी जानी चाहिए ताकि समाज में फैले आतंकवादी तंत्र को शीघ्रता एवं कारगर ढंग से ध्वस्त किया जा सके। इनके साथ Policy of Zero Tolerance अर्थात असहिष्णुता की नीति से ही पेश आया जा सकता है, क्योंकि अधिकतर आतंकवादी लोकतांत्रिक सरकारों की उदारता व सहिष्णुता को कायरता या मूर्खता के रूप में ही देखते हैं। उक्त नीति से ही वे यह सोचने पर मजबूर होंगे कि आत्मसमर्पण करने में ही उनका एवं उनके परिवार का हित है। भारत सहित विश्व को उन आतंकवादियों से सर्वाधिक खतरा है जो भाड़े के टट्टुओं की तरह काम करते हुए आपराधिक तत्वों से जुड़ते जा रहे हैं और पाश्विक आनंद लेने के लिए घृणित व अमानवीय कृत्यों को करने से परहेज नहीं करते हैं। ऐसे हिंसक पशुतुल्य आतंकवादियों से शक्ति से ही निपटा जा सकता है।

आतंकवाद के समाधान हेतु व्यावहारिक सुझाव–

1. आतंकवाद रूपी भस्मासुर का अंत करने के लिए बड़ी चालाकी, संयम एवं सक्रियता से सभी देशों की जनता एवं सरकारों को काम करना होगा, तभी हम विश्व शांति, लोक कल्याण एवं निःशस्त्रीकरण जैसे महान वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए जरूरी है कि भारत, रूस, फिलिस्तीन, यूक्रेन, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बंगलादेश, नेपाल आदि के साथ मिलकर काम करना होगा।

2. आतंकवाद से पीड़ित सभी देशों को अमेरिका के आतंकवाद के विरूद्ध छद्म युद्ध में साथ देने से बचना होगा जिसमें हमारा समय एवं धन ही नष्ट होगा, क्योंकि आतंकवादियों के मानव बमों के हमलों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है जिसे समाप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक मास्को घोषणा पत्र पर ईमानदारी से अमल करना होगा जो 6 नवंबर 2001 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी एवं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जारी किया था। 5 इसके अंतर्गत आतंकवादियों के सामाजिक, आर्थिक, सैनिक एवं खाद्य तंत्र को पूर्णतः समाप्त करना अपेक्षित है।

3. आतंकवादियों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को सरल एवं द्रुत बनाने हेतु अंतरराष्ट्रीय कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिए जो सभी देशों पर बाध्यकारी हों। इससे उन्हें शीघ्रता से दंड दिया जा सकेगा।

4. भारत सहित विश्व भर में आतंकवादियों पर कड़ी नजर रखने हेतु जल, थल, एवं वायुसेना का समुचित उपयोग भी किया जाना चाहिए। पुलिस व सैनिकों को अत्याधुनिक अस्त्र–शस्त्र से सुसज्जित करना होगा, तभी आतंकवादियों के हौसले व हथियारों को निष्फल किया जा सकता है।

निष्कर्ष–

विश्वव्यापी आतंकवाद की जटिलता, इसके कारणों व दुष्प्रभावों के आधार पर कहा जा सकता है कि यदि सभी सक्षम देशों ने मिलकर अब ठोस व सतत् कदम नही उठाए तो मानवता के विनाश के लिए भी सभी देश न्यूनाधिक रूप से उत्तरदायी होंगे। वस्तुतः हमें राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कूटनीतिक एवं मनोवैज्ञानिक अभियान चलाने होंगे जिससे आतंकवादी निरंतर हतोत्साहित हों और आतंकवाद जैसे आत्मघाती रास्ते को छोड़ने के लिए स्वेच्छा से या विवशतावश बाध्य हों।[6]

अब समय आ गया है कि भारत को चीन जैसी महाशक्ति से अपने सीमा विवाद का वार्ताओं से हल निकाल कर दोनों पड़ोसी देशों के लिए नासूर बन चुके आतंकवाद के उन्मूलनार्थ साझी कार्यवाही करने हेतु अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाना होगा। इसके साथ ही हमें अपने पुराने व स्थायी मित्र रूस और नए मित्र अमेरिका से समुचित मदद प्राप्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जी–20, सार्क (दक्षेस), ब्रिक्स आदि अंतरराष्ट्रीय संगठनों में अपनी सशक्त विदेश नीति द्वारा उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसके साथ ही उपर्युक्त सुझाए गए व्यावहारिक उपायों पर भी ध्यान देना उचित होगा। इसके सकारात्मक परिणामस्वरूप ही भारत आतंकवाद के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को छिन्न–भिन्न करके इसे शनै–शनै समाप्त कर सकता है।

संदर्भ ग्रंथ

1. मैथिलीशरण गुप्त, भारत–भारती, साहित्य सदन प्रकाशन, झांसी, पेज–130
2. जैन एवं कुलश्रेष्ठ, हिंदी निबंध, उपकार प्रकाशन, आगरा, पेज–120
3. डॉ. नंदलाल, राजनीति विज्ञान, 2016, शिवलाल पब्लिकेशन, इंदौर, पेज–189
4. जैन एवं कुलश्रेष्ठ, हिंदी निबंध, उपकार प्रकाशन, आगरा, पेज–121
5. डॉ. बी.एल. फड़िया, भारत एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध, 2016, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, पेज–184
6. जैन एवं गोयल, हिंदी–इंग्लिश ऐसेज, उपकार प्रकाशन, आगरा, पेज–96

❑❑❑

ईरान का वि-नाभिकीयकरण और मध्य-पूर्व में पाश्चात्य सामरिक हित

*डॉ. दीप्ति कुमारी

ईरान में तेल राजनीति : एक परिचय

ईरान एक पौराणिक सभ्यता वाला पारंपरिक एवं सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र है जो ईरान विश्व की पौराणिक सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है। इसका इतिहास आसपास के विस्तृत क्षेत्र के अविभाज्य रूप से जुड़ा रहा। डेन्यूब नदी से लेकर सिंधु नदी तक और का कोकेशस से लेकर दक्षिण में मिस्र तक ईरान इतिहास में फारस का बड़ा साम्राज्य था जिसने महाशक्ति के रूप में सदियों तक अपनी पहचान बनाए रखी। कई आक्रमणों के बावजूद ईरान अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को बराबर पुनः स्थापित करता रहा है। आज ईरान मध्य पूर्व का शिया–बहुल शक्तिशाली राष्ट्र है। तेल मध्य पूर्व की जीवनदायनी है और तेल ही वहां के युद्ध और संघर्ष संरचना का आधार भी है।

मध्य–पूर्व की यह तेल संपदा पश्चिमी राष्ट्रों को अपने आर्थिक हित में राजनीतिक हस्तक्षेप करने को प्रेरित करती रही है। पश्चिमी राष्ट्रों का प्राथमिक उद्देश्य अपने तेल, प्राकृतिक गैस भंडार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखते हुए मध्य पूर्व के तेल भंडार अपना प्रभुत्व जमाना एवं अपने हित में उसका दोहन करना है।[1] मध्य पूर्व के सूखे बलुई क्षेत्र में समस्त संघर्ष की यही जड़ है। मध्य पूर्व के राष्ट्रों के पास अपने सुरक्षित तेल भंडारण के दोहन, संरक्षण एवं शोधन के लिए उन्नत तेल तकनीक का अभाव था लेकिन तेल के बदले आर्थिक समृद्धि प्राप्ति का एक मात्र स्रोत और विकल्प तेल का विक्रय था। पश्चिमी राष्ट्रों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इस दिशा में मदद की पहल की और हस्तक्षेप किया। क्रमशः दोनों छोरों के बीच बढ़ती संबंधों की जटिलता, अंर्तद्वंद्व ने क्षेत्र में नए प्रकार के परिदृश्य को रचा है। इस्लामिक जगत पश्चिम से अलग धर्म आधारित पारंपरिक कट्टरपंथी और खलिफाओं तथा राजतांत्रिक व्यवस्था वाला जगत है। उसके सांस्कृतिक मूल्य एवं अवधारणा पश्चिमी जगत से बिलकुल भिन्न है। पश्चिम जो अपने को आधुनिक, लोकतांत्रिक, मानवाधिकारों से युक्त एक समतावादी प्रगतिशील व्यवस्था के रूप स्थापित करता रहा है, उसकी रूचि मध्य पूर्व में इस व्यवस्था की स्थापना या पहल करना नहीं थी।[2] पश्चिम काइस क्षेत्र में एकमात्र हित "तेल की प्राप्ति" ही थी। इस उद्देश्य की पूर्ति में पश्चिम ने अमेरिका के नेतृत्व में यहाँ 'सत्ता स्थापना' एवं 'सत्ता विरोध' की रणनीति पर चलता रहा। अपनी सारी शक्ति मध्यपूर्व के अधिकांशतः क्षेत्र में अपने समर्थित सत्ता के प्रसार में लगा दी।[3] राष्ट्रों में हस्तक्षेप, सामरिक, सैन्य, आर्थिक समर्थन, संघर्ष, युद्ध, तख्ता पलट, सैन्य एवं सामरिक अड्डों की स्थापना एवं हथियारों का व्यापार सब इसी उपक्रम की कड़ी हैं। अरब–इजरायल युद्ध, अरब राष्ट्रों के समानांतर इजरायल की स्थापना और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता तथा समर्थन पश्चिम की 'एक अरब राष्ट्रवाद' के प्रति संतुलन की नीति का ही परिणाम है। शीत युद्ध के कड़वाहट भरे दौर में सोवियत संघ के शामिल होने से कई नए पेंच भी उलझ गए और यह समस्या और जटिल बन गई। इस बहाने शीतयुद्ध के दौर में दोनों महाशक्तियों ने इस क्षेत्र में अपने सामरिक और आर्थिक हित साधे (हथियार–व्यापार, तेल–संधि, बहुराष्ट्रीय तेल कंपनियों का निवेश और तेल समझौता)।

* एसोसिएट प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय, पटना (बिहार)

पश्चिम तथा रूस दोनों की ही अप्रत्यक्ष रूप से ईरान पर अधिपत्य जमाने की कोशिश रही है। 1979 की क्रांति के पहले तक ईरान में लगभग पश्चिम समर्थक पहलवी वंश का राज था। पहलवी वंश तेल बिक्री से आई आर्थिक समृद्धि से एक खास वर्ग के साथ विलासिता में डूबा था। ईरान का पूरी तरह से पश्चिमीकरण हो गया। पहलवी शासन पर असफल आर्थिक प्रबंध, असमानता और गंभीर विलासिता के आरोप थे। शहरी विशिष्ट अमीर वर्ग और शेष ईरान में भयंकर आर्थिक विषमता थी। साथ–ही–साथ ईरान अपने पौराणिक, ईस्लामिक, पारंपरिक और सांस्कृतिक मूल्यों की पुनर्स्थापन के लिए छटपटा रहा था।[4] खमैनेइ ने निर्वाचन के साथ इसकी स्थापना का आह्वान कर क्रांति का समर्थन किया। ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति सफल हुई और पहलवी वंश की समाप्ति के साथ ही ईरान गणराज्य घोषित हुआ। खमैनेइ सर्वोच्च धार्मिक नेता (आयातुल्ला) के रूप स्थापित हुए। ईरान में लोकतांत्रिक निर्वाचन और मताधिकार की व्यवस्था को भी स्वीकृति मिली।

ईरान में इस्लामी क्रांति, संपन्नता और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा :

इस्लामी क्रांति के बाद नए सत्ता परिवर्तन ने ईरान को एक कट्टरपंथी इस्लामी अंतर्मुखी राष्ट्र के रूप में परिणत कर दिया जिसका मुख्य स्वर पश्चिम और अमेरिका विरोधी था। अब इस नए दौर में पश्चिम को पहलवी दौर में प्राप्त सुख समाप्त हो गया। प्रतिक्रिया स्वरूप पश्चिम का ईरान के प्रति रूख और कड़ा हुआ। 1980 में इराक का ईरान पर हमला (अमेरिका समर्थित) और शिया–सुन्नी रंग के साथ 8 वर्षों तक चला युद्ध इसी की परिणति थी। इसके माध्यम से दोनों ही महाशक्तियों ने क्षेत्र में अपने सामरिक और व्यापारिक हित साधे।

ईरान पूरी ही रणनीतिक एवं कूटनीतिक स्थितियों में एक–दूसरे दृष्टिकोण से भी मध्य–पूर्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला राष्ट्र है। ना सिर्फ अपनी ऐतिहासिक, भू–राजनीतिक एवं आर्थिक–सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बल्कि धार्मिक दृष्टि से शिया बहुल राष्ट्र होने के कारण भी। पूरे इस्लामिक जगत में सुन्नी बहुलता है जबकि शिया अल्पसंख्यक हैं। ईरान मध्य पूर्व का सबसे बड़ा शिया बहुल राष्ट्र है। इस रूप में ईरान अपने को इस्लामिक जगत में सर्वोच्च स्थान पर रखते हुए उसके नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित होने की महत्वकांक्षा रखता है। जबकि मध्य पूर्व के अन्य सुन्नी बहुल राष्ट्र जिसमें सउदी अरब सबसे बड़ा बहावी मुस्लिम संप्रदाय का है वह ज्यादा कट्टर और शिया विरोधी है। सउदी अरब को अमेरिका का आर्थिक, व्यापारिक तथा सामरिक समर्थन प्राप्त है तथा पश्चिमी राष्ट्र ईरान का शक्ति संतुलन करने हेतु सुन्नी बहुल राष्ट्रों का उपयोग करते हैं।

वस्तुतः ईरान तथा सुन्नी बहुल मुस्लिम जगत विशेषतः सउदी अरब के साथ वैमन्स्य का आधार शिया–सुन्नी संप्रदाय तथा इसी आधार पर मुस्लिम जगत का सर्वमान्य नेतृत्वकर्ता राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त करने की महत्वकांक्षा है। इसी आधार पर ईरान शिया बहुल राष्ट्रों के सत्ता प्राप्ति संघर्ष में समर्थन जैसे लेबनान में कट्टरपंथी इस्लामिक गुट नसरल्ला, फिलीस्तीन में हमास, सीरिया में अशद सरकार का समर्थन करता रहा है।

इजरायल के साथ भी अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा ईरान का कड़ा रूख है। अन्य अरब राष्ट्र व्यवहारिक तौर पर इजरायल के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। पर ईरान इजरायल को एक हमलावार राष्ट्र मानते हुए उसके अस्तित्व को नकारता है और मान्यता नहीं देता। मध्य–पूर्व क्षेत्र में ईरान का इजरायल के साथ सबसे ज्यादा शत्रुतापूर्ण संबंध है। अमेरिका का ईरान विरोधी होने का एक कारण यह भी यह है कि ईरान इजरायल को मध्य–पूर्व की तेल संपदा पर पश्चिम द्वारा प्रभुत्व की इच्छा का प्रतिफल मानता है और इजरायल की समाप्ति की इच्छा रखता है। इसी कारण पश्चिमी राष्ट्र अपने विरोधी खेमे का "शैतान राष्ट्रों की धुरी" की श्रेणी में रखते हैं। ईरान 1979 की क्रांति के बाद भी 'अपारदर्शी' राष्ट्र ही बना हुआ है। वस्तुतः मध्य–पूर्व के देशों में इस्लामिक गणतंत्र के बारे में बाहर की दुनिया को आधी–अधुरी ही जानकारी प्राप्त है। देश की आंतरिक गुटबंदी, सत्ता का संघर्ष और अपारदर्शी राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति के कारण इसकी पूरी समझ ना इसके पक्षधरों को है और ना विरोधियों को। ईरान की अंतरराष्ट्रीय नीति और उसकी दुनिया के अन्य देशों से संबंध या तो अंतर्विरोधपूर्ण है या अस्पष्ट। लंबे अरसे तक ईरान

की अरब देशों से खासकर उन देशों से जिनका नेतृत्व सुन्नी मुसलमानों के हाथों में था, विरोध और दुश्मनी के रहे। नया ईरान अरब जगत से दोस्ती चाहता है लेकिन सउदी अरब के साथ उसके संबंध हमेशा दोस्ती के कम दुश्मनी के ज्यादा रहे हैं। शिया–सुन्नी वैमनस्य इसका आधार है। अरब जगत में ईरान की इस्लामिक परंपरा मूल्यों और संस्कृति के नेतृत्व की महत्वकांक्षा रही है। वह अपने को इस्लामिक गौरव का प्रतिनिधि समझता है जबकि सुन्नी जगत में इसका विरोध रहा है।

ईरान की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा और अणुशक्ति–गौरव

पिछले दशक में ईरान की परमाणु तकनीक क्षमता की प्राप्ति, युरेनियम संवृद्धिकरण की क्षमता और परमाणु संपन्न राष्ट्र की स्थिति ने पश्चिमी राष्ट्रों की नींद उड़ा दी है।[5] सऊदी अरब और इजरायल इसके धुर विरोधी हैं। ईरान का परमाणु क्षमता हासिल करना, क्षेत्र में नए सामरिक और रणनीतिक संभावनाओं को खोलता है तथा यह ईरान के साथ पश्चिम के संबंध की पुर्नव्याख्या का भी दौर है। परमाणु क्षमता संपन्न राष्ट्रों के पास अपनी सैन्य सर्वोच्चता का यह बड़ा शस्त्र है, इसी आधार पर शक्तिशाली पारंपरिक सैन्य शक्ति पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। एक इस्लामिक, कट्टर, असहिष्णु, अपारदर्शी तथाकथित गैर जिम्मेदार, पश्चिम विरोधी राष्ट्र ईरान का परमाणु शक्ति संपन्न होना पश्चिमी जगत के लिए गहरी चिंता का विषय है। जबकि इसी के समानांतर इस्लामिक एवं अरब जगत के अन्य राष्ट्र पाकिस्तान, सऊदी अरब, इजरायल और ईराक भी इस होड़ में शामिल हैं। ईरान का मानना है कि उसके परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण और अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। सुन्नी बहुल अरब जगत में परमाणु शक्ति संपन्न शिया बहुल राष्ट्र ईरान इजरायल विरोधी कट्टर आतंकवादी संगठनों को एक नया नेतृत्व और विकल्प दे रहा है, अमेरिका और पश्चिम को यह ईरान की खुली चुनौती है। विश्व के परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के लिए यह दोहरे खतरे की घंटी है। पहला तो यह की एक विरोधी खेमे वाले राष्ट्र के पास परमाणु शक्ति संपन्नता आ रही है जिसका तकनीक हस्तानांतरण विरोधी राष्ट्रों तक भी हो सकता है। दूसरा यह कि अमेरिका के तमाम कोशिशों के बावजूद ईरान परमाणु निशस्त्रीकरण और अप्रसार को ही विफल कर रहा है।

विगत वर्षों में पश्चिमी परमाणु संपन्न राष्ट्रों की कोशिश रही है कि अपनी परमाणु तकनीक और हथियार को सुरक्षित रखते हुए अन्य राष्ट्रों के इसके तकनीक हस्तांतरण और शक्ति संपन्नता प्राप्त करने से रोका जाए।[6] एन.पी.टी., सी.टी.बी.टी., एन.एस.जी सदस्यता जैसे वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण के मुद्दे इसी उद्देश्य से संचालित हैं और अधिकांशतः राष्ट्रों को इस घेरे में लाने की कोशिश है।[7] परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों को सिर्फ परमाणु हथियारों की चुनौती ही नहीं है बल्कि इस तकनीक के माध्यम से वैकल्पिक ऊर्जा व्यापार पर भी एकाधिकार समाप्त होने की भी संभावना है।[8] दूसरी ओर नए परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र भारत, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे राष्ट्रों का मानना रहा है कि वह बड़ी मात्रा में ऊर्जा खपत करने वाला राष्ट्र है।[9] जिनकी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से नहीं हो सकती है, अतः वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की प्राप्ति हेतु उसके परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए संचालित हैं। जबकि शक्तिशाली परमाणु संपन्न राष्ट्र इनके परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने, परमाणु निशस्त्रीकरण संधि पर हस्ताक्षर करने तथा अपने परमाणु केंद्र एवं संयंत्रों को आई.ए.ई.ए. (अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी) के निरीक्षण और निगरानी में रखने पर जोर देते हैं। विकासशील राष्ट्रों का अपने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हेतु परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों से शांतिपूर्ण परमाणु, हरित, किफायती तकनीक प्राप्त करने की कोशिश रही है और पश्चिमी राष्ट्रों पर इसे विकासशील राष्ट्रों द्वारा हस्तांतरित ना करने की शिकायत भी। नए परमाणु शक्ति संपन्नता की ओर अग्रसर राष्ट्रों पर पश्चिमी परमाणु संपन्न राष्ट्र हमेशा हथियार विकसित करने के उद्देश्य से संचालित मानते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य परमाणु प्रसार को रोकना है।

ईरान–अमेरिका संबंध : ईरान जैसे विरोधी खेमे के राष्ट्र द्वारा परमाणु शक्ति प्राप्त करने से दोनों के संबंधों में और कड़वाहट में बढ़ोतरी हुई है। ईरान के साथ अमेरिका के संबंध बेहद तनावपूर्ण हैं।

अमेरिका ईरान को एक शैतान, पश्चिम विरोधी, अपारदर्शी और कट्टर इस्लामिक खेमे के नेतृत्वकर्ता के रूप में देखता है। मध्य पूर्व की राजनीति में अमेरिकी आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक हितों को साधने में ईरान एक बड़ी बाधा है। अमेरिका ने संतुलन की राजनीति के तहत सुन्नी बहुल राष्ट्रों (सऊदी अरब, पाकिस्तान, भारत) के साथ कूटनीतिक, आर्थिक गठजोड़ मजबूत करता दिखता है। उसकी कोशिश ईरान को मुस्लिम राष्ट्र के नेतृत्वकर्ता के रूप न उभरने देने की है। ईरान के बढ़ते आणविक कार्यक्रम तथा उसकी हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता अमेरिका के लिए गंभीर चुनौती है।[10] जबकि ईरान का मानना है कि वह निर्विवाद रूप से मुस्लिम जगत में सर्वोच्च स्थान पर है और मुस्लिम जगत का नेतृत्वकर्ता है। उसका परमाणु कार्यक्रम भी शांतिपूर्ण है जो उसकी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के लिए आवश्यक है। इसके परिणामस्वरूप ईरान को अमेरिका की नाराजगी और लंबे समय तक आर्थिक प्रतिबंध झेलना पड़ा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल, प्राकृतिक गैस जो उसकी आय का बड़ा स्रोत है उसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा रहा है। उसकी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा भी जब्त रखी गई हैं जिन राष्ट्रों के साथ ईरान के मधुर संबंध थे जैसे भारत, उन्हें ईरान से गैस और तेल के आयात पर प्रतिबंध का दबाव डाला गया। ईरान की आर्थिक स्थिति उसके पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन और निर्यात पर पूरी तरह से निर्भर है। पश्चिम और अमेरिका के साथ कटु संबंधों का सीधा असर ईरान के तेल निर्यात पर पड़ता है फिर भी ईरान इस भारी आर्थिक क्षति को उठाते हुए भी अमेरिका विरोधी स्वर से समझौता करता नजर नहीं आता। अमेरिका का ईरान विरोधी कड़ा रवैया और संबंधों में कड़वाहट का बड़ा कारण इजरायली लोबी का अमेरिका पर बढ़ता दबाव और अमेरिका का इजरायल समर्थक नीति है।[11] परंतु 2014 के दौरान अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ। सुन्नी बहुल आई.एस.आई.एस. का इस्लामिक जगत में बढ़ता प्रभाव, रूस, चीन तथा भारत के साथ ईरान की बढ़ती नजदीकियाँ, सीरिया में ईरान का बढ़ता प्रभाव, रूस द्वारा ईरान को सामरिक समर्थन तथा अमेरिका के बढ़ती सुन्नी कट्टरता को प्रतिसंतुलित करने हेतु बढ़ता शिया समर्थन ने ईरान के साथ अमेरिका के संबंधों को नए परिप्रेक्ष्य में पुर्नव्याख्यित किया हैं

वस्तुतः ईरान ने प्रतिबंधों के दौर में भी अरब तथा फारस की खाड़ियों के क्षेत्र में एवं यूरेशिया के साथ अच्छे संबंधों को विकसित करने की कोशिश की है।[12] पश्चिमी देशों की अपेक्षा अब ईरानी नेतृत्व अपने पड़ोसियों और एशियाई राष्ट्रो से सकारात्मक संबंध विकसित करने को प्राथमिकता दे रहा हैं सर्वोच्च राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सचिव अली लरीजानी के शब्दों में "दुनिया के पूर्वी गोलार्द्ध में रूस, चीन और भारत जैसे महादेश हैं। आज की दुनिया में वे संतुलन कायम करने में महत्वूपूर्ण भमिका निभा सकते हैं।" रूस इन सारी स्थितियों में ईरान से नजदीक रहा है। शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद से ही रूस ईरान का मध्य पूर्व में बड़ा साथी है। उसके ईरान के साथ मजबूत आर्थिक और सामरिक संबंध है, इसलिए शायद रूस उस हद तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध भी नहीं करता। इन्हीं परिस्थितियों में अमेरिका तथा परमाणु–संपन्न राष्ट्रों को ईरान को परमाणु शक्ति राष्ट्र के रूप में मानते हुए 2013 तथा 2015 में उससे समझौता करने को बाध्य होना पड़ा।[13]

ईरान तथा वैश्विक परमाणु शक्ति–संपन्न राष्ट्रों के मध्य समझौता

ईरान और उत्तरी कोरिया के साथ परमाणु समझौतों के बीच साम्यताएं खोजी जा रही है।[14] 2002 से ईरानी परमाणु कार्यक्रम के बाद संकट की शुरूआत हुई। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम की सार्वजनिक घोषणा की। फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ, वैश्विक परमाणु शक्तियाँ और यूरोपीय यूनियन सभी ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए ताकि ईरान अपने सैन्य परमाणु क्षमता को प्राप्त नहीं कर पाए। 2013 में, जेनेवा में ज्वाईन्ट प्रोग्राम ऑफ एक्शन के तहत दोनों पक्षों के बीच एक अंतरिम समझौता हुआ जिसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र, विश्व शक्तियाँ और ईरान आपस में सहमत हुए कि ईरान के यूरेनियम संवर्द्धन कार्य और उसके संदेहास्पद परमाणु संयंत्रों तक संयुक्त राष्ट्र निरीक्षकों की पहुंच होगी। बदले में ईरान को 7 बिलियन डॉलर प्रतिबंध राहत के रूप में प्राप्त हुए।

दिनांक 2 अप्रैल 2015 को ईरान तथा परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र जर्मनी एवं यूरोपीय यूनियन (पी–5, जर्मनी तथा ई. यू.) के बीच समझौता हुआ। समझौते में दोनों पक्ष सहमत हुए कि 6 माह के अंदर कई चरणों में कदम उठाए जाएंगे और इसी अवधि में अंतिम तौर पर ज्यादा निर्णयकारी समझौते पर पहुंचा जाएगा।

ईरान की तरफ से किए गए वादों के अनुसार, ईरान 20 प्रतिशत की शुद्धता वाला संवर्द्धित यूरेनियम का उत्पादन रोकेगा और सेंट्रीफ्यूज गास्केट के कंफिग्रेशन को समाप्त करेगा जो यूरेनियम संवर्द्धन का काम करता है। जो पहले से संवर्द्धित यूरेनियम है उसे नष्ट और कम करेगा। नतांज और फोरोन्दो परमाणु संयंत्र में यूरेनियम संवर्द्धन नहीं करेगा। सेंट्रीफ्यूज उत्पादन को ईरान सीमित करेगा और उतना ही उत्पादन करेगा जितना क्षतिग्रस्त मशीनों में लगाया जा सके, नए में नहीं। इसके अतिरिक्त नए यूरेनियम संवर्द्धन का कार्य नहीं किया जाएगा। ऐराक में भारी पानी रिएक्टर का जो प्लांट है उसे ईंधन की आपूर्ति और चालू नहीं करेगा। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आई.ए.ई.ए.) नतांज, फोरोन्दो और ऐराक में दौरा और निरीक्षण करेगा। नतांज और फोरोन्दो संयंत्रों में आई.ए.ई.ए. के प्रतिनिधि मंडल प्रत्येक दिन तथा ऐराक में महीने में एक बार जाएंगें। वर्तमान में ईरान को 5 प्रतिशत तक की शुद्धता वाला यूरेनियम संवर्द्धन की छूट है वह उसे भी आगे नहीं बढ़ाएगा।

वहीं समझौते में शामिल आणविक शक्तियों ने वायदा किया है कि विश्व की परमाणु शक्तियां ईरान को चार प्रकार से राहत देगी ताकि ईरान अपने शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। यह एक अस्थायी समयावधि के लिए, सीमित लक्ष्यों वाला, लक्षित या समयबद्ध व पलट सकने वाला प्रकृति का समझौता है। यदि ईरान अपनी तरफ से किए गए वायदों को पूरा नहीं करता है तो ईरान पर पुनः प्रतिबंधों की वापसी होगी। ईरान यदि अपने वादे को निभाएगा तो भविष्य में उस पर परमाणु संबंधी कोई भी प्रतिबंध नहीं लगेगा। ईरान पर पेट्रोकेमिकल के निर्यात पर लगा प्रतिबंध स्थगित किया जाएगा। ईरान 412 बिलियन डॉलर का जो तेल राजस्व है उसे ईरान को किस्तों में वापस किया जाएगा। सोना तथा अन्य कीमती धातुओं पर लगे आयात–निर्यात का प्रतिबंध समाप्त होगा। ईरान के नागरिक उड्डयन उद्योग में सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कलपूर्जों की आपूर्ति विश्व शक्तियां ईरान को करेंगी। वित्तीय लेन–देन के लिए यूरोपीय यूनियन अपने आंतरिक प्रक्रिया को संशोधित करेगा।[15] समझौते के बाद क्रमशः ईरान पर से आर्थिक प्रतिबंधों की समाप्ति होगी। ईरान तेल एवं गैस व्यापार के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मुख्यधारा में शामिल होगा तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब्त मुद्रा राशि की वापसी होगी।[16]

वस्तुतः यह समझौता ईरान का मध्य–पूर्व में बढ़ता प्रभाव एवं अमेरिका की ईरान के माध्यम से सुन्नी कट्टरपंथी गुटों पर नकेल कसने की इच्छा का परिणाम है।[17] इस समझौते के द्वारा दोनों पक्षों को कई तरह के लाभ हैं। पश्चिमी राष्ट्रों के लिए बड़ी राहत की बात यह है कि इससे एक बड़े विरोधी गुट के राष्ट्र का परमाणु कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय निगरानी के क्षेत्र में आ जाएगा।[18] जबकि ईरान को बड़ा फायदा अपने आर्थिक प्रतिबंधों की समाप्ति जिसके कारण उसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित थी।[19] ईरान समझौते के बाद विश्व राजनीति तथा तेल व्यवसाय की मुख्यधारा में वापस आना चाहता है। अपने परमाणु क्षेत्रों को उसने अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के लिए खोल दिया है और बदले में पश्चिमी जगत ने उस परे लगे आर्थिक/व्यावसायिक प्रतिबंधों में ढ़ील दे दी है। ईरान की प्राथमिकता पश्चिमी राष्ट्रों के साथ दोस्ताना संबंधों की अपेक्षा पड़ोसी तथा एशियाई राष्ट्रों के साथ मधुर संबंधों की स्थापना है।[20] यह मध्य–पूर्व में ईरान की बढ़ती कूटनीतिक सफलता है। सीरिया में भी अप्रत्यक्ष रूप से रूस के साथ मिलकर ईरान समर्थित शिया राष्ट्रपति अशद का सत्ता कायम रखना भी ईरान की बड़ी जीत है। वास्तव में, सीरिया तथा यमन के गृह–युद्ध में ईरान की बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। ईरान ने नए मित्रों और समीकरणों के साथ मध्य–पूर्व की राजनीति में नए ढंग से वापसी की है। मध्य–पूर्व की राजनीति में ईरान की सफल भूमिका और उसकी बढ़ती ताकत का यह नया संकेत है।[21]

अमेरिका मध्य–पूर्व में अपने सबसे घनिष्ठ मित्र इजराइल की सुरक्षा के लिए चिंतित रहता है। कोई भी क्षेत्रीय मुस्लिम ताकत इजराइल के राजनीतिक अस्तित्व के लिए घातक हो सकती है।[22] दूसरे अमेरिका में यहूदी धनकुबेर महत्वपूर्ण स्थानों पर काबिज़ हैं और अमेरिकी नीति को इजराइल के पक्ष में मोड़ देते हैं। ईरान को इस सामान्य स्थिति का भी सामना करना पड़ता है। अमेरिका के दक्षिणपंथी हलकों और विचारकों का मानना है, जिसकी अगुवाई खुद अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं कि अमेरिका सहित अन्य महाशक्तियों के द्वारा ईरान के साथ जो वि–नाभकीयकरण संधि की गई है वह अनुचित है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वहाँ समझौते को 'प्रमाणित' नहीं करेंगे क्योंकि समझौते की शर्ते 'अनुपयुक्त और असमानुपातिक' है।[23] इस बात में शायद ही अंतरराष्ट्रीय बिरादरी[24] को संदेह है कि ईरान नाभकीय कार्यक्रम में संलिप्त है मगर इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं कि ये सैनिक प्रयोग के लिए है। हम ईराक के ऊपर जनसंहार के हथियार का आरोपण को देख सकते हैं। ईराक तबाह भी हो गया हजारों बेगुनाह मारे गए और लाखों विस्थापित या बेघर हो गए। अमेरिकी और ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों ने सिर्फ गलती होने का कूटनीतिक ढोंग भर किया। जब भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध और पाबंदी की बात होती है तो अंतरराष्ट्रीय समाज की इस सोच को तो स्थान दिया जाता है कि ईरान की नाभकीय महत्वाकांक्षा पर शिकंजा कसा जाना चाहिए। मगर, ईरान के राष्ट्रीय जनमत को या तो नज़रन्दाज़ कर दिया जाता है या माना जाता है कि वह भी नाभकीय हथियारों के पक्ष में है।[25] सच्चाई यह है कि अधिकांश ईरानी नाभकीय तकनीक और इसके शांतिपूर्ण प्रयोगों के पक्ष में है। मगर वे नहीं चाहते कि नाभकीय तकनीक का प्रयोग घातक और विध्वंसक हथियारों के निर्माण के लिए किया जाए ईरान के साथ संपूर्ण दुनिया के लिए अहितकर है। ईरानी राष्ट्रपति अहमदीनेजाद ने इस समझौते को एक प्रकार से 'वैज्ञानिक रंगभेद' का नाम दिया।[26] ईरान के कई नेता मानते हैं अमेरिका अपने मित्र राष्ट्रों को लंबे समय तक ईरान के विनाभिकीयकरण पर एकजुट नहीं रख पाएगा और धीरे–धीरे ईरान को उन्मुक्ति या छूट मिलने की संभावना है और बीच के समय में ईरान अपनी आर्थिक स्थिति सुधार लेगा और आंतरिक आर्थिक विकास कर जनमत को वर्तमान व्यवस्था का हामी बनाए रख सकता है। पश्चिमी विश्व ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चार प्रमुख उद्देश्य व्यक्त करता है– प्रथम, इजराइल और इजराइलियों का विनाश; द्वितीय, विदेशी आक्रमण और वर्चस्व की कोशिश से ईरानी व्यवस्था और शासन को बचाना; तृतीय, ईरानी आक्रमकता और चौधराहट को भयादोहन के हथियार के रूप में इस्तेमाल करना तथा ईरान के तकनीकी–राष्ट्रगौरव का उद्घोष करना।[27]

अगर हम सैद्धांतिक पहलू से गौर करें तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक परमाणु हथियारों की क्षमता वाला देश है और लंबे समय से राजनीतिक उठापटक, अस्थायित्व और बदलावों से रूबरू होता रहा है। आतंकवादियों को सहायता भी मुहैया कराता रहा है मगर इस तरह की सोच वाले देश ने भी कभी आणविक हथियारों को किसी आतंकवादी संगठन को उपलब्ध नहीं कराए है। ईरान अपेक्षाकृत कहीं अधिक स्थयित्व और आर्थिक रूप से सक्षम देश है और इस बात की संभावना काफी कम है कि वह ऐसी लापरवाही और दुनिया की सुरक्षा और शांति को खतरे में डालने वाला कदम उठा सकता है। ईरान के शीर्ष नेता अयातुल्ला खमैनी एक फतवे के तहत परमाणु हथियारों को गैर–इस्लामी घोषित का चुके है। एन.पी.टी. और सी.टी.बी.टी. जैसी संधियों का सैद्धांतिक मकसद ज़रूर नाभकीय हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाल है किंतु ये संधियाँ पाश्चात्य देशों के सामरिक हितों के अनुकूल और उनके टैक्टिकल या रणनीतिक वर्चस्व की यथास्थिति को बनाए रखने वाली नियामक व्यवस्थाएँ हैं। अमेरिका और अन्य नाभकीय शक्ति संपन्न देशों के द्वारा ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगे प्रतिबंधों को भी इसी प्रकाश में देश जाना चाहिए।

निष्कर्ष :

अमेरिका मध्य–पूर्व में किसी भी राष्ट्र को शक्तिशाली होते हुए नहीं देखना चाहता और उसे यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा महसूस करता है। साथ ही किसी भी स्थानीय राष्ट्र को क्षेत्रीय शक्ति

के रूप में भी उभरने नहीं देना चाहता। यूरोपीय और अमेरिकी समझौते को इस दृष्टिकोण से भी देखे जाने की आवश्यकता है। मध्य–पूर्व के देश इस तथ्य से भी अवगत हैं कि अब अमेरिका आर्थिक और वित्तीय रूप से इतना सक्षम नहीं है जितना पूर्व में, मध्य–पूर्व में उसकी उपस्थिति क्रमशः अवरोहन की प्रक्रिया में विन्यस्त हो चुकी है[28] मगर यूरोपीय दावे भी धातव्य हैं कि तेल से अरबों डॉलर कमाने वाले देश के लिए और तेल के विशाल भंडार के मालिक को नाभकीय तकनीक के लिए नतांज़ और एराक में भारी जल रिएक्टर और यूरेनियम संवर्धन की क्या आवश्यकता है? उसकी सामरिक उलझन बहुआयामी है एक ओर तो उसे सुन्नी विरोध के साथ–साथ अमेरिका सहित पूरे पश्चिमी विश्व तथा इजराइल के विरोध का सामना करना पड़ता है; दूसरी ओर ईरान में वैज्ञानिक और तकनीकी स्वावलंबन भी है। उसे अपने स्वतंत्र सांस्कृतिक व धार्मिक पहचान के अस्तित्व को सहेजे रखने की सोच सामरिक रूप से मध्य एशिया में सर्वप्रमुख राष्ट्र के रूप में स्थापित होने के लिए विवश करता है। इस असुरक्षा बोध तथा क्षमता दोनों ने ही उसे परमाणु तकनीकी क्षमता हासिल करने की और प्रेरित किया है। अपने परमाणु कार्यक्रम को भले ही ईरान शांतिपूर्ण या वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की पूर्ति करने वाला घोषित करे पर सच्चाई यह है की अरब जगत में अपने को सर्वोच्च इस्लामिक शक्ति के रूप में स्थापित करने की बहुप्रतीक्षित महत्वाकांक्षा ही ईरान को इस दिशा में प्रेरित कर रही है, इस क्षमता के द्वारा ही ईरान राजनीतिक और सामरिक हितों और उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

संदर्भ :

1. मेहदी खालजी, (2010), पैट्रिक क्लॉसन, माइकल आइजनसटाड, मैथ्यू लेविट, माइकल सिंह "द ईरान प्राइमर : पावर, पॉलिटिक्स एंड यूएस पॉलिसी" वूडरो विलसन इंटरनेशनल सेंटर
2. हैकल महामेद, (1982) "ईरान द अनटोल्ड स्टोरी : एन इनसाइडरस एकाउंट ऑफ अमेरिकाज ईरानियन एडवेनचर्स एंड इटस कन्सीक्वेन्सेस फॉर फ्यूचर", न्यूयॉर्क, पैनथियॉन, पृष्ठ संख्या–43
3. कैवेह, अल अफरासैबी, (2006), "ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम : डिबेटिंग फैक्टस वरसेस फिक्सन", बुकसर्ज, न्यूयॉर्क
4. अब्रहामिअन इजवान्ड, (1982) "ईरान बिटविन टू रिवोल्यूशन्स" प्रिन्सटन यूनिवर्सिटी प्रेस, प्रिन्सटन, पृष्ठ संख्या–102
5. "द ईरान न्यूक्लियर डील : की डीटेल्स", 13 अक्टूबर 2017
6. कीम तेइ–वू, "ईरान लेसनस की फॉर नॉर्थ कोरियाज डिन्यूक्लियराइजेसन", द डिप्लोमैट, 8 जून 2016
7. चारनिस, वोला, "ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफेरेशन, न्यूक्लियर एज पीस फाउन्डेशन", रिपोर्ट सान्टा बारबारा
8. "ईरानस न्यूक्लियर प्रोग्राम : स्टेट्स एंड ब्रेकआउट टाइमिंग", सितंबर 2011, स्टाफ पेपेर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी
9. चारनिस, वोला, "ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफेरेशन, न्यूक्लियर एज पीस फाउंडेशन", रिपोर्ट, सान्टा बारबारा
10. एलिसन, ग्राहम, "नाइन रीजनस टू स्पोर्ट द ईरान डील", द एटलांटिक, 4 अगस्त 2015
11. स्टीफन फिलिप्स, "इफेक्टिंग ए परमानेंट ईरानियन डिन्यूवियराइजेशन", द प्रिन्सटन टोरी

12. अल बारादाई, मोहामेद, (2012) "द ऐज ऑफ डिसेप्शन : न्यूक्लियर डिप्लोमेसी इन ट्रेचेरस टाइम्स", पिकाडोर, पृष्ठ संख्या–31
13. एरिक थॉमसन, "बायपोलैरिटी इन द मिडिल ईस्ट : द रीजनल इमप्लिकेशनस ऑफ ए न्यूक्लियर ईरान", कॉन्फेरेन्स ऑफ डिफेन्स एसोशिएशन इंस्टीट्यूट, मई 2014 ओटावा, पृष्ठ संख्या–06
14. पार्क चान्ग–क्वून, "रीथिंकिंग नॉर्थ कोरियाज डिन्यूक्लियराइजेशन अप्रोच एंड स्ट्रैटेजी", इंस्टीट्यूट फॉर सिक्युरिटी एंड डेवेलपमेंट, पॉलिसी पेपर, स्टॉकहोम htt://isdp leu/content/uploads/publuications/2015-park-rethinking-north-koreas-denuclearization.pdf,Pg.17
15. डॉबिन्स, जेम्स, अलीरेजा नादेर, डालिया डासा काये, फ्रेडेरिक वेहरे, "कोपिंग विद अ न्यूक्लियराइजिंग ईरान", नेशनल सिक्योरिटी, रिसर्च डिविजन, रैंड कॉरपोरेशन, सैन्टा मोनिका, 2011, पृष्ठ संख्या–121 https://www|rand|org/content/dam/rand/pubs/monographs/2011/RAND_MG1154.pdf
16. बेट्टस, रिचर्ड के., "न्यूक्लियर ब्लैकमेल एंड न्यूक्लियर बैलेन्स" डीआईसीआई, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन्स, 1987, पृष्ठ संख्या–13
17. केनेथ एम. पोलाक एंड रे टेकेय, "डब्लिंग डाउन ऑन ईरान", द वाशिंगटन क्वाटरली, 34:4 पीपी, 721 DOI : 10|1080/0163660X|2011|608334
18. एन्ड्रयु प्रोजर, "मच एडो अबाउट नथिंग? स्टेटस एम्बिशन्स एंड ईरानियन न्यूक्लियर रिवर्सल", स्ट्रैटेजिक स्टडीज क्वाटरली, समर 2017
19. जियाफ्रि केंप, शाहराम शूबिन व अन्य, "ईरानस न्यूक्लियर वीपन्स ऑप्शनस : इशूज एंड एनालेसिस", द निक्सन सेंटर, जनवरी 2001, वाशिंगटन
20. बनर्ड डब्ल्यु क्युबिग, "ईरान एंड द न्यूक्लियर नॉन–प्रोलिफेरेशन ट्रिटी", ब्रिफिंग पेपर, फ्रेंकफर्ट, 2006
21. राउजबेह पारसी, दिना एसफानडायरी, "एन ई.यू. स्ट्रैटेजी फॉर रिलेशनल विद ईरान आफ्टर द न्यूक्लियर डील", डाइरेक्टोरेट जेनेरल फॉर एक्सटरनल पॉलिसीज, पॉलिसी डिपार्टमेंट, यूरोपीयन पार्लियामेंटस कमिटी ऑन फॉरेन अफेयरस, जून, 2016 http://www|europarl|europa|eu/RegData/etudes/IDAN/2016/578005/EXPO_IDA(2016)578005_EN.pdf
22. "इज ईरान स्टिल इजरायलस टॉप थ्रेट?" द अटलांटिक, मार्च 8, 2016 https://www|theatlantic|com/international/archive/2016/03/iran-nuclear-deal-israel/472767/
23. फिलिप्स, जेम्स, टाइम टू एंड ऑर मेंड "द ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट", द हेरिटेज फाउंडेशन रिपोर्ट, 8 जनवरी, 2018 https://www|heritage|org/global-politics/report/time-end-or-mend-the-iran-nuclear-agreement
24. स्टीवेन एवर्ट्स, 19 दिसंबर 2003, "द ई.यू. एंड ईरान : हाउ टू मेक कंडीशन इंगेजमेंट वर्क", सेंटर फॉर यूरोपीयन रिफॉर्म, लंदन
25. हरजोग, माइकल, "ईरानियन पब्लिक ओपिनियन ऑन न्यूक्लियर प्रोग्राम : अ पोटेन्शियल एसेट फॉर द इंटरनेशनलन कम्युनिटी", पॉलिसी फोकस, #56, जून 2006, द वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी, वाशिंगटन

26. ईरानियन न्यूज एजेंसी (आईआरएनए), जनवरी 3, 2006, कोटेड इन हरजोग माइकल, "ईरानियन पब्लिक ओपिनियन ऑन द न्यूक्लियर प्रोग्राम : अ पोटेन्शियल एसेट फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी", पॉलिसी फोकस #56, जून 2006, द वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी, वाशिंगटन
27. एलिन, डाना एच., स्टीवन सिमॉन, (2010) "द सिक्सथ क्राइसिस : इजरायल, अमेरिका एंड द रियूमर्स ऑफ वार", ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृष्ठ संख्या–12–15
28. जॉनसन, थॉमस (संपा.) (2012) "चैलेन्जेज कन्फ्रन्टिग द ग्लोबल ट्रांजिशन ऑफ पावर" उद्धृत– थॉमस ए. जॉनसन ए. पावर, नेशनल सिक्युरिटी, एंड ट्रांसफॉरमेशनल ग्लोबल इमेन्टस कन्फ्रन्टिग अमेरिका, चाइना एंड ईरान, सीआरसी प्रेस, पृष्ठ–356

❑❑❑

राजनीति विज्ञान में भारतीय भाषाओं की शब्दावलियों का प्रयोग

*डॉ. ममता चंद्रशेखर

पारिभाषिक शब्दावली

पारिभाषिक शब्द का अर्थ है– जिसकी परिभाषा दी जा सके। परिभाषा किसी विषय, वस्तु या विचार को एक निश्चित स्वरुप में बांधती है। पारिभाषिक शब्द विषय–विशेष के संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे राजनीति विज्ञान में राज्य, शासन, नागरिक, मतदान, सचिव, गोपनीय आदि। वस्तुतः पारिभाषिक शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा के शब्द न होकर विषय–विशेष, जैसे भौतिकी, रसायन, प्राणि विज्ञान, दर्शन, गणित, इंजीनियरी, विधि, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल आदि ज्ञान–विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट शब्द होते हैं जिनकी अर्थ सीमा सुनिश्चित और परिभाषित होती है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा मीडिया शब्दावली, प्रशासनिक शब्दावली, अंतरिक्ष शब्दावली, मानविकी एवं समाज विज्ञान की शब्दावली प्रकाशित एवं प्रचलित हो चुकी हैं। ऋषि, पशु–चिकित्सा, कंप्यूटर–विज्ञान, धातु–कर्म, नृ–विज्ञान, ऊर्जा, खनन, इंजीनियरी, मुद्रण–इंजीनियरी, रसायन इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिकी, वानिकी, लोक–प्रशासन, अर्थ–शास्त्र, डाक–तार, रेलवे, गृह–विज्ञान आदि। पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया चार आयामों से होकर गुजरती है –

पारिभाषिक शब्द निर्माण की प्रकिया

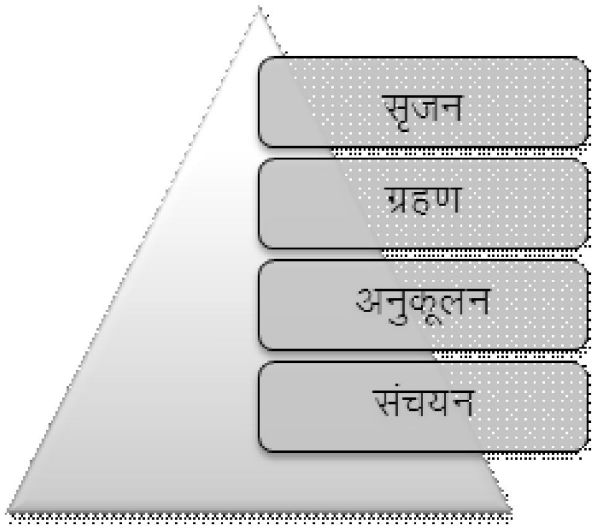

भारत की ऐतिहासिक धरोहर पर यदि नजर डालें तो यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि यहाँ शब्दावली की परंपरा स्पष्ट दृष्टिगत होती है। अमरकोश के पूर्व– जैसे कात्य की नाममाला, भागुरि का त्रिकांड, अमरदत्त का अमरमाला, या वाचस्पति का शब्दार्णव आदि–एवं बाद के– पुरुषोत्तम देव की

* प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नाकोत्तर महाविद्यालय, इन्दौर (म. प्र.)

हारावली तथा त्रिकांडकोश, हलायुध का अभिधान रत्नमाला, यादवप्रकाश का वैजयंती आदि–कोश एकभाषिक ही हैं। प्राकृत अपभ्रंश में भी शब्दकोश उपलब्ध है जैसे धनपालकृत पाइअ लच्छीनाम माला हेमचंद्र की देशीनाम माला तथा गोपाल, द्रोण आदि के देशी कोश एवं हिंदी के पुराने कोश – जैसे नंददास, बनारसीदास, बद्रीदास, हरिचरणदास का कर्णाभरण, चेतनविजय, विनयसागर आदि की नाममालाएं, प्रयागदास की शब्दरत्नावली आदि इसी परंपरा में अर्थात् एकभाषिक शब्दावलियाँ हैं। इस परंपरा में कदाचित् अंतिम ग्रंथ सुवंश शुक्ल का उमरावकोश है।

देश की एकता व हिंदी

आजादी के पूर्व भारत एक ऐसे आकाश की भांति था जिसमें भाषा रूपी अनंत रंग–बिरंगे सितारे जगमगा रहे थे। इन सबकी अपनी–अपनी गौरवपूर्ण सांस्कृतिक परंपरा व अस्तित्व था। भारत के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि यहाँ हर 20 कोस में बानी और पानी दोनो बदल जाते हैं। समस्या उस समय उत्पन्न हुई जब पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए कोई एक सर्वमान्य भाषा नहीं थी। उड़िया भाषी मलयालम नहीं समझ पाता था तो तमिल भाषी बांग्ला नहीं जानते थे। सभी भाषाओं के साथ यही दुविधा थी। ऐसी स्थिति में संप्रषेण कार्य बाधित हुआ। इसका फायदा साम्राज्यवादी ताकतों ने उठाया।

स्वतंत्रता से पूर्व भी एक ऐसी भाषा की खोज प्रारंभ की गई जो सर्वग्राही हो। अंततोगत्वा हिंदी की ओर सबका ध्यान गया। 1872 में श्री केशव चंद सेन जी ने महर्षि दयानंद सरस्वती जी को संस्कृत के स्थान पर हिंदी में लेखन कार्य करने की सलाह दे दी क्योंकि हिंदी को आम बोलचाल की भाषा के रूप में विकसित थी। स्वामी जी द्वारा हिंदी में लिखा गया ग्रंथ "सत्यार्थ प्रकाश" सर्वविदित है। 1873 में ही श्री महेश भट्टाचार्य ने हिंदी में पदार्थ विज्ञान की रचना की। इस दिशा में 1901 की जनगणना रिपोर्ट उल्लेखनीय है जिसमें अंकित किया गया कि "हिंदी के पास ऐसा शब्दकोश व अभिव्यक्ति का सामर्थ्य है जो अंग्रेजी के पास भी नहीं है।" ग्रियसन नामक एक विद्वान का कहना था कि "यहा हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसमें दो प्रांतों के लोग आपस में बात कर सकते हैं और यह भाषा लगभग सभी लोग समझते हैं क्योंकि इसका व्याकरण भारत की अधिकांश भाषाओं के समान है और इसका शब्दकोश सबकी सम्मिलित संपत्ति है।"

जब भारत की एक राजभाषा बनाए जाने की बात चल रही थी तब विचार मंथन के उस दौर में महात्मा गांधी जी ने राजभाषा होने के लिए निम्नलिखित लक्षण अभिनिर्धारित किए थे :

(i) वह भाषा सरल हो।

(ii) ज्यादा से ज्यादा नागरिक उस भाषा को समझते हो।

(iii) सामान्य नागरिक उस भाषा में धार्मिक, आर्थिक व राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा कर सके।

(iv) उस भाषा में विचार करने में कोई कठिनाई न आए।

उपरोक्त सारे लक्षण हिंदी भाषा में पाए गए। जिसे भारत की संघीय राजभाषा का स्थान दिया गया।

शिवाजी ने राजनीति की फारसी–संस्कृत शब्दावली बनाई थी, जिसमें लगभग 1500 शब्द थे। उसके बाद खालिकबारी परंपरा में हिंदी–फारसी के कई कोश लिखे गए किंतु वैज्ञानिक ढंग से यह कार्य अंग्रेजों के संपर्क में आने के बाद प्रारंभ हुआ। यूरोप में इस दिशा में कार्य को वैज्ञानिक स्तर पर लाने का श्रेय जे. स्कैलिसर (1540–1609) को है। 1573 में प्रकाशित हेनरी स्टीफेन्सन की द्विभाषिक शब्दावली इस क्षेत्र की प्रथम महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। भारत में अंग्रेज पादरियों ने धर्म एवं राजप्रचार की दृष्टि से यहाँ की कई भाषाओं के अंग्रेजी कोश प्रकाशित किए। हिंदी की दृष्टि से इस शृंखला का प्रथम कोश जे. फरगुसन की 'ए डिक्शनरी ऑव हिंदोस्तान लैंग्विज' है, जो 1773 ई. में लंदन से छपी थी।

राजनीति विज्ञान में शब्दों की संक्षिप्तियों का उपयोग

हिंदी में संक्षिप्त शब्द टाडा, पोटा, अंकटाड, सैम, मीडो, सीटो, इंटक, नाटो, यूनेस्को आदि पर्याप्त

शब्द इसी कोटि के हैं। 1962 के चीनी आक्रमण के समय नेफा, मिग तथा रडार आदि शब्द काफी प्रचलित हो गए। युद्ध के क्षेत्र में लेसर व मिग प्रचलित हैं।

• राजनीति विज्ञान में संस्कृत के शब्द–संस्कृत के अनेक शब्द हिंदी भाषा में समाहित हो गए हैं। कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र इसमें राजा, सेनापति, नागरिक, मंत्री, युवराज व परिषद् इत्यादि शब्दों का उल्लेख मिलता है। संस्कृत भाषा की शब्दावली भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन में सहायक रहीं है। पंचशील, कर्त्तव्य, कपट, धर्म, राजा, राष्ट्र, निर्वाचित, न्याय, प्रभाव, प्रस्ताव, शासन आदि।

• राजनीति विज्ञान में अरबी भाषा के शब्द–राजनीति विज्ञान में अरबी शब्दावली का भी समावेश हुआ है, जैसे – कानून, मजहब, बगाबत, बादशाह, हुकूमत, ओहदा, गुलाम, दंगा इत्यादि।

• राजनीति विज्ञान में अंग्रेजी भाषा के शब्द – कतिपय ऐसे श्शब्द है जो अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिए गए हैं, जैसे– होम रूल, गिल्ड, हॉट लाइन, मैग्ना कार्टा, पेन्टागन, प्रिवी काउन्सिल, कुआकमिटांग, लाबी, मैंशेबिक, गेस्टापो, प्रिवी पर्स, चार्टर, व्हिन, व्हाइट हाउस आदि।

जैसा कि पूर्व में उल्लेखित किया गया कि प्रत्येक कार्यालय या विषय की अपनी एक विशिष्ट शब्दावली होती है। राजनीतिविज्ञान में प्रयुक्त होने वाली कुछ शब्द इस प्रकार हैं–

• पंचशील – यह शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है– पहला "पंच" जिसका तात्पर्य है पाँच और दूसरा "शील" जिसका मतलब है स्वाभाव, प्रथा, कार्य–रीत, आचरण, प्रवृत्ति इत्यादि। इस प्रकार शाब्दिक दृष्टि से पंचशील का अर्थ है आचरण के पाँच नियम।

• मंत्रिमंडल – अंग्रेजी भाषा के शब्द कैबिनेट का अर्थ है वह निजी कक्ष जिसमें राज्य प्रधान के विश्वस्त परामर्शदाताओं की बैठक हुआ करती थी। बाद में इसका अभिप्राय व्यक्तियों का वह वर्ग हो गया जिनकी इस प्रकार के कक्ष में बैठक हो। किंतु अब इस शब्द का अर्थ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य के प्रधान के विश्वस्त मंत्री समझा जाता है।

• बोल्शेविज्म – यह रूसी भाषा के शब्द ''बोल्शेविज्म'' से बना है जिसका अर्थ बहुमत होता है।

• स्वायत्तता – यह एक यूनानी शब्द ऑटोनोमिया से निकला है जिसका अर्थ है स्वशासन का अधिकार या शक्ति

•नगर राज्य – यह अंग्रेजी शब्द यूनानी भाषा के शब्द "पोलिस" शब्द का रूपांतरण है। इसका तात्पर्य एक ऐसे राजनीतिक संगठन से है जिसमें राजनीतिक गतिविधियां तथा नेतृत्व एक नगर में केंद्रित हो। ईसा से करीब 700 ईसा पूर्व यूनान में अनेक नगर–राज्य निर्मित हुए।

• अभिभाषण – यह अंग्रेजी भाषा के शब्द एड्रेस का हिंदी पर्याय है। भारतीय संसद व राज्य विधानमंडल के सदनों की संयुक्त बैठक में क्रमशः राष्ट्रपति व राज्यपाल के अभिभाषण की ब्रिटिश परंपरा की देन है।

• लोकतंत्र – यह अंग्रेजी भाषा के शब्द "डेमोक्रेसी" का हिंदी अनुवाद है। "डेमोक्रेसी" दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, पहला– डेमॉस जिसका अर्थ है जनता और दूसरा है क्रेटॉस जिसका तात्पर्य है शक्ति। इस प्रकार व्युत्पत्ति की दृष्टि से लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन या वह शासन प्रणाली जिसमें सर्वोच्च सत्ता जनता के पास हो।

• अधिनायकतंत्र – यह अंग्रेजी शब्द "डिक्टेटरशिप" का पर्याय है। जिसका अर्थ है शासितों की सहमति के बिना ही एक व्यक्ति या गुट का शासन।

• राजतंत्र – यह शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है पहला "मोनो" (जिसका तात्पर्य है एक) और दूसरा "आर्की" जिसका मतलब है शासन। इस प्रकार राजतंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें राज्य की सर्वोच्च सत्ता एक ही व्यक्ति के पास होती है।

• गणराज्य – यह अंग्रेजी भाषा के शब्द "रिपब्लिक" का हिंदी पर्याय है। "गणराज्य" एक प्राचीन संस्कृत शब्द है। दरअसल भारत में राजतंत्र के साथ ही गणराज्यों की भी सुदीर्घ परंपरा थी।

• राजदूत – यह अंग्रेजी भाषा के शब्द ऐम्बेसेडर का हिंदी अनुवाद है। इसका आशय एक राज्य के अध्यक्ष द्वारा दूसरे राज्य में भेजा गया प्रतिनिधि है।

इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा में राजनीति कोश मूल संकल्पनाओं का विशिष्ट प्रयास है। हिंदी के अधिकांश परिभाषित समानकों का अभी हाल में ही निर्माण अथवा अंगीकरण हुआ है। अस्तु वर्तमान में वे सर्वभौमिक रूप से प्रचलित नहीं है। ऐसी अवस्था में प्रयोग के द्वारा इन शब्दों को अर्थ, संकोच, व अर्थादेश की विविध प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। उल्लेखनीय है कि शब्दों में स्थिरीकरण में इन उपायों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। दरअसल ज्ञान की किसी भी शाखा की जीवंतता, रोचकता व प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए निरंतर नवीन शब्दावली की सृजनशीलता का तत्व होना आवश्यक है।

शब्दावली आयोग की राजनीति विज्ञान शब्दावली

हिंदी के ज्ञान–विज्ञान के प्रसार तथा विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षण माध्यम के रूप में भारत सरकार ने 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' के अधीन सन् 1961 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली की स्थापना की। वस्तुतः इस आयोग की स्थापना से पहले ही 1957, 1958, 1959 तथा 1962 को राजनीति विज्ञान विषयक शब्दावलियों का प्रकाशन हुआ जिसे 1966 में प्रकाशित 'मानविकी शब्दावली' के समाहित किया है। प्रसन्नता का विषय है कि आयोग ने 2016 में 'राजनीति विज्ञान शब्दावली' प्रकाशित की है जिसमें राजनीति विज्ञान विषयक अंग्रेजी के लगभग 1800 शब्दों के हिंदी पर्याय दिए गए हैं। भारत के विभिन्न हिंदी–भाषी राज्यों में हिंदी की राजनीति विज्ञान की शब्दावली कुछ विभिन्नताएँ भी दृष्टिगत होती थी। इस समय स्थिति यह है कि मानवीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय किया है कि सभी विषय के अध्ययन–अध्यापन लेखन–शिक्षण में केवल शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित शब्दावली का ही प्रयोग किया जाए।

संदर्भ –

1. डॉ. मोतीलाल गुप्त : 'आधुनिक भाषा विज्ञान', रिसर्च पब्लिकेशन्स इन सोशल साइन्सेस, दिल्ली,।
2. डॉ. कैलाश चंद्र अग्रवाल : 'आधुनिक हिंदी व्याकरण तथा रचना, रंजन प्रकाशन , आगरा,।
3. डॉ. कैलाशनाथ शुक्ल : 'पश्चिमी हिंदी की बोलियों की व्याकरणिक कोटियाँ', प्रमोद पुस्तक माला, इलाहाबाद,।
4. डॉ. भोला प्रसाद तिवारी : 'भाषा विज्ञान', प्रकाशन पंचम संस्करण, 1965 किताब महल, इलाहाबाद,।
5. डॉ. रामविलास शर्मा : भाषा और समाज, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली,।
6. शब्द का उदय : विकास एवं अनुप्रयोग (गूगल पुस्तक के लेखक – दयानंद पंत)
7. डॉ. हरिचंद्र पाठक : 'हिंदी भाषा, इतिहास और संरचना', तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली,।

❑❑❑

कुछ संसदीय तकनीकी शब्दों की सरल व्याख्या

*डॉ. कपिल खरे

सारांश

भारतीय संविधान के अंतर्गत संसदीय प्रणाली का प्रमुख स्थान है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति एवं दो सदन अर्थात् लोकसभा और राज्यसभा को सामूहिक रूप को संसद के नाम से जाना जाता है। संसदीय साहित्य वैज्ञानिक होने के कारण का मुख्यतः तकनीकी प्रकृति है। अतः इसके कार्यों को पूर्ण करने के लिए सटीक एवं उपयुक्त पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता होती है। अतः शब्दों का चयन करते समय यह प्रयास रहता है कि उसका एक निश्चित स्पष्ट एवं अपेक्षित अर्थ निकाला जा सके। तकनीकी शब्दावली का महत्व इसी में है कि उसका जो अर्थ मूलरूप में निकलता है। उसी के अनुरूप अनुवाद की भाषा में शब्दावली का प्रयोग किया जाए।

किसी कार्यालय के कार्यकरण को सुचारु बनाने के लिए उसकी अपनी भाषा–शैली और शब्दावली का होना बहुत आवश्यक है। एक–दो दशक पहले तक, राज्य सभा सचिवालय अन्य अभिकरणों द्वारा तैयार किए गए शब्दकोशों, शब्दावलियों और शब्द–संग्रहों पर पूर्णतया निर्भर था। समय के साथ इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि सचिवालय में राज्य सभा वाद–विवाद, संसदीय समाचार (भाग 1 और भाग 2), विभिन्न संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों, संसदीय प्रश्नों, विधेयकों और अधिनियमों, सारांश इत्यादि के अंग्रेजी पाठ में बहुधा प्रयुक्त होने वाले ऐसे शब्दों और वाक्यांशों के लिए हिंदी शब्द और वाक्यांश होने चाहिए। ऐसे शब्द और वाक्यांश अपने अर्थ और आशय की दृष्टि से तकनीकी और विशिष्ट होते हैं।

उद्देश्य : आम नागरिक के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उसे संसदीय शब्दावली, संसदीय प्रक्रिया एवं नियमों का भी ज्ञान हो। संसदीय व्यवस्था के प्रति उनका नजरिया सकारात्मक और सम्मानजनक हो, उसे संसदीय शब्दावली, संसदीय प्रक्रिया और नियमों का भी ज्ञान होना आवश्यक है। वर्तमान समय में संसद की प्रक्रिया में तकनीकी शब्दावली का प्रयोग किया जाना लाभकारी है परंतु इसकी भाषा शैली आम नागरिकों को भी जानना जरूरी है। अतः इस लेख का उद्देश्य हैः

- तकनीकी शब्दावली की विशेषताओं को नागरिकों तक ज्ञान कराना।
- तकनीकी शब्दावली के मूल शब्दों की पहचान से व्यक्ति की जागरूकता को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- तकनीकी शब्दावली के मूल शब्दों का अध्ययन करना।

समस्या : अमूमन आम नागरिक को भी संसदीय शब्दावली की विशेष जानकारी नहीं होती है। संसदीय शब्दावली में तकनीकी भाषा का प्रयोग किए जाने के कारण इसका महत्व काफी बढ़ जाता है। परंतु आम नागरिक की समझ में यह सरलता से नहीं आती। अतः संसदीय अभिव्यक्तियों को जानना ऐसे में भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए जरूरी हो जाता है। यह एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो बहुत महत्वपूर्ण है और सामान्यतः संसदीय कार्यवाहियों में उपयोग की जाती है। प्रत्येक अभिव्यक्ति के साथ इसके अर्थ और तात्पर्य की यथासंभव टिप्पणी को लगाकर समझाया जा सकता है।

* अतिथि प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, शासकीय महाविद्यालय, बिछुआ (म. प्र.)

समाधान : अतः संसदीय प्रक्रिया में कुछ तकनीकी शब्दों की व्याख्या नीचे दी जा रही है :

(1) **अधिनियम** – संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित विधेयक जिसे राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति दे दी है।

(2) **तदर्थ समिति** – विशिष्ट विषय पर विचार करने तथा प्रतिवेदन देने के लिए सभा द्वारा अथवा सभापति द्वारा अथवा संयुक्त रूप से दोनों सभाओं के पीठासीन अधिकारियों द्वारा गठित समिति। यह समिति जब अपना कार्य पूर्ण कर लेती है तो इसका कार्यकाल समाप्त माना जाता है।

(3) **वाद–विवाद का स्थगन** – किसी प्रस्ताव, संकल्प, विधेयक, जिस पर तत्समय सभा में विचार चल रहा है, पर वाद–विवाद को सभा द्वारा गृहीत किसी प्रस्ताव के द्वारा प्रस्ताव में ही निर्दिष्ट किसी आगामी दिन तक के लिए अथवा अनियमित दिन के लिए स्थगित करना।

(4) **सभा की बैठक का स्थगन** – स्थगन होने पर सभा की बैठक समाप्त हो जाती है और सभा अगली बैठक के लिए नियम पुनः बैठती है।

(5) **अनिश्चित काल (दिन तक) के लिए स्थगन** – अगली बैठक के लिए कोई निश्चित तिथि नियत किए बिना ही सभा की किसी बैठक की समाप्ति।

(6) **विनियोग विधेयक** – यह किसी वित्तीय वर्ष अथवा उसके एक भाग की सेवाओं के लिए लोक सभा द्वारा दत्तमत धन और भारत की संचित निधि पर प्रभारित धन के भारत की संचित निधि से प्रत्याहरण अथवा विनियोग का उपबंध करने के लिए वार्षिक रूप से (अथवा वर्ष में कई बार) पारित किया जाने वाला धन विधेयक है।

(7) **बैलट** – लॉटरी के जरिए एक से अधिक सूचनाओं की परस्पर अग्रता को निर्धारित करने की प्रक्रिया।

(8) **विधेयक** – यह उचित रूप में रखे गए विधायी प्रस्ताव का प्रारूप है जो संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किए जाने और राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिए जाने पर अधिनियम बन जाता है।

(9) **बजट** – यह किसी वित्त वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राक्कलित आय और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है।

(10) **संसदीय समाचार** – संसदीय समाचार से राज्य सभा का संसदीय समाचार अभिप्रेत है। यह दो भागों में प्रकाशित होता है। 'भाग–एक' में सभा की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण सम्मिलित होता है और 'भाग–दो' में सभा या समितियों के कार्य से संबद्ध या संसक्त किसी मामले या किसी भी अन्य मामले के संबंध में जानकारी दी गई होती है। जिसे सभापति के विचार से इसमें सम्मिलित किया जा सकता है।

(11) **बैठकों की सारणी** – बैठकों की अस्थायी सारणी राज्य सभा की बैठकों के दिवसों और उन दिवसों पर सभा द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य के स्वरूप को दर्शाती है।

(12) **ध्यानाकर्षण** – एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे संसद सदस्य अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करता है, मंत्री उस पर संक्षिप्त वक्तव्य देते हैं और इसके उपरांत सदस्य स्पष्टीकरण मांगते हैं।

(13) **निर्णायक मत** – किसी मामले में मतों की संख्या समान होने पर सभा में सभापति या उस हैसियत से कार्य कर रहे सदस्य और समिति में अध्यक्ष या इस हैसियत से कार्य कर रहे सदस्य द्वारा दिया गया मत निर्णायक मत होता है।

(14) **क्रॉसिंग द फ्लोर** – इससे सभा में बोल रहे सदस्य और सभापीठ के बीच से गुजरना अभिप्रेत है। यह संसदीय शिष्टाचार का उल्लंघन माना जाता है।

(15) **अनुदान मांग** – मंत्रालय विभाग के योजना तथा गैर–योजना व्यय को पूरा करने के लिए बजट आवंटन का निर्धारित किया जाना।

(16) **मत–विभाजन** – यह सभा के समक्ष प्रस्तावित उपाय या प्रश्न पर, उसके पक्ष या विपक्ष में मतों को अभिलिखित करके किसी निर्णय पर पहुंचने का तरीका है।

(17) **लॉटरी निकालना** – इस पद्धति का उपयोग गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों, एक ही दिन लिए जाने के लिए एक से अधिक सदस्यों द्वारा साथ–साथ दी गई प्रश्नों की सूचनाओं, आधे घंटे की चर्चा या किसी अन्य सूचना की सापेक्षिक पूर्ववर्तिता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है।

(18) **कार्यवाही में से निकाला जाना** – मानहानिकारक या अशिष्ट या असंसदीय या गरिमा–रहित शब्दों, वाक्यांशों या अभिव्यक्तियों को सभापति के आदेश से राज्य सभा की कार्यवाही या अभिलेख में से निकाल दिया जाता है।

(19) **वित्त विधेयक** – यह विधेयक अगले वित्त वर्ष के लिए भारत सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने के लिए सामान्यतः प्रति वर्ष पुरःस्थापित किया जाता है और इसमें किसी अवधि के लिए अनुपूरक वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने वाला विधेयक शामिल होता है।

(20) **वित्तीय कार्य** – सभा के वित्तीय कार्य में रेल और सामान्य बजटों तथा अनुपूरक अनुदान मांगों के विवरणों को, उनके लोक सभा में प्रस्तुत किए जाने के बाद, सभा पटल पर रखा जाना, सामान्य और रेल बजटों पर सामान्य और रेल बजटों पर सामान्य चर्चा, संबद्ध विनियोग विधेयकों तथा वित्त विधेयकों पर विचार व उन्हें लौटाया जाना, राष्ट्रपति के शासनाधीन राज्यों के बजटों इत्यादि का सभा पटल पर रखा जाना शामिल है।

(21) **राजपत्र** – इससे भारत का राजपत्र अभिप्रेत है।

(22) **आधे घंटे की चर्चा** – सभापति की अनुज्ञान से कोई सदस्य पर्याप्त लोक महत्व के किसी ऐसे मामले पर चर्चा आरंभ कर सकता है जो हाल ही में किसी मौखिक या लिखित प्रश्न का विषय रहा हो और जिसके उत्तर के संबंध में किसी तथ्यपूर्ण मामले पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है।

(23) **सभा का नेता** – इसका तात्पर्य प्रधानमंत्री से है। यदि वह राज्य सभा का सदस्य हो या उस मंत्री से है जो राज्य सभा का सदस्य हो और सभा के नेता के रूप में कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नाम–निर्देशित किया गया हो।

(24) **विपक्ष का नेता** – सभा का वह सदस्य जो उस समय की सरकार में उस सभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता हो और जिसे सभापति ने उस रूप में मान्यता प्रदान की हो।

(25) **अनुपस्थिति की अनुमति** – सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने के लिए इसकी अनुमति प्राप्त करने के इच्छुक सदस्य से इसके कारण तथा ऐसी अवधि बताते हुए एक आवेदन करना अपेक्षित है जिसके लिए उसे सभा की बैठकों से अनुपस्थिति होने की अनुमति दी जाए।

(26) **विधायन कार्य** – सभा में किसी मंत्री या गैर–सरकारी सदस्य द्वारा पेश किए गए विधेयक का पुरःस्थापना, उस पर विचार तथा पारण।

(27) **कार्यावली** – यह कार्य की उन मदों की सूची होती है जो किसी दिन विशेष को राज्य सभा में अपने उसी क्रम में लिए जाने के लिए निर्धारित की गई होती है जिस क्रम में वे इसमें दर्ज है।

(28) **लॉबी** – सभा कक्ष से एकदम सटा हुआ और उसी के साथ समाप्त होने वाला बंद गलियारा लॉबी कहलाता है।

(29) **प्रथम भाषण** – सभा में राज्य सभा के लिए अपने निर्वाचन एवं नाम–निर्देशन के बाद सदस्य का प्रथम भाषण होता है।

(30) **अनुमति से उठाए गए मामले** – प्रश्न काल और पत्रों को सभा पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद, किसी सदस्य द्वारा सभापति की पूर्व–अनुमति से उठाए गए अवलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे।

(31) **विधेयक का भारसाधक सदस्य** – वह मंत्री गैर–सरकारी सदस्य जिसने सरकारी गैर–सरकारी सदस्य जिसने सरकारी, गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयक को पुरःस्थापित किया है।

(32) **कार्यज्ञापन** – वह सभापीठ द्वारा उपयोग हेतु दिवस की कार्यावलि में सूचिबद्ध मदों की घोषणा करते समय उसकी सहायता करने के लिए होता है।

(33) **संदेश** – संविधान के अनुच्छेद 86 (2) और 111 के अधीन संसद की एक सभा अथवा दोनों सभाओं को राष्ट्रपति का पत्र और संसद की एक सभा द्वारा दूसरी सभा को भेजा गया पत्र।

(34) **प्रस्ताव** – मंत्री या सदस्य द्वारा सभा को दिया गया इस आशय का औपचारिक प्रस्ताव कि सभा कोई कार्रवाही करे, कोई कार्यवाही किए जाने का आदेश दे अथवा किसी मामले पर राय वयक्त करे। प्रस्ताव की भाषा इस प्रकार की होती है कि, स्वीकृत हो जाने पर वह सभा के निर्णय अथवा इच्छा करने का द्योतक हो जाता है।

(35) **धन्यवाद प्रस्ताव** – सभा में उपस्थित किया गया एक औपचारिक प्रस्ताव जिसमें राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 87(1) के अधीन संसद की दोनों सभाओं की सम्मिलित बैठक में दिए गए अभिभाषण के प्रति सभा द्वारा कृतज्ञता ज्ञापित की जाती है।

(36) **किसी सदस्य का नाम लेकर उसे अवकारी बताना** – सभापति द्वारा किसी ऐसे सदस्य के, जो सभापीठ के प्राधिकार का अनादर करता है अथवा सभा के कार्य में लगातार और जानबूझ कर बाधा डालते हुए सभा के नियमों का दुरूपयोग करता है, आचरण की ओर सभा का ध्यान इस दृष्टि से आकर्षित कराना कि उस सदस्य को सभा की सेवा से शेष अवधि के लिए निलंबित करने की कार्रवाई की जाए।

(37) **अध्यादेश** – संविधान के अनुच्छेद 123 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए कानून को अध्यादेश कहते हैं।

(38) **उप सभाध्यक्ष पैनल** – यह सभापति द्वारा नाम–निर्देशित किए गए राज्य सभा के छः सदस्यों का पैनल होता है जिनमें से कोई भी सदस्य सभापति अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति द्वारा वैसा अनुरोध किए जाने पर सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सभा का सभापतित्व कर सकता है।

(39) **सभा पटल पर रखे गए पत्र** – ऐसे पत्र या प्रलेख जो सभापति की अनुमति से किसी मंत्री अथवा किसी गैर–सरकारी सदस्य अथवा महासचिव द्वारा संविधान के उपबंधों अथवा राज्य सभा के प्रक्रिया–विषयक नियमों अथवा संसद के किसी अधिनियम और उनके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसरण में सभा पटल पर इस प्रयोजन से रखे जाते हैं ताकि उन्हें राज्य सभा के अभिलेख में लिया जा सके।

(40) **वैयक्तिक स्पष्टीकरण** – जिस सदस्य या मंत्री के विरुद्ध सभा में वैयक्तिक स्वरूप की टीका–टिप्पणियां या आलोचना की जाती है वह सभापति की सम्मति से, अपने बचाव में वैयक्तिक स्पष्टीकरण देने का हकदार है।

(41) **औचित्य का प्रश्न** – यह प्रक्रिया–विषयक नियमों अथवा संविधान के ऐसे अनुच्छेदों, जो सभा के कार्य को नियंत्रित करते हैं, के निर्वचन अथवा प्रवर्तन से संबंधित प्रश्न होता है जो सभा में उठाया जाता है और सभापीठ के निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

(42) **राज्यसभा की प्रसीमाएं** – इसमें सभाकक्ष, लॉबियाँ, दीर्घाएं और ऐसे अन्य स्थान शामिल हैं जिन्हें सभापति समय–समय पर विनिर्दिष्ट करें।

(43) **गैर–सरकारी सदस्यों का संकल्प** – गैर–सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिए नियत दिन को किसी सदस्य द्वारा मंत्री को छोड़कर, प्रस्तुत सामान्य लोक हित का ऐसा मामला, जो सभा द्वारा अभिमत की घोषणा के रूप में हो या ऐसे किसी अन्य रूप में हो जिसे सभापति उचित समझें।

(44) **सत्रावसान** – राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 85(2)क के अधीन दिए गए आदेश द्वारा राज्य सभा के सत्र की समाप्ति।

(45) **प्रस्ताव पर मत लेना** – किसी प्रस्ताव पर वाद–विवाद समाप्त हो जाने पर, सभापति अपने आसन से खड़े होकर 'प्रश्न यह है कि' शब्द से आरंभ करके सभा के समक्ष प्रस्ताव को बोलकर या पढ़कर सुनाता हैं

(46) **प्रश्न–सारणी** – सदस्यों को सत्र के आमंत्रण सहित परिचालित की गई एक सारणी जिसमें प्रश्नों के उत्तरों की तारीखें और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त करने की अंतिम तारीखें दी गई होती हैं।

(47) **प्रश्नकाल** – सभा की बैठक का पहला घंटा प्रश्न पूछे जाने और उनके उत्तर दिए जाने के लिए आवंटित है।

(48) **विशेषाधिकार का प्रश्न** – ऐसा प्रश्न जिसमें किसी सदस्य के या सभा के या इसकी किसी समिति के विशेषाधिकार का उल्लंघन या सभा की अवमानना निहित हो।

(49) **गणपूर्ति** – संविधान के अनुच्छेद 100(3) के अधीन यथा–उपबंधित सभा या समिति की किसी बैठक के कार्य के वैध निष्पादन के लिए उपस्थित सदस्यों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या सभा की बैठक की गणपूर्ति सभा की कुल सदस्य–संख्या का दसवां भाग होती है।

(50) **राज्य सभा वाद–विवाद** – सभा में कहीं गई किसी भी बात का शब्दशः अभिलेख राज्य सभा की प्रत्येक बैठक के लिए शासकीय वृत्तलेखक द्वारा प्रतिवेदित किया जाता है। इसके कुछ ऐसे शब्दों, वाक्यांशों तथा अभिव्यक्तियों, यदि कोई हों, को शामिल नहीं किया जिनके लिए सभापीठ द्वारा कार्यवाही से निकाले जाने हेतु उस समय आदेश दिया जाता है अथवा सभापति द्वारा अभिलिखित न किए जाने हेतु उस समय आदेश दिया जाता है, जब सदस्य उनकी अनुमति के बिना बोलते हैं।

(51) **सदस्यों की नामावली** – ऐसा रजिस्टर जिसमें नए चुने गए सदस्य शपथ लेने का प्रतिज्ञापन करने के पश्चात् सभा में पहली बार अपना स्थान ग्रहण करने से पहले हस्ताक्षर करते हैं।

(52) **सत्र** – राज्य सभा के किसी सत्र की अवधि राष्ट्रपति के राज्य सभा को आमंत्रित करने वाले आदेश में उल्लिखित तारीख और समय से आरंभ होकर राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा का सत्रावसान किए जाने के दिन तक होती है।

(53) **अल्पकालिक चर्चा** – अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले को उठाने के लिए, सदस्य द्वारा उठाए जाने वाले मामले को स्पष्ट तथा सही रूप से विनिर्दिष्ट करते हुए एक सूचना दी जानी होती है जिसका समर्थन दो अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है।

(54) **अल्पसूचना प्रश्न** – अविलंबनीय लोक महत्व के विषय के संबंध में कोई ऐसा प्रश्न जिसे अल्प सूचना देकर प्रश्न पूछने के कारण बताते हुए पूरे पंद्रह दिन से कम समय की सूचना पर सदस्य द्वारा मौखिक उत्तर हेतु पूछा जाए।

(55) **सभा की बैठक** – राज्य सभा की बैठक तभी विधिवत् गठित होती है जब बैठक का सभापतित्व सभापति या कोई ऐसा सदस्य करे जो संविधान अथवा राज्य सभा के प्रक्रिया–विषयक नियमों के अधीन सभा की बैठक का सभापतित्व करने के लिए सक्षम हो।

(56) **विशेष उल्लेख** – यह सदस्य को उपलब्ध एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वह अधिकतम 250 शब्दों के मूल–पाठ को पढ़कर सभा में लोक महत्व के किसी मामले का उल्लेख करना चाहता है।

(57) **स्थायी समिति** – सभा द्वारा निर्वाचन या सभापति द्वारा नामनिर्देशन द्वारा प्रति वर्ष या समय–समय पर गठित की गई ऐसी समिति, जो स्थायी स्वरूप की होती है।

(58) **तारांकित प्रश्न** – ऐसा प्रश्न जो मौखिक उत्तर पाने के इच्छुक किसी सदस्य द्वारा सभा में पूछा जाए और जिसका विभेद तारांक लगाकर किया जाए।

(59) **संकल्प** – अधिनियम के उपबंध के अनुसरण में कोई संकल्प।

(60) **अधीनस्थ विधान** – संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद के अधिनियम द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति के अनुसरण में किसी कार्यकारी या अन्य अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियम, विनियम, आदेश, योजनाएँ, उपविधियाँ आदि जिन्हें कानून की शक्ति प्राप्त है।

(61) **आमंत्रण** – राज्य सभा के महासचिव सभा राष्ट्रपति के आदेशों के अधीन राज्य सभा के सदस्यों को जारी किया गया आधिकारिक पत्र जिसमें उन्हें राज्य सभा का सत्र आरंभ होने के स्थान, तारीख और समय के बारे में सूचित किया जाता है।

(62) **अनुपूरक प्रश्न** – किसी ऐसे तथ्यपूर्ण मामले, जिसके संबंध में प्रश्न काल के दौरान उत्तर दिया गया हो, को और स्पष्ट करने के प्रयोजन से सभापति द्वारा बुलाए जाने पर किसी सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न।

(63) **सभापटल** – सभापति के आसन के नीचे महासचिव के डेस्क के सामने का पटल। सभा पटल पर रखे जाने हेतु अपेक्षित पत्र इस पटल पर रखे गए समझे जाते हैं।

(64) **अतारांकित प्रश्न** – सभा में मौखिक उत्तर के लिए न पुकारा जाने वाला प्रश्न। ऐसे प्रश्न का लिखित उत्तर सभा पटल पर रखा गया समझा जाता है।

(65) **विदाई उजागर** – प्रत्येक सत्र में सभापीठ, सदस्यों व दलों के नेताओं और समूहों को सभा का कार्य संचालन में उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए सत्र के समापन पर विदाई के उद्गार (अभिव्यक्ति)।

(66) **सचेतकगण** – सत्ताधारी दल तथा विपक्षी दलों समूहों से विनिर्दिष्ट कार्य निष्पादित करने और संसद के अंदर किसी दल के आंतरिक संगठन में महत्वपूर्ण संपर्क बनाने के लिए गए सदस्य हैं।

निष्कर्ष :

संसदीय साहित्य की अभिव्यक्ति में संसदीय भाषा की प्रकृति ओर उसकी शब्दावली पर ध्यान देना आवश्यक तथा उच्च गुणवत्तापूर्ण कार्य होता है। संसदीय साहित्य का संबंध जनसाधारण से भी है। यदि इसका अनुवाद भाषा की प्रकृति के अनुसार न किया गया तो अनूदित पाठ की भाषा सुगठित एवं परिमार्जित नहीं हो पाएगी। सरल और सुव्यवस्थित वाक्य–विन्यास से न केवल अभिव्यक्ति की भाषा का उचित रूप से उच्चारण होगा। वरन जनसाधारण के लिए संसदीय साहित्य की महत्ता में भी वृद्धि होगी। संसदीय प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली तकनीकी शब्दावली के कार्यान्वयन हेतु किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा भी की जानी चाहिए तथा इसे आम नागरिकों की समझ के लिए अधिक प्रभावी बनाए जाने हेतु आवश्यक कदम भी उठाए जाने चाहिए ताकि जिस उद्देश्यों को लेकर संसदीय प्रक्रिया में तकनीकी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है वह सार्थक सिद्ध हो सके।

संदर्भ ग्रंथ :

1. गोस्वामी, कृष्ण कुमार, "संसदीय साहित्य का अनुवाद", अनुवादविज्ञान की भूमिका, राजकमल प्रकाशन, पृ. 359
2. इंद्रा, उम्मेद सिंह, "संसदीय व्यवस्था मे परिवर्तन की दिशा", कल्पज पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2010, पृ. 105
3. पांडे, पूर्ण चंद, "विधायक और विधायिका", अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा लिमिटेड, नई दिल्ली, 1999, पृ. 51
4. "राजनीतिविज्ञान की मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी)", द्वितीय संस्करण, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली, 2015, पृ. 44
5. "संसदीय शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी)", राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली, 2009, पृ. 116
6. "संसदीय कार्य शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी)", 2008, पृ. 87
7. "राजभाषा संदर्शिका", राजभाषा अनुभाग, फील्ड गन फैक्टरी, कानपुर
8. लास्की हैरोल्ड जे., "राजनीति का व्याकरण", राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, 2011, पृ. 133
9. कार्ल मार्क्स, "दर्शन की निर्धनता", प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली, 2015, पृ. 119

❑❑❑

राजनीति विज्ञान की मूलभूत शब्दावली

A

A.B.C. weapons	परमाणु, जीवाणु तथा रासायनिक शस्त्रास्त्र
abandonment	परित्याग
abdication	1. पदत्याग 2. अधित्याग
abditory	मालखाना
abhorrence	नफरत, घृणा
abhorrence of war	युद्ध-बीभत्सा
abjuration	संत्याग
abolition of riba	सूदखोरी (रिबा) का उन्मूलन
abolition of slavery	दासता उन्मूलन
abolition of untouchability	अस्पृश्यता उन्मूलन
abolitionism	उन्मूलनवाद
abortive peace negotiations	विफल शांति-वार्ता
above party	दल-निरपेक्ष, दल से ऊपर
abrogation	निराकरण
absentee voting	अनुपस्थित मतदान
absolute agreement	पूर्ण समझौता
absolute assignment	1. पूर्ण समनुदेशन 2. पूर्ण अधिक्षेत्र
absolute dominion	पूर्ण आधिपत्य
absolute equality	पूर्ण समानता; निरपेक्ष समानता
absolute government	निरंकुश सरकार
absolute majority	पूर्ण बहुमत
Absolute neutrality (=perfect neutrality)	पूर्ण तटस्थता
absolute power	निरंकुश शक्ति
absolute sense	निरपेक्ष अर्थ
absolute society	निरपेक्ष समाज
absolute theory of the state	राज्य का पूर्ण प्रभुतावादी सिद्धांत
absolute unanimity	पूर्ण मतैक्य
absoluteness	1. पूर्णता 2. निरंकुशता 3. निरपेक्षता
absorbing state	आमेलक राज्य
absorptive power	आमेलक शक्ति
abstention from voting	मतदान में भाग न लेना
abstract knowledge	सैद्धांतिक ज्ञान
abstract principle	अमूर्त सिद्धांत
abstract right	अमूर्त अधिकार
abstract speculation	अमूर्त परिकल्पना
abuse of flag	ध्वज का दुरुपयोग
abuse of international law	अंतरराष्ट्रीय विधि का दुरुपयोग
abuse of power	शक्ति का दुरुपयोग
acceding government	अधिमेली सरकार
accelerated meeting	त्वरित बैठक
acceptable proposal	स्वीकार्य प्रस्ताव
acceptance speech	स्वीकृति-भाषण
access	1. पहुंच 2. प्रवेश
accession clause	अधिमिलन खंड
accessory belligerent	सहायक युद्धकारी
accidental war	आकस्मिक युद्ध
acclamation (=voice vote)	मौखिक मतदान
accord	समझौता
accountability	जवाबदेही
accoutrement	रणसज्जा
accredit	प्रत्यायित करना
accredited agent	प्रत्यायित अभिकर्ता, प्रत्यायित एजेन्ट
accredited representative	प्रत्यायित प्रतिनिधि
accrediting sovereign	प्रत्यायनकर्ता संप्रभु
acculturation	परसंस्कृतिग्रहण
accuracy	यथार्थता, परिशुद्धता
accuse	अभियोग लगाना
accused	अभियुक्त
ACEN (Assembly of Captive European Nations)	एकेन(बंधित यूरोपीय राष्ट्रों की सभा)
acknowledged rights	अभिस्वीकृत अधिकार
acquired nationality	1. अर्जित राष्ट्रिकता 2. अर्जित राष्ट्रीयता

acquired rights	अर्जित अधिकार
acquisition of citizenship	नागरिकता- अर्जन
acquisition of land	भूमि अधिग्रहण
acquisition of property	संपत्ति अधिग्रहण
acquisition of territory	भूभाग अधिग्रहण
acquisitive society	अधिग्राही समाज
acquittal	दोषमुक्ति
act of aggression	आक्रामक कार्य
act of belligerency	युद्धात्मक कार्य
Act of consolidation	ऍक्ट आफ कॉन्सालिडेशन
act of parliament	संसद का अधिनियम
Act of state	राज्य-कृत्य
acte general=general act	सामान्य अधिनियम
actionable wrong	अभियोज्य दोष
acting judge	कार्यकारी न्यायाधीश
acting representative	कार्यकारी प्रतिनिधि
active duty	सक्रिय ड्यूटी
active list	सक्रिय सूची
active politics	सक्रिय राजनीति
activism	सक्रियतावाद
activist	सक्रियतावादी
activistic idealism	क्रियात्मक प्रत्ययवाद
actual will	वास्तविक इच्छा
ad hoc judge	तदर्थ न्यायाधीश
ad hoc political committee	तदर्थ राजनीतिक समिति
ad referendum	अनुमोदनाधीन
additional grant	अतिरिक्त अनुदान
address to the Crown	राजा के अभिभाषण का उत्तर
adjacent waters	आसन्न समुद्र
adjoining territory	निकटवर्ती क्षेत्र
adjourn	स्थगित करना
adjourn sine die	अनिश्चित काल के लिए स्थगन
adjournment	स्थगन, कार्यस्थगन
adjournment motion	कार्यस्थगन प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव
adjournment of the House	सदन का स्थगन
adjudication	न्यायनिर्णयन
administer oath	शपथ दिलाना
administration of justice	न्याय प्रशासन
administrative control	प्रशासनिक नियंत्रण
administrative decentralization	प्रशासनिक विकेंद्रीकरण
administrative law	प्रशासनिक विधि
administrative state	प्रशासी राज्य
administrative tribunal	प्रशासनिक अधिकरण
admissible	ग्राह्य
admitted state	प्रवेशित राज्य
adult franchise	वयस्क मताधिकार
adult suffrage	वयस्क मताधिकार
adventurous diplomacy	साहसिक राजनय
adversary system	विपक्षी प्रणाली
adverse motion	प्रतिकूल प्रस्ताव
advisory ballot	सलाहकारी मतदान
advisory commission	सलाहकार आयोग
aerial observation	हवाई प्रेक्षण
aerial reconnaissance	विमान वीक्षण
aerial surveillance	हवाई निगरानी
aerial survey	हवाई सर्वेक्षण
aerial warfare	आकाशी युद्ध
affidavit	शपथपत्र, हलफनामा
affiliated organisation	संबद्ध संगठन
affirmative action	सकारात्मक कार्यवाई
affirmative vote	सकारात्मक मत
agency	1. अभिकरण 2. माध्यम
agenda	कार्यसूची
agent provocateur	प्रोत्तेजक
aggregate sovereignty	संकलित प्रभुसत्ता
aggression	आक्रमण
aggressive intenion	आक्रामक उद्देश्य
aggressive movements	आक्रामक गतिविधियाँ
aggressive nationalism	आक्रामक राष्ट्रवाद
aggressive war	आक्रामक युद्ध

agitation	विक्षोभ
agrarian	कृषिक, कृषिभूमि संबंधी
agreement	समझौता
air corridor	हवाई गलियारा
air defence	हवाई रक्षा
air domain	हवाई अधिकार क्षेत्र
air jurisdiction	आकाशी अधिकारिता
air operation	हवाई संक्रिया
air passage	वायु मार्ग
air raid	हवाई हमला
air sovereignty	आकाशी संप्रभुता
air surveillance	आकाशी निगरानी
air warfare	आकाशी युद्ध, हवाई युद्ध
alarmist	भय-प्रसारक, भयोत्पादक
alarmist propoganda	भयप्रसारक प्रचार
alien	विदेशी, अन्यदेशी
alien colonialism	अन्यदेशी उपनिवेशवाद
alienation	विसंबंधन
all india judicial service	अखिल भारतीय न्यायिक सेवा
allegiance	निष्ठा
alliance	मैत्री, गठबंधन
allied powers	मित्रराष्ट्रशक्तियां
allies	मित्रराष्ट्र
allotment of seats	स्थान आबंटन, सीटों का आबंटन
alternate jurisdiction	वैकल्पिक अधिकारिता
alternative vote	वैकल्पिक मत
ambassador	राजदूत
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary	असाधारण और पूर्णाधिकारी राजदूत
ambit	परिधि
ambush	1. घात 2. घातस्थान 3. घातटुकड़ी
amending bill	संशोधी विधेयक
amendment	संशोधन
ammunition	गोला-बारूद
amnesty	सर्वक्षमा, सामूहिक क्षमादान
Amnesty International	एमनेस्टी इंटरनेशनल
amphibious forces	जलथलीय बल
anarchism	अराजकतावाद
anarchy	अराजकता
anchorage	स्थिरक
Anglo-American bloc	आंग्ल-अमेरिकीगुट
animus belligerendi	युद्ध प्रयोजन
annexation	राज्य में मिला लेना, समामेलन, अधिमेलन
annual financial statement	वार्षिक वित्तीय विवरण
annulment	रद्द किया जाना
anomic group	अप्रतिमान समूह
anthem	गान, उद्गीत, वंदना
anti-apartheid	रंगभेद-विरोधी
anti-apartheid movement	रंगभेद विरोधी आंदोलन
antiballistic	प्रक्षेपास्त्रभेदी
anti-capitalism	पूंजीवाद विरोध
anticipated policy	प्रत्याशित नीति
anticipated war	प्रत्याशित युद्ध
anti-colonial	उपनिवेशवाद विरोधी
anti-communism	साम्यवाद विरोध
anti-dumping	पाटन विरोधी
anti-fascism	फासीवाद विरोध
anti-imperialism	साम्राज्यवाद विरोध
anti-imperialistic ideology	साम्राज्यवाद-विरोधी विचारधारा
anti-incumbency	पदस्थता-विरोध
anti-market	बाजार-विरोधी
anti -Marxism	मार्क्सवाद विरोध
anti-national	राष्ट्र विरोधी
anti-nationalism	1. राष्ट्रवाद-विरोधी 2. राष्ट्रवाद-विरोध
anti-papal	पोप-विरोधी
anti-party	दल-विरोधी

anti-people	जन-विरोधी
anti-power politics	शक्ति-विरोधी राजनीति
anti-revolutionary	क्रांति-विरोधी
anti-semitism	यहूदीवाद-विरोध
anti-social	समाज-विरोधी
anti-state	राज्य-विरोधी
antithesis	प्रतिवाद
apolitical	अराजनीतिक
apostolic command	धर्मदूतीय समादेश
apostolic succession	धर्मदूतीय उत्तराधिकार
appeasement	तुष्टीकरण
appeasement policy	तुष्टीकरण नीति
appellate jurisdiction	अपीलीय अधिकारिता
applied political science	अनुप्रयुक्त राजनीतिविज्ञान
appointed day	नियत दिवस
apportionment of power	शक्ति -प्रभाजन
approach	उपागम
appropriation	विनियोजन, विनियोग
appropriation bill	विनियोग बिल, विनियोग विधेयक
Arab spring revolution	अरब लोकतंत्रीय क्रांति
arbitrary	स्वेच्छाचारी, यादृच्छिक, मनमाना
arbitrary canon	मनमाना अभिनियम
arbitrary decision	स्वेच्छाचारी निर्णय, यादृच्छिक निर्णय
arbitrary sway	स्वेच्छाचारी प्रभुत्व
arbitration	विवाचन, माध्यस्थम् (विधि)
arbitration treaty	विवाचन संधि
arch individualist	घोर व्यक्तिवादी
archives	अभिलेखागार
aristocracy	कुलीनवर्ग, कुलीनतंत्र
aristocrat	कुलीन
armchair politician	अव्यावहारिक राजनीतिज्ञ, पर्यंक राजनीतिज्ञ
armed revolt (=armed rebellion)	सशस्त्र विद्रोह
armistice	युद्धविराम, युद्धविराम समझौता,
arms	आयुध, शस्त्रास्त्र, हथियार
arms control	आयुध नियंत्रण, शस्त्र नियंत्रण
arms embargo	आयुध प्रतिषेध, शस्त्र प्रतिषेध
arms race	शस्त्रीकरण होड़
art of diplomacy	राजनय कौशल, कूटनीति कला
articles of peace	शांति-नियमावली
assembly	सभा
associated delegate	सह प्रतिनिधि
associated government	सहयोगी सरकार
associated powers	सह(राष्ट्र) शक्तियाँ
associated state	सह राज्य
association	1 संघ 2 साहचर्य
Association of South East Asian Nations (ASEAN)	आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ)
assurance committee	आश्वासन समिति
astute diplomacy	चातुर्यपूर्ण राजनय
asylum	1. शरण 2. शरणस्थल
Athenian democracy	एथेन्सी लोकतंत्र
atomic age	परमाणु युग
atomic war	परमाणु युद्ध
attache	सहचारी
Attorney General	महान्यायवादी
austerity	मितभोगिता
Austinian theory of law	ऑस्टिन का विधि- सिद्धांत
autarchy	स्वेच्छाचारी शासन
authoritarian	सत्तावादी
authoritarian state	सत्तावादी राज्य
authoritarianism	1. सत्तावाद 2. प्राधिकारवाद 3. अधिकारवाद 4. निरंकुशतावाद

authoritarion decision	निरंकुश निर्णय
authoritative allocation	आधिकारिक आवंटन
authoritative decision	प्राधिकृत निर्णय, आधिकारिक निर्णय, प्रामाणिक निर्णय
authority	1. सत्ता 2. प्राधिकार 3. पराधिकारी 4. प्राधिकरण
autocracy	स्वेच्छाचारी शासन, निरंकुश तंत्र
autocrat	स्वेच्छाचारी शासक, निरंकुश शासक
autocratrix	निरंकुश शासिका, स्वेच्छाचारी शासिका
autonomist	स्वायत्तवादी
autonomous administration	स्वायत्त प्रशासन
autonomous region	स्वायत्त प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र
autonomous state	स्वायत्त राज्य
autonomous unit	स्वायत्त इकाई
autonomy	स्वायत्तता
autumn session	शरदकालीन सत्र
award	अधिनिर्णय
axis power	धुरी राष्ट्र
ayes	'हां' पक्ष
'ayes have it'	'हाँ' पक्ष' जीता

B

back bencher	पश्च आसीन (सदस्य)
back to nature	प्रकृति की ओर वापसी
backward classes	पिछड़े वर्ग
bacteriological warfare	जीवाण्विक युद्ध
bailout	संकट से उबारना
balance of payments	भुगतान संतुलन
balance of payments adjustment	भुगतान संतुलन समायोजन
balance of power	शक्ति -संतुलन
balance of trade	व्यापार संतुलन
balanced constitution	संतुलित संविधान
balkanization	विभाजन (द्वारा फूट)
balkanized countries	विभाजित देश
ballistic missiles	प्रक्षेपास्त्र
ballot	मतपत्र
ballot paper	मतपर्ची, मतपत्र
banana state	सुभेद्य राज्य, 'बनाना' राज्य
bandh	बंध
bargaining federalism	सौदामूलक संघवाद
bargaining power	सौदा-शक्ति
barricade	मोर्चा बंदी
barrister	बैरिस्टर
basic democracy	आधारभूत लोकंतत्र
basic structure	मूल संरचना, मूल ढांचा
batement	1. उपशमन 2. कमी
behaviorvnalist	व्यवहारवादी
behaviorism	व्यवहारवाद
bellicosity	युद्धप्रियता
belligerency	युद्धकारिता
benevolent despot	प्रजाहितकारी स्वेच्छाचारी शासक
Bicameral	द्विसदनी
bi-cameral legislature	द्विसदनी विधायिका
bicameralism	द्विसदनवाद
big stick diplomacy	शक्तिदर्शी राजनय
Bilateral	द्विपक्षीय
bilateral agreement	द्विपक्षीय करार, द् विपक्षीय समझौता
Bill	विधेयक
Bill of Rights	अधिकार पत्र
biodiversity	जैव विविधता
bipartisan	द्विदलीय, द्विपक्षीय
Bipartite	उभयपक्षी, द्विपक्षीय, द्वि दलीय
biparty system	द्विदलीय व्यवस्था
Bipolar	द्विध्रुवी
bipolar system	द्विध्रुवी व्यवस्था
bipolar world	द्विध्रुवी विश्व

bipolarity	द्विध्रुवीयता
bloc	गुट
bloc voting	गुट मतदान
Blockade	नाकाबंदी, अवरोध
blocking minority	अवरोधक अल्पसंख्यक वर्ग
board of directors	निदेशक मंडल
board of governors	शासक-मंडल
body politic	राज-निकाय
bolshevism	1. बोल्शेविकवाद 2. बोल्शेविक तंत्र
booth capturing	बूथ पर कब्जा करना
boundary adjustment	सीमा-समायोजन
boundary line	सीमा रेखा
boundary pillar	सीमा स्तंभ
bourgeois	बूर्जुआ
bourgeois capitalism	बूर्जुआ पूंजीवाद
bourgeois democracy	बूर्जुआ लोकतंत्र
bourgeois state	बूर्जुआ राज्य
boycott	बहिष्कार, बॉयकाट
brain drain	प्रतिभा पलायन
brain washing	बलात् मतप्रवर्तन
branch secretariat	शाखा सचिवालय
breach of peace	शांति भंग
breach of privilege	विशेषाधिकार-भंग
breach of treaty	संधि-भंग
bread labour	जीवनयापन श्रम
Brezhnev doctrine	ब्रेजनेव सिद्धांत
budget	बजट
budget (annual financial statement)	बजट / वार्षिक वित्तीय विवरण
budget deficit	बजट घाटा
budget estimates	बजट अनुमान, बजट प्राक्कलन
budget grants	बजट अनुदान
buffer state	अंतःस्थ राज्य
bureaucracy	1. नौकरशाही 2. अधिकारी-तंत्र 3. अधिकारी वर्ग 4. दफतरशाही
business cycle	व्यवसाय चक्र
bye-election (=by election)	उप चुनाव, उपनिर्वाचन
by-law	उपविधि

C

cabinet	मंत्रिमंडल
cabinet crisis	मंत्रिमंडल संकट
cabinet government	मंत्रिमंडलीय सरकार
cabinet minister	मंत्रिमंडल (कैबिनेट) मंत्री, कैबिनेट मंत्री
cabinet responsibility	मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व
cabinet secretariat	मंत्रिमंडल सचिवालय
cabinet secretary	मंत्रिमंडल सचिव
Cadre	संवर्ग
Caliphate	खिलाफत (इस्लामी राज्य)
call in question	प्रश्नगत करना
calling attention	ध्यानाकर्षण
calling attention notice	घ्यानाकर्षण सूचना
campaign strategy	अभियान कार्यनीति
candidature	उम्मीदवारी, अभ्यर्थिता
canvass	पक्ष-प्रचार
Capital	1. पूंजी 2. राजधानी
capital city	1. राजधानी 2. मुख्य नगर
capital punishment	मृत्युदंड
capital territory	राजधानी क्षेत्र
Capitalism	पूंजीवाद
capitalist democracy	पूंजीवादी लोकतंत्र
capitalist regime	पूंजीवादी शासन प्रणाली
capitalist state	पूंजीवादी राज्य
capitalistic encirclement	पूंजीवादी घेराबंदी
capitalistic imperialism	पूंजीवादी साम्राज्यवाद
capitation tax	प्रतिव्यक्ति कर

capitulary	अध्यादेश संहिता
capitulations	1. सुविधाभोग 2. (करार आदि की) धाराएं
care-taker government	कार्यवाहक सरकार
carpet crossing	पक्ष-परिवर्तन, दल-बदल
caste bureaucracy	जातिमूलक दफ्तरशाही, जातिमूलक अधिकारीतंत्र
Casteism	जातिवाद
casting vote	निर्णायक मत
catholicism	कैथोलिक धर्म, कैथोलिक वाद
Caucus	प्रभावी गुट
caveat	वारणी, आपत्ति-सूचना, अवरोध सूचना
celestial kingdom	दिव्य राज्य
censorship	सेन्सर-व्यवस्था
censure motion	निंदा-प्रस्ताव, परिनिंदा-प्रस्ताव
census	जनगणना
central	केंद्र
central Act	केंद्रीय अधिनियम
central assembly	केंद्रीय सभा
Central Bureau of Investigation	केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
central committee	केंद्रीय समिति
central government	केंद्रीय सरकार
Central Intelligence Agency (C.I.A.)	सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेन्सी (सी. आई. ए.)
central legislature	केंद्रीय विधानमंडल
central parliamentary Board	केंद्रीय पार्लियामेन्टरी बोर्ड, केंद्रीय संसदीय बोर्ड
central secretariat	केंद्रीय सचिवालय
central services	केंद्रीय सेवाएं
Central Treaty Organisation (CENTO)	केंद्रीय संधि संगठन (सेन्टो)
centralism	केंद्रवाद
centralization	केंद्रीकरण
centralization of administration	प्रशासन का केंद्रीकरण
centralized organization	केंद्रीकृत संगठन
centre-periphery model	केंद्र-परिधि मॉडल
centrist	मध्य मार्गी
ceremonial	औपचारिक
certificate of naturalization	देशीयकरण-प्रमाणपत्र, नागरिकीकरण प्रमाणपत्र
certiorari	उत्प्रेषण
cess	उपकर
cessation	1. विराम, समाप्ति 2. प्रविरति (विधि)
chain of command	समादेश श्रृँखला
chairman	सभापति
chamber	1. सदन2. कक्ष3. मंडल
chancellor	चांसलर
chancery	चांसरी
change of precedence	पूर्वता-परिवर्तन
charge de affaire	कार्यदूत
Charisma	करिश्मा, चमत्कार
charismatic authority	करिश्माई सत्ता
charismatic leader	करिश्माई नेता
charismatic leadership	करिश्माई नेतृत्व
Charter	चार्टर, अधिकार-पत्र
charter of human right	मानव अधिकार-पत्र
chauvinism	1. युद्धप्रियता 2. उग्र राष्ट्रवाद
chauvinist party	उग्र राष्ट्रवादी दल
checks and balances	नियंत्रण और संतुलन
Chief Election Commissioner	मुख्य निर्वाचन आयुक्त

Chief Executive Councillor	मुख्य कार्यकारी पार्षद
chief justice	मुख्य न्यायमूर्ति
chief minister	मुख्य मंत्री
chief of mission	मिशन प्रमुख
chief whip	मुख्य सचेतक
church and state	चर्च एवं राज्य
Circular	परिपत्र
circulation of elite	अभिजातवर्ग का उत्थान-पतन
circumvention	परिवंचन
Citizen	नागरिक
Citizenry	नागरिकवर्ग
citizens charter	नागरिक अधिकार-पत्र
citizenship	नागरिकता
city-state	नगर राज्य
civic behavior	नागरिक व्यवहार
civic culture	नागरिक संस्कृति
civic election (=civic poll)	नगर-निर्वाचन
civil and criminal procedure	सिविल और दंड प्रक्रिया
civil code	सिविल संहिता
civil disobedience	सविनय अवज्ञा
civil equality	नागरिक समता / समानता
civil law	सिविल विधि, दीवानी कानून
civil liberties	नागरिक स्वतंत्रताएं
civil rights	नागरिक अधिकार
civil service	सिविल सेवा
civil society	नागरिक समाज
civil suit	दीवानी मुकदमा
civil virtues	सिविल सद्गुण
civil war	गृहयुद्ध
civilian	असैनिक
civilization	सभ्यता
civilizing mission	सभ्यता-प्रसार लक्ष्य
civitas	नगर
clan	कुल, गोत्र
class	वर्ग
class antagonism	वर्ग विरोध
class bureaucracy	वर्गमूलक दफ्तरशाही, वर्गमूलक अधिकारीतंत्र
class conciounsnes	वर्ग-चेतना
class conflict	वर्ग-संघर्ष
class co-ordination	वर्ग-समन्वय
class representation	वर्ग-प्रतिनिधित्व
class rule	वर्ग सत्ता
class structure	वर्ग संरचना
class struggle	वर्ग-संघर्ष
class theory of state	राज्य का वर्गीय सिद्धांत
classical liberalism	शास्त्रीय उदारवाद
classical marxism	शास्त्रीय मार्क्सवाद
classical realism	शास्त्रीय यथार्थवाद
classless society	वर्गहीन समाज
clause by clause	खंडश:
clause of accession	अधिमिलन खंड
clear majority	स्पष्ट बहुमत
cleavage	1. दरार 2. मतभेद
clemency	क्षमा
Clerk of Parliament	क्लर्क ऑफ पार्लियामेन्ट
client	गाहक, ग्राहक
clientelism	सेवार्थीवाद
clique	गुट

close society	संवृत समाज
closed door session	गुप्त सत्र
closed group	संवृत समूह
closing session	समापन सत्र
closure	समापन
closure motion	समापन प्रस्ताव
coalition	गठबंधन, संघ
coalition government	गठबंधन सरकार
co-belligerent	सहयुद्धकारी
code	1. संहिता 2. कूट 3. संकेत
code of civil procedure	सिविल प्रक्रिया संहिता
code of conduct	आचार-संहिता
code of criminal procedure	दंड प्रक्रिया संहिता
code of human rights	मानव अधिकार संहिता
code of law	विधि-संहिता
codification of international law	अंतरराष्ट्रीय विधि संहिताकरण
coercive action	बल प्रयोग
coercive force	प्रपीडक बल
co-existence	सह-अस्तित्व
cold war	शीतयुद्ध
cold war strategy	शीतयुद्ध रणनीति
collaboration	सहयोग
collective action	सामूहिक कार्रवाई
collective bargaining	सामूहिक सौदाकारी
collective interest	सामूहिक हित
collective leadership	सामूहिक नेतृत्व
collective measures	सामूहिक उपाय
collective responsibility	सामूहिक उत्तरदायित्व
collective security	सामूहिक सुरक्षा
collective treaty	सामूहिक संधि
collective will	सामूहिक इच्छा
collectivism	सामूहिकतावाद, समूहवाद
collector	समाहर्ता, कलेक्टर
collegial system	मंडली पद्धति
collegium	अधिशासी मंडल
collusion	दुरभिसंधि
colonial	औपनिवेशिक, उपनिवेशी
colonial acquisition	औपनिवेशिक अधिग्रहण
colonial empire	औपनिवेशिक साम्राज्य
colonial ideology	औपनिवेशिक विचारधारा
colonial imperialism	औपनिवेशिक साम्राज्यवाद
colonial period	औपनिवेशिक काल
colonial policy	औपनिवेशिक नीति
colonial powers	औपनिवेशिक शक्तियाँ
colonial rule	औपनिवेशिक शासन
colonial state	औपनिवेशिक राज्य
colonialism	उपनिवेशवाद
colonization	उपनिवेशन, उपनिवेशीकरण
colony	उपनिवेश
combat	युद्ध
combatant	लडाकू, योद्धा
combative federalism	योधक संघवाद
cominform	कॉमिन्फार्म
comintern	कॉमिन्टर्न
comity	1. सौहार्द 2. मंडली
comity of nations	राष्ट्र मंडली
command economy	(राज्य) निर्देशित अर्थव्यवस्था
Commander-in-Chief	कमांडर-इन-चीफ
commencement of session	सत्रारंभ
commercial blockade	वाणिज्यिक नाकाबंदी

commercial diplomacy	वाणिज्यिक राजनय
commercial treaty	वाणिज्य संधि
commissar (=commissary)	कॉमिसार (कॉमिसरी)
commission	1. आयोग 2. कमीशन 3. आढत
Commissioner General	महा आयुक्त
committed bureaucracy	प्रतिबद्ध नौकरशाही
committee of estimates	आकलन समिति
committee of privileges	विशेषाधिकार समिति
Committee on Human Rights (U.N.O.)	मानव अधिकार समिति (सं. रा. संघ)
committee on public undertaking	सार्वजनिक उपक्रम समिति
committee stage	समिति स्तर
committee,assurances	आश्वासन समिति
committee,public accounts	लोक लेखा समिति
committee,select	प्रवर समिति
commodification	वस्तूकरण
common allegiance	सहनिष्ठा
common cause	1.सामान्य हित 2.कॉमन कॉज
common good	सामान्य हित
common international aims	सामान्य अंतरराष्ट्रीय लक्ष्य
common law	लोक विधि
common market	साझा बाजार
common nationality	सह- राष्ट्रिकता
common weal	सर्वहित
common will	सर्वेच्छा, सर्वजन इच्छा
commonwealth	राष्ट्रमंडल
commonwealth of Nations	राष्ट्रमंडल
communal	1. सांप्रदायिक 2. सामुदायिक
communal harmony	सांप्रदायिक सद्भाव, सामुदायिक सद्भाव
communal representation	सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सामुदायिक प्रतिनिधित्व
communalism	1. सांप्रदायिकता 2. संप्रदायवाद
commune	कम्यून
communication	संप्रेषण
communis juris	सामान्य विधि
communism	साम्यवाद
Communist Manifesto	साम्यवादी घोषणापत्र, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो
communist orbit	साम्यवादी प्रभावक्षेत्र
communist party	कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी दल
communitarianism	समुदायवाद
community	समुदाय
community development	सामुदायिक विकास
community of nations	राष्ट्र-समुदाय
community ownership	सामुदायिक स्वामित्व
community service	सामुदायिक सेवा
comparative approach	तुलनात्मक उपागम
comparative constitutional law	तुलनात्मक सांविधानिक विधि, तुलनात्मक सांविधानिक कानून
comparative government	तुलनात्मक शासन; तुलनात्मक सरकार
comparative method	तुलनात्मक प्रणाली
comparative politics	तुलनात्मक राजनीति
competent authority	सक्षम प्राधिकारी
competent court	सक्षम न्यायालय
competing nationalities	प्रतिस्पर्धी राष्ट्रिकताएँ
competing political units	प्रतिस्पर्धी राजनीतिक इकाइयाँ
competitive federalism	प्रतिस्पर्धा संघवाद

complementary agreement	पूरक समझौता
complementary interest	पूरक हित
composite culture	सामासिक संस्कृति
composition	संरचना, संघटक
compromise move	समझौता प्रस्ताव
Comptroller and Auditor General	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
compulsive measures	बाध्यकारी उपाय
compulsory acquisition	अनिवार्य अर्जन
compulsory adjudication	अनिवार्य न्याय-निर्णयन
compulsory arbitration	अनिवार्य विवाचन
compulsory disarmament	अनिवार्य नि:शस्त्रीकरण
compulsory military training	अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण
compulsory voting	अनिवार्य मतदान
comrade	साथी, कॉमरेड
concentration camp	बंदी शिविर
concentration of power	शक्ति -संकेद्रण
concentration of wealth	धन संकेद्रण
concept	संकल्पना, अवधारणा
conciliation	1. समाधान 2. सुलह
conclave	गुप्त सभा, कॉनक्लेव
concurrent accreditation	समवर्ती प्रत्यायन
concurrent jurisdiction	समवर्ती अधिकारिता
concurrent list	समवर्ती सूची
concurrent power	समवर्ती शक्ति
concurring opinion	सहमति
conditional grant	सशर्त अनुदान
conditional recognition	सशर्त मान्यता
condone	1. माफ़ करना 2. उपमर्षण करना
conduct	1. आचरण 2. संचालन
conduct of business	कार्य संचालन
confederation	परिसंघ
conference docments	सम्मेलन प्रलेख, सम्मेलन दस्तावेज़
conference-committee	सम्मेलन समिति
confession	इकबाल (करना)
confidence	विश्वास
confidential	गोपनीय
confidential negotiation	गोपनीय वार्ता
confiscation	अधिहरण, जब्ती
conflict	संघर्ष
conflict of interest	हित-संघर्ष
congress	महासम्मेलन, कांग्रेस
conquering state	विजेता राज्य
conquest	विजय
conscious polity	सचेतन राजव्यवस्था
conscription	अनिवार्य सैनिक भर्ती या सेवा
consensual theory	सहमतिपरक सिद्धांत
consensus	आम राय, मतैक्य
consent	सम्मति, सहमति
consent post hoc	पश्च सहमति
conservatism	अनुदारवाद, रूढ़िवाद
Conservative Party (of England)	अनुदार दल (इंग्लैड का), कंज़रवेटिव पार्टी
consociational democracy	संसंधिकीय प्रजातंत्र
consolidated fund of india	भारत की संचित निधि
consortium	सहायता संघ
conspiracy	षड्यंत्र
constituency	निवाचन क्षेत्र
constituent	घटक, संघटक
Constituent Assembly (of India)	(भारत की) संविधान सभा

constituent instrument	संविधायी लेखपत्र
constituent power	संविधायी शक्ति
constituent state	संघटक राज्य
constitution	1. सविधान 2. गठन
constitutional amendment	सांविधानिक संशोधन
constitutional authority	1. सांविधानिक प्राधिकार 2. सांविधानिक सत्ता
constitutional crisis	सांविधानिक संकट
constitutional deadlock	सांविधानिक गतिरोध
constitutional dictatorship	सांविधानिक तानाशाही
constitutional entitlement	सांविधानिक हकदारी
constitutional government	सांविधानिक सरकार
constitutional head	सांविधानिक अध्यक्ष
constitutional law	सांविधानिक विधि
constitutional machinery	सांविधानिक तंत्र
constitutional monarchy	सांविधानिक राजतंत्र
constitutional power	सांविधानिक शक्ति
constitutional provision	सांविधानिक उपबंध
constitutional remedies	सांविधानिक उपचार
constitutional representative	सांविधानिक प्रतिनिधि
convoy post	रक्षा चौकी
co-operative extension service	सहकारी विस्तार सेवा
cooperative federalism	सहकारी सघंवाद
co-operative socialism	सहकारी समाजवाद
co-opted member	सहयोजित सदस्य
core state	मूल राज्य
corporate bureaucracy	निगमित अफसरशाही
corporate culture	नैगमिक संस्कृति
corporate democracy	नैगमिक लोकतंत्र
corporate fraud	नैगमिक कपट
corporate governance	नैगमिक शासन
corporate socialism	नैगमिक समाजवाद
corporate state	निगमित राज्य
corporation	निगम
corporation law	निगम विधि, निगम कानून
corporatisation	नैगमीकरण
corporatism	निगमवाद
corps	कोर, दल
Corps Legislatif (=legislative assembly)	विधान सभा
corpus juris civilis	नागरिक न्याय-विधान संग्रह
correctional jurisdiction	सुधारक अधिकारिता
corrective justice	सुधारक न्याय
corrective mesures	सुधारक उपाय
corruption	भ्रष्टाचार
co-signatory	सह हस्ताक्षरकर्ता
cosmopolitan	1. विश्व नागरिक 2. विश्ववादी, विश्वजनीन
cosmopolitan citizenship	विश्व-नागरिकता
cosmopolitan democracy	सर्वदेशीय लोकतंत्र, बंधुत्ववादी लोकतंत्र
cosmopolitanism	1. सर्वदेशीयता 2. विश्वबंधुत्व
cosmopolite	विश्व-नागरिक
councellor	पार्षद
council	परिषद्
council of ministers	मंत्रि परिषद्
Council of States	राज्य सभा
Counsel General	महा परामर्शदाता
counter attack	प्रत्याक्रमण, जवाबी हमला
counter insurgency	प्रति-उपप्लव
counter invasion	प्रत्याक्रमण
counter propaganda	प्रति प्रचार, जवाबी प्रचार
counter revolutionary	प्रति क्रांतिकारी
countermanding	प्रत्यादेशन
counterpart	प्रतिरूप, प्रतिस्थानी

counter-revolution	प्रति-क्रांति
countervailing forces	प्रतिरोधी शक्तियां
coup	राज्य-विप्लव
coup d' etat	बलात्राज्य परिवर्तन, तख्तापलट
court marshall	कार्ट मार्शल
court of appeal	अपीली न्यायालय
court of civil judicature	सिविल न्यायालय
court of enquiry	जांच न्यायालय
court of record	अभिलेख न्यायालय
covenant	प्रसंविदा
covert diplomacy	प्रच्छन्न कूटनीति
crime against humanity	मानवता-विरोधी अपराध
criminal justice	दंड-न्याय
criminal law	दंड-विधि
criminal proceedings	दांडिक कार्रवाई
crisis	संकट
crisis of governance	शासन का संकट
critical theory	दोषान्वेषी सिद्धांत
cross bench	निर्दलीय सदस्य स्थान
cross voting	पक्षांतर मतदान
crossing the floor	पक्ष-त्याग
crown	ताज, क्राउन
Crown-in-Parliament	संसदस्थ राजा
crucial negotiations	निर्णायक वार्ता
cultural attache	सांस्कृतिक सहचारी
cultural revolution	सांस्कृतिक क्रांति
culture	संस्कृति
cumulative vote	संचयी मत
currency	मुद्रा
currency convertibility	मुद्रा संपरिवर्तनीयता
current account	चालू लेखा, चालू खाता
current account deficit	चालू खाता घाटा
current session	चालू सत्र
custody	अभिरक्षा
custom duties	सीमा-शुल्क
customary code	प्रथागत संहिता
cut motion	कटौती प्रस्ताव

D

dark age	अंधकार युग
dark horse	अनपेक्षित अभ्यर्थी
de facto	तथ्यत:
de facto recognition	तथ्यत: मान्यता
de facto sovereignty	तथ्यत:संप्रभुता
de jure	विधित:
de jure recognition	विधित: मान्यता
de jure war	विधित: युद्ध
dead line	समय सीमा
deadlock	गतिरोध
deadly combat	घातक लड़ाई / युद्ध
dealignment	निर्गुटता
debacle	पराभव, पतन
debt charges	ऋण भार
debtor state	ऋणी राज्य
decentralization	विकेंद्रीकरण, विकेंद्रण
decentralized planning	विकेंद्रित आयोजना
deciding vote	निर्णायक मत
decision making theory	निर्णयन-सिद्धांत
decisive role	निर्णायक भूमिका
declaration	घोषणा
declaration of humans rights	मानव अधिकारों की घोषणा

declaration of rights	अधिकारों की घोषणा (अमरीकी उपनिवेशों का घोषणापत्र)
decolonization	वि-उपनिवेशीकरण
deconstruction	वि-संरचना
decree	डिक्री
defamation	मानहानि
defamatory speech	मानहानिकर भाषण
default	1. चूक 2. व्यतिक्रम 3. बकाया, बाकी
defection	दल-बदल, पक्ष-त्याग
defence strategy	रक्षा रणनीति
defensive alliance	रक्षात्मक मैत्री, रक्षात्मक गठजोड़
deferment (of motion)	आस्थगन (प्रस्ताव का)
deficit budget	घाटे का बजट
deficit financing	घाटा वित्तीयन, घाटे की वित्त व्यवस्था
definitive treaty	निश्चयात्मक संधि
deflation	अवस्फीति
deforestation	निर्वनीकरण
defunct	निष्क्रिय
de-industrialization	वि-औद्योगीकरण
delegate	1. प्रतिनिधि 2. प्रत्यायोजित करना
delegated legislation	प्रत्यायोजित विधान, प्रत्यायोजित विधिनिर्माण
delegated powers	प्रत्यायोजित शक्तियाँ
delegation	1. प्रतिनिधि-मंडल, शिष्टमंडल, 2. प्रत्यायोजन
deliberative democracy	(विचार) विमर्शी लोकतंत्र
deliberative opinion poll	विमर्शी जनमत
delimitation (of frontiers)	(सीमांत प्रदेशों का) परिसीमन
demand for grants	अनुदान की माँग
demarche	1. नीति-परिवर्तन 2. आपत्ति पत्र
demilitarized zone	विसैन्यीकृत क्षेत्र
democracy	लोकतंत्र
democratic consolidation	लोकतंत्रीय सुदृढीकरण
democratic decentralization	लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण
democratic deepening	लोकतंत्रीय सघनीकरण
democratic deficit	लोकतंत्रीय न्यूनता
democratic diplomacy	लोकतंत्रीय राजनय
democratic elitism	लोकतंत्रीय अभिजातवाद
democratic leadership	लोकतंत्रीय नेतृत्व
democratic socialism	लोकतंत्रीय समाजवाद
democratic state	लोकतंत्रीय राज्य
demogogic politics	जनोत्तेजक राजनीति
demographics	जनसांख्यिकी
demonstration	प्रदर्शन, विरोधप्रदर्शन
denaturalization	विनागरिकीकरण
denial of rights	अधिकार-वंचन
denizen	अभिस्वीकृत नागरिक
denounce	निंदा करना
denunciation	निंदा
department	विभाग
dependency	1. आश्रित देश 2. आश्रितता
Dependency theory	आश्रितता सिद्धांत
dependent motion	आश्रित प्रस्ताव
dependent state	आश्रित राज्य
deport	निर्वासित करना

deposition	गद्दी से उतारना, अपदस्थ करना, पदच्युति
depression	मंदी
deputation	1. प्रतिनियुक्ति 2. शिष्टमंडल
Deputy Speaker	उपाध्यक्ष
deregulation	निर्विनियमन
despot	स्वेच्छाचारी शासक
despotism	स्वेच्छाचारिता
destabilize	अस्थिरकरना
détente	तनाव-शैथिल्य
detention	नजरबंदी, निरोध
deterrence	प्रतिवारण
dethrone	सिंहासनच्युत करना
devaluation	अवमूल्यन
developed country	विकसित देश
developing nation	विकासशील राष्ट्र
development administration	विकास-प्रशासन
development approach	विकास उपागम
developmental planning	विकासपरक आयोजना
developmental state	विकासपरक राज्य
devolution	अवक्रमण
dialectic theory	द्वंद्वात्मक सिद्धांत
dialectical materialism	द्वंद्वात्मक भौतिकवाद
diarchy (=dyarchy)	द्वैध शासन
diaspora	प्रवासी जनसमूह
dichotomy	द्विभाजन
dictator	तानाशाह, अधिनायक
dictatorship	अधिनायकत्व, तानाशाही
dictatorship of the proletariat	सर्वहारावर्ग का अधिनायकत्व
Diet	डायट (जापान)
dilatory motion	विलंबकारी प्रस्ताव
diplomacy	राजनय
diplomacy by conference	विमर्शमूलक राजनय
diplomatic affairs	राजनयिक मामले, राजनयिक विषय
diplomatic asylum	राजनयिक शरण
diplomatic channels	राजनयिक माध्यम
diplomatic commission	राजनयिक नियुक्तिपत्र
diplomatic emissary	राजनयिक प्रणिधि / दूत
diplomatic immunity	राजनयिक उन्मुक्ति
diplomatic intervention	राजनयिक हस्तक्षेप
diplomatic isolation	राजनयिक नि:संगता
diplomatic mission	राजनयिक दूतावास / शिष्टमंडल
diplomatic privilege	राजनयिक विशेषाधिकार
diplomatic recognition	राजनयिक मान्यता
diplomatic relations	राजनयिक संबंध
direct action	सीधी कार्रवाई
direct action day	सीधी कार्रवाई दिवस
direct democracy	प्रत्यक्ष लोकतंत्र
directive	निदेश
directive principles	निदेशक सिद्धांत
disarmament	नि:शस्त्रीकरण
disciplinary sanction	अनुशासनिक शास्ति
discourse	विमर्श
discretionary powers	विवेकाधिकार, विवेक-शक्ति
discrimination	विभेद, विभेदन
disengagement	वियोजन
disfranchisement (=disenfranchisement)	मताधिकार-वंचन, मतवंचन
disguised imperialism	छद्म साम्राज्यवाद
disintegrating elements	विघटनकारी तत्व
disinvestment	विनिवेश

displaced person	विस्थापित व्यक्ति
displeasure of the house	सदन का अप्रसाद
disputed	विवादग्रस्त, विवादित
disqualification	निरर्हता
dissident	असहमत, असंतुष्ट
dissolution	विघटन, भंग
distribution	वितरण
distributive justice	वितरक न्याय
District Magistrate	जिला मजिस्ट्रेट
diversionary move	घ्यान-अपकर्षण चाल
diversity	विविधता
divest (of nationality)	वंचित करना (राष्ट्रीयता से)
divide and rule	फूट डालो और शासन करो
divide et impera	फूट डालो और राज्य करो
divine law	दैवी नियम
divine right	दैवी अधिकार
division of power	शक्ति-विभाजन
doctrine	सिद्धांत
doctrine of implied powers	निहित शक्तियों का सिद् धांत
doctrine of lapse	राज्य-लय नीति
doctrine of severability	पृथक्करणीयता सिद्धांत
dogmatism	मतांधता
dollar block	डॉलर गुट
dollar diplomacy	डॉलर राजनय (अमरीकी राजनय सिद्धांत)
domain	क्षेत्र, अधिकारक्षेत्र, प्रभावक्षेत्र
domestic agitation	गृह आंदोलन, आंतरिक आंदोलन
domestic politics	देशीय राजनीति, घरेलू राजनीति
domicile	1. अधिवास 2. अधिवासी
dominant caste	प्रबल जाति
dominant class	प्रबल वर्ग
domino theory	डॉमिनो सिद्धांत, गतिकीय सिद्धांत
door-to-door canvassing	घर-घर जाकर मत मांगना
double jeopardy	दोहरा परिसंकट
double membership	दोहरी सदस्यता
doyen	वरिष्ठ, वर्षिष्ठ
draconian laws	क्रूर कानून
draft constitution	प्रारूप संविधान
draft convention	उपसंधि का प्रारूप
draft para	प्रारूप पैरा
draft statute	संविधि प्रारूप
draft treaty	संधि प्रारूप
drect taxes	प्रत्यक्ष कर
due course of law	विधि का सम्यक् अनुक्रम
Droop formula	ड्रूप सूत्र
dropping of bill	विधेयक त्यजन
dual alliance	दोहरा सहबंध, द्वि पक्षी गठबंधन
dual government	दोहरा शासन, दोहरी सरकार
dual nationality	दोहरी राष्ट्रिकता
dual responsibility	द्वैध उत्तरदायित्व
due process of law	विधि की सम्यक् प्रक्रिया
duly elected	विधिवतनिर्वाचित
dummy bill	प्रतिरूप विधेयक, डमी विधेयक
dummy candidate	प्रतिरूप अभ्यर्थी
dumping	पाटना
Duverger's law	दुवेर्गेर नियम
dyarchy (diarchy)	द्वैवर्जर शासन, द्विशासन
dynasty	वंश, राजवंश

E

ecclesiastic(al)	चर्च-संबंधी
eclecticism	संकलनवाद

eco friendly	पारि-अनुकूल
ecology	पारिस्थितिकी
economic freedom	आर्थिक स्वाधीनता
economic boycott	आर्थिक बहिष्कार
economic crisis	आर्थिक संकट
economic depression	आर्थिक मंदी
economic determinism	आर्थिक निर्धारणवाद
economic growth	आर्थिक संवृद्धि
economic meltdown	आर्थिक द्रवण
economic planning	आर्थिक आयोजना
economic policy	आर्थिक नीति
economic recession	आर्थिक मंदी
edict of the king	राजादेश
educational rights	शिक्षा-संबंधी अधिकार
effective	प्रभावी
egalitarianism	समतावाद
e-governance	ई-शासन
election	निर्वाचन, चुनाव
election commission	निर्वाचन आयोग
election fever	चुनाव सरगर्मी
election manifesto	चुनाव घोषणापत्र
election petition	चुनाव याचिका
electoral adjustment	चुनावी तालमेल
electoral behaviour	निर्वाचक / चुनावी व्यवहार
electoral college	निर्वाचक मंडल, निर्वाचक गण
electoral malpractices	चुनावी कदाचार
electoral offences	चुनाव अपराध
electoral officer	निर्वाचन अधिकारी
electoral roll	मतदाता सूची
electoral system	चुनावी व्यवस्था, निर्वाचन व्यवस्था
electoral threshold	चुनावी देहली
electorate	1. निर्वाचक-वर्ग 2. निर्वाचन-क्षेत्र
electorate	निर्वाचक-मंडल
electrol fray	चुनावी दंगल
elements of law	विधि के तत्व
eligible voter	पात्र मतदाता
elite	1. अभिजन 2. अभिजात
elite theory	अभिजन सिद्धांत
elitism	अभिजात्यवाद
elitocracy	अभिजाततंत्र
emancipation	मुक्ति
embargo	सावधिक प्रतिबंध, रोक
embassy	राजदूतावास, दूतावास
emergency	आपात, आपातकाल
emergency act	1. आपातकालीन अधिनियम 2. आपातकालीन कार्य
emergency powers	आपातकालीन शक्तियाँ
emigrant	उत्प्रवासी
emigration	उत्प्रवास
emissary	दूत
empire	साम्राज्य
empiricism	अनुभववाद
empower	सशक्त करना
empowerment	सशक्तीकरण
enabling	समर्थकारी, सामर्थ्यकारी
enabling authority	सामर्थ्यकारी सत्ता
enactment	अधिनियम, अधिनियमन
encirclement	घेराबंदी
enclave	विदेशी अंत:क्षेत्र
encounter	मुठभेड़, संघर्ष, मुकाबला
end of history	इतिहास का अंत
end of ideology	विचारधारा का अंत
end user	अंतिम उपयोगकर्ता
enduring peace	स्थायी शांति
enemy	शत्रु
enforce	प्रवर्तन करना, लागू करना
enfranchisement	मताधिकार देना

enlightenment	प्रबोध(न)
enquiry	1. पूछताछ 2. जाँच
entente	आंतांत, सौहार्द
entitlement	हकदारी
entrepenear politics	उद्यमी राजनीति
entrepreneur	उद्यमी, उद्यमकर्ता
environmental politics	पर्यावरण राजनीति
environmental protection	पर्यावरण सुरक्षा
envoy	दूत
epicureanism	एपिक्यूरसवाद
equal opportunity	समान अवसर
equal protection (of law)	(विधि का) समान संरक्षण
equality	समानता
equality before law	विधि के समक्ष समानता
equality of possessions	संपत्ति की समानता
equilibrium	संतुलन, साम्य
equity	1. साम्या 2. इक्विटी
escalation	बढना, वृद्धि, विस्तार
espionage	गुप्तचर्या, गुप्तचरी
establishment	1. स्थापित करना 2. स्थापना 3. अधिष्ठान
estate	1. संपदा 2. सत्ता वर्ग
estimates	प्राक्कलन, अनुमान
estimates committee	प्राक्कलन समिति
estrangement	अलगाव
ethical consciousness	नैतिक चेतना
ethics	आचारनीति
ethnic aggregate	संजातीय समुच्चय
ethnic cleansing	संजातीय निष्कासन
ethnic group	संजातीय समूह, नृजाति समूह
ethnic minorities	संजातीय अल्पसंख्यक
ethnic politics	संजातीय राजनीति
ethnicity	संजातीयता, नृजातीयता
ethos	लोकाचार, लोकस्वभाव
eurocommunism	यूरोसाम्यवाद
European Community (EC)	यूरोपीय समुदाय
European crisis	यूरोपीय संकट
European Union	यूरोपीय संघ
euthanasia	सुखमृत्यु
evangelical	ईसाईधर्म संबंधी, इंजीली
evolution	विकास, क्रमविकास
evolutionary doctrine	विकासवादी सिद्धांत
evolutionist (=evolutionary)	विकासवादी
ex allies	पूर्व मित्र-राष्ट्र
ex officio	पदेन
ex post facto	कार्योत्तर
exaction	बलाद्ग्रहण, ऐंठना, ज़बरी वसूली
excellency	महामहिम
excess of jurisdiction	अधिकारिता (का) अतिक्रमण
exchange of territory	भूभाग -विनिमय
exchange rate	विनिमय दर
exchequer	राजकोष
exchequer and audit bill	राजकोष और लेखापरीक्षा विधेयक
excise duties	उत्पाद शुल्क
exclusion	अपवर्जन
exclusive jurisdiction	अनन्य अधिकारिता
execute	1. निष्पादन करना; कार्यान्वयन करना 2. फांसी देना
executive	1. कार्यपालिका 2. कार्यपालक, 3. कार्यकारिणी
executive accountability	कार्यकारी जवाबदेही
executive head	कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यपालक अध्यक्ष
executive privilege	कार्यकारी विशेषाधिकार
exequatur	मान्यता-पत्र
exile	निर्वासन, देश निष्कासन
exit poll	निर्गम मतानुमान
exit visa	निष्क्रमण-वीज़ा

expansionism	विस्तारवाद
expatriate	1. देशनिष्कासित 2. देश त्यागी
expatriation	1. देशत्याग 2. देशनिष्ठात्याग 3. देशनिष्कासन
expeditionary corps	अभियान सैन्यदल
expiring laws continuance bill	समाप्तप्राय विधि को जारी रखने का विधेयक
explanatory memorandum	व्याख्यात्मक ज्ञापन
explicit agreement	स्पष्ट समझौता
explicit powers	स्पष्ट शक्तियाँ
exploitation	1. शोषण 2. समुपयोजन
exploitation of resources	1. संसाधनों का समुपयोजन 2. संसाधनों का दोहन
exploratory conversation	प्रारंभिक वार्तालाप
export	निर्यात
export-oriented industrialization (EOI)	निर्यात उन्मुख औद् योगीकरण
ex-post facto law	कार्योत्तर कानून / विधि
ex-president	1. पूर्व राष्ट्रपति 2. पूर्व अध्यक्ष
express agreement	अभिव्यक्त समझौता
express consent	अभिव्यक्त सहमति
express recognition	व्यक्त मान्यता
expropriation	स्वत्वहरण
extermination	निर्मूलन, संहार
external affairs	विदेश कार्य
external check	बाह्य नियंत्रण
external co-ordination	बाह्य समन्वय
external force	बाह्य शक्ति
external influence	विदेशी प्रभाव, बाह्य प्रभाव
external intervention	बाह्य हस्तक्षेप
external power	विदेशी शक्ति, बाह्य शक्ति
external sovereignty	बाह्य संप्रभुता
exterritorial jurisdiction	अतिदेशीय अधिकारिता
extinction of state	राज्य-विलोप
extinctive prescription	निर्वापक विधान
extraditing state	प्रत्यर्पणकारी राज्य
extradition	प्रत्यर्पण
extra-legal	विधीतर
extra-mural jurisdiction	नगर-बाह्य अधिकारिता
extra-ordinary adjournment	असाधारण स्थगन
extra-ordinary mission	1. विशेष दूत-मंडल 2. असाधारण ध्येय
extra-ordinary session	1. विशेष अधिवेशन 2. विशेष सत्र
extra-ordinary tribunal	असाधारण अधिकरण
extra-territorial	अपरदेशीय
extreme democracy	उग्र लोकतंत्र
extremism	1. अतिवाद 2. उग्रवाद
extremist	1. अतिवादी 2. उग्रवादी

F

fabianism	फेबियनवाद
faction	गुट, पक्ष
factors of production	उत्पादन के कारक
failed state	असफल राज्य
fair election	निष्पक्ष निर्वाचन
fait accompli	निष्पन्न कार्य, सिद्ध कार्य
family of nations	राष्ट्रकुल
fascism	फासीवाद
febian socialism	फेबियन समाजवाद
federal	संघीय
federal constitutional court	संघीय सांविधानिक न्यायालय
federal government	संघीय शासन, संघीय सरकार
federal parliament	संघीय संसद
federal republic	संघीय गणतंत्र
federal state	संघीय राज्य
federalism	1. संघवाद 2. संघ राज्य प्रणाली

federation	संघ
federation of states	राज्यों का संघ
female suffrage	महिला मताधिकार
feminism	नारीवाद
feminist	नारीवादी
feudal order	सामंती व्यवस्था
feudalism	सामंतवाद
fiat	अधिदेश
fiduciary	वैश्वासिक
field	क्षेत्र
field administration	क्षेत्र प्रशासन
fifth column	पंचमांगी वर्ग
fifth columnist	पंचमांगी
fighter	लड़ाकू
figure-head	नाममात्र का अध्यक्ष
filibuster	विघ्नकारी
final vote	अंतिम मत
finance bill	वित्त विधेयक
finance capitalism	वित्त पूंजीवाद
finance commission	वित्त आयोग
finance committee	वित्त समिति
financial administration	वित्तीय प्रशासन
financial agreement	वित्तीय समझौता
financial assistance	वित्तीय सहायता
financial budget	वित्त-बजट
financial emergency	वित्तीय आपात
financial year	वित्त-वर्ष
first citizen	प्रथम नागरिक
First Consul	प्रथम वाणिज्यदूत, प्रथम कॉन्सुल
First Secretary	प्रथम सचिव
first strike capacity	प्रथम प्रहार क्षमता
first-past the post (FPTP)	अग्रता ही विजेता
fiscal deficit	राजकोषीय धाटा
fiscal federalism	राजकोषीय संघवाद
fiscal policy	राजकोषीय नीति
fiscal year	राजकोषीय वर्ष
fish bowl diplomacy	सुस्पष्ट राजनय
five year plan	पंचवर्षीय योजना
flagship programme	अग्रणी कार्यक्रम
flexible constitution	नम्य संविधान
flexible policy	नम्य नीति
floating vote	अस्थायी मत
floor	1. सदन 2. मंच
floor leader	सदन-नेता
floor-crossing	पक्ष-परिवर्तन
food security	खाद्य सुरक्षा
forbidden	निषिद्ध
forbidden zone	निषिद्ध क्षेत्र
forced labour camp	बेगा़ शिविर
foreign aid	विदेशी सहायता
foreign assistance	विदेशी सहायता
foreign direct investment (FDI)	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
foreign mercenaries	विदेशी भृतक
Foreign Minister	विदेश मंत्री
foreign national	विदेशी राष्ट्रिक
foreign observer	विदेशी प्रेक्षक
foreign policy	विदेश नीति
foreign relations	विदेश संबंध
foreigner	विदेशी
forestation	वनरोपण
forfeiture of the right	अधिकार समपहरण
formal treaty	औपचारिक संधि
forum	मंच, फोरम
forward defence	अग्रवर्ती रक्षा
forward policy	अग्रवर्ती नीति
founder member	संस्थापक सदस्य
founding fathers (of constitution)	(संविधान)निर्माता
fourteen days' notice	चौदह दिन की सूचना
Fourteen Points	चौदह सूत्र (विल्सन)
fourth estate	चौथा खंभा (जन संचार माध्यम वर्ग)
Fourth World	चौथी दुनिया

fragmentaiton	विखंडन
franchise	मताधिकार
franchise du quartier	शरणाधिकार
franchisement (=enfranchisement)	मताधिकार देना
fraternity	भ्रातृत्व, बंधुत्व
free and compulsory education	नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
free and fair election	स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव
free citizen	स्वतंत्र नागरिक
free enterprise economic	मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था
free market	मुक्त बाजार
free territory	मुक्त प्रदेश
free trade	मुक्त व्यापार
free trade area	मुक्त व्यापार क्षेत्र
free world	1. स्वतंत्र जगत 2. गैर साम्यवादी जगत
free zone	मुक्त क्षेत्र
freedom	स्वतंत्रता
freedom fighter	स्वतंत्रता सेनानी
freedom from arrest	गिरफ्तारी से उन्मुक्ति
freedom from want	अभाव से मुक्ति
freedom of conscience	अंत:करण की स्वतंत्रता
freedom of expression	अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
freedom of movement	आवागमन की स्वतंत्रता
freedom of navigation	नौ-चालन की स्वतंत्रता
freedom of petition	याचिका की स्वतंत्रता
freedom of press	प्रेस स्वातंत्र्य
freedom of religion	धर्म की स्वतंत्रता
freedom of speech	वाक् स्वातंत्र्य
freedom of transit	पारगमन स्वातंत्र्य
freedom of worship	उपासना की स्वतंत्रता
freedoms of high sea	महासमुद्र की स्वतंत्रता
friend's treaty	मैत्री संधि
front	मोर्चा
front organization	अग्र संगठन
frontal attack	सम्मुख प्रहार
frontier	सीमांत
fugitive	भगोड़ा
full autonomy	पूर्ण स्वायत्तता
full dress debate	विस्तृत बहस, सविस्तार बहस
full membership	पूर्ण सदस्यता
full rights	पूर्ण अधिकार
full-fledged ambassador	पूर्ण राजदूत
functional administration	प्रकार्यात्मक प्रशासन
functional co-ordination	प्रकार्यात्मक समन्वय
functional element	प्रकार्यात्मक तत्व
functional international agencies	अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अभिकरण
functional representation	वृत्तिगत प्रतिनिधान
functus officio	अधिकारहीन
fundamental	मूल, मौलिक
fundamental duties	मूल कर्तव्य
fundamental freedoms	मौलिक स्वतंत्रताएं
fundamental right	मूल अधिकार, मौलिक अधिकार
fundamentalism	कट्टरवादद
fundamentalist	कट्टरपंथी
fundamentals	मूलतत्व

G

gag rule	वाकरोधन नियम (अमेरिका)
gallup poll	गैलप मतसंग्रह
game theory	खेल सिद्धांत
garrison state	सैन्य राज्य
Gaulism	द गॉलवाद
gazette	राजपत्र
gendarmerie	1. सैन्य दल 2. सशस्त्र-पुलिस
general act	सामान्य अधिनियम
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)	प्रशुल्क तथा व्यापार पर सामान्य समझौता, गैट
general armistice	व्यापक युद्ध -विराम

general assembly (U.N.O)	महासभा
general budget	सामान्य बजट
general constituency	सामान्य निर्वाचन-क्षेत्र
general disarmament conference	सामान्य निःशस्त्रीकरण सम्मेलन
general election	आम चुनाव
general public	साधारण जनता, आम जनता
General Secretary	महासचिव
general strike	आम हड़ताल
general will	सामान्य इच्छा
generational effect	पीढ़ीगत प्रभाव
Geneva Convention	जेनेवा अभिसमय
genocide	जाति-संहार, जन-संहार
geopolitics	भू-राजनीति
Germanic law	जर्मेनिक विधि
gerontocracy	वयोवृद्ध-तंत्र
gerrymandering	चुनाव क्षेत्र सीमांकन
ginger group	उत्तेजक समूह
Gini coefficient	गिनी गुणांक
glasnost	खुलापन, ग्लासनॉस्त
global	वैश्विक
global policy	वैश्विक नीति
global strategy	वैश्विक कार्यनीति
global warming	भूमंडलीय उष्मन
globalization	वैश्वीकरण
glorius revolution	गौरवमय क्रांति
good governance	सुशासन
goodwill mission	सद्भावना मिशन
govern	शासन करना
governance	शासन
Governer General	गवर्नर जनरल
governing class	शासक वर्ग
government	सरकार, शासन
government agency	सरकारी अभिकरण
government business	सरकारी कार्य
government by consent	ससम्मति शासन
government in exile	निर्वासित सरकार
Government of India	भारत सरकार
governmental delegate	सरकारी प्रतिनिधि
governor	राज्यपाल
graft	घूस, रिश्वत
grand alliance	महा मैत्री, महा सहसंबंध
grant	अनुदान
grant-in-aid	सहायता अनुदान
Greek philosophy	यूनानी दर्शन
green front	हरित मोर्चा, कृषि मोर्चा
Gresham's Law	ग्रेशम का नियम
gross domestic product	सकल घरेलू उत्पाद
gross national income (GNI)	सकल राष्ट्रीय आय
gross national product (GNP)	सकल राष्ट्रीय उत्पाद
guardian bureaucracy	संरक्षक दफ्तरशाही, संरक्षक अधिकारीतंत्र
guardian of the law	विधि-संरक्षक
Guerrilla Warfare	गुरिल्ला युद्ध
guided democracy	निर्देशित लोकतंत्र
guided missile	निर्दिष्ट प्रक्षेपास्त्र
guild	श्रेणी, गिल्ड
guillotine	गिलोटिन
gum shoe campaign	गुप्त अभियान
gynarchy	स्त्री-तंत्र

H

habeas corpus	बंदी प्रत्यक्षीकरण
half mast flag	अर्धनत ध्वज
hands off policy	'दूर रहो' नीति
hansard	हैन्सार्ड
hard currency	दुर्लभ मुद्रा
Hare system	हेयर पद्धति
hazardous employment	संकटपूर्ण रोजगार

head of commonwealth	राष्ट्रमंडल-अध्यक्ष
head of the government	शासनाध्यक्ष
head of the state	1. राज्याध्यक्ष 2. राष्ट्राध्यक्ष
hegemonial powers	1. प्रधान शक्तियां 2. आधिपत्य शक्तियां
hegemony	1. आधिपत्य 2. प्राधान्य
heir apparent	1. प्रत्यक्ष वारिस 2. युवराज
heir designate	नामोद्दिष्ट उत्तराधिकारी
hellenic thought	यूनानी चिंतन
heptarchy	सप्ततंत्र
Her Excellency	महामहिम
hereditary assembly	वंशागत सभा
hereditary monarchy	वंशागत राजतंत्र
hereditary right	वंशागत अधिकार
hereditary succession	वंशागत उत्तराधिकार
hierarchy	सोपानिकी
high command	हाई कमान
high commissioner	उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर
high court	उच्च न्यायालय
high power committee	उच्चाधिकारप्राप्त समिति
high sea (s)	खुला समुद्र
high treason	घोर राजद्रोह
higher authority	उच्चतर प्राधिकारी
Hindu fundamentalatism	हिंदू कट्टरवाद
Hindu law	हिंदू विधि
historicism	इतिहासपरतावाद
historicity	ऐतिहासिकता
hoisting of flag	ध्वजारोहण
holding company	नियंत्रक कंपनी
Holocaust	सर्वनाश
home department	गृह विभाग
home government	1. बरतानिया सरकार 2. स्वदेश सरकार
Home Ministry	गृह मंत्रालय
home office	गृह मंत्रालय, गृह विभाग
home rule movement	होमरूल आंदोलन
Home Secretary	गृह सचिव
homogeneous society	सजातीय समाज
horizontal federalism	समस्तरीय संघवाद
horizontal integration	समस्तर एकीकरण
host country	आतिथेय देश
hostage	बंधक
hostile act	शत्रुतापूर्ण कार्य
hot discussion	तीखी बहस
House Committee	सदन समिति
House of Commons (England)	कॉमन्स सभा (इंग्लैंड)
human development	मानव विकास
human development index	मानव विकास सूचकांक
human right	मानव अधिकार
humanism	मानववाद
humanist	मानवतावादी
humanitarian	मानवीय
hung Parliament	त्रिशंकु ससंद
hypothesis	प्राक्कल्पना

I

icarianism	अति-आदर्शवाद
iconoclastic	मूर्तिभंजक
ideal	आदर्श
ideal state	आदर्श राज्य
idealism	आदर्शवाद
idealist	आदर्शवादी
ideological propaganda	विचारधारा का प्रचार

ideology	विचारधारा
illegitimate war	अवैध युद्ध
illicit emigration	अयुक्त उत्प्रवास
imaginary aggression	कल्पित आक्रमण
immediate evacuation	तत्काल निष्क्रमण
immigrant	आप्रवासी
immigration	आप्रवास, आप्रवासन
immobilism	गतिहीनता
immunity	उन्मुक्ति
impartial adjudication	निष्पक्ष न्यायनिर्णयन
impasse (=deadlock)	गतिरोध
impeachment	महाभियोग
imperial authority	साम्राज्यिक सत्ता, साम्राज्यिक प्राधिकार
imperial title	साम्राज्यिक उपाधि
imperialism	साम्राज्यवाद
imperialist	साम्राज्यवादी
imperialistic war	साम्राज्यिक युद्ध
imperium-in-imperio	एक राज्यसत्ता में दूसरी राज्यसत्ता
implicit powers	अंतर्निहित शक्तियाँ
implied consent	निहित सहमति
implied powers	निहित शक्तियाँ
import-substitution industrialization (ISI)	आयात प्रतिस्थापन औद्योगीकरण (आईएसआई)
impregnability	अभेद्यता
impunity	अदंडिता, दंड-मुक्ति
inalienability	अनन्यसंक्राम्यता
inalienable right	अनन्यसंक्राम्य अधिकार
inalienable sovereignty	अनन्यसंक्राम्य संप्रभुता
incipient revolt	आरंभिक विद्रोह
inclusion	समावेश, समावेशन
inclusive democracy	समावेशी लोकतंत्र
inclusive development	समावेशी विकास
inclusive growth	समावेशी संवृद्धि
inclusive policy	समावेशी नीति
inconclusive debate	अनिश्चायक बहस
incorporation doctrine (Blackstonian doctrine)	समावेशन सिद्धांत (ब्लैकस्टोन सिद्धांत)
incremental change	अभिवृद्धिशील परिवर्तन
incremental policy-making	अभिवृद्धिशील नीतिनिर्माण
incrementalism	अभिवृद्धिवाद
incumbency effect	पदस्थता प्रभाव
independent	निर्दलीय
independent charge	स्वतंत्रप्रभार
independent member	निर्दलीय सदस्य
Indian Administrative Service	भारतीय प्रशासनिक सेवा
Indian Independence Act	भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
Indian Penal Code	भारतीय दंड संहिता
Indian Police Service	भारतीय पुलिस सेवा
indictment	अभ्यारोपण
indirect election	अप्रत्यक्ष चुनाव
indirect primary (U.S.A.)	अप्रत्यक्ष प्राथमिक निर्वाचन
indirect representation	अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व
individual liberty	वैयक्तिक स्वतंत्रता
Individualism	व्यक्तिवाद
individualistic capitalism	व्यक्तिवादी पूँजीवाद
indivisible sovereignty	अविभाज्य संप्रभुता
indoctrination	मतारोपण
industrial capitalism	औद्योगिक पूँजीवाद
industrial revolution	औद्योगिक क्रांति
industrialization	उद्योगीकरण, औद्योगीकरण
inequality	असमानता
infiltration	घुसपैठ
inflamed public opinion	उत्तेजित जनमत
inflammatory speech	उत्तेजक भाषण, भड़काऊ भाषण
inflation	1. स्फीति 2. मुद्रास्फीति

infrastructure	अवसंरचना, आधारिक संरचना
infringement of rights	अधिकारों का अतिलंघन
inherent powers	अंतर्निहित शक्ति
injunction	व्यादेश
inland waters	अंतर्देशीय जलक्षेत्र
inner cabinet	अंतरंग मंत्रिमंडल
institution	संस्था
institutional setting	संस्थागत परिवेश
institutionalism	संस्थावाद
instrument of abdication	परित्याग प्रपत्र
instrument of accession	1. अधिमिलन प्रपत्र 2. अंगीकार प्रपत्र
instrument of denunication	प्रत्याख्यान प्रपत्र
instrument of negotiations	वार्ता प्रपत्र
instrument of ratification	अनुसमर्थन लेखपत्र/प्रपत्र
insurgency	उपप्लव
insurgent	उपप्लवी
integration	एकीकरण
integrity of states	राज्यों की अखंडता
Intelligence Bureau	आसूचना ब्यूरो
intercession	1. अंत:स्थता 2. मध्यस्थता 3. बीच-बचाव
interdependence	परस्पर-निर्भरता
interest aggregation	हित समूहन
interest group	हित समूह
inter-governmental organization (IGO)	अंत: सरकारी संगठन
interim budget	अंतरिम बजट
interim government	अंतरिम सरकार
intermittent warfare	सविराम युद्ध
internal colonialism	आंतरिक उपनिवेशवाद
international	अंतरराष्ट्रीय
international administrative law	अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विधि
international affairs	अंतरराष्ट्रीय मामले
International Arbitral Tribunal	अंतरराष्ट्रीय विवाचक अधिकरण
International Atomic Energy Agency (IAEA)	अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (आईएईए)
international comity	अंतरराष्ट्रीय सौहार्द
international community	अंतरराष्ट्रीय समुदाय
International Court of Justice	अंतरराष्ट्रीय न्यायालय
International Court of Justice (ICJ) of the United Nations	संयुक्त राष्ट्र का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे)
international law	अंतरराष्ट्रीय विधि
International Law Commission	अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग
International Monetary Fund	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
international obligation	अंतरराष्ट्रीय दायित्व
international political economy	अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था
International Refugee Organisation	अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी संगठन
international regime	अंतरराष्ट्रीय शासनप्रणाली
international relations	अंतरराष्ट्रीय संबंध
international relief programme	अंतरराष्ट्रीय राहत कार्यक्रम
international system of trusteeship	अंतरराष्ट्रीय न्यासिता-व्यवस्था
international tribunal	अंतरराष्ट्रीय अधिकरण
internationalism	अंतरराष्ट्रीयतावाद
Inter-Parliamentary Union	अंत:संसदीय संघ
Interpol	इंटरपोल (अंतरराष्ट्रीय पुलिस)
inter-state council	अंतरराज्यिक परिषद्
internal disturbances	आंतरिक अशांति
intervention	हस्तक्षेप, अंत:क्षेप
invalid ballot	अविधिमान्य मतपत्र
invalid vote	अविधिमान्य मत

invasion	चढ़ाई, आक्रमण
investigation commission	अन्वेषण आयोग
investiture vote	अलंकरण वोट
investment	निवेश
inviolability	अनुल्लंघनीयता, अनतिक्रमणीयता
invisible hand	अदृश्य शक्ति
iron law	लौह नियम
Islamic fundamentalism	इस्लामी कट्टरवाद
Islamic law	इस्लामी विधि
isolationism	पृथक्तावाद
item veto	मद निषेधाधिकार
itemised grant	मदवार अनुदान

J

Jacobinism	जैकोबिनवाद
Jeffersonian democracy	जेफर्सनी लोकतंत्र
jihad	जिहाद
jingoism	युद्धप्रियता
joint address	संयुक्त अभिभाषण
joint communique	संयुक्त विज्ञप्ति
joint declaration	संयुक्त घोषणा
joint select committee	संयुक्त प्रवर समिति
joint session	संयुक्त अधिवेशन
judicature	न्यायालय
Judicial	न्यायिक
judicial activism	न्यायिक सक्रियतावाद
judicial bench	न्यायिक पीठ
judicial decision	न्यायिक निर्णय
judicial enquiry	न्यायिक जाँच
judicial power	न्यायिक अधिकार, न्यायिक शक्ति
judicial review	न्यायिक पुनर्विलोकन
judicial tribunal	न्यायिक अधिकरण
judiciary	न्यायपालिका
junta	1. जुन्टा 2. शासकगुट
jurisdiction	अधिकारिता
jurisprudence	विधिशास्त्र
jus belli (=laws of war)	युद्ध-विधि
jus soli	जन्मभूमि-नियम

K

Kellogg-Briand Pact	केलॉग-ब्रियाँ समझौता
keynote speech	आधार भाषण
kingship	राजपद
kitchen cabinet	अंतरंग सलाहकारवर्ग
kulak	कुलक, संभ्रांत कृषकवर्ग

L

labor movement	श्रमिक आंदोलन
labor union	श्रमिक संघ
labour party	1. श्रमिक दल 2. लेबर पार्टी (इंग्लैन्ड)
laicism	अपादरीवाद
laissez-faire	अहस्तक्षेप
lame duck session	पंगु सत्र
land revenue	भू-राजस्व
land warfare	स्थल- युद्ध
landed gentry	भूस्वामी वर्ग, जमींदार वर्ग
landsgemeinde	लान्ड्सगेमाइन्डे, समुदाय लोकतंत्र
law	1 विधि, कानून 2. नियम
law abiding citizen	विधि-पालक नागरिक
law and order	विधि और व्यवस्था

law court	न्यायालय
law of guarantee	गारन्टी विधि, गारन्टी कानून
law of the land	देश-विधि, देश का कानून
lawgiver	1. विधि-निर्माता 2. स्मृतिकार
lawlessness	अव्यवस्था
leader of the house	सदन का नेता
leader of opposition	नेता प्रतिपक्ष
leadership	नेतृत्व
league	संघ, लीग
League of Arab States	अरब राज्य लीग
League of Nations	राष्ट्र-संघ
lease agreement	पट्टा समझौता
leave of absence	अनुपस्थिति छुट्टी
leave of the house	सदन की अनुमति
leftist	वामपंथी
left-wing	वाम-पंथ
legal entity	विधिक सत्ता, विधिक इकाई
legal government	वैध शासन, वैध सरकार
legal justice	विधिक न्याय
legal obligation	कानूनी बाध्यता, विधिक बाध्यता
legal offence	विधिक अपराध
legal positivism	विधिक प्रत्यक्षवाद
legal powers	कानूनी शक्तियां, विधिक शक्तियां
legal proceedings	कानूनी कार्यवाही
legal rational authority	1. विधिक तार्किक सत्ता 2. विधिक युक्तिसंगत प्राधिकार
legal restraint	विधिक अवरोध
legal right	कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार
legal safeguards	विधिक रक्षोपाय
legal sanction	कानूनी मंजूरी, विधिक संस्वीकृति
legal sovereignty	कानूनी संप्रभुता
legislation	1. विधान 2. विधि-निर्माण, विधायन
legislative absolutism	विधायी निरंकुशता
Legislative Assembly	विधान सभा
legislative competence	विधि-निर्माण क्षमता, विधायन क्षमता
Legislative Council	विधान परिषद्
legislative function	विधायी कार्य, विधायी प्रकार्य
legislative prerogative	विधायी परमाधिकार
legislator	विधायक
legislature	विधानमंडल
legitimacy	वैधता, विधिसंगतता
Leninism	लेनिनवाद
less developed country	अल्प विकसित देश
leveller(s)	समतावादी; लेवेलर दल
Leviathan	लेविआथन
liberal	उदारवादी, उदार
liberal democracy	उदारवादी लोकतंत्र
liberal market economy	उदार बाजार अर्थव्यवस्था
liberal nationalism	उदारवादी राष्ट्रवाद
liberalism	उदारवाद
liberation	1. विमुक्ति 2. स्वतंत्रता
libertarianism	स्वेच्छातंत्रवाद
liberty	स्वतंत्रता
Lieutenant Governor	उप-राज्यपाल

limitation treaty	सीमा-निर्धारण संधि
limited franchise	सीमित मताधिकार
limited government	सीमित सरकार
limited war	सीमित युद्ध
line of control	नियंत्रण रेखा
linguistic minorities	भाषायी अल्पसंख्यक वर्ग
list election	सूची-निर्वाचन
list system	सूची प्रणाली
list system of voting	मतदान की सूची प्रणाली
litigation	मुकदमा
lobbying	पक्ष-समर्थन
lobbyist	पक्ष-समर्थक
local administration	स्थानीय प्रशासन
local authority	स्थानीय प्राधिकारी
local council	स्थानीय परिषद्
local government	स्थानीय शासन
local jurisdiction	स्थानीय अधिकारिता
local legislative	स्थानीय विधानमंडल
local self government	स्थानीय स्वशासन
logistics	संभारिकी
Lords of Appeal in Ordinary (=Law Lords)	अपीली लॉर्ड
lordship	1. स्वामित्व 2. लॉर्डपद
lower chamber (=lower house)	निम्न सदन
loyalty	निष्ठा, वफादारी

M

machiavellian	मैकियाविली
machine politics	युक्तिसाधित राजनीति
macht politik (=power politics)	शक्ति राजनीति
magistrate	मजिस्ट्रेट
Magna Carta	मैग्ना कार्टा
Magnum Councilium	मैग्नम काउन्सिलियम
maiden speech	प्रथम भाषण
mail ballot	डाक मतपत्र
majority coalition	बहुमत गठबंधन
majority government	बहुमत सरकार
majority of votes	बहुमत
majority representation	बहुमत प्रतिनिधित्व
majority rule	बहुमत शासन
male chauviaism	पुरुष दंभिता
mandamus	परमादेश
mandate	1. अधिदेश 2. आज्ञा
mandate convention	अधिदेश परिपाटी
mandate of the people	जनादेश
mandate system	अधिदेश व्यवस्था
mandatory power	अधिदेशी शक्ति
manhood suffrage	पुरुष-मताधिकार
manifesto	घोषणा-पत्र
manoeuvre	युक्ति-चालन, दाव-पेंच
maritime law	समुद्री कानून, समुद्री विधि
market forces	बाजारी शक्तियां
martial law	सेना विधि, मॉर्शल लॉ
Marxian socialism	मार्क्सवादी समाजवाद
Marxism	मार्क्सवाद
Marxism-Leninism	मार्क्सवाद-लेनिनवाद
Marxist	मार्क्सवादी
mass awakening	जन जागृति
mass media	जनसंचार माध्यम
mass movement	जन आंदोलन
mass party	बहुव्यापक दल

masses	जनता, जनसमूह, सर्वसाधारण
massive demonstration	विराट् प्रदर्शन
materialism	भौतिकवाद
materialistic conception	भौतिकवादी संकल्पना
materialistic interpretation	भौतिकवादी व्याख्या
matriarchal regime	मातृसत्तात्मक शासन
matriarchy	मातृसत्ता
matter of privilege	विशेषाधिकार विषय
Mayor-council system	मेयर परिषद् प्रणाली
McCarthyism	मकार्थीवाद
media	जनसंचार माध्यम
mediaeval	मध्ययुगीन
mediation	मध्यस्थता
mediator	मध्यस्थ
Mediterranean powers	भूमध्यसागरीय शक्तियां
Mejlis	मजलिस (ईरान की संसद)
Member of Legislative Assembly	विधानसभा सदस्य
Member of Legislative Council (MLC)	विधान परिषद् सदस्य
Member of Parliament (MP)	सांसद, संसद् सदस्य
mercantilism	वणिकवाद, वाणिज्यवाद
mercenary service	भाड़ेत्री सेवा
merger	विलयन
merit bureaucracy	योग्यता-आधारित अधिकारी-तंत्र
merit system	योग्यता-पद्धति
meritocracy	योग्यतातंत्र
message	संदेश
methodology	1. प्रणालीविज्ञान 2. कार्यप्रणाली
metropolis	महानगर, महानगरी
metropolitan authority	1. महानगरीय सत्ता2. महानगरीय प्राधिकरण
metropolitan country	साम्राज्यिक देश
mid term	मध्यावधि
middle class nationalism	मध्य वर्गीय राष्ट्रवाद
mid-term election	मध्यावधि चुनाव
mid-term poll	मध्यावधि चुनाव
might is right	जिसकी शक्ति उसी की सत्ता
migration policy	प्रवास नीति
militant	लड़ाकू, हिंसाकारी
militant nationalism	उग्र राष्ट्रवाद
militarism	सैन्यवाद
military alliance (=military pact)	सैनिक गठबंधन, सैनिक समझौता
military allies	सैनिक मित्रराष्ट्र
military attache	सैन्य सहचारी
military court	सैनिक न्यायालय
military force	सैन्य बल
military government	सैनिक सरकार
military installation	सैनिक संस्थापन
militia	नागरिक सेना
millenarianism	सहस्राब्दवाद, सहस्राब्दशासनवाद
millennium development goal	सहस्राब्दि विकास लक्ष्य
minister	मंत्री
minister of state	राज्यमंत्री
ministry	मंत्रालय
minority	अल्पसंख्यक
minority government	अल्पमत सरकार
minutes of dissent	असहमति-टिप्पणी
misappropriation	दुर्विनियोजन
misgovernment	कु-शासन
mixed constitution	मिश्रित संविधान
mixed economy	मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिली-जुली अर्थव्यवस्था
mobile diplomacy	चल राजनय
mobilization	1. लामबंदी 2. जुटाव

mock parliament	संसद अभिनय
mock poll	कृत्रिम मतदान
model code of conduct	आदर्श आचार संहिता
model parliament	आदर्श संसद्
modern warfare	आधुनिक युद्ध
modernism	आधुनिकतावाद
modernization	आधुनिकीकरण
modus operandi	कार्य-प्रणाली
modus vivendi	कार्य-निवार्हक व्यवस्था
monarch	राजा, एकराट्
monarchy	राजतंत्र, एकराट्ता
monetary policy	मौद्रिक नीति
monetary reforms	मौद्रिक सुधार
money bill	धन विधेयक
monism	एकत्ववाद; एकतत्ववाद
monolithic bloc	अखंडित गुट
monolithic totalitarianism	अखंडित सर्वाधिकारवाद
monopoly	एकाधिकार
Monroe doctrine	मनरो सिद्धांत
moral right	नैतिक अधिकार
most-favored-nation (MFN)	अधिकतम वरीयता-प्राप्त राष्ट्र
Mother of Parliament	संसद्-जननी (ब्रिटिश पार्लियामेन्ट)
mother tongue	मातृ भाषा
motherland	मातृ भूमि
motion of adjournment	स्थगन प्रस्ताव
motion of confidence	विश्वास प्रस्ताव
motion of no-confidence	अविश्वास प्रस्ताव
motion of thanks	धन्यवाद-प्रस्ताव
multiateral negotiation	बहु पक्षीय वार्ता
multicentered societies	बहु केंद्रीय समाज
multiculturalism	बहु संस्कृतिवाद
multilateral agreement	बहु पक्षीय समझौता
multilateral convention	1. बहु पक्षीय सम्मेलन 2. बहु पक्षीय अभिससमय
multilateralism	बहु पक्षवाद
multi-level governance	बहु स्तरीय शासन
multilingualism	बहु भाषिता
multilteral treaty	बहु पक्षीय संधि
multimember constituency	बहु सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र
multinational	बहु राष्ट्रीय
multinational corporation (MNC)	बहु राष्ट्रीय निगम
multipartite treaty	बहु पक्षीय संधि
multi-party system	बहु दल पद्धति
multiple number system	बहु संख्या पद्धति
multiple state system	बहु राज्य पद्धति
multipolar	बहु ध्रुवीं
multiracial government	बहु जातीय सरकार
multizonal	बहु क्षेत्रीय
Munich settlement	म्यूनिख समझौता
municipal corporation	नगर निगम
municipal corporator	नगर निगम सदस्य
municipal state	नगर राज्य
municipality	नगरपालिका
Muslim Brotherhood	मुस्लिम ब्रदरहुड
mutual consent	आपसी सम्मति, पारस्परिक सम्मति
mutual-aid pact	परस्पर सहायता-समझौता
mutually assured destruction (MAD)	परस्पर सुनिश्चित विनाश

N

naming a member	सदस्य का नामोच्चारण
narrow (minded) nationalism	संकीर्ण राष्ट्रवाद
narrow majority	अत्यल्प बहु मत
nascent nationalism	नवजात राष्ट्रवाद
nation	राष्ट्र
nation building	राष्ट्र-निर्माण
nation state	राष्ट्र राज्य
national	1. राष्ट्रिक (सं.) 2. राष्ट्रीय (वि.)
national agreement	राष्ट्रीय समझौता

national anthem	राष्ट्र गान
National Arbitration Board	राष्ट्रीय विवाचन मंडल
national aristocracies	राष्ट्रीय अभिजात-वर्ग
National Assembly	राष्ट्रीय विधानमंडल, नेशनल असेंबली
national budget	राष्ट्रीय बजट
national character	राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय स्वरूप
national consiousness	राष्ट्रीय चेतना
national convention	राष्ट्रीय सम्मेलन
national debt	राष्ट्रीय ऋण
national development council	राष्ट्रीय विकास परिषद
national emblem	राष्ट्रीय संप्रतीक
national ethics	राष्ट्रीय आचारनीति
national extension scheme	राष्ट्रीय विस्तार योजना
national flag	राष्ट्रध्वज
national government	राष्ट्रीय सरकार
national integration	राष्ट्रीय एकता
national integrity	राष्ट्रीय अखंडता
national interest	राष्ट्रीय हित
national judicature	राष्ट्रीय न्यायालय
national language	राष्ट्रभाषा
national level	राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्र स्तर
national liberation	राष्ट्रीय विमुक्ति
national liberation front	राष्ट्रीय विमुक्ति मोर्चा
national minorities	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक (वर्ग)
national policy	राष्ट्रीय नीति
national programme	राष्ट्रीय कार्यक्रम
national prosperity	राष्ट्रीय समृद्धि
national representation	राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व
national resources	राष्ट्रीय संसाधन
national security	राष्ट्रीय सुरक्षा
national self-determination	राष्ट्रीय आत्मनिर्णय(न)
national service	राष्ट्र (की)सेवा
national socialism	1. राष्ट्रीय समाजवाद 2. नात्सीवाद
national solidarity	राष्ट्रीय समेकता
national sovereignty	राष्ट्रीय संप्रभुता
national unity	राष्ट्रीय एकता
national wealth	राष्ट्रीय धन, राष्ट्रीय संपत्ति
nationalisation	राष्ट्रीयकरण
nationalistic regime	राष्ट्रवादी शासन
nationality	1. राष्ट्रीयता 2. राष्ट्रिकता
nationhood	राष्ट्रत्व
nation-state	राष्ट्र-राज्य
native country	जन्मभूमि
native language	देशज भाषा
native population	देशी जनता
nativism	देशीयता, देशीयतावाद
NATO (=North (Organisation Atlantic Treaty)	नाटो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन
natrual frontier	प्राकृतिक सीमांत, प्राकृतिक सरहद
natural accretion (of territory)	प्राकृतिक अभिवृद्धि (भूक्षेत्र की)
natural allies	सहज मित्रराष्ट्र, प्राकृतिक मित्र-राष्ट्र
natural born citizen	जन्मना नागरिक
natural boundary	प्राकृतिक सीमा
natural calamity	प्राकृतिक विपत्ति
natural citizen	जन्मना नागरिक
natural disaster	प्राकृतिक आपदा /विपदा
natural equality	प्राकृतिक समता
natural justice	नैसर्गिक न्याय
natural law	नैसर्गिक नियम
natural liberty	नैसर्गिक स्वतंत्रता
natural religion	नैसर्गिक धर्म

natural right	नैसर्गिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार
naturalised citizen	देशीयकृत नागरिक
naturalistion of aliens	विदेशियों का देशीयकरण
naturalization	देशीयकरण
naxalism	नक्सलवाद
naxalites	नक्सली
nazi	नाज़ी, नात्सी
nazism	नात्सीवाद, नाज़ीवाद
negative vote	नकारात्मक मत
negotiation of peace	शांति वार्ता
negotiation of treaty	संधि वार्ता
neighbouring country	पड़ोसी देश
neo Keynesian	नव कीन्सवादी
neo liberalism	नव उदारवाद
neo Marxism	नव मार्क्सवाद
neo-colonialism	नव-उपनिवेशवाद
neo-conservative	नव रूढ़िवादी
neo-fascism	नव फासीवाद
neo-fascist	नव फासीवादी
neo-Hegelianism	नव हेगेलवाद
neo-Kantianism	नव कांटवाद
neo-paganism	नव पैगनवाद
neo-positivism	नव-प्रत्यक्षीकरण
neo-realism	नव यथार्थवाद
neo-socialism	नव समाजवाद
nepotism	भाई-भतीजावाद
neutral nation	तटस्थ राष्ट्र
neutral state	तटस्थ राज्य
neutral waters	तटस्थ जलक्षेत्र
neutrality	तटस्थता
neutrality agreement	तटस्थता समझौता
neutrality treaty	तटस्थता संधि
New Deal	न्यू डील
New International Economic order	नवीन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था
new left	नव वामपंथ
new right	नव दक्षिणपंथ
new states	नवोदित राज्य
new world	नई दुनिया
newborn island	नवोदित द्वीप
night watchman state	प्रहरी राज्य
no man's land	अस्वामिक भूमि
no taxation without representation	प्रतिनिधित्व बिना कर नहीं
nobility	अभिजात वर्ग
nochanger	अपरिवर्तनवादी
nominate	नामित करना, मनोनीत करना
nomination	नामन, नामांकन
nomination papers	नामांकन पत्र
non-aggression pact	अनाक्रमण समझौता
non-aggression treaty (=no war pact)	अनाक्रमण संधि
non-aggressive states	अनाक्रामक राज्य
non-aligned	गुटनिरपेक्ष
non-aligned country	1. गुटनिरपेक्ष देश, 2. असंलग्न देश
non-aligned movement	गुटनिरपेक्ष आंदोलन
non-alignment	गुट निरपेक्षता, असंलग्नता
non-belligerency	अयुद्धकारिता
non-belligerent	अयुद्धकारी
non-career diplomat	अवृत्तिक राजनयिक
non-committed country	अप्रतिबद्ध देश
nonconformist	अस्वीकारवादी
non-cooperation movement	असहयोग आंदोलन
non-governmental organization (NGO)	गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)
non-intervention	अहस्तक्षेप
non-interventionist state	अहस्तक्षेपकारी राज्य
non-official bill	अशासकीय विधेयक

non-official member	गैर सरकारी सदस्य
non-partisan	पक्ष-निरपेक्ष
non-party governemnt	निर्दलीय शासन, निर्दलीय सरकार
non-permanent member	अस्थायी सदस्य
non-plan expenditure	गैर-योजना व्यय
non-proliferation	अप्रसार
non-resident	अनिवासी
non-self governing territory	अस्वशासी भूभाग; अस्वशासी राज्यक्षेत्र
non-signatory power (=non-signatory state)	अहस्तारक्षरकर्ता राज्य
non-state entitiy	राज्येतर इकाई
non-violence	अहिंसा
non-voter	गैर मतदाता
normalization	सामान्यीकरण
normative approach	मानकीय उपागम
normative goal	मानकीय लक्ष्य
normative study	मानकीय अध्ययन
North Atlantic Treaty Organisation NATO	नाटो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन
north-south dialogue	उत्तर दक्षिण संवाद
note of protest	विरोध-पत्र
notice	सूचना
notice of motion	प्रस्ताव-सूचना
notification of occupation	कब्जे की अधिसूचना, अधिग्रहण-अधिसूचना
noxious group	अनिष्टकारी समूह
nuclear club	परमाणु क्लब
nuclear deterrence	परमाणु प्रतिवारण
nuclear disarmament	परमाणु नि:शस्त्रीकरण
nuclear fission	नाभिकीय विखंडन
nuclear free zone	परमाणु मुक्त क्षेत्र
nuclear non proliferation treaty	परमाणु शस्त्र अप्रसार संधि
nuclear stockpile	परमाणु अस्त्रभंडार
nuclear test ban	परमाणु अस्त्र-परीक्षण प्रतिबंध
nuclear umbrella	नाभिकीय छतरी
nuclear war	परमाणु युद्ध
nullifcation (of treaty)	अकृतीकरण (संधि का)
numerical majority	संख्यात्मक बहुमत
Nuremberg charter	न्यूरेम्बर्ग चार्टर
Nuremberg judgement	न्यूरेम्बर्ग निर्णय
Nuremberg trials	न्यूरेम्बर्ग विचारण
Nuremberg tribunals	न्यूरेम्बर्ग न्यायाधिकरण

O

oath of allegiance	निष्ठा-शपथ
oath of office	पद की शपथ
obedience to law	विधि-पालन, कानून का पालन
obiter dicta	इतरोक्ति
objectionable resolultion	आपत्तिजनक प्रस्ताव
objective morality	वस्तुपरक नैतिकता
objective relativism	विषयनिष्ठ सापेक्षवाद
obligatory functions	अनिवार्य कार्य
obligatory notification	अनिवार्य अधिसूचना
obligatory public expenditure	अनिवार्य सार्वजनिक व्यय
obscurantism	पुरातनवाद
obscurantist	पुरातनपंथी
observance	पालन
observer	प्रेक्षक
observer delegate	प्रेक्षक प्रतिनिधि
observtion of rule	नियम-पालन
obsolescence	अप्रचलन, प्रयोग से हटना
obsolescent separatism	लुप्तप्राय पार्थक्यवाद
obstructionist	अवरोधकारी, अड़ंगेबाज
obstructonist tactics	अवरोधकारी युक्तियां
occidental nationalism	पाश्चत्य राष्ट्रवाद
occupation	1. कब्ज़ा, दखल 2. व्यवसाय
occupation authority	अभिग्रहण प्राधिकारी
occupation policy	अभिग्रहण नीति
ochlocracy (=mobocracy)	भीड़तंत्र

offensive alliance	आक्रामक गठबंधन, आक्रामक मैत्री
offensive language	अप्रिय भाषा
offensive weapons	आक्रामक शास्त्रास्त्र, आक्रामक आयुध
office of dignity	प्रतिष्ठा-पद
office of personnel	कार्मिक कार्यालय
office of profit (=place of profit)	लाभ का पद
official announcement	सरकारी घोषणा, सरकारी ऐलान
official bulletin	आधिकारिक बुलेटिन
official ceremony	सरकारी समारोह
official communique	सरकारी विज्ञप्ति
official correspondence	1. आधिकारिक पत्रव्यवहार 2. सरकारी पत्रव्यवहार
official gazette	राजपत्र
official language	राजभाषा
official notification	सरकारी अधिसूचना
official policy	सरकारी नीति, शासकीय नीति
official record	सरकारी अभिलेख
official relation	सरकारी संबंध
official report	आधिकारिक रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट
official sanction	शासकीय संस्वीकृति
official state visit	आधिकारिक राजकीय यात्रा
official statistics	सरकारी आंकड़े
official title	पदीय नाम, पदीय
official visit	सरकारी यात्रा, राजकीय यात्रा
officialdom	1. अधिकारी-वर्ग 2. अफसर शाही
old diplomacy	परंपरागत राजनय
old ideals	प्राचीन आदर्श
oligarchical constitution	अल्पतंत्रीय संविधान
oligarchical republic	अल्पतंत्रीय गणतंत्र
oligarchy	अल्पतंत्र
olive branch	शांति-प्रस्ताव
ombudsman	ओम्बुड्जमैन, लोकपाल
omnibus bill	बहु ग्राही विधेयक
omnicompetent	सर्वकार्यक्षम
omnipotent parliament	सर्वशक्ति संपन्न संसद
omniscient power	सर्वज्ञ शक्ति
Omov (one member, one vote)	एक सदस्य, एक वोट
one man, one vote	एक व्यक्ति, एक मत
one party dominance system	एकदलीय प्रभुत्व व्यवस्था
one party state	एक दलीय राज्य
one party system	एक दलीय व्यवस्था
one-nation, one state	एक-राष्ट्र, एक-राज्य
open convention	खुला सम्मेलन
open diplomacy	प्रकट राजनय
open door policy	मुक्तद्वार नीति
open intervention	खुला हस्तक्षेप
open market	खुला बाज़ार
open primary (=open primary election)	खुला प्राथमिक निर्वाचन सम्मेलन
open sky plan	मुक्त आकाश योजना
open society	खुला समाज
open treaty	खुली संधि
open vote	प्रकट मत
opening session	प्रारंभिक सत्र, प्रारंभिक अधिवेशन
operative alliance	प्रवर्ती सहबंध
opinion leader	अभिमत नेता, अभिमत अग्रणी
opinion poll	मत सर्वेक्षण
opportunism	अवसरवादिता; अवसरवाद
opportunity cost	अवसर लागत
opportunity structure	अवसर संरचना
opposed bill	विरोधित विधेयक, विरोधित बिल
opposition	1. विरोधी 2. विरोध

opposition bench	विरोधी पक्ष
opposition party	विरोधी दल, विपक्षी दल
oppression	उत्पीड़न, अत्याचार
oppressive regime	अत्याचारी शासन
option of nationality	राष्ट्रिकता का विकल्प
optional charter	वैकल्पिक अधिकारपत्र
optional clause	वैकल्पिक खंड
optional function	वैकल्पिक कार्य
oral agreement	मौखिक समझौता
oral reply	मौखिक उत्तर
ordeal method	कठिन परीक्षा पद्धति
order of business	कार्य का क्रम
order-in-council	सपरिषद् आदेश
ordinance	अध्यादेश
ordinance power	अध्यादेश- शक्ति
ordinary law	सामान्य विधि, सामान्य कानून
ordinary treaty	सामान्य संधि
organic theory of the state	राज्य का सावयव सिद्धांत
organization analysis	संगठन-विश्लेषण
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
Organization for European Economic Co-operation	यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन
Organization of African Unity (OAU)	अफ्रीकी एकता संगठन
Organization of American States (OAS)	अमेरिकी राज्य संगठन
Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)	पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन
organizational process	संगठनात्मक प्रक्रिया
organized force	संगठित शक्ति
organized opposition	1. संगठित विरोध 2. संगठित विपक्ष
organized resistance	संगठित प्रतिरोध
organizing principle	संगठन-सिद्धांत
organs of government	सरकार के अंग
oriental mission	प्राच्य मिशन, प्राच्यदूतमंडल
oriental society	प्राच्य समाज
oriental state	प्राच्य राज्य
origin of government	सरकार का उद्भव
origin of state	राज्य का उद्भव
original contract (=social contract)	मूल संविदा
original jurisdiction	आरंभिक अधिकारिता
original nationality	1. मूल राष्ट्रीयता 2. प्रथम राष्ट्रिकता
original vote	प्रथम मत
orthodoxy	रूढिवादिता
ostpolitik	(जर्मनी) पूर्वी नीति
ostracism	1. बहिष्कार 2. देश निकाला
ostraka	निष्कासन मत, निर्वासन मत
outbreak of hostilities	युद्ध का छिड़ जाना
outcome of war	युद्ध -परिणाम
outer defence	बाहरी रक्षा-व्यवस्था
outgoing member	निर्गामी सदस्य
outlaw	विधि-बहिष्कृत
outlawry of war	युद्ध की विधि-बहिष्कृति
overall stability	चतुर्दिक् स्थिरता
overlord	अधिपति
override	अधिभावी होना
over-ruling	अधि प्रभावी
overseas empire	समुद्रपारीय साम्राज्य
overseas expansion	समुद्रपार विस्तार, समुद्रपार प्रसार
overseas possessions	समुद्रपारीय अधिकृत क्षेत्र
overseas territory	समुद्रपार भूभाग
oversize coalition	बड़ा गठबंधन
overt act	प्रकट कार्य
overt struggle	प्रकट संघर्ष, प्रत्यक्ष संघर्ष
overwhelming majority	भारी बहुमत
owner-state	स्वामी-राज्य

P

pacific blockade	शांतिकालीन नाकांबदी
pacification	शांति-स्थापना
pacifism	शांतिवाद, शांतिवादिता
pacifist	शांतिवादी
pact	1. समझौता 2. गठबंधन
pact of non-intervention	अहस्तक्षेप समझौता
pacta sunt servanda	संधि: अवश्यं पालनीया
panacea	रामबाण, सर्वभेषज
pan-African	सर्व-अफ्रीकी
pan-American conference	सर्व-अमेरीकी सम्मेलन
pan-Arab	सर्व-अरब
pan-Asia	सर्व-एशिया
Panchayati Raj	पंचायती राज
panel of arbitrators	विवाचक नामिका
pan-Europeanism	सर्व-यूरोपवाद
pan-Germanism	सर्व-जर्मनवाद
pan-Islamic	सर्व इस्लामी
papacy	1. पोपतंत्र 2. पोपपद
papal state	पोप-राज्य
paper alliance	कागजी सहबंध
paper tiger	कागजी शेर
par in parem non habet imperium	न स्वतुल्ये प्रभुत्वम्, समकक्षों में परस्पर प्रभुसत्ता नहीं होती
parachute troops	छाताधारी सैनिक, छत्र सेना
paradigm	प्रतिमान
paramilitary	अर्ध-सैनिक
paramilitary forces	अर्ध-सैनिक बल
paramount commitment	परमोच्च प्रतिबद्धता
pardigm shift	प्रतिमान परिवर्तन
pardon	क्षमा
parent statute	मूल संविधि
parent union	मूल संघ
pariah party	अछूत पार्टी
parity	समता, सादृश्य
parity principle	समता सिद्धांत
parley	संधि वार्ता
parliament	संसद्, पार्लियामेन्ट
parliamentarian	1. संसद्-सदस्य, सांसद 2. संसद्ज्ञ
parliamentarian's conference	संसद्-सदस्य सम्मेलन
parliamentary	संसदीय
parliamentary government	संसदीय शासन, संसदीय सरकार
parliamentary accountability	संसदीय जबाबदेही
parliamentary crisis	संसदीय संकट
parliamentary democracy	संसदीय लोकतंत्र
parliamentary executive	संसदीय कार्यपालिका
parliamentary expenses	संसदीय व्यय
parliamentary practice	संसदीय व्यवहार
parliamentary privilege	संसदीय विशेषाधिकार
parliamentary procedure	संसदीय कार्यविधि
parliamentary question	संसद प्रश्न, संसदीय प्रश्न
parliamentary recess	संसदीय मध्यावकाश
parliamentary regime	संसदीय शासन
Parliamentary Secretary	संसदीय सचिव
parliamentary sovereignty	संसदीय संप्रभुता
parliamentary system	संसदीय प्रणाली
parochial	संकीर्ण
parochial culture	संकीर्ण संस्कृति
parochialism	संकीर्णतावाद; संकीर्णता; संकीर्ण वृत्ति
partial armistice	आंशिक युद्धविराम
partial agreement	आंशिक समझौता
partial dismemberment	आंशिक विघटन
partial implementation	आंशिक क्रियान्वयन
partial mobilization	1. आंशिक लामबंदी 2. आंशिक अभिनियोजन
partial ratification	आंशिक अनुसमर्थन
partial solution	आंशिक हल, आंशिक समाधान

partial war	आंशिक युद्ध
participating management	सहभागी प्रबंधन
participation	सहभागिता
participatory democracy	सहभागी लोकतंत्र
particular international law	विशेष अंतरराष्ट्रीय विधि
particular volition	विशिष्ट संकल्प(शक्ति)
particularist	विशिष्टतावादी
parties to negotiation	वार्ताकारी पक्ष
partisan	पक्षपाती, पक्षीय, पक्षपातपूर्ण
partisan realignment	पक्षपातपूर्ण पुनःसहबंधन
partition	विभाजन
partition plan	विभाजन योजना
part-sovereign state	आंशिक प्रभुसतासम्पन्न राज्य
party	1. दल, पार्टी 2. पक्ष
party alliance	दल गंठबंधन, दल सहबंध
party antagonism	दल विरोधिता
party identification	दल पहचान
party in power	सत्तारूढ़ दल
party line	दल नीति
party politics	दलगत राजनीति
party system	दलीय प्रणाली
party whip	दल सचेतक
partyless democracy	दलविहीन लोकतंत्र
passage of bill	विधेयक (का) पारण
passive obedience	मूक आज्ञापालन
passive resistance	सत्याग्रह, निष्क्रिय प्रतिरोध
passport	पासपोर्ट
passport control	पासपोर्ट नियंत्रण
paternal dominion	पित्रीय अधिराज्य
paternalism	पितृसत्तावाद
paternalistic leadership	पितृवत् नेतृत्व
paternalistic theory of state	राज्य का पैतृक सिद्धांत
patriarchal regime	पितृसत्तात्मक व्यवस्था
patriarchal rule	पितृसत्तात्मक शासन
patriarchal system	पितृसत्तात्मक व्यवस्था
patriarchal theory	पितृसत्तात्मक सिद्धांत
patriarchy	पितृसत्ता
patrimonial	पैतृक
patrimonial regime	पैतृक व्यवस्था
patrimony	पैतृक धन, पैतृक संपत्ति
patriotic war	देश भक्ति -प्रेरित युद्ध
patriotism	देशभक्ति
patristic	चर्च-धर्मशास्त्री
patronage	संरक्षण
patronat (=patron)	संरक्षक
patron-client relationship	संरक्षक ग्राहक संबंध
pax Americana	अमेरिकी शांति
pax Britanica	ब्रिटिश शांति
payment agreement	भुगतान समझौता, अदायगी समझौता
peace	शांति
peace mission	शांति मिशन
peace of Paris	पेरिस शांति-संधि
peace of Versailles	वर्साई शांति-संधि
peace plan	शांति योजना
peace treaty	शांति संधि
peaceful action	शांतिपूर्ण कार्रवाई
peaceful coexistence	शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व
peace-time blockade	शांतिकालीन संरोध, शांतिकालीन नाकाबंदी
peasant community	किसान बिरादरी, कृषक समुदाय
peasant revolt	कृषक विद्रोह
peasants' war	कृषक युद्ध
pecuniary penality	धनसंबधी शास्ति
pecuniary reparation	आर्थिक क्षतिपूर्ति
peer	1. पीयर 2. समकक्ष
penal administration	दंड प्रशासन
penal damage	दंडरूप नुकसानी, दंडरूप हर्जाना

penal international law	अंतरराष्ट्रीय दंड-विधि
penal jurisdiction	दांडिक अधिकारिता
penal right	दंडाधिकार
pending bill	विचाराधीन विधेयक
pending negotiations	1. वार्ता के होने तक 2. विचारधीन वार्ता
peonage	मालिक-मज़दूर संबंध
people's assembly	जनसभा
people's bank	जनता बैंक
people's capitalism	जन पूंजीवाद
people's charter	पीपल्स चार्टर, लोक अधिकार-पत्र
people's Commissar for Foreign Affairs	पर राष्ट्रमंत्री
people's commune	जन कम्यून
people's congress	जन कांग्रेस
people's democracy	जनवादी लोकतंत्र
people's law	लोक विधि
People's Liberation Army	जन विमुक्ति सेना
People's Party	पीपल्स पार्टी
people's police	जन पुलिस
people's republic	लोक गणतंत्र
people's verdict	लोक अधिमत
per capita	प्रतिव्यक्ति
peremptory summons	बाध्यकारी समन
perestroika	पुनःसंरचना, पेरेस्त्रोइका
perfect generality	पूर्ण सामान्यता
perfect state	पूर्ण राज्य
perfidy	विश्वासघात
performance budget	निष्पादन बजट
performance standard	निष्पादन मानक
periodic conference	आवधिक सम्मेलन
peripheral power	परिधीय शक्ति
peripheral state	परिधीय राज्य
peripheral succession	शाश्वत उत्तराधिकार
permanent campaign	स्थायी अभियान
permanent conference	स्थायी सम्मेलन
Permanent Court of Arbitration	स्थायी विवाचन न्यायालय
Permanent Court of International Justice	स्थायी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय
permanent delegate	स्थायी प्रतिनिधि
permanent neutrality (=perpetual neutrality)	स्थायी तटस्थता (=चिरस्थायी तटस्थता)
permanent organ	स्थायी अंग
permanent partition	स्थायी विभाजन
permanent revolution	स्थायी क्रांति
permanent settlement	स्थायी बंदोबस्त
permanent treaty	स्थायी संधि
permanent visa	स्थायी वीजा
permit holder	अनुज्ञापत्र धारी, परमिट धारी
perpetual neutrality (=permenent neutrality)	चिरस्थायी तटस्थता
perpetual peace	चिर शांति
perpetual rivalry	चिरस्थायी प्रतिद्वंद्विता
persecutor	उत्पीडक
Persian despotism	फारसी निरंकुशतावाद
persona ficta	कल्पित व्यक्ति
persona non grata	आग्राह्य व्यक्ति
personal bill	वैयक्तिक निजी विधेयक
personal freedom	वैयक्तिक स्वतंत्रता
personal identity	वैयक्तिक आस्मिता
personal immunity	वैयक्तिक उन्मुक्ति
personal interest	वैयक्तिक हित
personal jurisdiction	वैयक्तिक अधिकारिता
personal laws	स्वीय विधि
personal liberty	1. वैयक्तिक स्वतंत्रता 2. दैहिक स्वतंत्रता
personal motivation	वैयक्तिक अभिप्रेरण
personal representative	वैयक्तिक प्रतिनिधि
personality cult	व्यक्ति-पूजा
personnel administration	कार्मिक प्रशासन
petit bourgeoisie	निम्न बुर्जूआ वर्ग
petition of rights	अधिकार याचिका
petticoat government	स्त्रीप्रधान शासन

petty bourgeoisie	निम्न बुर्जुआ वर्ग
phenomenal world	दृश्य जगत्
philosopher king	दार्शनिक शासक, दार्शनिक राजा
philosophic ideal	दार्शनिक आदर्श
philosophical radicalism	1. दार्शनिक उग्रवादिता 2. दार्शनिक आमूल परिवर्तनवाद
picketing	धरना
piloting a bill	विधेयक संचालन
ping pong diplomacy	पिंग पौंग राजनय
pivotal importance	केंद्रिक महत्व
pivotal state	निर्णायक राज्य, धुरी राज्य
place of jurisdiction	अधिकार क्षेत्र; अधिकारिता स्थान
plan expenditure	योजना व्यय, आयोजना व्यय
plan period	योजना अवधि, आयोजना अवधि
planned development	नियोजित विकास
planned economy	योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था
planning	1. योजना बनाना, आयोजन 2. नियोजन
Planning Commission	योजना आयोग
platonic element	आध्यात्मिक तत्व
platonic idealism	प्लेटवी आदर्शवाद
platonic realism	प्लेटवी यथार्थवाद
pleasure of the house	सदन का प्रसाद
plebiscitary democracy	जनमत आधारित लोकतंत्र
plebiscite	जनमत-संग्रह
plenary assembly	पूर्ण सभा
plenary session	पूर्ण अधिवेशन; पूर्ण सत्र
plenipotentiary	पूर्णाधिकारी
plural executive	बहु व्यक्ति बहु ल कार्यपालिका
plural nationality	बहु राष्ट्रिकता
plural society	बहु ल समाज, बहु सामुदायिक समाज
plural voting	बहु ल मतदान
pluralism	बहु लवाद
pluralist	बहु लवादी
pluralistic idealism	बहु लवादी आदर्शवाद
pluralistic security community	बहु वादी सुरक्षा समुदाय
plurality	बहु लता
plurality voting system	बहुमतदान प्रणाली
plutocracy	धनिकतंत्र
pocket veto	जेबी वीटो, जेबी निषेधाधिकार
point of order	व्यवस्था प्रश्न
polarisation	ध्रुवीकरण
police action	पुलिस कार्रवाई
police escort	पुलिस अनुरक्षक
police state	पुलिस राज्य
policy	नीति
policy approach	नीति उपागम
policy formation	नीति निर्माण
policy implementation	नीति क्रियान्वयन
policy instrument	नीति साधन
policy of aggression	आक्रमण नीति
policy of alliance	सहबंध नीति
policy of apartheid	रंगभेद नीति
policy of appeasement	तुष्टीकरण नीति
policy of assimilation	आत्मसात्करण नीति
policy of mutual understanding	आपसी समझ की नीति
policy of national survival	राष्ट्रीय अस्तित्व-रक्षण नीति
policy of non-alignment	गुट-निरपेक्षता नीति
policy of state	राज्य की नीति
policy of uncompromising resistance	दृढ़ प्रतिरोध की नीति

policy outcome	नीति के परिणाम
policy outputs	नीति विषयक निर्गत
policy paradigm	नीति प्रतिमान
polis	नगर राज्य
politbureau	पॉलित ब्यूरो
politic	व्यवहार-चतुर
political	राजनीतिक
political access	राजनीतिक पहुंच
political accountability	राजनीतिक जवाबदेही
Political Action Committee (PAC)	राजनीतिक कार्रवाई समिति (पीएसी)
political activity	राजनीतिक गतिविधि, राजनीतिक क्रियाकलाप
political adviser	राजनीतिक सलाहकार
political alignment	राजनीतिक गठबंधन
political analysis	राजनीतिक विश्लेषण
political asylum	राजनीतिक शरण
political attitude	राजनीतिक अभिवृत्ति
political behaviour	राजनीतिक व्यवहार
political campaign	राजनीतिक अभियान
political change	राजनीतिक परिवर्तन
political communication	राजनीतिक संचार
political community	राजनीतिक समुदाय
political consciousness	राजनीतिक चेतना
political coup d'etat	बलात् राज्यसत्ता परिवर्तन
political cult	राजनीतिक पंथ
political culture	राजनीतिक संस्कृति
political deadlock	राजनीतिक गतिरोध
political decay	राजनीतिक ह्रास
political development	राजनीतिक विकास
political dictatorship	राजनीतिक अधिनायकत्व / तानाशाही
political discourse	राजनीतिक विमर्श
political economy	राजनीतिक अर्थशास्त्र/ राजनीतिक अर्थव्यवस्था
political encirclement	राजनीतिक घेराबंदी
political equality	राजनीतिक समता
political exclusion	राजनीतिक अपवर्जन
political existence	राजनीतिक अस्तित्व
political expediency	राजनीतिक कालौचित्य
political freedom	राजनीतिक स्वतंत्रता
political grievance	राजनीतिक शिकायत
political horse-trading	राजनीतिक सौदेबाजी
political inclusion	राजनीतिक समावेशन
political independence	राजनीतिक स्वाधीनता
political instability	राजनीतिक अस्थिरता
political institution	राजनीतिक संस्था
political isolation	राजनीतिक नि:संगता
political justice	राजनीतिक न्याय
political liberalism	राजनीतिक उदारवाद
political manoeuvering	राजनीतिक युक्ति साधन
political mobilisation	1. राजनीतिक लामबंदी 2. राजनीतिक अभिनियोजन
political modernisation	राजनीतिक आधुनिकीकरण
political morality	राजनीतिक नैतिकता
political obligation	1. राजनीतिक बाध्यता 2. राजनीतिक दायित्व
political outlaws	राजनीतिक बहिष्कृत
political participation	राजनीतिक सहभागिता
political party	राजनीतिक दल
political philosophy	राजनीतिक दर्शन
political preference	राजनीतिक वरीयता
political pressure	राजनीतिक दबाव
political pressure group	राजनीतिक दबाव-समूह
political privilege	राजनीतिक विशेषाधिकार
political realism	राजनीतिक यथार्थवाद
political recuritment	राजनीतिक भर्ती
political repercussion	राजनीतिक प्रतिप्रभाव
political responsibility	राजनीतिक उत्तरदायित्व
political right	राजनीतिक अधिकार

political sabotage	राजनीतिक अंतर्ध्वंस
political science	राजनीति विज्ञान
political socialisation	राजनीतिक समाजीकरण
political sovereignty	राजनीतिक संप्रभुता
political stability	राजनीतिक स्थिरता
political structure	राजनीतिक संरचना
political subjection	राजनीतिक पराधीनता
political system	राजनीतिक व्यवस्था
political terrorism	राजनीतिक आतंकवाद
political theory	राजनीतिक सिद्धांत
political thought	राजनीतिक चिंतन
political unrest	राजनीतिक अशांति
political untouchable	राजनीतिक अछूत
political vision	राजनीतिक दूरदृष्टि
political warfare	राजनीतिक युद्ध
politician	राजनीतिज्ञ
politicization (of caste)	राजनीतीकरण (जाति का)
politics	राजनीति (शास्त्र)
politics-administration dichotomy	राजनीति-प्रशासन द् विभाजन
poll reverse	निर्वाचन में पराजय, चुनाव में हार
poll survey	जनमत सर्वेक्षण
polling	मतदान
polyarchy	बहु तंत्र
populace	जन साधारण
popular chamber	लोक सदन
popular democracy	जनवादी लोकतंत्र
popular government	लोकप्रिय सरकार
popular sovereignty	लोक संप्रभुता
popular vote	लोक मतदान
Population Commission	जनसंख्या आयोग
populism	लोक लुभावनवाद
populist party	पॉपुलिस्ट पार्टी
positive discrimination	सकारात्मक विभेदन
positive law	सकरात्मक विधि
positive liberty	सकारात्मक स्वतंत्रता
positive neutralism	सकारात्मक तटस्थवाद, सकारात्मक तटस्थता
positive peace	सकारात्मक शांति
positive right (=jus positivum)	सकारात्मक अधिकार
positive state	सकारात्मक राज्य
positive vote	सकारात्मक मत
positivism	प्रत्यक्षवाद
post-conflict election	संघर्षोत्तर चुनाव
post materialism	उत्तर-भौतिकतावाद
post modernism	उत्तर -आधुनिकतावाद
post mortem	पश्च परीक्षा
postal vote	डाक मत
post-behaviorism	उत्तर-व्यवहारवाद
post-capilalist society	उत्तर-पूंजीवादी समाज
post-colonial state	उत्तर-उपनिवेशवादी राज्य
post-communist state	उत्तर-साम्यवादी राज्य
post-modernism	उत्तर-आधुनिकतावाद
potential aggression	संभाव्य आक्रमण
power	शक्ति
power bloc	शक्ति गुट
power delegation	अधिकार प्रत्यायोजन
power equation	शक्ति समीकरण
power politics	शक्ति की राजनीति
power sharing	शक्ति/सत्ता का सहभाजन
power transition	शक्ति-संक्रमण
power vacuum	शक्ति-शून्यता
pragmatic	व्यावहारिक
preamble	उद्देशिका
prediction	पूर्वानुमान
pre-dominant party system	अभिभावी दल व्यवस्था
predominant position	अभिभावी स्थिति
preference voting	वरीयता मतदान
preferential right	अधिमानी अधिकार
preferential vote	अधिमान्य मत
prejudice	पूर्वग्रह

preliminary agreement	प्रारंभिक समझौता
preliminary election	प्रारंभिक निर्वाचन
preliminary negotiation	प्रारंभिक वार्ता
preliminary settlement	प्रारंभिक समझौता
preliminary treaty	प्रारंभिक संधि
premier (=prime minister)	प्रधानमंत्री
pre-revolutionary stage	क्रांति-पूर्व अवस्था
prerogative	परमाधिकार
prerogative court	परमाधिकार न्यायालय
prescriptive right	चिरभोगी अधिकार
preside	अध्यक्षता करना, पीठासीन होना
President	1. राष्ट्रपति 2. अध्यक्ष, सभापति
presidential democracy	अध्यक्षात्मक लोकतंत्र
presidential election	राष्ट्रपति निर्वाचन
presidential elector	राष्ट्रपति निर्वाचक
presidential executive	अध्यक्षीय कार्यपालिका
presidential government	अध्यक्षात्मक सरकार/शासन
presiding member	अध्यक्ष सदस्य
press attache	प्रेस सहचारी
press liberty	प्रेस-स्वतंत्रता
pressure group	दबाव समूह
pressure of public opinion	लोकमत का दबाव
prevent	निवारण/रोकथाम
preventive action	निवारक कार्रवाई
preventive detention	निवारक निरोध, नजरबंदी
preventive measures	निवारक उपाय
prime minister	प्रधानमंत्री
primitive communism	आदिम साम्यवाद
primitive political system	आदिम राजनीतिक व्यवस्था
princely state	देशी रियासत
principal belligerent	प्रधान युद्धकारी
principal seat	प्रधानपीठ
principle of anarchy	अराजकता का सिद्धांत
principle of legality	वैधता सिद्धांत
principle of non refoulement	अवापसी नियम
principle of perpetuation	निरंतरता सिद्धांत
principle of social cohesion	सामाजिक संसक्ति सिद्धांत
principle of trusteeship	न्यासधारिता सिद्धांत
principle of war	युद्ध सिद्धांत
prior attestation	पूर्व साक्ष्यांकन
priority question	प्राथमिकता का प्रश्न
prisoner of state	राजबंदी
prisoner of war	युद्ध-बंदी
private enterprise	निजी उद्यम
private estate	निजी संपत्ति
private interest	निजी हित
private land	निजी भूमि
private member's bill	गैर-सरकारी सदस्य विधेयक
private sector	निजी क्षेत्र
privatization	निजीकरण
privilege committee	विशेषाधिकार समिति
privilege motion	विशेषाधिकार प्रस्ताव
privy council	प्रिवी काउन्सिल
privy purse	शाही थैली/शाही भत्ता
prize claims	युद्ध अपहार
prize court	युद्ध अपहार न्यायालय
pro bono publico	लोक-कल्याणार्थ, समुदाय-कल्याणार्थ
probate	प्रोबेट
probate court	प्रोबेट न्यायालय
probation	परिवीक्षा
probe	जांच, छानबीन
procedural democracy	प्रक्रियात्मक लोकतंत्र
procedural error	कार्यविधिक त्रुटि
procedural justice	प्रक्रियात्मक न्याय, कार्यविधिक न्याय

procedural safeguards	कार्यविधिक सुरक्षोपाय
procedure	प्रक्रिया, कार्य-विधि
procedure of settlement	समझौता-कार्यविधि
proceedings in camera	गुप्त कार्यवाही
process of legislation	विधि-निर्माण प्रक्रिया, विधायन प्रक्रिया
proclamation	उद्घोषणा
proclamation of emergency	आपात काल की उद् घोषणा
product cycle	उत्पाद चक्र
productivity	उत्पादकता
professional association	1. व्यावसायिक संघ 2. व्यावसायिक साहचर्य
professional cadre	व्यावसायिक संवर्ग
professional consul	व्यावसायिक कीन्सुल
professional diplomacy	व्यावसायिक राजनय
professional politician	वृत्तिक राजनीतिज्ञ
profit politics	लाभ की राजनीति
programme budget	कार्यक्रम बजट
programme secretary	कार्यक्रम सचिव
progressive country	प्रगतिशील देश
progressive evolution	प्रगतिशील (क्रम)-विकास
progressive forces	प्रगतिशील शक्तियां
progressive tax	आरोही कर
prohibited immigrant	निषिद्ध आप्रवासी
prohibition	प्रतिषेध, निषेध
prohibition of war	युद्ध - निषेध
proletarian	सर्वहारा
proletarian class	सर्वहारा वर्ग
proletarian democracy	सर्वहारा लोकतंत्र
proletarian internationalism	सर्वहारा अंतरराष्ट्रीयवाद
proletarian revolution	सर्वहारा क्रांति
Proletariat (e)	सर्वहारा वर्ग
prolonged negotiation	दीर्घवार्ता
prolonged truce	दीर्घकालीन अस्थायी शांति (संधि), दीर्घकालीन युद्ध विराम
promissory oath	वचन-शपथ
promotional group	संवर्धक समूह
promulgation	प्रख्यापन
propaganda	प्रचार, मत-प्रचार
propaganda machine	प्रचार तंत्र
proper authority	1. उपयुक्त प्राधिकारी 2. सक्षम प्राधिकारी
property acquisition	संपत्ति अधिग्रहण
proportional representation	आनुपातिक प्रतिनिधित्व
proportionate equality	आनुपातिक समानता, आनुपातिक समता
proposed settlement	1. प्रस्तावित समझौता 2. प्रस्तावित बंदोबस्त
propriete fonciere (=landed property)	भू-संपत्ति
prorogation	सत्रावसान
pros and cons	पक्ष-विपक्ष; गुण-दोष
prosecution	अभियोजन
protected ally	संरक्षित मित्र
protected state	संरक्षित राज्य
protecting power	संरक्षी देश
protection law	संरक्षण विधि, संरक्षण कानून
protection of emigrants	उत्प्रवासी संरक्षण
protectionism	संरक्षणवाद
protective detention	संरक्षात्मक निरोध
protective functions	सरंक्षात्मक कार्य
protective group	संरक्षात्मक समूह
protective jurisdiction	संरक्षात्मक अधिकारिता
protective measure	संरक्षात्मक उपाय
protector	संरक्षक
protector of emigrants	उत्प्रवासी संरक्षक
protectorate	संरक्षित राज्य, संरक्षित देश
protem speaker	अस्थायी अध्यक्ष
protocol	1. नयाचार 2. उपसंधि
protocol of amendment	संशोधन उपसंधि
protracted campaign	दीर्घ अभियान

provincial autonomy	प्रांतीय स्वायत्तता
provisio	परंतुक
provision	1. उपबंध 2. व्यवस्था
provisional agenda	अनंतिम कार्यसूची
provisional figures	अनंतिम आंकड़े
provisional status	अस्थायी स्थिति
provocation	उत्तेजन
provocative statement	उत्तेजनात्मक कथन
proxy	1. परोक्षी 2. प्रतिपत्र
proxy war	परोक्षी युद्ध
psephologist	निर्वाचनविद्
psephology	चुनाव विज्ञान/निर्वाचन विज्ञान
pseudo guarantee	आभासी गारंटी
pseudo secularism	1. छद्म धर्मनिरपेक्षता 2. छद्म धर्मनिरपेक्षतावाद
pseudo-religious nationalism	छद्म धार्मिक राष्ट्रवाद
pseudo-socialism	छद्म समाजवाद
psychological effect	मनोवैज्ञानिक प्रभाव
psychological mass coercion	मनोवैज्ञानिक जन-प्रपीड़न
psychological warfare	मनोवैज्ञानिक युद्धतंत्र
psychology	मनोविज्ञान
public account committee	लोक लेखा समिति
public acts	1. लोक कृत्य 2. लोक अधिनियम
public administration	लोक प्रशासन
public assistance	लोक सहायता
public authority	लोक-प्राधिकारी
public bill	सार्वजनिक विधेयक,
public choice theory	लोक विकल्प सिद्धांत
public corporation	सार्वजानिक निगम
public defender	लोक प्रतिरक्षक
public demand	लोक मांग
public exchequer	राजकोष
public good	सार्वजनिक हित
public health	लोक स्वास्थ्य
public impeachment	सार्वजनिक महाभियोग
public interest	लोकहित, जनहित
public interest litigation	जनहित याचिका
public matter	सार्वजनिक विषय
public morality	सार्वजनिक नैतिकता
public notification	सार्वजनिक अधिसूचना
public office	1. राजकीय पद, सरकारी पद 2. सरकारी कार्यालय
public opinion	लोकमत, जनमत
public order	1. सार्वजनिक आदेश 2. सार्वजनिक व्यवस्था
public ownership	सरकारी स्वामित्व
public place	सार्वजनिक स्थान
public prosecutor	लोक अभियोजक
public purpose	सार्वजनिक प्रायोजन
public record	लोक अभिलेख
public relation council	जनसंपर्क परिषद्
public right	जन अधिकार, लोक अधिकार
public sector	सार्वजनिक क्षेत्र(क)
public security	सार्वजनिक सुरक्षा
public servant	लोक सेवक
public service	लोक सेवा
Public Service Commission	लोक सेवा आयोग
public trial	खुला विचारण
public undertaking	सार्वजनिक उपक्रम
public vote	सार्वजनिक मत
public welfare	लोक कल्याण
public welfare organization	लोक कल्याण संगठन
public will	सार्वजनिक इच्छा, लोक इच्छा
public works	लोक निर्माण(कार्य)
public works department	लोक निर्माण विभाग

publicity campaign	प्रचार अभियान
punctation	संधिपूर्व वार्ता
punishment	दंड
punitive justice	दंड न्याय, दंडात्मक न्याय
punitive tax	दंडात्मक कर
puppet government	कठपुतली सरकार
puppet regime	कठपुतली शासन
purge	दल-शोधन

Q

quadripartite administration	चतुष्पक्षीय प्रशासन; चतुर्राष्ट्रीय प्रशासन
quadruple alliance	चतुर्राष्ट्र मैत्री, चतुर्राष्ट्र सहबंध
Qualification	अर्हता
qualified citizenship	सशर्त नागरिकता
qualified majority	सीमित बहुमत
qualitative disarmament	गुणात्मक निःशस्त्रीकरण
quasi-independence	अर्ध स्वतंत्रता
queen's bench division	राज-न्यायपीठ, क्वीन्स बेंच प्रभाग
question hour	प्रश्न-काल
question of fact	तथ्य का प्रश्न
question of law	विधि का प्रश्न
questionnaire	प्रश्नावली
quid pro quo	प्रतिदान
quisling	देशद्रोही
Quit India movement	'भारतछोड़ो' आंदोलन
quo warranto	अधिकार पृच्छा
quorum	गणपूर्ति, कोरम
quota	कोटा, नियतांश
quota system	कोटा पद्धति, नियतांश पद्धति

R

race theory	प्रजाति सिद्धांत
racial arrogance	प्रजातीय दंभ
racial deseotype	प्रजातीय प्ररूप
racial discrimination	प्रजातीय भेदभाव
racial diversity	प्रजातीय विविधता
racial exclusiveness	प्रजातीय अनन्यता
racial legislation	प्रजातीय विधायन
racial prejudice	प्रजातीय पूर्वाग्रह
racial revolt	नस्लीय विद्रोह, प्रजातीय विद्रोह
racial supremacy	प्रजातीय सर्वोच्चता
racial theory	प्रजातीय सिद्धांत
racial unity	प्रजातीय एकता
racism	1. प्रजातिवाद 2. प्रजातीयता
radical democracy	आमूल परिवर्तनवादी लोकतंत्र
radical humanism	उग्र मानवतावाद
radical party	उग्रदल, आमूल परिवर्तनवादी दल
radical revolt	उग्रवादी विद्रोह, आमूल परिवर्तनवादी विद्रोह
radical thinking	आमूल परिवर्तनवादी चिंतन/ विचारधारा
rainbow coalition	इंद्रधनुषी/सतरंगी गठबंधन
rally	रैली
rapprochement	पुनर्मैत्री
ratification	अनुसमर्थन
ratification clause	अनुसमर्थन खंड
ratification of treaty	संधि का अनुसमर्थन
rational choice analysis	तर्कसंगत चुनाव विश्लेषण
rationale of the constitution	संविधान का तर्काधार
rationalism	तर्कबुद्धिवाद
rationalistic revolution	तर्कबुद्धिवादी क्रांति
rationality	तर्कसंगति
reactionary	प्रतिक्रियावादी
readjustment	पुनःसमायोजन
real executive	वास्तविक कार्यपालिका

real international person	वास्तविक अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति
real knowledge	वास्तविक ज्ञान
real union	वास्तविक संघ
real will	वास्तविक इच्छा
realignment	पुनःसहबंधन
realism	यथार्थवाद
realistic approach	यथार्थवादी उपागम
reallocation of resources	संसाधनों का पुननिर्यतन
realpolitik	यथार्थपरक राजनीति
reappropriation	पुनर्विनियोजन बजट
rearmament policy	पुनःशस्त्रीकरण नीति
reasonable	1. युक्तियुक्त 2. उचित
rebel	विद्रोही, बागी
rebellion	विद्रोह, बगावत
recalcitrant minority	दुर्दम्य अल्पसंख्यकवर्ग
recall	प्रत्याह्वान
reciprocal concessions	पारस्परिक रियायतें
receiving state	1. अभिग्राही राज्य 2. स्वीकारी देश
reception of aliens	अन्यदेशियों का अभिग्रहण
recession	अवमंदन
rechtasstaat (=constitutional state)	विधिशासित राज्य
reciprocal agreement	पारस्परिक समझौता
reciprocal rights	पारस्परिक अधिकार
reciprocity clause	पारस्परिकता खंड
reclassification	पुनवर्गीकरण
recognising state	मान्यतादायी राज्य
recognition of opposition	विपक्ष को मान्यता
recommendation	सिफारिश, संस्तुति
re-committal of bills	विधेयकों का पुनः प्रस्तुतीकरण
reconciliation	1. समाधान 2. सुलह
reconnaissance	टोह, आवीक्षण
reconsider	पुनर्विचार करना
reconstitution	पुनर्गठन
reconstructed culture	पुनर्निर्मित संस्कृति
reconstruction programme	पुनर्निमार्ण कार्यक्रम
record of proceedings	कार्यवाही का अभिलेख
recruitment	भर्ती
rectification of boundaries	सीमा परिशोधन
rectitication of frontiers	सीमांतों का परिशोधन
recurring bill	आवर्ती विधेयक
recurring question	आवर्ती प्रश्न
Red Army	लाल सेना
red herring	भटकाव
Red scare	साम्यवाद का भय
red tapism	लालफीताशाही
Red totalitarianism	साम्यवादी सर्वधिकारवाद
redistribution	पुनर्वितरण
redistribution of seats	निर्वाचन-क्षेत्रों का पुनर्वितरण
redivision	पुनर्विभाजन
redressal of grievance	शिकायत निवारण, कष्ट निवारण
reduction of armament	आयुध घटाना, आयुध न्यूनीकरण
re-election	पुनर्निर्वाचन
re-emergence	पुनरुत्थान
re-establishment	पुनःस्थापन
re-establishment of diplomatic relations	राजनयिक संबंधों का पुनःस्थापन
re-extradition	पुनःप्रत्यर्पण
reference committee	निर्देश समिति
referendum	जनमत-संग्रह
reflectivist institutionalism	चिंतनशील संस्थावाद
reform	सुधार
reform bill	सुधार विधेयक
reformatory	1. सुधारालय 2. सुधारक
refractory state	दुराग्रही राज्य
refugee	शरणार्थी

regal ritual	राजोचित संस्कार
regime	शासन
regime of law	विधि-शासन
regimentation	विबंधन, रेजीमेन्टेशन
regional agreement	क्षेत्रीय समझौता
regional commissioner	प्रादेशिक आयुक्त
regional council	प्रादेशिक परिषद, क्षेत्रीय परिषद
regional language	प्रादेशिक भाषा
regional policy	क्षेत्रीय नीति
regional representation	क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व
regionalism	क्षेत्रीयता
regular annual session	नियमित वार्षिक सत्र
regular diplomatic representative	नियमित राजनयिक प्रतिनिधि
regular session	नियमित सत्र
regulation	विनिमयन
regulatory state	नियामक राज्य
rehabilitate	पुनर्वास करना
rehabilitation	पुनर्वास, पुनर्वासन
rehabilitation and resettlement	पुनर्वास और पुनःस्थापन
rehabiltation of refugees	शरणार्थियों का पुनर्वासन
Reichstag	राइखस्टाक, जर्मन संसद्
reign	राज्यकरना (क्रि); राज्य-काल (सं.)
relative deprivation	सापेक्ष वंचन
relaxation of ban	प्रतिबंध शिथिलन
relief activities	सहायता कार्य, राहत कार्य
religious antagonism	धार्मिक विरोधिता
religious aristocracy	धार्मिक अभिजात-तंत्र
religious denomination	धार्मिक संप्रदाय
religious fundamentalatism	धार्मिक कट्टरवाद
religious humanitarianism	धार्मिक मानवतावाद
religious minority	धार्मिक अल्पसंख्यकवर्ग
religious myth	धार्मिक मिथक
religious persecution	धार्मिक उत्पीड़न
religious war	धार्मिक युद्ध
religious workship	धार्मिक उपासना
remedial measures	उपचारी उपाय
remedial right	उपचारात्मक अधिकार
remilitarization	पुनःसैन्यीकरण
remission	परिहार, माफी
remit	परिहार करना
remonstrance	विरोध पत्र
remuneration	पारिश्रमिक, मेहनताना
renaissance	पुनर्जागरण
rent	1. किराया, भाड़ा 2. लगान
rentier state	पट्टादाता राज्य
renunciation of sovereignty	संप्रभुता का त्याग
reorganisation of government	सरकार का पुनर्गठन
reparations	(युद्ध) क्षतिपूरण
repatriation	संप्रत्यावर्तन
repatriation of refugees	शरणार्थियों का संप्रत्यावर्तन
repeal	निरसन
representants extraordinaries (=extraordinary representatives)	असाधारण प्रतिनिधि
representation	1. प्रतिनिधित्व 2. अभ्यावेदन
representation of minorities	अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व
representative	प्रतिनिधि
representative bureaucracy	प्रतिनिधि अधिकारीतंत्र, प्रतिनिधि दफ्तरशाही
representative democracy	प्रतिनिधिक लोकतंत्र
representative government	प्रतिनिधिक सरकार
representative regime	प्रतिनिधिक शासन
representative system	प्रतिनिधि व्यवस्था

repression	दमन
reprieve	(दंड का) प्रविलंबन करना
reprisal	प्रतिशोध
reptile press	शासन-अनुप्रेरित प्रेस
republic	गणतंत्र
republican liberalism	गणतंत्रीय उदारवाद
repudiation of war	युद्ध परित्याग
reservation policy	आरक्षण नीति
reserve currency	आरक्षित मुद्रा
reserved constituency	आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्र
reserved powers	आरक्षित शक्तियां, आरक्षित अधिकार
reserved subject	आरक्षित विषय
resettlement activities	पुनःस्थापन कार्य
reshufling	फेरबदल (करना)
resident alien	अन्यदेशी निवासी
resident envoy	निवासी राजदूत
residual powers	अवशिष्ट शक्तियां
residuary sovereignty	अवशिष्ट संप्रभुता
resistance group	प्रतिरोधी समूह
resolution	संकल्प
responsibility of state	राज्य का उत्तरदायित्व
responsible government	उत्तरदायी शासन
restoration	पुनःस्थापन
restricted suffrage	सीमित मताधिकार
restriction	निर्बंधन, प्रतिबंध
restrictive provisions	प्रतिबंधात्मक उपबंध
resumption of diplomatic relations	राजनयिक संबंधों का पुनरारंभ
retaliation	1. प्रतिघात 2. प्रतिकार
retention of a bill	विधेयक का प्रतिधारण, विधेयक को रोक लेना
retirement by rotation	क्रमवार (पद) निवृत्ति
retiring members	निवर्तमान सदस्य
retortion	जवाबी कार्रवाई
retrospective effect	भूतलक्षी प्रभाव
return emigrant	लौटने वाला उत्प्रवासी
returned candidate	निर्वाचित अभ्यर्थी, निर्वाचित उम्मीदवार
re-unification	पुनरेकीकरण, पुनःएकीकरण
revenue and expenditure	राजस्व और व्यय
revenue court	राजस्व न्यायालय
revenue deficit	राजस्व घाटा
revenue sharing	राजस्व सहभाजन
reverse discrimination	प्रतिलोम भेदभाव
reverse veto	प्रतिवर्ती निषेधाधिकार
reversionary budget	प्रतिवर्ती बजट
revised estimates	संशोधित अनुमान
revised treaty	पुनरीक्षित संधि
revision of treaty	संधि पुनरीक्षण
revisionism	संशोधनवाद
revisionist movement	संशोधनवादी आंदोलन
revisionist state	संशोधनवादी राज्य
revival of diplomancy	राजनय का पुनरुज्जीवन
revocation	प्रतिसंहरण
revocation of treaty	संधि का प्रतिसंहरण
revoke	प्रतिसंहृत करना
revolution	क्रांति
revolutionary	क्रांतिकारी
revolutionary change	क्रांतिकारी परिवर्तन
Revolutionary Communist Party	क्रांतिकारी साम्यवादी दल
revolutionary party	क्रांतिकारी दल
riba	सूदखोरी
right	अधिकार
Right Honourable	परम मान्य
right of access	पहुंच का अधिकार
right of association	संघ बनाने का अधिकार
right of citizenship	नागरिकता का अधिकार
right of dissolution	भंग करने का अधिकार
right of equality	समता का अधिकार
right of free speech	वाक् स्वातंत्र्य का अधिकार

right of maintenance	भरण-पोषण का अधिकार
right of neutrality	तटस्थता का अधिकार
right of resistance	प्रतिरोध का अधिकार
right of self-protection	आत्म-रक्षा का अधिकार
right of territorial supremacy	क्षेत्रीय सर्वोच्चता का अधिकार
right of unilateral termination	एकपक्षीय समापन का अधिकार
Right Reverend	महा-आदरणीय
right to assemble	सम्मेलन का अधिकार
right to constitutional remedies	सांविधानिक उपचारों का अधिकार
right to dissent	असहमति का अधिकार
right to education	शिक्षा पाने का अधिकार
right to employment	रोजगार पाने का अधिकार
right to equality before the law	विधि के समक्ष समता का अधिकार
right to food	भोजन पाने का अधिकार
right to free passage	अबाध मार्ग का अधिकार
right to freedom of movement	आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार
right to hold an office	पदग्रहण का अधिकार
right to information	सूचना का अधिकार
right to life and liberty	जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार
right to life and property	जीवन और संपत्ति का अधिकार
right to recall	प्रत्याह् वान अधिकार
right to reject	अस्वीकार करने का अधिकार
right to specified judicial safeguards	निर्दिष्ट न्यायिक रक्षोपायों का अधिकार
right to state relief	राज्य से राहत प्राप्ति का अधिकार
right to vote	मत देने का अधिकार
right to work	काम पाने का अधिकार
right to work-laws	श्रम-कानून अधिकार
rightful owner	वैध स्वामी
right-wing	दक्षिणपंथी
right-wing party	दक्षिणपंथी दल
rigid constitution	कठोर संविधान
riot	दंगा, बलवा
riparian population	तटवर्ती जनसंख्या
riparian state	तटवर्ती राज्य
risk of war	युद्ध -जोख़िम
rival claims	प्रतिस्पर-विरोधी दावे
rival imperialism	प्रतिद्वंद्वी साम्राज्यवाद
rival party	प्रतिद्वंद्वी दल
rival powers	प्रतिद्वंद्वी शक्तिया
rival states	प्रतिद्वंद्वी राज्य
river boundary	नदी सीमा
road toll	पथ-कर
roll call voting	नामोच्चारण द्वारा मतदान
roll of members	सदस्य नामावली
rollback policy	पश्चगामी नीति
rollback state	पश्चगामी राज्य
rolls of parliament	संसद-सदस्य नामावली,
Roman law	रोमन कानून
Roman state	रोमन राज्य
Roman world state	रोमन विश्व राज्य
roster	रोस्टर
round table conference	गोलमेज सम्मेलन
royal approbation	शाही अनुमोदन, राजानुमोदन
royal charter	शाही फरमान, रायल फरमान
Royal Commission	शाही कमीशन
royal prerogative	शाही परमाधिकार
royal speech	राज-भाषण, शाही तकरीर
royal treasury	राजकोष, शाही खजाना
royalty	राजपद
rudimentary diplomatic service	प्रारंभिक राजनयिक सेवा
rule adjudication	नियम अधिनिर्णय(न)

rule of double criminality	दोहरी आपराधिकता का नियम
rule of international law	1. अंतरराष्ट्रीय विधि का शासन 2. अंतरराष्ट्रीय विधि का नियम
rule of law	विधि का शासन, विधि का नियम
rule of order	व्यवस्था का नियम
rule of unanimity	मतैक्य नियम, सर्वसम्मति नियम
ruler's sovereignty	शासक की प्रभुसत्ता
rules of conduct	आचरण नियमावली
rules of order	व्यवस्था का नियम
ruling class	शासक वर्ग
ruling nation	शासक राष्ट्र
run-off primary (=second primary)	द्वितीय प्राथमिक निर्वाचन सम्मेलन
rupture of relations	संबंध-विच्छेद
rural constituency	ग्राम निर्वाचन-क्षेत्र
rural government	ग्राम-शासन, ग्राम-सरकार
ruthless suppression	क्रूर दमन

S

sabotage	अंतर्ध्वंस
saboteur	अंतर्ध्वंसक
sacred cow	पवित्रम्मान्य
sacred law	धर्म विधि
sacrosanct privilege	अलंघनीय विशेषाधिकार
safe seat	सुरक्षित सीट
salt march	नमक आंदोलन
sanction	1. मंजूरी, संस्वीकृति 2. अनुशास्ति
sanctity of treaty	संधि की पवित्रता
satellite area	अनुगामी क्षेत्र
satellite country	अनुगामी देश
satellite government	अनुगामी सरकार
satellite state	अनुगामी राज्य
satiated state	संतुष्ट राज्य
scalar principle	सोपान सिद्धांत
scarcity of resources	संसाधनों की कमी
sceptics	संशयवादी
schedule to bill	विधेयक अनुसूची
scheduled area	अनुसूचित क्षेत्र
scheduled caste	अनुसूचित जाति
scheduled languages	अनुसूचित भाषाएं
scheduled tribe	अनुसूचित जनजाति
scientific dogma	वैज्ञानिक राद्धांत
Sea Customs Act	समुद्री सीमाशुल्क अधिनियम
sea frontiers	समुद्री सरहद, समुद्री सीमांत
sea warfare	समुद्री युद्धतंत्र
search and seizure	तलाशी और अधिग्रहण
seasoned soldier	अभ्यस्त सैनिक
secede	पृथक् होना, विलग्न होना
seceding state	विलग्नी राज्य
secession	1. पृथक् होना, विलग होना 2. विलग्नता, पार्थक्य
Secessionist	पृथक्तावादी
Second Internationale	द्वितीय इंटरनेशनाले
second- order election	द्वितीय क्रम चुनाव
second primary (=run-off primary)	द्वितीय प्राथमिक निर्वाचक सम्मेलन
seconding (of motion)	अनुप्रस्तावन
secret agreement	गुप्त समझौता
secret ballot	गुप्त मतदान
secret clause	गुप्त खंड
secret diplomacy	गुप्त राजनय
secret organisation	गुप्त संगठन
secret police	खुफिया पुलिस
secret vote	1. गुप्त मत 2. गुप्त मतदान
secretariat	सचिवालय
secretary general	महासचिव

sectarian	फिरकापरस्त
sectarianism	फिरकापरस्ती
secular	धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष
secular life	धर्मनिरपेक्ष जीवन
secular state	पंथनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य
secularism	धर्मनिरपेक्षतावाद, धर्मनिरपेक्षता, पंथनिरपेक्षता
secularization	धर्मनिरपेक्षीकरण, पंथनिरपेक्षीकरण
security	सुरक्षा
security belt	सुरक्षा पट्टी
Security Council	सुरक्षा परिषद्
security guarantee	सुरक्षा गारन्टी
security pact	सुरक्षा अनुबंध/समझौता
security zone	सुरक्षाक्षेत्र
sedition	द्रोह; राजद्रोह
'see saw' policy	'डावांडोल' नीति
segregation	संपृथकन, पृथक्करण
select committee	प्रवर समिति
selective interpretation	चयनात्मक व्याख्या
self-determination	आत्म-निर्णय
self-governing constitution	स्वशासी संविधान
self-government	स्वशासन
self-reliant	आत्मनिर्भर
self-sufficiency	आत्मनिर्भरता
self-sufficing community	आत्मनिर्भर समुदाय
semi-official agent	अर्धसरकारी अभिकर्ता
semi-political	अर्धराजनीतिक
semi-presidential government	अर्ध अध्यक्षात्मक सरकार
semi-sovereign state	अर्ध संप्रभु राज्य
semitism	यहूदीवाद
senator	सेनेट सदस्य, सेनेटर
senatorial curtesey	सेनेट शिष्टाचार
separation of powers	शक्ति पृथक्करण
separatism	पृथकतावाद
separatist	पृथकतावादी
serfage / serfdom	1. दासता दासत्व 2. कृषि दासता
servitude	भोगाधिकार
sessional committee	सत्रीय समिति
settlement by compromise	समझौते द्वारा निपटारा
severance of diplomatic relations	राजनयिक संबंध विच्छेद
sex disqualification	लैंगिक निरर्हता
shadow cabinet	छाया मंत्रिमंडल
shareholder capitalism	शेयरधारक पूंजीवाद
sharing power	शक्ति विभाजन
Sheriff (=shire reeve)	शेरिफ
shield and sword' strategy	ढाल-तलवार सामरिकी
shifting alliance	परिवर्ती सहबंध
shirt-sleeve diplomacy	अनौपचारिक राजनय
short ballot	स्वल्प पद निर्वाचन
short notice question	अल्प सूचना प्रश्न
short of war measures	युद्धवत् उपाय, युद्ध सम उपाय
short parliament	स्वल्पकालीन संसद
short term reciprocity	अल्पकालिक परस्परता
short-range missile	कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र
shramanik	श्रमणिक
shuttle diplomacy	शटल राजनय
signatory	हस्ताक्षरकर्ता
signed undertaking	हस्ताक्षरित वचनबद्धता
simple resolution	सामान्य संकल्प
simple surrender	सामान्य अभ्यर्पण
simple survey	सामान्य सर्वेक्षण
simplified agreement	सरलीकृत समझौता
simultaneous interpretation	युगपत् भाषातंरण
single global currency	एकल वैश्विक मुद्रा
single member constituency	एक-सदस्यीय निर्वाचनक्षेत्र
single member plurality system	एकल-सदस्यीय बहुमत प्रणाली

single transferable vote	एकल हस्तांतरणीय मतदान
single transferable vote system	एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति
sippenhaft	बंधु-दायित्व
sit-in strike	हाज हड़ताल
sitting (of the House)	बैठक
sitting days	बैठक के दिन
sitting member	1. आसीन सदस्य 2. वर्तमान सदस्य
sitting on the fence	तटस्थ रहना
slave	गुलाम, दास
slave mentality	दास मनोवृत्ति
Slavery Act	दासता अधिनियम
slender majority	स्वल्प बहुमत
slump	चरम मंदी
small majority	अल्प बहुमत
snap division	आकस्मिक मत-विभाजन
snap vote	आकस्मिक मतदान
social anchorage	सामाजिक स्थिरक
social aspect	सामाजिक पहलू
social capital	सामाजिक पूंजी
social contract	सामाजिक संविदा
Social Darwinism	सामाजिक डार्विनवाद
social democracy	सामाजिक लोकंतत्र
social equality	सामाजिक समता/समानता
social exclusion	सामाजिक अपवर्जन
social fermentation	सामाजिक क्षोभ
social inclusion	सामाजिक समावेशन
social justice	सामाजिक न्याय
social law	1. सामाजिक नियम 2. सामाजिक विधि
social movement	सामाजिक आंदोलन
social order	सामाजिक व्यवस्था
social planning	सामाजिक योजना
social privilege	सामाजिक विशेषाधिकार
social resources	सामाजिक संसाधन
social right	सामाजिक अधिकार
social security	सामाजिक सुरक्षा
Social Security Act	सामाजिक सुरक्षा अधिनियम
social service	सामाजिक सेवा, समाज सेवा
social state	सामाजिक राज्य
social stratification	सामाजिक स्तरीकरण
social struggle	सामाजिक संघर्ष
social trends	सामाजिक प्रवृत्तियां
social unit	सामाजिक इकाई
social unrest	सामाजिक अशांति
social welfare	समाज-कल्याण
socialism	समाजवाद
socialist	समाजवादी
socialist state	समाजवादी राज्य
socialization	समाजीकरण
social-political organization	सामाजिक राजनीतिक संगठन
societal level	सामाजिक स्तर
societarian speculation	समाजीय परिकल्पना
society	समाज
society of nations	राष्ट्रसमाज, राष्ट्रों का समाज
socio-ethical idea	सामाजिक-आचारनीतिक विचार
socio-political organisation	समाज-राजनीतिक संगठन
soft power	नरम शक्ति, नरम राष्ट्र
soft state	नरम राज्य
soft target	सुलभ लक्ष्य
soka gakkai (value creating society)	मूल्य-सर्जक समाज
solemn declaration	सत्यनिष्ठ घोषणा
solid vote	ठोस मत
solidarity	एकजुटता
solidarity of interests	हितों की एकजुटता

solution by arbitration	विवाचन द्वारा समाधान
sophisticated voting	कृतक मतदान
South East Asia Collective Defence Treaty	दक्षिण-पूर्व एशिया सामूहिक रक्षा संधि
sovereign	संप्रभु
sovereign assembly	संप्रभु सभा
sovereign state	संप्रभु राज्य
sovereignty	संप्रभुता
sovereignty de facto	तथ्यत: संप्रभुता
sovereignty of the people	जन संप्रभुता
soviet ministerov (=sovmin—the council of ministers)	मंत्रिपरिषद्, (सोवियत मंत्री-परिषद्)
Soviet people's courts	सोवियत जन न्यायालय
Soviet system	सोवियत व्यवस्था
Sovkhoz (U.S.S.R.)	सोवखोज (राज्य-फार्म)
spatial competition	स्थानिक प्रतिस्पर्धा
speakers's call	अध्यक्ष द्वारा निमंत्रण, अध्यक्ष द्वारा बुलाना
special address	विशेष अभिभाषण
special authorization	विशेष प्राधिकार देंना
special court	विशेष न्यायालय
special directives	विशेष निदेश
Special Marriage Act	विशेष विवाह अधिनियम
special powers	विशेष शक्तियाँ
special procedure order	विशेष प्रक्रिया आदेश
special protocol code	विशेष नयाचार संहिता
special provision	विशेष उपबंध
special session	विशेष अधिवेशन, विशेष सत्र
specialization	1. विशेषता, विशेषज्ञता 2. विशेषीकरण, विशिष्टीकरण
specialized agency	विशिष्ट अभिकरण
specific proposal	विशिष्ट प्रस्ताव
specific remedy	विशिष्ट उपचार
specific responsibility	विशिष्ट उत्तरदायित्व
spectre of war	युद्ध की काली छाया
specualtive opinion	परिकल्पनात्मक अभिमत
speculation	1. परिकल्पन 2. परिकल्पना
sphere of influence	प्रभाव-क्षेत्र
spirit of the laws	विधि की भावना
spiritual supremacy	आध्यात्मिक सर्वोच्चता
split ballot	विभाजित मतदान
split personality	खंडित व्यक्तित्व
split session	विभाजित सत्र
split ticket voting	मतपत्र पर विभाजित मतदान
spoils system	1. पद-पुरस्कार व्यवस्था 2. (युद्ध) लूट प्रथा
squatter sovereignty	उपवेशी-संप्रभुता
staatenbund	राज्य-संघ, श्टाटेनबुन्ड
stabilization	स्थिरीकरण
stable	स्थायी, स्थिर, अचल
stable coalition	स्थिर गठबंधन
stable growth	स्थिर संवृद्धि
stakeholder capitalism	पणधारक पूंजीवाद
standard operating procedures	मानक संचालन प्रक्रिया
standardisation of procedure	प्रक्रिया-मानकीकरण
standardised convention	1. मानकित रूढ़ि 2. मानकित अभिसमय
standing committee	स्थायी समिति
standing order	स्थायी आदेश
stand-patter (=diehard)	घोर अपरिवर्तनवादी
Star Wars	स्टार वार्स, अंतरिक्ष युद्ध
stare decisis	निर्णीत-अनुसरण
stasiology	राजनीतिकदल-विज्ञान
state	1. राज्य 2. स्थिति, अवस्था
state agency	सरकारी अभिकरण, सरकारी एजेन्सी
state aid	1. राज्य-सहायता 2. सरकारी सहायता
state council	राज्य परिषद्

state drive	राजकीय अभियान
state flag	राज्य-ध्वज
state government	राज्य सरकार
state guest	राजकीय अतिथि
state level	राज्य स्तर
state list	राज्य सूची
state monopoly	1. राजकीय एकाधिकार 2. राज्य एकाधिकार
state of emergency	आपात स्थिति
state of peace	शांति स्थिति, शांति अवस्था
State Reorganisation Act	राज्य पुनर्गठन अधिनियम
state responsibility	राज्य का उत्तरदायित्व, राजकीय उत्तरदायित्व
state rights	राज्य के अधिकार
state servitudes	राज्य भोगाधिकार
state sovereignty	राज्य संप्रभुता
state succession	राज्य-उत्तराधिकार
state system	राज्यव्यवस्था
state treaty	राज्य-संधि, राजकीय संधि
state under protectorate	संरक्षण-अधीन राज्य
state under suzerainty	अधिराजत्व अधीन राज्य
state visit	राजकीय यात्रा
statehood	राज्यत्व
stateless nation	राज्यविहीन राष्ट्र
stateless person	राष्ट्रिकताहीन व्यक्ति
statelessness	1. राष्ट्रहीनता 2. राज्यविहीनता
state-owned enterprise	राज्य-स्वामित्व उद्यम
statesman	राजमर्मज्ञ
statistical significance	सांख्यिकीय सार्थकता
status	1. स्थिति, प्रस्थिति 2. प्रतिष्ठा, हैसियत
status of dependene	अधीनता स्थिति
status quo	यथा स्थिति
statute	1. कानून, संविधि 2. (संस्था) परिनियम
statute book	संविधि पुस्तक, कानून पुस्तक
statute law	संविधि कानून
statute of limitation	परिसीमा संविधि
statutorily recognised	संविधि-स्वीकृत
statutory body	कानूनी निकाय, सांविधिक निकाय
statutory committee	सांविधिक समिति, विधिक समिति
statutory law	सांविधिक विधि, सांविधिक कानून
statutory provision	सांविधिक उपबंध
statutory responsibility	सांविधिक उत्तरदायित्व
statutory right	सांविधिक अधिकार
staunch opposition	कड़ा विरोध
stay of proceeding	कार्यवाहियों को रोकना
stay order	रोक आदेश
steering committee	1. विषय-निर्वाचन समिति 2. संचालन समिति
stipulated surrender	1. अनुबद्ध समर्पण 2. अनुबद्ध अभ्यर्पण
stipulation	अनुबंध
Stockholm Conference	स्टॉकहोम सम्मेलन
stoic	स्टोइक
stooge	पिट्ठू, कठपुतली
strategic air command	सामरिक हवाईकमान
Strategic Defense Initiative (SDI)	सामरिक रक्षा अभिक्रम
strategic importance	सामरिक महत्व
strategic position	सामरिक स्थिति
strategic trade policy	सामरिक व्यापार नीति
strategy	1. रणनीति 2. कार्यनीति, युक्ति
strengthening of relationships	संबंध सुदृढ़ीकरण
strike	हड़ताल
structural approach	संरचनात्मक उपागम
structural crisis	संरचनात्मक संकट
Structural Marxism	संरचनात्मक मार्क्सवाद
structural power	संरचनात्मक शक्ति

structural realism	संरचनात्मक यथार्थवाद
structural violence	संरचनात्मक हिंसा
structure	संरचना, ढांचा
structure of administration	प्रशासन संरचना
struggle for power	शक्ति संघर्ष
sub government	उप सरकार
sub judice	न्यायाधीन
sub-commission	उप-आयोग
subjacent state	अध:स्थित राज्य
subject of local jurisdiction	स्थानीय अधिकारिता का विषय
subject people	अधीन जन
subjects	1. प्रजा, प्रजाजन 2. विषय
subjects committee	विषय समिति
subjugated population	विजित जनता
subjugation	अधीनीकरण, अधीनता, विजय
submarine attack	पनडुब्बी आक्रमण
submarine-launched ballistic missile(SLBM's)	पनडुब्बी-प्रक्षेपित प्रक्षेपास्त्र
subordinate agency	अधीनस्थ अभिकरण
subordinate command	अधीनस्थ कमान
subordinate legislation	अधीनस्थ विधायन
subpoena	सपीना
subservience	अनुसेवा
subsidiary alliance	सहायक मैत्री
subsidiary contract	सहायक संविदा
subsidiary debate	गौण बहस
subsidiary group	सहायक दल, सहायक समूह
subsidiary motion	गौण प्रस्ताव
subsidiary organ	सहायक अंग
subsidiary right	गौण अधिकार
subsidiary system	सहायक प्रथा
subsidy	सहायिकी
subsistence	जीविका, निर्वाह, गुजारा
substansive citizen	तात्विक नागरिक
substansive justice	तात्विक न्याय
substansive liberty	तात्विक स्वतंत्रता
substantial independence	तात्विक स्वाधीनता
substantial question of law	विधि का सारवान प्रश्न
substantive articles of treaty	संधि के सारवान अनुच्छेद
substantive motion	मूल प्रस्ताव
substantive principle of justice	न्याय का तात्विक सिद् धांत
substitution	प्रतिस्थापन
subsystem	उप व्यवस्था
subversion	ध्वंस
subversive	ध्वंसात्मक
subversive activites	ध्वंसक कार्रवाई
subversive agent	ध्वंसक अभिकर्ता
successful diplomat	सफल राजनयिक
succession	अनुक्रम, अनुक्रमण, उत्तरवर्तिता
succession state	उत्तराधिकारी राज्य
suffrage	मताधिकार
suffragette	नारी मतार्थिनी
suffragettism	नारी मताधिकार आंदोलन
summary determination	संक्षिप्त अवधारण
summit conference	शिखर सम्मेलन
summit diplomacy	शिखर राजनय
summitry	शिखर-सम्मेलन विधि
summon the parliament	संसद् का अधिवेशन बुलाना
superior body	प्रवर निकाय, श्रेष्ठ निकाय
supernumerary members	अधिसंख्यक सदस्य
super-organisation	अधि संगठन
superpower	महाशक्ति
superseding motion	अधिक्रमण प्रस्ताव
supplanted ruling class	विस्थापित शासक-वर्ग
supplementary budget	अनुपूरक बजट

supplementary convention	अनुपूरक अभिसमय
supplementary protocol	अनुपूरक उपसंधि
supplementary reply	अनुपूरक उत्तर
supply and demand	पूर्ति और मांग
supra jus	सर्वोच्च विधि
supra-national control	अधिराष्ट्रीय नियंत्रण
supremancy of constiution	संविधान की सर्वोच्चता
supreme authroity	1. सर्वोच्च प्राधिकार 2. सर्वोच्च सत्ता
supreme command	सर्वोच्च समादेश
supreme federal authority	सर्वोच्च संघीय प्राधिकारी
Supreme Judicial Council	सर्वोच्च न्यायिक परिषद्
Supreme War Council	सर्वोच्च युद्ध परिषद्
surplus value	अतिरिक्त मूल्य
surrender deed	अभ्यर्पण विलेख
surrogacy	प्रतिनियुक्ति
surrogate mother	प्रतिनियुक्त माता
surrogate parents	प्रतिनियुक्त माता-पिता
surrounding territory	परिवेशी क्षेत्र
survival of the fittest	योग्यतम की उत्तरजीविता
suspension of hostilities	युद्ध विराम
suspension of the sitting	बैठक का निलंबन
suspensive veto	निलंबन निषेधाधिकार
sustainable development	संधारणीय विकास, संपोषणीय विकास
suzerain	अधिराज
suzerain state	अधिराज्य
suzerainty	अधिराजत्व
swaraj	स्वराज
swearing-in-ceremony	शपथग्रहण समारोह
sweep the poll	निर्वाचन में सर्वाधिक मत पाना
swing	मत का प्रदोलन
symbol of free association	मुक्त साहचर्य का प्रतीक
symbolic functions	प्रतीकात्मक कृत्य
symbolic respesentative	प्रतीकात्मक प्रतिनिधि
symmetrical philosophy	सममित दर्शन
sympathiser	सहानुभूति रखनेवाला
symposium	परिसंवाद
syndicalism	श्रमसंघवाद
syndicate	अभिषद्, सिंडिकेट
syndrome	संलक्षण
synoptic principle	समन्वय सिद्धांत
synthesis	संवाद, संश्लेषण
system analysis	व्यवस्था विश्लेषण
systematic ethics	व्यवस्थित आचारनीति
systematic legislation	व्यवस्थित विधायन

T

table of the house	सदन पटल
tacit consent	मूक सम्मति, मूक सहमति
tacit recognition	मूक मान्यता
tactical air command	सामरिक हवाई कमान
tactical voting	मुक्तिसम्मत मतदान
tactics	1. युक्ति 2. सामरिकी
tariff	प्रशुल्क, टैरिफ
task force	कार्य दल,
taxable territory	कराधान-योग्य प्रदेश
taxation	कराधान
taxpayer revolt	करदाता विद्रोह
technical aid	तकनीकी सहायता
technical department	तकनीकी विभाग
technique of mass propaganda	जन-प्रचार की तकनीक
technique of reconciliation	समाधान तकनीक
technology of warfare	युद्ध प्रौद्योगिकी
temporal power	लौकिक शक्ति
temporal punishment	लौकिक दंड
temporal sovereign	लौकिक संप्रभु
temporary alliance	अस्थायी सहबंध
temporary cease-fire	अस्थायी युद्ध विराम
temporary cession	अस्थायी अध्यर्पण
temporary expendiency	अस्थायी कार्यसाधकता

temporary resident permit	अस्थायी निवासी अनुज्ञापत्र
tenancy rights	काश्तकारी अधिकार
tense situation	तनावपूर्ण स्थिति
tenure of office	पदधारण अवधि
tenure of post	पदावधि
tenure post	सावाधिक पद
tenure system	पदावधि व्यवस्था
term of office	पदावधि
termination of agreement	समझौते का समापन
terms of settlement	समझौते की शर्तें
terms of trade	व्यापार की शर्तें
terra incognita	अज्ञात प्रदेश
terra nullius	अनधिकृत प्रदेश
terrestrial sphere	भू-क्षेत्र
territorial	1. प्रादेशिक 2. क्षेत्रीय, भूभागीय
territorial compensation	भूभागीय क्षतिपूर्ति
territorial constituency	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र
territorial controversy	भूभागीय विवाद
territorial independence	भूभागीय स्वतंत्रता
territorial jurisdiction	भूभागीय अधिकारिता
territorial property	क्षेत्रीय संपत्ति
territorial rights	क्षेत्राधिकार, भूभागीय अधिकार
territorial unity and integrity	प्रादेशिक एकता और अखंडता
territorial waters	राज्यक्षेत्रीय सागर क्षेत्र
territorial-functional dichotomy	क्षेत्रीय तथा प्रकार्यात्मक सिद्धांतों के मध्य द्वंद्व
territory	क्षेत्र, भूभाग, इलाका, प्रदेश, राज्य-क्षेत्र
terror	संत्रास, आतंक
terrorism	आतंकवाद
terrorist	आतंकवादी
theatre of war	युद्धक्षेत्र
Their Excellencies	महामहिम
Their Majesties	महागरिमामय
theocracy	धर्मतंत्र
theocratic state	धर्मतंत्रीय राज्य, मज़हबी राज्य
theologico-political field	धार्मिक-राजनीतिक क्षेत्र
theoretical sovereignty	सैद्धांतिक संप्रभुता
theorist	सिद्धांतकार
theory	सिद्धांत
theory and practice (of diplomacy)	(राजनय के) सिद्धांत और व्यवहार
theory of anarchy	अराजकता का सिद्धांत
theory of concentration of capital (marxism)	पूँजी संकेंद्रण-सिद्धांत (मार्क्सवाद)
theory of limited sovereignty	सीमित संप्रभुता का सिद्धांत
theory of representation	प्रतिनिधित्व का सिद्धांत
theory of separation of powers	शक्ति -पृथक्करण सिद्धांत
thesis	1. स्थापना 2. शोध-प्रबंध; प्रबंध 3. वाद
thin majority	स्वल्प बहुमत
third estate	सामान्य जन, तृतीय वर्ग
third force	तृतीय शक्ति, तृतीय पक्ष
Third Internationale (=comintern 1919-1943)	थर्ड इन्टरनेशनाले
third reading	तृतीय वाचन
Third Secretary	तृतीय सचिव
third world	तीसरी दुनिया
thought leader	विचारक नेता
threatened conflict	संभावित संघर्ष
threatening announcement	धमकी भरा ऐलान
threshold	दहलीज
threshold effect	दहलीज प्रभाव
threshold income	दहलीज आय
thumping majority	भारी बहुमत
timocracy	1. महाजनतंत्र 2. सम्मानतंत्र
title of occupation	कब्ज़े का हक़, अधिग्रहण का हक
Titoism	टीटोवाद

token grant	सांकेतिक अनुदान
token strike	सांकेतिक हड़ताल
token support	सांकेतिक समर्थन
token vote	सांकेतिक मत
tolerance	सहिष्णुता
top ranking diplomat	शीर्षस्थ राजनयज्ञ
topical interest	सामयिक रुचि
topographic map	स्थालाकृतिक मानचित्र
toppling (a ministry)	गिराना
torture	यातना, यंत्रणा
Tory	टोरी
total dominion	पूर्ण आधिपत्य
total mobilization	पूर्ण लामबंदी
total quality management	पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन
total victory	पूर्ण विजय
total war	पूर्ण युद्ध, सर्वांगीण युद्ध
totalitarian	सर्वसत्तात्मक
totalitarian camp	सर्वाधिकारी शिविर
Totalitarian state	सर्वसत्तात्मक राज्य
totalitarianism	सर्वसत्तात्मचार, सर्वाधिकारवाद
tourist visa	पर्यटक वीज़ा
trade council	व्यापार परिषद्
trade delegation	व्यापार प्रतिनिधिमंडल
trade domicile	व्यापार अधिवास
trade treaty	व्यापार संधि
trade union	श्रमिक संघ, मज़दूर संघ
Trade Union Act	श्रमिक संघ अधिनियम
traditional authority	परंपरागत सत्ता
traditional international law	परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय विधि
traditional law	परंपरागत विधि
traditional nationalism	परंपरागत राष्ट्रवाद
traditionalist	परंपरावादी
trafficking in human being	मानव का दुर्व्यापार
traitist	विशेषकवादी
tranquil state	प्रशांत राज्य
transfer of territory	(राज्य) क्षेत्र अंतरण
transferred subjects	हस्तांतरित विषय
transit permit	पारगमन परमिट
transit section	पारगमन अनुभाग
transit visa	पारगमन वीजा
transitional arrangement	संक्रमणकालीन प्रबंध/व्यवस्था
transitional election	संक्रमणकालीन चुनाव
transitory provision	संक्रमणकालीन उपबंध
transmutative power	परिवर्तनकारी शक्ति
transnational corporation	पारराष्ट्रीय निगम
travelling allowance	यात्रा भत्ता
treason	1. राजद्रोह 2. देशद्रोह
treasury bench	मंत्रीमंच, सत्ता पक्ष
treasury bill	राजकोष बिल
treatise of guarantee	प्रत्याभूति संधियाँ
treaty	संधि
treaty arbitration	संधि विवाचन
treaty contract	संधि संविदा
treaty extradition	संधि प्रत्यर्पण
treaty of friendship	मैत्री संधि
Treaty-breaking states	संधि भंग कारी राज्य
trespasser	अतिचारी
tresspass	अतिचार
trial and error method	प्रयत्न-त्रुटि विधि
trial by jury	जूरी(द्वारा) विचारण
trial of strength	शक्ति परीक्षण
tribal studies	जनजाति अध्ययन
tribalism	जनजातिवाद
tribe	जनजाति
trible state	जनजाति राज्य
tribunal	अधिकरण
tripartite agreement	त्रिपक्षीय करार

tripartite pact	त्रिपक्षीय समझौता
tripartite treaty	त्रिपक्षीय संधि
triple agreement	त्रिराष्ट्रीय समझौता, त्रिपक्षीय समझौता
triple alliance	त्रिराष्ट्रीय संधि
triple pact	त्रिराष्ट्र अनुबंध
tripolar	त्रिध्रुवीय
triumphal entry	विजयी-प्रवेश
Trotskyism	ट्रॉट्स्कीवाद
truce	1. युद्ध विराम 2. युद्ध विराम संधि 3. अस्थायी शांति-संधि
truce agreement	युद्धविराम समझौता, अस्थायी शांति-संधि समझौता
truce committee	युद्धविराम समिति, अस्थायी शांति-संधि समिति
truce offer	युद्धविराम प्रस्ताव, अस्थायी शांति-संधि प्रस्ताव
Truman doctrine	ट्रुमैन सिद्धांत
trust concept	न्यास संकल्पना
trusteeship	न्यासिता, न्यासधारिता
trusteeship agreement	न्यासधारिता समझौता
trusteeship council	न्यास परिषद
Tudeh (communist party of Iran)	तूदे
tumult	कोलाहल
turbulence	विक्षोभ, अशांति
turncoat diplomacy	दलबदलू राजनय
turnout	उपस्थिति
two bloc system	द्विगुट पद्धति
two China policy	दो चीन नीति
two party system	द्विदल- पद्धति
two state theory	द्विराज्य सिद्धांत
types of government	शासन के प्रकार
tyranny	1. अत्याचार 2. अत्याचारी शासन
tyranny of the majority	बहुमत का अत्याचारी शासन

U

U.N. Emergency Force	संयुक्तराष्ट्र आपातिक सेना
ultimate authority	1. परम सत्ता 2. परम प्राधिकारी;
ultimate moral standards	चरम नैतिक मानक
ultimate sovereignty	चरम संप्रभुता
ultra-national	परा राष्ट्रीय
ultra-reactionary	अति प्रतिक्रियावादी
ultra-vires (beyond the power)	अधिकारातीत (सत्ता से बाहर)
UN Peacekeeping Force	संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षण सेना
unalienable (=inalienable)	अदेय, अनन्य-संक्राम्य
unanimity	1. सर्वसम्मति 2. मतैक्य
unanimous approval	सर्वसम्मत अनुमोदन
unanimous election	सर्वसम्मत निर्वाचन
unarmed frontier	शस्त्ररहित सीमांत
unbalanced government	असंतुलित सरकार, असंतुलित शासन
unbalanced policy	असंतुलित राजनीति
unbridgeable disagreement	असमाधानीय असहमति
unchallengeable power	अप्रतिरोधनीय शक्ति, अप्रतिरोधनीय सत्ता
uncommitted nations	अवचनबद्ध राष्ट्र
uncompromising opposition	दृढ़ विरोध, कड़ा विरोध
unconditional capitulation	अशर्त आत्मसमर्पण
unconstitutionality	असंवैधानिकता
uncontested election	अविरोधित निर्वाचन
uncontrolled armaments race	अनियंत्रित शस्त्रास्त्र स्पर्धा/दौर
unconventional warfare	अपरंपरागत युद्ध
under-developed nation	अल्पविकसित राष्ट्र
under-development	अल्पविकास
underground	1. भूमिगत 2. गुप्त
underground conspiracy	गुप्त षड्यंत्र

underground movement	भूमिगत आंदोलन
under-representation	अल्प प्रतिनिधित्व
undertaking	उपक्रम
underway	तलमार्ग
undignified language	अभद्र भाषा
undivided loyalty	अविभाजित निष्ठा
uneasy neutrality	सशंक तटस्थता
unemployment rate	बेरोजगारी दर
unequal representation	असमान प्रतिनिधित्व
unfettered authority	निरंकुश शक्ति
unfriendly act	अमैत्रीपूर्णकार्य
unfriendly state	अमैत्रीपूर्ण राज्य
unicameral	एकसदनी
unicameral legislature	एकसदनी विधानमंडल
unicameralism	एकसदनवाद
unified bureaucracy	एकीकृत अधिकारीतंत्र / दफ्तरशाही
unified command	एकीकृत कमान
unified state	एकीकृत राज्य
unilateral action	एकपक्षीय कारवाई
unilateral claim	एकपक्षीय दावा
unilateral rearmament	एकपक्षीय पुन:शस्त्रीकरण
unilateral recognition	एकपक्षीय मान्यता
unilateralism	एकपक्षीयता
union consciousness	संघ चेतना
union jurisdiction	संघ अधिकार क्षेत्र, संघ अधिकारिता
union list	संघ सूची
union minister	केंद्रीय मंत्री
Union of Soviet Socialist Republic (U.S.S.R)	सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ
Union Public Service Commission	संघ लोक सेवा आयोग
union services	संघ सेवाएं
Union territory	संघ राज्य-क्षेत्र
unipolar	एकध्रुवीय
unitarianism	1. एकात्मकतावाद 2. एकात्मक शासन-प्रणाली
unitary body	एकात्मक निकाय
unitary government	एकात्मक शासन
unitary method	ऐकिक विधि
unitary state	एकात्मक राज्य
united administrative tribunal	संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण
united front	संयुक्त राष्ट्र मोर्चा
United Nation	संयुक्त राष्ट्र (संघ)
United Nations (UN)	
United Nations Advisory Council	संयुक्तराष्ट्र सलाहकार परिषद्
United Nations Children's Fund (UNICEF)	संयुक्त राष्ट्र अंतरर्राष्ट्रीय बाल-आपात कोष (यूनिसेफ)
United Nations Commission on Human Rights (UNCHR)	संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग
United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)	संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन
United Nations Conference on Trade and Employment	संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा रोज़गार सम्मेलन
United Nations Economic and Social Council (ECOSOC)	संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)	संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को)
United Nations Emergency Force	संयुक्त राष्ट्र आपातिक सेना
United Nations Information Centre	संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र
United Nations Relief and Rehabilitation Administration	संयुक्त राष्ट्र राहत और पुनर्वास प्रशासन
United Nations Secretariat	संयुक्त राष्ट्र सचिवालय
unity state	एकात्मक राज्य
universal alliance	विश्वव्यापी सहबंध

universal binding force	सर्वव्यापी बंधनकारी शक्ति
universal citizenship	विश्व नागरिकता
Universal Declaration of Human Rights	मानव-अधिकार घोषणापत्र
universal devastation	विश्वव्यापी विध्वंस
universal disarmament	विश्वव्यापी नि:शस्त्रीकरण
universal moral code	विश्वव्यापी नैतिक संहिता
Universal Postal Convention	सर्वदेशीय डाक अभिसमय
universal recognition	विश्वव्यापी मान्यता
universal religion	विश्व धर्म
universal social decay	सार्वत्रिक सामाजिक क्षय
universal spirit (Geist)	विश्व-आत्मा
universal succession	सार्वत्रिक उत्तराधिकार
universalism	सार्वभौमवाद, विश्ववाद
universality of right	अधिकारों की सार्वभौमिकता
universalization of education	शिक्षा का सार्वजनीकरण
unlawful activity	गैरकानूनी गतिविधि
unlimited imperialism	असीमित साम्राज्यवाद
unlimited power	असीमित शक्ति
unofficial observer	गैर-सरकारी प्रेक्षक
unopposed election	निर्विरोध चुनाव
unorganized pressure	असंगठित दबाव
unorganized pressure group	असंगठित दबाव-समूह
unparliamentary	1. असंसदीय 2. अशिष्ट
unqualified apology	अशर्त क्षमा-याचना
unrecognized government	मान्यता-रहित सरकार
untouchablity	अस्पृश्यता, छुआछूत
uphold	अक्षुण्ण रखना, बनाए रखना
uphold the constitution	संविधान का मर्यादा बनाए रखना
upper chamber	उच्च सदन
uprising	विद्रोह, विप्लव
urban constituency	नगर निर्वाचन-क्षेत्र
use of force	बल-प्रयोग
usurpation	राज्यापहरण, बलाद्ग्रहण
usus bellici	युद्धकालीन उपयोग
utilitarian doctrine	उपयोगितावादी सिद्धांत
utilitarianism	उपयोगितावाद
utility	उपयोगिता
utmost secrecy	परम गोपनीयता
utopia	यूटोपिया, कल्पनालोक
utopian society	कल्पनालोकी समाज
utopianism	काल्पनिक आदर्शवाद

V

vacillating neutralism	ढुलमुल तटस्थतावाद
valid vote	विधिमान्य मत
validity of Act	अधिनियम की विधिमान्यता
value-added tax	मूल्य-वर्धित कर (वैट)
vanguard	अग्रणी
Vanguard party	वैनगार्ड पार्टी
Vatican city	वेटिकन नगर
Vatican Council	वेटिकन परिषद
vendetta	(हिंसक) प्रतिशोध
verbatim proceedings	शब्दश: कार्यवृत्त
verification of credentials	प्रत्ययपत्र का सत्यापन
vernunftstaat (=rational state)	विवेक-आधारित राज्य
vertical accountability	सोपानिक जवाबदेही
vested interest	निहित हित, निहित स्वार्थ
veto	निषेधाधिकार, वीटो, निषेध करना
veto power	निषेधाधिकार
vice chairman	उपाध्यक्ष
vice-president	1. उपराष्ट्रपति 2. उपाध्यक्ष, उपसभापति
vicious circle	दुशचक्र
vicious propaganda	दुष्प्रचार

vigilant neutralism	1. सतर्क तटस्थता 2. सतर्क तटस्थतावाद
vigorous campaign	प्रबल अभियान
vilification	मिथ्यारोपण
village council	ग्राम परिषद्
village panchayat	ग्राम पंचायत
violation of neutrality	तटस्थता का अतिक्रमण
violent means	हिंसात्मक साधन
visa	वीज़ा
visa exemption	वीजा-विषयक छूट
vision document	भविष्यदृष्टि प्रलेख
vital interest	महत्वपूर्ण हित
vocational bureaucracy	व्यावसायिक अधिकारीतंत्र
vocational representation	व्यावसायिक प्रतिनिधित्व
voice vote	ध्वनि मत
voluntary assimilation	स्वैच्छिक समीकरण, स्वैच्छिक आत्मसात्करण
voluntary association	स्वैच्छिक साहचर्य
voluntary execution	स्वैच्छिक निष्पादन
voluntary merger	स्वैच्छिक विलयन
voluntary organisation	स्वैच्छिक संगठन
volunteer aid society	स्वयंसेवक सहायता समिति
votable item	मतदेय मद, मतयोग्य मद
vote by ballot	मतपत्र द्वारा मतदान
vote of censure	निंदा प्रस्ताव
vote of confidence	विश्वास प्रस्ताव
vote of credit	प्रत्ययनुदान
vote of no confidence	अविश्वास प्रस्ताव
vote on account	लेखानुदान
voted expenditure	दत्तमत अनुदान
voting behaviour	मतदान व्यवहार
voting by division	विभाजन द्वारा मतदान
voting right	मताधिकार
voting strength	1. मत संख्या 2. मत शक्ति
vox populi	जनता की आवाज, जनता की वाणी, जनवाणी
vox populi, vox Dei	जनता की वाणी, प्रभु की वाणी

W

wage slavery	मज़दूरी दासता
waiver of privilege	विशेषाधिकारों का अधित्याग
walk out	वाक आउट, सदन त्याग
want of confidence	विश्वास का अभाव, अविश्वास
war	युद्ध
war atrocities	युद्ध नृशंसताएं, युद्ध क्रूरताएं
war blockade	युद्ध संरोध, युद्ध नाकाबंदी
war budget	युद्ध बजट
war crime	युद्ध अपराध
war damages	युद्ध नुकसानी
war debt	युद्ध ऋण
war economy	युद्धकालीन अर्थव्यवस्था
war effects	युद्ध प्रभाव
war effort	युद्ध प्रयास
war establishment	युद्ध स्थापना, युद्धकालीन संगठन
war lord (=tuchun)	युद्ध सामंत, योद्धा सामंत
war neurosis	युद्ध तंत्रिकाताप, युद्धोन्माद
war of independence	1. स्वतंत्रता युद्ध 2. स्वाधीनता संग्राम
war of liberation	मुक्ति संग्राम

War of the Spanish Succession	स्पेनी उत्तराधिकार युद्ध
war passion	युद्ध आवेश
war plan	युद्ध योजना
war propaganda	युद्ध दुष्प्रचार
war rebel	युद्ध विद्रोही
war resister	युद्ध प्रतिरोधक
war zone	युद्ध - क्षेत्र
warminerging	युद्ध भड़काना
warrant of surrender	अभ्यर्पण का अधिपत्र
Warsaw pact	वारसा समझौता
water conservation	जल संरक्षण
waterthin majority	अत्यल्प बहुमत
ways and means	अर्थोपाय
weaker section	कमजोर वर्ग, दुर्बल वर्ग
wealth	धन, संपत्ति
weapon of mass destruction (WMD)	बहुजनविनाशकारी आयुध
welfare	कल्याण
welfare personnel	कल्याणकारी कार्मिक
welfare state	कल्याणकारी राज्य
western christendom	पश्चिमी ईसाई जगत्
western nationalism	पश्चिमी राष्ट्रवाद
westernization	पश्चिमीकरण
Westminster model	वेस्टमिंस्टर मॉडल
Whiggism	व्हिगवाद
white book	श्वेत पुस्तक
white colonialism	श्वेत उपनिवेशवाद
white house	वाइट हाउस
white minority	श्वेत अल्पसंख्यकवर्ग
white paper	श्वेत पत्र
white primary	श्वेत प्राथमिक निर्वाचन सम्मेलन
whiteman's burden theory	श्वेतजाति का भार सिद्धांत
wide franchise	व्यापक मताधिकार
wild tribe	वन्य जाति
winter session	शीतकालीन सत्र
withdrawal of motion	प्रस्ताव वापस लेना, प्रस्ताव की वापसी
withdrawal of recognition	मान्यता वापस लेना
withering (away) of state	राज्य का अपक्षय
woman suffrage	महिला मताधिकार
women's movement	महिला आंदोलन
world wide agreement	विश्वव्यापी समझौता
workers' militia	श्रमिक सेना, कामगार सेना
workers' movement	श्रमिक आंदोलन
working alliance	काम-चलाऊ संधि, कार्यकारी संधि
working class	श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग
World Bank	विश्व बैंक
world citizen	विश्व नागरिक
world convention	विश्व सम्मेलन
World Ecumenical Conference	विश्व चर्च सम्मेलन
World Federation of Trade Unions	मज़दूर संघों का विश्व महासंघ
World government	विश्व सरकार
World Health Organization (WHO)	विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)
world order	विश्व व्यवस्था
world public opinion	विश्व जनमत
world spirit	विश्वात्मा
world trade depression	विश्वव्यापी व्यापार मंदी

world trade organisation	विश्वव्यापार संगठन
worldwide mutual assistance	विश्वव्यापी परस्पर सहायता
writ	रिट, लेख
writ of certiorari	उत्प्रेषण - रिट, उत्प्रेषण - लेख
writ of habeous corpus	बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट
writ of mandamus	परमादेश रिट
writ of prohibition	प्रतिषेध रिट
writ of quo warranto	अधिकार - पृच्छा रिट

X

xenophobia	अज्ञातजनभीति

Y

Yalta agreement	याल्टा समझौता
Yalta conference	याल्टा सम्मेलन
Yankee imperialism	यांकी साम्राज्यवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद
yardstick	मापदंड

Z

zamindari system	ज़मींदारी प्रथा
zealot	कट्टरपंथी
zero hour	शून्यकाल
zero-sum game	शून्य योगफल खेल
zionism	यहूदीवाद
zonal council	क्षेत्रीय परिषद्
zone of occupation	अभिगृहीत क्षेत्र
zone of peace	शांति क्षेत्र

© भारत सरकार
प्रकाशन नियंत्रक

अंक 58 पी.सी.एस.टी.टी. 2 (अप्रैल-जून) वर्ष 2018 (4-6)

Mobile App of Administrative Terms Glossary is now available in Google Play Store.

Step-1: Search CSTT • Step-2: Download • Step-3: Open to use

वैतश आयोग द्वारा प्रकाशित शब्दावलियाँ, परिभाषा-कोश मोबाईल ऐप तथा ई-पुस्तक के रूप में उपलब्ध होंगे।

प्रोफेसर अवनीश कुमार
अध्यक्ष

Glossaries and Definitional Dictionaries published by CSTT shall now be available in mobile apps and e-books format.

Professor Avanish Kumar
Chairman

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग)
पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली - 110066.
Commission for Scientific and Technical Terminology
Ministry of Human Resource Development
(Department of Higher Education)
West Block-7, R.K. Puram, New Delhi - 110066.
☎ 011-26105211 • Website: www.cstt.mhrd.gov.in
www.csttpublication.mhrd.gov.in

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय में मुद्रित एवं
प्रकाशन नियंत्रक, सिविललाइन्स, दिल्ली-110054 द्वारा प्रकाशित, 2018